



वैश्वीकृत स्थानीय

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

अनुक्रमणिका

1 निगमित अवलोकन

समुद्री क्षेत्र के भविष्य का संरूपण	04
उत्तम ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखना	06
सीमाओं से परे उत्कृष्टता प्रदान करना	07
हमारी विनिर्माण क्षमताओं का संवर्धन	08
विभिन्न अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु पोर्टिफोलियो का विस्तार	12
वित्तीय कार्य-निष्पादन	14
अध्यक्ष का संदेश	16
वित्त वर्ष 2023 में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियां	20
प्रमुख विस्तार परियोजनाएँ	22
हरित भविष्य की दिशा में बढ़ते कदम	24
क्षमता, प्रबल, निष्पादन का पोषण	28
स्थिरता को बढ़ावा देना	30
समाज की देखभाल	34
निदेशक मंडल	36
कार्यस्थल पर सुरक्षा	40
निगमित सूचना	41

2 सांविधिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट	42
निगमित शासन पर रिपोर्ट	82
प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	106
व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	116



हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए
क्यूआर कोड स्कैन करें या नीचे
दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
www.cochinshipyard.in

दूरदेशी बयान

इस रिपोर्ट में कुछ जानकारी में भविष्योन्मुखी बयान शामिल हो सकते हैं जिनमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, व्यवसाय योजना और संभावनाओं आदि के बारे में बयान शामिल हैं और आम तौर पर 'विश्वास', 'योजना', 'अनुमान', 'जारी रखें', 'आकलन', 'उम्मीद', 'हो सकता है', 'होगा' या अन्य समान शब्द जैसे भविष्योन्मुखी शब्दों से पहचाने जाते हैं। भविष्योन्मुखी बयान ऐसे बयानों में अंतर्निहित धारणाओं या आधार पर निर्भर होते हैं। हमने इन धारणाओं या आधारों को अच्छे विश्वास से चुना है, और हमारा मानना है कि वे सभी भौतिक मामलों में उचित हैं। हालाँकि, हम सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ ऐसे भविष्योन्मुखी बयानों में व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकती हैं। हम किसी भी भविष्योन्मुखी बयान को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं, चाहे वह नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप हो।

3 वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)	153
महा लेखापरीक्षक नियंत्रक की टिप्पणियां (स्टैंडअलोन)	169
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	170
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)	253
महा लेखापरीक्षक नियंत्रक की टिप्पणियां (समेकित)	263
समेकित वित्तीय विवरण	264

4 सूचना

51वीं वार्षिक आम बैठक	367



केंद्रित वित्तीय वर्ष 2023

₹2,330.46 करोड़
कारोबार

₹25.43
ईपीएस

₹533.40 करोड़
ईबीआईटीडीए

₹1,766.45 करोड़
पोत निर्माण से कुल आय

₹334.49 करोड़
कर के बाद लाभ

₹564.01 करोड़
पोत मरम्मत से कुल आय

पांच दशकों से अधिक की समृद्ध विरासत के साथ, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने खुद को पोत निर्माण, पोत की मरम्मत और रीफिट के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। सीएसएल अपने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और दुनिया भर में ग्राहकों को उच्च गुणवत्तावाले जलयान पहुंचाने की प्रतिबद्धता के लिए विख्यात है।

सीएसएल ने देशी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में योगदान देकर भारतीय समुद्री उद्योग की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सीएसएल बेजोड इंजीनियरिंग और सेवा उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए दुनिया भर में अपनाए जानेवाले सर्वोत्तम मानकों के साथ बेंचमार्क करने के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार करने का प्रयास करता है। शिपयार्ड की विशेषज्ञता पोत निर्माण और पोत मरम्मत से परे फैली हुई है, क्योंकि यह अपतटीय पोत निर्माण, मरम्मत और रूपांतरण, समुद्री इंजीनियरिंग, समुद्री क्षेत्र में कार्यनीतिक और उन्नत समाधान आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे यह एक एकमात्र केंद्र बन जाता है जहां दुनिया पोतों के लिए आती है।

सीएसएल हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, एक हरित और अधिक टिकाऊ कल सुनिश्चित करने के प्रयास में अपनी सभी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में अभिनव और पर्यावरण-अनुकूल समाधान लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, सीएसएल ने अपने जलयानों के लिए वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने के लिए ज्ञान और सर्वोत्तम कार्यों का आदान-प्रदान करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों और भागीदारों के साथ सहयोग करता है।



समुद्री क्षेत्र के भविष्य का संरूपण

कोचीन शिपयार्ड एक प्रसिद्ध पोत निर्माण और पोत मरम्मत कंपनी है जो समुद्री उद्योग में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। पांच दशकों से अधिक की समृद्ध विरासत के साथ, हम विश्वस्तरीय जलयानों की आपूर्ति और व्यापक पोत मरम्मत सेवाएं प्रदान करने में एक विश्वसनीय नाम के साथ उभरे हैं।

हमारी अत्याधुनिक सुविधाएं और कुशल कार्यबल हमें विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं, वाणिज्यिक पोतों से नौसैनिक जलयानों तक, को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। हमारी टीम की विशेषज्ञता और अनुभव हमें उच्च गुणवत्तावाले समाधान प्रदान करने की अनुमति देता है जो प्रदर्शन और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को पूरा करते हैं।

हम गुणवत्ता, सुरक्षा और वितरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर गर्व करते हैं, जिससे हमारे सम्मानित ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित होती है। कोचीन शिपयार्ड में, हम लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम समुद्री क्षेत्र के भविष्य को आकार देना जारी रखते हैं।

निर्मित और सुपुर्द किए गए जलयान
(कुल - दिनांक 31 मार्च 2023 तक)

21
बड़े जलयान

35
अपतटीय सहायता जलयान

93
छोटे एवं मध्यम जलयान

31
रक्षा जलयान



1972
में निगमन



दूरदर्शिता

- अग्र श्रेणी के वाणिज्य और नौसेना पोतों, अपतटीय यानों और संरचनाओं के निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमत शिपयार्ड के रूप में प्रसिद्ध हो जाना।
- परिवर्तन/ उन्नयन सहित पोत मरम्मत के लिए भारत में बाजार अग्रणी बनना।
- हमारे मूल्यवान ग्राहक द्वारा हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करना, हमारी नैतिकता के लिए सम्मान किया जाना और हमारी सेवा उत्कृष्टता के लिए भरोसा करना।



लक्ष्य

- अंतर्राष्ट्रीय मानक पर अपतटीय संरचना तथा यानों का निर्माण एवं मरम्मत करना और मूल्य पर जुड़नेवाली इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करना।
- प्रतियोगितात्मक पर्यावरण में निगमित संवृद्धि कायम रखना।
- एक उत्तरदायी निगमित नागरिक बनने के लिए आदतों को स्वीकार करना और लेना।



उद्देश्य

- प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता संवर्धन के जरिए पोत निर्माण व पोत मरम्मत गतिविधियाँ कायम रखना और बढ़ाना।
- नई सुविधाओं की स्थापना सहित शिपयार्ड की गतिविधियों के विकास/ विविधीकरण के लिए लगातार प्रयत्न करना।
- पोत निर्माण प्रक्रिया की उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास कार्यान्वित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्किंग की ओर जाने हेतु, भारत में अनुवर्तित सर्वश्रेष्ठ पोत निर्माण मानकों के साथ बैंचमार्क करना।
- सुधरे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना।
- साफ एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट आदत अपनाना। क्षमता को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए आक्रामक बोली लगाने से रुका काम समय कम करना और आदेश प्राप्त करना।
- सकारात्मक ग्राहक उन्मुख पहलुओं को सुनिश्चित करना।
- सीएसआर और धारणीयता परियोजनाओं तथा निगमित शासन सिद्धांतों के अनुपालन के जरिए एक उत्तरदायी निगमित नागरिक धारणा निर्मित करना।

उत्तम ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखना

हमारे पास भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी वायुयान वाहक सहित प्रतिष्ठित जलयानों के निर्माण और वितरण का एक मज़बूत ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारी विशेषज्ञता भारत के कुछ सबसे बड़े पोतों के निर्माण और मरम्मत तक फैली हुई है। हमारे मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन, प्रचालन दक्षता और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान की मान्यता के रूप में, सीएसएल को भारत सरकार द्वारा 'अनुसूची ए' सीपीएसई में उन्नत किया गया है।

इन वर्षों के दौरान, हमने बाज़ार की बदलती मांगों के अनुरूप खुद को ढाल लिया है, थोक वाहक से लेकर अधिक उन्नत और तकनीकी रूप से परिष्कृत जलयानों जैसे प्लेटफॉर्म सप्लाय जलयान और एंकर हैंडलिंग टग सप्लाय जलयान की ओर प्रगति कर रहे हैं। सीएसएल ने हरित जलयानों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है और देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए हरित जलयानों का सफलतापूर्वक निर्माण और वितरण किया है।

रोल्स रॉयस मरीन, जीटीटी, आईएचसी हॉलैंड, रॉबर्ट एलन, फिनकैटिरी, वार्ड ग्रुप आदि जैसी प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ सहयोग करते हुए, हमने नॉर्वे, नेथरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क/बहामास, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में प्रतिष्ठित ग्राहकों को 47 जलयानों का निर्यात करके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी स्थिति मज़बूत की है।

देशी बाज़ार के भीतर, हमने प्रमुख ग्राहकों जैसे कि भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल,

गृह मंत्रालय, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, लक्षद्वीप सरकार, विभिन्न पत्तन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, द्वीपस्तंभ एवं द्वीपपोत महानिदेशालय और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ मज़बूत संबंध स्थापित किए हैं। हमारी सेवाओं में जलयानों की मरम्मत और उन्नयन भी शामिल है, जिसमें तेल अन्वेषण उद्योग के साथ-साथ पोतों का नियमित रखरखाव, मरम्मत और जीवन विस्तार भी शामिल है।



सीमाओं से परे उत्कृष्टता प्रदान करना



मानचित्र सही पैमाने पर नहीं।

हमारी विनिर्माण क्षमताओं का संवर्धन

उन्नत प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ, हम शीर्ष स्तर के पोत निर्माण और मरम्मत सेवाएं सुनिश्चित करते हैं। अत्याधुनिक मशीनरी से सुसज्जित हमारी समर्पित कार्यशालाएं हमें उच्च गुणवत्तावाले पोत वितरित करने की अनुमति देती हैं।

हमारी सूखी गोदियां और अन्य सुविधाएं कुशल निर्माण और रखरखाव के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करती हैं। स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, हम पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्राथमिकता देते हैं और जहां भी संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं।



कोच्ची, केरल

हमारे पास असाधारण बुनियादी ढांचा है जो 1,10,000 डीडब्ल्यूटी तक वजनवाले पोतों के निर्माण के साथ-साथ 1,25,000 डीडब्ल्यूटी तक वजनवाले पोतों की मरम्मत करने में सक्षम बनाता है। लगभग 175 पोत निर्माण और 2,500 से अधिक पोत मरम्मत परियोजनाओं के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, जिसमें भारत के पहले स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण की उल्लेखनीय उपलब्धि भी शामिल है। हम भारत की अग्रणी और अत्यधिक कुशल पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा के रूप में खड़े हैं, जो वाणिज्यिक, रक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सहित विविध प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है।

08 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्ची

सूखी गोदी 1: 255 × 43 × 9 मीटर

सूखी गोदी 2: 270 × 45 × 12 मीटर

सूखी गोदी 3: 310 × 75/60 × 13 मीटर (नई)

बर्थ: 1.3 कि.मी.

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ), कोच्ची

शिपलिफ्ट : 6000 ट (130 × 25 मी)

6 कार्य स्टेशन

समर्पित शॉप एवं समुद्री पार्क



मुंबई, महाराष्ट्र

मुंबई क्षेत्र में वर्तमान पोत मरम्मत क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मुंबई पत्तन पर सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत इकाई (सीएमएसआरयू) की स्थापना की, हमने जनवरी 2019 में अपना पोत मरम्मत कार्य शुरू किया। तब से इसने लगभग 90 जलयानों की मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पोत मरम्मत सेवाओं के बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान देकर, हम मुंबई क्षेत्र में पोत मरम्मत के लिए एक विश्वसनीय और मांगवाली सुविधा बन गए हैं।

सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)

सूखी गोदी : 300 × 30 × 9 मीटर

अंतर्जलीय मरम्मत हेतु 1 कि.मी. बर्थ

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

भारत के पूर्वी तट पर वाणिज्यिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों की पोत मरम्मत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत इकाई (सीकेएसआरयू) की स्थापना की गई। कार्यनीतिक रूप से कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर स्थित, हमने अक्टूबर 2019 में अपना पोत मरम्मत कार्य शुरू किया। तब से, इसने कई महत्वपूर्ण पोत मरम्मत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, जिससे क्षेत्र में एक विश्वसनीय और कुशल सुविधा के रूप में हमारी स्थिति मज़बूत हुई है। चाहे वाणिज्यिक उद्यमों या रक्षा संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना हो, हम कोलकाता क्षेत्र में उच्च गुणवत्तावाली पोत मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत इकाई (सीकेएसआरयू)

सूखी गोदी: 172 × 23 × 8 मीटर (2 सं.)



पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

पोर्ट ब्लेयर में समुद्री डॉकयार्ड के भीतर स्थापित, सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत इकाई की स्थापना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक व्यापक पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई है। इसमें मौजूदा सुविधाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण शामिल है। हमने नवंबर 2021 में पोत मरम्मत गतिविधियों की शुरुआत की, जिससे क्षेत्र में पोत मरम्मत सेवाओं की वृद्धि और संवर्धन में योगदान मिला। अपने कार्यनीतिक स्थान और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का लाभ उठाकर, हमारा लक्ष्य अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एक संपन्न पोत मरम्मत उद्योग स्थापित करना है, जो क्षेत्र की समुद्री ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुशल और उन्नत सेवाएं प्रदान करता है।

सीएसएल अंडमान एवं निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू)

सूखी गोदी 1: 88 × 20 × 7 मीटर

सूखी गोदी 2: 68 × 16 × 5 मीटर

स्लिपवे : 25 × 8 मीटर (5 सं.)



हमारी विनिर्माण क्षमताओं का संवर्धन जारी...



हावडा, पश्चिम बंगाल

नज़ीरगंज में हुगली नदी के तट पर स्थित, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को उच्च गुणवत्तावाले अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ एक कॉम्पैक्ट शिपयार्ड के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसे जलयानों की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित यह पूरी तरह नई अत्याधुनिक सुविधा का आधिकारिक उद्घाटन दिनांक 16 अगस्त 2022 को किया गया था। इस कार्यनीतिक स्थान और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का लाभ उठाकर, हम अंतर्देशीय और तटीय उद्देश्यों के लिए आसाधारण पोत निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, जिससे कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करनेवाले जलयानों का निर्माण सुनिश्चित होता है।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)

स्लिपवे : 136 × 40 मीटर

3 आउफिटिंग जेट्टी

उडुपी, कर्नाटक

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) को दिवाला और दिवालिवापन संहिता प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में अधिग्रहित किया गया, यह सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी मुख्य सुविधा उडुपी, कर्नाटक में स्थित है। इस सुविधा का संचालन जुलाई 2021 में शुरू हुआ। अपने अत्यधिक परिष्कृत बुनियादी ढांचे के साथ, सीएसएल देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में छोटे और मध्यम आकार के पोतों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बेहतर पोत निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल)

स्लिपवे : 96 × 22 मीटर



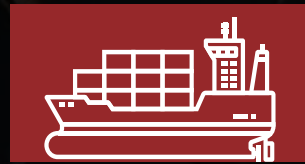
विभिन्न अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु पोर्टफोलियो का विस्तार

पोत निर्माण



रक्षा

वायुयान वाहक । अगली पीढ़ी मिसाइल जलयान । आंटी सबमराइन वारफेयर शालो वाटर क्राफ्ट । प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जलयान । फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट जलयान । फास्ट पतरोल जलयान । हाइड्रोग्राफिक सर्वे जलयान । अपतटीय पतरोल जलयान । प्रदूषण नियंत्रण जलयान



वाणिज्यिक

तेल टैंकर । बल्क कैरियर । ड्रेजर । यात्री जलयान । टग । विशेष उद्देश्य जलयान । डेक कार्गो/जैकट लॉच बार्ज । विद्युत स्वायत्त जलयान । विद्युत यात्री फेरी । रो-रो जलयान । रो-पैक्स जलयान । विशेषीकृत मत्स्य ग्रहण जलयान । समुद्री एंबुलेंस / कमीशनिंग सर्विस प्रचालन जलयान



अपतटीय

प्लैटफार्म सप्लाय जलयान । ऐंकर हैंडलिंग/ टग सप्लाय जलयान । बहु उद्देशीय जलयान । सपोर्ट जलयान का विशेषीकृत निर्माण

पोत मरम्मत



- ▶ वायुयान वाहकों और अन्य रक्षा जलयान का अनुरक्षण और मरम्मत।
- ▶ टैंकर्स, बल्क कैरियर, सभी प्रकार के वाणिज्यिक और विशेषीकृत जलयान।
- ▶ तेल रिग उन्नयन, मरम्मत परियोजनाएं और रूपांतरण।

समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण



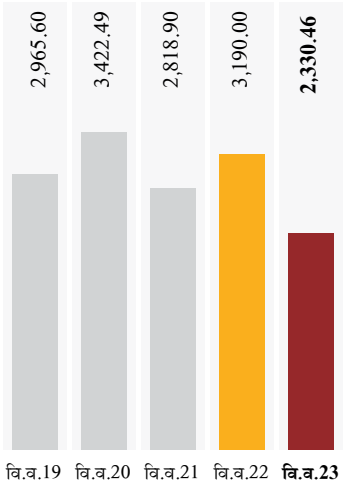
कार्यनीति और उन्नत समाधान



वित्तीय कार्य-निष्पादन

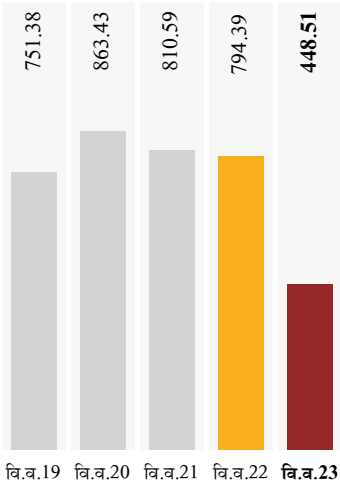
कारोबार

रु. करोड में



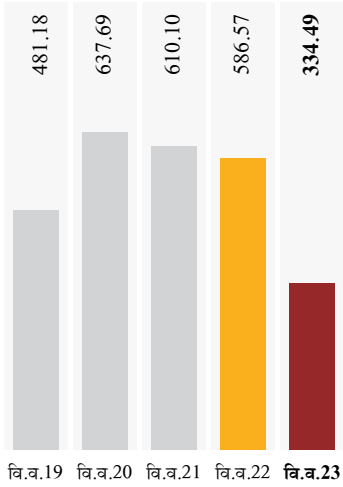
कर पूर्व लाभ

रु. करोड में



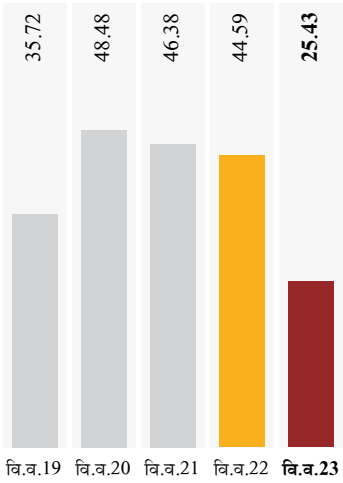
कर के बाद लाभ

रु. करोड में



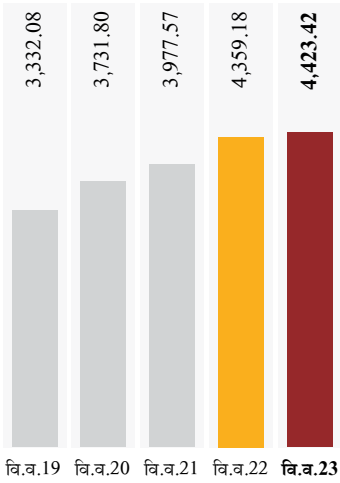
ईपीएस

(रु.)



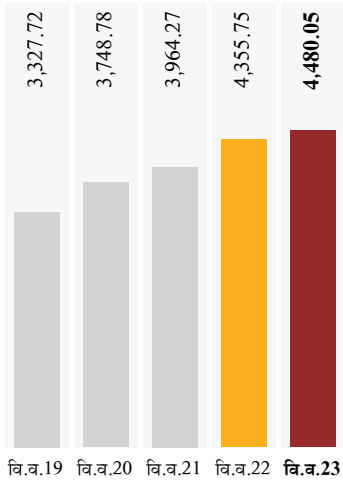
निवल लाभ

रु. करोड में



नियोजित पूंजी

रु. करोड में



10 वर्ष निष्पादन विशेषताएं

मुख्य सूचकांक	वि.व. 2023	वि.व. 2022	वि.व. 2021	वि.व. 2020	वि.व. 2019	वि.व. 2018	वि.व. 2017	वि.व. 2016	वि.व. 2015	वि.व. 2014
ईपीएस (₹ प्रति शेयर)	25.43	44.59	46.38	48.48	35.72	31.03	28.39	24.07	20.75	17.15
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ईबीडीआईटी/सकल कुल विक्री %	22.89	28.12	32.43	27.95	26.97	27.76	26.35	23.52	22.81	20.37
निवल लाभ गुंजाइश %	14.35	18.39	21.64	18.63	16.23	16.85	15.62	13.73	12.64	11.75
निवल मूल्य पर विवरणी %	7.56	13.46	15.34	17.09	14.44	12.19	15.85	15.09	15.06	14.15
नियोजित पूंजी पर विवरणी %	10.80	18.81	15.39	17.01	14.46	12.13	15.59	15.65	14.82	13.86

रु. करोड में										
विवरण	वि.व. 2023	वि.व. 2022	वि.व. 2021	वि.व. 2020	वि.व. 2019	वि.व. 2018	वि.व. 2017	वि.व. 2016	वि.व. 2015	वि.व. 2014
कुल विक्री	2,330.46	3,190.00	2,818.90	3,422.49	2,965.60	2,355.12	2,058.87	1,993.45	1,859.51	1,652.66
कुल आय	2,536.95	3,456.42	3,012.76	3,669.99	3,192.89	2,544.28	2,217.50	2,107.37	1,952.97	1,728.64
कर पूर्व लाभ	448.51	794.39	810.59	863.43	751.38	604.86	493.40	419.65	367.56	290.96
मूल्यहास एवं बट्टे खाता	51.15	54.41	53.07	48.73	34.16	37.51	38.51	37.19	38.33	26.43
कर के बाद लाभ	334.49	586.57	610.10	637.69	481.18	396.75	321.55	273.79	235.07	194.24
इक्विटी शेयर पूंजी	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28	113.28	113.28
आरक्षण एवं अधिशेष	4,291.88	4,227.64	3,846.03	3,600.25	3,200.54	3,119.93	1,915.30	1,701.05	1,447.79	1,239.25
निवल मूल्य	4,423.42	4,359.18	3,977.57	3,731.80	3,332.08	3,255.87	2,028.58	1,814.33	1,561.07	1,352.53
सकल अचल परिसंपत्तियां	1,029.67	1,008.36	973.96	853.82	426.69	369.79	357.72	569.53	636.84	602.38
निवल अचल परिसंपत्तियां	706.74	735.82	754.68	696.54	313.03	284.47	302.85	296.44	377.44	383.41
कर्मचारियों की सं.	1,883	1,756	1,727	1,710	1,744	1,781	1,829	1,671	1,786	1,751

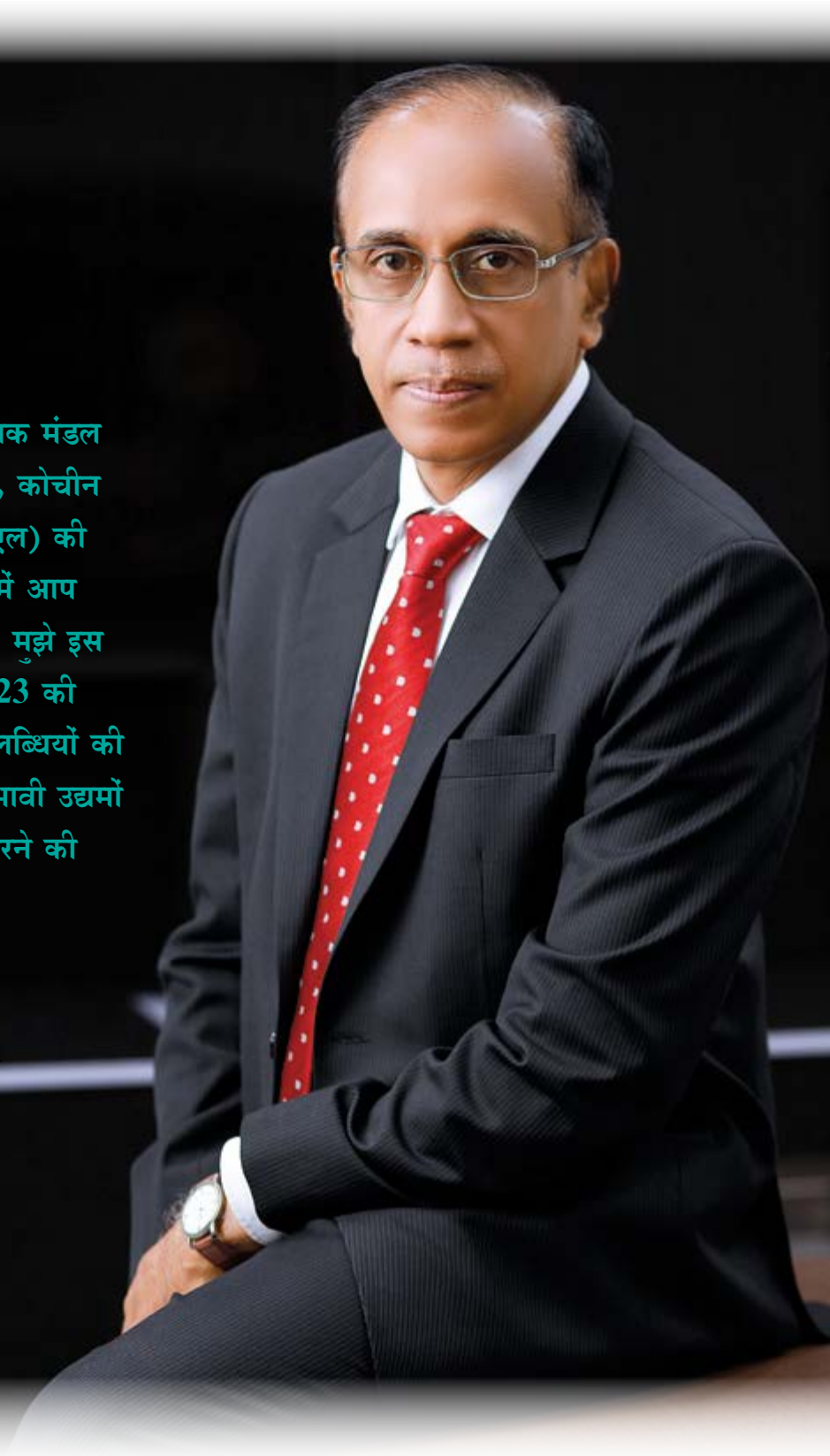
मुख्य संकेतक - भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

प्रमुख संकेतक (समेकित)	2022-23	2021-22
उत्पादन का मूल्य (₹ करोड में)	2,365.99	3,194.47
केपेक्स (₹ करोड में)	385.97	227.81
प्रचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यात (%)	2.92	2.98
पिछले वर्ष की तुलना में खपत किए गए कुल आयात में कमी (%)	19.60	-43.80
राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए (%)	17.91	25.64
निवल मूल्य पर वापसी (%)	7.02	13.61
संपत्ति कारोबार अनुपात (%)	25.66	41.05
प्रचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य (दिनों की सं.)	48.99	44.66
कर पूर्व लाभ के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास/नव प्रवर्तन पहल पर व्यय (%)	2.42	-

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारकों,

मैं अत्यंत प्रसन्नता से निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की 51वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे इस दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 की कंपनी के प्रदर्शन और उपलब्धियों की मुख्य बातें साथ ही हमारे भावी उद्यमों को आप के साथ साझा करने की अनुमति दें।



वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए कुछ वित्तीय और प्रचालन चुनौतियां पेश कीं। हमारे नतीजे हमारी शुरुआती उम्मीदों से कम रहे। विशेष रूप से, वर्ष के लिए प्रचालन से राजस्व ₹2330.46 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹3190.00 करोड़ था। कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के ₹794.39 करोड़ से कम होकर ₹448.51 करोड़ रहा। वर्ष के लिए निवल लाभ ₹334.49 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के ₹586.57 करोड़ से कम है। इसके बावजूद, हमने 14% का कर के बाद लाभ मार्जिन हासिल किया, जबकि प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹25.43 रही। इसके अलावा, हमने 23% के काफी अच्छे ईबीआईडीटीए मार्जिन के साथ ₹533.40 करोड़ का ईबीआईडीटीए हासिल किया।

दिनांक 31 मई, 2023 को कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान हमारी बातचीत ने हमारे वित्तीय निष्पादन को प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारकों के बारे में जानकारी प्रदान की, और इस मामले पर एक व्यापक प्रस्तुति कंपनी की वेबसाइट पर निवेशक अनुभाग में पाई जा सकती है। मुझे सीएसएल के लचीलेपन पर पूरा भरोसा है और मजबूत ऑर्डर दृश्यता और हाथ में मौजूद विभिन्न ऑर्डरों के निष्पादन को देखते हुए, वित्त वर्ष 2024 में एक मजबूत सुधार की आशा करता हूं।

प्रचालन कार्य निष्पादन

कंपनी ने 28 जुलाई, 2022 को भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत सौंपा और यह जलयान दिनांक 02 सितंबर, 2022 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किया गया, जो न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आईएसी के निर्माण को देश की सबसे महत्वाकांक्षी युद्धपोत परियोजना माना जाता है क्योंकि यह आकार और जटिलता के मामले में भारत में अब तक निर्मित किसी भी पोत की तुलना में अभूतपूर्व है, जिसने भारतीय पोत निर्माण में एक नया मानक स्थापित किया है। वर्ष के दौरान अन्य उल्लेखनीय पोत सुपुर्दगी में नॉर्वे स्थित एएसकेओ मैरीटाइम एएस के लिए दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक बार्ज, अर्थात 'मैरिट' और 'थेरेस' शामिल हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए एक 500 पैक्स

जलयान अर्थात 'नालंदा', गृह मंत्रालय के लिए तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयान और कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए सात हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल जलयान बनाए गए।

वर्ष के दौरान प्राप्त आदेश

वर्ष के दौरान पर्याप्त पोत निर्माण ऑर्डर हासिल करने में सीएसएल की प्रगति स्पष्ट रही। तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद, हमने पेलजिक ग्रुप, साइप्रस से दो कमीशनिंग सर्विस प्रचालन जलयान (सीएसओवी) के लिए आदेश हासिल किए; रक्षा मंत्रालय से छह अगली पीढ़ी के मिसाइल जलयान (एनजीएमवी) और नॉर्वे स्थित कंपनियों से दो शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान, जो सैमरिक्प समूह का हिस्सा हैं, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। ये उपलब्धियाँ भारतीय रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में हमारी ताकत और वैश्विक पोत निर्माण क्षेत्र में हमारी विश्वसनीयता को भी रेखांकित करती हैं।

प्रमुख विस्तार परियोजनाएँ

सीएसएल ₹2,769 करोड़ की लागत वाली दो बड़ी विस्तार परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) जिसकी लागत ₹970 करोड़ है और नई ड्राई डॉक की लागत ₹1,799 करोड़ है।

नई ड्राई डॉक परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में है। अधिकांश कार्य जैसे, ग्राउंड सुधार कार्य, कोफ़रडैम कार्य, डॉक वॉल शीट पाइल इंस्टॉलेशन कार्य, कैसॉन गेट यूनिट फैंक्क्शन, 4 में से 3 भूमिगत सबस्टेशन, 280 मीटर डॉक फ़्लोर (13 मीटर की गहराई पर), भूमिगत पम्प हाउस का 65% सिविल कार्य (21 मीटर की गहराई से), 98% आरसीसी पाइलिंग कार्य, 40% क्रैन ट्रैक कार्य, 50% कैसॉन गेट निर्माण कार्य, ग्रैंड असेंबली एरिया कार्य आदि पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, ड्राई डॉक के लिए एक महत्वपूर्ण मशीनरी, 600टन गैन्ट्री क्रैन के घटकों का निर्माण दक्षिण कोरिया में पूरा हो चुका है। साइट पर क्रैन घटकों की सुपुर्दगी अक्टूबर 2023 तक लक्षित है। कुल मिलाकर, परियोजना अच्छी तरह से प्रगति कर रही है और दिसंबर 2023 तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद है और उसके बाद 2024 के मध्य तक परियोजना पूरी तरह से चालू हो जाएगी।

टर्नकी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी द्वारा सामना की गई वित्तीय समस्याओं के कारण आईएसआरएफ परियोजना कठिनाइयों में पड़ गई थी, जिससे हमें अनुबंध समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुबंध समाप्ति तक निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति 78% बताई गई है। परिणामस्वरूप, शेष कार्य को तीन स्वतंत्र निविदा पैकेजों में विभाजित किया गया था। नए ठेकेदारों के साथ काम फिर से शुरू कर दिया गया है, ड्रेजिंग कार्य पूरा हो चुका है और सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्य अच्छी प्रगति कर रहे हैं। सभी शिपलिफ्ट घटक पहले ही साइट पर प्राप्त हो चुके हैं और 130मीटर x 25 मीटर शिपलिफ्ट प्लेटफॉर्म वियतनाम से समुद्री पारगमन के तहत है। हम दिसंबर 2023 तक पोत लिफ्ट और पहले दो कार्य स्टेशनों की कमीशनिंग पूरी करने, सुविधा को संचालन के प्रारंभिक चरण में लाने और उसके बाद अगले साल के मध्य तक शेष सुविधाओं को पूरा करने और चालू करने की उम्मीद करते हैं।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नाजिरगंज में नए अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा की स्थापना पूरी हो गई और 16 अगस्त, 2022 को यह सुविधा माननीय श्री सर्वानंद सोनोवाल,पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह सुविधा ₹175.20 करोड़ की लागत से हुगली नदी के तट पर 15.76 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य एचसीएसएल को अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के लिए भारत के पूर्वी तट में एक प्रमुख पोत निर्माण/मरम्मत यार्ड के रूप में स्थापित करना है। यह सुविधा पूर्वी तट पर पोत निर्माण में उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। एचसीएसएल को जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए बहुउद्देश्यीय कार्गो वेसल (2200 टी) के डिजाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पोत निर्माण ऑर्डर मिला। एचसीएसएल कोलकाता पत्तन के लिए कैसॉन गेट के पूरा होने के अंतिम चरण में है और आईडब्ल्यूआई के लिए छह बैटरी विद्युत यात्री घाटों के निर्माण के लिए तैयारी कर रहा है।

२०१२ में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का एक दृश्य

अध्यक्ष का संदेश जारी...

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का एक दृश्य

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड: वर्ष 2022-23 के दौरान उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) का निष्पादन उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। यूसीएसएल को पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड, मुंबई के लिए दो 70 टन बोलार्ड पुल टय्स सहित विभिन्न प्रमुख ऑर्डर मिले और इसने महत्वपूर्ण प्रचालन उपलब्धि भी हासिल किए हैं, जैसे; ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए अनुबंधित दो 62 टन बोलार्ड पुल टय्स की स्टील कटिंग और कील बिछाना, पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए अनुबंधित दो 70 टन बोलार्ड पुल टय्स की स्टील कटिंग आदि। कंपनी ने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए कुछ पोत मरम्मत परियोजनाओं सहित विभिन्न जलयानों की सुपर्दगी भी पूरी कर ली है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, यूसीएसएल ने पिछले वर्ष 2021-22 के लिए ₹10.08 करोड़ के मुकाबले ₹47.81 करोड़ की कुल आय दर्ज की। यूसीएसएल के मजबूत प्रचालन निष्पादन के परिणामस्वरूप उसका घाटा 33% कम होकर ₹8.67 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में यह ₹12.94 करोड़ था। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि यूसीएसएल को हाल ही में अतिरिक्त आठ जलयानों के विकल्प के साथ छह नई पीढ़ी के डीजल विद्युत 3800 डीडब्ल्यूटी सामान्य कार्गो जलयानों के निर्माण के लिए मेसर्स विल्सन ग्रुप, नॉर्वे से ऑर्डर मिला है। एक प्रतिष्ठित पोत मालिक की ओर से उभरते हुए यूरोपीय लघुसमुद्री जलयान खंड में इस महत्वपूर्ण अनुबंध से ऐसे और अधिक अनुबंधों के लिए संभावनाएं खुलने की उम्मीद है और यह यूसीएसएल के लिए एक प्रमुख आत्मविश्वास बढ़ाने वाले के रूप में काम करेगा।

निगमित शासन

कंपनी ने अच्छी निगमित शासन प्रणाली प्रथाओं का अनुपालन करना जारी रखा। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन प्रणाली पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। कंपनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर इस संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुशासित पत्तन,पोत परिवहन

और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) को निगमित शासन प्रणाली पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

‘अनुसूची ए’ में उन्नयन

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा कंपनी को ‘अनुसूची बी’ से ‘अनुसूची ए’ सीपीएसई में उन्नत कर दिया गया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई, 2023 को 'अनुसूची ए' में उन्नयन को अधिसूचित किया गया था। यह उन्नयन सीएसएल के प्रभावशाली वित्तीय निष्पादन, प्रचालन उत्कृष्टता और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता है। यह उन्नयन दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति हमारे समर्पण को उजागर करता है और देश के हितों की रक्षा में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। महत्वपूर्ण रूप से, 'अनुसूची ए' में उन्नयन सीएसएल को व्यापक वरिष्ठ प्रबंधन बैडविड्थ के साथ काम करने के लिए सशक्त बनाएगा, जो देश भर में स्थित इसकी सात इकाइयों की प्रभावी ढंग से देखरेख के लिए एक आवश्यकता है। हमें इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है, जो हमारी पूरी टीम की कड़ी मेहनत और हमारे हितधारकों के अटूट समर्थन का प्रमाण है। हमें इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है, जो हमारी पूरी टीम की कड़ी मेहनत और हमारे हितधारकों के अटूट समर्थन का प्रमाण है।

मानव संसाधन का पोषण

सीएसएल एक सशक्त कार्यबल को बढ़ावा देने में विश्वास रखता है। यह हमें जन-केंद्रित नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। हम विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं जो हमारे लोगों को अपने कौशल को उन्नत करने और निरंतर सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

हमारी जन अभिविन्यास रणनीति के केंद्र में चार सांस्कृतिक दक्षताएँ निहित हैं - टीमिंग, निष्पादन उत्कृष्टता, व्यवरोध खंडन और सतत अध्ययन। नव शामिल युवा अधिकारियों और पर्यवेक्षकों

के लिए वाईओसीडीपी, एससीडीपी सहित हमारे नेतृत्व विकास कार्यक्रम हमें भविष्य के नेताओं की एक अटल मार्ग बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। हमें भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय निगमिति मामला संस्थान, भारतीय उद्योग परिसंघ, सार्वजनिक उद्यम विभाग आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से बाहरी प्रशिक्षण के मूल्य का भी एहसास है और अपने लोगों को उनके ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने लोगों के लिए एक समावेशी कामकाजी माहौल बनाने में गर्व महसूस करते हैं, जिससे विविध पृष्ठभूमि के लोगों को उनकी पेशेवर क्षमताओं में फलने-फूलने का मौका मिलता है।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंधों का माहौल वर्ष भर सौहार्दपूर्ण रहा,और पंजीकृत ट्रेड यूनियनों ने कंपनी की बढ़ी हुई उत्पादकता और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। विभिन्न स्वैच्छिक पहलों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण और खुशहाली का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया। 'सायं प्रभा' नाम की एक योजना 2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए हमारे पूर्व कर्मचारियों को उनके 75वें जन्मदिन पर और उसके बाद हर 5वें वर्ष उनके जन्मदिन पर एक अच्छे वित्तीय उपहार से लाभान्वित करने पर समाज से बहुत गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया मिली है।

स्थिरता को अपनाना

आज, एक स्थायी व्यवसाय के निर्माण के लिए पर्यावरण-चेतना पूर्व शर्त है। इस प्रयास को पूरा करने के लिए, हम ऐसे प्रयास करना जारी रखते हैं जो हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करें। शून्य-उत्सर्जन जलयानों के चल रहे निर्माण के साथ, हमने टिकाऊ समुद्री पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी पोत निर्माण की टिकाऊ मांगों को पूरा करने के लिए खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है और उसे हरित पोतों के निर्माण के लिए कई ऑर्डर भी मिले हैं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सीएसएल भारतीय साझेदारों के सहयोग से पहला पूर्ण स्वदेशी

निगमित अवलोकन

► अध्यक्ष का संदेश

२०१२ में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का एक दृश्य

शून्य उत्सर्जन 100 पैक्स हाइड्रोजन प्प्यूल सेल पैसेंजर कैटामरैन वेसल का निर्माण कर रहा है। कोच्चि में परीक्षण और परीक्षण के बाद कैटामरन जलयान को वाराणसी में तैनात किया जाएगा। इस परियोजना के सितंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना की सफलता और अनुभव के आधार पर, पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ सक्रिय सलाह और परामर्श के साथ राष्ट्रीय स्तर पर इसे और आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हमने ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हमने एलएलटीटी/गैन्ट्री क्रेन में पारंपरिक उच्च दबाव वाली पारा वाष्प लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, नई परियोजनाओं, निर्माणों और कार्यालय भवनों के लिए एलईडी लाइटों के उपयोग के साथ-साथ ऊर्जा-कुशल छत पंखे और वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के उपयोग से 1,60,606 इकाइयों की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई है, जिसका मूल्य ₹10.44 लाख है। हमने अपने परिसर में स्थापित 1622 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से वित्त वर्ष 2023 में 18.34 लाख यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा का सफलतापूर्वक उत्पादन करके गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर अपनी निर्भरता भी कम कर दी है।

समाज को वापस देना

हम समग्र रूप से जीवन और समुदायों में सार्थक बदलाव लाने के महत्व को महसूस करते हैं। यह हमें जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित व्यापक निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने ₹17.25 करोड़ का सीएसआर खर्च किया है और स्वास्थ्य और पोषण, खेल, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 122 परियोजनाएं शुरू की हैं। हमारे गृह राज्य केरल से लेकर उत्तर

पूर्वी राज्यों तक फैले क्षेत्रों तक, हमारी सीएसआर पहल अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य में योगदान करती हैं।

कार्यस्थल सुरक्षा पर बल

सीएसएल ने आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) बनाए रखी। ये उपाय सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता की नींव के रूप में काम करते हैं। कंपनी को कार्यस्थल पर सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के हमारे प्रयासों की मान्यता में, केरल सरकार के कारखानों और बॉयलर विभाग से सुरक्षा पुरस्कार, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद - केरल चेप्टर से विशिष्टता प्राप्त हुई है। ये सम्मान विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एचएसई मानकों का पालन करने के हमारे निरंतर प्रयासों को मान्यता देते हैं।

भविष्य की ओर

जैसे-जैसे हम आगे देखते हैं, हम आशाजनक अवसर खोलने के लिए तैयार रहते हैं। सीएसएल ने रक्षा पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षेत्र में पात्रता, योग्यता, क्षमता और आत्मविश्वास के कारण एक अच्छी स्थिति बनाई है। तटीय नौवहन/अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के साथ-साथ देश में जहाज मरम्मत क्लस्टर विकसित करने पर सरकार का जोर कंपनी के लिए अच्छा संकेत है। वैश्विक क्षेत्रों में, लगभग 50 उच्च गुणवत्ता वाले पोतों का निर्यात करने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपकी कंपनी को आज बड़े पैमाने पर उद्योग द्वारा एक भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम भागीदार माना जाता है।बदलाव के साथ यह पहलू भी भू-राजनीतिक क्रम में और समयबद्ध तरीके से एक स्थायी मोड़ में नौवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय

समुद्री संगठन (आईएमओ) के नेतृत्व में वैश्विक आवश्यकताएं आपकी कंपनी को ‘हरित नौवहन’ के अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक रणनीतिक अनुकूल स्थान प्रदान कर रही हैं। एक मजबूत आदेश पुस्तिका, प्रमुख रक्षा परियोजनाओं की आगामी मार्ग रेखा, यूरोपीय क्षेत्र से आने वाली बढ़ी हुई रूचि, समुद्री क्षेत्र में अभिनव पहल, पोत मरम्मत के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापन के साथ, हमारा उदय हो रहा है, हम अपने निकट अवधि और दीर्घकालिक भविष्य के बारे में आशावादी हैं। हमारी सहायक कंपनियाँ भी आत्मविश्वास के साथ आगे आ रही हैं।

अंतिम टिप्पणी

मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित संगठन के विकास पथ को आकार देने में अपना समय और ऊर्जा का निवेश किया है। मैं साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रचालन परिवेश में चुनौतियों से पार पाने के लिए उनके निरंतर समर्पण के लिए हमारी टीम का भी आभारी हूं। बोर्ड की मजबूत प्रतिबद्धता और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य कार्यालय, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार और अंडमान और निकोबार प्रशासन का निरंतर समर्थन ने हमें विभिन्न लक्ष्यों और उपलब्धियों को पूरा करने में बहुत मदद की है।

हमारे शेयरधारकों, निवेशकों और ग्राहकों के लिए, हमारे व्यवसाय में आपका विश्वास हमारी निरंतर वृद्धि में सहायक रहा है, और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।

धन्यवाद,

जय हिन्द,
मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

वित्त वर्ष 2023 में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियां

2022

30 अप्रैल

सीएसएल ने स्टार्ट-अप सहभागिता ढांचे ‘उषस - पोषण आकांक्षाओं’ का अनावरण किया और समुद्री क्षेत्र में लगी स्टार्ट-अप कंपनियों में ₹50 करोड़ के प्रारंभिक कोष का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई।

07 मई

कोच्चि जल मेट्रो के लिए दो हाइब्रिड विद्युत कैटमरैन हल जलयानों का कील लगाना।

24 जून

एएसकेओ मैरीटाइम एएस, नॉर्वे को दो स्वायत्त शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक जहाज ‘मेरिट’ और ‘थेरेस’ वितरित किए गए।

30 जून

अंडमान और निकोबार प्रशासन को यात्री सह 150 एमटी कार्गो जलयान ‘नालंदा’ वितरित किया गया।

12 जुलाई

कोच्चि वॉटर मेट्रो के लिए दूसरा हाइब्रिड विद्युत कैटमरैन हल वेसल वितरित किया गया।

28 जुलाई

भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) ‘आईएनएस विक्रान्त’ सौंपा गया।

30 जुलाई

कोच्चि वॉटर मेट्रो के लिए तीसरा और चौथा हाइब्रिड विद्युत कैटमरैन हल जलयान वितरित किया गया।

06 अगस्त

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के लिए निर्मित नौ एफबीओपी में से तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयानों की तीसरा और अंतिम भाग वितरित की गई।

12 अगस्त

अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए बनाए जा रहे एक 1200 यात्री सह 1000 मीट्रिक टन कार्गो जलयान का जलावतरण।

16 अगस्त

सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की नाजिरगंज में नई अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष, भारत सरकार मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

30 अगस्त

भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे एक एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी) की कील लगाने और दो एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी) की स्टील कटिंग।

02 सितंबर

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेद्र मोदी द्वारा सीएसएल परिसर में पहले स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) ‘आईएनएस विक्रान्त’ का कमीशनिंग।

15 अक्तूबर

कोच्चि वॉटर मेट्रो के लिए पांचवां हाइब्रिड विद्युत कैटमरैन हल जलयान वितरित किया गया।

17 अक्तूबर

सीएसएल ने एयरोस्पेस और रक्षा पुरस्कार 2022 में ‘स्वदेशीकरण में उत्कृष्टता पुरस्कार’ जीता।

02 नवंबर

सीएसएल को एक यूरोपीय ग्राहक से दो कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल्स (सीएसओवी) के निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला, जिसमें ऐसे चार और जलयानों के निर्माण का विकल्प भी था।

11 नवंबर

सीएसएल ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लिए देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमरैन यात्री जलयान (100 यात्री) के निर्माण और हाइब्रिड विद्युत कैटमरैन यात्री जलयान (50 पैक्स प्रत्येक) के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश में एनडब्ल्यू-1 और असम के गुवाहाटी में एनडब्ल्यू-2 पर तैनाती।

16 दिसंबर

भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे एक पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी) की स्टील कटिंग।

30 दिसंबर

कोच्चि वॉटर मेट्रो के लिए छठा और सातवां हाइब्रिड विद्युत कैटमरैन हल जलयान वितरित किया गया।

31 दिसंबर

सीएसएल ने केएसपीसी-फैक्ट एमकेके नायर मेमोरियल प्रोडक्टिविटी अवार्ड 2020-21 में उद्योग श्रेणी-I के बीच सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता निष्पादन पुरस्कार जीता।

2023

01 फरवरी

एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी के लिए बनाए जा रहे दो एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी जलयानों की स्टील कटिंग।

21 फरवरी

भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे दो पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी) की स्थापना।

04 मार्च

सीएसएल ने ‘सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाली सुरक्षा समिति’ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के केरल चैप्टर का सुरक्षा पुरस्कार जीता, और ‘टेबलटॉप मॉक ड्रिल प्रतियोगिता’ के लिए दूसरा पुरस्कार जीता; और केरल सरकार के कारखानों और बॉयलर विभाग की ओर से औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए केरल राज्य औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2022 जीता।

17 मार्च

सीएसएल को दो शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयानों के डिजाइन और निर्माण के लिए सैमस्कप ग्रुप के तहत कंपनियों से एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला, जिसमें दो और ऐसे जलयानों के विकल्प भी शामिल हैं।

24 मार्च

सीएसएल ने 600 केवीए, 750 एम्पीयर का अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल स्थैतिक आवृत्ति कनवर्टर चालू किया गया।

27 मार्च

एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी के लिए बनाए जा रहे छह एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी जलयानों की स्टील कटिंग।

30 मार्च

भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत फेरी जलयान का निर्माण शुरू हुआ। कोच्चि वॉटर मेट्रो के लिए आठवां हाइब्रिड विद्युत कैटमरैन हल जलयान वितरित किया गया। सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए छह अगली पीढ़ी के मिसाइल जलयानों (एनजीएमवी) के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख विस्तार परियोजनाएं



नई सूखी गोदी परियोजना

हम 600ट गैन्ट्री क्रेन के साथ 310 × 75/60 × 13 मी. मापनेवाले भारत के सबसे बड़े सूखी गोदी में से एक के निर्माण के लगभग अंतिम चरण की ओर हैं, जो एलएनजी जलयानों, वायुयान वाहक, जैक-अप रिग, ड्रिल पोतों, बड़े टैंकरों और व्यापारिक जलयानों की सेवा करने में सक्षम है। सुविधा का डिज़ाइन जीवन प्रभावशाली 100 वर्षों का है, जो आनेवाली पीढ़ियों के लिए इसकी दीर्घायु और मूल्य सुनिश्चित करता है। हमारा लक्ष्य

दिसंबर 2023 तक इस सुविधा का उद्घाटन करना है, जो भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा।

निर्माण गतिविधियां जून 2018 में शुरू हुईं और दिनांक 31 मार्च 2023 तक हासिल की गई भौतिक प्रगति 75% है। भूमि सुधार कार्य, कॉफरडैम स्थापना कार्य, डॉक वॉल शीट पाइल स्थापना कार्य, 4 भूमिगत सबस्टेशनों में से 2, डॉक फ्लोर का 150 मीटर, भूमिगत पंप हाउस का आरसीसी निचला बेड़ा, 98% आरसीसी

पाइलिंग कार्य, कैसॉन गेट यूनिट निर्माण आदि पूरा हो गया है। इसके अलावा, प्रमुख सिविल कार्य जैसे बैलेस डॉक फ्लोर निर्माण, बैलेस पंप हाउस निर्माण (21 मीटर की गहराई से) और अन्य सिविल कार्य जैसे 2 शेष सबस्टेशनों का निर्माण, क्रेन ट्रैक कार्य, भव्य असेंबली क्षेत्र कार्य, कैसॉन गेटवर्क आदि प्रगति पर है।

75%

परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति (31 मार्च 2023 तक)



अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना

आईएसआरएफ सीएसएल में मौजूदा पोत मरम्मत सुविधा का आधुनिकीकरण और विस्तार करेगा। आईएसआरएफ में छह कार्य स्टेशनों और संबद्ध सुविधाओं के साथ 130 × 25 मीटर तक के पोतों के लिए 6000टन शिपलिफ्ट शामिल है। इसमें कुल आउटफिटिंग बर्थ लगभग 1500 मीटर है।

नवंबर 2017 में शुरू हुआ आईएसआरएफ परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 04

फरवरी 2022 तक प्रगति पर था। हालांकि, आईएसआरएफ परियोजना के लिए नियुक्त निर्माण ठेकेदार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण, निर्माण गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं और अंततः सीएसएल ने दिनांक 04 फरवरी 2022 को अनुबंध समाप्त कर दिया। इसके बाद सीएसएल ने शेष कार्यों को तीन अलग-अलग निविदा पैकेजों में विभाजित कर दिया था। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, शिपलिफ्ट प्रणाली को दिसंबर 2023 तक चालू करने का लक्ष्य है और इसके बाद जून 2024 में पूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी।

78%

परियोजना की भौतिक प्रगति (31 मार्च 2023 तक)

हरित भविष्य की दिशा में बढ़ते कदम

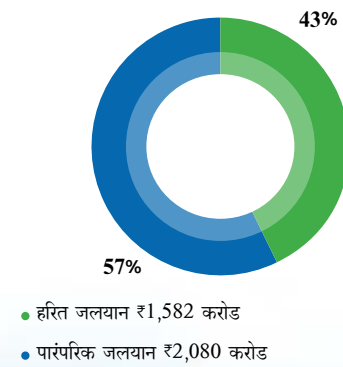
जलवायु परिवर्तन से खतरे में पड़ी दुनिया में, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में सामंजस्य बिठाना समय की मांग है। सीएसएल में, हम अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने और अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड पहल के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपने द्वारा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए कई उपाय करते हैं।

विश्व का पहला शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर पोत

वित्त वर्ष 2023 में हमने दो अत्याधुनिक फीडर कंटेनर जलयानों के निर्माण के लिए एक प्रतिष्ठित अनुबंध हासिल किया जो शून्य उत्सर्जन के साथ संचालित होते हैं। ये अत्याधुनिक पोत ईंधन सेलों द्वारा संचालित होंगे, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। 45 फीट लंबे हाई-क्यूब कंटेनरों की 365 इकाइयों को ले जाने की क्षमता के साथ, ये जलयान कार्यनीतिक रूप से पर्यावरण के प्रति जागरूक यूरोपीय बाज़ार की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां टिकाऊ परिवहन समाधान उच्च मांग में हैं।

यह परियोजना आसाधारण हितधारक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जो खुद को सर्वोत्तम श्रेणी के सहयोग के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में स्थापित करेगी। जैसे-जैसे यूरोप तेज़ी से पूरी तरह से हरित शासन में परिवर्तित हो रहा है, इस क्षेत्र में शुरुआती अग्रदूतों में से एक होने से हमें लाभ उठाने और इस दूरदर्शी उद्योग में अवसरों का पूरी तरह से फायदा उठाने की अनुमति मिलती है।

वाणिज्यिक आदेश बही में हरित संवर्धन



- हरित जलयान ₹1,582 करोड़
- पारंपरिक जलयान ₹2,080 करोड़



एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी बहुउद्देश्यीय जलयान

वित्त वर्ष 2023 में हमने जर्मनी के लिए विद्युत प्रणोदन द्वारा संचालित 8 एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी बहुउद्देश्यीय पोतों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया। ये जलयान उत्तरी सागर के पत्तनों को दक्षिणी भूमध्यसागरीय पत्तनों से जोड़ने वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान

हमने अपतटीय पवन फॉर्मों के लिए कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान के निर्माण के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आदेश हासिल किया। यह परियोजना भारत के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाती है, जो टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में हमारे देश की बढ़ती प्रमुखता को प्रदर्शित करती है।



हरित भविष्य की दिशा में बढ़ते कदम जारी...

अस्को परियोजना

हमने दो अत्याधुनिक स्वायत्त इलेक्ट्रिक बार्ज को सफलतापूर्वक पूरा और वितरित किया है। ये उल्लेखनीय जलयान अस्को परियोजना का अभिन्न अंग हैं, जो ओस्लो फर्जोर्ड्स में माल के उत्सर्जन मुक्त परिवहन को प्राप्त करने की पहल

का प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्वे सरकार ने अपने हरित नौवहन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उदारतापूर्वक समर्थन किया है।

सीएसएल में हमारी टीम ने इन जलयानों के सावधानीपूर्वक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

है, जिससे उच्च तकनीकवाले पोत निर्माण और टिकाऊ समाधानों के लिए एक प्रमुख सुविधा के रूप में हमारे शिपयार्ड की स्थिति मज़बूत हुई है। यह उपलब्धि समुद्री उद्योग को आगे बढ़ाने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



नई पीढ़ी के डीज़ल इलेक्ट्रिक जनरल कार्गो जलयान

हमने छह नई पीढ़ी के डीज़ल इलेक्ट्रिक 3800 डीडब्ल्यूटी जनरल कार्गो जलयानों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हासिल किया। यह परियोजना हमारे लिए

मिनी बल्क कैरियर और डीज़ल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के निर्माण में व्यापक ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल करने का एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करती है। ये अनुबंधित जलयान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि ये हमारी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी यूसीएसएल में निर्मित होनेवाले अपनी तरह के सबसे बड़े और पहले जलयान हैं।

नवीनतम उत्सर्जन नियमों का अनुपालन करते हुए, वे उद्योग में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे-जैसे वैश्विक रुझान पूरी तरह से इलेक्ट्रिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हरित शासन की ओर बढ़ रहा है, हम डीज़ल इलेक्ट्रिक प्रणोदन की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।



क्षमता, प्रबल

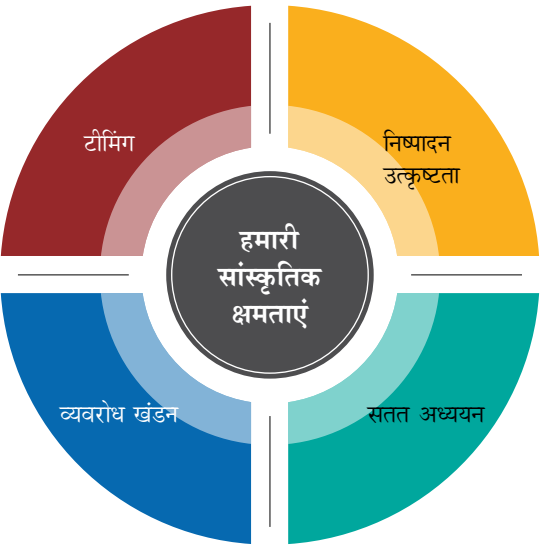
निष्पादन का पोषण



सीएसएल में, हम सोचते हैं कि एक विविध, सक्षम और चुस्त कार्यबल हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह हमारी समर्पित टीम है जो हमें लक्ष्य हासिल करने और प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारी मजबूत लोक प्रथाएँ सहयोग, जवाबदेही और उच्च प्रदर्शन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, साथ ही निरंतर सीखने पर हमारा ध्यान हमें प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने और भविष्य के नेताओं का पोषण करने में सक्षम बनाता है।

हम अपने कार्यबल की वृद्धि और सफलता सुनिश्चित करने के लिए उसके पोषण के महत्व को समझते हैं। इस प्रकार, हमारा ध्यान हमारे मानव संसाधन के प्रभावी प्रबंधन और विकास पर केंद्रित है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और विकास, निष्पादन मूल्यांकन और पुरस्कार शामिल हैं। हम सकारात्मक कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए कदम उठाते हैं और स्वस्थ नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हमारे व्यवसाय की आधारशिला हमारे कर्मचारियों के कल्याण के प्रति हमारा समर्पण बनी हुई है।

मानव संसाधन दूरदर्शिता	निगमित मिशन वक्तव्यों में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों से निर्गत होकर, शिपयार्ड की सामरिक मानव संसाधन परिकल्पना एक अनोखी संस्था का निर्माण करने के लिए प्रयास करना है जो यार्ड के कार्यबल के कार्य जीवन की गुणवत्ता में सर्वांगीण सुधार के लिए रचनात्मकता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अच्छे निगमित प्रशासन प्रथाओं को एकीकृत करती है।
मानव संसाधन लक्ष्य	यार्ड में काम करने वाले सभी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना और व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें।
मानव संसाधन नीति	मानव संसाधन नीतियां मानव संसाधन का सही मिलाव, उनका सशक्तिकरण और संवर्धन प्रदान करने की ओर उन्मुख हैं ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणामों को पूरा किया जा सके।



नेतृत्व कौशल का निर्माण

कोचीन शिपयार्ड नेतृत्व त्वरित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने कर्मचारियों के बीच नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ावा देने पर जोर देता है। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित संस्थानों और प्रतिष्ठित संगठनों में मूल्यवान प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करते हैं। इन पहलों का प्राथमिक उद्देश्य कार्यबल के नेतृत्व कौशल को पोषित और समृद्ध करना है।

हम 'इग्नाइटिंग माइंड्स एंड मेंटरिंग' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर सीखने और विकास की संस्कृति विकसित करते हैं। ज्ञान साझा करने और मार्गदर्शन प्रदान करने को प्रोत्साहित करके, कोचीन शिपयार्ड एक ऐसा वातावरण बनाता है जो अपने कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों का समर्थन करता है। इन पहलों के माध्यम से, कर्मचारियों को अपने क्षितिज का

विस्तार करने, नए कौशल हासिल करने और अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने का अवसर मिलता है, जो अंततः संगठन की समग्र सफलता में योगदान देता है।

हम जापान में विशेष प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए एओटीएस (विदेशी तकनीकी सहयोग और सतत भागीदारी संघ) के साथ भी सहयोग करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और प्रथाओं का अनुभव मिले।

281
महिला प्रत्यक्ष कार्यबल

5,500
उप-अनुबंध कार्यबल

62
दिव्यांग प्रत्यक्ष कार्यबल

3,121
प्रत्यक्ष कार्यबल

स्थिरता को बढ़ावा देना



सीएसएल पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है। हम अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हैं। हमारे विविध ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा नीति, डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि द्वारा समर्थित, ऊर्जा दक्षता और अपशिष्ट में कमी लाते हैं, जो हमें पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार बनाते हैं।

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कार्रवाई

विविध क्रेनों की प्रकाश प्रणालियों में पारंपरिक उच्च दबाव पारा वाष्प (एचपीएमवी) रोशनी का उपयोग किया जाता है। ये लैंप अधिक ऊर्जा खपत वाले थे और इन्हें लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती थी। बेहतर रोशनी प्रदान करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए, विभिन्न एलएलटीटी/गैन्ट्री क्रेनों पर एचपीएमवी लैंप को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदल दिया गया।

49,713 इकाइयाँ

वार्षिक ऊर्जा बचत ₹3.23 लाख के बराबर

सीएसएल ने नई परियोजनाओं/निर्माणों और कार्यालय भवनों में पारंपरिक लाइट फिटिंग के बजाय अधिकतम संख्या में एलईडी लाइटों लगाने की नीति अपनाई है। हमने कार्यालय भवनों में वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी स्थापित किए हैं, जिन्हें स्प्लिट-टाइप सिस्टम की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल माना जाता है। इसके अलावा, लगाए गए सभी नए सीलिंग पंखे अधिक ऊर्जा कुशल बीएलडीसी पंखे हैं।

1,60,606 इकाइयाँ

वार्षिक ऊर्जा बचत ₹10.44 लाख के बराबर



हमने सीएसएल परिसर के अंदर और बाहर विभिन्न भवनों की छत पर सौर पैनल स्थापित करके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी पहल की है। दिनांक 31 मार्च 2023 तक सीएसएल में 1622 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुका है।

18.34 लाख

वित्तीय वर्ष 2023 में उत्पन्न इकाइयाँ

35.52 एम किलोवाट

कुल ऊर्जा खपत

2.17 एम किलोवाट

नवीकरणीय ऊर्जा

33.35 एम किलोवाट

गैर अक्षय ऊर्जा



स्थिरता को बढ़ावा देना जारी...

⌄ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसएल ने 600 केबीए, 750 एएमपीएस के अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल स्थैतिक आवृत्ति कनवर्टर को चालू किया। इस अतिरिक्त के साथ, सीएसएल अब अपने सभी गोदी और घाटों को शुद्ध साइन वेव पावर प्रदान कर सकता है। यह सीएसएल के 1.6 एमडब्ल्यूपी पीवी सौर ऊर्जा के साथ सीएसएल को 60 हर्ट्ज श्रेणी के जहाजों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम बनाता है।

⌄ हम अपने मेहमानों को यार्ड के भीतर विभिन्न स्थलों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ले जाने को बढ़ावा देते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली है।

⌄ हमने ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 को चिह्नित करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले

कार्यक्रम की व्यवस्था की, जो हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु 'ऊर्जा अनुकूलन - समय की आवश्यकता' पर जागरूकता बढ़ाना था।

⌄ हमारे ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के एक घटक के रूप में, हम हर तीन साल में अपने सभी उच्च-तनाव (एचटी) और अतिरिक्त-उच्च तनाव (ईएचटी) प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा ऑडिट करते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य इन प्रणालियों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है।

⌄ चालू निगरानी और संवर्धन प्रयासों के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्राप्तकर्ता पर शक्ति कारक एकता के करीब बना रहे। यह विभिन्न सबस्टेशनों पर एचटी/एलटी कैपेसिटर बैंकों को नियोजित

करके प्राप्त किया जाता है। विशेष रूप से, सीएसएल को केएसईबी लिमिटेड से लगभग ₹35 लाख का वार्षिक पावर फैक्टर प्रोत्साहन मिलता है, जो केवल तभी दिया जाता है जब पावर फैक्टर 0.95 से ऊपर बना रहता है।

⌄ सीएसएल में ऊर्जा संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए, एक ऊर्जा सेल की स्थापना की गई है। उप-टीम के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में ऊर्जा-बचत उपायों का प्रस्ताव देने के लिए द्विमासिक बैठक करते हैं। इन सिफारिशों की समीक्षा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए कोर टीम की त्रैमासिक बैठक होती है। उप-टीमें ऊर्जा बर्बादी वाले क्षेत्रों की पहचान करती हैं, कमी की योजनाएं बनाती हैं और सहकर्मियों के बीच ऊर्जा-बचत की आदतों को बढ़ावा देती हैं।

पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, सीएसएल ने अपने परिसर के विभिन्न हिस्सों में कार्यनीतिक रूप से स्थापित विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं। ये चार्जिंग स्टेशन विद्युत दोपहिया वाहनों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और एक साथ तीन वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले, ये स्टेशन सामूहिक

20 किलोवाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा सुविधा द्वारा संचालित होते हैं।

इस पहल से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है क्योंकि अधिक कर्मचारी विद्युत वाहनों में परिवर्तित हो गए हैं। अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, जिन कर्मचारियों के पास विद्युत दोपहिया वाहन हैं, वे बिना किसी लागत के इन चार्जिंग सुविधाओं का

लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, इन चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता को उपयोगकर्ता समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आसानी से जांच सकते हैं। यह उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधा सुनिश्चित करती है कि विद्युत वाहनों का उपयोग करने वाले लोग आसानी से चार्जिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।



समाज की देखभाल



हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हमारी समर्पित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के माध्यम से समाज के व्यापक कल्याण को बढ़ावा देने में निहित है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि साझा और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए व्यवसाय का संचालन करना, समाज और पर्यावरण दोनों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर समृद्धि की ओर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है।

समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और टिकाऊ प्रथाओं में निवेश करके, हमारा लक्ष्य सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य में योगदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2022-23

₹17.25 करोड़

कुल सीएसआर व्यय

122

संचालित परियोजनाएं

स्वास्थ्य एवं पोषण

वर्ष 2022-23 के लिए विषयवस्तु



'सशक्तिकरण के मार्ग' शक्ति - जयपुर, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण केंद्र।



'संमार्जक के पेरे' गरिमा और प्रगति के पथ पर अग्रसर - मैनहॉल सफाई के लिए रोबोटिक तकनीकी।



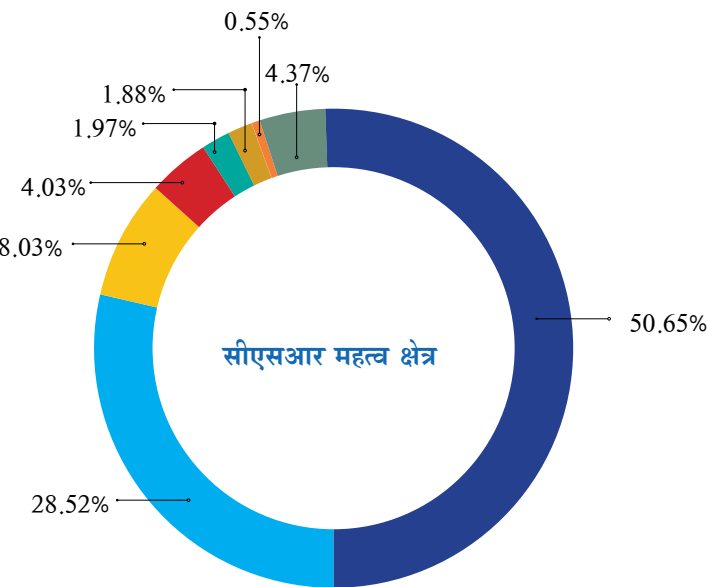
'एक स्वस्थ कल की ओर' एर्णाकुलम के 10 स्थानों पर ऑपन एयर जिम



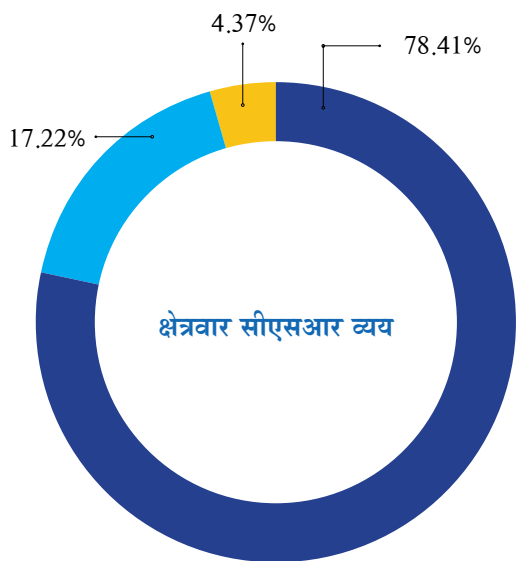
'हाइड्रोजन हब' - दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में पेयजल सुविधा



'गॉल बाई गॉल' जनजातीय फुटबॉल उत्कृष्टता के लिए लक्ष्य दर लक्ष्य प्रयास



- स्वास्थ्य एवं पोषण
- शिक्षा
- खेल
- ग्रामीण विकास
- पर्यावरण
- संस्कृति
- सशक्तिकरण
- अप्रत्यक्ष व्यय



- केरल
- अखिल भारतीय
- अप्रत्यक्ष व्यय

सीएसएल ने अपनी सीएसआर पहल के तहत न केवल केरल राज्य बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के अन्य हिस्सों में भी सफलतापूर्वक योगदान दिया है।

निदेशक मंडल

सुशासन के माध्यम से मूल्य सृजन

हमारा निगमित शासन ढांचा कंपनी की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और बेहतर प्रबंधन और जिम्मेदार निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है। हमने वित्तीय प्रबंधन से लेकर कर्मचारी संबंधों तक, अपने संचालन के सभी पहलुओं के लिए प्रभावी शासन नीतियां, प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश स्थापित किए हैं। हमारे लिए अपने व्यवसाय में जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शासन के उच्च मानकों को कायम रखते हुए, हम अपने सभी हितधारकों के लिए समग्र मूल्य बनाने के लिए अनुपालन से आगे बढ़ते हैं।

1		2		3		4	
श्री मधु शंकुण्णी नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)		श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी		श्री श्रीजित के नारायणन निदेशक (प्रचालन)	
5		6		7		8	
श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक		श्री बिजु प्रभाकर आईएएस अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक		श्रीमती आप्रपाली प्रशांत साल्वे गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक		श्री नाहर सिंह माहेश्वरी गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	
9		10		11		12	
श्री अशोक शर्मा गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक		श्री पृथ्वीराज हरिचंदन गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक		श्री वेंकटेशन एम गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक		श्री अभिजीत बिसवास गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	

1

श्री मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री मधु शंकुण्णी नायर ने दिनांक 01 जनवरी 2016 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कोचीन विज्ञान विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण) की उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि (नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग) हासिल की है। उन्हें आईएचआई में पोत निर्माण प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया है और ऑवरसीज़ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, टोक्यो और ओसाका इंटरनेशनल सेंटर, ओसाका, जापान में जेआईसीए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया और जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में मास्टर्स के दौरान जॉइनिंग एंड वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च किया। जून 1988 में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के बाद से शिपयार्ड प्रबंधन के संपूर्ण क्षेत्र में उनके पास कंपनी के साथ 35 वर्षों से अधिक पेशेवर अनुभव हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ कंपनी के सफल सहयोग और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आदेश हासिल करने के पीछे प्रेरक शक्ति थे। उनके कार्यकाल के दौरान, एक सफल आर्थिक सार्वजनिक पेशकश के बाद सीएसएल एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई और इसे अनुसूची ए सीपीएसई में भी उन्नत किया गया था, जो सीपीएसई द्वारा प्राप्त किया जानेवाला उच्चतम वर्गीकरण है। उनके नेतृत्व में सीएसएल एक एकल इकाई कंपनी से एक बहु-इकाई कंपनी बदल गई है, जिसमें सात इकाइयां शामिल हैं - पोत निर्माण और पोत मरम्मत में सक्रिय मुख्य यार्ड, चार पोत मरम्मत इकाइयां और दो सहायक कंपनियां, जो भारत के दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी तट पर फैली हुई हैं। वह लोगों की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उनके द्वारा परिकल्पित लोग पहले नीति का उद्देश्य सीएसएल को एक ज्ञान संगठन के रूप में स्थापित करना है। वह द रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यू के के फेलो और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, भारत

के फेलो हैं और वर्तमान में इंडो जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स केरल के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनके बहुमूल्य योगदान की मान्यता के रूप में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इनमें से कुछ हैं, सीयूएसएटी प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार 2022, समुद्र मंथन प्रोफेसर के आर भंडारकर पुरस्कार, 2022, रोटरी आइकन 2023 पुरस्कार, प्राइड ऑफ केएमए पुरस्कार आदि। वह सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं।

2

श्री बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

श्री बिजोय भास्कर अप्रैल 05, 2018 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ऑपन यूनिवर्सिटी से प्रबंधन में उच्च डिप्लोमा पूरा कर लिया है। उन्होंने जून 29, 1988 को कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा “वर्ष का प्रबंधक पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। उन्हें कंपनी में 35 वर्ष का कार्य अनुभव है जहां वे कंपनी के पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत प्रभागों में शामिल हुए थे। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी शिपयार्ड्स लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निदेशक भी हैं।

3

श्री जोस वी जे

निदेशक (वित्त)

श्री जोस वी जे अगस्त 2019 से कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज से कानून में डिग्री भी हासिल की है। उन्हें विविध क्षेत्र जैसे कि: वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 32 वर्ष का कार्यानुभव है। वे कंपनी के सूचना प्रणाली विभाग के भी मुख्य हैं। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के निदेशक भी हैं।

4

श्री श्रीजित के नारायणन

निदेशक (प्रचालन)

श्री श्रीजित के नारायणन ने दिनांक 21 जुलाई 2022 को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके पास रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट से बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) की उपाधि और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलजी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि है। वह दिनांक 16 जून 1988 को एक कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में शामिल हुए और उनके पास पोत निर्माण, पोत डिज़ाइन और पोत मरम्मत में 35 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। वह सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निदेशक भी हैं।

निदेशक मंडल जारी...

5

श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस

अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक

श्री राजेश कुमार सिंह आईएएस कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक है, दिनांक 21 नवंबर, 2022 से भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि संभालते हैं। वह केरल कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं और मंत्रालय में नौवहन मामलों के पोर्टफोलियो की देखभाल कर रहे हैं। उन्हें मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, उन्हें केरल सरकार में जिला कलेक्टर, वित्त विभाग के सचिव और बिजली, वन/वन्यजीवन में प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारत सरकार में शहरी विकास, मानव संसाधन विकास और ऊर्जा क्षेत्र में भी काम किया है। वह भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में निदेशक और चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं।

6

श्री बिजु प्रभाकर आईएएस

अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक

श्री बिजु प्रभाकर आईएएस दिनांक 02 जनवरी 2023 से केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक हैं। वह एक आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में केरल सरकार के परिवहन विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास प्रौद्योगिकी (केमिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक की डिग्री और व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि है। उन्होंने कानून में उपाधि हासिल की है। अपनी वर्तमान तैनाती से पहले, उन्होंने केरल सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है, जैसे सचिव, स्थानीय स्वशासन (शहरी) विभाग, सचिव, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, लोक निर्माण विभाग, जिलाधीश, तिरुवनंतपुरम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य लॉटरी के निदेशक, सार्वजनिक निर्देश के निदेशक, आईटी @ स्कूल के कार्यकारी निदेशक - विक्टर्स चैनल आदि। वह केरल राज्य सडक परिवहन निगम और केएसआरटीसी - स्विफ्ट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी है। इसके अलावा, कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड और कोच्ची वॉटर मेट्रो लिमिटेड में निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

7

श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे

गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे दिनांक 26 नवंबर 2021 से कंपनी की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे वर्तमान में महिला मोर्चा, महाराष्ट्र की सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे सक्रिय रूप से प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करके समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण में लगी हुई है। वे स्वयं सहायता समूह अर्थात पंडित दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए भी काम कर रही हैं।

8

श्री नाहर सिंह माहेश्वरी

गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री नाहर सिंह माहेश्वरी दिनांक 01 दिसंबर 2021 से कंपनी की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम ए की डिग्री भी हासिल की है। वे राजस्थान के विधिज्ञ परिषद् के सदस्य हैं और 1989 से वकील के वृत्तिशील पर हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में कानूनी, प्रबंधन और सामाजिक सेवा शामिल हैं।

9

श्री अशोक शर्मा

गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री अशोक शर्मा दिनांक 26 नवंबर 2021 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान और शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ (भागलपुर, बिहार) से साहित्य में मानद डॉक्टरेट (विद्या वाचस्पति) भी प्राप्त किया है। उन्होंने एक व्याख्याता के रूप में अपना करियर शुरू किया और वर्तमान में हरिद्वार जिले के आरएनआई कॉलेज, भगवानपुर के उप-प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। वे दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, बंदी विशाल आदि जैसे कई समाचार पत्रों में लेखक/संपादक के रूप में पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। वे समाज के लाभ के अभियोगों का समर्थन करने के लिए संस्कार भारती, सेवा भारती आदि जैसे कई सामाजिक संगठनों और विभिन्न शिक्षक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वे सक्रिय रूप से उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तराखंड के संस्थापक सदस्य हैं। वे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान (पीएमजेकेवाईपीपीए) में राज्य उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं।

10

श्री पृथ्वीराज हरिचंदन

गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री पृथ्वीराज हरिचंदन दिनांक 22 नवंबर, 2021 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से प्राणि विज्ञान में विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। वे एमिटी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन और वित्त में एमबीए स्नातक भी हैं। वर्तमान में, वे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान और राष्ट्रीय मार्शल परंपरा और संस्कृति परिषद् (एनसीएमटीसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रबंधन, प्रशासन और समाज सेवा शामिल हैं।

11

श्री वेंकटेशन एम

गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री वेंकटेशन एम दिनांक 22 नवंबर 2021 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज, चेन्नई से एम ए की डिग्री प्राप्त की है। वे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के अध्यक्ष थे। उन्होंने एससी मोर्चा, तमिलनाडु के राज्य अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वे एक उल्लेखनीय लेखक भी हैं और उन्होंने मुख्य रूप से दलितों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं।

12

श्री अभिजीत बिसवास

गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री अभिजित बिसवास दिनांक 01 दिसंबर 2021 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें वित्तीय सेवा सलाहकार के रूप में लगभग 16 वर्षों का अनुभव है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विभिन्न सामाजिक - राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

कार्यस्थल पर सुरक्षा

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड उच्च एचएसई मानकों को बनाए रखने और हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

आईएसओ 9001:2015

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

आईएसओ 14001:2015

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

आईएसओ 45001:2018

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली



पुरस्कार और मान्यताएं

उच्च एसएसई मानकों को बनाए रखने के लिए हमारे समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में, सीएसएल को वर्ष 2022-23 के दौरान कई एचएसई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं

- (i) सुरक्षा पुरस्कार, इंजीनियरिंग उद्योग श्रेणी में 500 से अधिक श्रमिकोंवाले बहुत बड़े कारखानों के तहत केरल सरकार कारखाना और बॉयलर विभाग।
- (ii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद - केरल चेप्टर में टीम सीएसएल द्वारा सुरक्षा पुरस्कार जीत गए।
- क. श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार - उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन के लिए (प्रथम पुरस्कार)
- ख. सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा समिति - प्रथम पुरस्कार, और
- ग. टेबल टॉप मॉक ड्रिल - द्वितीय पुरस्कार



निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री जोस वी जे
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री श्रीजित के नारायणन
निदेशक (प्रचालन)

श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस
अपर सचिव
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार
अंशकालिक अधिकारी (नामिति) निदेशक

श्री बिजु प्रभाकर आईएएस
सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार,
अंशकालिक अधिकारी (नामिति) निदेशक

श्रीमती आम्नाली प्रशांत साल्वे
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री नाहर सिंह माहेश्वरी
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री अशोक शर्मा
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री पृथ्वीराज हरिचंदन
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री वेंकटेशन एम
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री अभिजित बिसवास
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती एस उमा वेंकटेशन, भा.रा.से.

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

श्री श्यामकमल एन

प्रबंधन टीम

श्री नीलकंठन ए एन
मुख्य महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना प्रबंधन)

श्री राजेश गोपालकृष्णन
मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)

श्री हरिकृष्णन एस
मुख्य महाप्रबंधक (पोत निर्माण)

श्री एल्दो जॉण
महाप्रबंधक (तकनीकी व इंफ्रा परियोजनाएं)

श्री शिवकुमार ए
महाप्रबंधक (सामग्री)

श्री सुनिल कुमार के आर
महाप्रबंधक (आईएसी व रक्षा परियोजनाएं)

श्रीमती अंजना के आर
महाप्रबंधक (डिज़ाइन)

श्री जयन के तंपी
महाप्रबंधक (आउटफिट- वाणिज्यिक पोत)

श्री धिराज वी पी
महाप्रबंधक (परियोजना प्रबंधन (आईएसी /डीपी)
व कार्यनीति)

श्री शिवराम नारायण स्वामी
महाप्रबंधक (व्यापार विकास-पोत निर्माण)

श्री सुबाष ए के
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व प्रशिक्षण)

श्री दीपू सुरेंद्रन
महाप्रबंधक (सी-एसएस)

श्री संतोष फिलिप
महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)

श्री शिवु जॉण
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री हरिकुमार के
महाप्रबंधक (हल व शॉप)

पंजीकृत कार्यालय

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर,
कोच्ची- 682 015, केरल, भारत

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आईडीबीआई बैंक
एक्सिस बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स आनंद व पोन्नप्पन.
सनदी लेखकार
परमालया- करिमपेटा रोड, कोच्ची- 682016

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स मेहता एंड मेहता
कंपनी सचिव
201-206, शिव स्मृति, दूसरा तल
49/ए, डॉ आनी बसंट रोड,
कॉरपोरेशन बैंक के ऊपर, वेर्ली, मुंबई - 400 018

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स. बीबीएस एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार
62/102, पहली मंज़िल
नेनमनशेरीडल्लम
इल्लम रोड ऑफ पालियम रोड
कोच्ची- 682 016

डिबेंचर ट्रस्टी

एबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
चौथी मंज़िल, मिस्त्री भवन
122 दिनशा वच्चा रोड, चर्चंगेट, मुंबई-400 020

रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट

लिक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्यू
सेंतिल नगर के पीछे, सौरीपालयम रोड,
कोयंबतूर - 641 028

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

1. आपके निदेशकों को कंपनी की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में संतोष है।

वित्तीय निष्पादन

2. विविध परिचालन खंडों और उत्पाद प्रोफाइल ने कंपनी को वर्ष 2021-22 में रु 3190.00 करोड़ की तुलना रूपए 2330.46 करोड़ का कारोबार हासिल करने में मदद की। कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के रूपए 794.39 करोड़ की तुलना में रूपए 448.51 करोड़ है। पिछले वर्ष के रूपए 586.57 करोड़ की तुलना में निवल लाभ रूपए 334.49 करोड़ है।
3. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000रूपए है जो प्रत्येक 10 रूपए अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु 1,31,54,03,900/- है जो प्रत्येक 10 रूपए अंकित मूल्य के 13,15,40,390 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

वित्तीय विशिष्टताएं

		(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
(i)	कुल आय	2536.95	3456.42
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यहास व कर पूर्व लाभ	533.40	895.28
(iii)	वित्तीय लागत	33.74	46.48
(iv)	मूल्यहास व बट्टा खाता	51.15	54.41
(v)	कर पूर्व लाभ	448.51	794.39
(vi)	कर व्यय	114.02	207.82
(vii)	निवल लाभ	334.49	586.57

लाभांश

4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, हर सीपीएसआई कर पूर्व लाभ के 30% और निवल-मूल्य के 5% जो भी उच्च हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अदा करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों प्रत्येक ₹10 के 13,15,40,390 पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर 3/- का अंतिम लाभांश देने के लिए सिफारिश करने में प्रसन्नता है। इससे पहले, वर्ष 2022-23 के दौरान शेयरधारकों को 7/- और 14/-, कुल मिलाकर 17/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2022-23

के लिए कुल लाभांश 17/- प्रति इक्विटी शेयर (170%) है, जिसकी राशि 223.62/- करोड़ है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए कोई बेदावा लाभांश (पिछले वर्षों का) नहीं है।

लाभांश वितरण नीति

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 43 ए के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी। तदनुसार, पैरामीटर और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए लाभांश वितरण नीति अपनाया गया है जिसे बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और /या लाभ को व्यापार में बनाए रखने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। नीति कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर उपलब्ध है।

संचित निधि का अंतरण

6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरक्षित निधि में कोई आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है। कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी इसके द्वारा जारी बांड के संबंध ऋणपत्र प्रतिदान संचित निधि सृजित करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 31 मार्च 2023 की तिथि पर कंपनी के आरक्षित निधि और अधिशेष ₹ 4291.88 करोड़ था जो कंपनी की अंतर्निहित वित्तीय शक्ति प्रकट करती है।

पोत निर्माण

7. कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1766.45 करोड़ की कुल पोत निर्माण आय हासिल की, जबकि वर्ष 2021-22 में ₹ 2511.48 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसएल ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक, आईएनएस विक्रान्त सौंपा। आईएनएस विक्रान्त को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 02 सितंबर 2022 को सीएसएल, कोच्ची में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल किया गया था। इसके अलावा, सीएसएल ने नौवें स्थित एएसकेओ मैरीटाइम एस के लिए दो ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक बार्ज, जैसे मैरिट और थ्रेस की सुपुर्दगी की। 67मीटर लंबे जलयानों को 1846 केल्विन एच क्षमता की बैटरी द्वारा संचालित पूर्ण-विद्युत परिवहन फेरी के रूप में वितरित किया गया। इसके अलावा, सीएसएल ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 500 यात्री पोत अर्थात् नालंदा में से एक की सुपुर्दगी की। सीएसएल ने

सांविधिक रिपोर्ट

► निदेशकों की रिपोर्ट

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए बनाए गए नौ एफबीओपी में तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट जलयानों को तीसरे और अंतिम लॉट को भी सुपुर्द किया था। इसके अलावा, सीएसएल ने कोच्ची मेट्रो को सात हाइब्रिड इलेक्ट्रिक 100 कैटमरैन हल जलयानों की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी भी की थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने रक्षा के साथ-साथ वाणिज्यिक खंड के तहत कुल चौदह जलयानों की सुपुर्दगी की।

पोत मरम्मत

8. वर्ष के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान 564.01 करोड़ रुपये की तुलना में 678.52 करोड़ रुपये की कुल पोत मरम्मत आय हासिल की। कोच्ची में मुख्य यार्ड में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जलयानों में आईएनएस सर्वेक्षक, आईएनएस जमुना, आईएनएस मगर, विश्व बंधन, विश्व दीक्षा, विश्व विकास, डीसीआई ट्रेज VIII, एम वी लक्षद्वीप सागर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा, कोच्ची में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जलयानों में आईएनएस काबरा, आर वी समुद्र शौधिकामा शामिल हैं। सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए मुख्य जलयानों में आईएनएस आदित्य, एमवी पेन्ना सुरक्षा, एससीआई नालंदा और ओएसवी एलजे जॉनसन शामिल हैं। सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जलयानों में डीसीआई ट्रेज XXI, स्विट्जर फॉक्सट्रॉट, एम वी डेरिंग और एम वी सरोजिनी शामिल हैं। इसके अलावा, सीएसएल ने सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट में मरम्मत गतिविधि भी की है और अंडमान और निकोबार प्रशासन जलयानों की आपातकालीन मरम्मत में भाग लिया है। यार्ड ने दक्षिणी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना पोतों की सूखी गोदी और संबद्ध मरम्मत करने के लिए नौसेना पोत मरम्मत यार्ड, कोच्ची के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

पोत निर्माण आदेश बही स्थिति

9. वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसएल तीव्र प्रतिस्पर्धा, प्रमुख पोत निर्माण आदेशों के विरुद्ध सुरक्षित करने में सफल रहा था, अर्थात् पेलाजिक ग्रुप, साइप्रस से 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान, रक्षा मंत्रालय से 6 अगली पीढ़ी मिसाइल जलयान और 2 शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान, लाइसेंकर नॉर्वे, सामस्कूप ग्रुप के कंपनियां, जिसके मुख्यालय नेथरलैंड में हैं, नवशटिल 1 एएस से एक और नवशटिल 2 एएस से एक। दिनांक 31 मार्च 2023 को आदेश बही की स्थिति निम्नानुसार है :

जलयान का प्रकार	संख्या
भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध छिछला जलयान	08
भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत	06
एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कं. केजी, जर्मनी के लिए	08
एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी पोत	
पेलाजिक ग्रुप, साइप्रस के लिए कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान	02

जलयान का प्रकार	संख्या
सामस्कूप ग्रुप, नॉर्वे के लिए शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान	02
ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए ट्रेलर सक्शन हॉपर ट्रेजर	01
अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 1200 यात्री सह 1000 मे.ट. मालवाहक जलयान	02
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमरैन यात्री जलयान	02
हाइड्रोजन फ्यूल सेल जलयान (पायलट परियोजना)	01
केएमआरएल के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कटमरैन हल जलयान	15

सीएसएल कार्यनीति एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

10. मौजूदा पोत निर्माण और पोत मरम्मत श्रेणी से परे नई राजस्व सृजन धाराओं को हासिल करने के लिए, कंपनी को रणनीतिक और समुद्री क्षेत्र में ज्ञान संचालित भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्यम करने में सक्षम बनाने हेतु सीएसएल कार्यनीति और उन्नत समाधान (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग का गठन किया गया है। सी-एसएएस स्थायी और भविष्योन्मुख व्यापार मॉडल की पहचान करने और विकसित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सी-एसएएस प्रभाग द्वारा की गई विभिन्न अभिनव पहलें निम्नानुसार हैं :

(i) व्हील वाले स्टूल के साथ इंटीग्रेशन जिग्स

अंतर्जालीय वाहन के एकीकरण के लिए एक अभिनव उपकरण डिज़ाइन किया गया था, जो एकीकरण जिग और व्हील स्टूल का संयोजन है। यह उपकरण लगभग 50% क्रेन लिफ्टों को कम करता है और वर्तमान में उपयोग किए जानेवाले एकीकरण उपकरणों की तुलना में लगभग 87.5% एकीकरण फ्लोर स्थान को बचा सकता है।

(ii) समुद्री उपयोग के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

सी-एसएएस ने फ्यूल सेल स्टैक, पौधों के संतुलन, इसकी नियंत्रण प्रणाली आदि के आंतरिक विश्लेषण भी किया है और वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन अंतरालों को पाटने के लिए अंतरालों की खोज की और समाधानों को कार्यान्वित किया।

बीओपी के साथ फ्यूल सेल को भी आईईसी मानकों के अनुसार मैरिनाइज़ किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपकरण आईआरएस वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा करने में ईंधन सेल प्रौद्योगिकी जो वितरित की जाएगी वह पूरी तरह से समुद्री अनुरूप समाधान होगा।

संभावित विफलताओं की पहचान करने और न केवल स्थानीय स्तर (घटक स्तर) बल्कि वैश्विक स्तर (पोत स्तर) पर भी ऐसे किसी भी खतरनाक परिदृश्य को पहचानने और कम करने के लिए सुधारात्मक/निवारक उपाय करने के लिए सी-एसएस टीम द्वारा फ़्यूल सेल पार्टनर के साथ मिलकर एक डिज़ाइन एफएमईए भी किया गया था। इस पद्धति में ईंधन सेल नियंत्रण प्रणाली, ऊर्जा प्रबंधन, प्रणोदन नियंत्रण और पोत स्वचालन प्रणाली भी शामिल है।

(iii) समुद्री खंड में ईंधन सेल प्रौद्योगिकी

विश्लेषणात्मक पदानुक्रमित प्रक्रिया का उपयोग काके समुद्री खंड में लागू उपयुक्त ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का निर्धारण करने के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था। एएचपी कई उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम समाधान पर पहुंचने के लिए गणितीय उपकरणों का उपयोग करके जटिल निर्णयों को व्यवस्थित और विश्लेषण करने की एक विधि है। उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

(i) अंतर्जलीय वाहन की विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण

सी-एसएस ने उत्पादीकरण के नज़रिए से अंतर्जलीय वाहन के लिए सभी सबसिस्टम पर एक विस्तृत सिस्टम लेवल एफएमईए आयोजित किया। सभी उप-प्रणालियों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से, हमारे अध्ययन ने अंतर्जलीय वाहन के तकनीकी विकास में संभावित प्रणाली विफलताओं, अंतरालों का खुलासा किया है।

विस्तार परियोजनाएं

11. प्रमुख परियोजनाओं और पहलों की स्थिति निम्नानुसार है :

i) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

सीएसएल ने कोचीन पोर्ट परिसर में पट्टे क्षेत्र में सूखी गोदी एवं मौजूदा सुविधाओं का संचालन जारी रखा। सीएसएल ने वर्ष 2022-23 के दौरान छह जहाजों की मरम्मत का कार्य पूरा किया। दिनांक 17 नवंबर 2017 को शुरू हुई आईएसआरएफ परियोजना का निर्माण कार्य 04 फरवरी 2022 तक प्रगति पर था। हालांकि, आईएसआरएफ परियोजना के लिए नियुक्त निर्माण ठेकेदार, सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोलकाता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं और अंततः सीएसएल दिनांक 04 फरवरी 2022 को अनुबंध समाप्त करना पड़ा। अनुबंध समाप्त होने तक रिपोर्ट किए गए निर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष प्रगति 78% है। इसके बाद सीएसएल ने शेष कार्यों को अलग-अलग तीन निविदा पैकेजों में विभाजित किया था, जैसे ड्रेजिंग कार्य, शेष सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्य और फ्लोटिंग गेट कार्य। रॉक एंड रीफ ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई को दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को

ड्रेजिंग ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 31 मार्च 2023 तक ड्रेजिंग कार्यों की प्रत्यक्ष प्रगति 52% है। आरडीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोच्ची को दिनांक 08 फरवरी 2023 को शेष सीएमई कार्यों के लिए ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था और आईएसआरएफ परियोजना स्थल दिनांक 10 मार्च 2023 को सौंप दिया गया था। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, पोत उत्थान प्रणाली को दिसंबर 2023 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद जून 2024 में पूरी परियोजना पूरी हो जाएगी।

समुद्री उद्योग में विश्व स्तर पर दस प्रसिद्ध फर्मों ने पहले चरण में मैरीटाइम पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए सीएसएल के साथ भागीदारी की है। सीएसएल को कोच्ची को एक प्रमुख पोत मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है, जो वर्तमान पोत मरम्मत गोदी में प्रमुख कार्यों के साथ-साथ बड़ी हुई क्षमताओं के साथ है जो आईएसआरएफ के चालू होने पर उपलब्ध होगी।

ii) नई सूखी गोदी परियोजना

600 टन ग्रैन्ट्री क्रेन के साथ 310X75/60X13 मी. मापनेवाला नयी सूखी गोदी कंपनी के मौजूदा परिसर के उत्तरी छोर पर स्थित होगा। नई गोदी कंपनी के पोत निर्माण और पोत मरम्मत की क्षमता को बढ़ाएगा जो आवश्यक रूप से विशेष और तकनीकी रूप से उन्नत जलयानों के बाजार की क्षमता को पकड़ने में मदद करेगा जैसे कि एलएनजी वाहक, उच्च क्षमता के वायुयान वाहक, जैक अप रिस, ड्रिल पोत, बड़े ड्रेजर और ऑफशोर प्लॉटफॉर्म और बड़े जलयानों की मरम्मत आदि निर्माण गतिविधियां जून 2018 में शुरू हुईं और 31 मार्च 2023 को प्राप्त प्रत्यक्ष प्रगति 75% है। इस परियोजना ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को दूर किया है और वर्तमान में अच्छी प्रगति कर रही है। भूमि सुधार कार्य, कॉफरडैम स्थापना कार्य, डॉकवॉल शीट पाइल स्थापना कार्य, 4 में से 2 भूमिगत सबस्टेशन, डॉक फ्लोर का 150 मीटर, भूमिगत पंप हाउस का आरसीसी बॉटम राफ्ट, 98% आरसीसी पाइलिंग कार्य, कैसॉन गेट यूनिट फैब्रिकेशन आदि पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, प्रमुख सिविल कार्य जैसे बैलेस डॉक फ्लोर निर्माण, बैलेस पंप निर्माण (21 मीटर गहराई से) और अन्य सिविल कार्य जैसे 2 शेष सबस्टेशनों का निर्माण, क्रेन ट्रैक कार्य, भव्य विधानसभा क्षेत्र कार्य, कैसॉन गेट कार्य आदि प्रगति पर हैं।

iii) सीएसएल - मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)

सीएमएसआरयू ने दिनांक 20 अक्टूबर 2018 को मुंबई पत्तन प्राधिकरण (अब मुंबई पोर्ट एथॉरिटी) के साथ ह्यूजेस सूखी गोदी और मुंबई पत्तन के इंदिरा डॉक के बर्थ सं. 5,6,7 और 8 में पोत की मरम्मत सुविधा के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन के लिए एक समझौता किया। संचालन के बाद, सीएसएल ने लगभग 88 जलयानों की मरम्मत सफलतापूर्वक की है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएनएसआरयू ने 17 पोतों की सूखी गोदी और अफ्लोट मरम्मत का काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से रक्षा ग्राहकों के लिए भारतीय नौसेना के आईएनएस आदित्य, भारतीय तटरक्षक बल के आईसीजीएस समुद्र पहरेदार और अन्य वाणिज्यिक ग्राहक मुख्य रूप से पेन्ना शिपिंग प्राइवट लिमिटेड के एम वी पेन्ना सुरक्षा, एससीआई नालंदा, भारतीय नौवहन निगम के एससीआई अहिंसा, एमएसवी एचएएल आनंद, मेसर्स एचएएल ऑफशोर के एम वी गुडमैन, पालनजी ग्रुप की एम पी वर्क बोट 1, हॉगर ऑफशोर की ओएसवी टीएजी 13, मेसर्स ग्रेटशिप इंडिया के ग्रेट शिप रूपा आदि। यार्ड मुंबई पोर्ट एंथॉरिटी के स्टॉर्म गेट की मरम्मत का काम भी कर रहा है।

iv) सीएसएल - कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट(सीकेएसआरयू)

सीकेएसआरयू, सीएसएल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एंथॉरिटी, कोलकाता के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नेताजी सुभाष डॉक पर निष्क्रिय सूखी गोदी सुविधाओं को पुनर्जीवित करना और क्षेत्र में पोत मरम्मत क्षमता का दोहन करना है। भारत में पोत मरम्मत के क्षेत्र में सीएसएल की पेशेवर विशेषज्ञता के साथ एसएमपीए के मौजूदा बुनियादी ढांचे को मिलाकर, सीकेएसआरयू को दोनों संगठनों से स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए एक लाभ-साझाकरण मॉडल पर स्थापित किया गया था। अक्टूबर 2019 में वाणिज्यिक पोत मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद से, अठारह मरम्मत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सीकेएसआरयू ने 8 जलयानों की सूखी गोदी मरम्मत पूरी की, जिसमें अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से यात्री जलयान एम वी सेंटिनल, रिपीट ग्राहक स्वित्जर एशिया प्राइवेट लिमिटेड से स्वित्जर फॉक्सट्रॉट, मर्सक ग्रुप का हिस्सा, हल्दिया पोर्ट्स से रानी सिरोमानी, और 4 ड्रेजर्स अर्थात् डीसीआई ड्रेज XV, डीसीआई ड्रेज XXI, अदानी समूह के स्वामित्व वाले दरिया मंथन और डीसीआई ड्रेज XVII की आपातकालीन मरम्मत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से एनएसडी सं.1 बॉक्स कैसॉन की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। अदानी समूह के स्वामित्ववाले ड्रेजर शांति सागर 24 के ड्राई डॉक रिफिट के लिए फर्म स्टैमिंग आदेश प्राप्त हो गया है और पोत को अप्रैल 2024 की शुरुआत में सीकेएसआरयू में डॉक किया जाना निर्धारित है, इसके बाद डीसीआई से दो और ड्रेज आएंगे।

इन उत्कृष्ट परिणामों से उत्साहित और इस प्रकार विकसित गति को बनाए रखने के लिए, सीएसएल ने सीकेएसआरयू में आरंभिक परिकल्पित की तुलना में अधिक कैपेक्स निवेश के साथ आगे बढ़ गया है। एनएसडीडी में इंटरमीडिएट बॉक्स कैसॉन के रूप में उपयोग किए जानेवाले नए कैसॉन गेट का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह लगभग अगस्त 2023 तक तैयार हो जाएगा और इसमें अतिरिक्त परिचालन लचीलापन आएगा। नए फायर रिंग मेन मुख्य प्रणाली और एक टावर क्रैन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

सीएसएल कोलकाता की सदियों पुरानी समुद्री विरासत को पुनः जीवंत करते हुए पूर्वी तट पर सीकेएसआरयू को भारत का प्रमुख पोत मरम्मत गंतव्य बनाने की उम्मीद करता है।

v) सीएसएल - अंडमान एवं निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू)

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ किए गए समझौते के तहत कोचीन शिपयार्ड ने पहले पोत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। इस समझौते के दायरे में, सीएसएल डीएसएस के स्वामित्व वाले जलयानों के लिए सभी प्रकार की मरम्मत गतिविधियों को करेगा। सीएसएल परियोजना स्थल पर संचालन हेतु पेशेवर रूप से योग्य एवं अनुभवी श्रमशक्ति को समर्पित करने और पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत संचालन करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे को तैनात करने में सफल रहा है।

सीएनएसआरयू में पोत मरम्मत परियोजनाएं गति पकड़ रही हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएनएसआरयू ने 60 आपातकालीन मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी की हैं। इसके अलावा, सीएनएसआरयू ने दो जलयानों एम वी भारत सीमा और एम वी राजहंस की सूखी गोदी मरम्मत को अंजाम दिया और अग्रतट पोत एम वी जॉली बॉय, एम वी रानी चंगा, एम वी स्ट्रेट द्वीप, एम वी कामोर्टा और एम वी लॉन्ग आइलैंड सहित डीएसएस जलयानों की 8 नियमित मरम्मत भी पूरी की।

आवश्यक पोत मरम्मत सुविधाओं को विकसित करने और सीएनएसआरयू में पोत मरम्मत परिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए विभिन्न कैपेक्स खरीद भी की गई हैं। सीएसएल सीएनएसआरयू और समुद्री डॉकयार्ड से जुड़े विभिन्न हितधारकों को सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समुद्री डॉकयार्ड में एक अच्छी तरह से सुसज्जित सुरक्षा सह कौशल विकास केंद्र स्थापित कर रहा है।

सहायक कंपनियां

vi) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को शुरू में सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच 23 अक्टूबर 2017 को एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद, एचसीएसएल दिनांक 01 नवंबर, 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नजीरगंज में नए अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा की स्थापना का कार्य पूरा किया गया और दिनांक अगस्त 16, 2022 को यह सुविधा भारत सरकार के पत्तन, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोणोवाल द्वारा राष्ट्र

को समर्पित की गई थी। यह सुविधा रूप 175.20 करोड़ की लागत से हुगली नदी के तट पर 15.76 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के लिए भारत के पूर्वी तट में खुद को एक प्रमुख पोत निर्माण/मरम्मत यार्ड के रूप में स्थापित करना है।

शुरुआत में एचसीएसएल को 1 एमपीवी (2200 टी) के निर्माण का आदेश मिला है और पांडु, असम में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु आईडब्ल्यूआई के साथ एक समझौता भी किया है। एचसीएसएल सीकेएसआरयू के लिए कैसन गेट भी बना रहा है। एचसीएसएल सक्रिय रूप से अंतर्देशीय और तटीय पोत निर्माण में आदेशों का पालन कर रहा है और सकारात्मक रूप से जल्द ही आदेशों की उम्मीद कर रहा है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, एचसीएसएल ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रूप 1761.343 लाख की कुल आय दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष यह रूप 45.16 लाख थी। कंपनी जो परियोजना चरण में थी, उसे दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 2033.529 लाख रूप की हानि की सूचना दी है, जबकि पिछले वर्ष यह 283.61 लाख थी। एचसीएसएल ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसे सीएसएल की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/71 पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वार्षिक रिपोर्ट देखें।

vii) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल)(पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) से जाना जाता था)

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने सितंबर 2020 में दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया के माध्यम से यूसीएसएल का अधिग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप यूसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई। इसके बाद, कंपनी की विभिन्न सुविधाओं पर पोत निर्माण के बुनियादी ढांचे में सुधार की प्रक्रिया की गई और कंपनी ने जुलाई 2021 में अपनी हैंगरकट्टा सुविधा में परिचालन शुरू किया। अधिकार ग्रहण करते समय टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड था और बाद में दिनांक 22 अप्रैल 2022 को कंपनी का नाम बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 यूसीएसएल के लिए एक आशाजनक वर्ष रहा है क्योंकि कंपनी ने विभिन्न प्रमुख आदेश हासिल किए और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए विभिन्न जलयानों की सुपुर्दगी भी की। कंपनी द्वारा प्राप्त प्रमुख आदेशों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत दो 70 ट बोलाड पुल टग, एक पर्स सीनर डीप सी मत्स्यग्रहण नाव और पांच टूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर मत्स्यग्रहण नाव भी शामिल हैं। कंपनी सक्रिय रूप से देशी आदेशों के साथ-साथ विदेशी आदेश भी हासिल कर रही है और

मिनी जनरल कार्गो जलयान और हरित जलयानों के निर्माण के लिए यूरोप से कुछ आदेश हासिल करने के उन्नत चरणों में है। इसके अलावा, कंपनी ने विभिन्न जलयानों की सुपुर्दगी भी पूरी की, जिनमें प्रमुख परियोजनाओं में कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमरान हल जलयान, पीएमएमएसवाई आदि के तहत ट्यूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर मत्स्यग्रहण नाव शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी हासिल किए हैं, जैसे: दो 62 टन बोलाड पुल टग की स्टील कटिंग और कील डालने संबंधी कार्य, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आदि के एसबीएम के सूखी गोदी और मरम्मत को सफलतापूर्वक पूर्ति।

मजबूत पोत निर्माण आदेशों पर देखते हुए, यूसीएसएल ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रूप 4780.96 लाख की कुल आय की सूचना दी, जबकि पिछले वर्ष के लिए यह 1008.06 लाख रूप थी। वित्त वर्ष 2022-23 संचालन से राजस्व में 2021-22 के लिए रूप 3917.45 लाख की तुलना में रूप 641.98 लाख हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण, कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 के रूप 1294.13 की तुलना में अपने नुकसान को 33 प्रतिशत घटाकर रूप 866.54 लाख कर सकती है। यूसीएसएल ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसे सीएसएल की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/71 पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वार्षिक रिपोर्ट देखें।

श्रमशक्ति की स्थिति

12. दिनांक मार्च 31, 2023 को कंपनी की श्रमशक्ति 1883 थी जिसमें 410 कार्यपालक, 158 पर्यवेक्षक और 1315 कामगार शामिल थे।

औद्योगिक संबंध

- सीएसएल ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखना और बढ़ावा देना जारी रखा। विशेष रूप से कंपनी को जिम्मेदार कारणों से श्रमिक अशांति के कारण काम के घंटों का कोई नुकसान नहीं हुआ था।
- कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों ने भी वर्ष के दौरान कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा।
- संयुक्त प्रबंधन मंच जैसे संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केंद्रीय सुरक्षा समिति, शॉप स्तर सुरक्षा समिति, अनुबंध कार्यकर्ता सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट आदि प्रभावी ढंग से कार्य करते रहे।
- विभिन्न स्वैच्छिक योजनाओं जैसे कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार योजना, कर्मचारी शैक्षिक सहायता योजना आदि के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं भलाई का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

मानव संसाधन विकास

17. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारियों के विकास को सशक्त बनाने और उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन चलाने के लिए अत्यधिक महत्व देता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, सीएसएल ने निरंतर अध्ययन को अपनी सांस्कृतिक दक्षताओं में से एक के रूप में निर्धारित किया है और लगातार कार्यबल को उन्नत करने में लगा हुआ है।
18. उपरोक्त के अनुरूप वर्ष 2022-23 के दौरान तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्यबल को शामिल करनेवाले क्षेत्रों में कई सीखने और विकास गतिविधियों को अंजाम दिया गया। कंपनी ने एक प्रशिक्षण योजना प्रज्वलित मन प्रख्यापित की है जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग विषयों पर जैसे, आईआईएम, बंगलूर द्वारा जिम्मेदार व्यवसाय के लिए प्रबुद्ध नेतृत्व, नेतृत्व के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, पीपीपी के डिज़ाइन पर रणनीतिक परिप्रेक्ष्य, विवरण से निर्णय तक, आईआईएम कोषिककोड द्वारा ग्राहक आधारित व्यापार रणनीति, 4.0 दुनिया में सचेत नेतृत्व, आईआईएम अहमदाबाद द्वारा परिवर्तनकारी नेतृत्व, नवाचर, निगमित रणनीति और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन, द विन्निंग एडज: नेताओं के लिए संचार रणनीतियाँ, आईआईएम कोलकाता द्वारा प्रबंधकीय नेतृत्व और टीम प्रभावशीलता, आईआईएम इंदौर द्वारा नेतृत्व संचार, पारस्परिक प्रभावशीलता और टीम निर्माण, प्रबंधन विकास संस्थान, गुडगांव आदि द्वारा समस्या समाधान और निर्णय लेने एवं प्रबंधकीय प्रभावशीलता के लिए व्यापार विश्लेषणविद्याविभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया था।

जापान में एओटीएस प्रशिक्षण (एसोसिएशन फॉर ओवरसीज़ टेक्निकल कॉ-आपेरेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप) प्रशिक्षण

19. एक कार्यकारी, दो पर्यवेक्षकों और 17 श्रमिकों सहित 20 कर्मचारियों के एक बैच ने दिनांक 09 नवंबर से 21 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान जापान में एक अनुकूलित प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम जापान में शिपयार्ड सहित क्लास रूम कोचिंग और फैक्ट्री यात्राओं का एक संयोजन था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जापानी कार्य संस्कृति, कार्यस्थल प्रबंधन, सामाजिक व्यवहार, जापानी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित संस्कृति जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया और उपयोग में नवीनतम तकनीक, सुरक्षा प्रबंधन प्रथाओं, कार्रवाई में रोबोटिक्स तकनीक, 5एस और काइज़ेन के माध्यम से उत्पादकता सुधार प्रथाओं के दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए एक पोत निर्माण कंपनी और अन्य प्रमुख उद्योगों का दौरा शामिल था।

आईएनएस शिवाजी में प्रशिक्षण

20. आईएनएस शिवाजी लोनावाला, महाराष्ट्र में स्थित भारतीय नौसेना का प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। स्थापना इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। सीएसएल के 20 कार्यकारी प्रशिक्षुओं (यांत्रिकी) के एक बैच ने दिनांक 05 से 16 दिसंबर 2022 तक आईएनएस शिवाजी में एक अनुकूलित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

आईएनएस शिवाजी में प्रशिक्षण

21. सीएसएल की सेवा से सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 28 अप्रैल 2022 एवं 25 जनवरी 2023 को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सत्रों का संचालन दत्तोपांत ठेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन के संकाय और वित्तीय योजना एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों द्वारा किया गया। सत्र में 30 कर्मचारियों ने भाग लिया।
22. कार्यकारी प्रशिक्षुओं के नए बैच के लिए मेंटर-मेंटी योजना को लागू करने के एक भाग के रूप में, मेंटरिंग-कोचिंग पर एक एमडीपी दिनांक 03 और 04 जून, 2022 को आयोजित किया गया था। मेंटर के रूप में नामित किए गए कुल 41 कार्यपालकों ने एमडीपी में भाग लिया। मेंटरिंग नामक एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम: विभिन्न विभागों में कार्यकारी प्रशिक्षुओं की तैनाती के बाद दिनांक 16 और 17 जनवरी 2023 को सिद्धांत-कार्रवाई में, यह भी आयोजित किया गया था।
23. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, केरल चैप्टर, एर्णाकुलम द्वारा आयोजित सीएसएल कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 23 और 24 जून 2022 और 13 एवं 14 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 50 कर्मचारियों ने भाग लिया।
24. सीएसएल स्वर्ण जयंती समारोह के हिस्से के रूप में, दिनांक 11, 12, 13 और 15 जुलाई 2022 को सीएसएल महिला कर्मचारियों (अनुबंध कर्मियों और प्रशिक्षुओं सहित) के लिए एक सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कैरियर फिट 360 प्राइवट लिमिटेड, कोच्ची द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 183 महिला कर्मचारी शामिल थीं।
25. भारतीय वेल्लिंग संस्थान, कोच्ची शाखा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेल्लिंग मीट-2022 का आयोजन दिनांक 14 और 15 अक्टूबर 2022 को किया गया था। कार्यक्रम में 74 कर्मचारियों ने भाग लिया।
26. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के संबंध में, निवारक सतर्कता, प्रमाणित स्थायी आदेश, सीडीए नियम, सेवा शर्तें और सामान्य त्रुटियाँ विषयों पर एक आंतरिक कार्यशाला दिनांक 31 अक्टूबर 2022, 02 नवंबर और 04 नवंबर, 2022 को आयोजित की गई थी। सत्रों का संचालन कंपनी के सतर्कता अधिकारी, उप महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा), सहायक महाप्रबंधक (कानूनी), और सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन), सीएसएल द्वारा किया गया। कार्यशाला में 47 कार्यपालकों, 58 पर्यवेक्षकों और 51 कामगारों ने भाग लिया।
27. अंतर्राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन संघ (आईपीएमए) द्वारा दिनांक 16 नवंबर से 19 एवं 21 नवंबर 2022 तक परियोजना प्रबंधन (आईपीएमए लेवल डी प्रमाणीकरण) पर योग्यता विकास और मूल्यांकन कार्यक्रम पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। पाठ्यक्रम में 14 अधिकारियों ने भाग लिया।

28. दिनांक 20 दिसंबर से 22 दिसंबर 2022 तक मेसर्स एनसाइन सेफ्टी एकेडमी एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मूरिंग ऑपरेशंस पर तीन दिवसीय इन-हाउस प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 83 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
29. अधिकारियों के लिए क्रॉस फंक्शनल टीमिंग पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 09 जनवरी 2023 और 28 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में 59 अधिकारियों ने भाग लिया।
30. रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा सुरक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 24 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में 84 कर्मचारियों ने भाग लिया।
31. कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए वाईओसीडीपी (युवा अधिकारी योग्यता विकास कार्यक्रम) और पर्यवेक्षकों के लिए एससीडीपी (पर्यवेक्षक योग्यता विकास कार्यक्रम) नोवेक्स ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं। वाईओसीडीपी के कुल 22 रिकॉर्ड किए गए सत्र और एससीडीपी के 20 रिकॉर्ड किए गए सत्र ऑनलाइन अपलोड किए गए और प्रतिभागियों को उपलब्ध कराए गए।

कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति

32. शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार, वर्ष 2016 से शुरू की गई एक शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य सीएसएल के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के बीच स्टार कलाकारों को पुरस्कृत करना और बढ़ावा देना है। बारहवीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में वाडों द्वारा उच्चतम अंकों के क्रम में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022-23 के दौरान उक्त योजनान्तर्गत 9 पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

उत्कृष्टता की पहचान

33. सीएसएल ने सहायक महाप्रबंधकों के स्तर से नीचे के कर्मचारियों के बीच नवीन विचारों और प्रथाओं के पुरस्कार और मान्यता की परिकल्पना करते हुए कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सर्वोच्च पुरस्कार 15,000 रुपये के नकद मूल्य और प्रशस्ति पत्र के साथ अध्यक्षीय पुरस्कार है। वर्ष 2022-23 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, 32 कर्मचारियों (कार्यपालक-9, पर्यवेक्षक-3, कामगार-12, अनुबंध कामगार-8) को अध्यक्ष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया, जिसमें 2,000/- नकद पुरस्कार दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण गणतंत्र दिवस समारोह, 2022 के दौरान प्रस्तुत नहीं किए जा सकनेवाले 33 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी उसी अवसर पर वितरित किए गए।
34. वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, 26 कर्मचारियों (कार्यपालक-8, कार्यपालक प्रशिक्षार्थी - 1, कामगार - 14, अनुबंध कार्मिक - 3) को अध्यक्ष की प्रशस्ति और 2,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

35. कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सीएसएल ने तनाव को दूर करने, अच्छी स्वास्थ्य आदतों को समर्थन करने और मानसिक/भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से योग को बढ़ावा देने के लिए योग कार्यशाला, विशेषज्ञों द्वारा योग पर व्याख्यान और सामान्य योग प्रोटोकॉल अभ्यास जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। इसके अलावा, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों द्वारा भाग लेने के लिए दिनांक 21 जून 2022 को कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध कराई गई थी।

संविधान दिवस

36. सीएसएल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के वाचन के साथ संविधान दिवस मनाया गया। सीएसएल कर्मचारियों के बीच संविधान और इसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, सीएसएल ने नोवेक्स ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जागरूकता निर्माण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला अपलोड की थी। प्रस्तावना और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर एक पुनश्चर्चा सत्र दिनांक 26 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान पर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (मेटी)

37. नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कुल 40 ग्रेजुएट समुद्री इंजीनियरिंग कैडेट (जीएमई) ने एक साल का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अलावा, कुल 77 जीएमई पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं।
38. चेन्नई के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (एसवीसीई) के 4 वर्षीय समुद्री इंजीनियरिंग के 29 छात्रों ने सीएसएल समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (मेटी) से 6 महीने का समुद्री प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा, एसवीसीई से कुल 15 छात्र पाठ्यक्रम कर रहे हैं।
39. मेटी ने अगस्त 2022 से मार्च 2023 के दौरान 3 दिवसीय मूल अग्निशमन व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के 13 बैच (191 छात्र) आयोजित किए हैं।
40. सीएसएल मेटी ने कुसाट के केएमएसएमई और इंडिया मरीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया था। मेटी ने एमएमडी, कोच्ची द्वारा 60वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिनांक 30 मार्च 2023 को हाई कोर्ट जंक्शन से सिफनेट, एर्णाकुलम तक वॉकथॉन आयोजित किया था। मेटी ने दिनांक 26 जनवरी 2023 को डॉक्टर्स एन्क्लेव, पैनमपिल्ली नगर से मनोरमा जंक्शन तक गणतंत्र दिवस परेड का भी आयोजन किया। इसके अलावा, एफओएसएमए, एमएसएसएमए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियोक्ता परिषद (आईएमईसी), यूके ने दिनांक 21 मार्च, 2023 को मेटी का दौरा किया और भारतीय कैडेट कार्यक्रम के लिए मेटी को मंजूरी दी।
41. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मेटी द्वारा प्राप्त पुरस्कार और सम्मान नीचे दिए गए हैं :

(क) एमएमडी, कोच्ची द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह पर मेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी पुरस्कार :

(ख) एमएमडी, कोच्ची द्वारा 59वें और 60वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह पर मेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी पुरस्कार, और

(ग) सीआईपी लेखापरीक्षा में डीजी शिपिंग की ओर से एलआर क्लास द्वारा सम्मानित किया गया है।

42. मेटी ने एसएपी के तहत समुद्री संरचनात्मक फिट्टर व्यावहारिक प्रशिक्षण के 35 और 53 छात्रों ने 2 बैच शुरू किए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, मेटी ने उत्पादकता, हाउस कीपिंग और एस, टीम बिल्डिंग, पोतों के लिए शिप थ्योरी और बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए। इसके अलावा, मेटी ने कुल 1055 डिग्री छात्रों ने इंटरशिप प्रदान की।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण

43. प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष 2022-23 में कुल 308 आईटीआई प्रशिक्षुओं, 62 डिप्लोमा प्रशिक्षुओं, 35 डिग्री प्रशिक्षुओं और 3 वीएचएसई प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु प्रशिक्षण दिया था।
44. वर्ष 2022-23 के दौरान सत्तर कार्यकारी प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया।

समन्वय पोर्टल

45. समन्वय सभी सीपीएसई के लिए सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल है। वेबसाइट को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की ओर से ओएनजीसी द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। समन्वय ज्ञान प्रबंधन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों, टीमों और पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामूहिक रूप से और व्यवस्थित रूप से ज्ञान, बुनियादी ढांचे, सर्वोत्तम प्रथाओं, एसओपी आदि को दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए सक्षम करने के लिए एक मंच तैयार करना है। समन्वय के उपयोग की डीपीई द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। डीपीई द्वारा सीपीएसई के साथ आवधिक बैठकें और समीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता डीपीई के शीर्ष अधिकारियों द्वारा की जाती है, और पोर्टल के उपयोग को बढ़ाने के लिए डीपीई द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रही है। सीएसएल ने सभी अधिकारियों को पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता पहुँच प्रदान की है, और उपयोगकर्ता पोर्टल के माध्यम से अपने कार्यस्थल से सीखे गए पाठों को साझा कर सकते हैं। सीएसएल ने अब तक समन्वय पोर्टल के माध्यम से लगभग 125 लेख साझा किए हैं जिनमें 34 सीखे गए पाठ और एचएसई प्रथाओं, सीएसआर, एचआर, कार्यस्थल पर सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचार पर लेखों पर 91 विभिन्न लेख शामिल हैं।

कर्मचारी कल्याण उपाय

46. सीवाईएस : कर्मचारियों और आश्रितों के भावनात्मक कल्याण की देखभाल एक भाग के रूप में राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस, कोच्ची के

सहयोग से सीएसएल में 'कर्मचारियों के लिए शिपयार्ड भावपूर्ण सहायता और कल्याण समावेश प्रणाली' नामक एक कर्मचारी परामर्श योजना है। परामर्श टेलिफोन और आमने-सामने मोड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना में सीएसएल के सभी स्थायी कर्मचारियों और उनके आश्रितों, अनुबंध कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और सीएसएल इकाई में सीआईएसएफ कर्मियों को शामिल किया गया है।

47. संशोधित सीएसएल चिकित्सा सहायता योजना : सीएसएल ने सीएसएल कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए एर्णाकुलम जिले में 32 अस्पतालों (सुपर-स्पेशियलिटी/मल्टी-स्पेशियलिटी/स्पेशलिटी और अन्य-स्पेशलिटी अस्पतालों) को सूचीबद्ध करके कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना को संशोधित किया है। इन 32 पैनेलबद्ध अस्पतालों में प्राप्त इनपेमेंट/डे केयर उपचार के खर्च का भुगतान सीएसएल द्वारा सीधे अस्पताल को किया जाएगा। पैनेल में शामिल अस्पतालों में पहचान के उद्देश्य से सभी कर्मचारियों को कर्मचारियों और आश्रितों के विवरण के साथ चिकित्सा पहचान पत्र जारी किए गए हैं। एर्णाकुलम जिले के बाहर के अस्पतालों के मामले में, कर्मचारियों को स्वीकार्य उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

48. सीएसएल रडर - कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि, सूचित निर्णय : नई डिजिटल परिवर्तन पहल के एक भाग के रूप में, एक नया मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है और दिनांक 01 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। एप्लिकेशन सीएसएल उपयोगकर्ताओं को नई सुविधाओं का एक समूह प्रदान कर रहा है। एप्लिकेशन का उपयोग आंतरिक उपयोगकर्ताओं दोनों द्वारा किया जा सकता है जैसे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों सहित सभी स्थायी कर्मचारी और बाहरी उपयोगकर्ता जैसे आपूर्तिकर्ता, उप ठेकेदार, सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि। कर्मचारी प्रोफाइल, उपस्थिति विवरण, वेतन पर्ची, छुट्टी का विवरण, चिकित्सा दावों की स्थिति, आश्रितों की जानकारी, ऋण विवरण, पीएफ डेटा, रिपोर्टिंग समय पर कब्जा, विक्रेता पंजीकरण विवरण, चालान की स्थिति, भुगतान विवरण, टीडीएस प्रमाणपत्र आदि कुछ विशेषताएं हैं जो रडर में शामिल हैं।

49. सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए बांझपन उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में बांझपन उपचार योजना शुरू की गई थी। प्रति चक्र 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक की राशि या वास्तविक लागत जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के लिए अनुमत है और पूर्व अनुमोदन के साथ अधिकतम तीन नए चक्रों तक इसकी अनुमति होगी। एक कर्मचारी की सेवा के दौरान एक वर्ष में अधिकतम 10 दिनों के लिए और अधिकतम 20 दिनों के लिए विशेष अवकाश दिया जा रहा है, जो बांझपन उपचार के हिस्से के रूप में प्रक्रियाओं से गुजरता है। मार्च 2023 तक कुल 20 कर्मचारियों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

50. सभी कर्मचारी (स्थायी और अनुबंधित कर्मचारी) और प्रशिक्षु जिनका कोविड पॉजिटिव होने का इलाज हुआ था और जो संसर्ग में थे, उन्हें विशेष अवकाश दिया गया था।

51. सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना की सुविधा के लिए सीएसएल में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी। अप्रैल 2021 से नियुक्ता अंशदान के रूप में सीएसएल कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में वेतन (बेसिक + डीए) का 10% योगदान दे रहा है। यह योजना कर्मचारियों को आकर्षक आयकर लाभ प्रदान करती है और सेवानिवृत्ति के बाद परेशानी मुक्त जीवन भी सुनिश्चित करती है।

52. सीएसएल ने वर्ष 2019 में कंपनी के पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश की शुरुआत की, जिसमें एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से गोद लेना भी शामिल है।

विचारोत्तेजक विचारों को प्रोत्साहित करना

53. “नेतृत्व संवृद्धि योजना”-नेतृत्व गतिवृद्धि कार्यक्रम वर्ष 2016 में शुरू किया गया था ताकि भारत और विदेश दोनों के प्रमुख संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए ग्रेड ई 1 से ई 4 में अधिकारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके। इस योजना के तहत मुख्य लाभ न केवल दो साल के लिए अध्ययन अवकाश का अनुदान है, उनके वापस आने और ड्यूटी के लिए शामिल होने के बाद ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति, किस्तों में अदा किया जाएगा। लीप योजना के तहत सालाना आधार पर अधिकतम तीन आवेदकों पर विचार किया जाता है।

54. सीएसएल ने वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थियों के लिए लागू विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की, ताकि कोच्ची में किराए के आवास के लिए उनके खर्चों को पूरा करने के लिए 1,500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अधिकतम 20 प्रशिक्षुओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीएसएल द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन है।

55. वर्ष 2016 में शुरू की गई मॅटर-मॅटी योजना एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा व्यक्तिगत विशेष ध्यान सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष भी जारी रही। यह सीएसएल में शामिल होने सभी नए अधिकारियों/कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों के लिए बढ़ाया गया है। यह सहयोग कनिष्ठ कार्यपालक, जो नए हैं, में जुड़ाव और संगठन में अंतर एवं अंतर व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार की भावना देता है जिससे बेहतर प्रतिधारणा होता है।

56. सीएसएल स्टार बोर्ड - ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया गया था। स्टार बोर्ड का उद्देश्य अधिकारियों को अपने तकनीकी ज्ञान, नवीनतम तकनीकी जानकारी साझा करने और अपने पेशे/कार्य से संबंधित मामलों पर नवीन विचार के लिए एक मंच प्रदान करने में सक्षम बनाना है। स्टार बोर्ड सीएसएल में ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देगा, जो किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व और सफलता के लिए आवश्यक है। इस मंच में स्पष्ट ज्ञान और मौन ज्ञान दोनों को साझा करने के प्रावधान हैं।

व्यावसायिक आकलन

57. एक विस्तृत योग्यता मानचित्रण कार्य के माध्यम से, सीएसएल के लिए चार सांस्कृतिक दक्षताओं अर्थात् टीमिंग, निष्पादन उत्कृष्टता, बाधा तोड़ने और निरंतर सीखने की पहचान की गई है। इन सांस्कृतिक दक्षताओं को सभी मानव संसाधन उप प्रणालियों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रबंधन, कैरियर विकास आदि में शामिल किया गया है।

लोग क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम)

58. वर्ष 2018 में, कंपनी ने लेवल 3 पीसीएमएम प्रमाणन प्राप्त करने के लिए गतिविधियां शुरू कीं। पीसीएमएम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में विभिन्न नीतियों के निर्माण और मौजूदा मानव संसाधन प्रक्रियाओं और प्रथाओं में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विभाग में अधिकारियों द्वारा सचेत और सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

59. पीसीएमएम एक परिपक्वता ढांचा है जो किसी संगठन की मानव संपत्ति के प्रबंधन और विकास में निरंतर सुधार पर केन्द्रित है। पीसीएमएम संगठनों को अपने कार्यबल कार्यों की परिपक्वता को चिह्नित करने में मदद करता है, निरंतर कार्यबल विकास एक कार्यक्रम स्थापित करता है, सुधार कार्यों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, कार्यबल विकास के साथ प्रक्रिया में सुधार को एकीकृत करता है और उत्कृष्टता की संस्कृति स्थापित करता है। पीसीएमएम में पांच परिपक्वता स्तर होते हैं : स्तर 1 से स्तर 5 तक। प्रत्येक परिपक्वता स्तर एक अच्छी तरह से परिभाषित विकासवादी पठार है जो संगठन के कार्यबल को विकसित करने के लिए नई क्षमताओं को संस्थागत करता है। अन्य मानव संसाधन के विपरीत, पीसीएमएम के लिए आवश्यक है कि प्रमुख कार्य/प्रक्रिया क्षेत्र, सुधार, हस्तक्षेप, नीतियां, प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली पूरे संगठन में संस्थागत रूप से कार्य की जाएं, भले ही कार्य या स्तर की परवाह किए बिना। इसलिए, टीम आधारित वातावरण में सन्निहित भागीदारी संस्कृति पर जोर देने और व्यक्तिगत नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सुधारों को पूरे संगठन में सुधारना होगा।

आरक्षणों पर राष्ट्रपति के निर्देशों को लागू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर स्थिति

60. कोचीन शिपयार्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और राष्ट्रपति के मार्ग निर्देशों को सख्ती से पालन किया गया है। कंपनी ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक संपर्क अधिकारी और अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया है। आरक्षण प्रतिशत को भारत सरकार द्वारा निर्धारितानुसार पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व

61. दिनांक 31 मार्च 2023 को पदों के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल श्रमशक्ति	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ. पि.व.	आ. क.व.	पीडब्ल्यूबीडी	अल्पसंख्यक
वर्ग क	352	48	17	94	-	9	94
वर्ग ख	100	12	9	27	1	1	26
वर्ग ग	1187	156	13	575	1	32	292
वर्ग घ	244	33	5	149	-	11	70
कुल	1883	249	44	845	2	53	482

महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान

62. कार्यस्थल में महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इस आधार पर बनाए गए नियम सख्ती से पालन किया जाता है। अधिनियम के अनुसार एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

63. सीएसएल में विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने और कंपनी की महिला कर्मचारियों की ज़रूरतों के अनुसार कल्याण उपायों को तैयार करने और लागू करने के लिए एक महिला कल्याण अधिकारी है। दिनांक 08 मार्च 2023 को सीएसएल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के एक भाग के रूप में महिला कर्मचारियों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। सीएसएल ने दिनांक 09 सितंबर 2022 को पॉश अधिनियम पर एक सत्र आयोजित करके पॉश अधिनियम की 9वीं वर्षगांठ मनाई है। इसके अलावा, दिनांक 16 जुलाई 2022 को सहायक महाप्रबंधक (कानूनी), सीएसएल द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक आंतरिक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया था और इसमें कार्यकारी और पर्यवेक्षक श्रेणी से संबंधित 21 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया था।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

64. कोचीन शिपयार्ड ने आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को बनाए रखा। आगामी वर्षों में सीएसएल की सभी सहायक इकाइयों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है।

सुविधा उन्नयन एवं पूंजी व्यय

65. वर्ष 2022-23 के दौरान हुए कुल पूंजी व्यय 385.97 करोड़ रुपये की राशि थी। यह, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण और विस्तार, नई सूखी

गोदी, आईएसआरएफ, सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू, सीएनएसआरयू, सहायक कंपनियों आदि के लिए आधारिक संरचना आदि से संबंधित है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

66. राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है कि कंपनी के 80% अनुसचिवीय कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान/दक्षता प्राप्त कर ली है।

67. स्वर्ण जयंती समारोह और विश्व हिंदी दिवस के संबंध में और राजभाषा हिंदी के प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, कोचीन शिपयार्ड ने दिनांक 11 जनवरी 2023 को सीएसएल, कोच्ची में एक पूर्ण दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें एर्णाकुलम जिले के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सभी बैंक, केंद्र सरकारी कार्यालय, पीएसयू सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। संगोष्ठी मुख्य रूप से दो सत्रों में आयोजित की गई - एक राजभाषा हिंदी - मानकीकरण, अनुवाद का व्यावहारिक पक्ष पर था और सत्र का दूसरा भाग प्रौद्योगिकी के नए रुझान, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में, विषय पर आधारित था। संगोष्ठी में एर्णाकुलम जिले की तीनों नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

68. भारत सरकार के निदेशानुसार, मातृभाषा का अमृतोत्सव दिनांक 21 फरवरी 2023 को कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। कर्मचारियों को उनकी मातृभाषा में प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित मतपत्र के माध्यम से विजेताओं की पहचान की गई।

69. कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के महत्व और प्रमुखता को समझने में छात्रों की मदद करने के लिए एक विशेष कदम के रूप में, सीएसएल में दिसंबर 2022 के दौरान राजभाषा हिंदी में एक इंटरनशिप कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब तक कुसाट, कलमशशेरी के 2 छात्रों और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, एर्णाकुलम के 7 छात्रों ने राजभाषा हिंदी में 15 दिनों का इंटरनशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

70. संयुक्त हिंदी पखवाडा समारोह के सिलसिले में, कोच्ची नराकास ने श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी के छात्रों के लिए दो दिवसीय कैरियर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस संबंध में दिनांक 24 फरवरी 2023 को श्रीमती लिजा जी एस, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (हिंदी) ने राजभाषा हिंदी, टिप्पण एवं आलेखन आदि पर एक सत्र संभाला। इस कार्यक्रम से 50 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
71. सीएसएल के अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी पखवाडा समारोह 2022 के संबंध में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस संबंध में प्रश्नोत्तरी, सुलेख, चित्र क्या कहता है, अनुच्छेद वाचन, प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी टाइपिंग, स्मृति परीक्षा, हिंदी फिल्म गीत (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग), निबंध लेखन और हिंदी कविता लेखन का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाडे के समापन अवसर पर हिंदी गृह पत्रिका सागर रत्न के 14वें अंक का विमोचन किया गया।
72. हिंदी पखवाडा समारोह के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के रूप में, एर्णाकुलम जिले में राज्य सरकार के स्कूलों के छात्रों के लिए देशभक्ति गीत प्रतियोगिता और बच्चों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।
73. सीएसएल के कर्मचारियों के लिए दो महीने के लिए 15 जून 2022 से बोलचाल की हिंदी में प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू हुईं। प्रशिक्षण सत्र में कुल 35 कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
74. विद्यार्थियों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए, कुसाट में हिंदी विभाग के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेनेवाले 20 छात्रों के लिए यह कार्यक्रम बहुत फायदेमंद रहा।
75. वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के बीच राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों और प्रबंधकों के लिए एक राजभाषा प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व से संबंधित मुख्य पहलुओं पर चर्चा की गई। 30 अधिकारियों ने अपनी सफल भागीदारी सुनिश्चित की।
76. एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में, अधिक से अधिक छात्रों को हिंदी भाषा की ओर आकर्षित करने के लिए, सीएसएल ने सरकार स्कूल में हिंदी पुस्तकों का योगदान देना शुरू किया। अप्रैल 2022 के महीने के दौरान सेंट मेरी हाई स्कूल, कंडनाड और वीएचएसएस, इरिम्पनम को 5,000 रुपये की राशि की हिंदी पुस्तकों का योगदान दिया गया।
77. वर्ष के दौरान चार हिंदी कार्यशालाएं और चार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

78. शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में कर्मचारियों के बच्चों को 10वीं में हिंदी में उच्च अंक प्राप्त करने पर 29 बच्चों को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। हिंदी भाषा के कार्यान्वयन के लिए 64 कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित खुलासे

79. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

80. विवरण अनुलग्नक। में दिया गया है। ऊर्जा के संरक्षण में कंपनी की प्रमुख पहल सीएसएल की विभिन्न इमारतों की छत पर सौर पैनलों की स्थापना थी। कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2013-14 में हुई थी। 31 मार्च 2023 तक सीएसएल में 1622 केडब्ल्यूपी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया जा चुका है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसएल ने 600 केवीए, 750 एएमपीएस अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल स्थैतिक आवृत्ति कनवर्टर की स्थापना की। इसके अतिरिक्त, सीएसएल अब अपने सभी डॉक और घाटों को शुद्ध साइन लहर शक्ति प्रदान कर सकता है। यह सीएसएल की 1.6 एमडब्ल्यूपी पीवी सौर ऊर्जा के साथ सीएसएल को 60 हे. श्रेणी के पोतों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम बनाता है।

जोखिम प्रबंधन

81. सीएसएल ने निगमित जोखिमों की समग्र समीक्षा के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुरूप एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया। सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 214वीं बैठक में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है जिसमें जोखिम प्रबंधन की एक निर्धारित प्रक्रिया और जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग की पद्धति शामिल है। नीति प्रबंधन और निदेशक मंडल को एक आश्वासन प्रदान करती है कि प्रमुख जोखिमों को ठीक से पहचाना और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है।
82. नीति के अनुसार, सीएसएल बोर्ड सीएसएल में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करेगा। बोर्ड समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करके जोखिम निरीक्षण की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सीएसएल प्रबंधन, जिसमें सीएसएल बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी शामिल हैं, को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए सौंपा गया है।

इस संबंध में कंपनी के पास सीएसएल में नीति को लागू करने के लिए कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियां और बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समितियां हैं। जोखिम प्रबंधन समितियां और निदेशक मंडल समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और नीति की समीक्षा करते हैं। यार्ड के उत्पाद मिश्रण में रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण और पोत की मरम्मत शामिल है जो कंपनी को बाजार जोखिम के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव प्रदान करता है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

83. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड उच्च एचएसई मानकों को बनाए रखने और अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी एचएसई प्रबंधन प्रणाली को संभावित खतरों और जोखिमों की पहचान करने और प्रबंधित करने और इस क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन में लगातार सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

84. सीएसएल को यह रिपोर्ट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संगठनात्मक एचएसई सूचकांक प्रतिशत में पिछले वर्ष 2021 की तुलना में 35% की वृद्धि हुई है। यह एचएसई पर हमारे फोकस और घटनाओं और दुर्घटनाओं को कम करने में हमारी एचएसई शासन प्रणाली की प्रभावशीलता का एक स्पष्ट संकेत है। यह निर्देशिका प्रतिक्रियाशील क्षेत्रों के बजाय सक्रिय क्षेत्र पर ज्यादा जोर दे रहा है। यह विभागीय स्तर का एचएसई निर्देशिका कार्यात्मक स्तरों पर उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए उनके एचएसई प्रदर्शन को बेचमार्क कर रहा है।

85. सीएसएल कर्मचारी एचएसई जोखिमों को प्रबंधित करने और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित एचएसई प्रशिक्षण और योग्यता मूल्यांकन में निवेश करते हैं कि हमारे कर्मचारियों के पास अपने कर्तव्यों को सुरक्षित रूप से करने के लिए आवश्यक कौशल हैं। हमारे कर्मचारी हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं, और हम उन्हें आवश्यक एचएसई दक्षताओं के साथ प्रदान करने के महत्व को समझते हैं। हमने उनके एचएसई ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम लागू किए हैं। हमारी एचएसई योग्यता की पहचान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन किया गया है कि हमारे कर्मचारी नवीनतम एचएसई प्रथाओं और विनियमों से लैस हैं।

86. हमें इस क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानते हुए वर्ष के दौरान कई एचएसई पुरस्कार प्राप्त करने पर गर्व है। ये पुरस्कार उच्च एचएसई मानकों को बनाए रखने के लिए हमारे समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। निम्नलिखित पुरस्कार हैं :

(i) सुरक्षा पुरस्कार - इंजीनियरिंग उद्योग श्रेणी में 500 श्रमिकों से ऊपर के बहुत बड़े कारखानों के तहत कारखानों और बॉयलर विभाग, केरल सरकार

(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद - केरल चैप्टर में टीम सीएसएल द्वारा जीते गए सुरक्षा पुरस्कार

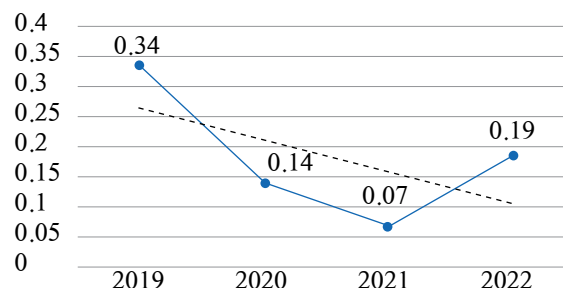
(क).श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार - उत्कृष्ट सुरक्षा कार्य निष्पादन (प्रथम पुरस्कार)

(ख).उत्तम सुरक्षा समिति - प्रथम पुरस्कार, और

(ग). टेबिल टॉप मॉक ड्रिल - द्वितीय पुरस्कार।

87. एचएसई घटनाओं की हमारी आवृत्ति दर में कमी की प्रवृत्ति है। यह एचएसई जोखिमों के प्रबंधन के लिए हमारे सक्रिय दृष्टिकोण और निरंतर सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। हम अपनी आवृत्ति दर पर बारीकी से नज़र रखते हैं, जो हमारे एचएसई प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। हमारा मानना है कि यह संभावित खतरों और जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने की दिशा में हमारे सक्रिय दृष्टिकोण का परिणाम है।

1 मिलियन मानव घंटों में घटनाएं



88. सीएसएल अपने एचएसई प्रदर्शन के आधार पर अपने उप ठेकेदारों का मूल्यांकन करता है, और उनसे हमारी एचएसई नीतियों और मानकों का पालन करने की अपेक्षा करता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने उप ठेकेदारों के साथ मिलकर काम करते हैं कि उनके पास अपना काम सुरक्षित रूप से करने के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण है। हम उनके एचएसई प्रदर्शन की निगरानी करते हैं और उन्हें सुधारने में मदद करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। हम अपने उप ठेकेदारों के एचएसई प्रदर्शन के महत्व को पहचानते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की है कि वे हमारे एचएसई मानकों और विनियमों को पूरा करते हैं।

89. सीएसएल उच्च एचएसई मानकों को बनाए रखने और हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम वर्ष के दौरान अपने एचएसई प्रदर्शन से खुश हैं और लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी एचएसई प्रबंधन प्रणाली में निवेश करना जारी रखेंगे और अपने संगठन में एक मज़बूत एचएसई संस्कृति को बढ़ावा देंगे। हम एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने और अपने एचएसई प्रदर्शन में लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि एचएसई के प्रति हमारे प्रयासों से न केवल हमारे कर्मचारियों बल्कि हमारे ग्राहकों, समुदायों और पर्यावरण को भी लाभ होता है।

औद्योगिक सुरक्षा

90. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है और इसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा विशेष सुरक्षा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और स्थापना की सुरक्षा को राष्ट्रीय महत्व मिला है। स्थापना की प्राथमिक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) इकाई को सौंपी जाती है, जिसमें उप कमांडेंट, सीआईएसएफ के तहत 161 सीआईएसएफ कर्मी शामिल हैं। वर्ष के दौरान किसी भी गंभीर सुरक्षा चिंता के बिना कंपनी की समग्र सुरक्षा मजबूत बनी रही। कंपनी में पेश और स्थापित सभी सुरक्षा प्रणालियां और उपाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं। कंपनी द्वारा सीआईएसएफ के साथ समय-समय पर संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। सभी महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों को शामिल करते हुए सशस्त्र कर्मियों और वायरलेस निगरानी (सीसीटीवी) प्रणाली के साथ चौबीस घंटे वाटरफ्रंट गश्त की जाती है। किसी भी सुरक्षा खतरे, सुरक्षा भंग, संकट या आपदाओं का मुकाबला करने के लिए सीआईएसएफ बल की तैयारी का आकलन करने के लिए आसूचना बोर्ड, राज्य पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग, बम दस्ते और नौसेना के समन्वय में आवधिक मॉक ड्रिल कार्य आयोजित किए जाते हैं।
91. सीआईएसएफ सुरक्षा उपकरणों के साथ अपनी सुरक्षा निगरानी और कर्तव्यों का पालन कर रहा है जिसमें बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, डोर फ्रम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, ब्रेथ एनलाइजर, वाहन गश्त, नाव गश्त और पैदल गश्त आदि शामिल हैं। सीआईएसएफ के तकनीकी सर्वेक्षण के अनुसार सुरक्षा उपकरणों का उन्नयन किया जा रहा है ताकि मौजूदा सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को लाया जा सके और सीआईएसएफ को सभी गेटों पर एक सीधा फ्रिस्किंग तंत्र की सुविधा प्रदान की जा सके।
92. स्थापना की समग्र सुरक्षा व्यवस्था के अलावा विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)/आईएनएस विक्रांत पर विशेष सुरक्षा ध्यान दिया जा रहा है।
93. सुरक्षा बल और अतिरिक्त सुरक्षा संवर्द्धन की आवश्यकताओं की समय-समय पर निगरानी सीआईएसएफ के मुख्यालय द्वारा सुरक्षा उपकरणों के लिए तकनीकी पुनर्सर्वेक्षण और श्रमशक्ति वृद्धि के लिए पुनः सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है। पुनर्सर्वेक्षण के अनुसार चरणबद्ध तरीके से सीआईएसएफ की संख्या को बढ़ाकर 226 किया जा रहा है।
94. सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम, डीडीडएस, नाव गश्त आदि सहित अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों की भी सुरक्षा और पोत के लिए किसी भी आसन्न खतरे से बचने के लिए व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पेट्रोल बोट तैनात की जा रही है।
95. यार्ड में प्रवेश को बायोमेट्रिक एम्बेडेड टर्नस्टाइल गेट्स, एक्स-रे बैगेज मशीन, डीएफएमडी आदि सहित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। कंपनी के लिए आगंतुकों की परिचय पत्र की जांच और सत्यापन के लिए एक पूर्ण विकसित आगंतुक

सुविधा केंद्र संचालित किया जाता है। कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार और ठेकेदारों के कामगारों के प्रवेश द्वार पर एक्स-रे बैगेज स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। जारी किए गए सभी प्रवेश पास फोटो आधारित प्रवेश पास हैं।

96. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर के माध्यम से एकीकृत सुरक्षा प्रणाली पर काम वर्तमान में प्रगति पर है। प्रणाली से संबंधित प्रमुख उपकरण सीएसएल को प्राप्त हो गए हैं। ईएसपीएफ प्रणाली की स्थापना और परीक्षण पूरा कर लिया गया है। फिलहाल कैमरे लगाने के लिए केबल बिछाने का काम चल रहा है। प्रस्तावित एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में, आगंतुकों के लिए एक जीपीएस आधारित ट्रैकिंग टैग और आरएफआईडी टैग पास प्रणाली भी लागू की जा रही है, इस प्रकार यार्ड के भीतर आगंतुकों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है।
97. कंपनी में आगंतुकों, सामग्रियों और वाहनों की आवाजाही की निगरानी आगंतुक प्रबंधन प्रणाली के एक एकीकृत ईआरपी मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है जो कंपनी के अंदर और बाहर सामग्री की आवाजाही की प्रभावी और सतर्क निगरानी सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, यार्ड ने प्रवेश पास जारी करने से पहले सभी आगंतुकों और ठेकेदारों के कामगारों के आधार सत्यापन के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव दिया है। परियोजना सी-डैक-मुंबई के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतिम अनुमोदन के अधीन है।
98. सीएसएल ने मुख्य रूप से सीएसएल की बाहरी संपत्तियों और 77 कर्मियों वाले आंतरिक विशिष्ट स्थानों की पूर्ति के लिए मौजूदा बलों के पूरक के लिए डीजीआर प्रायोजित भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसी को भी नियुक्त किया है।

पुरस्कार और मान्यताएं

99. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसएल को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :
 - क. एयरोस्पेस और रक्षा पुरस्कार 2022 में उत्कृष्टता स्वदेशीकरण पुरस्कार,
 - ख. उद्योग श्रेणी I में सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता प्रदर्शन पुरस्कार के लिए केएसपीसी-एफएसीटी एमकेके नायर मेमोरियल उत्पादकता पुरस्कार 2020-21,
 - ग. 200 से कम प्रशासनिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार,
 - घ. कोच्ची टॉलिक की ओर से हिंदी गृह पत्रिका सागर रत्न के लिए द्वितीय पुरस्कार,

सांविधिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

- ड. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, केरल चैप्टर के उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन (प्रथम पुरस्कार) के लिए श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार,
- च. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करनेवाली सुरक्षा समिति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के केरल चैप्टर का सुरक्षा पुरस्कार,
- छ. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टेबलटॉप मॉकड्रिल प्रतियोगिता के लिए द्वितीय पुरस्कार, और
- ज. कारखानों और बॉयलर विभाग, केरल सरकार की ओर से औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल राज्य औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2022।

निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

100. दिनांक 31 मार्च 2023 तक सीएसएल के बोर्ड में 12 निदेशक शामिल हैं जिनमें एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, 3 पूर्णकालिक निदेशक और 2 सरकारी अंशकालिक (नामिती) निदेशक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत सरकार और केरल सरकार से है और 6 गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं।

101. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2020-सीएसएल जुलाई 21, 2022 के ज़रिए श्री श्रीजित के नारायणन, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत) को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया गया।

102. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल जुलाई 28, 2022 के ज़रिए श्री संजय बंधोपाध्याय आईएस के स्थान पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव (पोत परिवहन, पीएचआरडी और मुख्य सतर्कता अधिकारी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को सीएसएल के सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया। बाद में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. एस वाई - 11012/1/2017 - सीएसएल दिनांक 21 नवंबर 2022 के ज़रिए श्री विक्रम सिंह के स्थान पर श्री राजेश कुमार सिंहा आईएस, अतिरिक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को सीएसएल के सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

103. आगे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017- सीएसएल जनवरी 02, 2023 के ज़रिए श्री ज्योतिलाल के आर आईएस के स्थान पर श्री बिजु प्रभाकर आईएस, सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार, को सीएसएल के सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

104. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	नाम	डीआई एन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि	अभ्युक्तियां
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जनवरी 01, 2016	जारी	कोई परिवर्तन नहीं
2.	श्री विजोय भास्कर ⁽¹⁾	08103825	निदेशक (तकनीकी)	अप्रैल 05, 2018	जारी	कोई परिवर्तन नहीं
3.	श्री जोस वी जे ⁽²⁾	08444440	निदेशक (वित्त)	अगस्त 01, 2019	जारी	कोई परिवर्तन नहीं
			मुख्य वित्तीय अधिकारी	अगस्त 13, 2019		
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	09543968	निदेशक (प्रचालन)	जुलाई 21, 2022	जारी	नियुक्ति
5.	श्री श्यामकमल एन	लागू नहीं	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	फरवरी 01, 2020	जारी	कोई परिवर्तन नहीं

⁽¹⁾ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एसवाई- 11012/1/2022 - सीएसएल दिनांक फरवरी 15, 2023 द्वारा श्री विजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825) के निदेशक (तकनीकी) के रूप में विस्तार अप्रैल 05, 2023 तक से अगली अवधि के लिए उनकी अधिवर्षिता तक यानि मई 31, 2025, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संबंधी कार्यकाल बढ़ा दिया है।

⁽²⁾ श्री जोस वी जे, जिनका निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हुए थे और पात्र होने के कारण उन्हें 29 सितंबर 2022 को आयोजित कंपनी की 50वां वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा और बैठक

105. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से इस बात की पुष्टि मिली है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान मार्च 26, 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई जिसमें कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

106. वर्ष 2022-23 के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच का अंतर वैधानिक अवधि से अधिक नहीं था। जिन तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं, वे इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	दिनांक	बोर्ड की श्रमशक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	मई 20, 2022	11	11
2	जुलाई 18, 2022	11	11
3	अगस्त 10, 2022	12	12
4	अक्तूबर 14, 2022	12	10
5	नवंबर 10, 2022	12	10
6	फरवरी 10, 2023	12	12

107. निदेशक, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और समिति की बैठक और इन बैठकों में उपस्थिति के संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो निदेशकों की रिपोर्ट के एक अंग है।

पारिश्रमिक नीति / बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

108. कोचीन शिपयार्ड पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार कंपनी है। वर्तमान में कंपनी के निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर रहे हैं और उनके पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। तदनुसार सीएसएल के संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) बताते हैं कि राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा। बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के कारण, ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के निष्पादन के मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों ने मार्च 26, 2023 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक में संपूर्ण रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया था।

निदेशकों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति पर नामांकन व पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट

109. वर्तमान में, बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के पारिश्रमिक डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुरूप में निर्धारित किया जाता है। सीएसएल ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 228वीं बोर्ड बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक नीति को स्वीकार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुपालन में है। सीएसएल ने दिनांक 24 मई, 2018 को आयोजित अपनी 241वीं बैठक में और

आगे दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 को आयोजित 245वीं बोर्ड बैठक में पॉलिसी को संशोधित किया गया। यह नीति कंपनी के वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 में उपलब्ध है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

110. आपके निदेशकें प्रकट करते हैं कि:

- क) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत स्पष्ट की गई अपेक्षाओं के साथ पड़ित लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और वही से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया है।
- ख) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लीया और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि दिनांक 31 मार्च 2023 की तिथि पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके,
- ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- घ) निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- ड.) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालनार्थ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, और
- च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

111. वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता था। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की ओर नोट 51 की ओर आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत आवश्यकतानुसार प्रपत्र एओसी-2 को अनुलग्नक II में रखा गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास समिति (सीएसआर और एसडी समिति)

112. दिनांक 31 मार्च 2023 तक, सीएसआर और एसडी समिति में अध्यक्ष के रूप में नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन: 09419082), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के रूप में श्रीमती आप्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) शामिल हैं।
113. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) समिति ने कंपनी द्वारा की जानेवाली गतिविधियों को इंगित करते हुए एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) तैयार की है और बोर्ड को सिफारिश की है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट <https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3> पर देखा जा सकता है।
114. कोचीन शिपयार्ड ने सरकारी कंपनियों पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2010-11 में सीएसआर गतिविधियां शुरू कीं। सीएसएल ने एक प्रभावी सीएसआर नीति और कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया है। सीएसआर कार्यान्वयन मशीनरी में तीन स्तरीय प्रणाली शामिल हैं: टीयर I। सीएसएल बोर्ड, टीयर II। सीएसएल बोर्ड स्तर सीएसआर समिति जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड के चार सदस्य शामिल हैं और टीयर III। सीएसएल सीएसआर कार्यकारी समिति जिसमें कंपनी के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
115. वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी सार्थक सीएसआर पहलों में शामिल हो सकती है, जिसे केरल और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली।
116. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 16.06 करोड़ रुपये के लक्षित अनिवार्य सीएसआर खर्च के मुकाबले 17.25 करोड़ खर्च किए हैं (वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अतिरिक्त खर्च को समायोजित करने के बाद)। वर्ष 2022-23 के लिए सीएसएल द्वारा सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए स्वास्थ्य और पोषण को सामान्य विषय के रूप में अपनाया गया है।
117. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक III में दी गई है।

लेखापरीक्षा समिति

118. दिनांक 31 मार्च 2023 तक, सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन:01351097), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री अशोक शर्मा (डीआईएन:09414565), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और अभिजित बिसवास (डीआईएन:09419083), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

शामिल हैं। निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया। निगमित शासन पर रिपोर्ट में लेखापरीक्षा समिति के बारे में विवरण बोर्ड समितियों के भाग में तहत दिए गए हैं।

निगमित शासन

119. कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और एक प्रभावी निगमित शासन प्रणाली स्थापित की है। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। कंपनी इस संबंध में डीपीई द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर निगमित शासन पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। निगमित शासन पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

120. एक अलग खंड 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और यह निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

121. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने मेसर्स वर्मा और वर्मा, सनदी लेखाकार को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा और स्थापित करने और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित और पर्याप्त प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था। इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य सामग्री कमजोरी नहीं देखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रण वातावरण में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।
122. कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, कंपनी के पास एक प्रणाली है जिसमें निदेशक मंडल की वित्तीय शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित की जाती हैं। दिन-प्रतिदिन सुचारू और कुशल संचालन के लिए इन शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उप-प्रत्यायोजित किया जाता है। विभिन्न परिचालन और वित्तीय मामलों की व्यापक लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मौजूद है। सीएंडएजी द्वारा वार्षिक आधार पर अनुपालन लेखापरीक्षा भी की जा रही है।
123. वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक / सांविधिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की जांच की और उसी के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान किया। आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में यह समीक्षा भी

शामिल है कि क्या निर्धारित आंतरिक नियंत्रणों का पालन किया जाता है और मूल्यांकन कि क्या ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

124. निदेशक मंडल/लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी प्रक्रियाओं और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रदर्शन और रिपोर्टों पर भी ध्यान देती है। कंपनी ने जुलाई 2014 से एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली (एसएपी) लागू किया है और अप्रैल 2022 से इसे नवीनतम संस्करण एस/4हाना में अपग्रेड किया है, जो बेहतर प्रबंधन नियंत्रण को सक्षम कर रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

125. मेसर्स.आनंद एवं पोन्नप्पन (फर्म पंजीकरण सं. 000111एस), सनदी लेखाकार, एर्णाकुलम को वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। शेयरधारकों ने बोर्ड को सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने की शक्ति सौंपी है और तदनुसार, बोर्ड द्वारा इसे तय किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

126. मेसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी रिपोर्ट दिनांक मई 19, 2023 को प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में किसी पात्रता, आरक्षण या प्रतिकूल अभ्युक्ति या अस्वीकृति शामिल नहीं है।

नियंत्रक व लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

127. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट के एक अभिन्न भाग है।

लागत लेखापरीक्षक

128. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित अपनी पोत निर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी लागत रिकॉर्ड रखती है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स बीबीएस एंड एसोसियेट्स (फर्म पंजीकरण सं. 00273) को लागत लेखाकार के रूप में नियुक्त किया है। सितंबर 29, 2022 को आयोजित 50वीं एजीएम में शेयरधारकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की पुष्टि की गई।

सचिवीय लेखापरीक्षक

129. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए मेसर्स मेहता एंड मेहता, प्राक्टीसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक- IV के रूप में अंकित करके संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

130. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए मेसर्स कृष्णमूर्ति एंड कृष्णमूर्ति, सनदी लेखाकार, कोच्ची को नियुक्त किया है।

वार्षिक विवरणी

131. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के तहत अपेक्षित कंपनी का वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/55 पर उपलब्ध है।

निवेशक सेवाएं

132. कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') में सूचीबद्ध हैं। सीएसएल ने बीएसई और एनएसई को समय पर लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन इक्विटी शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। कंपनी द्वारा वर्ष 2013-14 में जारी किए गए कर मुक्त बांड, दोनों डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ पूरी तरह से डीमैटरियलाइज्ड हैं। ये बांड बीएसई के थोक ऋण बाजार ('डब्ल्यूडीएम') खंड में सूचीबद्ध हैं। वर्ष के दौरान इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने सीएसएल उपकरणों की रेटिंग को इंड एएअपॉजिटिव से इंड एए/स्टेबल में अपग्रेड किया। केयर रेटिंग्स ने केयर एए/स्टेबल की अपनी रेटिंग की पुनः पुष्टि की। सीएसएल ने इन बांडों के संबंध में बीएसई को समय पर लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है और एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इन बांडों के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी है।

सतर्कता

133. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय सतर्कता के संबंध में विभिन्न गतिविधियां करता है, दंडात्मक सतर्कता से संबंधित मामलों में जांच करता है और निगरानी और पता लगाने की

सांविधिक रिपोर्ट

► निदेशकों की रिपोर्ट

पहल करता है। सतर्कता विभाग सभी खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसके कड़ाई से अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण सीवीसी दिशानिर्देशों पर विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की जाती है। निवारक सतर्कता के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के बीच सतर्कता संवेदीकरण पर जोर दिया गया।

134. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सतर्कता विभाग का नेतृत्व पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी श्रीमती एस उमा वेंकटेशन, भा.रा.से. द्वारा किया जाता है। विभाग में सीएसएल के दो अधिकारी और दो सहायक कर्मचारी भी शामिल हैं। सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों अर्थात् हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) में भी सतर्कता विंग की स्थापना की गई थी।

135. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सतर्कता विभाग द्वारा अनुशंसित विभिन्न प्रणालीगत सुधारों को लागू किया गया। मुख्य तकनीकी परीक्षक, सीवीसी प्रकार के निरीक्षण सिविल विभाग, पोत निर्माण और पोत मरम्मत प्रभाग में चुनिंदा प्रमुख कामों/खरीद पर किए गए और रिपोर्ट मुख्य तकनीकी परीक्षक, सीवीसी को भेजी गई। वर्ष के दौरान विभिन्न अनुबंधों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों की निगरानी की गई। वर्ष के दौरान विभिन्न अनुबंधों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों की निगरानी की गई। सतर्कता विभाग ने संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में औचक/आवधिक निरीक्षण भी किया है और जहां आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया है। सीवीसी को सभी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती हैं और सीवीसी के पास कोई संदर्भ लंबित नहीं है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में सतर्कता संवेदीकरण कार्यक्रम अक्टूबर-नवंबर 2022 के दौरान एक शानदार तरीके से आयोजित किया गया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम

136. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को सही मायने में लागू किया है और कंपनी में एक समर्पित केंद्रीकृत आरटीआई सेल के साथ एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान की जा सके। वर्ष 2022-23 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों को संसाधित किया गया है और अधिनियम में निर्धारित समयबद्ध तरीके से जानकारी प्रदान की गई है।

137. कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई उदाहरण नहीं मिला है। आरटीआई के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई है।

जागरण तंत्र

138. दिसंबर 14, 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कोचीन शिपयार्ड की जागरण तंत्र और विसिल ब्लॉवर नीति

सीएसएल के जागरण तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, इसलिए सीएसएल ने दिनांक 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् विसिल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति को अपनाया। सीएसएल की विसिल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धारा 143 के अधीन रिपोर्ट किए धोखाधड़ी का विवरण

139. शून्य

ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

140. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को किसी भी कोई ऋण नहीं दिया है।

कंपनी का नाम	ऋण का विवरण	राशि (₹ करोड़)	अभ्युक्तियां
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	तीन महीने की अवधि के लिए 6.5% अप्रतिभूत ऋण	6.50	ऋण की अदायगी वित्त वर्ष 2023 में ही कर दी थी

ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के लिए ऋण के सिलसिले में प्रतिभूति प्रदान न किया है या कोई गारंटी नहीं दिया है।

ग) निम्नलिखित को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारितानुसार, सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियों के रूप में अधिग्रहीत किया गया।

कंपनी का नाम	निवेश का विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	46.00
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)	25.00

महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता

141.कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता नहीं हुआ है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

142.रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निक्षेप

143.आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

सचिवालय मानक

144.कंपनी ने भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

महत्वपूर्ण आदेश

145.कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

146.भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर 1000 सूचीबद्ध संस्थानों को व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआर रिपोर्ट) को वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल करना

अधिदिष्ट किया है। कंपनी ने निर्धारित प्रारूप में बीआरएसआर प्रदान किया है जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। बीआरएसआर जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश के सिद्धांतों के खिलाफ कंपनी के प्रदर्शन को इंगित करता है। यह सदस्यों को कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी पहलों के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

पावती

147.निदेशक मंडल, पोत परिवहन के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सभी अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सतत संरक्षण और समर्थन के लिए अत्यंत आभारी है। बोर्ड भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखापरिक्षकों, आपूर्तिकारों, उप ठेकेदारों, कंपनी के बैंकों और हमारे मूल्यावान ग्राहकों के प्रति प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए कृतज्ञ है। बोर्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उसके सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों द्वारा दिए योगदान और समर्थन का सराहना करता है। आपके निदेशक सभी शेयरधारकों/ निवेशकों को कंपनी में रखे यकीन और आत्मविश्वास के लिए अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा आगामी वर्षों में कंपनी के विकास को बनाए रखने के लिए उनके निरंतर सहायता और भागीदारी के लिए आशा करती है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

कोच्ची

मई 19, 2023

अनुलग्नक - I

क. ऊर्जा संरक्षण

अ. वर्ष 2022-23 के दौरान
ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए
कदम या प्रभाव

उठाए गए कदम

- डॉक और घाटों को 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर बिजली प्रदान करने के लिए मोटर जनरेटर सेट के विकल्प के रूप में स्थापित स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक।
- विभिन्न एलएलटीटी/गैन्ट्री क्रेनों पर उच्च दाब मेरकुरी वेपर लाइट फिटिंग्स को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट फिटिंग्स से बदला गया।
- नए भवनों का विद्युतीकरण पारंपरिक डिस्चार्ज लैम्प्स के स्थान पर एलईडी लाइटों से किया गया।
- कार्यालय भवनों में वीआरएफ एयर कंडीशनिंग प्रणाली प्रदान किया गया।
- साधारण सीलिंग पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष बीएलडीसी /5 स्टार पंखे का प्रयोग,
- संपीड़ित वायु वितरण प्रणाली और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित रूप से निगरानी और सुधार किया जाता है।
- यूनिट के निकट पावर फैक्टर की लगातार निगरानी और रखरखाव किया जाता है।
- दोपहर 12:00 मुख्य बिजली आपूर्ति को शॉपों, खदानों और डॉक पर बंद किया जाता है। यह मेइन कूलर, रूफ एक्सट्रैक्टर्स (स्टार्टर के माध्यम से नियंत्रित) आदि को ट्रिप करता है, जिनकी लंच ब्रेक के दौरान आवश्यकता नहीं होती है।
- लंच ब्रेक के दौरान मुख्य एयर कंप्रेसर को बंद किया जाता है।
- विद्युत ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ऊर्जा बचत स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्रभाव

ऊपर निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ ऊर्जा की बचत लगभग 8.14 लाख यूनिट प्रति वर्ष है।

आ. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के
उपयोग के लिए उठाए गए
कदम

- सीएसएल और मेटी के बाहर नए पार्किंग क्षेत्र में सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट लगाई गई।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 1622 के डब्ल्यूपी क्षमता के मौजूदा सौर ऊर्जा संयंत्रों से 20.34 लाख यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की गई, और
- ऑपन एक्सेस (ग्रीन डे अहेड मार्केट) के ज़रिए 3.35 लाख यूनिट अक्षय ऊर्जा की खरीदारी की।

ई. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर
पूंजी निवेश

- ऊपर निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1.36 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

अ. प्रौद्योगिकी अवशोषण की
दिशा में किए गए प्रयास।

- सीईईएसईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रो-पैक्स कैटामारन और डबल एंडेड फेरी के लिए पैरामीट्रिक हल फॉर्म का विकास।
- बाह्य कार्यशालाएं/प्रशिक्षण :
 - प्रोफेसर अनंत सुब्रमण्यन द्वारा हाइड्रोडायनामिक्स पर 8 दिवसीय कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में पोत प्रतिरोध, प्रणोदन और हल फॉर्म डिज़ाइन पहलुओं को शामिल किया गया था।
 - कुसाट में आयोजित समुद्री प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी।
 - क्लासएनके द्वारा अमोनिया संचालित पोत और उसके वर्ग नियमों और विनियमों पर प्रशिक्षण, और
 - डीएनवी क्लास द्वारा कंटेनर शिप डिज़ाइन पर प्रशिक्षण।

- एचएसवीए हेंबर्ग में 7के बहुउद्देशीय पोत के आईसीई क्लास मॉडल परीक्षण में भाग लिया।
- मरीन, नेथरलैंड्स में डिप्रेसराइज्ड वेब बेसिन में आईएनएस विक्रांत के कैविटेशन ऑब्जर्वेशन टेस्ट में भाग लिया।
- एफई क्षमताओं के वृद्धि।
 - आईआरएस के विशेषज्ञों के साथ निकट समन्वय में सिमुल्या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके गैर-रेखीय संरचनात्मक विश्लेषण (सामग्री गैर-रेखिकता) करने में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित की।
- ओवरसेट ग्रिड तकनीक का उपयोग करके बड़े मेश-मोशनवाले मामलों का विश्लेषण करने हेतु, ऑपनफोम (ओपनसोर्स सीएफडी सॉफ्टवेयर) में इनहाउस क्षमता विकसित की गई।
- पिछले जलयानों के समग्र भार विवरण को समेकित करने के लिए, नए पोत के निर्माण के लिए भार का आकलन और विश्लेषण करने हेतु शिपवेट सॉफ्टवेयर खरीदा।
- अवधारणा डिज़ाइनो के उच्च गुणवत्तावाले रेंडर के लिए राइनो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और वी-रे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर खरीदा, और
- समुद्री क्षेत्र में हरित पहल के तहत निम्नलिखित वाइट पेपर तैयार किया:
 - यात्रा अनुकूलन
 - भारतीय समुद्री क्षेत्र में बैटरी अनुप्रयोग
 - पत्तनों से हाइड्रोजन का भंडारण और वितरण
 - समुद्री उपयोग के लिए सौर ऊर्जा
 - समुद्री उपयोग के लिए सौर ऊर्जा
 - समुद्री उपयोग के लिए जैव-ईंधन/मेथनॉल, और
 - समुद्री अनुप्रयोग के लिए पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना

आ. प्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास

- डॉकिंग प्रक्रिया और जोखिम मूल्यांकन मैट्रिक्स सहित आईएनएस विक्रांत के पोटून असिस्टेड डॉकिंग के लिए विकसित कार्यप्रणाली।
- आईएनएस विक्रांत के डॉकिंग के लिए बॉयसेसी पोटून के पूर्ण डिज़ाइन का विकास।
- आईएनएस विक्रांत के लिए 700 से अधिक अक्षुण्ण और क्षति परिदृश्यों के लिए विस्तृत स्थिरता विश्लेषण किया।
- एनडब्ल्यू 1 और एनडब्ल्यू 2 में संचालन के लिए अंतर्देशीय इलेक्ट्रिक कटमरैन फेरी के लिए बुनियादी डिज़ाइन का विकास।
- भारतीय तटरक्षक के लिए 106 मीटर प्रशिक्षण पोत के लिए अवधारणा डिज़ाइन का विकास।
- भारतीय तटरक्षक के लिए 50 मीटर फास्ट पेट्रोल पोत के लिए बोली डिज़ाइन का विकास।
- अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए रो-पैक्स जलयानों का डिज़ाइन विकास।
 - 250 यात्री डबल एंडेड रो-रो फेरी
 - 250 यात्री हार्बर क्राफ्ट, और
 - 100 यात्री हार्बर क्राफ्ट
- ईंधन सेल कटमरैन फेरी के लिए बुनियादी डिज़ाइन का विकास।
- अंतर्देशीय ऑपरेशन हेतु भारतीय सेना के लिए लैंडिंग क्राफ्ट का डिज़ाइन विकास।
 - 70 टन लैंडिंग क्राफ्ट यंत्रीकृत, और
 - 200 टन लैंडिंग शिप टैंक
- थोक वाहक की संकल्पना डिज़ाइन विकास
 - बैटरी चालित संस्करण - 3000 डीडब्ल्यूटी, 4500 डीडब्ल्यूटी क्षमता।, और
 - डीज़ल - इलेक्ट्रिक प्रणोदन संस्करण - 4500 डीडब्ल्यूटी, 6000 डीडब्ल्यूटी क्षमता।
- कोच्ची बैकवाटर में संचालन के लिए 50 यात्री क्षमता के इलेक्ट्रिक कटमरैन फेरी का बिड डिज़ाइन विकास।
- ऑपनफॉम सीएफडी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अंतर्जलीय बॉडी की लॉन्चिंग गणना का प्रदर्शन किया।
- फ्लूइड फ्लो 2 सॉफ्टवेयर में आईएनएस विक्रांत ब्यूयसेसी पोटून बैलास्ट प्रणाली की प्रणाली निष्पादन जांच की।

- सिमुलिया के 3डी अनुभव में निम्नलिखित परियोजनाओं पर परिमित तत्व विश्लेषण किया।
 - सीएसएल में ब्लॉकों के भंडारण के ए-फ्रेम
 - टग में डेक संरचना आईडब्ल्यूओ रस्सा उपकरण (स्टेपल, टो हुक, विंच), और
 - आईएनएस विक्रांत में एएफसी हैच संरचना
- केबिल ट्रे सहायता संरचना

अवशोषण के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

क. उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ।	• इन-हाउस सॉफ्टवेयर कोड, एफईए और सीएफडी क्षमतावाले अनुकूलित उत्पादों को विकसित करने के लिए डिजाइन पुनरावृत्तियों को निष्पादित करने के लिए लचीलेपन में वृद्धि। • उच्च गुणवत्तावाले डिजाइन समाधानों के कारण ग्राहकों तक पहुँच और बढी हुई विश्वसनीयता, और • विशिष्ट और अग्रणी फर्मों के साथ सहयोग करके डिजाइन में क्षमता में वृद्धि।
ख. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित वित्तीय वर्ष की शुरुआत से माना जाता है) निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।	
i. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	(i) प्लेट और प्रोफाइल के लिए अल्मा एक्ट कट नेस्टिंग सॉफ्टवेयर
ii. आयात का वर्ष	(ii) समुद्री ऊर्जा प्रणालियों के विश्लेषण, प्रबंधन और अनुकरण के लिए ईटीएपी सॉफ्टवेयर
iii. क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है	(i) 2019-20
iv. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो, ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण	(ii) 2020-21
ग. अनुसंधान एवं विकास/ नवाचार पहल पर किया गया व्यय	जी हाँ लागू नहीं 864.16 लाख रुपए

ग. विदेशी मुद्रा का उपार्जन और व्यय

	(₹ लाख में)	
विदेशी मुद्रा से आय	2022-23	2021-22
पोत मरम्मत से	27528.05	2137.88
पोत निर्माण से	469.26	161.98
कुल	27997.31	2299.86
विदेशी मुद्रा से व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	33042.98	40090.43
डिजाइन एवं डॉकुमेंटेशन	5274.85	189.51
सेवा प्रभार और अन्य	48582.51	13597.35
कुल	86900.34	53877.29

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

कोच्ची

मई 19, 2023

फॉर्म सं. एओसी -2

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के उप धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए ठेके/ करार के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म जिसमें तीसरे प्रावधान के अधीन कुछ निष्पक्ष आधार पर लेनदेन भी शामिल है।

1. ठेके या व्यवस्थाएं या लेनदेन जो निष्पक्ष आधार पर न हो, के विवरण

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पूर्ण रूप से स्वामित्व सहायक कंपनियां
(ख)	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की प्रकृति	एचसीएसएल और यूसीएसएल में सीएसएल एसएपी एस/4हाना की ईआरपी प्रणाली
(ग)	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की अवधि	का कार्यान्वयन, केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपूर्ण एसएपी कार्यान्वयन
(घ)	मूल्य सहित ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागत और लाइसेंस शुल्क, कुल मिलाकर 77.88 लाख रुपए, सहायक कंपनियों की ओर सीएसएल द्वारा वहन किया जाएगा।
(ङ)	ठेके या व्यवस्थाएं या लेनदेन में प्रवेश के लिए समर्थन	यह व्यवस्था केवल प्रारंभिक वर्ष के लिए है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों सहायक कंपनियां अपने प्रचालन के शुरुआती चरण में हैं और नकद व्यय उनकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही एसएपी ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन से प्रणाली द्वारा दी जानेवाली सुविधाओं पर विचार करते हुए समग्र रूप से सीएसएल समूह को लाभ होगा। इसके अलावा, इससे तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर वित्तीय विवरण प्रकाशित करने के लिए सीएसएल समूह की वित्तीय स्थिति को आसान और सुविधा जनक बनाने में भी सुविधा होगी।
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	मई 19, 2023
(छ)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	शून्य
(ज)	धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यकानुसार सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव की तारीख	लागू नहीं

2. महत्वपूर्ण ठेके या व्यवस्थाएं या लेनदेन जो निष्पक्ष आधार पर हो, के विवरण

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	शून्य
(ख)	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेनदेन की प्रकृति	शून्य
(ग)	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागू नहीं
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
(च)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	कुछ नहीं

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

कोच्ची

मई 19, 2023

अनुलग्नक - III

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी में वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों को सीएसआर नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग कंपनी की सीएसआर नीति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया था।

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी लघु परियोजनाओं की श्रेणियों के तहत परियोजनाओं का संचालन करती है, जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से 10 लाख रुपए या उससे कम मूल्य की अत्यावश्यक प्रकृति की हैं, जो कि कुल खर्च का 10% तक सीमित है। अन्य सभी परियोजनाओं को प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कुल व्यय का 5% प्रशासनिक व्यय के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें विभाग में कार्यरत सीएसआर कर्मचारियों द्वारा वेतन, प्रशिक्षण पर व्यय और यात्रा शामिल है।

वर्ष का मुख्य विषय : स्वास्थ्य और पोषण

2. सीएसआर समिति की संरचना

बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता विकास (सीएसआर और एसडी) समिति समय-समय पर बोर्ड के अनुमोदन के लिए सीएसआर परियोजनाओं की सिफारिश करती है। दिनांक 31 मार्च 2023 तक सीएसआर और एसडी समिति की संरचना निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकता की प्रकृति	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठकों की संख्या	
			वर्ष के दौरान आयोजित	वर्ष के दौरान उपस्थित
1.	श्री नहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन : 09419082)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष	4	4
2.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य	4	4
3.	श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825)	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य	4	4
4.	श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440)	निदेशक (वित्त) - सदस्य	4	4

3. वेब लिंक जहां सीएसआर और एसडी समिति की संरचना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।

सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab4
सीएसआर नीति	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3
बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab9

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वेब लिंक सहित कार्यकारी सारांश।

वर्ष 2018-19 में सीएसएल के सीएसआर समर्थन के साथ 1.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए परियोजना अनंतकृपा का प्रभाव मूल्यांकन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस

एंड टेक्नॉलजी द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सारांश निम्नानुसार है :

अनंतकृपा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की एक सीएसआर पहल है जिसने वर्ष 2018 में काम करना शुरू किया। इस परियोजना के तहत, शहर के विभिन्न चिकित्सा देखभाल प्रतिष्ठानों में तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए तिरुवनंतपुरम आनेवाले मरीजों और उनके तीमारदारों को मुफ्त

आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए शयनगृह और कमरों के साथ रसोई और अन्य सुविधाओं के साथ 12,000 वर्ग फुट की इमारत स्थापित की गई थी। लक्षित लाभार्थी समूह की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में पहल की सामाजिक प्रासंगिकता और परियोजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण के तत्वों को मिलाकर एक मिश्रित-विधि अनुसंधान डिज़ाइन का पालन किया गया। विकासात्मक और मानवीय परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए ओईसीडी-डीएसी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन - विकास सहायता समिति) ढांचे का एक संशोधित संस्करण लागू किया गया था जिसके द्वारा परियोजना का मूल्यांकन मानदंड प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता के संदर्भ में किया गया था।

अध्ययन से पता चलता है कि अनंतकृपा ने सभी मूल्यांकन मानदंडों पर अच्छा स्कोर किया है। गुणात्मक डेटा विश्लेषण स्पष्ट रूप से लक्षित लाभार्थी समूह के लिए इस परियोजना की सामाजिक प्रासंगिकता को इंगित करता है। चिकित्सा देखभाल के लिए केरल के विभिन्न हिस्सों से तिरुवनंतपुरम आनेवाले लोगों और उनके तीमारदारों के लिए मुफ्त आवास सेवा समाज के निचले आर्थिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल की पहुंच में सुधार करके पूरे राज्य में किफायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में मदद करती है। इस तरह की सुविधाएं विशेष रूप से उपचार के बाद की देखभाल में चिकित्सा उपचार की छिपी हुई निजी लागतों को संबोधित करती हैं। हालांकि सरकारी अस्पताल उपचार की अधिकांश लागतों को वहन करते हैं, फिर भी रोगियों और उनके परिवारों को कई अतिरिक्त वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से भोजन और आवास के लिए धन पर। रोगी का

समर्थन करनेवाले परिवार के सदस्यों की आय हानि की अप्रत्यक्ष लागत भी अधिकांश परिवारों के लिए एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए मरीजों और दर्शकों के लिए मुफ्त/अनुवृत्ति वाली आवास सेवाएं समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए चिकित्सा देखभाल सेवाओं की पहुंच को सक्षम बनाती है। लाभार्थी सर्वेक्षण से, लाभार्थियों की संतुष्टि उच्च पाई गई और लाभार्थियों ने अनंतकृपा से संबंधित सेवाओं के सभी आयामों को 1 से 5 के पैमाने पर 4.5 से ऊपर रेटिंग दी। वकालत का स्तर भी बहुत ऊंचा देखा गया, जिससे लाभार्थियों की संतुष्टि का स्तर और अधिक मान्य हो गया। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि परियोजना का लाभ सही लक्षित दर्शकों तक पहुंच रहा है। इस सुविधा का लाभ उठानेवाले अधिकांश लाभार्थी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (दिहाड़ी मज़दूर - 85%) से हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। अधिकांश उत्तरदाताओं (229 में से 226) ने अनंतकृपा में अपने प्रवास के दौरान सेवा के किसी भी आयाम के साथ कोई विशेष समस्या या समस्या सूचना नहीं दी। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना कार्यान्वयन प्रभावी और प्रभावशाली रहा है। परियोजना का स्थिरता आयाम भी आशाजनक दिखता है क्योंकि सेवाओं की उच्च मांग के कारण सुविधा का उपयोग अधिक है और कार्यान्वयन अभिकरण का व्यापक स्वयंसेवक आधार यह सुनिश्चित करता है कि श्रमशक्ति आवश्यकताएं और सुविधा के प्रचालन खर्च स्वयंसेवकों और दान द्वारा शामिल किए जाते हैं। अंत में, जनता के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल के बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करके अनंतकृपा सामाजिक रूप से प्रासंगिक है और कंपनी के समावेशी विकास के सीएसआर मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। यह परियोजना सुलभ और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भी है। पूरी रिपोर्ट <https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab7> लिंक में देखी जा सकती है।

5.

क. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	: ₹ 82280.09 लाख
ख. अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	: ₹ 1645.60 लाख
ग. पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	: शून्य
घ. वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।	: ₹ 40 लाख
ड. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देयता [(ख) + (ग) - (घ)]	: ₹ 1605.60 लाख

6.

क. सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना दोनों के अलावा)	: ₹ 1649.60 लाख
ख. प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि	: ₹ 73.36 लाख
ग. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	: ₹ 2.00 लाख
घ. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क) + (ख) + (ग)]	: ₹ 1724.96 लाख

ड. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 6 के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
1724.96 लाख	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

च. समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(i)	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत *	1605.60 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1724.96 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि ((ii) - (i))	119.36 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियां, यदि कोई हो	शून्य
(v)	बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि #	₹ 110 लाख

* वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अतिरिक्त खर्च को समायोजित करने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर दायित्व।

आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए बोर्ड द्वारा तय की गई राशि दी गई है।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी राशि का विवरण

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 6 के तहत अव्ययित सीएसआर लेखे में अंतरित राशि (₹)	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 6 के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि(₹)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹)	अधिनियम 6 की धारा 135 की उप धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जानेवाली शेष राशि (₹)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹)	अंतरण की तिथि		
1.	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
2.	2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
3.	2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है:

☒ जी हां ☐ जी नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें 95

वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तिका संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या संपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
कृपया अनुलग्नक III क देखें।							

9. यदि कंपनी अधिनियम की धारा 135 (5) उप धारा 5 के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

लागू नहीं।

मई 19, 2023

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07376798

नाहर सिंह माहेश्वरी
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन : 09419082

अनुलग्नक IIIक

वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से निर्मित/ अर्जित पूंजीगत संपत्ति से संबंधित विवरण

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण	
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	मानसिक रूप से विकलांग लोगों के परिवहन के लिए "थेरुव वेलिचम" वाहन-एर्णाकुलम	682020	19.08.2020	0.20	CSR00022500	थेरुवोर प्रवर्तक असोसिएशन गांधी नगर, कडवंना, एर्णाकुलम - 682020
2.	कनिव प्रशामक देखभाल केंद्र, त्रिपुणितुरा के लिए एंबुलेंस	682301	10.06.2022	0.35	CSR00016155	कनिव प्रशामक देखभाल केंद्र पी केरल वर्मा मंदिरम, अस्पताल जंक्शन, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम - 682301
3.	सेट मेरीस हाई स्कूल, आलुवा में शौचालय परिसर	683101	16.05.2022	0.49	CSR00016674	सेट मेरीस हाई स्कूल सबजेल रोड, आलुवा, एर्णाकुलम - 683101
4.	सीएमआईडी, एर्णाकुलम प्रवासी श्रीमकों को मोबाइल टीकाकरण के लिए वाहन	683542	21.03.2022	0.65	CSR00002364	प्रवासन और समावेशी विकास केंद्र (सीएमआईडी) पीएमसी XX/1229, टाउन हॉल के पास, पेरुमबावूर, एर्णाकुलम - 683542
5.	पुलेप्पडी, एर्णाकुलम के सरकारी जिला होमियो अस्पताल, पुलेप्पडी में प्रतीक्षा क्षेत्र और शौचालय के निर्माण के लिए सहायता	682017	10.10.2022	0.79	CSR00018797	अस्पताल प्रबंधन समिति, सरकारी जिला होमियो अस्पताल पुलेप्पडी, कलूर, एर्णाकुलम- 682017
6.	आदर्श स्पेशल स्कूल, कुरिक्काड, एर्णाकुलम में बच्चों के लिए 10 स्मार्ट क्लासरूम और इन्डोर सेसरी पार्क स्थापित करना।	682305	04.08.2022	1.00	CSR00001511	आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट कुरिक्काड, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम- 682305
7.	नोकलक, नागालैंड में जल एटीएम की स्थापना।	797001	29.08.2022	1.00	CSR000009159	शांति मंडिकल सूचना केंद्र पुनतूर रोड, कोटपाडी पी ओ, गुरुवायूर, त्रिशूर - 680505
8.	सेवाभारती, तिरुवनंतपुरम में आदिवासी बच्चों के परिवहन के लिए वाहन।	695011	16.09.2022	1.30	CSR00021253	सेवाभारती, केरल टीसी 2/720, एमईआरए 106, कापिल लेन, मंडिकल कॉलेज पी ओ, तिरुवनंतपुरम- 695011

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
9.	करुणा स्पेशल स्कूल, नाथराबंलम, एर्णाकुलम में दिव्यांगों के लिए परिवहन कोलिए वाहन	682509	26.07.2022	1.50	CSR00017944	करुणा स्पेशल स्कूल	नाथराबंलम, एर्णाकुलम - 682509
10.	जेरमिया होम- निराश्रित महिलाओं के लिए घर, वायपिन, एर्णाकुलम में नए भवन के निचले मंजिल के निर्माण के लिए सहायता।	682508	03.06.2022	2.00	लागू नहीं	जेरमिया होम बेटरोनी पैलिपटीव केयर सेंटर चेरिटबल ट्रस्ट	ओचनतुरुन, वायपिन, एर्णाकुलम - 682508
11.	करुणा दर्द और प्रशामक देखभाल अस्पताल. परप्पूर, त्रिशशूर की दूसरी मंजिल का निर्माण।	680552	30.08.2022	2.00	लागू नहीं	कारुण्या चेरिटबल सोसाइटी	कारुण्या चेरिटबल सोसाइटी, परप्पूर, त्रिशशूर - 680552
12.	सेट जोसफ यूपी स्कूल, करितला, एर्णाकुलम में स्कूल भवन का नवीनीकरण।	682011	07.06.2022	2.50	CSR00017332	सेट जोसफ यूपी स्कूल	करितला, एर्णाकुलम -682011
13.	सरकारी बॉयज़ एचएसएस , आलुवा, एर्णाकुलम में शौचालय का निर्माण।	683101	20.08.2022	2.50	लागू नहीं	पीटीए सरकारी बॉयस एचएसएस	हांई रोड, आलुवा, एर्णाकुलम - 683101
14.	दिव्यरक्षा, मानसिक रूप से विकलांगों के लिए दिव्यरक्षालयम, मयलाकोम्बु, तोडुपुषा, इडुक्की में बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण।	685584	04.08.2022	3.00	लागू नहीं	दिव्यरक्षा चेरिटबल सोसाइटी	मयलाकोम्बु, तोडुपुषा, इडुक्की- 685584
15.	नेचर्स ग्रीन गार्डियन फाउंडेशन- पनंपल्ली नगर, एर्णाकुलम में मियावाकी मॉडल का मैक्रो वन।	695043	09.09.2022	3.61	लागू नहीं	नेचर्स ग्रीन गार्डियन फाउंडेशन	कुडप्पनकुन्नु, तिरुवनंतपुरम - 695043
16.	स्कूल पुस्तकालयों में पुस्तकों का वितरण- अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव समिति, एर्णाकुलम।	682026	13.02.2023	4.50	CSR00030611	भास्कर राव स्मारक समिति	माधव निवास, पेरंडूर रोड, एलमक्करा, कोच्ची - 682026
17.	एम आई रामन मेमोरियल लाइब्रेरी, वेल्थामट्टम, तोडुपुषा, इडुक्की के लिए पुस्तकालय भवन का नवीनीकरण।	685588	11.02.2023	5.00	CSR00031483	एम आई रामन मेमोरियल वायनशाला	वेल्थामट्टम, तोडुपुषा, इडुक्की- 685588

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
18.	एडप्लली ब्लॉक पंचायत, एर्णाकुलम में गांधी प्रतिमा की स्थापना।	682030	06.01.2023	2.50	CSR00041452	एडप्लली ब्लॉक पंचायत	कुसुमगिरी पी ओ, एर्णाकुलम- 682030
19.	सेट अगस्टीन यूपी स्कूल, कलूर, एर्णाकुलम में बुनियादी ढांचे का विकास।	682017	20.02.2023	4.50	लागू नहीं	सेट अगस्टीन यूपी स्कूल	कलूर, एर्णाकुलम - 682017
20.	सेट जोआचिम यूपी स्कूल, कन्निकडु, कलूर एर्णाकुलम में सभागार का नवीनीकरण।	682018	27.03.2023	5.00	CSR00029931	एर्णाकुलम सोशल सर्विस सोसाइटी	प्रोविडेन्स रोड, कचेरीपट्टी, एर्णाकुलम - 682018
21.	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन द्वारा सरकारी यूपी स्कूल , मुल्ली, प्लाक्काड, अट्टपाडी में आदिवासी गांव, में स्थापित बच्चों का पार्क।	678581	11.01.2023	4.5	CSR00002488	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन	अगली, पाल्लकाड - 678581
22.	शबरी शरणश्रम, कुनामकारा, पत्तनैतिट्टा जिले में मणिकंठ गुरुकुलम जनजातीय बच्चों के लिए बॉयस छात्रावास का निर्माण	689711	15.05.2022	5.00	लागू नहीं	शबरी शरणश्रम	कुनामकारा पी ओ, पत्तनैतिट्टा- 689711
23.	गार्डियन ऐंजल पीस मिशन, नेट्टुवाशेरी, एर्णाकुलम जिले में अंतिम सिरे के बीमार लोगों के लिए भूतल में 5 कमरों के निर्माण के लिए सहायता।	683541	11.10.2022	5.00	लागू नहीं	गार्डियन ऐंजल केयर चारिटेबल सोसाइटी	ऐरापुरम, एर्णाकुलम जिला - 683541
24.	देवमाता प्रोविन्स तंकी, आलपुषा में मानसिक रोगियों के लिए पुनर्वास केंद्र	686001	13.07.2022	5.00	CSR00020849	देवमाता प्रोविन्स	नागंडम, कोट्टयम - 686001
25.	एसएमवी एचएसएस, पूजार, कोट्टयम में शौचालय परिसर के निर्माण के लिए सहायता।	686581	10.03.2023	5.00	CSR00020226	एस एम वी हायर सैकन्डरी स्कूल	पूजार पी ओ, कोट्टयम - 686581
26.	दया सोशल सेंटर, स्पेशल स्कूल, उदयमपेरूर, एर्णाकुलम में फिसियोथेरापी उपकरण	682307	17.03.2023	5.00	CSR00019971	दया सोशियल सेंटर	नडक्काव पी ओ, उदयपेरूर, एर्णाकुलम - 682307
27.	कोट्टयम सोशल सर्विस सोसाइटी, कोट्टयम के बधिर और अंधे बच्चों के लिए वाहन।	686630	11.03.2023	5.00	CSR00012649	कोट्टयम सोशियल सर्विस सोसाइटी	चेतन्या, तेलक्कम पी ओ, कोट्टयम- 686630

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण	
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	पंजीकृत पता
28.	पीवीएमएम एंग्लो इंडियन यूपी स्कूल, इडकोच्ची का नवीनीकरण और रखरखाव	682010	20.02.2023	4.50	CSR00031450	इडकोच्ची, एर्णाकुलम - 682010
29.	ब्रह्मानंदेश्वर एचएसएस, कालडी, एर्णाकुलम में खुले मंच का निर्माण	683574	29.08.2022	5.13	CSR00002806	आश्रम रोड, कालडी पी ओ, एर्णाकुलम - 683574
30.	असीसी स्कूल फोर ब्लॉइड, कलाकेटी, काजिरपल्ली, कोट्टयम के लिए वाहन	686508	14.02.2023	4.95	CSR00043507	कलाकेटी, काजिरपल्ली, कोट्टयम- 686508
31.	कोचीन कैसर केंद्र, एर्णाकुलम के लिए वाहन।	682018	21.02.2023	4.95	CSR00012448	प्रोविडेन्स रोड जंक्शन, कचेरीपट्टी, एर्णाकुलम- 682018
32.	सेट जोसफ यूपी स्कूल, मन्नचेरी, कम्पाली, एर्णाकुलम में शौचालय परिसर का निर्माण	692008	14.03.2023	6.00	CSR00042431	मन्नचेरी, कम्पाली, एर्णाकुलम - 692008
33.	नारायण गिरि, तोट्टुमुखम, आलुवा, एर्णाकुलम में बालिका सदन के निर्माण के लिए सहायता।	683105	16.11.2022	6.00	CSR0008313	तोट्टुमुखम, आलुवा, एर्णाकुलम - 683105
34.	विद्यार्थिनी सदन, अमृताशक्ति, एलूर एर्णाकुलम के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	683501	23.02.2023	5.40	CSR00040488	अमृता शक्ति विद्यार्थिनी सदन, एलूर साउथ, उद्योगमंडल, एर्णाकुलम - 683501
35.	परियोजना स्वतंत्रता देखभाल-जिला जेल, काक्कनाड, एर्णाकुलम में सैनिटरी नैपकिन विनिर्माण इकाई।	682038	23.02.2023	5.14	CSR00020148	वयटिला पेड्ड रोड, पूणिक्कुर, एर्णाकुलम - 682038
36.	फिशरीज हार्बर, तोपुम्पट्टी, एर्णाकुलम में मछुआरों के लिए जल एटीएम की स्थापना।	682005	04.05.2022	6.43	लागू नहीं	कोच्ची - 682005
37.	एलप्पारा, इडुक्की में आदिवासी इलाके के लिए सौर स्ट्रीट लाइटिंग	695033	02.12.2022	7.01	CSR000019849	जिला कार्यालय, पैनाल पी ओ, इडुक्की -685403
38.	डिस्ट्रिफ्री (एमआईएनडी) ट्रस्ट कोषिकोड में मोबिलिटी के लिए वाहन	680683	12.02.2023	6.75	CSR00016830	बिल्लिंग नं. IV/162, पिचत्तरा, पुथियकावु पी ओ, मडिलगम, त्रिशशूर- 680683

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
39.	कुटुनाड, आलपुषा में तीन स्थानों पर पेयजल की सुविधा	688012	17.02.2023	6.75	CSR00035417	जिला निर्मिती केंद्र	आलपुषा - 688012
40.	संस्कृत यूपी स्कूल, तोडूरा एर्णाकुलम में एक सभागार का निर्माण	678574	31.10.2022	8.00	CSR00019323	भारतीय विद्यानिकेतन	केशव मंदिर, कलिकाड पी ओ, पालक्काड - 678574
41.	सुबाष पार्क का रखरखाव- कोच्ची नगर निगम, एर्णाकुलम	682018	05.04.2022	8.00	CSR00022791	विरासत, पर्यावरण और विकास केंद्र सी-हेड	निगम भवन, कचेरीपट्टी, कोच्ची - 682018
42.	तालुक अस्पताल, पीरमेड, इडुक्की में रक्त भंडारण इकाई की स्थापना।	685603	27.12.2022	9.00	CSR00028609	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	इडुक्की - 685603
43.	पेयजल सुविधा विशेष विद्यालय, फेथ इंडिया वेंनिकुलम, एर्णाकुलम	682305	28.02.2023	9.00	CSR00036084	फेथ इंडिया	कोकापल्ली पी ओ, तिरुवांकुलम, एर्णाकुलम - 682305
44.	शहर के विभिन्न हिस्सों में कंटेनर शौचालयों का निर्माण- एनजीओ बेटर कोच्ची रेसोर्स ग्राउंड और क्रेडेंड, एर्णाकुलम के सहयोग से	682020	27.03.2023	7.62	लागू नहीं	क्रीडार्ड क्लीन सिटी मुवमेट	प्रथम तल, नं. 43, जवहर नगर, कडवन्ना, कोच्ची - 682020
45.	एंग्लो इंडियन हाई स्कूल, पेरुमानूर, एर्णाकुलम में शौचालयों का निर्माण और कक्षा का नवीनीकरण	682015	20.03.2023	10.00	CSR00024898	सीसीपीएलएम एंग्लो इंडियन हाई स्कूल	पेरुमानूर, एर्णाकुलम - 682015
46.	वीएचएसएस, इरुपम्म, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम में क्लास रूमों का नवीनीकरण।	683562	09.02.2023	10.00	CSR00035561	सेवना फाउंडेशन	किष्कंबलम, एर्णाकुलम - 683562
47.	एपीजे अब्दुल कलाम जनजातीय आवासीय विद्यालय, अट्टपाडी, पालक्काड का बुनियादी ढांचा उन्नयन	680505	10.03.2023	10.00	CSR00009159	शांति चिकित्सा सूचना केंद्र	पुननूर रोड, कोटपट्टी पी ओ, गुरुवायूर, त्रिश्यूर जिला - 680505
48.	कौशल विकास केंद्र, अल्फोन्स सदन, कीडंगूर, अंगमाली, एर्णाकुलम	683572	24.03.2023	10.00	CSR00025065	अल्फोन्स सोशल केंद्र	पुननूर, अंगमाली, एर्णाकुलम - 683572
49.	सेट जोसफ यू पी स्कूल, कडवन्ना, एर्णाकुलम में स्कूल मैदान का नवीनीकरण	682019	10.01.2023	5.00	CSR00003167	कल्याण सेवा सोसाइटी- सहृदय	एर्णाकुलम - 682019

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण	पंजीकृत पता
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम
50.	सहयोग - आलपुषा जिले में हाशिए पर पड़ी महिलाओं की आजीविका का उद्धार	689121	19.12.2022	5.00	CSR00027237	राष्ट्रीय जागृति के लिए त्रावणकोर मानव एकता (टीएचयूएनए)
51.	सेट मेरीस हाई स्कूल, कंडनाड, एर्णाकुलम में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण।	682305	21.01.2023	9.00	CSR00044881	सेट मेरीस हाई स्कूल
52.	सत्य साई अनाथालय ट्रस्ट, तिरुवनंतपुरम में बुजुर्ग महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम के लिए वाहन।	695010	11.02.2023	10.00	CSR00006904	सत्य साई अनाथालय ट्रस्ट
53.	असीसी हॉलिस्टिक रिसर्च सेंटर, पनावली, आलपुषा में समग्र चिकित्सा इकाई की स्थापना।	688581	14.12.2023	9.00	CSR00020849	देवमाता प्रोविन्स
54.	सलीम अली फाउंडेशन, वेल्लांगल्लूर, त्रिशूर द्वारा धान चावल और मूल्य वर्धित उत्पादों को सुखाने और भंडारण के लिए एक भवन का निर्माण।	680027	21.02.2023	10.80	CSR00015511	सलीम अली फाउंडेशन
55.	सर्वोदय केंद्र, रामशेरी, पालक्काड द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए गांधी आश्रम-कौशल केंद्र का निर्माण।	678623	15.11.2022	10.00	CSR00015802	सर्वोदय केंद्र
56.	सहरुदय कल्याण सोसाइटी, पोन्नुरुन्नी, एर्णाकुलम के विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और आय के अवसर	682019	30.08.2022	11.25	CSR00003167	कल्याण सेवा सोसाइटी - सहरुदय
57.	सरकारी एचएसएस, मुंडेरी, कण्णूर में डिजिटल लाइब्रेरी	670002	18.07.2022	15.00	CSR00015937	कण्णूर जिला पंचायत
58.	स्नेहसदन विशेष स्कूल, कालडी, एर्णाकुलम के विशेष बच्चों के लिए स्कूल बस।	683574	09.03.2023	15.00	CSR00042790	स्नेहसदन विशेष स्कूल
59.	हुगली, पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण।	711109	31.10.2022	10.50		लागू नहीं सीएसएल सीधा

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
60.	मृदुलास्पर्शम स्पेशल स्कूल, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम के लिए वाहन और फिसियोथेरेपी उपकरण।	682301	03.03.2023	13.50	CSR00028003	मृदुलास्पर्शम स्पेशल स्कूल	त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम- 682301
61.	सिद्धानार सर्विस सोसाइटी, पत्तनन्तिट्टा में सामुदायिक कौशल विकास केंद्र का निर्माण।	691566	23.01.2023	13.50	CSR00037961	सिद्धानार सर्विस सोसाइटी	कोट्टास्करा, कोल्लम- 691566
62.	पूरे केरल से रिमोट जनजातिय बस्तियों में परिवहन और यात्रा के लिए जनजातीय समुदाय के लिए वाहन	678007	22.02.2023	15.75	CSR00012312	वनवासी विकास केंद्रम	चंद्रनगर, पालक्काड जिला - 678007
63.	तलशेशरी जमरल अस्पताल, कण्णूर के लिए चिकित्सा उपकरण- कोविड के बाद की आवश्यकताएं	670002	27.01.2023	19.86	CSR00044749	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	कण्णूर - 670002
64.	केरल ऐतिहासिक संग्रहालय, इडल्ली, एर्णाकुलम में एवी कक्ष का नवीनीकरण।	682024	17.03.2023	20.00	CSR00035178	माथवन नायर फाउंडेशन	इडल्ली, कोच्ची - 682024
65.	एएमएम एलपी स्कूल चेन्नूर, एर्णाकुलम में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण।	682018	17.03.2023	20.00	CSR00029931	एर्णाकुलम सोशल सर्विस सोसाइटी	प्रोविडन्स रोड, कचेरीपडी, एर्णाकुलम - 682018
66.	स्नेहपूर्वम शैक्षिक चैरिटेबल ट्रस्ट, त्रिशूर द्वारा शैक्षिक उद्देश्य के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए सहायता	680003	10.08.2022	20.00	CSR00014964	स्नेहपूर्वम शैक्षिक चैरिटेबल ट्रस्ट	त्रिशूर - 680003
67.	विकलांगों के लिए कौशल विकास केंद्र- समदृष्टि, कोषिकोड	673002	14.12.2022	18.00	CSR00036053	समदृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट	चालापुरम, कोषिकोड - 673002
68.	विवेकतीर्थम, रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, कोलकाता में मानव उत्कृष्टता निर्माण के लिए सहायता।	711202	07.02.2023	20.00	CSR00002806	रामकृष्ण मिशन	पी ओ बेलूर मठ, हावड़ा- 711202
69.	परंबिकुलम टाशार रिजर्व, परंबिकुलम पालक्काड के लिए पशु बचाव वाहन की खरीद।	678661	19.11.2022	15.00	CSR00012019	परंबिकुलम टाशार संरक्षण फाउंडेशन	अनाप्पाडी, तन्कडुवी पी ओ, परंबिकुलम, पालक्काड - 678661

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
70.	महाराष्ट्र के सिंदखेड राजा में महिलाओं और बच्चों के लिए जिजाऊ सृष्टि अस्पताल का चरण 2	443203	28.12.2022	20.00	लागू नहीं	जिजाऊ सृष्टि मातृतीर्था सिंदखेड राजा बुलदाना - 443203	
71.	बेथलेहम अभयभवन चैरिटेबल सोसाइटी, कूवपडी, एर्णाकुलम के लिए नई इमारत।	683544	31.01.2023	20.00	CSR00016380	बेथलेहम अभयभवन चैरिटेबल सोसाइटी	कूवपडी, एर्णाकुलम - 683544
72.	योगिनीमाता सेवाकेंद्रम, चूलूर, त्रिशूर में बुजुर्ग लोगों के लिए नई इमारत।	680567	23.03.2023	20.00	CSR00028022	योगिनीमाता सेवाकेंद्रम	पी ओ चूलूर, त्रिशूर - 680567
73.	जेएमपी मेडिकल सेंटर, पिरवम, एर्णाकुलम का बुनियादी ढांचा उन्नयन।	686664	11.01.2023	20.00	CSR00022460	पैकोमियोस शैक्षिक और चारिटेबल एनलाइटमेंट फाउंडेशन, जेएमपी मेडिकल केंद्र	पिरवम, एर्णाकुलम - 686664
74.	कुसाट परिसर, कलमशशेरी, एर्णाकुलम में चिकित्सा केंद्र का निर्माण।	682022	23.01.2023	20.65	CSR00040361	कुसाटेक फाउंडेशन	कुसाट, कोच्ची - 682022
75.	सीडब्ल्यूडीआरएम/ केएससीएसटीई द्वारा एसपिरेशनल जिला, वयनाड में आदिवासी बस्ती में जल संरक्षण।	673571	28.12.2022	12.50	CSR00042039	जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूडीआरएम)	कुन्नमंगलम, कोयिकोड - 673571
76.	तेरुवोर प्रवर्तका असोसिएशन, पट्टनकाड, आलपुषा के लिए आश्रय गृह का निर्माण।	688531	07.02.2023	22.50	CSR00022500	तेरुवोर प्रवर्तका असोसिएशन	पट्टनकाड, आलपुषा - 688531
77.	श्री परमेश्वरी मातृसदनम, कन्नारा, त्रिशूर में पहली मंजिल का निर्माण	680652	02.12.2022	25.00	CSR00020652	श्री परमेश्वरी ग्राम सेविका समिति	16/190ए, कन्नारा पी ओ, त्रिशूर - 680652
78.	श्री सरस्वती विद्या मंदिर, पेरुवा, कोट्टयम में योगा हॉल का निर्माण।	686610	14.03.2023	30.00	CSR00019398	श्री सरस्वती शैक्षिक ट्रस्ट	करिकोड पी ओ, पेरुवा, कोट्टयम - 686610
79.	कस्तूबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट मेडिकल केंद्र, नेडुपुषा, त्रिशूर में वृद्धाश्रम के लिए भवन का निर्माण।	680007	27.01.2023	27.00	CSR00011945	कस्तूबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट	नेडुपुषा पी ओ, त्रिशूर - 680007
80.	पेलिकन केंद्र काजिरमट्टम- प्रशामक देखभाल भवन और स्ट्रेचर लिफ्ट सुविधा।	682317	11.03.2023	30.00	CSR00022730	पेलिकन केंद्र	काजिरमट्टम, एर्णाकुलम - 682317

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
81.	देवाश्रयम स्पेशल स्कूल, पालक्काड का बुनियादी ढांचा उन्नयन	678007	17.02.2023	27.00	CSR00038938	देवाश्रयम चैरिटेबल ट्रस्ट	पालक्काड - 678007
82.	केरल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, कुड्यतुर, इडुक्की के लिए छात्रावास भवन के निर्माण के लिए सहायता।	695035	09.02.2023	15.00	CSR00020312	केरल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड	तिरुवनंतपुरम - 695035
83.	रुमिनी स्मृति ट्रस्ट कडंगल्लूर, एर्णाकुलम द्वारा एक परियोजना-महिलाओं के लिए अभयम, ट्रांसिट आश्रय गृह का निर्माण।	683102	30.11.2022	28.00	CSR00011313	रुमिनी स्मृति ट्रस्ट	कडंगल्लूर, एर्णाकुलम - 683102
84.	भगवान महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर में पूरी तरह सुसज्जित कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग वाहन की खरीद।	302017	21.01.2023	31.50	CSR00005954	भगवान महावीर कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र	जयपुर - 302017
85.	कोच्ची कॉर्पोरेशन में मैनहॉल सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक	682018	03.01.2023	39.52	CSR00022791	विरासत, पर्यावरण और विकास केंद्र सी-हेड	निगम भवन, कचेरीपट्टी, कोच्ची-682018
86.	केरल प्रबंधन एसोसिएशन (केएमए), एर्णाकुलम के लिए प्रबंधन विकास केंद्र का निर्माण।	682036	30.12.2022	40.00	CSR00019002	केरल प्रबंधन एसोसिएशन	एर्णाकुलम - 682036
87.	डिजिटल सक्षमता कार्यक्रम के माध्यम से न्यूरो डायवर्जेंट व्यक्तियों के लिए कौशल विकास और रोजगार- कल्याण सेवाएं एर्णाकुलम सहृदय	682019	30.08.2022	27.00	CSR0003167	कल्याण सेवा सोसाइटी	एर्णाकुलम - 682019
88.	कण्णूर जिला पंचायत- 3 सामुदायिक भवनों का निर्माण।	670002	23.11.2022	40.50	CSR00015937	जिला पंचायत कण्णूर	सिविल स्टेशन पी ओ, कण्णूर-670002
89.	त्रिशूर- संजीवनी समिति, उरकम, त्रिशूर में लडकों के लिए नई इमारत।	680562	10.11.2022	45.00	CSR00033092	संजीवनी समिति	चेरुप, उरकम पी ओ, त्रिशूर जिला - 680562
90.	नूतन गुलगुले फाउंडेशन, थाना, महाराष्ट्र में विशेष विद्यालय के लिए दो मजिलों का निर्माण।	400069	28.02.2023	45.00	CSR00019552	नूतन गुलगुले फाउंडेशन	थाना - 400069

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	शुरू होने की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई (₹ लाखों में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
91	सौख्यम चैरिटेबल ट्रस्ट, कोच्ची नगर क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में ओपन एयर जिम	682017	08.03.2023	55.00	CSR00003267	सौख्यम चैरिटेबल ट्रस्ट	एर्णाकुलम - 682017
92.	दिवंगद- टीआईपीकेआई गुवहाटी में विभिन्न स्कूलों में जल उपचार संयंत्रों की स्थापना।	781006	06.02.2023	58.50	CSR00031155	टीआईपीकेआई	गुवहाटी, असम - 781006
93.	इडमालकुडी सरकारी जनजातीय स्कूल- निर्मिती केंद्र, इडुक्की में नए क्लास रूमों का निर्माण।	685603	13.01.2023	59.40	CSR00044319	जिला निर्मिती केंद्र	इडुक्की - 685603
94.	श्रीवल्सम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एडपाल मलप्पुरम में ट्रोमा केयर सेंटर के लिए सहायता	680001	30.11.2022	62.00	CSR00007802	श्रीवल्सम शैक्षिक ट्रस्ट	त्रिश्यूर - 680001
95.	नागालैंड के विभिन्न जिलों में पेयजल सुविधा स्थापित करना	797001	24.11.2022	72.00	CSR00024598	नागालैंड का निवेश और विकास प्राधिकरण (आईडीएन)	कोहिमा, नागालैंड - 797001

अनुलग्नक - IV

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, एम जी रोड

एर्णाकुलम केरल - 682015

हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (बाद में कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा एक तरीके से आयोजित किया, जो निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए और इसमें हमारी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए रखे अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी को ऐसे तरीके में और इसके बाद किए रिपोर्टिंग के अधीन इस हद तक उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है:

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की:

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- ii. प्रतिभूति ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम और इसके अधीन बनाए गए उपनियम;
- iv. विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी सीधा निवेश, समुद्रपार सीधा निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार राशियों की सीमा तक

इसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

- v. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और मार्गनिर्देश:-

क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ('सेबी एलओडीआर विनियम')

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

च. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित है (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है, और

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीदी) विनियम, 2018, (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।)

vi. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा निर्देश, 2010 ('सीजी मार्गनिर्देश')

vii. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीयता पर दिशानिर्देश

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है:

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यवृत्त और कार्यवृत्त विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, और बैठक से पहले कार्यवृत्त मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद होती है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालनेवाली निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं / कार्यवाहियां थीं।

(i) दिनांक 29.09.2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 3.75 रुपये के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी;

(ii) निदेशक मंडल ने दिनांक 10.11.2022 को आयोजित अपनी बैठक में 7 रु. प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी; और

(iii) निदेशक मंडल ने दिनांक 10.02.2023 को आयोजित अपनी बैठक में 7/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

साझेदार

पीसीएस सं.: 5782

सीपी सं.: 2486

स्थान : मुंबई

दिनांक : मई 19, 2023

यूडीआईएन : F005782E000337102

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे समतिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक क

सेवा में

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, कोच्ची

एर्णाकुलम, केरल - 682015

सम-तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पठा जाना है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं हमने जिन प्रक्रियाओं को प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बहियों की लेखा की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से अभिवेदन प्राप्त किया है।
5. कार्पोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. प्रपत्र सं. एमआर-3 में हमारे सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु vi और vii में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दायर की गई बहियों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में, उक्त विनियमों का अपेक्षाओं के पालन एवं अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच विभिन्न रूपों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों के फाइलिंग के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने के लिए सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न अधिकारियों के साथ दायर करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री शुद्धता और व्याप्ति को सत्यापित नहीं किया है।
7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

साझेदार

पीसीएस सं.: 5782

सीपी सं.: 2486

यूडीआईएन : F005782E000337102

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकुणी नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

स्थान : मुंबई

दिनांक : मई 19, 2023

कोच्ची

मई 19, 2023

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी की धारणा

- कोचीन शिपयार्ड एक आदर्श कार्पोरेट के रूप में प्रकट होने के लिए निगमित शासन का महत्व पहचानते हैं। कंपनी ने नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया है जो बड़े पैमाने पर समाज और विभिन्न पणधारियों अर्थात् शेयरधारकों, लेनदारों, ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से अपनाया है। सीएसएल दृढ़ता से मानता है कि कंपनी केवल अच्छी और ठोस निगमित प्रशासन सिद्धांतों के माध्यम से ही एक मजबूत वैधिक नेता के रूप में उभर सकता है। लगातार पिछले कुछ सालों से कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निगमित शासन कार्यों में “उत्कृष्ट” दर्जा दिया गया है।

निदेशक मंडल

- कोचीन शिपयार्ड के निदेशक मंडल एक अच्छा निगमित शासन सुनिश्चित करने में एक अच्छा भूमिका निभाती हैं। कंपनी के बोर्ड के संयोजन कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 ('सेबी लिस्टिंग विनियम') के प्रावधानों द्वारा शासित है। दिनांक 31 मार्च 2023 के वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि पर बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है।

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी आई एन)	निदेशकों की श्रेणी
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री बिजोय भास्कर ⁽¹⁾	08103825	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक (वित्त)
4.	श्री श्रीजित के नारायणन ⁽²⁾	09543968	निदेशक (प्रचालन)
5.	श्री संजय बंधोपाध्याय आईएसएस ⁽³⁾	00088957	अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक, भारत सरकार
6.	श्री विक्रम सिंह ⁽⁴⁾	09191857	अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक, भारत सरकार
7.	श्री राजेश कुमार सिन्हा आईएसएस ⁽⁵⁾	05351383	अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक, भारत सरकार
8.	श्री ज्योतिलाल के आर आईएसएस ⁽⁶⁾	01650017	अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक, केरल सरकार
9.	श्री बिजु प्रभाकर आईएसएस ⁽⁷⁾	03093072	अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक, केरल सरकार
10.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	09415405	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
11.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	09419082	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
12.	श्री अशोक शर्मा	09414565	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
13.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	01351097	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
14.	श्री वेंकटेशन एम	07667728	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
15.	श्री अभिजीत बिसवास	09419083	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

(1) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एसवाई- 11012/1/2022 - सीएसएल दिनांक फरवरी 15, 2023 द्वारा श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825) के निदेशक (तकनीकी) के रूप में विस्तार अप्रैल 05, 2023 तक से अगली अवधि के लिए उनकी अधिवर्षिता तक यानि मई 31, 2025, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संबंधी कार्यकाल बढ़ा दिया है।

(2) भारत सरकार के पत्तन,पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय ने पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2020-सीएसएल,दिनांक 21 जुलाई 2022 द्वारा श्री श्रीजित के नारायणन, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत) को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया।

(3) व (4) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017 - सीएसएल जुलाई 28, 2022 के ज़रिए श्री संजय बंधोपाध्याय आईएसएस के स्थान पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव (पोत परिवहन, पीएचआरडी एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

श्री विक्रम सिंह भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1997 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है।

(4) व (5) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017 - सीएसएल, नवंबर 21, 2022 के ज़रिए श्री विक्रम सिंह के स्थान पर श्री राजेश कुमार सिंह आईएसएस, अतिरिक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को सीएसएल के सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

(6) व (7) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017 - सीएसएल दिनांक 02 जनवरी 2023 को श्री ज्योतिलाल के आर आईएसएस के स्थान पर श्री बिजु प्रभाकर आईएसएस, सचिव, परिवहन भवन, केरल सरकार को सीएसएल के सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नियुक्त किए गए और 31 मार्च 2023 तक निदेशक पद धारण करने वाले विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति सहित इन निदेशकों की रूपरेखा वार्षिक रिपोर्ट के पहले भाग में दी गई है। इन निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों और समिति पदों का विवरण नीचे 'अन्य निदेशकों और समिति पदों' शीर्षक के तहत प्रदान किया गया है।

- निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रकटीकरण : शून्य
- कंपनी के निदेशकों में से कोई भी दस से अधिक समितियों में सदस्य नहीं थे या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते थे, जिसमें वह एक निदेशक है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकता धारित नहीं करते हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए संगत नियमों के साथ पठित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड/ समिति की बैठकों में निदेशक की भागीदारी सुविधाजनक बनाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बैठकों में भाग लेने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है और निदेशकों ने जहां भी आवश्यक हो उक्त सुविधा का उपयोग किया है।
- निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें सेबी लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट तरीके में आयोजित की गई है।

बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान छह बोर्ड बैठकें हुई थी। बोर्ड बैठकों और एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण नीचे दिया जाता है :

	बोर्ड बैठक						एजीएम
	2022					2023	2022
	मई 20	जुलाई 18	अगस्त 10	अक्तूबर 14	नवंबर 10	फरवरी 10	सितंबर 29
श्री मधु शंकुण्णी नायर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां*	जी हां	जी हां*
श्री बिजोय भास्कर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां*
श्री जोस वी जे	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री श्रीजित के नारायणन	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	जी हां*	जी हां*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री विक्रम सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां*	जी नहीं	जी नहीं	लागू नहीं	जी नहीं
श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां*	लागू नहीं
श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी नहीं	जी नहीं	लागू नहीं	जी नहीं
श्री बिजु प्रभाकर आईएएस	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां	लागू नहीं
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	जी हां	जी हां	जी हां*	जी हां*	जी हां	जी हां	जी हां*
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां*	जी हां	जी हां	जी हां*
श्री अशोक शर्मा	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां	जी हां*
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	जी हां*	जी हां*	जी हां	जी हां*	जी हां	जी हां*	जी हां*
श्री वेंकटेशन एम	जी हां*	जी हां	जी हां	जी हां*	जी हां*	जी हां	जी हां*
श्री अभिजीत बिसवास	जी हां*	जी हां*	जी हां	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां*

*इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया

अन्य निदेशकता और समिति पद

8. दिनांक 31 मार्च 2023 की तिथि पर निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/ अध्यक्षता का पद नीचे दिया जाता है:

निदेशक का नाम	अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अन्य निदेशकता की संख्या		अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अन्य बोर्ड समिति पद		अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है	सूचीबद्ध इकाई में निदेशकता की श्रेणी
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य		
श्री मधु शंकुणी नायर	2	2	-	-	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	2	-	-	-	-
श्री जोस वी जे	-	2	-	-	-	-
श्री श्रीजित के नारायणन	-	2	-	-	-	-
श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस	-	2	-	-	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	नामिति निदेशक
श्री बिजु प्रभाकर आईएएस	-	4	-	1	कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड	नामिति निदेशक
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	-	-	-	-	-	-
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	-	-	-	-	-	-
श्री अशोक शर्मा	-	-	-	-	-	-
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	-	-	-	-	-	-
श्री वेंकटेशन एम	-	-	-	-	-	-
श्री अभिजीत बिसवास	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी

- (i) ऊपर उल्लिखित अनुसार निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों में एवजी निदेशकता और निदेशकता शामिल नहीं है।
- (ii) केवल सभी सार्वजनिक कंपनियों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों और हितधारक की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता विचार किया गया है।
9. निम्नलिखित को छोड़कर कोई भी निदेशक को दिनांक 31 मार्च 2023 की तिथि पर कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है:

निदेशक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
श्री मधु शंकुणी नायर	1400
श्री बिजोय भास्कर	510

दिनांक मार्च 31, 2023 को निदेशक बोर्ड के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता का चार्ट

क्र. सं.	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	श्री मधु शंकरणी नायर	श्री बिजोय भास्कर	श्री जोस वी जे	श्री श्रीजित के नारायणन	श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस	श्री बिजु प्रभाकर आईएएस	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत सात्व	श्री नाहर सिंह माहेस्वरी	श्री अशोक शर्मा	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	श्री वेंकटेशन एम	श्री अभिजीत बिसवास
1.	पोत निर्माण/ मरम्मत उद्योग अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां							
2.	पोत निर्माण/ मरम्मत क्षेत्र का ज्ञान	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
3.	लेखा ज्ञान	जी हां		जी हां		जी हां	जी हां			जी हां	जी हां		जी हां
4.	वित्तीय/ निवेश ज्ञान	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां			जी हां	जी हां		जी हां
5.	कानून			जी हां		जी हां	जी हां		जी हां		जी हां		
6.	विपणन अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां						जी हां		जी हां
7.	सूचना प्रौद्योगिकी	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां				जी हां		
8.	जोखिम प्रबंध प्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां					
9.	मानव संसाधन प्रबंधन अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
10.	कार्यनीति/कॉर्पोरेट योजना विकास और कार्यान्वयन	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां						
11.	अन्य सूचीगत कंपनियों में निदेशक पद का अनुभव					जी हां	जी हां						
12.	असूचीगत कंपनियों में निदेशक पद का अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां				जी हां	जी हां	
13.	अखण्डता और उच्च नैतिक मानक	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
14.	नेतृत्व कौशल	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
15.	सामाजिक कल्याण अभिविन्यास	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
16.	सरकारी संबंधों से अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

स्वतंत्र निदेशक

10. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू में 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए की जाती है। नियुक्ति की मुख्य शर्तें <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent> पर देखी जा सकती है।

11. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचितिकरण कार्यक्रम आम तौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति बैठकों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर अविरत आधार पर अद्यतन किया जाता है:

- उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है।
- कंपनी के विभिन्न व्यापार प्रभागों के व्यापार परिस्थिति और संचालनात्मक मॉडल जिसमें भविष्य के महत्वपूर्ण विकास शामिल है।

- कंपनी पर प्रभाव वाले नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव।

12. स्वतंत्र निदेशकों को परिचितिकरण कार्यक्रम का विवरण <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent> में प्राप्त किया जा सकता है।

13. बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी सिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान प्रबंधन से स्वतंत्र थे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 26 मार्च, 2023 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी और सभी स्वतंत्र निदेशक बैठक में उपस्थित थे:

बोर्ड के सदस्यों को सूचना की उपलब्धता

15. कंपनी के भीतर की तथा कर्मचारी की जानकारी प्राप्त करने के लिए बोर्ड को पूरा अधिकार है। बोर्ड के बैठकों में कार्यपालकों जिनको बैठक में चर्चा की जानेवाली मद संबंधी अतिरिक्त अंतर्दृष्टि दी जा सकती है, की उपस्थिति स्वागत करती है। बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए साधारण रूप से आवश्यक जानकारीयों में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल करना है:
 - क शेयरों पर अभुक्त पैसे के संबंध में शेयरधारकों को निर्देश देना।
 - ख प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को प्राधिकृत करना।
 - ग भारत और विदेश में ऋण पत्र सहित प्रतिभूतियों को जारी करना।
 - घ पैसा उधार में लेना।
 - ङ कंपनी की निधियों का निवेश।
 - च ऋण के संबंध में प्रतिभूति प्रदान करना या गारंटी देना या ऋण मंजूर करना
 - छ वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन करना।
 - ज कंपनी के व्यापार में विविधता लाना।
 - झ समामेलन, विलय या पुनर्निर्माण का अनुमोदन करना।
 - ञ कंपनी का बदलाव, या किसी अन्य कंपनी में एक नियंत्रित लाभ या पर्याप्त शेयर प्राप्त करना।
 - ट मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या हटाव।
 - ठ आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति।
 - ड निदेशकों के हित में सामान्य सूचनाएं।
 - ढ़ बोर्ड समितियों के विचारार्थ विषय
 - ण लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, परिचालन के जरिए पारित संकल्प और सहायक कंपनी की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त भी।
 - त व्यापार, पूंजी बजट और किसी आधुनिकीकरण की वार्षिक प्रचालन योजनाएं।
 - थ कंपनी और इसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों की तिमाही परिणाम।
 - द लाभांश की घोषणा।
 - ध सामग्री, निवेश तथा संपत्ति की बिक्री जो कारोबार के सामान्य प्रक्रिया में नहीं है।

- न विदेशी मुद्रा विनिमय की अवस्थिति विनिमय दर की प्रतिकूल गति के जोखिम सीमित करने के लिए प्रबंध द्वारा लिए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण है, का तिमाही विवरण।
- प आंतरिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों तथा बाह्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (लेखा परीक्षा समिति के जरिए)
- फ कारोबार जोखिम विवरणों की स्थिति, उसके प्रबंध और संबंधित क्रिया योजनाएं।
- ब किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौता का विवरण।
- भ कारण दिखाने, माँग, अभियोजन सूचनाएं और दंड सूचनाएं जो वस्तुतः महत्वपूर्ण है।
- म घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरात्मक घटनाएं, किसी भी द्रव्यात्मक स्रव अथवा प्रदूषण समस्याएं।
- य कार्यान्वयन के लिए विचार किए तथा शुरू किए सभी नीति संबंध मामलाएं।
- र कंपनी को या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त और भुगतान तथा कंपनी को या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई सामग्री डिफोल्ट है।
- ल कोई भी मुद्दे जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता के दावों शामिल हो, जो कंपनी के आधार पर पारित गुण-दोष व्यवस्था हो, या एक अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण लिए हो, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- व मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक पर जानकारी।
- श किसी भी नियामक का गैर अनुपालन, सांविधिक या सूचीकृत आवश्यकताएं तथा शेयरधारकों की सेवाएं अर्थात् लाभांश का गैर-भुगतान, शेयर स्थानांतरण में देरी आदि।
- ष महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं तथा उसके प्रस्तावित समाधान मानव संसाधन या औद्योगिक संबंधों जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन में किसी भी महत्वपूर्ण विकास।
- स पूंजीगत बजट और कोई भी अपडेट।
- ह लेनदेन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी, या बौद्धिक संपत्ति की ओर सारभूत भुगतान शामिल है।
- क्ष विदेशी मुद्रा अरक्षितता का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण है, के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।

पहले से वितरित बोर्ड सामग्री

16. आपातकालीन बैठकों को छोड़कर, प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठकों की सूचना पहले ही सात दिनों के भीतर सभी सदस्यों को भेज दी जाती है। सभी बोर्ड के सदस्यों की सहमति के साथ आपातकालीन बैठकों को छोड़कर, प्रत्येक बोर्ड बैठकों / समितियों के लिए कार्यसूची टिप्पणियां अध्यक्ष से परामर्श करके प्रारूपित और निश्चित कार्यसूची प्रपत्र में पहले ही सात दिनों के भीतर निदेशकों को परिचालित किया गया। बैठक में अर्थपूर्ण एवं संकेन्द्रित चर्चाओं की सुविधा के लिए सभी सामग्री की जानकारी शामिल किया है। जहाँ यह साध्य नहीं हो कि दस्तावेज को संलग्न करना कार्यसूची के साथ किसी उक्त विषय कार्यसूची के विषय के विशिष्ट संदर्भ के साथ पर रखे जाते हैं। विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति से कार्यसूची पर अतिरिक्त या पूरक मद (मर्दे) अनुज्ञप्त है।
17. सीएसएल ने अपनी बैठकों को एक बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर की शुरुआत से जैसे डेस डिजिटल बैठक, जो डिजिटल प्रारूप में बैठक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से सृजित करने, वितरित करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड और समिति के सदस्यों को सही समय पर और सुरक्षित रूप से सूचना प्राप्त होता है। यह बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यसूची दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने तक पूरी बैठक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे समय, प्रयास और लागत में बचत होगी और शासन में सुधार होगा।

बोर्ड एवं समिति बैठकों में कार्यवृत्त का कार्यवाहियों का अभिलेखन

18. प्रत्येक बोर्ड और समिति बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाहियों का अभिलेख कंपनी सचिव करता है। कार्यवृत्त का मसौदा बोर्ड/ समिति के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए बैठक की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर परिचालित करता है। अंतिम कार्यवृत्त बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करता है।

बैठक के बाद आगे की कार्यवाही तंत्र

19. बोर्ड / समिति बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तुरंत संबंधित विभागों/ प्रभागों को भी भेजी जाती है। प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति, जहां भी आवश्यक हो, आगामी बैठकों में बोर्ड /समिति को अवगत कराया जाता है।

अनुपालन

20. बैठक (बैठकों) की कार्यसूची पर टिप्पणी, कार्यवृत्त आदि तैयार करते वक्त लागू कानूनों तथा विनियमों का पालन आवश्यक है और यह सुनिश्चित

करने को कंपनी सचिव जिम्मेदार है जिसमें कंपनी अधिनियम, अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े और उसके तहत बनाए जारी नियमों और कंपनी सचिव सहित संस्थान द्वारा जारी की गई सचिवीय मानकों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भी शामिल हैं।

बोर्ड समितियां

21. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड में पांच सांविधिक समितियां थीं, जैसे, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व और सतत विकास समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति।

लेखा-परीक्षा समिति

22. सीएसएल की लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 21 अगस्त 2008 को किया गया था। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।

विचारार्थ विषय

23. लेखा-परीक्षा समिति का विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :
- (i) सूचीबद्ध संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसके वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण का निरीक्षण से यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
 - (ii) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के आदेश के आधार पर हमारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें।
 - (iii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों को उनके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की मंजूरी;
 - (iv) निम्न विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना:
- क. निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरण में शामिल करनेवाले अपेक्षित मामलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है,
 - ख. लेखांकन नीतियों और कार्यों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और वही के लिए कारण,
 - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां,

- घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय वक्तव्यों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,
- ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन,
- च. किसी भी संबंधी पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण
- छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।
- (v) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।;
- (vi) प्रबंधन के साथ, मुद्दे (सार्वजनिक मुद्दे, अधिकार मुद्दे, अधिमान्य मुद्दे आदि) के जरिए उठाए गए निधियों का उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, पेशकश दस्तावेज/विवरण-पुस्तिका/नोटिस में बताए गए कार्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त निधियों का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार मुद्दे के आय के उपयोग की जांच करते हुए निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट समीक्षा करना और इस मामले पर कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिश देना।
- (vii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभाविता की समीक्षा और जांच करना;
- (viii) संबंधी पार्टियों के साथ हमारी कंपनी के लेनदेन के लिए अनुमोदन या किसी आगामी संशोधन;
- (ix) अंतर-कॉरपरेट ऋण और निवेश की जांच;
- (x) जहां भी आवश्यक हो, हमारी कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- (xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- (xii) प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा करना;
- (xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना,
- (xiv) कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष के लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और इसपर अनुवर्ती कार्रवाई;
- (xv) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में जहां सामान प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या एक विफलता, पर कोई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को मामले के बारे में सूचित करना;
- (xvi) लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले, लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा विषय के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा साथ ही साथ विचार के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट-ऑडिट चर्चा;
- (xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर ध्यान दें;
- (xviii) पर्दाफाश तंत्र के कार्यों की समीक्षा करना;
- (xix) उम्मीदवार के योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए अनुमोदन;
- (xx) निम्नलिखित सूचना की समीक्षा:
- क. प्रबंधन चर्चा तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कार्रवाई के परिणाम,
- ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष के लेनदेन के महत्वपूर्ण विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित अनुसार)
- ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमियों का प्रबंधन पत्र/पत्रों,
- घ. आंतरिक लेखा कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और
- ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।
- च. विचलन का विवरण:
- i. निरीक्षण अभिकरण की रिपोर्ट सहित विचलन के तिमाही विवरण, यदि लागू हो, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32 (1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया है;
- ii. सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32 (7) के अनुसार पेशकश दस्तावेज/प्रोस्पेक्ट्स/नोटिस में बताए कार्यों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण;
- (xxi) नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा;

सांविधिक रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट

- (xxii) लागत लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक तय करने की सिफारिश करना;
- (xxiii) लेखापरीक्षा समिति नियंत्रित कंपनी जो 100 करोड़ से अधिक है, या नियंत्रित कंपनी के परिसंपत्ति आकार 10% से अधिक हो, जो भी कम हो, जिसमें इस प्रावधान लागू होने की तिथि को मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं, होलिंग कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से ऋणों और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करेगी।
- (xxiv) वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संशोधितानुसार, सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा।
- (xxv) सत्यापित करें कि आंतरिक नियंत्रण के लिए संशोधितानुसार अपेक्षित प्रणाली सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार बनाए रखा जाना आवश्यक है और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं : तथा
- (xxvi) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार अन्य किसी कार्यों को करना।
- ग) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाह्य कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना; और
- घ) यदि आवश्यक समझते हैं, तो संगत विशेषज्ञता सहित बाहरी आदमियों की उपस्थिति प्राप्त करना।
25. लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंध से संबंधित किसी मामले पर लेखा- परीक्षा समिति का सिफारिश, बोर्ड पर बाध्य होगा।
26. यदि बोर्ड लेखा-परीक्षा समिति के सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह इसका कारण अंकित करेगा और शेरधारकों को ऐसा कारण संसूचित करेगा।

गठन

27. दिनांक 31 मार्च, 2023 को, सीएसएल की लेखा परीक्षा समिति में श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन: 01351097), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्री अशोक शर्मा (डीआईएन: 09414565), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और श्री अभिजीत विश्वास (डीआईएन: 09419083) गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।
28. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त), सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि भाग लिया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक फर्म को बाह्यस्रोतीकृत किया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

लेखा-परीक्षा समिति का अधिकार

24. निम्नलिखित अधिकार समिति को सौंप दिया जाता है:
- क) अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधि का जांच करना।
- ख) किसी कर्मचारी पर और से सूचना तलाशना।

वर्ष 2022-23 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति

29. वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	2022				2023
		मई 20	अगस्त 10	अक्तूबर 14	नवंबर 10	फरवरी 10
1.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	जी हां*	जी हां	जी नहीं	जी हां	जी हां*
2.	श्री अशोक शर्मा	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां
3.	श्री अभिजीत बिसवास	जी हां*	जी हां	जी हां*	जी हां*	जी हां*

*इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भाग लिया।

नामांकन व पारिश्रमिक समिति

30. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पारिश्रमिक समिति, दिनांक 13 दिसंबर 2008 को स्वीकृत परिपत्र संकल्प के द्वारा गठित की गई। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 02 जनवरी 2023 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया।

विचारणीय विषय

31. नामांकन व पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:

- (i) कंपनी अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण करने के लिए वार्षिक बोनस/ निष्पादन भुगतान/ परिवर्तनीय पूल दिवस व नीति का निर्णय करना,
- (ii) अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों को प्रदान करने वाले परिलब्धियों और भत्ताओं के लिए योजना की संरूपण और संशोधन,
- (iii) अधिकारियों, असंघीकृत पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के किसी नई योजना जैसी चिकित्सा योजना, पेंशन आदि जैसे मामला हों, और

(iv) सेबी सूचीकरण विनियमों और अन्य किसी कानून के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपे गए अन्य भूमिकाओं और समय-समय पर इसके संशोधनों का प्रयोग करना।

गठन

32. दिनांक 31 मार्च, 2023 को, समिति में श्री अशोक शर्मा (डीआईएन: 09414565), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री बिजु प्रभाकर (डीआईएन: 03093072), सरकारी अंशकालिक निदेशक और श्री अभिजीत विश्वास (डीआईएन: 09419083) गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठकें तथा उपस्थिति:

33. वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन व पारिश्रमिक समिति की तीन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार था :

क्र. सं.	सदस्यों का नाम	मई 20, 2022	जुलाई 18, 2022	अगस्त 10, 2022
1.	श्री अशोक शर्मा	जी हां*	जी हां*	जी हां*
2.	श्री ज्योतिलाल के आर	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
3.	श्री बिजु प्रभाकर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	श्री अभिजीत विसवास	जी हां*	जी हां*	जी हां

*इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भाग लिया।

पारिश्रमिक नीति

34. कंपनी की संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निश्चित जैसे पारिश्रमिक निदेशकों को दिया जाएगा। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों को वेतन और भत्ते नियुक्ति की शर्तों, उपर्युक्त विषय में सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुरूप में और अन्य लाभ और परिलब्धियां सीएसएल के नियमों के अनुरूप में दिया जाता है। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय (पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित रूप में हैं। कामगारों का पारिश्रमिक प्रबंधन और मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के बीच दीर्घकालीन समझौता के अनुसार है।

35. पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम और पदनाम	कुल मूल वेतन, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते और अनुलब्धियां	कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी)	कुल
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	57.41	25.76	83.17
2.	श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	44.88	20.84	65.72

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम और पदनाम	कुल मूल वेतन, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते और अनुलब्धियां	कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी)	कुल
3.	श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त)	41.17	19.09	60.26
4.	श्री श्रीजित के नारायणन निदेशक (प्रचालन) (दि. जुलाई 21, 2022 से लागू)	44.14	12.60	56.74

टिप्पणियां

- (i) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र सं. एसवाई-11012/1/2020- सीएसएल के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 2022 को श्री श्रीजित के नारायणन को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया गया था।
- (ii) उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पीआरपी 2020-21 की अवधि से संबंधित है, जिसका भुगतान 2022-23 के दौरान किया गया है। पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पीआरपी कंपनी के सभी अधिकारियों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों पर लागू निष्पादन भुगतान योजना के अनुसार है, जिसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया है।
- (iii) पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का पारिश्रमिक, कार्यकाल और अन्य नियम व शर्तें सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक मंत्रालय (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) द्वारा जारी पत्र के अनुसार हैं। पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पद के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अनुबंध की अवधि से पहले सेवा छोड़ने के मामले में नोटिस की अवधि 3 महीने है या नोटिस अवधि के अभाव में, 3 महीने के वेतन का भुगतान किया जा सकता है।
- (iv) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

बैठक शुल्क

36. गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 25,000/- और समिति के प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 20,000/- की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>

37. वर्ष 2022-23 के लिए गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की बैठक शुल्क का भुगतान निम्नानुसार है :

क्र. सं.	नाम	शुल्क (रुपए में)
1.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	2,65,000.00
2.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	2,25,000.00
3.	श्री अशोक शर्मा	3,05,000.00
4.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	2,25,000.00
5.	श्री वेंकटेशन एम	1,65,000.00
6.	श्री अभिजीत विसवास	3,05,000.00

38. चूंकि भारत के राष्ट्रपति गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करते हैं, इसलिए ऐसे निदेशकों की निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

हितधारक संबंध समिति

39. दिनांक 20 सितंबर 2016 को आयोजित 227 वीं बोर्ड बैठक में संकल्प सं. 227/08 द्वारा हितधारक संबंध समिति, बोर्ड की एक उप-समिति, को गठित किया गया। तब से निदेशकों में परिवर्तन के कारण समिति का कई बार पुनर्गठन किया गया है और नवीनतम पुनर्गठन दिनांक 20 दिसंबर 2021 को किया गया था।

विचारणीय विषय:

40. हितधारक संबंधी समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:

- (i) कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/अंतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए/अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि शामिल हैं;
- (ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी कार्य के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;

(iii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जारी विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

(iv) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अदावे लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

गठन

41. दिनांक 31 मार्च, 2023 को, समिति में श्री वेंकटेशन एम (डीआईएन: 07667728), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित हितधारक की संबंध समिति की बैठकें और उपस्थिति

42. हितधारकों की संबंध समिति की एक बैठक 2022-23 के दौरान आयोजित की गई थी। इस बैठक में आवश्यक कोरम उपस्थित था। इस बैठक के दौरान उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	फरवरी 10, 2023
1.	श्री वेंकटेशन एम	जी हां
2.	श्री बिजोय भास्कर	जी हां
3.	श्री जोस वी जे	जी हां

अनुपालन अधिकारी का नाम, पदनाम और पता

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015
टेली : +91 (484) 2501306, फैक्स: +91 (484) 2384001
ईमेल: secretary@cochinshipyard.in, वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

दि. 31 मार्च 2023 की तिथि पर और सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 13(3) के तहत रिपोर्ट की गई निवेशक शिकायतों की स्थिति

दि. 01 अप्रैल 2022 की तिथि पर शिकायत	0
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	17
वित्तीय वर्ष के दौरान हल किया गया	17
शेयरधारकों के समाधान तक नहीं सुलझाया	0
दि. 31 मार्च 2023 की तिथि पर लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति

43. सीएसएल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 08 फरवरी 2019 को सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप किया गया था। तब से निदेशकों में बदलाव के कारण समिति का कुछ बार पुनर्गठन किया गया है और नवीनतम पुनर्गठन 14 अक्टूबर 2022 को हुआ था। समिति के गठन से पहले, बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर जोखिमों की समीक्षा की गई थी।

विचारार्थ विषय

44. निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन के विचारार्थ विषय हैं:

- साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम सहित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा;
- यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित जोखिम दस्तावेजीकरण तिमाही आधार किया जाता है।
- जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन प्रदान करें और निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करना। और
- ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

गठन

45. दिनांक 31 मार्च, 2023 को, समिति में श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी), श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) और श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 09543968) निदेशक (प्रचालन) सदस्य के रूप में शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें और उपस्थिति:

46. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समितिकी दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	सितंबर 21, 2022	मार्च 17, 2023
1.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	जी हां*	जी हां
2.	श्री बिजोय भास्कर	जी हां	जी हां
3.	श्री जोस वी जे	जी हां	जी हां
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	लागू नहीं	जी हां

*इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति

47. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 05 सितंबर 2008 को हुई 181 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड में एक उप समिति का गठन (संकल्प सं. 181/09 देखें) किया था।
48. दिनांक 23 नवंबर 2011 को हुई 197 वीं बोर्ड बैठक में धारणीय विकास समिति, बोर्ड के एक उप समिति गठित की गई। सीपीएसईयों में धारणीय विकास पर डीपीई ने का.ज्ञा.सं. 3(9)/2010- डीपीई (एमओयू) 23 सितंबर 2011 द्वारा धारणीय विकास पर विस्तृत दिशा निर्देशों जारी किया है।
49. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों से संबंधित मामलों को तय करने के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और धारणीयता विकास समिति को संविलीन करने हेतु निर्णय लिया था। तदनुसार, उपर्युक्त दो समितियों को दिनांक 08 मार्च 2013 के परिपत्र संकल्प के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति में विलय कर दिया गया था। तब से निदेशकों में परिवर्तन के कारण समिति का कई बार पुनर्गठन किया गया है और नवीनतम पुनर्गठन दिनांक 20 दिसंबर 2021 को किया गया था।

विचारार्थ विषय

50. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:
- (i) बोर्ड को सीएसआर और धारणीय विकास नीति सिफारिश करना।
 - (ii) कार्यवाई योजना और परियोजनाएं जो सीएसआर और धारणीय विकास के लिए अल्प, माध्यम और दीर्घ काल में शुरू करना है, सिफारिश करना।
 - (iii) वार्षिक सीएसआर व धारणीयता विकास योजना और बजट की सिफारिश करना।
 - (iv) सीएसआर और धारणीय विकास नीति, योजनाएं तथा बजटों का आवधिक समीक्षा।

गठन

51. दिनांक 31 मार्च, 2023 को, समिति में श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन: 09419082), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान हुई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति की बैठकें और उपस्थिति:

52. वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर एवं एस डी समिति की चार बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। इस बैठक की उपस्थिति नीचे दी हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	2022			2023
		मई 20	जुलाई 18	नवंबर 09	फरवरी 10
1.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
2.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
3.	श्री बिजोय भास्कर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
4.	श्री जोस वी जे	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

आम निकाय बैठकें

53. पिछली तीन वार्षिक आम निकाय बैठकों की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2021-22	सितंबर 29, 2022	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	7
2020-21	सितंबर 29, 2021	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	शून्य
2019-20	सितंबर 29, 2020	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	3

पोस्टल मतदान

54. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान डाक मतदान द्वारा कोई संकल्प नहीं दिया गया था।
55. आगामी एजीएम में किए जानेवाले प्रस्तावित व्यवसायों में से कोई भी को डाक मतदान के जरिए एक विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचार का माध्यम

56. सभी मूल्य संवेदनशील जानकारी और मामलाएं जो शेयरधारक के लिए महत्वपूर्ण हैं, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं को प्रकट किया जाता है। एक्सचेंजों को सभी प्रस्तुतीकरण संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।
57. तिमाही / अर्ध वार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए थे:

तिमाही/ अर्ध वार्षिक/ वार्षिक	महीने में
30 जून 2022 को समाप्त तिमाही	अगस्त
30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही/अर्ध वार्षिक	नवंबर
31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही	फरवरी
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मई

58. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक परिणाम, सामान्य बैठकों से संबंधित नोटिस और जानकारी इत्यादि प्रमुख समाचार पत्रों जैसे दि बिजनेस लाइन/बिज़नेस स्टैंडर्ड (अखिल भारतीय प्रकाशन), मातृभूमि (कोच्ची प्रकाशन) और जनसत्ता (सभी प्रकाशन) में प्रकाशित किए जाते हैं और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत अपेक्षित अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित किया जाता है।
59. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम और शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंजों को अन्य सूचना, अन्य बातों के साथ साथ, संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों, प्रेस विज्ञप्ति आदि कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in में 'निवेशक' अनुभाग में उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ बीएसई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के साथ भी फाइल किया जाता है।

सामान्य शेयरधारक जानकारी

60. वित्तीय वर्ष 2023 के लिए वार्षिक आम बैठक:

तिथि	समय	स्थान
सितंबर 28, 2023	11:00 बजे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी

61. वित्त वर्ष : अप्रैल 01, 2022 से मार्च 31, 2023 तक

लाभांश भुगतान

62. एजीएम में अनुमोदित होने पर दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश दि. 27 अक्तूबर 2023, शुक्रवार को या उसके बाद स्रोत पर कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा। कंपनी जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा और अन्य मामलों में लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी।
63. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	अंतिम लाभांश	अंतरिम लाभांश	
2022-23	3.00	01वीं 7.00	02वीं 7.00
2021-22	3.75	01वीं 6.00	02वीं 7.00
2020-21	2.50	01वीं 9.00	02वीं 4.00

शेयरों के सूचीकरण और स्टॉक कोड :

64. कंपनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और वर्ष 2022-23 के लिए सूचीबद्ध शुल्क स्टॉक एक्सचेंजों को चुकाया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों का नाम व पता	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड फिरोस जिजीभोई टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400 001	540678
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लासा, 5वां तल, बांद्रा-कुरला कोम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051	COCHINSHIP

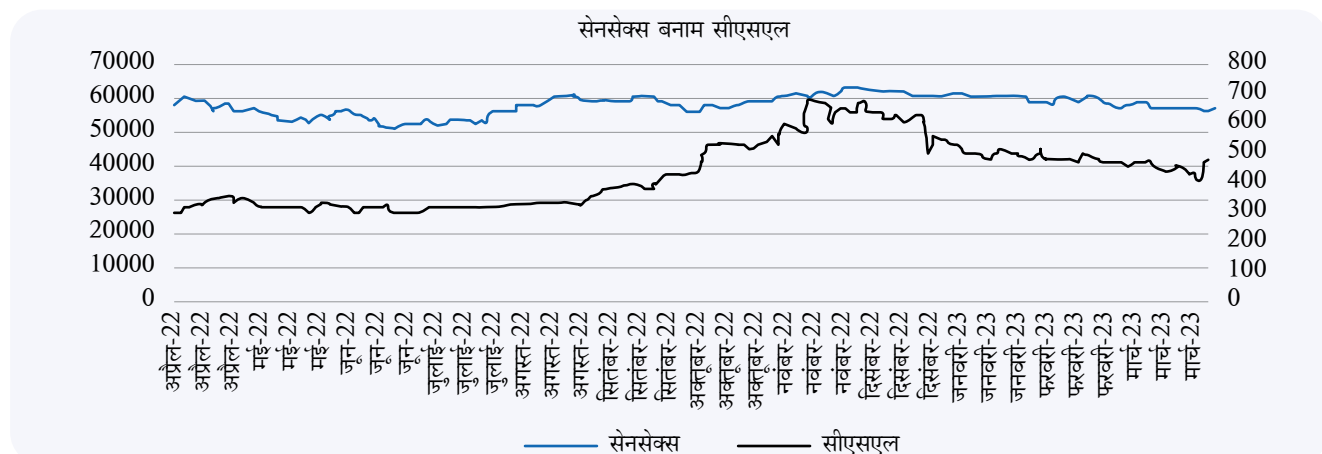
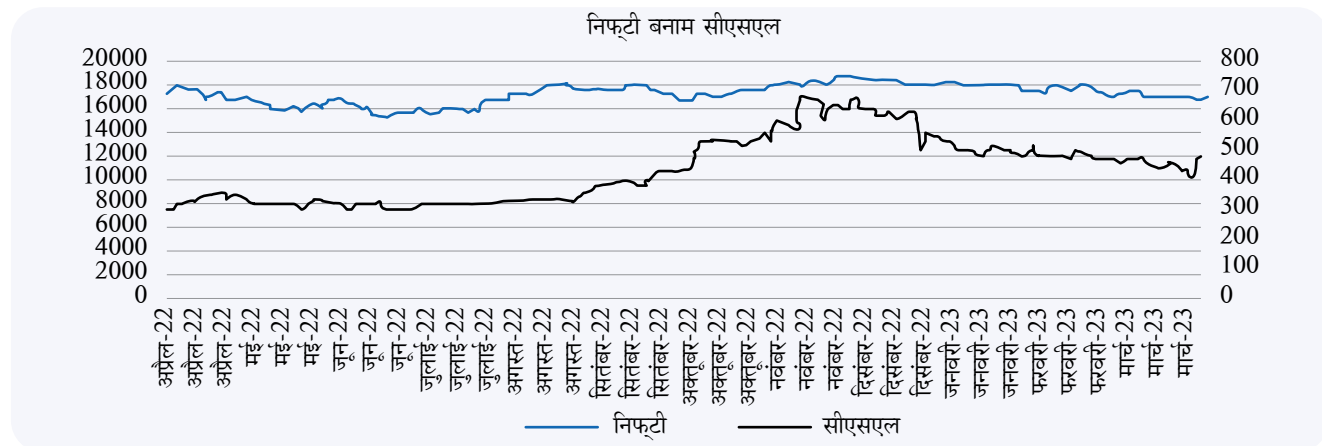
65. कंपनी के शेयरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) INE704P01017 है।

66. पिछले वित्त वर्ष के प्रत्येक महीने के दौरान (यानी समीक्षाधीन वर्ष) बाजार मूल्य डेटा- उच्च, निम्न:

व्यापार की गई शेयरों का मूल्य और मात्रा

माह/ वर्ष	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड		
	उच्च (₹)	कम (₹)	खंड (सं. लाख में)	उच्च (₹)	कम (₹)	खंड (सं. लाख में)
अप्रैल 2022	357.60	295.05	8.93	357.90	294.65	89.58
मई 2022	349.70	300.20	3.56	349.90	300.10	35.06
जून 2022	337.20	296.45	2.91	337.40	297.00	30.18
जुलाई 2022	333.95	307.30	1.23	334.00	307.15	15.71
अगस्त 2022	388.15	328.05	6.13	388.00	328.15	92.29
सितंबर 2022	444.45	370.20	19.10	444.80	371.20	279.87
अक्टूबर 2022	567.90	437.00	30.25	568.00	435.10	531.32
नवंबर 2022	684.00	535.40	33.64	684.40	538.65	636.16
दिसंबर 2022	686.80	491.85	21.67	687.00	491.80	346.50
जनवरी 2023	547.15	468.45	9.99	546.95	468.40	171.65
फरवरी 2023	522.55	450.00	7.77	522.45	450.00	107.04
मार्च 2023	496.10	411.00	8.16	496.70	410.40	137.27

व्यापक आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन



निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण

लागू नहीं

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए)

लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
सूर्या, 35, मईफ्लवर एवेन्यू ,
सेन्तिल नगर के पीछे,
सौरिपाल्यम रोड, कोयम्बतूर,
तमिलनाडु- 641 028
टेलि: 0422 2315792; फ़ैक्स: 0422 2314792
ई मेल: coimbatore@linkintime.co.in

शेयर ट्रांसफर सिस्टम

67. कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैट सूची में होने के कारण जमाकर्ता प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरणीय है।

शेयर होल्डिंग का वितरण

68. दि. 31 मार्च 2023 को फोलियो की संख्या के आधार पर शेयर होल्डिंग का वितरण

धारित शेयरों की संख्या	सदस्य		शेयर	
	संख्या	%	संख्या	%
1-500	166764	97.04	8720088	6.63
501-1000	2823	1.64	2185042	1.66
1001-2000	1213	0.71	1802677	1.37
2001-3000	352	0.20	897728	0.68
3001-4000	161	0.09	576966	0.44
4001-5000	131	0.08	611898	0.47
5001-10000	179	0.10	1327101	1.01
> 10000	221	0.13	115418890	87.74
कुल	171844	100.00	131540390	100.00

शेयरों और लिक्विडिटी का डिमैटीरियलाइसेशन

69. कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डिमैटीरियलाइस्ड रूप में व्यापार किया जाता हैं और दोनों जमाकर्ताओं यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल पर व्यापार के लिए उपलब्ध है।

धारित शेयरों की प्रतिशतता:	
प्रत्यक्ष रूप :	0.00
एनएसडीएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में :	89.84
सीडीएसएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में :	10.16

70. कंपनी के शेयर नियमित रूप से बीएसई और एनएसई पर व्यापार किया जाता है।

बकाया वैश्विक डिपोजिटरी खरीद (जीडीआर) या अमेरिकी डिपोजिटरी रसीद (एडीआर) या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कोई नहीं।

विदेशी मुद्रा जोखिम और गतिविधियों की प्रतिरक्षा

71. कंपनी को बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति और बाजार स्थितियों के आधार पर विदेशी मुद्रा अनावरण हेड किया जा रहा है।

सांविधिक रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट

72. कंपनी विदेशी मुद्रा बाजार में उतर चढ़ाव पर निरंतर निगरानी रख रही हैं और कार्यशील पूंजी प्रबंधन के भाग के रूप में क्रेता क्रेडिट आदि जैसे विदेशी मुद्रा उधारों के विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है। विदेशी मुद्रा अनावरण और हेडिजिंग स्थिति की अवस्था लेखा परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है।

संयंत्र स्थान

- पोत निर्माण व पोत मरम्मत सुविधा, पेरुमानूर, एर्णाकुलम जिला, कोच्ची- 682 015
- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा: मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, विल्लिंगडन आइलैंड, कोच्ची- 682 009
- इन्दिरा डॉक, मुंबई में पोत मरम्मत सुविधा
- नेताजी सुबाष डॉक, कोलकाता में पोत मरम्मत सुविधा
- मराइन डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत सुविधा

पत्राचार के लिए पता

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015
टेलि: +91 (484) 2501306, फेक्स: +91 (484) 2384001
ईमेल: secretary@cochinshipyard.in
वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

साख दर

दस्तावेज	आईएसआईएन	दर- निर्धारण
8.51% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07014	केयर रेटिंग और इंडिया रेटिंग द्वारा AAA
8.72% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07030	केयर रेटिंग और इंडिया रेटिंग द्वारा AAA

अन्य प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी लेनदेन

73. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई सारत; महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बड़े पैमाने पर संघर्ष थे या संघर्ष हो सकते थे। कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन की एक नीति है, जिसे निम्न लिंक पर प्राप्त कर सकता है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

74. पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं के संबंध में गैर-अनुपालन, एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति और परिणामी गैर-अनुपालन सहित, सांविधिक समितियों का गैर-गठन, अर्थात् लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति, के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) ने कंपनी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया है। बीएसई लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निगमित शासन आवश्यकताओं के संबंध में गैर-अनुपालन को छोड़कर लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया है, जिसके लिए कंपनी ने अभ्यावेदन दाखिल किया है। इस संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा है। उपरोक्त के अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/सख्ती नहीं लगाई गई है।

सतर्कता तंत्र और मुखबिर नीति

75. दिनांक 22 फरवरी 2012 को हुई बोर्ड के 198 वीं बैठक में अनुमोदित अनुसार कोचीन शिपयार्ड ने एक मुखबिर नीति को स्वीकार किया। कोचीन शिपयार्ड भारत सरकार का एक उपक्रम है और किसी भी अबैध या अनैतिक व्यवहार के रिपोर्ट पर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करता है। किसी भी नियमों का उल्लंघन, विनियमों या अनैतिक आचरणों के विवरण, निदेशकों/कर्मचारियों/हितधारकों/कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों को अपने तत्काल पर्यवेक्षक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता दी जाती है। निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए ऐसी रिपोर्टिंग की गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्य है और सुनिश्चित करें कि पर्दाफाश किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के अधीन नहीं रहा। रिपोर्टाधीन अवधि में किसी कार्मिक ने लेखा परीक्षा समिति को प्रवेश निषेध नहीं किया गया है। दिनांक 14 दिसंबर 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में बोर्ड ने अपनी मुखबिर नीति में संशोधन किया। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, सीएसएल ने 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति को अपनाया। कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर उक्त पॉलिसी उपलब्ध है।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता

76. कंपनी को भारत के प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में अपने नामित व्यक्तियों के लिए अंतरंगी व्यापार के रोकथाम हेतु एक आचरण संहिता है। कोड दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हैं, जो कंपनी के शेयरों के लेनदेन के समय और उल्लंघनों के परिणामों की चेतावनी देते समय प्रक्रियाओं का पालन करना और प्रकटन किया जाना चाहिए के संबंध में उन्हें सलाह देते हैं। अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट पत्र होस्ट की जाती है और निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

अनिवार्य अपेक्षाएं

77. सभी लागू निगमित कानूनों, नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तिमाही आधार पर कंपनी द्वारा बोर्ड के सामने उनकी जानकारी एवं समीक्षा के लिए रखी जाती है। कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 के विनियम 17 से 27 तक और उप विनियम (2) के खंड (ख) से (i) में विनिर्दिष्ट अनुसार निगमित शासन संहिता के सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है।

गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

78. कंपनी ने निगमित शासन से संबंधित लिस्टिंग विनियमों के निम्नलिखित गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसूची II के भाग ई के साथ पढ़े गए विनियम 27 (1) में सूचीबद्ध गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई लेखापरीक्षा योग्यता नहीं है। कंपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती रही है।

सहायक कंपनी

79. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16 एक भौतिक सहायक को एक सहायक कंपनी के रूप में निर्धारित करता है, जिसकी आय या निवल मूल्य तुरंत पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में सूचीबद्ध कंपनी और उसके सहायक कंपनी के क्रमशः समेकित आय या निवल मूल्य के 10% से अधिक है। इस परिभाषा के तहत, कंपनी को भारत में निगमित कोई असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

80. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ कार्य करते हुए दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। हालांकि, दिनांक 01 नवंबर 2019 से एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण

स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है। इसके अलावा, कंपनी ने दिनांक 15 सितंबर 2020 से सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) का अधिग्रहण कर लिया है। तदनुसार, टीएसएल दिनांक 15 सितंबर 2020 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। इसके बाद 22 अप्रैल 2022 से टीएसएल का नाम बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) कर दिया गया।

81. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16(1) (सी) के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार की है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब लिंक पर प्रकाशित किया गया है : https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

निगमित शासन दिशा निर्देशों की आवश्यकता की अनुसार अनुपालन का विवरण:

82. निगमित शासन के डीपीई दिशा निर्देश के संदर्भ में इस रिपोर्ट के लिए निगमित शासन दिशा निर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में प्राकटीसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में रखा गया है।

चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देशों की विवरण तथा उसके अनुपालन:

83. कंपनी ने पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देश की अनुपालन किया है।

84. खाते की पुस्तकों में व्यय का मदों लिखा गया है, जो व्यापार के प्रयोजनों के लिए नहीं है : शून्य

85. किए गए खर्च, जो व्यक्तिगत है और उच्चतम प्रबंधन और बोर्ड निदेशकों के लिए है : शून्य

86. वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय कुल व्यय के 2.59% था तो 2021-22 में 1.73% था। वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय व्यय कुल व्यय के 1.57% था जो पिछले साल में 1.75% था।

87. व्यवहार में, कंपनी सचिव के एक प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक सेबी/कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय/ या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र को इस रिपोर्ट में अनुलग्नक II में संलग्न किया है।

88. कंपनी ने मेसर्स आनंद एंड पोन्नप्पन, कंपनी सेवा प्रदान करनेवाले सांविधिक लेखापरीक्षक और नियंत्रित कंपनियों को ₹ 29 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

क. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	शून्य
ख. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	शून्य
ग. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

आचरण संहिता

89. बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध को एक आचरण संहिता ('संहिता') निर्धारित किया है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों को वर्ष 2022-23 के लिए इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। संहिता कंपनी के वेबसाइट में होस्ट किया गया है https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।

90. कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई एक घोषणा नीचे दिया गया है:

मैं एतद्वारा पुष्टि करती हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों, से अभिपुष्टि प्राप्त की है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंध के लिए आचार संहिता के साथ अनुपालन किया है।

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

91. वर्ष, के लिए वित्तीय विवरणी का सीईओ/सीएफओ प्रमाणन अनुलग्नक III में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

जोखिम प्रबंध प्रक्रिया

92. सीएसएल ने मौजूदा जोखिम प्रबंध नीति की समीक्षा की और दिनांक 12 फरवरी 2021 को आयोजित बोर्ड की 259 वीं बैठक में जोखिम प्रबंध की एक व्यापक प्रणाली को शामिल करते हुए एक संशोधित नीति को अपनाया। नए जोखिम प्रबंध नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) जोखिम प्रबंध दूरदर्शिता विवरण :संगठनात्मक जोखिमों को एक स्वीकार्य स्तर तक कम करें और जोखिम प्रबंध कार्यों को अपनाए जिससे कंपनी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब उसी समय जोखिम की कमी सुनिश्चित होती है।

(ii) जोखिम प्रबंध नीति:

(क) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, जोखिमों को रोकने और समय पर जोखिमों का पता लगाना सुनिश्चित करने की कंपनी की क्षमता को सुधारने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) जोखिम और उसके समान की पहचान करना।

(ग) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाना है।

(घ) जोखिम की सूचना का आदान प्रदान सुगम करें।

93. जोखिम प्रबंध नीति, एक प्रभावी जोखिम प्रबंध ढाँचा और एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। कोचीन शिपयार्ड के प्रबंधन समय समय पर विविध जोखिमों की पहचान करेंगे और कंपनी पर उनके प्रभाव का विश्लेषण का आकलन करेंगे। जोखिम का शमन और प्रबंध उपायों को, इन जोखिमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। बोर्ड व्यापार माहौल में परिवर्तन के साथ नीति को श्रेणीबद्ध करने के लिए समय समय पर परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन देंगे।

जोखिम प्रबंध प्रणाली और संरचना

94. बोर्ड ने सीएसएल के भीतर जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। बोर्ड आवधिक अंतराल पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सीएसएल बोर्ड स्तर को और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों शामिल सीएसएल प्रबंधन को जोखिम प्रबंध प्रक्रिया के कार्यान्वयन साथ जोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में सीएसएल में नीति को कार्यान्वित करने के लिए जोखिम प्रबंध समितियों और जोखिम प्रबंध संचालन समितियों को गठित की गई।

95. सीएसएल द्वारा किए गए व्यापार की विशेष प्रकृति के कारण, यह अपने माल से संबंधित जोखिमों दूर करता है :

96. पूरे वर्ष में संस्था द्वारा सामना की जानेवाली माल और माल जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजर :

क. माल में सूचीबद्ध इकाई का कुल अनावृत्ति (आईएनआर में):
₹ 36.41 करोड़

ख. विविध मालों के सूचीबद्ध का अनावृत्ति:

माल का नाम	विशेष माल की ओर आईएनआर में अनावृत्ति	विशेष माल की ओर मात्रा के संदर्भ में अनावृत्ति	माल व्युत्पन्नों के जरिए हेड्ज किए अनावृत्ति का प्रतिशत				कुल
			घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
स्टील	₹ 36.41.करोड	4064.27 टन	-	-	-	-	-

ग. इनपुट लागत में वृद्धि से संबंधित जोखिम से बचने के लिए, कंपनी पोत निर्माण अनुबंध के हस्ताक्षर के समय सांतर वितरण के साथ सभी मुख्य इनपुट के लिए आदेश प्रस्तुत करती है। अनुमानित लागत पर पहुँचने के लिए किए अनुमानों के साथ प्रस्तावों की जांच की जाती है। पोत मरम्मत के मामले में, मुख्य घटकों को सामान्य तौर पर लागत के आधार पर पोत मालिकों को आपूर्ति की जाती है क्योंकि घटक सामान्य रूप से मालिकों की पसंद होते हैं।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

97. कंपनी प्रत्येक रु. 10 के 13,15,40,390 इक्विटी शेयरों जारी किया है, जिसका विवरण दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार है।

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
केंद्र सरकार	1	95843464	72.8624
क्लियरिंग सदस्य	53	29180	0.0222
अन्य निकाय कॉर्पोरेट	482	1684036	1.2802
निदेशक व मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक	3	1911	0.0015
हिंदू अविभाजित परिवार	4195	693853	0.5275
म्यूचुल फंड	12	3041042	2.3119
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	2	1610	0.0012
विदेश वाले प्रवासी भारत	2334	1473158	1.1199
अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	1361	329624	0.2506
सार्वजनिक	163218	18069310	13.7367
ट्रस्ट	4	6883	0.0052
बीमा कंपनियां	6	1900091	1.4445
निगमित निकाय-सीमित देयता भागीदारी	37	152540	0.1160
विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर (वैयक्तिक)	5	4875	0.0037
विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर (निगमित)	126	8261803	6.2808
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	4	7010	0.0053
वैकल्पिक निवेश कोष – III	1	40000	0.0304
कुल	171844	131540390	100.0000

संचार का साधन

98. बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन के बाद तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों में विज्ञापित किया जाता है और साथ ही इसके अभिग्रहण के बाद 48 घंटे के भीतर अखिल भारत में प्रचालन प्राप्त एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिकी और कम से कम एक मलयालम राष्ट्रीय दैनिकी कोचची एडिशन में प्रकाशित भी किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट www.cochinshipyard.in वेबसाइट में विज्ञापित की जाती है। कंपनी की वेबसाइट सभी सरकारी विज्ञप्तियों को भी प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा योग्यताएं

99. कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मै. आनंद व पोन्नप्पन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में किसी योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

100. कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक मै. मेहता व मेहता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में किसी योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

101. सीएसएल के बोर्ड सदस्यों बहुत वरिष्ठ अधिकारियों है जिन्हें शिक्षा, उद्योग, रक्षा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशासन आदि के क्षेत्रों में बहुत व्यापक, विस्तृत तथा विभिन्न में अनुभव है। सीएसएल को अपने दृष्टिकोण तथा ज्ञान से लाभ मिला है। बोर्ड के लिए उनकी प्रेरणा पर कंपनी के प्रदर्शन व्यापार मोडल, कोर्पोरेट योजना और भविष्य के दृष्टिकोण पर बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रस्तुतियाँ बने हैं। इसके अलावा बोर्ड/ समिति और बैठकों में वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों/ प्रोफेशनल्स ने व्यापार से संबंधित मुद्दों या जोखिम मूल्यांकन, जोखिम नीति आदि पर सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ बने रहे है। निदेशकों को उनके प्रभावित को

सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने और इसे पहचानने लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा नवनियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को डीपीई द्वारा आयोजित संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया जाता है। निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ने एक नीति स्वीकार भी की है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

कोच्ची

मई 19, 2023

निगमित शासन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (बाद में 'सूचीबद्ध विनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसूची V के अनुच्छेद ग, घ और ङ और विनियम 46 के खंड (ख) से (i) तक विनियम 17 से 27 तक में निर्धारितानुसार, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** (बाद में "सेबी एलओडीआर विनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम बताते हैं कि निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच, निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न एक मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि सूचीबद्ध विनियमों के तहत निर्धारित है :

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र पूरी तरह से सूचीबद्ध नियमों के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अरुण के कमलोलभवन

साझेदार

एफसीएस सं : 9609

सीपी सं. : 11657

स्थान: कोच्ची

दिनांक 19/5/2023

यूडीआईएन: F009609E000334681

पी आर सं.: 786/2020

निगमित शासन प्रमाणपत्र

(सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए 2010 के निगमित शासन पर दिशानिर्देश का खंड 8.2.1)

सेवा में,

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हमने, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के खंड 8.2.1 के तहत निर्धारितानुसार दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम बताते हैं कि निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच, निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न एक मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि उपरोक्त सूचित मार्गनिर्देशों में निर्धारित है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र केवल सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 2010 (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के प्रयोजनों हेतु जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अरुण के कमलोलभवन

साझेदार

एफसीएस सं : 9609

सीपी सं. : 11657

स्थान: कोच्ची

दिनांक 19/5/2023

यूडीआईएन: F009609E000334648

पी आर सं.: 786/2020

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्ध दयित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3)

और अनुसूची V अनुच्छेद ग खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन,

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, कोच्ची

एर्णाकुलम, केरल - 682015

हमने सीआईएन : L63032KL1972GOI002414 वाले और प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल - 682015 (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) में पंजीकृत कार्यालय वाले **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** के निदेशकों से प्राप्त संगत पंजी, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणी और प्रकटीकरण की जांच की है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V पैरा -सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया था।

हमारी राय और हमारी सूचना एवं आवश्यक माने गए सत्यापनों के अनुसार (www.mca.gov.in पोर्टल में निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा हमें सूचित किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कार्पोरेट मामला मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वर्चित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम. सं.	निदेशकों का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	मधु शंकुण्णी नायर	07376798	01/01/2016
2.	विजोय भास्कर	08103825	05/04/2018
3.	विलियमरबिल जेकब जोस	08444440	01/08/2019
4.	श्रीजित कट्टायंकोट नारायणन	09543968	21/07/2022
5.	राजेश कुमार सिंहा	05351383	21/11/2022
6.	बिजु प्रभाकर	03093072	02/01/2023
7.	पृथ्वीराज हरिचंदन	01351097	22/11/2021
8.	मणि वेंकटेशन	07667728	22/11/2021
9.	अशोक कुमार शर्मा	09414565	26/11/2021
10.	आम्रपाली साल्वे	09415405	26/11/2021
11.	नाहर सिंह माहेश्वरी	09419082	01/12/2021
12.	अभिजीत बिसवास	09419083	01/12/2021

बोर्ड पर प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायित्व है। हमारी उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अरुण के कमलोलभवन

साझेदार

एफसीएस सं : 9609

सीपी सं. : 11657

104 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

स्थान: कोच्ची

दिनांक 19/5/2023

यूडीआईएन: F009609E000334681

पी आर सं.: 786/2020

अनुलग्नक III

सेवा में,
निदेशक मंडल
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
कोचीन- 682 015

प्रिय महोदय,

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

- हम ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड के रोकड प्रवाह विवरण के साथ पड़े वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा पता है और विश्वास है, हम स्पष्ट करते हैं कि :
 - इन विवरणों में किसी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ दिया है अथवा पथभ्रष्ट करने वाले किसी विवरण शामिल नहीं किया है;
 - ये विवरण कंपनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करते हैं और चालू लेखाकरण मानकों, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है।
- जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी, अवैध या कंपनी के आचरण संहिता के उल्लंघन है।
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और कायम रखने का दायित्व लेता है। हम ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की संबंध का मूल्यांकन किया है और लेखा-परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन अथवा डिजाइन में कमियां यदि कोई है तो उसको प्रकट किया है, जिस संबंध में हम जागरूक है तथा, यदि कोई हो।
- हम ने लेखा-परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को संकेत किया है कि :
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है ;
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, वित्तीय विवरणों के लिए अपेक्षित टिप्पणियां, और
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं है।
- हम आगे प्रमाणित करते हैं कि निगमित सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए संवितरित धनराशि का उपयोग कंपनी के उद्देश्यों के लिए और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और समय -समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तरीकों से किया गया है।

कोच्ची
मई 19, 2023

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 08444440

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी विवरण

1. कंपनी के प्रबंधन की चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम के विवरण में कंपनी के लक्ष्य, उम्मीद या भविष्य वाणियों को चित्रित करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों की दृष्टि में दूरदेशी हो सकता है। दूरदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और अपेक्षाओं पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या उसे समझा जाएगा। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से दूरदेशी विवरण में संशोधन, आशोधन या सुधार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए से वस्तुतः भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारणों में नौसेना के प्लेटफार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार पारंपरिक लागत कन्वेन्शन के अधीन तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन किया जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंधन ("सीएसएल" या "कंपनी") ने दूरदेशी और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमान और निर्णय का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।
2. हमारी वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चा को हमारे लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के साथ एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन विवरणों की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

पोत निर्माण उद्योग

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. वैश्विक आर्थिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी का अनुभव हुआ जिसमें मुद्रास्फीति कई दशकों तक नहीं देखी गई थी। संघर्ष रूस/यूक्रेन और चीन में नियमित, स्थानीय लॉकडाउन सहित कोविड 19 महामारी का सुस्त प्रभाव, सभी का वैश्विक व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि पर भारी प्रभाव पड़ा। तदनुसार, 2020 में गहरी मंदी (-3%), 2021 में शानदार वापसी (+6%)

के बाद, वैश्विक विकास 2022 में धीमा होकर 3.2% हो गया और 2023 में इसके 2.7% तक और कम होने की उम्मीद है। 2021 की तुलना में 2022 में समग्र विश्व माल निर्यात 3.5% से अधिक बढ़ गया, जो समुद्री परिवहन के लिए अधिक कार्गो परिमाण में बदलता है।

4. 2022 पोत निर्माण उद्योग के लिए एक अच्छा वर्ष रहा और लगभग 89 मिलियन डीडव्यूटी (1,447 पोत) को नए ऑर्डर दिए गए, जो सुपुर्दगी (78.5 मीटर डीडव्यूटी) से थोड़ा अधिक था। पिछले साल के ऑर्डर प्रमुख यादों की ऑर्डर बुक को 2025 तक विस्तारित करने में मदद करते हैं, जिसमें तीन साल के क्षितिज को बनाए रखा जाता है, जिसके बाद पोत-मालिक और पोत निर्माता दोनों प्रतिबद्ध होने में असहज महसूस करते हैं। कोरियाई और चीनी यार्ड द्वारा बुक किए गए अधिकांश ऑर्डर के साथ कंटेनर पोत ऑर्डर बुक पिछले साल 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए।
5. इस दृढ़ पोत निर्माण गतिविधि के परिणामस्वरूप, 2021 में शुरू हुई प्रवृत्ति के बाद नए भवन की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी रही। वर्ष की अंतिम तिमाही में जब वे स्थिर हो गए, तभी उनका उत्साह समाप्त होने लगा, हालांकि, हमेशा की तरह यह ऑर्डर किए गए पोतों के प्रकार और आकार पर निर्भर करता था।
6. तीन एशियाई पोत निर्माण दिग्गजों चीन, कोरिया और जापान ने मिलकर कुल भार का वैश्विक ऑर्डर-बुक का लगभग 95% से हिसाब रखते हैं, उच्च मूल्य के लेन-देन पर अपने प्रयासों को केंद्रित करने की कोशिश करते हुए जमकर संघर्ष करना जारी रखा। 0.5 मिलियन से कम जीआरटी वाले 30 पोतों के लिए कुल ऑर्डर बुक खातों के साथ भारत की ऑर्डर बुक नगण्य थी। समेकन एक सतत प्रक्रिया रही है, क्योंकि 2007 में शिपयार्डों की संख्या लगभग 700 से घटकर 2022 तक लगभग 300 हो गई थी। इसने सक्रिय वैश्विक पोत निर्माण क्षमता अनुबंध को देखा ताकि वर्ष 2005 से 2010 में प्रति वर्ष 2,000 जलयानों के निर्माण और वितरण की क्षमता की तुलना में वर्तमान में लगभग 1,200 से 1,300 जलयानों का निर्माण और वितरण किया जा सके।
7. हालांकि, पिछले वर्षों में कम ऑर्डर मांगपत्र के कारण बड़े की वृद्धि डीडव्यूटी बनाम 4.1% दस साल के औसत से 3% से नीचे जारी रही। नया भवन निवेश पारंपरिक पोत निर्माण खंडों में कंटेनर (\$42 बीएन) और गैस (\$21.6 बीएन) की ओर झुका हुआ है। कोविड के बाद की योजना में "ग्रीन एंड टेक" पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें समुद्री क्षेत्रों में प्रमुख चर्चा बिंदु के रूप में डीकार्बोनाइजेशन है।

8. फिच रेटिंग्स ने मुख्य रूप से कंटेनर नौवहन में शिपिंग का सामना करने वाली चुनौतियों को दर्शाते हुए, “तटस्थ” से “बिगड़ने” के लिए नौवहन के लिए अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया है। मुख्य जोखिमों में अपेक्षा से अधिक कठोर मंदी की संभावना और व्यापार प्रतिबंधों और राजनीतिक संघर्षों को जारी रखना, चीन में महामारी से संबंधित लॉकडाउन आदि शामिल हैं जो मांग और विनिर्माण में और कमजोरी पैदा कर सकते हैं।
9. कुल नए पोत निर्माण की कीमतों में औसतन 30% से अधिक की वृद्धि हुई और अभी भी ऊपर की प्रवृत्ति पर है, लेकिन साथ ही साथ यार्ड के लिए बेहतर लाभ नहीं हो सकता है क्योंकि बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों, स्टील, तांबा, एल्युमीनियम आदि जैसे विभिन्न प्रमुख वस्तु लागतों का मुद्रास्फीति स्तर बना रहता है और इस प्रकार लाभ मार्जिन को कम करता है।

वर्ष का मुख्य विषय – हरित नौवहन / कम कार्बन नौवहन की ओर संक्रमण

10. जलवायु परिवर्तन के शमन के प्रयासों में तेज़ी लाने हेतु आईएमओ, ने 2023 में विचार के लिए एक संशोधित जीएचजी कार्यनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, साथ ही मध्यावधि उपायों पर भी जिनमें कुछ बाज़ार आधारित है। इसके अलावा, एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान और विकास बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव हैं, और एक संबंधित कोष जो सभी देशों के लिए शून्य-जीएचजी प्रौद्योगिकियों के विकास को वित्तपोषित कर सकता है। बाज़ार आधारित उपायों के अन्य प्रस्तावों में विशेष रूप से सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निवेशों के वित्तपोषण के लिए उत्पन्न धन का उपयोग शामिल है। यूरोपीय संघ के स्तर पर, समुद्री परिवहन गतिविधियों के लिए यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना का विस्तार करने हेतु विनियामक प्रस्ताव विचाराधीन है, और जब अपनाया जाता है, तो ये आंतरी और बाहरी यूरोपीय व्यापार दोनों के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। अन्य लोगों के बीच आईएमओ और यूरोपीय संघ के विकास के साथ, विनियामक और नीतिगत ढांचे को विकसित किया जा रहा है जो नए निर्माण ऑर्डर (जीटी द्वारा) के 34% वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकी के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) या यूरोपीय उत्सर्जन नियमों में विकास लागत संरचनाओं के लिए मध्यम अवधि के दृष्टिकोण या कुछ नौवहन खंड की आय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बड़े पुराने बेड़े के प्रतिस्थापन और नए विनियामक प्रतिबंधों की संभावनाओं के कारण उत्साह ने बहुत खर्च पैदा की और दीर्घकालिक आधार पर नए पोत अधिग्रहण निवेश को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की संभावना है। सीएसएल इस खंड में मज़बूती से जुड़ा हुआ है और अस्को समुद्री एस, नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त विद्युत पोतों की अग्रणी परियोजना के पूरा होने के साथ, सीएसएल कम उत्सर्जन वाले विभिन्न प्रकार के उन्नत हरित प्रौद्योगिकी जहाज़ों की पेशकश के साथ तैयार है, जो आदर्श रूप से छोटे समुद्र, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के लिए उपयुक्त होगा। सीएसएल नई पीढ़ी के हरित प्रौद्योगिकी पोतों के निर्माण के लिए यूरोपीय ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रहा। यह एक ऐसा नवोदित खंड है जो कंपनी के लिए कई अवसर खोल रहा है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग और सरकारी पहल

11. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गुणकारी ऑर्डर बुक की स्थिति के परिणामस्वरूप भारतीय यार्डों में पूछताछ का निर्माण हुआ। लेकिन कई निजी शिपयार्डों के धराशायी होने के कारण कम हुई क्षमता और कोई पोत निर्माण वित्तपोषण तंत्र नहीं होने के कारण, भारत को अभी भी मुख्य व्यापारी बेड़े के पोतों में एक गंभीर दावेदार नहीं माना जाता है। हालांकि, छोटे – छोटे समुद्र के बाज़ार में भारतीय यार्ड द्वारा प्राप्त कुछ विदेशी अनुबंधों के साथ देश कुछ संबंध बना सकता है।
12. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के प्रकाशित विज्ञान दस्तावेज़, “मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (एमआईवी 2030)” में महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं और यदि इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो और अधिक त्वरित और समन्वित प्रयास करना होगा।
13. पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) नीति भारतीय यार्डों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु समान स्तर पर रहने के लिए कुछ सहायता प्रदान करती है। इसी तरह, टएस (2020) के चार्टरिंग/प्रापण की दिशा में नई नीति के परिणामस्वरूप भारतीय यार्डों में हार्बर टएस के निर्माण के लिए रुचि पैदा हुई है। भारतीय तट में पुराने जलयानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ भारतीय ध्वज के लिए 20 साल से अधिक पुराने पोतों के अधिग्रहण के नए डीजी शिपिंग आदेश का पुराने टन भार को खत्म करने और नए अधिग्रहण के साथ प्रतिस्थापन पर प्रभाव पड़ेगा।
14. विज्ञान 2030 में भारत को दुनिया के शीर्ष 10 पोत निर्माण देशों में से एक बनाने के लिए कार्य योजना की परिकल्पना की गई है, जैसे कि मांग में सुधार के लिए कार्गो को चैनलाइज़ करना, सहायक उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना, बेहतर उत्पादकता के लिए मानकीकृत डिज़ाइन तैयार करना, सरकारी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु समान अवसर पैदा करने के लिए हस्तक्षेप आदि। समुद्री क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी और लंबी अवधि की वित्त आवश्यकताओं तक आसान पहुंच प्रदान करने हेतु एक समुद्री विकास कोष के प्रस्तावित निर्माण का भी समर्थन करता है, जिससे भारतीय पोत मालिकों को अपनी क्षमता में सुधार करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने हेतु शिपयार्ड तक पहुंच मिलती है।

सीएसएल द्वारा केंद्रित कुछ प्रमुख क्षेत्र

रक्षा पोत निर्माण

15. पोत निर्माण उद्योग रक्षा आवश्यकताओं पर निर्भर है और सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए छह (6) अगली पीढ़ी के मिसाइल जलयान (एनजीएमवी) के निर्माण हेतु सबसे बड़ा पोत निर्माण अनुबंध किया है, इस प्रकार कंपनी के लिए अच्छे ऑर्डर बुक मूल्य जोड़ा गया है।

छोटा समुद्र / तटीय और अंतर्देशीय

16. पश्चिम बंगाल में कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) अपने बुनियादी ढांचे से पूरी तरह सुसज्जित है और इस खंड को पूरा करने के लिए तैयार है। कंपनी इस संभावित खंड का दोहन करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित और सुसज्जित है।
17. 2021 में सरकार द्वारा घोषित नई हाइड्रोजन नीति के अनुरूप, शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर पोतों का नया परिवर्तन बाज़ार को नई तकनीकों और वैकल्पिक ईंधन, बिजली के जलयानों स्वायत्त जलयानों आदि के उपयोग को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित कैटामारन नाव परियोजना की कंपनी की प्रारंभिक परियोजना अच्छी तरह से प्रगति कर रही है और आनेवाले महीनों में इसके जांच और परीक्षण पूरा होने की उम्मीद है। एक बार सफल होने के बाद, इसी तरह की परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं और इससे बड़ी मांग पैदा होने की उम्मीद है।
18. वैकल्पिक ईंधन और हरित प्रौद्योगिकियों के साथ नई पीढ़ी के पोत काल प्रभावित होने वाले छोटे समुद्र यूरोपीय नौवहन खंड के प्रतिस्थापन बाज़ार में बड़ी क्षमता का संकेत दे रहे हैं। कंपनी नए नियमों को पूरा करने हेतु नवीन तकनीकों के साथ ऐसी परियोजनाओं को हासिल करने में सफल रही।

टांगर, ड्रेजर और पोर्ट क्राफ्ट

19. सरकार पत्तन और अंतर्देशीय जल बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह बेहतर मांगों के साथ भारतीय यार्ड के लिए इस बाज़ार में भाग लेने के अवसर को बढ़ाता है। मार्केट लीडर आईएचसी, नीदरलैंड के साथ साझेदारी में ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के लिए 12000 क्यूबिक मीटर का देश का सबसे ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर (टीएसएचडी) बनाने हेतु कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध इस बाज़ार में एक प्रमुख उपलब्धि है और भविष्य में ऐसी परियोजनाएं इससे और अधिक ला सकता है।
20. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की नीति, जो प्रमुख पत्तनों के लिए टगों की सभी सेवा आवश्यकताओं को भारतीय निर्मित भारतीय ध्वज टगों के लिए आरक्षित करती है, केवल पत्तन टगों के निर्माण के लिए बेहतर मांग को दर्शाती है, और कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के ज़रिए से 2 टग्स के निर्माण के लिए एक और नया अनुबंध हासिल किया है जो आगे की वृद्धि का संकेत देता है।

अपतटीय पवन खंड

21. स्थायी गैर जीवाश्म हरित ऊर्जा मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अनिवार्य कारणों के कारण समग्र बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण विश्व ऊर्जा खंड में तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। गहरे समुद्र में बड़े अपतटीय पवन कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दुनिया भर में भारी निवेश हो रहा

है। यह अपतटीय पवन खेतों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, संचालन और अनुरक्षण का समर्थन करने हेतु विभिन्न प्रकार के जलयानों की अधिक मांग हेतु परिवर्तित करता है। अतीत में तेल और गैस के लिए अपतटीय समर्थन पोतों के निर्माण पर सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी इस बाज़ार में निर्बाध रूप से प्रवेश करने का अच्छा लाभ देती है। ध्यान केंद्रित करने के साथ, कंपनी ने एक यूरोपीय ग्राहक से ऐसे चार (4) और जलयानों के विकल्प के साथ दो (2) हाई एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट ऑपरेशन जलयानों (सीएसओवी) के निर्माण हेतु एक प्रतिष्ठित अनुबंध हासिल करके इस उच्च संभावित बाज़ार में प्रवेश करने में कामयाबी हासिल की।

मत्स्य पालन खंड

22. 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)' मध्यम ब्याज उत्पन्न कर सकती है और कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के ज़रिए इस खंड में दस जलयान वितरित किए। कंपनी इस खंड पर अधिक ध्यान देने की उम्मीद कर रही है, जिसमें विभिन्न तटीय राज्य रुचि दिखा रहे हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र में गति ला सकते हैं, जिसका मत्स्य ग्रहण समुदाय पर बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।

पोत मरम्मत उद्योग

भारत और वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग

23. वैश्विक पोत मरम्मत व्यापार, वर्तमान में चीन, सिंगपुर और मध्य पूर्व में शिपयार्ड का वर्चस्व है, जिसका मुख्य कारण कुशल कार्यबल और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता है। पोत मरम्मत, रखरखाव सेवा के लिए वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के व्यापारों में विकास द्वारा समर्थित 2030 तक 40 बिलियन अमरीकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंच जाएगा। हालांकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 1% से कम है, देश प्रमुख व्यापार मार्गों/नौवहन मार्गों के संबंध में अनुकूल रूप से स्थित है, जिसमें वैश्विक व्यापार का 7 से 9% समुद्र तट के 300 एनएम के भीतर से गुज़रता है। इसके अतिरिक्त, भारत, भारतीय नौसेना और सहयोगी अमरीकी नौसेना के हिंद महासागर और अरब महासागर में 5 वें और 7 वें बेड़े की मरम्मत सेवाओं की पेशकश करने हेतु अच्छी तरह से तैयार है।
24. पोत मरम्मत उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण, आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारत को, मजबूत कार्यबल होने का लाभ मिला है। हालांकि, भारतीय पोत मरम्मत व्यापार में अप्रयुक्त क्षमता को प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्ड की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जलयानों की मरम्मत में भारतीय यार्ड की क्षमता के अंतर हेतु जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लागत के नुकसान के अन्य कारणों में वित्त पोषण की उच्च लागत, भारत में जहाज के पूजों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में जहाज का मरम्मत निष्पादन चक्र समय बढ़ाना शामिल है।

25. उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए, एमआईवी 2030 के तहत, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत नीति का लाभ उठाते हुए देशी मांगों को दिशा दिखाने, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के ज़रिए बुनियादी ढांचे का विकास, समग्र विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने और मुक्त व्यापार डिपो, समुद्री समूह आदि बनाकर उद्योग में व्यापार बढ़ाने सहित कई पहलों के साथ उद्योग को मज़बूती से आगे बढ़ा रहा है।
26. सीएसएल पोत मरम्मत व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई है। कोच्ची में पोत मरम्मत सुविधाओं के अलावा, कंपनी ने मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत इकाइयां भी स्थापित की हैं। पोत मरम्मत प्रभाग बढ़े हुए व्यापार खंडों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यार्ड पोत मरम्मत बाज़ार के नए क्षेत्रों जैसे हथियार प्लेटफॉर्म, अपतटीय निर्माण, रूपांतरण आदि में प्रवेश करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

पोत मरम्मत में सीएसएल पहल

27. सीएसएल विल्लिगडन आइलैंड, कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) में काम पूरा करने के अंतिम चरण में है, जो छह स्वतंत्र कार्य स्टेशनों के साथ एक अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम की मेजबानी करेगा। यह नई ग्रीनफील्ड सुविधा, कोच्ची में दक्षिणी कमान के निकट स्थित है और शीघ्र ही चालू होने वाली है और 130 मीटर लंबाई और 6000 टन विस्थापन तक जहाजों को समायोजित करने में सक्षम होगी। यार्ड अपने मुख्य परिसर के भीतर पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधि को पूरा करने हेतु एक नया ड्राई डॉक भी स्थापित कर रहा है जिसमें बड़ी क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और अपतटीय रिग की मरम्मत शामिल है। सीएसएल ने पोत मरम्मत खंड में मांग को पूरा करने हेतु मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत यूनिटों की स्थापना करके पूरे भारतीय तट पर अपने प्रभाव को फैला दिया है।

28. भारत सरकार, एमआईवी 2023 के साथ और भारत में पोत मरम्मत समूह स्थापित करने हेतु एमओपीएसडब्ल्यू की पहल सहित विभिन्न पहलों के साथ, सीएसएल भविष्य में उद्योगी पोत मरम्मत व्यवसाय के समय के लिए तैयार है।

प्रचालन

29. कंपनी का कुल कारोबार 2330.46 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले साल 3190.00 करोड़ था। वर्ष के दौरान पोत निर्माण आय 1766.45 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वर्ष की आय 2511.48 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान पोत मरम्मत आय 564.01 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वर्ष की आय 678.52 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसएल ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक, आईएनएस विक्रान्त सौपा। आईएनएस विक्रान्त को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 02 सितंबर 2022 को सीएसएल, कोच्ची में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल किया गया था। इसके अलावा, सीएसएल ने नॉर्वे स्थित अस्को मैरीटाइम एएस के लिए दो स्वायत्त विद्युत पोत, अर्थात "मैरिट" और "थेरेस" की सुपुर्दगी की। 67 मीटर लंबे जलयानों को 1846 के डब्ल्यू एच क्षमता की बैटरी द्वारा संचालित पूर्ण – विद्युत ट्रांसपोर्ट फेरी के रूप में वितरित किया गया। इसके अलावा, सीएसएल ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 500 पैक्स पोत अर्थात "नालंदा" में से एक की सुपुर्दगी की। सीएसएल ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए बनाए गए नौ एफबीओपी में से तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयानों के तीसरे और अंतिम लॉट की सुपुर्दगी भी की थी। इसके अलावा, सीएसएल ने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) को सात विद्युत हाईब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमारन हल जलयान की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी भी की थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने रक्षा के साथ-साथ वाणिज्यिक खंडों के तहत कुल चौदह जलयानों की सुपुर्दगी की।

वित्तीय सूचना

30. पिछले दशक से संबंधित कंपनी के वित्तीय सूचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ रुपए में जब तक अन्यथा न कहा जाए)

वर्ष	प्रदत्त पूंजी	शेयरों की अंकित मूल्य (₹.प्रति शेयर)	उपयोगित पूंजी	निवल मूल्य	करपूर्व लाभ	प्रदत्त लाभों पर कर	निवल लाभ	ईपीएस (₹)	लाभांश	खर्च अनुपात
22-23	131.54	10	4480.05	4423.42	448.51	114.02	334.49	25.43	223.62	0.67
21-22	131.54	10	4355.75	4359.18	794.39	207.82	586.57	44.59	220.33	0.38
20-21	131.54	10	3964.27	3977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
19-20	131.54	10	3748.78	3731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
18-19	131.54	10	3327.72	3332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
17-18	135.94	10	3271.03	3255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
16-17	113.28	10	2062.02	2028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
15-16	113.28	10	1749.31	1814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32
14-15	113.28	10	1585.68	1561.07	367.56	132.49	235.07	20.75	16.99	0.07
13-14	113.28	10	1401.52	1352.53	290.96	96.71	194.24	17.15	16.99	0.08

मुख्य वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में परिवर्तन (% में)	25% या अधिक के परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
1.	ऋणी कारोबार	4.75	6.72	29.32	निवल ऋण बिक्री में कमी के कारण
2.	स्टॉक कारोबार	7.30	8.76	16.72	लागू नहीं
3.	ब्याज कवरेज	14.29	18.09	-21.00	लागू नहीं
4.	वर्तमान अनुपात	1.39	1.69	17.82	लागू नहीं
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.03	0.03	-	लागू नहीं
6.	प्रचालन लाभ सीमांत (%)	18.04	26.36	31.56	कर पूर्व लाभ में कमी के कारण
7.	शुद्ध लाभ सीमांत (%)	14.35	18.39	21.94	लागू नहीं

निवल मूल्य पर वापसी

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में परिवर्तन (% में)	परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
निवल मूल्य पर वापसी (%)	7.56	13.46	-43.83	करों के बाद निवल लाभ में कमी के कारण

प्रस्तावित / घोषित लाभांश

31. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) द्वारा जारी दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 5/2/2016- पॉलिसी के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को कर के बाद लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5% के न्यूनतम वार्षिक लाभांश, जो भी उच्च हो, भुगतान करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों को प्रत्येक 10 रुपए के 13,15,40,390 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर ₹3 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के लिए सिफारिश करने में खुशी है। इससे पहले, वर्ष 2020-21 के दौरान शेयरधारकों को ₹6/- रुपए और ₹7/- रुपए के अंतरिम लाभांश कुल 14/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर का भुगतान किया गया है। इस तरह, वर्ष 2022-23 के लिए कुल लाभांश ₹17 रुपए प्रति इक्विटी शेयर ([170%]) है जो ₹[223.62] करोड़ रुपए की राशि है।

खंडवार अथवा उत्पादवार निष्पादन

32. कंपनी दो मुख्य गतिविधियों यानी पोत निर्माण और पोतों/ अपतट रिगों आदि की मरम्मत में लगी हुई है। उपर्युक्त के आधार पर खंडवार विश्लेषण किया गया है और उचित आधार पर राशि का आबंटन किया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सॅगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	405583.60	251516.16
पोत मरम्मत	282191.99	287038.89
अनाबंटित	303128.91	293292.23
कुल	990904.50	831847.28
सॅगमेंट देयता		
पोत निर्माण	315680.43	155888.80
पोत मरम्मत	48998.81	64318.72
अनाबंटित	183883.39	175721.79
कुल	548562.63	395929.31
सॅगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	176645.19	251148.16
पोत मरम्मत	56400.69	67852.09
अनाबंटित	20648.88	26641.68
कुल	253694.76	345641.93

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सैंगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	20777.90	57749.03
पोत मरम्मत	9548.18	12041.89
अनाबंटित	14524.58	9648.14
कुल	44850.66	79439.06

33. कंपनी के दो प्रमुख व्यवसाय खंड हैं- पोत निर्माण और पोत मरम्मत। पोत निर्माण के तहत राजस्व में ग्राहक (पिछले वर्ष एक ग्राहक) से ₹ 155800.89 लाख (पिछले वर्ष ₹ 204473.56 लाख) जो कुल राजस्व का 10% से अधिक शामिल है और पोत मरम्मत के लिए कुल राजस्व में ₹ 193571.56 लाख (पिछले वर्ष ₹ 40786.31 लाख) दो ग्राहक (पिछले वर्ष दो ग्राहक) से कुल राजस्व का 10% से अधिक राजस्व शामिल है।

शक्तियां, अपर्याप्तता, मौकाएं और धमकियां

शक्तियां:

- (क) संगठन अधिक्रम के सभी स्तरों में औसत 15 साल के अनुभव सहित अति प्रशिक्षित, उत्प्रेरित और सुविज्ञ श्रमिक से अत्यधिक अत्यंत उच्च गुणवत्ता के कर्म कौशल प्राप्त होता है;
- (ख) सुचारू कार्यप्रवाह और कुशल उत्पादन को सक्षम करने हेतु सुनियोजित और निर्धारित शिपयार्ड के साथ 'अत्याधुनिक' सुविधाएं;
- (ग) कई स्थानों पर शिपयार्ड (7 सुविधाएं), इस प्रकार बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं;
- (घ) उच्च प्रशिक्षित, अनुभवी और सक्षम नौ वास्तुविद्/ इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैन आदि से चलाने वाला एक अत्याधुनिक डिजाइन केंद्र।
- (ङ) अत्यधिक विकसित पोत निर्माण प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों पोतों के मॉड्यूलर निर्माण के लिए मंजूरी दे देता है।
- (च) रक्षा पोतों, वाणिज्यिक पोतों और अपतटीय समर्थन पोतों शामिल एक बहुत अच्छा उत्पाद मिश्रण अनुकूलता।
- (छ) उत्कृष्ट उप ठेकेदारों और अच्छी पूर्ति श्रृंखला जाल की उपलब्धता।

अपर्याप्तता:

- (क) असल में गैर अस्तित्ववान देशी आनुषंगिक उद्योग और इस कारण से भारत में मुख्य उपस्करों/कच्ची सामग्रियों की अनुपलब्धता।
- (ख) पोत मालिकों के लिए दीर्घकालीन प्रस्तावित वित्त की व्यवस्था करना मुश्किल है, जो अन्य विदेशी पोत निर्माण देशों द्वारा किया जाता है।

(ग) उच्च वित्त लागत और रसद लागत के परिणामस्वरूप उत्पादन के लिए उच्च निवेश लागत आती है;

(घ) विशेष रूप से ठेका श्रम के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च सामाजिक और कर्मचारी उपरिव्यय और कुछ प्रतिबंधात्मक श्रम प्रथाएं।

(ङ) सरकारी तंत्र ने प्रक्रियागत विलंब को प्रेरित किया।

मौकाएं:

- क. भारत सरकार की नई नीति "मेक इन इंडिया"/ पुराने पोतों पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित करने के कारण देशी वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए श्रोतों की आवश्यकता में प्रस्तावित वृद्धि।
- ख. रक्षा क्षेत्र में अनुमानित मांग।
- ग. नए विनियमों को पूरा करने के लिए हरित प्रौद्योगिकी के साथ नई पीढ़ी के जलयान;
- घ. अपतटीय पवन उद्योग का समर्थन करने के लिए जलयान;
- ङ. भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन में उभरते अवसर।
- च. घरेलू और विदेशी बाजार के लिए फिशिंग बेसल।
- ज. बड़ी मांग - वाणिज्यिक और रक्षा पोतों की मरम्मत के लिए आपूर्ति अंतर और वास्तव में, भारत में कोई प्रतियोगिता नहीं है।

धमकियां:

- क. प्रतियोगियों की संकट मूल्य निर्धारण नीतियां।
- ख. भारतीय यादों द्वारा कम निष्पादन के कारण भारतीय पोत निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल ख्याति प्रभाव।
- ग. श्रम और सामग्रियों की बढ़ती लागत;
- घ. गैर लचीला सरकारी विनियम या प्रापण नीतियों से समय पर उत्पाद सुपुर्दगी और लागत में देरी आती है और
- ङ. कोविड -19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संक्रामक रोगों का पुनःस्थान।

क़ूस 2030

34. सीएसएल ने मार्च 2019 में एक साहसिक परिवर्तन कार्यक्रम, क़ूस-2030 शुरू किया है, ताकि वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी संचालन के साथ-साथ विकास को लाभप्रद रूप से प्राप्त करने हेतु आकस्मिक विकास प्राप्त किया जा सके। क़ूस 2030 अभ्यास स्पष्ट रूप से वर्तमान पोत निर्माण और पोत मरम्मत संविभागों से परे नई राजस्व सृजन धाराओं के लाभ उठाने की आवश्यकता को अनिवार्य करता है और 'सी-एसएएस' (सीएसएल कार्यनीति व उन्नत समाधान) नाम से एक नया प्रभाग पहले ही गठित किया जा चुका है। क़ूस 2030 ने गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जलयानों और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली जैसे नए व्यवसायों के निर्माण, शिपयार्ड 4.0 और परियोजना प्रबंधन पहल के माध्यम से संचालन परिपक्वता को मजबूत करने पर जोर दिया। क़ूस 2030 कार्यक्रम ने ड्रेजिंग और अंतर्देशीय बार्ज में सीएसएल की सफलता और मत्स्य ग्रहण जहाजों और अन्य व्यवसायों में संरचित लागत में कमी की पहल पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कंपनी स्वायत्त, संकर/विद्युत जहाज और वैकल्पिक ईंधन जैसे नए उभरते पोत खंडों में व्यावसायिक क्षमता का दोहन करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण की दिशा में भी काम कर रही है। सीएसएल ने मूल्य श्रृंखला, यानी योजना, डिजाइन, खरीद और संचालन में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने हेतु एक समर्पित उत्कृष्टता के केंद्र टीम का गठन किया है।

सीएसएल कार्यनीति और उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

35. वर्तमान पोत निर्माण और पोत मरम्मत संविभाग से परे नई राजस्व सृजन धाराओं का लाभ उठाने के लिए कंपनी को समुद्री क्षेत्र में कार्यनीति और ज्ञान संचालित भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यापार करने में सक्षम बनाने हेतु सीएसएल कार्यनीति और उन्नत समाधान (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग का गठन किया गया है। सी-एसएएस स्थायी और भविष्योन्मुखी व्यापार मॉडल की पहचान और विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सी-एसएएस प्रभाग द्वारा की गई विभिन्न अभिनव पहलें इस प्रकार हैं:

(i) पहिएदार उपकरण सहित एकीकरण नमूना

पानी के नीचे के वाहन के एकीकरण के लिए एक अभिनव उपकरण डिजाइन किया गया था, जो एकीकरण जिग और पहिएदार उपकरण का एक संयोजन है। यह उपकरण लगभग 50% क्रेन लिफ्टों को कम करता है और वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले एकीकरण उपकरणों की तुलना में लगभग 87.5% एकीकरण तल स्थान को बचा सकता है।

(ii) समुद्री उपयोग के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

सी-एसएएस ने फ़्यूल सेल स्टैक, संयंत्रों के संतुलन, इसकी नियंत्रण प्रणाली आदि के अंतर का विश्लेषण भी किया है और अंतराल की खोज की है और वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन अंतरालों को पूरा करने के लिए समाधानों को लागू किया है।

बीओपी के साथ फ़्यूल सेल को भी आईईसी मानकों के अनुसार संशोधित किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपकरण आईआरएस वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा करने में ईंधन सेल प्रौद्योगिकी जो वितरित की जाएगी वह पूरी तरह से समुद्री अनुरूप समाधान होगा।

संभावित विफलताओं की पहचान करने और न केवल स्थानीय स्तर (घटक स्तर) बल्कि वैश्विक स्तर (पोत स्तर) पर भी ऐसे किसी भी खतरनाक परिदृश्य को पहचानने और कम करने के लिए सुधारात्मक/निवारक उपाय करने के लिए सी-एसएएस टीम द्वारा फ़्यूल सेल पार्टनर के साथ मिलकर एक डिजाइन एफएमईए भी किया गया था। इस पद्धति में ईंधन सेल नियंत्रण प्रणाली, ऊर्जा प्रबंधन, प्रणोदन नियंत्रण और पोत स्वचालन प्रणाली भी शामिल है।

(iii) समुद्री खंड में ईंधन सेल प्रौद्योगिकी

विश्लेषणात्मक पदानुक्रमित प्रक्रिया (एएचपी) का उपयोग करके समुद्री खंड में लागू उपयुक्त ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का निर्धारण करने के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था। एएचपी कई उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम समाधान पर पहुंचने के लिए गणितीय उपकरणों का उपयोग करके जटिल निर्णयों को व्यवस्थित और विश्लेषण करने की एक विधि है। उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

(iv) अंतर्जलीय वाहन की विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण

सी-एसएएस ने उत्पादीकरण के नजरिए से अंतर्जलीय वाहन के लिए सभी उपतंत्रों पर एक विस्तृत सिस्टम लेवल एफएमईए आयोजित किया। सभी उपतंत्रों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से, हमारे अध्ययन ने अंतर्जलीय वाहन के तकनीकी विकास में संभावित प्रणाली विफलताओं, अंतरालों का खुलासा किया है।

जोखिम और चिंताएं

36. कंपनी के लिए जोखिम पोत निर्माण उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति से उत्पन्न होता है। वर्षों से कंपनी के राजस्व का एक अनिवार्य हिस्सा वाणिज्यिक

पोत निर्माण से है जो प्रकृति में अत्यधिक चक्रीय है। वाणिज्यिक पोत निर्माण उद्योग की संभावनाएं विश्व व्यापार और तेल, प्राकृतिक गैस, नौवहन, परिवहन और अन्य व्यापार से संबंधित उद्योगों की चक्रीयता पर निर्भर है। महामारी की स्थिति ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी थी और पोत निर्माण और मरम्मत उद्योगों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विवर्तनिक बदलाव की ओर संभावित संकेतों के लिए स्थिति पर नज़र रखी जा रही है।

37. कंपनी की गतिविधियों के प्रमुख हिस्से में बड़ी इस्पात संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल हैं और इसके निर्माण में क्रेन और अन्य भारी मशीनरी और अन्य ऑपरेटिंग खतरों का संचालन होगा। कंपनी के सामने आनेवाले परिचालनगत जोखिमों के कारण आग और विस्फोट आदि भी हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं के कारण होनेवाले नुकसान को एक मानक आग और विशेष खतरों नीति के तहत शामिल किया जाता है, लेकिन सीएसएल के पास व्यापार रुकावट के लिए बीमा नहीं है। ये जोखिम कंपनी को व्यक्तिगत चोट, गलत तरीके से मौत, उत्पाद, दायित्व, संपत्ति की क्षति, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसानों के लिए पर्याप्त देयता को उजागर करवा सकते हैं।
38. कंपनी के लिए एक और उच्च जोखिम वाला क्षेत्र प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत है। प्रमुख कच्चे माल में स्टील (ग्रेड और गुणवत्ता, प्रत्येक परियोजना में, लागी वर्गीकरण नियमों पर निर्भर करता है) और अन्य सामग्री, उपकरण और अन्य घटक जैसे पंप, प्रोपलर और इंजन शामिल है। वित्तीय वर्ष क्रमशः 2021, 2022 और 2023 में कंपनी की सामग्री की खपत की लागत कुल लागत का क्रमशः 55.39%, 60.67% और 51.29% थी। विशेष रूप से खरीदे गए घटकों को इन हाल ही के वित्तीय वर्षों में हमारे कुल कच्चे माल की लागत का लगभग 95% हिस्सा है।
39. कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के कारण इन कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत में स्टील के संबंध में आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं हैं जिन्हें हम भविष्य में जारी रखने की उम्मीद करते हैं। भारतीय स्टील उद्योग विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहा है इसलिए कि भारत सरकार ने देशी स्टील उद्योग की रक्षा के लिए चीन जैसे अन्य राज्यों से स्टील के आयात पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाया है। इससे प्रापण की लागत में वृद्धि करके सीएसएल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कच्चे सामग्रियों जैसे कि स्टील, अलुमिनियम, कॉपर आदि के लागत, वैश्विक आपूर्ति और मांग में किसी भी बदलाव के साथ-साथ उतार-चढ़ाव आ सकती है और इस प्रकार सामग्री की लागत को प्रभावित कर रहा है।
40. यदि कंपनी की कच्ची सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हुई है, तो, कंपनी अपने मौजूदा ठेके में अपने ग्राहकों को इन मूल्यों में वृद्धि नहीं कर पाएगी और अपने व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालनों का परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

41. मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन हमारे परिचालन के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक रूप से, दुनिया भर में सभी पोत बिक्री लेनदेन और अपतटीय संरचनाओं की खरीद का एक बड़ा हिस्सा आम तौर पर यूएसडी में आयोजित किया जाता है। इस जोखिम को कम करने हेतु कंपनी निर्यात प्राप्तियों पर शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करती है। हालांकि, पोत निर्माण/ पोत मरम्मत अनुबंध के संदर्भ में आयात घटकों के मामले में रूप में मूल्यवर्ग में गिरावट दर्ज की गई है, सीएसएल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम से अवगत कराया जाता है जब तक कि पोत के मालिक के साथ अनुबंध विनिमय भिन्नता प्रतिपूर्ति खंड के लिए प्रदान नहीं करता है। वर्तमान में पोत निर्माण के कुछ अनुबंधों में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए, मुद्रा दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव हमारे संचालन के परिणामों को प्रभावित और प्रवृत्त करेगा।

उत्पाद विविधीकरण

42. चूंकि कंपनी वर्तमान में परिवर्तनकारी विकास के शिखर पर है, सीएसएल हरित ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधन, स्वायत्तता आदि सहित नवीन और नई प्रौद्योगिकी की ओर परिवर्तनकारी प्रयास कर रही है, इसके लिए, सीएसएल 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमरैन हल का निर्माण कर रहा है। कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए पोत, जो अपनी तरह का एक, आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल का नाव है और कोच्ची नागरिकों की निर्बाध परिवहन प्रणाली को एकीकृत करने की उम्मीद है। रिपोर्ट की तिथि तक कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए कुल नौ नावें वितरित की गई हैं। इसके अलावा, सीएसएल ने अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त विद्युत जलयानों का आदेश भी दिया।
43. वित्तीय वर्ष के दौरान, सीएसएल ने एक यूरोपीय ग्राहक से 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल्स (सीएसओवी) के निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त किया है, जिसमें 4 और जलयानों के निर्माण के विकल्प के साथ मालिक द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रयोग किया जा सकता है। इन जलयानों को कमीशनिंग और अनुसंधान के लिए अपतटीय पवन फार्म प्रतिष्ठानों की सेवाओं के लिए अभिप्रेत है। इन विशेष जलयानों को देश में पहली बार अनुबंधित किया जा रहा है। सीएसएल को दो और जलयानों के विकल्प के साथ दो शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान के डिजाइन और निर्माण के लिए एक अन्य यूरोपीय ग्राहक से भी ऑर्डर मिला। ये पोत 365 संख्या के 45 फीट लंबे ऊंचे घन कंटेनरों को ले जा सकते हैं और इनका उद्देश्य यूरोपीय बाजार की सेवा करना है जहाँ टिकाऊ परिवहन समाधान उच्च माँग में है।
44. सीएसएल स्वदेशी भागीदारों के सहयोग से और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में कम तापमान प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी (एलटी-पीईएम) पर आधारित हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए एक प्रारंभिक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इसे प्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल (एफसीईवी) भी

कहा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर बढ़ते प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए, समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से भारत में, जहां तटीय और अंतर्देशीय जहाजों पर इसके उपयोग की व्यापक संभावना है, केवल इसके उपयोग के मामले का पता लगाने ही विवेकपूर्ण है। साथ ही, कंपनी स्वायत्त क्षेत्र में सीएसएल की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक स्वदेशी स्वायत्त भूतल पोत (एसवी), 'स्वायत्त' विकसित करने की योजना बना रही है। निदेशक मंडल ने दिनांक 29 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी 271 वीं बैठक में शुरुआती एसवी परियोजना के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहल निधि के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।

45. सीएसएल ने एक स्टार्ट-अप एंजेलमेंट ढांचे की भी कल्पना की है जिसका अनावरण दिनांक 30 अप्रैल 2022 को आयोजित कंपनी के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन समारोह में माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा किया गया था। इस ढांचे के साथ सीएसएल ने समुद्री क्षेत्र में लगी स्टार्ट-अप कंपनियों में 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष निवेश करने हेतु प्रतिबद्ध किया है। स्टार्ट-अप ढांचे की परिकल्पना हितधारकों को एक साथ लाकर तकनीकी, नियामक, वित्तीय और विपणन दृष्टिकोण से समुद्री स्टार्ट-अप का समर्थन करने हेतु भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भारत सरकार की पहल को बढ़ाने के लिए की गई है। यह ढांचा युवा और प्रतिभाशाली उद्यमियों को सीएसएल द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ समुद्री क्षेत्र में उत्पादों/सेवाओं को विकसित करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। ढांचे के संचालन के लिए प्रमुख भागों में से एक उपयुक्त समीक्षा और सिफारिश एजेंसियों (आरआरए) को नियुक्त करना है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निवेश के लिए स्टार्ट-अप के चयन में शामिल होंगे, चयनित स्टार्ट-अप के लिए विभिन्न हितधारकों को जुटाना, उनकी प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना आदि। सीएसएल ने ढांचे के तहत भारतीय प्रबंधन संस्थान कोषिकोड लाइव (आईआईएमके लाइव) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) को समीक्षा और सिफारिश एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया है।

आंतरिक नियंत्रण

46. कंपनी को एक आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा मैनुवल प्रख्यापित किया है और एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक स्वतंत्र कंपनी द्वारा किया जाता है और वे स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर के लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा कार्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं की गहराई से समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने मेसर्स कृष्णमूर्ति और कृष्णमूर्ति, सनदी लेखाकार को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा और स्थापित करने और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित और पर्याप्त प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

47. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध से संबंधित विवरण को अधिक विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

स्त्री सशक्तिकरण

48. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) नामक नए कानून द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और मानकों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक है। श्रमिकों के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश में यौन उत्पीड़न एक दुराचार अधिनियम के रूप में शामिल है। आंतरिक शिकायत समिति को प्रमाणित स्थायी आदेश और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।
49. 08 मार्च, 2023 को सीएसएल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के भाग के रूप में महिला कार्यबल की प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। कंपनी में विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने और कंपनी की महिला कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार कल्याण उपायों को तैयार करने और लागू करने के लिए एक महिला कल्याण अधिकारी है। सीएसएल ने दिनांक 09 दिसंबर, 2022 को पॉश अधिनियम पर एक सत्र आयोजित करके पॉश अधिनियम की 9 वीं वर्षगांठ मनाई है।
50. कंपनी ने संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केन्द्रीय सुरक्षा परिषद, शॉप सुरक्षा परिषद, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी कोचीन शिपयार्ड रीक्रियेशन क्लब, कर्मचारी कोचीन शिपयार्ड ग्राहक समिति आदि जैसे कर्मचारी और प्रबंधन के संयुक्त फॉरम के भाग के रूप में महिला कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की है।

सार्वजनिक प्रापण नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

51. कंपनी एमएसएमई से खरीद/लाभकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल स्वदेशी खरीद में से एमएसएमई से माल और सेवाओं की 25% खरीद के आवश्यक लक्ष्य के मुकाबले 54% का लक्ष्य हासिल किया है। सीएसएल की पहल के कारण अ.जा./अ.ज.जा. और महिला एमएसएमई उद्यमी भी लाभान्वित हो रहे हैं।
52. भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रख्यापित सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अनुसार एमएसएमई के माध्यम से खरीद/लाभ सेवाओं को बढ़ावा देने

की दृष्टि से, सीएसएल, एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय, त्रिशूर के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 17 और 18 नवंबर, 2022 को कोच्चि में एक डीलर विकास कार्यक्रम अर्थात 'राष्ट्रीय डीलर विकास कार्यक्रम - 2022' का आयोजन किया गया।

53. एचक्यूएसएनसी के निर्देशों के अनुसार, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता केंद्र, कोयंबतूर ने दिनांक 23 जनवरी, 2023 को कोयंबतूर जिला लघु उद्योग संघ (सीओडीआईएसएसआईए) के पदाधिकारियों के साथ 25 फरमाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 कर्मियों की यात्रा का आयोजन किया। सीओडीआईएसएसआईए के प्रतिनिधियों ने सीएसएल के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत की और खुद को वर्तमान चुनौतियों और स्वदेशीकरण की संभावना/क्षमता से परिचित कराया।
54. अन्य पहलुओं में एमएसएमई विक्रेताओं के लिए सीएसएल वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने और "एमएसएमई संबंध" पोर्टल में प्रापण डेटा और अन्य विवरणों को नियमित रूप से अपलोड करना, यह सुनिश्चित करना कि "एमएसएमई समाधान" पोर्टल में विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली पर कोई विक्रेता शिकायत लंबित नहीं, जिसका अर्थ है कि एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आदि में लगभग 180 विक्रेताओं के सवाल पर बिना किसी देरी के किया जाता है।

अन्य सूचना

55. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पहलों, प्रौद्योगिकी अवशोषण और उन्नयन प्रयासों, अक्षय ऊर्जा में प्रवेश, विदेशी मुद्रा संरक्षण आदि के बारे में विवरण निदेशकों की रिपोर्ट और उसके अनुलग्नक में प्रदान किए गए हैं।

सचेतक विवरण

56. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से प्रस्तुत भिन्न हो सकता है- मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनिमय, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटक शामिल हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

कोच्ची

मई 19, 2023

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

भाग क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L63032KL1972GOI002414
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3.	निगमन की तिथि	1972
4.	पंजीकृत कार्यालय पता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमनूर, कोच्ची – 682015 केरल, भारत
5.	कॉर्पोरेट पता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमनूर, कोच्ची – 682015 केरल, भारत
6.	ई-मेल	secretary@cochinshipyard.in
7.	दूरभाष	0484 236 1306
8.	वेबसाइट	www.cochinshipyard.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	₹ 1,31,54,03,900
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (दूरभाष, ई-मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्यामकमल एन दूरभाष : 0484 250 1306 ईमेल: secretary@cochinshipyard.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलॉन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)	स्टैंडअलॉन

II. उत्पाद /सेवाएं

14. व्यापार गतिविधियों का विवरण (कुल कारोबार का 90% हिस्सा है)

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यापार गतिविधि का विवरण	इकाई का कुल कारोबार का %
1.	निर्माण	पोत निर्माण	75.8
2.	सेवा	पोत मरम्मत	24.2

15. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद / सेवाएं (इकाई के कुल कारोबार का 90% हिस्सा):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	योगदान दिए कुल कारोबार का %
1.	पोत निर्माण	301	75.8
2.	पोत मरम्मत	331	24.2

III. प्रचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या प्रचालन / कार्यालय स्थित हैं :

क्र.सं.	स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की सं.	कुल
1.	राष्ट्रीय	5	-	5
2.	अंतर्राष्ट्रीय	-	-	0

टिप्पणी : उपरोक्त के अलावा कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी हैं; हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का संयंत्र नजीरगंज, पश्चिम बंगाल में है और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का संयंत्र उडुपी, कर्नाटक में है।

17. इकाई द्वारा प्रदत्त बाज़ार

क. स्थानों की सं.

क्र.सं.	स्थान	संख्या
1.	राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) ⁽¹⁾	11
2.	अंतर्राष्ट्रीय (देशों की सं.) ⁽²⁾	8

⁽¹⁾ पोत निर्माण / पोत मरम्मत के हमारे व्यवसाय की अंतर्निहित प्रकृति के कारण, कंपनी आम तौर पर देश के तटीय राज्यों और राष्ट्रीय जलमार्गवाले राज्यों के साथ-साथ देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है।

⁽²⁾ कंपनी ने दुनिया भर में नॉर्वे, नेथरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क/बहामास, साउदी अरब और यूएई में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है ?

12 %

ग. विविध प्रकार के ग्राहकों पर एक संक्षिप्त जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) देशी और अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माण बाज़ार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। देशी मोर्चे पर हमारे प्रमुख पोत निर्माण ग्राहकों में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, गृह मंत्रालय, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लक्षद्वीप सरकार, विभिन्न पत्तन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई), अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, द्वीपस्तंभ और द्वीपपोत महानिदेशालय और ज़िंदल स्टील वर्क्स ग्रुप आदि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर सीएसएल ने नॉर्वे, नेथरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी डेनमार्क/बहामास, साउदी अरब और यूएई में कुछ सबसे अधिक मांगवाले ग्राहकों को 47 जलयानों का निर्यात किया है। सीएसएल ने तेल अन्वेषण उद्योग के पोतों के उन्नयन के साथ-साथ पोतों के आवधिक रखरखाव, मरम्मत और जीवन विस्तार सहित विभिन्न प्रकार के पोतों की मरम्मत का कार्य भी किया है।

IV. कर्मचारीगण

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण :

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)
कर्मचारीगण						
1.	स्थायी (घ)	615	543	88.29	72	11.71
2.	स्थायी के अलावा (ड.)	263	224	85.17	39	14.83
3.	कुल कर्मचारीगण (घ + ड.)	878	767	87.36	111	12.64

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)
कामगार						
4	स्थायी (च)	1449	1324	91.37	125	8.63
5	स्थायी के अलावा (छ)	1110	1039	93.6	71	6.4
6	कुल कामगार (च अ छ)	2559	2363	92.34	196	7.66

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार :

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग / क)
दिव्यांग कर्मचारीगण						
1	स्थायी (घ)	10	9	90	1	10
2	स्थायी के अलावा (ड.)	2	2	100.00	0	0
3	कुल कर्मचारीगण (घ अ ड.)	12	11	91.67	1	8.33
दिव्यांग कामगार						
4	स्थायी (च)	42	37	88.1	5	11.9
5	स्थायी के अलावा (छ)	8	7	87.5	1	12.5
6	कुल कामगार (च अ छ)	50	44	88	6	12

19. महिलाओं की भागीदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व :

विवरण	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	(ख/क)
निदेशक मंडल	12	1	8.33
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5	0	0

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए कुल कारोबार दर :

(पिछले 3 वर्षों के रुझानोंका खुलासा करें)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार दर)			वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार दर)			वर्ष 2021 (पिछले तीन वर्ष से पहले के वर्ष में कुल कारोबार दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारीगण	5.78	4.00	5.56	8.49	1.49	7.64	6.61	0.00	5.80
स्थायी कामगार	2.09	1.83	2.06	2.85	3.03	2.86	3.08	2.07	3.00

V. नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियों (संयुक्त उद्यम सहित)

21. क. नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम

क्र. सं.	नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या यह नियंत्रक/ सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा संभाले गए शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (जी हां/जी नहीं)
1.	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	100	जी नहीं
2.	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	100	जी नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. i. क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है : (हां/नहीं)

जी हां

ii. कुल कारोबार (रुपए में.)

23304588000

iii. निवल मूल्य (रु. में)

44234187000

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायत

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र (हां/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2022 (पिछले वित्तीय वर्ष)		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की सं.	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की सं.	अभ्युक्तियां
समुदाय	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	8	0		18	0	
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0		0	0	
शेयरधारक	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	17	0		4	0	
कर्मचारी एवं कामगार	जी हां, सीएसएल इंटरनेट	0	0		0	0	
ग्राहक	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0		0	0	
मूल्य श्रृंखला भागीदार	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0		0	0	

24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ -साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्र. सं.	पहचान की गई प्रत्यक्ष मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण अपनाएं	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1.	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	सीएसएल द्वारा शुरू की गई अधिकांश पोत निर्माण परियोजनाएं जीवाश्म ईंधन से संचालित होते हैं। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती जागरूकता से ऐसे पोतों की मांग कम हो जाएगी और सीएसएल के संचालन पर असर पड़ेगा।	सीएसएल पहले हरित नौवहन पहल शुरू कर चुका है। सीएसएल ने पहले ही एसकेओ मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक जलयानों का निर्माण और वितरण किया है। 67 मीटर लंबे जलयानों को 1846 केडब्ल्यूएच क्षमता की बैटरी द्वारा संचालित पूर्ण- इलेक्ट्रिक परिवहन घाट के रूप में वितरित किया गया था। सीएसएल कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल वेसल्स का निर्माण का रहा है, जो अपनी तरह की एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल नाव है। इसके अलावा, सीएसएल पेलजिक ग्रूप, साइप्रस के लिए 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान और सैमस्कप ग्रूप, नॉर्वे के लिए 2 ज़ीरो एमिशन फीडर कंटेनर जलयान भी बना रहा है। इसके अलावा, कंपनी हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयानों के विकास की प्रक्रिया में भी है।	नकारात्मक निहितार्थ
2.	जलवायु परिवर्तन	अवसर	शून्य उत्सर्जन जलयानों की मांग में वृद्धि	वैश्विक समुद्री हरित परिवर्तन के साथ तालमेल रखते हुए, कंपनी भारत के पहले देशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जलयानों के विकास और निर्माण की प्रक्रिया में है, जो पतन, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक प्रमुख परियोजना है। प्रमुख परियोजना निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी के विकास पर आधारित है – जिसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक जलयान भी कहा जाता है और सी-एसएएस डिवीजन डिज़ाइन, विकास और जलयान के निर्माण के तकनीकी हिस्से का प्रभारी है। यह कदम हरित ऊर्जा और टिकाऊ लागत प्रभावी वैकल्पिक ईंधन के संबंध में नवीन और नई प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर भारत के परिवर्तनकारी प्रयासों का हिस्सा है। प्रमुख परियोजना भारतीय साझेदारों के सहयोग से चलाया जा रहा है। दुनिया भर की सरकारें सतत विकास मॉडल लागू करने के लिए कॉर्पोरेट्स की ओर ध्यान केंद्रित है। माननीय प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने 2070 तक कार्बन तटस्थ बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।	

क्र. सं.	पहचान की गई प्रत्यक्ष मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण अपनाएं	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
				इस दिशा में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पहले ही कई उपाय शुरू कर दिए हैं और सीएसएल समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए हरित नौवहन पहल का नेतृत्व कर रहा है। हरित पहल के हिस्से के रूप में, सीएसएल, कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल जलयानों का निर्माण कर रहा है, जो अपनी तरह की एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा, कुशल और पर्यावरण अनुकूल नाव है और शहरी जल परिवहन प्रणाली को एकीकृत करने की उम्मीद है जो कोच्ची नागरिकों की निर्बाध परिवहन आवश्यकताओं के लिए है। हरित पहल के प्रति सीएसएल की प्रतिबद्धता एसकेओ मैरीटाइम एस, नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक जलयानों के आदेश की सुपुर्दगी से भी स्पष्ट होती है। इसके अलावा सीएसएल पेलाजिक ग्रुप, साइप्रस के लिए 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान और सैमस्कप ग्रुप, नॉर्वे के लिए 2 शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान भी बना रहा है। इसके अलावा, कंपनी हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयानों के विकास की प्रक्रिया में भी है।	सकारात्मक निहितार्थ

नीति और प्रबंधन प्रक्रिया

1. क. क्या आपकी इकाई की नीति एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को शामिल करती है। (जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	-	जी हां	जी हां

- ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ? (जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	-	जी हां	जी हां

नीतियों को बोर्ड की प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार बोर्ड/संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68								

2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है . (जी हां / जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	-	जी हां	जी हां

3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	-	जी हां	जी हां

4. आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों (उदाहरण के लिए फॉरसेट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत से मैप किया गया।

पी 1	बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आदर्श व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता, आचरण अनुशासन और अपील नियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग दिशानिर्देश और नियमावली।
पी 2	आईएसओ 9001:2005 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001 : 2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक।
पी 3	आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक, कर्मचारी कल्याण और कौशल विकास उपाय जैसा कि निदेशकों की रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
पी 4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बेचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निदेश और दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया निदेशकों की रिपोर्ट देखें।
पी 5	सीएसएल मानवाधिकारों के संबंध में सभी लागू राष्ट्रीय कानूनों, सिद्धांतों और मानदंडों के साथ जुड़ा हुआ है।
पी 6	आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली।

पी 7	लागू नहीं।
पी 8	सीएसएल की सीएसआर परियोजनाओं का लक्ष्य पूरे देश में निम्न सामाजिक -आर्थिक स्तर के समुदाय को लाभ पहुंचाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया निदेशकों की रिपोर्ट से जुड़े सीएसआर अनुभाग को देखें।
पी 9	आईएसओ 9001: 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001 : 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक।

5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और निर्धारित समय-सीमा के साथ लक्ष्य, यदि कोई हो।

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
सीएसएल के पास सभी नीतियों के लिए अनिवार्य लक्ष्य, प्रतिबद्धताएं या मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं है। सीएसएल ने ईएसजी मापदंडों जैसे जीएचजी उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन, पानी, बिजली आदि संसाधनों की खपत की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक एसएएस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर स्थापित किया है।								

6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
सीएसएल प्रमुख मापदंडों की निगरानी करता है और जहां भी आवश्यक हो, नीतियों को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करता है।								

शासन, नृत्त्व और निरीक्षण

7. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उद्यमियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)

वर्तमान में दुनिया भर की सरकारें सतत विकास मॉडल लागू करने के लिए कॉर्पोरेट्स की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है। माननीय प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने 2070 तक कार्बन तटस्थ बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते सीएसएल माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, सीएसएल ने समुद्री प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पहले ही कई पहल शुरू कर दी हैं। हरित पहल को जारी रखते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएसएल कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैल हल जलयान का निर्माण कर रहा है, जो अपनी तरह की एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल नाव है और उम्मीद है कि यह कोच्ची नागरिकों की निर्बाध परिवहन आवश्यकताओं के लिए शहरी जल परिवहन प्रणाली को एकीकृत करें। हरित पहल के प्रति सीएसएल की प्रतिबद्धता को एसकेओ मैरीटाइम एस, नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक जलयानों के आदेश की सुपुर्दगी से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा, सीएसएल पेलॉजिक ग्रुप, साइप्रस के लिए 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान और सैमस्किप ग्रुप, नॉर्वे के लिए 2 शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान भी बना रहा है। इसके अलावा, कंपनी हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयानों के विकास की प्रक्रिया में भी है। इसके अलावा, सीएसएल स्वदेशी साझेदारों के सहयोग से और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में कम तापमानवाले प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए एक प्रमुख परियोजना लागू कर रहा है। इसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक जलयान भी कहा जाता है जो कल को हरित बनाने की दिशा में एक कदम है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर बढ़ते प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए, खासकर भारत में, समुद्री क्षेत्र में इसके उपयोग के मामले का पता लगाना ही समझदारी है, जहां तटीय और अंतर्देशीय जलयानों पर इसके उपयोग की व्यापक संभावना है।

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।

श्री मधु शंकुणी नायर (डीआईएन: 07376798), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

9. क्या इकाई के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है ? (हां / नहीं). यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

जी हां, श्री मधु शंकुणी नायर (डीआईएन : 07376798), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्थिरता संबंधी मुद्दों के संबंध में निर्णय लेनेवाले प्राधिकारी हैं।

10. कंपनी द्वारा एनजीहआरबीसी की समीक्षा का विवरण

	उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन एवं अनुवर्ती कार्रवाई		सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार
बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी	पी 1	जी हां	सीएसएल लागू मौजूदा नियमों के अनुपालन में है।
	पी 2	जी हां	
	पी 3	जी हां	
	पी 4	जी हां	
	पी 5	जी हां	
	पी 6	जी हां	
	पी 7	-	
	पी 8	जी हां	
	पी 9	जी हां	
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ तिमाही/ कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	पी 1	जी हां	तिमाही। लागू कानूनों पर एक वैधानिक अनुपालन प्रमाणपत्र सीएमडी और निदेशक (वित्त) द्वारा निदेशक मंडल को प्रदान किया जाता है।
	पी 2	जी हां	
	पी 3	जी हां	
	पी 4	जी हां	
	पी 5	जी हां	
	पी 6	जी हां	
	पी 7	-	
	पी 8	जी हां	
	पी 9	जी हां	

11. क्या इकाई ने किसी बाहरी अभिकरण द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है ? (जी हां/जी नहीं)। यदि हां, तो अभिकरण का नाम बताएं।

पी 1	जी हां, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता वाले सतर्कता विभाग द्वारा किया जाता है।
पी 2	जी हां, आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001 : 2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों का मूल्यांकन डीएनवी-जीएल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी 3	जी हां, आईएसओ 45001 : 2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक का मूल्यांकन डीएनवी-जीसल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी 4	जी हां, सीएसएल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बेचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निदेशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है, जिसकी लेखापरीक्षा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है।
पी 5	जी हां, सीएसएल मानवाधिकारों के संबंध में सभी लागू राष्ट्रीय कानूनों, सिद्धांतों और मानदंडों का अनुपालन करता है, जिसकी निगरानी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।
पी 6	जी हां, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक का मूल्यांकन डीएनवी — जीएल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी 7	लागू नहीं।
पी 8	जी हां, सीएसएल की सीएसआर परियोजनाओं की लेखापरीक्षा कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ-साथ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है।
पी 9	जी हां, आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001 : 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों का मूल्यांकन डीएनवी-जीएल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाना चाहिए :

लागू नहीं।

भाग – ग : सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1

व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज :

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल सं.	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	1	1*	33.33
मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक	1	1*	100.00
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	780	1*	100.00
कामगार	2336	1*	100.00

*दिनांक 31 अक्टूबर 2022 से 06 नवंबर 2022 के दौरान सीएसएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के पालन के तहत जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किए गए।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/ कानून प्रवर्तन अभिकरणों/ न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान की गई जुर्माना/ दंड/कार्य /शमन शुल्क/समाधान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में विवरण (नोट : इकाई सेबी के आधार पर प्रकटीकरण करेगी जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट है और जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर बताया गया है) :

मुद्रा					
क्र. सं.	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन अभिकरणों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (जी हां/नहीं)
शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

गैर-मौद्रिक					
क्र. सं.	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन अभिकरणों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (जी हां/नहीं)
शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पंसदीदा अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है :

क्र. सं.	मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन अभिकरणों/न्यायिक संस्थानों का नाम
शून्य	लागू नहीं	शून्य

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है ? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का एक वेब-लिंक प्रदान करें।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय सतर्कता के संबंध में विभिन्न गतिविधियां करता है, दंडात्मक सतर्कता से संबंधित मामलों में जांच करता है और निगरानी एवं पता लगाने की पहल करता है। सतर्कता विभाग सभी खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण सीवीसी दिशानिर्देशों के सख्त से अनुपालन के लिए विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित वेब लिंक <https://cochinshipyard.in/Vigilance> देखें।

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन अभिकरण द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई :

	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक	0	0
कर्मचारीगण	0	0
कामगार	0	0

6. हितों के विरोधाभास के संबंध में शिकायतों का विवरण :

	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	अभ्युक्तियां	संख्या	अभ्युक्तियां
निदेशकों के हितों के विरोधाभास के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की सं.	0	-	0	-
केएमपी के हितों के विरोधाभास के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के विरोधाभाव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन अभिकरणों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 2

व्यवसायों को सामान एवं सेवाएं ऐसे तरीके से प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में क्रमशः अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश का प्रतिशत

	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के विवरण
अनुसंधान एवं विकास	0	0	लागू नहीं
पूंजीगत व्यय निवेश	0	0	लागू नहीं

2. क. क्या इकाई के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं ? (जी हां/नहीं)

जी हां।

ख. जी हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे ?

100%.

कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन के लिए अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणनवाले विक्रेता, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेता, निर्माता के विभिन्न अधिकृत डीलर, क्षमता आदि शामिल हैं जो निर्धारित विशिष्टता और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रदान करना, निर्धारित वितरण अवधि के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता प्रदान करने के लिए है। औसत प्रदर्शन तय करने कलिए विक्रेता को दिए गए आदेश का वार्षिक मूल्यांकन पूरा किया जाता है। किसी विक्रेता को मूल्यांकन की अवधि के दौरान उसके औसत प्रदर्शन के आधार पर अनुमोदित विक्रेता सूची से हटा दिया जाता है / निलंबित कर दिया जाता है। विक्रेताओं की सूची की साल में एक बार समीक्षा और अद्यतन किया जाता है।

3. जीवन काल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें :

क. प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)

कचरे का निपटान सरकार द्वारा अधिकृत बाहरी अभिकरण के माध्यम से किया जाता है।

ख. ई-कचरा

कचरे का निपटान सरकार द्वारा अधिकृत बाहरी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है।

ग. खतरनाक अपशिष्ट

अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार द्वारा अधिकृत बाहरी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है।

घ. अन्य अपशिष्ट

कचरे का निपटान सरकार द्वारा अधिकृत बाहरी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व इकाई की गतिविधियों पर लागू है (जी हां / जी नहीं). यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें।
- जी नहीं। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सीएसएल पर लागू नहीं है।

सिद्धांत 3

व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की कल्याण हेतु उपायों का विवरण :

श्रेणी	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं.(ख)	%(ख/ क)	सं. (ग)	%(ग/ क)	सं. (घ)	%(घ/ क)	सं. (ड.)	%(ड./ क)	सं. (च)	%(च/ क)
पुरुष	555	555	100	555	100	लागू नहीं	लागू नहीं	555	100	555	100
महिला	80	80	100	80	100	80	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	80	100
कुल	635	635	100	635	100	80	100	555	100	635	100
स्थायी कर्मचारीगण के अलावा											
पुरुष	129	129	100	129	100	लागू नहीं	लागू नहीं	129	100	129	100
महिला	21	21	100	21	100	21	100	लागू नहीं	लागू नहीं	21	100
कुल	150	150	100	150	100	21	100	129	100	150	100

ख. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण :

श्रेणी	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	%(ख/ क)	संख्या (ग)	%(ग/ क)	सं.(घ)	%(घ/ क)	सं.(ड.)	%(ड./ क)	सं.(च)	%(च/ क)
पुरुष	1198	1198	100	1198	100	लागू नहीं	लागू नहीं	1198	100	1198	100
महिला	117	117	100	117	100	117	100	लागू नहीं	लागू नहीं	117	100
कुल	1315	1315	100	1315	100	117	100	1198	100	1315	100
स्थायी कर्मचारीगण के अलावा											
पुरुष	958	958	100	958	100	लागू नहीं	लागू नहीं	958	100	958	100
महिला	63	63	100	63	100	63	100	लागू नहीं	लागू नहीं	63	100
कुल	1021	1021	100	1021	100	63	100	958	100	1021	100

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

क्र.सं.	लाभ	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)		
		कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की सं.	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी पास जमा की गई (जी हां/जी नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की सं.	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (जी हां/जी नहीं/लागू नहीं)
1.	पी एफ	100.00	100.00	जी हां	100.00	100.00	जी हां
2.	उपदान	100.00	100.00	जी हां	100.00	100.00	जी हां
3.	ईएसआई	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00	0.00	लागू नहीं
4.	बीमा से जुड़ी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना	100.00	100.00	जी हां	100.00	100.00	जी हां

सांविधिक रिपोर्ट

व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं ? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

जी हां

4. क्या इकाई के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है ? यदि हां, तो नीति के लिए एक वेब लिंक प्रदान करें।

भर्ती, नौकरी चयन/स्थानांतरण/रोटेशन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मूल्यांकन और मुआवज़े और लाभ जैसी सभी कर्मचारी प्रक्रियाओं में समानता, समावेशिता और निष्पक्षता को आत्मसात किया गया है और कंपनी की मानव संसाधन नीतियों को सीएसएल इंटरनेट पर कर्मचारियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी भेदभाव नहीं करती है और लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, उम्र, समुदाय, शारीरिक क्षमता या यौन अभिविन्यास आदि के बावजूद सभी व्यक्तियों को समान अवसर देती है। कंपनी इस विषय पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों का भी पालन करती है।

5. माता-पिता की छुट्टी लेनेवाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100	100	100	100
महिला	100	100	100	100
कुल	100	100	100	100

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है ? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

जी हां / जी नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)	
स्थायी कामगार	जी हां, सीएसएल में 5 चरण की शिकायत निवारण तंत्र है, जो पहले चरण में रिपोर्टिंग अधिकारी से शुरू होकर पाचवें चरण में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक है और शिकायत को हल करने के लिए प्रत्येक चरण में विशिष्ट समय-सीमा है। इस तंत्र की विस्तृत रूपरेखा सीएसएल इंटरनेट में उपलब्ध है।
स्थायी कामगारों के अलावा	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी/कामगार	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संघ या संघ (ख) का हिस्सा हैं	% (ख /क)	संबंधित श्रेणी (ग) में कुल कर्मचारी/कामगार	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जो संघ या यूनियन (घ) संबंधित है	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	635	635	100.00	553	553	100.00
पुरुष	555	555	100.00	483	483	100.00
महिला	80	80	100.00	70	70	100.00
कुल स्थायी कामगार	1315	1315	100.00	1204	1204	100.00
पुरुष	1198	1198	100.00	1102	1102	100.00
महिला	117	117	100.00	102	102	100.00

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)					वि.व. 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कुशलता उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कुशलता उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% ख/क	सं. (ग)	% ग/क		सं.(ड.)	% ड./घ	सं.(च)	% च/घ
कर्मचारीगण										
पुरुष	684	139	20.32	256	37.43	593	33	5.56	330	55.65
महिला	101	13	12.87	51	50.50	89	4	4.49	56	62.92
कुल	785	152	19.36	307	39.11	682	37	5.43	386	56.60
कामगार										
पुरुष	2156	2156	100.00	142	6.59	2304	90	3.91	103	4.47
महिला	180	106	58.89	17	9.44	182	7	3.85	11	6.04
कुल	2336	2262	96.83	159	6.81	2486	97	3.9	114	4.59

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और वृत्ति विकास की समीक्षा का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023 (पूर्व वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	सं. (ख)	% ख/क	कुल (ग)	सं. (घ)	% घ/ग
कर्मचारीगण						
महिला	684	684	100.00	593	593	100.00
पुरुष	101	101	100.00	89	89	100.00
कुल	785	785	100.00	682	682	100.00
कामगार						
माहिला	2156	2156	100.00	2304	2304	100.00
पुरुष	180	180	100.00	182	182	100.00
कुल	2336	2336	100.00	2486	2486	100.00

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/ नहीं)। यदि हां, तो ऐसी का कवरेज।

जी हां। सीएसएल आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक से प्रमाणित है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जानेवाली प्रक्रियाएं क्या हैं ?

खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा यार्ड में किए जानेवाले नियमित और गैर-नियमित कार्यों से जुड़े खतरों और जोखिमों की पहचान और आकलन करने के लिए उपयोग किया जानेवाला उपकरण है। इस प्रक्रिया में सभी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना और प्रत्येक गतिविधियों को खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन कार्य पत्रक के माध्यम से सूचीबद्ध करना शामिल है। खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन की गणना का मात्रात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, और निम्न, मध्यम और उच्च जोखिमवाली गतिविधियों के लिए जोखिम मूल्य के आधार पर गतिविधियों को प्राथमिकता देता है। जोखिमों को कम करने और जोखिम स्तर को उच्च और मध्यम से निम्न जोखिम तक कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को प्रत्येक गतिविधियों से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रियाओं और प्रचालन नियंत्रण प्रक्रियाओं में वर्णित किया गया है।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (जी हां/ जी नहीं)

जी हां।

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/ कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं ? (जी हां/ जी नहीं)

जी हां, सीएसएल का कोच्ची में एक पूर्ण चिकित्सा केंद्र है, जिसका नेतृत्व एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। इसके अलावा, सीएसएल के पास सीएसएल कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए एर्णाकुलम जिले में विभिन्न अस्पतालों (सुपर स्पेशियलिटी/मल्टी-स्पेशियलिटी/स्पेशियलिटी और अन्य-स्पेशियलिटी अस्पताल) को सूचीबद्ध करके कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा सहायता योजना है। इन सूचीबद्ध

अस्पतालों में प्राप्त किए गए रोगी/दिवसीय देखभाल उपचार के खर्च का भुगतान सीएसएल द्वारा सीधे अस्पताल को किया जाएगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में पहचान के उद्देश्य से सभी कर्मचारियों को कर्मचारियों और आश्रितों के विवरण के साथ चिकित्सा पहचान पत्र जारी किए गए हैं। एर्णाकुलम जिले के बाहर के अस्पतालों के मामले में, कर्मचारियों को स्वीकार्य उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना / संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
खोए समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति-घंटे काम)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0.2667	0.0667
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	6
	कामगार	364	267
मरनेवालों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
उच्च-परिणाम कार्य संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	4	1

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कोचीन शिपयार्ड में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को एचएसई शासन प्रणाली कहा जाता है। इसके माध्यम से सभी कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य पद्धतियों को करने के लिए प्रोत्साहित कर सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। उन्हें उनके सुरक्षित कार्यों के लिए मासिक आधार पर और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर पुरस्कृत किया जा रहा है। कार्यस्थल की सुरक्षा की निगरानी के लिए प्रत्येक कर्मचारी समूह से एक व्यक्ति को क्षेत्र सुरक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। एफएसआर के अलावा, पोतों और कार्यशालाओं, स्कड्स आदि पर कार्यों की निरंतर निगरानी के लिए कार्यस्थलों पर लगभग 250 सुरक्षा और अग्निशमन कर्मचारियों को तैनात किया गया था। वे जहां भी लागू हो, वर्क परमिट जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे और जब भी सुरक्षित प्रथाओं से विचलन देखा जाएगा तो उल्लंघन टोकन जारी करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा अनुभाग प्रमुखों, महाप्रबंधकों/मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा कार्यस्थलों पर साप्ताहिक वॉक दर टॉक और मासिक उत्साह वार्ता सुरक्षा में शीर्ष प्रबंधन की भागीदारी का प्रदर्शन करेगी।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

सुरक्षा घटनाएं / संख्या	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
कार्य स्थिति	0	0		0	0	
स्वास्थ्य और सुरक्षा	550	42		203	36	

14. वर्ष के लिए आकलन :

आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)	
स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य	100
कार्य स्थिति	100

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई 3 सदस्यीय समिति (उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी, उस क्षेत्र के सुरक्षा समिति के सदस्य और उस क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी सहित समिति) या सुरक्षा संबंधी घटनाओं के जांच बोर्ड (महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए अधिभोगी/ कारखाना प्रबंधक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित सदस्य) से की जाएगी। एचएसई टिप्पणियों/सुझावों से अन्य सुधारात्मक कार्रवाइयां एचएसई समन्वयक/विशेष क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जाएंगी।

सिद्धांत 4

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी के प्रबंधन के परामर्श से पहचाने गए प्रमुख हितधारक हैं : ग्राहक, कर्मचारी, शेयरधारक, शैक्षणिक संस्थान, आपूर्तिकर्ता, उद्योग निकाय जैसे भारतीय पोत निर्माता संघ, इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग परिसंघ, कोचीन चैंबर ऑफ कॉमर्स और उद्योग, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स, सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, नियामक और बड़े पैमाने पर समाज।

2. अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं।

क्र. सं.	हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में की गई है (जी हां/नहीं)	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
1.	ग्राहक	जी नहीं	परियोजना से संबंधित कॉल, ई-मेल और बैठक, परियोजना प्रबंधन समीक्षा, शीर्ष कार्यकारी बैठकें और ब्रीफिंग, ग्राहक का दौरा, आरएफपी और अन्य निविदाओं आदि समाचार पत्रों पर प्रतिक्रियाएं, ब्रोशर	सतत आधार	पोत निर्माण और पोत मरम्मत परियोजना निष्पादन
2.	शेयरधारक	जी नहीं	प्रेस विज्ञापित, ई-मेल सलाह, व्यक्तिगत बैठकें, निवेशक कॉन्फ्रेंस कॉल आदि	तिमाही : भारतीय लेखा मानक में वित्तीय विवरण, कमाई कॉल, विनिमय अधिसूचना। • सतत : सीएसएल वेबसाइट पर निवेशक पृष्ठ • वार्षिक : वार्षिक आम बैठक, वार्षिक रिपोर्ट	- निवेशकों को कंपनी की नीतियों, रिपोर्टिंग, रणनीति आदि के संबंध में उनकी चिंताओं को व्यक्त करने में मदद करना। - शेयरधारक की अपेक्षाओं को समझना।
3.	कर्मचारी	जी नहीं	इंट्रानेट, ई-मेल और बैठकें	सतत आधार	विभिन्न आदेशों, निदेशों, योजनाओं आदि की जानकारी देना।
4.	अकादमी संस्थान	जी नहीं	आवश्यकतानुसार : शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम और बैठकें	जब भी ज़रूरत हो	प्रशिक्षण एवं विकास
5.	उद्योग निकाय	जी नहीं	ज़रूरत के अनुसार : • सम्मेलन और सेमिनार ; • सर्वेक्षण; और • अन्य बैठकें	जब भी ज़रूरत हो	सभी लागू कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें
6.	गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज	जी नहीं	ज़रूरत के अनुसार: • बैठकें ; • सामाजिक मीडिया • सर्वेक्षण; और • प्रेस प्रकाशनी	जब भी ज़रूरत हो	सीएसआर परियोजना का निष्पादन, महत्वपूर्ण घटनाओं और घटनाओं की शुरुआत

सिद्धांत 5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों की सं./ कामगार (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	शामिल कर्मचारियों की संख्या/कामगारों (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारीगण						
स्थायी	635	21	3.31	553	26	4.7
स्थायी के अलावा	150	0	0	129	0	0
कुल कर्मचारीगण	785	21	2.68	682	26	3.81
कामगार						
स्थायी	1315	0	0	1204	0	0
स्थायी के अलावा	1021	0	0	1282	0	0
कुल कर्मचारीगण	2336	0	0	2486	0	0

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जानेवाली न्यूनतम मज़दूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क		सं. (ड.)	% ड./घ	सं. (च)	% च/घ
कर्मचारीगण										
स्थायी	635	0	0	635	100	553	0	0	553	100
पुरुष	555	0	0	555	100	483	0	0	483	100
महिला	80	0	0	80	100	70	0	0	70	100
स्थायी के अलावा	150	0	0	150	100	129	0	0	129	100
पुरुष	129	0	0	129	100	110	0	0	110	100
महिला	21	0	0	21	100	19	0	0	19	100
कामगार										
स्थायी	1315	0	0	1315	100	1204	0	0	1204	100
पुरुष	1198	0	0	1198	100	1102	0	0	1102	100
महिला	117	0	0	117	100	102	0	0	102	100
स्थायी के अलावा	1021	0	0	1021	100	1282	0	0	1282	100
पुरुष	958	0	0	958	100	1202	0	0	1202	100
महिला	63	0	0	63	100	80	0	0	80	100

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक / वेतन / मज़दूरी का विवरण :

	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मज़दूरी	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मज़दूरी
निदेशक मंडल	11	6298935.95	1	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5	6026088	0	0
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को छोड़कर अन्य कर्मचारी	550	1461854	80	1484263
कामगार	1198	795733	117	760770

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/ समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है ? (जी हां/जी नहीं)

जी हां।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

कंपनी की मानव संसाधन नीतियां उसके कर्मचारियों और उसके व्यवसाय के संचालन से जुड़े अन्य लोगों के मानवाधिकारों के सभी पहलुओं को शामिल करती है और सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के मानवाधिकारों को भी शामिल करती हैं। कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी एक नीति है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और ऐसी शिकायतों की रोकथाम और निवारण प्रदान करती है। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों और कंपनी से जुड़े अन्य हितधारकों के बीच सभी मानवाधिकार प्रथाओं का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या

	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
यौन उत्पीड़न	0	0		1	0	शिकायत अभद्र भित्तिचित्र से संबंधित थी। जांच बोर्ड ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर कंपनी ने अश्लील भित्तिचित्रों को तुरंत हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। साथ ही कर्मचारियों को दोबारा घटना को रोकने और मामले की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए जागरूक किया गया।
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0		0	0	
बाल श्रम	0	0		0	0	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0		0	0	
वेतन	0	0		0	0	
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0		0	0	

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

भेदभाव और उत्पीड़न पर चिंताओं को गोपनीय रूप से निपटाया जाता है। सीएसएल सद्भावना संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट करनेवाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिशोध को बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसी शिकायतें करनेवाले ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने में शामिल कोई भी व्यक्ति अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (जी हां/जी नहीं)

जी हां।

9. वर्ष के लिए आकलन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	100
यौन उत्पीड़न	100
कार्यस्थल पर भेदभाव	100
वेतन	100

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें :

लागू नहीं

सिद्धांत 6

व्यवसायों को पर्यावरण सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण :

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)		वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)	
	मूल्य	इकाई	मूल्य	इकाई
कुल बिजली खपत (क)	119618.90	जीजे	136975.27	जीजे
कुल ईंधन खपत (बी)	8236.93	जीजे	8994.25	जीजे
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	0	जीजे	0	जीजे
कुल ऊर्जा खपत (क + ख + ग)	127855.80	जीजे	145969.52	जीजे
प्रति रुपए कुल कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / कुल कारोबार रुपए में)	0.0000055	जीजे /रुपए	0.0000046	जीजे /रुपए

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है ? (जी हां / जी नहीं)। यदि हां, तो बाहरी अभिकरण का नाम।

नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से ऊर्जा खपत की निगरानी करता है।

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं ? (जी हां/जी नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्यवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

लागू नहीं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें :

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)		वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)	
	मूल्य	इकाई	मूल्य	इकाई
स्रोत द्वारा जल निकासी (के.ली. मूमें)				
(i) सतही जल	0	कि.ली.	0	कि.ली.
(ii) भूजल	823.25	कि.ली.	0	कि.ली.
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	1077620	कि.ली.	658905	कि.ली.
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	74	कि.ली.	0	कि.ली.
इकाई द्वारा अन्य	1843	कि.ली.	0	कि.ली.
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1080360.25	कि.ली.	658905	कि.ली.
(i + ii + iii + iv + v)				
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1058886.75	कि.ली.	648212	कि.ली.
प्रति रुपया कुल कारोबार में जल की तीव्रता (पानी की खपत / कुल कारोबार)	0.000045	कि.ली./रुपए	0.000020	कि.ली. / रुपए

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है ? (जी हां/जी नहीं)। यदि हां, तो बाहरी अभिकरण का नाम।

जी नहीं। सीएसएल आंतरिक रूप से पानी की खपत की निगरानी करता है।

4. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है ? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

शून्य

5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)	
	मूल्य	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	मूल्य	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें
एनओएक्स	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
एसओएक्स	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
पार्टिकुलेट मैटर	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
लगातार जैविक प्रदूषक	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
खतरनाक वायु प्रदूषक	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है ? (जी हां/जी नहीं) यदि हां, तो बाहरी अभिकरण का नाम।

जी नहीं, सीएसएल में जीएचजी उत्सर्जन के अलावा कोई महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन नहीं होता है।

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें :

पैरामीटर	यूनिट	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कुल दायरा 1 उत्सर्जन	CO ₂ के समतुल्य मेट्रिक टन	546.94	583.3
यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन			
CO ₂	CO ₂ के समतुल्य मेट्रिक टन	541.63	578.64
CH ₄	CO ₂ के समतुल्य मेट्रिक टन	0.17	0.24
N ₂ O	CO ₂ के समतुल्य मेट्रिक टन	5.14	4.41
एचएफसी	CO ₂ के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
पीएफसी	CO ₂ के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0

सांविधिक रिपोर्ट

व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

पैरामीटर	यूनिट	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
SF6	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
NF3	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
कुल दायरा 2 उत्सर्जन	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	28488.68	32924
यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन			
CO2	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
CH4	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
N2O	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
एचएफसी	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
पीएफसी	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
SF6	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
NF3	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन	0	0
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन	CO2 के समतुल्य मेट्रिक टन/रूप	0.0000012	0.0000011
प्रति रुपए कुल कारोबार			

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है ? (जी हां/जी नहीं) यदि हां, तो बाहरी अभिकरण का नाम।
जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से जीएचजी उत्सर्जन की निगरानी करता है।

7. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं।

ऊर्जा संरक्षण में कंपनी की प्रमुख पहल सीएसएल परिसर के अंदर विभिन्न इमारतों की छत पर सौर पैनलों की स्थापना थी। यह कार्यक्रम वर्ष 2013-14 में प्रारंभ हुआ। दिनांक 31 मार्च 2023 तक सीएसएल में 1622 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुका है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसएल ने 600 केवीए, 750 एएमपीएस अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल स्थैतिक आवृत्ति कनवर्टर चालू किया। इस अतिरिक्त के साथ, सीएसएल अब अपने सभी गोदियों और घाटों को शुद्ध साइन वेव पावर प्रदान कर सकता है। यह सीएसएल की 1.6 एमडब्ल्यूपी पीवी सौर ऊर्जा के साथ सीएसएल को 60 हर्ट्ज श्रेणी के पोटों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम बनाता है। कंपनी बैटरी चालित शून्य उत्सर्जन जलयानों के निर्माण और हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयानों के विकास का भी नेतृत्व कर रही है, जिसका विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में विशेष रूप से दिया गया है।

8. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें :

क. कुल उत्पन्न अपशिष्ट

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
	मूल्य	मूल्य
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट	1.1	6.41
ई-कचरा	2129	4380
बायोमेडिकल कचरा	0.0081	0.0897
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	0	0
बैटरी कचरा	548.1	0
रेडियोएक्टिव कचरा	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट		
कांच का कचरा	0.041	0
तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष	479.68	32
तेल एवं ग्रीस स्किमिंग	0	23.50
उपकरण रिटायरल अपशिष्ट	0.02	0.08
पेंट कीचड़	1	6
एनोड	6.18	3.05
तांबे का लावा	7644.17	4653.60

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
	मूल्य	मूल्य
बेकार तेल	74.12	572.10
तांबे का केवल	0	0
प्रयुक्त तांबे का लावा	0	0
खाली पेंट टिन	0.3	0
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट		
खाद्य अपशिष्ट	92.24	253.73
धातु अपशिष्ट	205.97	1235.82
कागज़ और कार्डबोर्ड अपशिष्ट	0.6759	0.55
सिविल अपशिष्ट	40	95
एल्युमीनियम अपशिष्ट	1	6
विविध अपशिष्ट	600.20	0
स्टील कचरा	968.79	1087.06
औद्योगिक कूड़ा	1831.66	3918.46
खाली तेल बैरल	283.32	10.71
कुल उत्पन्न अपशिष्ट	14907.58	16284.17

ख. उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्ति कुल कचरा (मेट्रिक टन में)

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : प्लास्टिक कचरा		
(i) पुनर्चक्रित	0.0048	0.0049
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0.0048	0.0049

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : ई-कचरा		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : बयोमेडिकल कचरा		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी बैटरी अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी रेडियोएक्टिव अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

अन्य खतरनाक अपशिष्ट

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : कांच का कचरा		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : तेल एवं ग्रीस स्क्रिमिंग		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : उपकरण रिटायरल अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : पेट कीचड़		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : एनोड		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : तांबे का लावा		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : अपशिष्ट तेल		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : तांबे का केबल		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : प्रयुक्त तांबे का लावा		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : खाली पेट टिन		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : खाद्य अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	35.05	0
कुल	35.05	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : धातु अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : कागज़ और कार्डबोर्ड अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : सिविल अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : एल्युमिनियम अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : विविध अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : स्टील कचरा		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : औद्योगिक अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : खाली तेल बैरल		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0

ग. उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : प्लास्टिक अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.06	0
कुल	0.06	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : ई-अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	35
कुल	0	35

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : बयोमेडिकल अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.0081	0.0897
कुल	0.0081	0.0897

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : बैटरी अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : रेडियोऐक्टिव अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

अन्य खतरनाक अपशिष्ट

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : कांच का कचरा		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : तेल एवं ग्रीस स्किमिंग		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : उपकरण रिटायरल अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : पेंट कीचड़		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : एनोड		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : तांबे का लावा		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : अपशिष्ट तेल		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	339.2	461.85
कुल	339.2	461.85

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : तांबे के केवल		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	195.75	44.55
कुल	195.75	44.55

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : प्रयुक्त तांबे का लावा		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	9640.72	4401.57
कुल	9640.72	4401.57

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : खाली पेट टिन		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	44.06	49
कुल	44.06	49

अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : खाद्य अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	115.92	130.51
कुल	115.92	130.51

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : धातु अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : कागज़ और कार्ड बोर्ड अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.06	0
कुल	0.06	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : सिविल अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : एल्युमिनियम अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : विविध अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : स्टील का कचरा		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	1003.53	0
कुल	1003.53	0

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : औद्योगिक अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	5629.78	3337.26
कुल	5629.78	3337.26

पैरामीटर	वि.व.2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व.2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
कचरे की श्रेणी : खाली तेल बैरल		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	28.12	33.34
कुल	28.12	33.34

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है ? (जी हां/जी नहीं) तो, बाहरी अभिकरण का नाम।
जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी करता है।

सांविधिक रिपोर्ट

व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

9. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और ज़हरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

सीएसएल का केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकृत अभिकरण, केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक प्रचालन समझौता ज्ञापन है। सीएसएल समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से अपने औद्योगिक कचरे का निपटान कर रहा है।

10. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिज़र्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आसपास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है, तो कृपया विवरण निम्नलिखित प्रारूप में निर्दिष्ट करें :

क्र. सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय स्वीकृति/अनुमति की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (जी हां/जी नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और यदि कोई हो तो ली गई सुधारात्मक कार्रवाई
1.	सीएसएल, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल	पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत	जी हां
2.	आईएसआरएफ, विल्लिंडन द्वीपसमूह, कोच्ची, केरल	पोत मरम्मत	जी हां
3.	सीएमएसआरयू, मुंबई, महाराष्ट्र	पोत मरम्मत	किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/ अनुमति की आवश्यकता नहीं है
4.	सीकेएसआरयू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पोत मरम्मत	किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/ अनुमति की आवश्यकता नहीं है
5.	सीएनएसआरयू, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पोत मरम्मत	किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/ अनुमति की आवश्यकता नहीं है

11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण :

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी परियोजना अभिकरण द्वारा संचालित किया गया है (जी हां/ जी नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (जी हां /जी नहीं)	संगत वेब लिंक
					Nil	
					Nil	

12. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (जी हां/जी नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें।

जी हां, सीएसएल ने भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

क्र. सं.	उस कानून / विनियम/ दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक अभिकरणों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/कार्रवाई	यदि कोई हो, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई
				लागू नहीं।

सिद्धांत 7

व्यवसायों को जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

10

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो इकाई सदस्य /संबद्ध है

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चैंबर संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	इंडियन पोत निर्माता संघ	राष्ट्रीय
2	इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स	अंतर्राष्ट्रीय
3	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय
4	कोचीन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	केरल राज्य
5	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ	राष्ट्रीय
6	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	राष्ट्रीय
7	सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स	राष्ट्रीय
8	सार्वजनिक उद्यमों पर सीआईआई परिषद	राष्ट्रीय
9	भारतीय वेल्डिंग संस्थान	राष्ट्रीय
10	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय

2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चालू सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
	लागू नहीं	

सिद्धांत 8

व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण।

क्र. सं.	परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी अभिकरण द्वारा संचालित किया गया है (जी हां / जी नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किया है (जी हां / जी नहीं)	संगत वेब लिंक
1	अनंतकृपा - शहर के विभिन्न सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए तिरुवनंतपुरम आनेवाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए आवास सुविधा का निर्माण।	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां	जी हां	https://cochinshipyard.in/uploads/ananthakripa.pdf

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ) की संख्या	पीएफ का % आरएंडआर द्वारा कवर किया गया	वित्त वर्ष में पीएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपए में)
				लागू नहीं		

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें :

सीएसएल की शिकायत निवारण प्रणाली का नेतृत्व एक पूर्णकालिक निदेशक करता है और सीएसएल से निपटने में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के मुद्दों से जुड़ी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से संबोधित किया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने एक शिकायत पोर्टल स्थापित किया है, जिसे <https://cochinshipyard.in/grievance-cell> पर देखा जा सकता है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट)

पैरामीटर	वि.व. 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त सीधे जिले के भीतर और पड़ोसी जिलों से प्राप्त किया गया	54	51
	सीएसएल भारत सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), आदेश 2017 का पालन करता है और जहां भी संभव हो मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से अपनी सामग्री प्राप्त करता है। सीएसएल की खरीद प्रणाली किसी विशेष क्षेत्र/जिले/इलाके के भीतर या बाहर से सोर्सिंग में अंतर नहीं करती है।	

सिद्धांत 9

व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें :

सभी अनुबंधित जलयानों पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया जाता है और अपने अनुभव साझा करने के इच्छुक मालिकों से प्रतिक्रिया लिया जाता है। ग्राहक से खुली और वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष फर्म द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

2. सभी उत्पादों / सेवाओं के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और / सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है :

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	100
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2023 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2022 (पूर्व वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
डाटा प्राइवसी	0	0		0	0	
विज्ञापन	0	0		0	0	
साइबर सुरक्षा	0	0		0	0	
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	0	0		0	0	
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	0	0		0	0	
अनुचित व्यापार आचरण	0	0		0	0	
अन्य	0	0		0	0	

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वास मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण :

	संख्या	वापस बुलाने का कारण
स्वैच्छिक वापस बुलवा	0	लागू नहीं
जबरन वापस बुलवा	0	लागू नहीं

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवसी से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है ? (जी हां/जी नहीं)। यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब लिंक प्रदान करें।

सीएसएल ने एक विस्तृत सूचना सुरक्षा नीति लागू की है, और यह सीएसएल इंटरनेट में उपलब्ध है।

6. विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी, ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवसी, उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति, उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई संबंधित मुद्दों पर की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें :

लागू नहीं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हम ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कंपनी के रूप में संदर्भित) के संलग्न स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों जिसमें दि. 31 मार्च 2023 के तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, तथा वित्तीय विवरण की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण, अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दि. 31 मार्च 2023 को ग्रुप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का महत्व :

1. अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए लागत का पूंजीकरण :

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 42 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें परियोजना के निर्माण/विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत को परियोजना के प्रारंभ से ही बहियों में पूंजीकृत किया जाता है।

जिस भूमि और जल क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना चल रही है, वह कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ली गई है। कंपनी ने दिनांक 09 जनवरी 2018 से नई पोत मरम्मत सुविधा का विकास शुरू कर दिया है। 30 वर्ष की पट्टे संबंधी अवधि पर्यावरण मंजूरी की तारीख से शुरू होती है। कंपनी ने परियोजना निर्माण/विकास की शुरुआत से उक्त लागत राशि 8,288.21 लाख रुपए के पूंजीकरण पर विचार नहीं किया है। चूंकि राशि कंपनी द्वारा निर्धारित अहमियत स्तर से कम है, इसलिए प्रबंधन ने वर्ष के दौरान 6,181.35 लाख रुपए की पूर्व अवधि की त्रुटि का सुधार किया। जिसे लाभ और हानि खाते के विवरण में असाधारण वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

2. 1200 यात्री जलयानों के लिए निर्धारित क्षति का गैर-लेनदारी लेखाकथन

दो, 1200 यात्री जलयानों के निर्माण के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ पोत निर्माण अनुबंध पर स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 33.5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एसएच 023 के लिए अनुबंधात्मक सुपुर्दगी तिथि (विस्तारित) पहले ही समाप्त हो चुकी है और एक अन्य जलयान एसएच 0024 की समाप्ति तिथि करीब है। कंपनी ने एसएच 0023 और एसएच 0024 के संबंध में क्रमशः 29 अप्रैल, 2023 और 30 अक्टूबर 2023 तक की देरी के लिए निर्धारित क्षति का प्रावधान किया है। इस बीच, अन्य संभावित खरीदारों को जलयान के पुनः आबंटन के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अनुरोध पर, मामूली प्रगति के साथ पोत की सुपुर्दगी रोक दी गई है। चूंकि कंपनी के पास दो 1200 यात्री जलयानों के निर्माण और वितरण के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के साथ एक वैध अनुबंध है, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित तारीखों के बाद वित्तीय स्थिति में और अधिक नुकसान की पहचान नहीं की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

1. राजस्व की पहचान – पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियां

(स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 3.15 (क), 33 और 44 देखें)

ग्राहकों के साथ पोत निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंधों पर मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय शामिल हैं, जिसमें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पूरा होने की प्रत्यक्ष प्रगति का निर्धारण भी शामिल है।

कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित इन-हाउस प्रक्रियाओं के अनुसार पूरा होने की प्रत्यक्ष प्रगति का पता लगाया जाता है। प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं कंपनी के तकनीकी विभागों से मिले इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों पर आधारित हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक प्रत्यक्ष समापन का पता लगाने में प्रबंधन का अनुमान भी शामिल होता है।

अपेक्षित नुकसान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं, जब अपेक्षित कुल अनुबंध लागत के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं। प्रत्येक अनुबंध के भीतर उत्पन्न होनेवाली कंपनी के सामने अनिश्चितताओं या विवादित दावों के विशिष्ट जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए इन अनुमानों में लागत आकस्मिकताओं को शामिल किया जाता है। इन आकस्मिकताओं की प्रबंधन द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां उपयुक्त हो समायोजित किया जाता है। अनुबंधों पर राजस्व में परिवर्तनीय विचार (विविधताएं और दावे) भी शामिल हो सकते हैं। परिवर्तनीय प्रतिफल को तब मान्यता दी जाती है जब ऐसे प्रतिफल की वसूली अत्यधिक संभावित हो।

अनुबंधों की प्रकृति के कारण, राजस्व मान्यता में पूर्णता विधि के प्रतिशत का उपयोग शामिल है (यानी, पूर्णता की प्रत्यक्ष प्रगति) जो प्रदर्शन किए गए कार्य के सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, महत्वपूर्ण निर्णय, अनुबंधात्मक दायित्वों की पहचान शामिल है और आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार, दायरे में बदलाव और परिणामी संशोधित अनुबंध मूल्य और घाटेवाले अनुबंधों/कठिन दायित्वों के लिए दायित्वों की पहचान शामिल है।

चूंकि राजस्व पहचान में उपरोक्त महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल हैं, इसलिए हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है।

हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं है :

- हमने लागत लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया, जिसमें परिवर्तनीय विचारों से संबंधित नीतियां भी शामिल हैं,
- हमने प्रदर्शन दायित्वों के मूल्यांकन और जो अलग हैं उनकी पहचान से संबंधित नियंत्रणों की प्रभावशीलता, प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए लागत का अनुमान, जिसमें उसके संबंध में आकस्मिकताएं भी शामिल हैं, जैसे-जैसे कार्य आगे बढ़ता है और परिवर्तन आदेशों के परिणामस्वरूप उस पर प्रभाव पड़ता है, संबंधित अनुबंधों के लेनदेन मूल्य पर परिवर्तन आदेशों का प्रभाव और लेनदेन मूल्य पर परिवर्तनीय विचार के प्रभाव का मूल्यांकन का जांच किया।
- हमने ग्राहकों के साथ अनुबंधों का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं :
 - प्रत्येक चयन, परिवर्तन आदेश और अन्य दस्तावेजों के लिए अनुबंध दस्तावेज प्राप्त किया, जो समझौते/व्यवस्था का हिस्सा थे।
 - (i) विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान (ii) जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता है और परिवर्तन आदेशों के परिणामस्वरूप लागत में परिवर्तन होता है, (iii) लेनदेन मूल्य पर परिवर्तन आदेशों का प्रभाव, और (iv) परिवर्तनीय प्रतिफल के आधार पर लेनदेन मूल्य में समायोजन का मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन करने के लिए अनुबंध में महत्वपूर्ण शर्तों और प्रदयों की पहचान की गई।
 - महत्वपूर्ण विविधताओं की पहचान करने के लिए आज तक की गई लागतों के कंपनी के अनुमानों के साथ तुलना की गई और मूल्यांकन किया गया कि क्या अनुबंध को पूरा करने के लिए शेष लागतों का अनुमान लगाने में उन विविधताओं पर उचित रूप से विचार किया गया है।
 - महत्वपूर्ण उपलब्धियों की स्थिति और ग्राहक स्वीकृति के साथ स्थिरता के लिए अनुमान का जांच किया गया ताकि महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान की जा सके, जिसके लिए शेष प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत या प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता होती है।

- सेवा के प्रकार और प्रकृति द्वारा प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं।
- प्रत्यक्ष प्रगति पूर्णता के प्रतिशत के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी और गतिविधि-आधारित मूल्यांकन पर पर्याप्त निर्भरता रखी गई थी।
- भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए प्रासंगिक खुलासों की उपयुक्तता का आकलन किया गया।

हमने निष्कर्ष निकाला कि ऊपर निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमें भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाने और राजस्व मान्यता के समय के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं मिला।

2. पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) - सरकारी अनुदान की मान्यता और माप :

(स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 3.15 (बी), 33 और 33.6 देखें)

पोत निर्माण वित्तीय सहायता पात्र पोत निर्माण अनुबंधों के निर्माण के लिए शिपयार्डों को सरकार द्वारा दिया जानेवाला एक मौद्रिक प्रोत्साहन है, जिस पर एसबीएफए नीति के तहत निर्धारित समय के भीतर जलयानों की सुपुर्दगी के बाद दावा किया जाना है।

कंपनी की नीति उस समयावधि में किए गए खर्च के अनुपात में सहायता को मान्यता देने की है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1,193.43 लाख रुपए (पि.व. - 3,486.17 लाख रुपए) की आय अर्जित की है, जो पात्र पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। सहायता आय की पहचान और वसूली उस अवधि के लिए लागू दर पर आधारित होती है जिसके लिए महानिदेशक (नौवहन) द्वारा अनुमोदन जारी किया जाता है।

उद्योग, राजस्व और लाभ को सहायता की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णयों और अनुमानों में बदलाव हो सकता है, हम इसे महत्व का क्षेत्र मानते हैं।

सहायता आय पहचान के संबंध में हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है:

- हमने भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं पढ़ीं और प्रबंधन के साथ अंतर्निहित मामलों और प्रबंधन निर्णय और अनुमानों के आधार को समझने के लिए प्रबंधन के साथ चर्चा की, जिसमें अतीत में देखी गई विविधताओं को संबोधित करने के लिए अनुमानों में किए गए आवश्यक बदलाव भी शामिल थे। पोत निर्माण उद्योग में प्रचलित व्यापार पद्धति का भी पता लगाया,

- हमने लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके सहायता आय की पहचान पर कंपनी की नीति की उपयुक्तता का आकलन किया,
- हमने सहायता नीति के तहत आनेवाली जलयानों की पात्रता के लिए कंपनी द्वारा किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को सहसंबोधित किया है और जलयानों की सुपुर्दगी और उसके बाद की वसूली पर कंपनी द्वारा किए गए दावों का सत्यापन किया है।
- इसके अलावा, हमने एसबीएफए नीति, सैद्धांतिक अनुमोदन और किए गए खर्चों के अनुसार प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सहायता की सटीकता की समीक्षा और जांच की,
- हमने प्रबंधन से पूछताछ की है और शासन के प्रभारी लोगों के साथ सहायता आय को पहचानने में उपयुक्तता पर चर्चा की है,
- हमने इस संबंध में स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में खुलासे का आकलन किया ;

निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, पोत निर्माण सहायता आय की मान्यता लागत वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं के अनुसार है और स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत की गई है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी :

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से असंगत है या अन्य प्रत्यक्ष रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है जिन पर शासन का आरोप है।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, प्रबंधन द्वारा हमें अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तदनुसार, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2014 के नियम 7 सहित, अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, जो मामले की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों के सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है, इन सब के लिए ज़िम्मेदार है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के लिए लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

क वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानने और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।

ख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

ग उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

घ लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शतों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।

ङ खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

वित्तीय विवरण

▶ स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभारित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले :

1. इन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में शामिल दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी कंपनी के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों और उनकी 20 मई 2022 की रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है, जिसमें उनके द्वारा एक असंशोधित राय व्यक्त की जाती है।
2. दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी ने शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करना शुरू कर दिया है, जबकि हमें व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और बैंक शेष से शेष राशि की कुछ पुष्टि प्राप्त हुई है। जहां कहीं भी हमें पुष्टि नहीं मिली है, हमने अनुबंध दस्तावेजों, उठाए गए चालानों और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए किए गए संचार आदि का सत्यापन करके वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के तहत आवश्यक है, हम अपनी रिपोर्ट 'अनुलग्नक क' में संलग्न कर रहे हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार आवश्यक है। हम अनुलग्नक में आदेश के

अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं, जहां तक लागू हो हमारी रिपोर्ट 'अनुलग्नक ख' के रूप में संलग्न है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप से हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।

ख. हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की बहियां रखी गई हैं और कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से उचित पर्याप्त रिटर्न प्राप्त हुए हैं,

ग. कंपनी का तुलन पत्र, लाभ और हानि स्टैंडअलॉन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण और स्टैंडअलॉन नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार है ;

घ. हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि इसमें संशोधन किया गया है,

ङ. भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक ग में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करती है,

छ. संशोधित अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में :

प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य

मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार,

- i. कंपनी ने अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 47 का संदर्भ लें) ;
- ii. कंपनी ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है, और
- iv. क. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, अन्यथा लेखे के लिए नोट में प्रकट किए अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में कोई निधि उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि
 - मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह से पहचाने जाते हैं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से

- कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

ख. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, अन्यथा लेखे के लिए नोट में प्रकट किए अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्थाओं ("निधिकरण पार्टी") सहित, इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से (अंतिम लाभार्थी) किसी भी तरह से पहचाने जाते हैं या

- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

ग. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जो इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाती हैं, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे उन्हें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

कृते **आनंद व पोन्नप्पन**

सनदी लेखाकार

FRN00111S

सी कृष्णन मेनन

साझेदार

सदस्यता सं: 074736

यूडीआईएन : 23074736BGVWVB5466

स्थान : कोच्ची

तिथि : 19.05.2023

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

भाग - 1- दिशानिर्देश

1. क्या कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को निहितार्थ, यदि कोई हो, तो वर्णित किया जा सकता है?

जी हाँ। कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की एक प्रणाली है। परीक्षण जांच के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जहां भी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन होता है, वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ लेखों की प्रामाणिकता की कमी का कोई उदाहरण नोट नहीं किया गया है।

2. क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों / उधारों / ब्याज आदि के किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या छूट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)

जी नहीं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। इस प्रकार, इसमें कोई वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।

3. क्या केंद्रीय / राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

जी हाँ। कंपनी की लेखा बहियों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसंधान और विकास परियोजना अर्थात् 'हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी वेसल' के तहत 1312.50 लाख रुपए की मंजूरी में से 393.75 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसे स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण में 'स्थगित सरकारी सहायता' के तहत दिखाया गया है। आदेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार धनराशि का उचित हिसाब-बही किया गया और उपयोग किया गया और हमारे द्वारा कोई विचलन नहीं देखा गया।

कृते आनंद व पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

FRN001115

सी कृष्णन मेनन

साझेदार

स्थान : कोच्ची

तिथि : 19.05.2023

सदस्यता सं: 074736

यूडीआईएन : 23074736BGVWVB5466

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित

निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में,

क. कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिसमें मात्रात्मक विवरण और उस पर स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण शामिल हैं,

ख. अमूर्त संपत्ति ;

ख. कंपनी के प्रबंधन द्वारा डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम के आधार पर हर साल संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की प्रथा है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और परिमाण को ध्यान में रखते हुए उचित है।

वर्ष के दौरान, कंपनी की आंतरिक समिति ने संपूर्ण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है और बिना किसी बड़ी प्रतिकूल टिप्पणी के सत्यापित संपत्तियों की श्रेणियों की पुष्टि करते हुए एक रिपोर्ट दी है। कामकाजी कागज़ातों की हमारी जांच के आधार पर, जिसके साथ सत्यापन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, हमें इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं मिली है ;

ग. कंपनी के नाम पर कुल मिलाकर 75.92 हेक्टर अचल संपत्तियों के स्पष्ट स्वामित्व विलेख हैं, हालांकि, पट्टेदारी संपत्तियों के संबंध में, जहां कंपनी पट्टेदार है, जिसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है, वहां पट्टे समझौतों का पंजीकरण/निष्पादन लंबित है।

संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	..के नाम पर	चाहे संस्थापक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	अवधि (वर्ष)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
पट्टे पर दी गई भूमि - संपत्तियों के उपयोग का अधिकार						
आईएसआरएफ परियोजना भूमि - चरण I	भूमि- 8.12 निकटवर्ती जल निकाय- 15	10,202.26	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	जी नहीं	2012	इसे विकास और संचालन का अधिकार - आईएसआरएफ के एक भाग के रूप में लिया गया है। पंजीकरण लंबित।
आईएसआरएफ परियोजना भूमि - चरण II	भूमि -8.134			जी नहीं	2017	चरण-II के लिए, पट्टा समझौता निष्पादित किया जाना है।
बैकवाटर्स का तल - पुनर्प्राप्त भूमि	भूमि/जलक्षेत्र - 1.914		कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	जी नहीं	1977	अभी तक पट्टा करार निष्पादित नहीं हुआ है।
सीएसएल-मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) - इंदिरा डॉक बर्थ सं. 5,6,7 एंड 8।	एचडीडी- 2.961 खुला भूमि क्षेत्र -1.135 जल क्षेत्र -1.8	19,314.35	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	जी नहीं	2018	कंपनी की राय में, रियायती व्यवस्था/ समझौते के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय विवरण

▶ स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	..के नाम पर	चाहे संस्थापक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	अवधि (वर्ष)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
सीएसएल – कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) – नेताजी सुभाष डॉक में बर्थ सं. 6*	भूमि एवं ड्राई डॉक क्षेत्र -2.532	10.04	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था)	जी नहीं	2019	

*पट्टा किराए को रियायती अनुबंध में निर्धारित वार्षिक शुल्क में शामिल किया जाता है।

क. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

ख. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

ii. द्वितीय मालसूची के संबंध में :

क. कंपनी के पास मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है, जो सालाना किया जाता है। वर्ष के दौरान प्रबंधन ने प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर और उद्योग के आकार एवं प्रकृति पर विचार करते हुए, प्रबंधन द्वारा किया गया प्रत्यक्ष सत्यापन और उस पर अपनाई गई नीतियां उचित हैं। हालांकि, हमें इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण कमी (यानी, 10% से अधिक) नहीं मिली है,

ख. कंपनी को कई बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए से अधिक की कुल गैर-निधि आधारित सीमाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका आवश्यकता पड़ने पर लाभ उठाया जाता है। कई बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए से अधिक की कुल निधि आधारित सीमा भी स्वीकृत की गई है, जिसका कंपनी ने लाभ नहीं उठाया है। कंपनी को बैंकों के साथ कोई त्रैमासिक विवरणी या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों, मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) में राइट इश्यू सब्सक्रिप्शन के माध्यम से वर्ष के दौरान 4,600.00 लाख रुपए और 2,500.00 लाख रुपए का निवेश किया। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को भी उन्हीं नियमों और शर्तों पर अग्रिम राशि दी है, जिन पर कंपनी के अन्य कर्मचारियों को दी जाती है।

क. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों तथा सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को दिए गए ऐसे ऋणों, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में वर्ष के दौरान कुल राशि और तुलन पत्र की तारीख पर बकाया शेष राशि निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)				
विवरण	गारंटी	प्रतिभूति	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि				
- सहायक कंपनियां	-	-	-	-
- संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
- सहयोगी	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	1.40

(लाख रुपए में)

विवरण	गारंटी	प्रतिभूति	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
उपरोक्त मामलों के संबंध में तुलन पत्र की तारीख पर बकाया शेष (सकल)				
- सहायक कंपनियां	-	-	500.00	-
- संयुक्त उद्यम	-	-		-
- सहयोगी	-	-		-
- अन्य	-	-		0.40

ख. वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई प्रतिभूति और उपरोक्त सभी ऋणों और प्रदान की गई गारंटी, दी गई प्रतिभूति के नियम और शर्तों, हमारी राय में, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है,

ग. ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के संबंध में कंपनी ने मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की है और पुनर्भुगतान या रसीदे नियमित हैं;

घ. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकृति के ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कोई भी अतिदेय राशि बकाया नहीं है;

ङ. कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की प्रकृति का कोई भी ऋण या अग्रिम, जो वर्ष के दौरान देय हो, नवीनीकृत या विस्तारित नहीं किया गया हो या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए नए ऋण दिए गए हों;

च. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (76) में निर्धारित अनुसार प्रमोटरों, संबंधित पक्ष को मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की कोई शर्तों या अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है;

iv. कंपनी ने दिए गए ऋणों, किए गए निवेशों और प्रदान की गई गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में, जैसा लागू हो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधान और उनके तहत बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं।

vi. कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और उनकी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं।

हालांकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।

vii. वैधानिक बकाया के संबंध में:

क. कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर और सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद रूप से लागू वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है;

दिनांक 31 मार्च 2023 तक उपरोक्त वैधानिक देय राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि तक कोई बकाया नहीं था।

ख. जीएसटी, आयकर, मूल्यवर्धित कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर का कोई बकाया नहीं था जिसे अनुलग्नक-घ के रूप में प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है ;

viii. हमें ऐसा कोई लेनदेन नहीं मिला है जो लेखे की बहियों में दर्ज नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है। इसलिए, लेखे बहियों में अलिखित आय की रिकॉर्डिंग का सवाल ही नहीं उठता।

ix. क. कंपनी ने किसी भी ऋणदाता (जैसे, बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार और अन्य ऋणदाता) को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख. जहां तक हमारी जानकारी है, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, इस खंड के लिए रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।

घ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इसलिए, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए धन के उपयोग पर रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता।

ड. कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

इसके अलावा, कंपनी का कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए धन उधार लेने के संबंध में रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है।

इसके अलावा, कंपनी का कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, अपने सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण जुटाने के संबंध में रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

x. क. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयर्स या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार,

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है,

ख. जैसा कि वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट के जारी होने की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अनुसार केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित किया गया है कि हमारे या कंपनी के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों या लागत लेखापरीक्षक सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग. जैसा कि प्रबंधन ने बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर नीति शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xii) (क), (ख) और (ग) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xiii. हमारी राय में, वित्तीय वर्ष के दौरान सभी संबंधित पक्ष लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और उक्त लेनदेन का विवरण लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है।

xiv. क. हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख. हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय पर प्राप्त कर ली है और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में हमारे द्वारा विधिवत् विचार किया गया है।

xv. हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1935 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार आदेश के खंड (xvi) (ख) और (ग) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।

इसके अलावा, हमारी राय में, समूह के भीतर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में निर्धारित किया गया है) और तदनुसार इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार इस खंड के तहत रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

xix. वित्तीय अनुपात, काल प्रभावन और वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करनेवाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ

भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।

हालांकि, हम बताते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियां कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने पर चुकाई जाएंगी।

xx. कंपनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में, कंपनी के निदेशक मंडल ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए 40.00 लाख रुपए के अतिरिक्त को समायोजित करने के बाद, वर्ष के लिए 16.06 करोड़ रुपए (यानी, 1,605.62 लाख रुपए) खर्च करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ने वर्ष के लिए 1,953.73 लाख रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की पहचान की और सिफारिश की, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया। हालांकि, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने दायित्व 1,645.62 लाख रुपए के मुकाबले 1,724.96 लाख रुपए खर्च किए हैं। तदनुसार, कंपनी 119.34 लाख

रुपए के अतिरिक्त खर्च को आगे बढ़ाने के लिए पात्र है। हालांकि, कंपनी ने 110.00 लाख रुपए आगे बढ़ाए हैं, जिसे स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संपत्ति के रूप में माना जाता है।

इसके अलावा, हमारी राय में:

क. हमारी रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में चालू परियोजनाओं के अलावा कोई भी अव्ययित राशि नहीं है। हालांकि, इस तरह के अंतरण के लिए समय अवधि यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने, जैसा कि अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के तहत अनुमति दी गई है, हमारी रिपोर्ट की तिथि तक समाप्त नहीं हुई है।

ख. चालू परियोजनाओं के संबंध में, इसके वैधानिक दायित्व की सीमा तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है। इसके अलावा, कंपनी को चालू परियोजनाओं के संबंध में खर्च न की गई शेष राशि को अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अनुमति के अनुसार एक विशेष लेख में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

xxi. इस खंड के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस खंड के संबंध में इस रिपोर्ट में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते **आनंद व पोन्नप्पन**
सनदी लेखाकार
FRN00111S

सी कृष्णन मेनन
साझेदार

सदस्यता सं: 074736
यूडीआईएन : 23074736BGVWVB5466

स्थान : कोच्ची
तिथि : 19.05.2023

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 3 (एफ) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च 2023 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं :

- क. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है :
- ख. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

स्थान : कोच्ची

तिथि : 19.05.2023

राय

हमारी राय में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, कंपनी सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते **आनंद व पोन्नप्पन**

सनदी लेखाकार

FRN00111S

सी कृष्णन मेनन

साझेदार

सदस्यता सं: 074736

यूडीआईएन : 23074736BGVWVB5466

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - अनुलग्नक घ

सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की लेखापरीक्षों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-ख के खंड vii (ख) में संदर्भित

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख में)		वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
		विवादित	निक्षिप्त		
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	अंशदान	35.82	-	अप्रैल 2008 मई 2010	माननीय बीमा न्यायालय, आलप्पुष्पा
	विलंबित प्रेषण के लिए क्षति और व्याज का दावा	19.84	1.00	जून 2010 जुलाई 2013	
	आईएसी के डिज़ाइन और विकास के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त राशि	सेवा कर 1,647.47 व्याज 5,519.15 जुर्माना 1,647.57	123.56	2004-05	
	आईएसी के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त राशि को आईएसी पी - 71 पर प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग शुल्क के अंतर्गत शामिल किया गया है।	सेवा कर 323.04 व्याज 872.12 जुर्माना 323.14	24.23	2009-10	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
वित्तीय अधिनियम (1994 सेवा कर)	1. प्रतिभूति सेवाओं के साथ बार्ज टोइंग पर आरसीएम : 2. बचाव प्रचालन 3. वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए गारंटीकृत मरम्मत दायित्वों पर आरसीएम	सेवा कर 279.46 व्याज 430.32 जुर्माना 279.56	20.96	2012-13 से 2016-17 तक	
	1. पोत मरम्मत गतिविधियों के लिए विभेदक कुल कारोबार (कम मूल्यांकन योग्य मूल्य) 2. प्राप्त और उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की अस्वीकृति	सेवा कर 150.57 व्याज 160.69 जुर्माना 15.06	11.29	2015-16	आयुक्त (अपील)
	कंपनी द्वारा संचालित समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान से यार्ड द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क पर सेवा कर।	सेवा कर 51.24 व्याज 43.11 जुर्माना 5.10	3.87	2016-17 से 2017-18 तक (जून 2017 तक)	
केरल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003	करयोग्य कारोबार में वृद्धि	कर 787.32 व्याज 582.62	-	मू.व. 2015-16	राज्य कर उपायुक्त, एर्णाकुलम
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962#	स्वदेशी वायुयान वाहक के लिए चित्र और योजना का वर्गीकरण	शुल्क 269.30 शुल्क 103.97 शुल्क 306.97 शुल्क 789.71 शुल्क 762.48 शुल्क 1,790.93 शुल्क 230.54 कर 296.26	323.67 104.79 309.37 795.88 768.43 293.46 526.81	मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक अप्रैल 2017 अप्रैल 2017 अप्रैल 2017 अप्रैल 2017 नवंबर 2017	सीईएसटीएटी बेंगलूर

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख में)		वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
		विवादित	निक्षिप्त		
		शुल्क	89.59	जून 2018	
		कर	108.48		
		शुल्क	262.86	दिसंबर 2018	
		कर	318.30		
		शुल्क	191.22	जून 2018	
		कर	231.55		
	अधिसूचना संख्या 50/2017 के माध्यम से मूल सीमा शुल्क छूट का गलत दावा और 5% आईजीएसटी इनपुट कर क्रेडिट का गलत दावा	शुल्क	629.34	अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017 तक	
		जुर्माना	230.00		
आयकर अधिनियम, 1961	व्यय/प्रावधान/कटौतियों की अस्वीकृति		126.26	मू.व. 2010-11	आयकर आयुक्त (अपील)
			911.07	मू.व. 2014-15	
			331.77	मू.व. 2017-18	
			20.76	मू.व. 2018-19	
			819.51	मू.व. 2020-21	
			27.16	मू.व. 2021-22	
विभागीय अपील					
	भारतीय नौसेना से प्राप्त अनुबंध शुल्क/हैंडलिंग शुल्क की राशि पर सेवा कर का गलत प्रेषण	सेवा कर	376.67	-	2004-05 से 2008-09 तक
वित्तीय अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	1. पोत मरम्मत गतिविधियों के लिए विभेदक कुल कारोबार (कम मूल्यांकन योग्य मूल्य को अपनाने सहित);	सेवा कर	2,339.64	-	2012-13 से 2014-15 तक
	2. प्राप्त और उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की अस्वीकृति ;				
	यूटीएलए के स्वामित्ववाले और एलडीएसएल द्वारा संचालित जलयानों का प्रबंधन, रखरखाव या मरम्मत	सेवा कर	1,885.49	-	जुलाई 2012 से मार्च 2015 तक

* सेवा कर के जिन मामलों में कंपनी अपील के लिए गई है, उन पर ब्याज लगभग अनुमानित है।

सीमाशुल्क बकाया की सूचना हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर दी जाती है।

कृते आनंद व पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

FRN00111S

सी कृष्णन मेनन

साझेदार

स्थान : कोच्ची

तिथि : 19.05.2023

सदस्यता सं: 074736

यूडीआईएन : 23074736BGVWVB5466

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6)(ख) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार दि. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष से संबंधित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर 129 (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 19.05.2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के वास्ते दि. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अधीन एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, उदुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। यह पूरक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पृष्ठताछों तक तथा कुछ लेखापरीक्षा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी में नहीं पाया गया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को कोई परिशिष्ट या टिप्पणी देने के लिए प्रकट हो जाएगा।

भारत के नियंत्रक व
महा लेखापरीक्षकों के लिए और के वास्ते

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 04.08.2023

(एस वेल्लिंगिरी)

प्रधान निदेशक - वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

स्टैंडअलॉन तुलन पत्र

दि. 31 मार्च 2023 का

(₹ लाखों में)			
व्योत	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संबंध और उपस्कर	3	70,673.97	73,582.31
(ख) पुंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	1,58,746.93	1,22,416.19
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	945.38	440.15
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	6	1,602.37	2,303.95
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	33,560.71	26,158.09
(ii) ऋण	8	1,033.82	861.06
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	90.67	99.12
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	10	2,906.66	3,386.91
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	5,691.94	6,785.94
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	12	17,600.41	18,903.00
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		2,92,852.86	2,54,936.72
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	13	35,045.02	28,843.82
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	14	33,020.51	43,667.15
(ii) रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक	15	2,00,882.78	45,575.92
(iii) उपयुक्त (ii) को छोड़कर बैंक शेष	16	2,66,297.74	2,70,706.76
(iv) ऋण	17	99.50	68.56
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	18	3,396.47	1,465.40
(ग) वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	10	7,147.48	-
(घ) चालू कर परिसंपत्तियां	19	1,52,162.14	1,86,582.95
कुल चालू परिसंपत्तियां		6,98,051.64	5,76,910.56
कुल परिसंपत्तियां		9,90,904.50	8,31,847.28
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पुंजी	20	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	21	4,29,187.83	4,22,763.93
कुल इक्विटी		4,42,341.87	4,35,917.97
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	2,302.20	12,581.98
(ii) षट्टा देयताएं	23	39,227.30	38,680.71
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	24	261.22	261.22
(ख) प्रावधान	25	3,923.34	3,551.00
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	26	248.98	9.16
कुल अप्रचलित देयताएं		45,963.04	55,084.07
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	27	10,279.78	-
(ii) षट्टा देयताएं	28	4,898.68	3,374.84
(iii) व्यापार देय	29		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि		4,991.65	701.25
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		15,815.39	15,761.55
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	30	14,412.88	15,664.47
(ख) अन्य चालू देयताएं	31	4,12,822.00	2,56,025.18
(ग) प्रावधान	32	39,379.21	46,751.86
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	10	0.00	2,566.09
कुल चालू देयताएं		5,02,599.59	3,40,845.24
कुल इक्विटी और देयताएं		9,90,904.50	8,31,847.28
निर्गमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 - 2		
स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	3 - 69		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.0001115)

सी. कृष्णन मेनन

साझेदार

(सदस्यता सं. 074736)

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. – A25337

जोस बी जे

निदेशक (वित्त) व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन - 08444440

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 07376798

लाभ और हानि का स्टैंडअलॉन विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के

		(₹ लाखों में)	
व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I आय			
प्रचालनों से आय	33	233045.88	319000.25
अन्य आय	34	20648.88	26641.68
कुल आय		253694.76	345641.93
II व्यय :			
उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	35	110284.74	161516.94
उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	36	43078.72	41251.43
कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	37	32363.20	30588.56
वित्तीय मूल्य	38	3373.55	4648.04
मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	39	5114.62	5441.00
अन्य व्यय	40	19811.41	18140.75
प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	41	999.21	4616.15
कुल व्यय		215025.45	266202.87
III आसाधारण मदों और कर पूर्व लाभ		38669.31	79439.06
IV आसाधारण मदें	42	6181.35	0.00
V आसाधारण मदों के बाद और कर से पहले लाभ		44850.66	79439.06
VI कर व्यय::			
(1) चालू कर	10	10307.80	19687.24
(2) आस्थगित कर	10	1094.00	1095.00
VII वर्ष का लाभ		33448.86	58656.82
VIII अन्य व्योरेदार आय			
(क) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे			
i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		(4781.91)	(119.78)
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		1203.51	30.15
(ख) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(132.82)	(23.00)
ii) एफवीटीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन		2.14	0.00
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		33.59	5.98
वर्ष के लिए अन्य व्योरेदार आय		(3675.49)	(106.65)
IX अवधि के लिए कुल अन्य व्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य व्योरेदार आय शामिल है)		29773.37	58550.17
X प्रति रु.10 इक्विटी शेयर की आय	43		
(1) मूल (रु. में)		25.43	44.59
(2) तनुकृत (रु.में)		25.43	44.59
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 - 2		
स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	3 - 69		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000111S)

सी. कृष्ण मेनन
साझेदार
(सदस्यता सं. 074736)
कोच्चि, दिनांक मई 19, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — A25337

जोस बी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्चि, दिनांक मई 19, 2023

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	44,850.66	79,439.06
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
आसाधारण मदे	(6,181.35)	-
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन व्यय	5,628.26	5,604.75
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	133.33	-
वित्त लागत	3,373.55	4,648.04
व्याज आय	(12,810.64)	(7,587.24)
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	(300.48)	(285.99)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाते में डालने पर हानि	0.69	1.02
अचल परिपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(6.11)	-
आस्थगित सरकारी सहायता	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	-	(178.41)
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ) /हानि	103.45	(173.26)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	34,790.22	81,466.83
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में वृद्धि / घटती	(6,201.20)	13,446.95
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में वृद्धि / (घटती)	38,258.28	13,400.94
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	1,49,604.74	48,292.36
	2,16,452.05	1,56,607.08
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(11,338.00)	(15,092.50)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	2,05,114.05	1,41,514.58
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद	(2,699.97)	(3,878.79)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	701.58	-
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(30,149.39)	(18,555.79)
अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/ कमी	4,409.02	(85,040.89)
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/ कमी	1,319.65	3,112.61
सहायक के इक्विटी शेयरों में निवेश	(7,100.00)	-
सहायक के एनएसडी में निवेश	-	(4,100.00)
पीपीई से बिक्री आय	46.15	3.78
प्राप्त ब्याज	10,893.74	7,384.39
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	(22,579.22)	(1,01,074.69)

वित्तीय विवरण

▶ रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

व्योरा	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
उधार लेना/ ऋणों का पुनर्भुगतान	(203.70)	(67.60)
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	(213.48)	143.43
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(2,410.06)	(2,471.99)
प्रदत्त लाभांश	(23,348.40)	(20,388.76)
वित्तीय लागत	(1,052.33)	(1,051.55)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	(27,227.97)	(23,836.47)
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क) अ(ख) अ(ग)	1,55,306.86	16,603.42
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	45,575.92	28,972.49
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	2,00,882.78	45,575.92
दिनांक 31 मार्च 2023 को 169785 लाख रुपए की निर्धारित निधि सहित नकद एवं नकद समकक्ष		
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 - 2	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	3 - 69	

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000111S)

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी. कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता सं. 074736)
कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2023 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

अप्रैल 01, 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2022 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13154.04

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

व्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	कुल
01 अप्रैल 2022 को शेष	263.56	93,152.08	6,322.75	3,09,002.37	12,353.76	1,668.44	0.97	4,22,763.93
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ								-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	263.56	93,152.08	6,322.75	3,09,002.37	12,353.76	1,668.44	0.97	4,22,763.93
वर्ष का लाभ				33,448.86				33,448.86
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(97.09)			(3,579.37)	(3,676.46)
वर्ष के कुल व्यापक आय				33,351.77	-	-	(3,579.37)	29,772.40
लाभांश				(23,348.38)				(23,348.38)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण							-	0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)						(0.12)
31 मार्च 2023 को शेष	263.56	93,151.96	6,322.75	3,19,005.76	12,353.76	1,668.44	(3,578.40)	4,29,187.83

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

व्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	कुल
01 अप्रैल 2021 को शेष	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60	3,84,602.64
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ								-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60	3,84,602.64
पूर्व अवधि समायोजन								
वर्ष का लाभ				58,656.82				58,656.82
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(17.02)			(89.63)	(106.65)
वर्ष के कुल व्यापक आय				58,639.80			(89.63)	58,550.17
लाभांश (कर सहित)				(20,388.76)				(20,388.76)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण						-	-	0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)						(0.12)
31 मार्च 2022 को शेष	263.56	93,152.08	6,322.75	3,09,002.37	12,353.76	1,668.44	0.97	4,22,763.93

अधिक जानकारी के लिए नोट 21 देखें।

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000111S)

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. — A25337

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 08103825

सी. कृष्णन मेनन

साझेदार

(सदस्यता सं. 074736)

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन - 08444440

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 07376798

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल या कंपनी के रूप में संदर्भित) भारत के अग्रणी शिपयार्डों में से एक है, जो दक्षिणी राज्य केरल में स्थित है। कंपनी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी मुख्य रूप से पोत निर्माण और पोत की मरम्मत में लगी हुई है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी एक मिनीरल, अनुसूची-बी, श्रेणी-1 सीपीएसई है, जो भारत में निगमित और अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी भी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पेरूमनूर, कोच्ची, केरल है। दिनांक 31 मार्च 2023 को, भारत सरकार कंपनी की 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। कंपनी की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है। दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक मई 19, 2023 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

2. वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची iii के प्रभाग में ii में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 नकदी प्रवाह का विवरण के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची iii में निर्धारितानुसार, तुलन पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अधिसूचित लेखांकन मानकों और संशोधित सेवा (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत खुलासा किए जाने के लिए आवश्यक अन्य नोटों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनता है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। 3.1, 3.6, 3.10, 3.15, 3.16, 3.25 पर लेखांकन नीतियों को संशोधित/पुनः शब्दबद्ध किया

गया है जिनका वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक स्पष्टता आती है।

2.2. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की प्रस्तुति है और कार्यात्मक मुद्रा और सभी मूल्यों को अधिनियम की अनुसूची iii द्वारा अनुमति के अनुसार निकटतम लाख (दो दशमलव तक पूर्णांकित) तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

2.3. माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है :

- कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,
- संपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है ;
- संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है ;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है ;
- परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;
- एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

- (i) पोट निर्माण और पोट की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोट की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोटवार माना जाता है।
- (ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। इन अनुमानों में बदलाव के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण, कई कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर संपत्ति के स्वामित्व

का अंतरण, पट्टेदार का विकल्प खरीदने और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान लगाना का कार्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि।

पट्टा दायित्व की गणना के लिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में मूल्यवर्गित पट्टों के लिए, कंपनी वृद्धिशील उधार दर को कंपनी के लिए उपलब्ध बैंकों से उधार पर ब्याज दर मानती है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोटों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोटों के संबंध में दावे की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोट स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावे वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

मुकदमे

समय-समय पर, कंपनी कानूनी कार्यवाही के अधीन होती है और प्रत्येक का अंतिम परिणाम हमेशा मुकदमेबाजी में निहित कई अनिश्चितताओं के अधीन होता है। मुकदमेबाजी का प्रावधान तब किया जाता है जब यह संभावित माना जाता है कि भुगतान किया जाएगा और नुकसान की राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। अन्य कारकों के अलावा, प्रतिकूल परिणाम की संभावना और संभावित नुकसान की मात्रा का उचित अनुमान लगाने की जिम्मेदारी का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में मुकदमेबाजी के प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और तथ्यों और परिस्थितियों में बदलाव के लिए संशोधन किए जाते हैं।

उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या मौजूदा बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों और देनदारियों को उनके माप में नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जिनका वर्णन निम्नानुसार है :

(क) स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(ख) स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य होते हैं।

(ग) स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं जो देखने योग्य संबंधित बाज़ार विवरण या बाज़ार सहभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में कंपनी धारणाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को दर्शाते हैं।

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे लगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल हैं। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

परिनिर्धारित नुकसान

कंपनी की परिनिर्धारित नुकसान के सामने दावे वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों के लिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है।

निश्चित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निश्चित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल हैं। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

3. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण निः शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आपोष्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

स्पेयर पार्ट्स को तब पूंजीकृत किया जाता है जब वे पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं, यानी, जब कंपनी इन्हें 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए उपयोग करने का इरादा रखती है, जिसका मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक है (सीमित आवश्यकताएं प्रबंधन द्वारा तय की जानी हैं) जो कि हो सकती है कि इसका उपयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के संबंध में किया जाता है और जिनका उपयोग अनियमित होने की उम्मीद है, उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों के अतिरिक्त या मूल मद के उपयोगी जीवन पर, जो भी कम हो, पूंजीकृत और मूल्यहास किया जाता है।

निराकरण, मद को हटाने और उस साइट को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान जिस पर पीपीई स्थित है, जिसके लिए दायित्व तब उत्पन्न होता है जब मद का अधिग्रहण किया जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान किसी अन्य उद्देश्य के लिए वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप होता है अवधि के दौरान मालसूची का उत्पादन करने के लिए, पीपीई के एक घटक के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभावित किया है।

कंपनी ने परिवर्तन तिथि यानी 01 अप्रैल 2015 को भारतीय लेखा मानक के तहत मानी गई लागत के रूप में वहन लागत पर विचार करने की एकमुश्त परिवर्तन छूट के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद इसे ऐतिहासिक लागत माना गया।

3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (एक परियोजना सहित) पर किया गया व्यय पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागतों में खरीद मूल्य (व्यापार छूट/छूट में कटौती के बाद) शामिल है जिसमें गैर-वापसी योग्य शुल्क और कर एवं अन्य लागतें शामिल हैं जो परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम होने हेतु आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

3.3 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सॉफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

कंपनी ने परिवर्तन तिथि यानी 01 अप्रैल, 2015 को भारतीय लेखा मानक के तहत मानी गई लागत के रूप में वहन लागत पर विचार करने की एकमुश्त परिवर्तन छूट के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद इसे महत्वपूर्ण लागत माना गया।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस विकाससाधनी है या अभी तक उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ऐसे मदों पर होनेवाली संचित लागत को 'विकाससाधनी अमूर्त संपत्ति' के रूप में गिना जाता है।

3.4 पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात् यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

यह आकलन करने के लिए क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी मूल्यांकन करती है क्या: (i) अनुबंध में पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं (iii) कंपनी को संपत्ति के उपयोग का निर्देश देने का अधिकार है।

कंपनी के पट्टा परिसंपत्ति वर्गों में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं।

पट्टेदार के रूप में:

पट्टा शुरू होने की तारीख में, कंपनी एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है।

उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियां

उपयोग के अधिकार-वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। बाद में, उन्हें सचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

पट्टे की देनदारियां

पट्टा दायित्व को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है।

बाद में पट्टे की देनदारी पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पट्टे की देनदारी को पुनः मापा जाता है।

कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टे की देनदारी को पुनः मापा जाता है जैसे कि पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जानेवाले सूचकांक या दर में बदलाव। पुनर्माप आम तौर पर पट्टे पर दी गई संपत्तियों को भी समायोजित करता है।

पट्टा देनदारी और उपयोग की अधिकारवाली परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा दायित्व के पुनर्माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंडअलॉन विक्री मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर पट्टे के दायरे को बढ़ाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है। पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा दायित्व और आरओयू परिसंपत्तियों के माप के लिए उपयोग की जानेवाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

3.5 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां किराये अर्जित करने और/अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित संपत्तियां हैं। निवेश संपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और हानियों के नुकसान पर बताया जाता है। निवेश संपत्ति पर मूल्यहास, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है। निवेश संपत्तियों की मान्यता या तो निपटान पर या उपयोग से स्थायी निकासी पर रद्द कर दी जाती है। निवेश संपत्ति तब निपटान पर कोई लाभ या हानि, निवल निपटान आय और संपत्ति की कैरिंग राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.6 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II भाग ग में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

- * अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उपार्जित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है।
- * उपयोग की संपत्ति का अधिकार उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

- * सकल ब्लॉक में परिवर्धन/हटाने पर मूल्यहास की गणना ऐसे परिवर्धन की तिथि से और ऐसे विलोपन की तिथि तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

मूल्यहास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन का मानना है कि कुछ प्रकार की इमारतों और उपकरणों को छोड़कर संपत्तियों का उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित के समान है, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने का अनुमान लगाया गया है।

संयंत्र और मशीनरी की कुछ श्रेणियों के लिए प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगी जीवन डबल पारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद और शुरू में मान्यता प्राप्त कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर उत्पन्न होनेवाला कोई भी लाभ/हानि संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। अभी भी उपयोग में आनेवाली पूरी तरह से मूल्यहास परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अंतर्गत शामिल प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यहास नहीं किया गया है क्योंकि ये संपत्तियां अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यदि कोई हानि हो तो उनका जांच की जाती है।

3.7 परिसंपत्तियों का हानिकरण –गैर वित्तीय संपत्ति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करनेवाली इकाई के उचित

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है।

हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है।

कंपनी अपनी हानि गणना को विस्तृत बजट और पूर्वानुमान गणना पर आधारित करती है, जो कंपनी के प्रत्येक सीजीयू के लिए अलग से तैयार की जाती है, जिन्हें व्यक्तिगत संपत्ति आवंटित की जाती है। नवीनतम बजट/पूर्वानुमानों द्वारा शामिल की गई अवधियों से परे नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाने के लिए, कंपनी बाद के वर्षों के लिए स्थिर या घटती विकास दर का उपयोग करके बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाती है, जब तक कि बढ़ती दर को उचित नहीं ठहराया जा सके।

सुनाम को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उल्टा किया जाता है जब अंतिम हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने हेतु उपयोग की जानेवाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उत्क्रमण सीमित है ताकि परिसंपत्ति की अग्रणी राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित की गई वहन राशि से अधिक हो, मूल्यहास को छोड़कर, यदि पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि नहीं पहचानी गई थी।

3.8 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

कंपनी एक गैर तालू संपत्ति को बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उसकी कैरियिंग लागत मुख्य रूप से से निरंतर उपयोग के बजाय एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को जैसे पूरा किए मानते हैं, केवल जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव हो।

बंद संचालन सहित गैर चालू संपत्तियां जो, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत को कैरियिंग राशि के निम्नतम में मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत तथा वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर, संपत्तियां मूल्य हास और परिशोधन के अधीन नहीं है।

बंद किए गए कार्यों की बिक्री या पुनः माप से उत्पन्न होनेवाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में एकल पक्ति वस्तु के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.9 सहायक कंपनी में निवेश

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक – 27 अलग वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर सहायक कंपनियों में अपने इक्विटी निवेश का हिसाब लगाया है और भारतीय लेखा मानक-38, परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार हानि के किसी भी संकेत के मामले में हानि के लिए जांच की जाती है।

3.10 माल सूची

कच्चे मालों और घटकों का भारित औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें ऊपर या लागत पर बेचा जाने की उम्मीद है। भंडार और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है। पारगमन में माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3.11 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को सृजित कर देता है।

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्राप्य के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

आगामी माप

आगामी मान के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- * परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति ;
- * अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;
- * लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्वि निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

उक्त इक्विटी निवेश की बिक्री/निपटान पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशि का कोई पुनर्वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण नहीं होता है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक ऋण साधन में निवेश को परिमाप्य लागत पर मापा जाता है यदि दोनों निम्न शर्तें पूरी होती हैं: संपत्ति एक व्यावसायिक नमूने के भीतर संभाली जाती है, जिसका उद्देश्य है:

- (1) संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति रखने, और
- (2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर सृजित करती है जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया राशि पर होती हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू करती है :

- क) वित्तीय संपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।
- ख) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत पट्टा प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण

कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ते की मान्यता के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी प्रदेय के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगड़ा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छूट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर महत्वपूर्ण रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, महत्वपूर्ण रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। उस आधार पर, कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान का अनुमान लगाती है। क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

सामान्य दृष्टिकोण

अन्य वित्तीय संपत्तियों और जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि प्रदान करने हेतु 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने पर वापस लौट आती है।

लाइफटाइम ईसीएल एक वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के दौरान सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली अपेक्षित क्रेडिट हानि है। 12 महीने की ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए तुलन पत्र प्रस्तुति नीचे वर्णित है :

- * वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत के रूप में मापा जाता है: ईसीएल के भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी तुलन पत्र में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में। भत्ता निवल वहन राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति राइट-ऑफ मानदंडों को पूरा नहीं करती, कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- * वित्तीय गारंटी अनुबंध: ईसीएल को तुलन पत्र में एक प्रावधान के रूप में, यानी देनदारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- * एफवीटीओसीआई पर मापे गए ऋण उपकरण: चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियां पहले से ही उचित मूल्य पर परिलक्षित होती हैं, इसलिए हानि भत्ता इसके मूल्य से और कम नहीं किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों और परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों के रूप में जैसा उपयुक्त हो वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देनदारियों के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के निवल रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों के मामले में, वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देनदारियों के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के उचित मूल्य रूप में मापा जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों के मामले में, वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य भुगतान, वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण सहित ऋण और उधार शामिल हैं।

आगामी माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित हैं :

- * लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां ;
- * परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां ;
- * वित्तीय गारंटी अनुबंध ;

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयता

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियां और लाभ एवं हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयता

वित्तीय देनदारियां जो व्यापार के लिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं, उन्हें आगामी लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देनदारियों की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी व्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। लाभ और हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देनदारियों की पहचान रद्द कर दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होनेवाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है, लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देनदारी को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि से अधिक पर मापा जाता है और शुरुआत में मान्यता प्राप्त राशि को भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार संचयी आय से कम माना जाता है।

वित्तीय लिखतों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब :

- * परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- * कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक अंतरित कर दिया है या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफल को न तो अंतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण अंतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता को रद्द करने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए क्रमशः वायदा मुद्रा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों को शुरू में उस तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। व्युत्पन्न के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के लिए लेखांकन हेजिंग उपकरणों के रूप में व्युत्पन्न के पदनाम या गैर-पदनाम पर निर्भर करता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर व्युत्पन्न को वित्तीय संपत्ति के रूप में और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाया जाता है।

व्युत्पन्न जिन्हें हेज उपकरण के रूप में नामित किया गया है

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध करती है। कंपनी आम तौर पर पूरे वायदा अनुबंध को हेजिंग उपकरण के रूप में नामित करती है।

ये हेजिंग उपकरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा शासित होते हैं।

हेज संबंध की शुरुआत में, कंपनी औपचारिक रूप से हेज संबंध को नामित और दस्तावेजित करती है, जिस पर कंपनी हेज लेखांकन और हेज करने के लिए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और रणनीति को लागू करना चाहती है।

ऐसी हेज से उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में ऑफसेटिंग परिवर्तनों को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है और यह निर्धारित करने के लिए निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि हेज वास्तव में वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावी रही है जिसके लिए इसे नामित किया गया था।

निर्दिष्ट हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है और इक्विटी के अंतर्गत नकदी प्रवाह हेज रिजर्व शीर्षक के तहत जमा किया जाता है। अप्रभावी औषधि से संबंधित लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है और अन्य आय या अन्य व्यय में क्रमशः व्युत्पन्न पर लाभ या व्युत्पन्न हानि के रूप में शामिल किया जाता है।

ओसीआई में पहले से पहचानी गई और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में जमा की गई राशि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पुनःवर्गीकृत किया जाता है जब हेज मद लाभ या हानि को प्रभावित करता

है, मान्यता प्राप्त हेज मद के समान पंक्ति वस्तु में या आधार समायोजन के रूप में माना जाता है यदि हेज पूर्वानुमान लेनदेन के परिणामस्वरूप बाद में गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय दायित्व की पहचान होती है। जब पूर्वानुमानित लेनदेन होने की उम्मीद नहीं रह जाती है, तो इक्विटी में संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है।

अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

अनुबंध देयताएं

जहां कंपनी को विचार प्राप्त होता है, या कंपनी के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि कंपनी ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

3.12 रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

3.13 विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (आई एन आर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा प्रदर्शन मुद्रा है।

लेनदेन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेन को संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुओं (जैसे नकद, प्राप्य, देय आदि) को तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर पुनः मापा जाता है। गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा मदों को लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुएं, (जैसे पीपीई, अमूर्त संपत्ति, इक्विटी निवेश, नकदी में निपटान की उम्मीद के अलावा पूंजी/राजस्व अग्रिम आदि) लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज की जाती हैं। अंतरण या निपटान के समय या पुनर्कथन पर विनिमय अंतर के कारण होनेवाले किसी भी लाभ या हानि आय या व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में मानते हैं। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय

विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असर में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिथली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

3.15 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य विचार का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोड़कर जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व की मान्यता केवल तभी की जाती है जब कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है।

कंपनी को नवीनतम उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अपनाई गई विधि में प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए निरंतर आधार पर संशोधित/अद्यतन किया जाएगा।

अनुबंध के शुरुआती चरणों के दौरान, जहां कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकती है और कंपनी प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत की वसूली की उम्मीद करती है, राजस्व को केवल उस समय तक की गई लागत की सीमा तक ही मान्यता दी जाएगी जब तक कि यह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप न सके।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार 'और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार' है, निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है। सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है। सामग्री की लागत, डिज़ाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अन्य अस्तित्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। प्रबंधन शुल्क भी समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है। भुगतान शर्तें ग्राहकों के साथ संबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य पर आधारित हैं। निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य को प्राप्त करने पर ये भुगतान जारी किए जाते हैं।

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा। सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित

है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता को समय-समय पर किए गए खर्चों/लागत के अनुपात में मान्यता दी जाती है और अन्य परिचालन राजस्व के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारी अनुदान दो पहले से किए गए व्यय या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे प्राप्य हो जाते हैं।

ग) अन्य आय

i) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियाँ, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती हैं। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

ii) बीमा दावे के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए लिए बीमा पॉलिसियों, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

चिकित्सा बीमा के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

iii) ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके पहचाना जाता है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है और प्राप्ति की निश्चितता के समय के अनुपात में संचय के आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

iv) अन्य

लाभांश आय को मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित किया गया हो।

3.16 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

रोज़गारोत्तर लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

कार्यपालकों/ पर्यवेक्षकों/कामगारों के लिए सीएसएल अधिवर्षिता पेंशन ट्रस्ट में पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान दिया जाता है और वे नियत होने के रूप में प्रभारित किया जाता है। ऐसे लाभों को, अंशदान देने के अलावा कंपनी को कोई और दायित्व न होने के कारण निर्धारित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी, कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी म्युचुअल पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट और कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट में योगदान देती है, जिसे देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

कंपनी उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्त्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

कंपनी को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

3.17 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोप्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि अस्थायी आधार के अलावा बाधित होती है और ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर शुल्क लगाया जाता है, तो उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

3.18 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है, जिसमें कंपनी भविष्य के वर्षों में कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अलावा समायोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है और वित्तीय विवरणों में अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3.19 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

त्रुटियों के कारण पूर्व अवधि के समायोजन, जिनका कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को प्रस्तुत पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल करके पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है जिसमें प्रस्तुत प्रारंभिक पूर्व अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को पुनर्स्थापित करके त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी।

3.20 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित

करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियाँ और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रणीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

3.21 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर के मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी सेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोग्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थीं।

3.22 सेगमेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट्स किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

कंपनी ने व्यापार सेगमेंटों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंटों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेगमेंट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोतों/अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है।

सेगमेंट राजस्व, सेगमेंट व्यय, सेगमेंट परिसंपत्तियां और सेगमेंट देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर सेगमेंटों के लिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

3.23 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परीक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्ति या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

3.24 इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश देयता के रूप में मान्य किया जाता है और उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी से कटौती की जाती है, जिसमें साधारण बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है। अंतरिम लाभांश के मामले में, मान्यता उस अवधि में की जाती है जिसमें कंपनी के बोर्ड द्वारा इसकी सिफारिश और अनुमोदन किया जाता है।

3.25 आसाधारण मदें

आय या व्यय की एक मद जिसके आकार, प्रकार या घटना के कारण कंपनी के प्रदर्शन की समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे एक आसाधारण मद के रूप में माना जाता है और वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया जाता है।

3.26 हाल की अधिसूचनाएं

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया।

भारतीय लेखा मानक - 1 - वित्तीय विवरण की प्रस्तुति - इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि है। कंपनी मानक के अनुसार उन्हें प्रभावी बनाने हेतु उनका मूल्यांकन करेगी।

भारतीय लेखा मानक ए एस-8 लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां : - इस संशोधन ने लेखा अनुमान की एक परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में बदलावों को लेखांकन अनुमानों से अलग करने में मदद करने हेतु भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल 2023 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि है।

भारतीय लेखा मानक 12 - आयकर :- इस संशोधन ने छूट की प्रारंभिक मान्यता के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को सृजित करते हैं। दिनांक 01 अप्रैल 2023 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि में इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि है। कंपनी मानक के अनुसार उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उनका मूल्यांकन करेगी।

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

व्योग	सकल वहन राशि				मूल्यहास				(₹ लाखों में)	
	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए समायोजन/ अहरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54			587.54	-		-	587.54	587.54	
इमारतें	17,821.14	448.54		18,269.68	3,561.02	558.19	4,119.21	14,150.47	14,260.12	
प्लॉट और मशीनरी	21,010.38	241.12	223.01	21,028.49	10,927.04	1,872.51	12,612.01	8,416.48	10,083.34	
फर्नीचर और जुड़ाव	1,452.48	211.87	-	1,664.35	716.45	125.09	841.54	822.81	736.03	
गाड़ियां	639.69	2.94	0.09	642.54	367.15	55.41	422.53	220.01	272.54	
कार्यालय उपस्कर	510.27	80.95		591.22	290.78	67.34	358.12	233.10	219.49	
अन्य					-					-
खटा प्रोसेसिंग उपकरण	2,383.15	321.93	11.08	2,694.00	1,368.61	324.18	1,686.23	1,007.77	1,014.54	
गोदी और घाट	4,466.45			4,466.45	2,141.37	299.41	2,440.78	2,025.67	2,325.08	
रेलवे साइडिंग	1.10			1.10	-		-	1.10	1.10	
विद्युत संस्थापन	1,887.01	188.84	3.81	2,072.04	1,102.71	123.43	1,223.02	849.02	784.30	
नाली और जलपूर्ति	6.67	16.88		23.55	-	0.98	0.98	22.57	6.67	
यानें	19.74	2.14		21.88	8.44	1.36	9.80	12.08	11.30	
उप कुल	50,785.62	1,515.21	237.99	52,062.84	20,483.57	3,427.90	23,714.22	28,348.62	30,302.05	
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	2,322.39	186.40		2,508.79	647.88	121.00	768.88	1,739.91	1,674.51	
प्लॉट और मशीनरी	871.87	65.86		937.73	154.15	55.12	209.27	728.46	717.72	
गोदी और घाट	9.62			9.62	8.35		8.35	1.27	1.27	
विद्युत संस्थापन	501.32	35.03		536.35	212.46	48.83	261.29	275.06	288.86	
उप कुल	3,705.20	287.29	-	3,992.49	1,022.84	224.95	1,247.79	2,744.70	2,682.36	
कुल (क) + (ख)	54,490.82	1,802.50	237.99	56,055.33	21,506.41	3,652.85	24,962.01	31,093.32	32,984.41	
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,172.92	565.92		39,738.84	4,064.22	1,354.71	5,418.93	34,319.91	35,108.70	
उपयोग का अधिकार- इमारतें	173.07			173.07	100.20	18.14	118.34	54.73	72.87	
उपयोग का अधिकारी - भूमि और पोट मरम्मत सुविधा	7,000.00			7,000.00	1,583.67	210.32	1,793.99	5,206.01	5,416.33	
उप कुल	46,345.99	565.92	-	46,911.91	5,748.09	1,583.17	7,331.26	39,580.65	40,597.90	
कुल (क + ख + ग)	1,00,836.81	2,368.42	237.99	1,02,967.24	27,254.50	5,236.02	32,293.27	70,673.97	73,582.31	

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

व्योरा	सकल वहन राशि				मूल्यांकन		(₹ लाखों में)	
	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2023 को	निवल वहन राशि 31 मार्च 2022 को
क) स्वामित्व संपत्ति								
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54			587.54	-		587.54	587.54
इमारतें	16,576.51	1,244.63		17,821.14	2,981.38	579.64	14,260.12	13,595.13
प्लॉट और मशीनरी	20,056.24	955.05	0.91	21,010.38	8,921.93	2,005.72	10,083.34	11,134.31
फर्नीचर और जुड़ाव	1,360.41	92.47	0.40	1,452.48	598.19	118.32	736.03	762.22
गतिधियाँ	612.74	26.95		639.69	312.12	55.03	272.54	300.62
कार्यालय उपकरण	454.11	56.64	0.48	510.27	228.93	62.19	219.49	225.18
अन्य								
ढाटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,819.28	573.30	9.43	2,383.15	1,071.38	303.11	1,014.54	747.90
गोदी और घाट	4,466.45			4,466.45	1,841.96	299.41	2,325.08	2,624.49
रेलवे साइडिंग	1.10			1.10	-		1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	1,831.03	56.51	0.53	1,887.01	982.17	120.54	784.30	848.86
नाली और जलपूर्ति	6.67			6.67	-		6.67	6.67
जलयान	19.74			19.74	7.08	1.36	11.30	12.66
उप कुल	47,791.82	3,005.55	11.75	50,785.62	16,945.14	3,545.32	30,302.05	30,846.68
ख) षट्टु परिसर की संपत्तियाँ								
इमारतें	2,193.35	129.04		2,322.39	542.05	105.83	1,674.51	1,651.30
प्लॉट और मशीनरी	654.65	217.22		871.87	109.37	44.78	717.72	545.28
गोदी और घाट	9.62			9.62	8.35		1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	400.26	101.06		501.32	169.64	42.82	288.86	230.62
उप कुल	3,257.88	447.32	-	3,705.20	829.41	193.43	2,682.36	2,428.47
कुल (क) + (ख)	51,049.70	3,452.87	11.75	54,490.82	17,774.55	3,738.75	32,984.41	33,275.15
ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार								
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,172.92			39,172.92	2,709.60	1,354.62	35,108.70	36,463.32
उपयोग का अधिकार- इमारतें	173.07			173.07	70.65	29.55	72.87	102.42
उपयोग का अधिकार - भूमि और पोल मरम्मत सुविधा	7,000.00			7,000.00	1,373.33	210.34	5,416.33	5,626.67
उप कुल	46,345.99	-	-	46,345.99	4,153.58	1,594.51	40,597.90	42,192.41
कुल (क + ख + ग)	97,395.69	3,452.87	11.75	1,00,836.81	21,928.13	5,333.26	73,582.31	75,467.56

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्ट्स को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्यहास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें गिरा देने की संभावना है।

फ्रीहोल्ड भूमि में कंपनी की 197.12 एकड़ (487.00 सेंट) की कंपनी की भूमि संपत्तियां शामिल हैं जो सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़, सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और 714/5 में 10.93 एकड़ में बना हुआ है। ये सभी एलमकुलम गांव, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिला, केरल में एक पट्टे हुए हैं, जिन्हें कर मुक्त बांड जारी करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रदान किया गया है।

कंपनी के परिसर और अन्य स्थानों पर बियरर प्लॉट है जिनसे नाममात्र की आय होती है। ऐसे बियरर प्लॉट की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है और इसलिए इन्हें पंजीकृत नहीं किया गया था।

सभी अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखा जाता है। निम्नलिखित संपत्तियों के मामले में जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टा समझौते निम्नलिखित अपवादों के साथ पट्टेदार के पक्ष में विधिवत् निष्पादित किए जाते हैं:

* सीएसएल ने दिनांक 12 अप्रैल 2013 को सीओपीटी से 8.12 हेक्टर भूमि और 15 हेक्टर जल निकाय पट्टे पर लिया है। इस संबंध में सीओपीटी के साथ एक पट्टा समझौता किया गया था, हालांकि इसे अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है।

* सीएसएल ने दिनांक 16 नवंबर 2017 को सीओपीटी से पट्टे पर 8.134 हेक्टर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र भी लिया है – पट्टा करार को निष्पादित और पंजीकृत किया जाना बाकी है।

कंपनी ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ ह्यूजेस ड्राई डॉक और एमबीपीटी के इंदिरा डॉक पर निर्दिष्ट बर्थ और दो ड्राई डॉक और केओपीटी के नेताजी सुबाष डॉक के बर्थ नंबर 6 पर पोत मरम्मत सुविधा को उन्नयन करने, संचालित करने और प्रबंधित करने हेतु रियायतग्राही समझौतों को निष्पादित किया है।

एमबीपीटी में परियोजना स्थल को 29 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। लाइसेंस समझौते को अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को स्टांप शुल्क की छूट के लिए प्रस्तुत अनुरोध विचाराधीन है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर परियोजना स्थल को 30 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। चूंकि लाइसेंस समझौते पर पश्चिम बंगाल में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है, इसलिए केओपीटी के साथ रियायत समझौता पंजीकृत नहीं किया गया है।

भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को भुगतान की गई अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है। पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाना था जिसे पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढ़ाया गया था। चूंकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी दिनांक 09 जनवरी 2018 को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए 30 साल की पट्टे अवधि प्रभावी रूप से इसी तारीख से शुरू होती है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्लांट और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	1,34,104.46	1,09,977.44
जोड़ें : निर्माण के दौरान व्यय	9,570.95	1,006.79
पूँजी यार्ड मद	15,064.22	11,431.96
मार्गस्थ वस्तुएं	7.30	-
कुल	1,58,746.93	1,22,416.19

निर्माण के दौरान व्यय

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक जमा	1,006.79	757.66
जोड़ : वर्ष के दौरान व्यय		
वेतन	275.95	249.13
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत मूल्यहास	513.64	-
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत वित्तीय लागत	1,593.22	-
आसाधारण वस्तुएं	6,181.35	-
जमा शेष	9,570.95	1,006.79

दिनांक 31.03.2023 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

	(₹ लाखों में)				
पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	40,630.77	17,249.71	42,915.65	57,950.80	1,58,746.93
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2022 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

	(₹ लाखों में)				
पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	21,548.62	42,916.75	32,650.70	25,300.12	1,22,416.19
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक 31.03.2023 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा		70447.15	-	-
सूखी गोदी	84852.92		0.00	0.00
सीकेएसआरयू कैसॉन गेट	971.21		0.00	0.00
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	354.17		0.00	0.00
सीएमएसआरयू कैसॉन गेट	1359.38		0.00	0.00

दिनांक 31.03.2022 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

दिनांक 31.03.2022 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा	-	56136.01	-	-
सूखी गोदी	65082.67	-	-	-
आईटी सुरक्षा और मॉनिटरिंग प्रणाली	167.67	-	-	-
डॉक मॉनिटरिंग प्रणाली	32.17	-	-	-
कैसॉन गेट	565.90	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

व्योरा	सकल वहन राशि				ऋणमुक्ति		निवल वहन राशि		(₹ लाखों में)
	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67			27.67	27.67		27.67	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,991.11	897.47		2,888.58	1,550.96	392.24	1,943.20	945.38	440.15
	2,018.78	897.47	-	2,916.25	1,578.63	392.24	1,970.87	945.38	440.15

व्योरा	सकल कैसिंग राशि				ऋणमुक्ति		निवल कैसिंग राशि		(₹ लाखों में)
	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,565.16	425.95	-	1,991.11	1,443.22	107.74	440.15	440.15	121.94
	1,592.83	425.95	-	2,018.78	1,470.89	107.74	440.15	440.15	121.94
पिछले वर्ष	7832.14	1392.29	0.79	9223.64	548.36	610.08	8065.99	8065.99	7283.78

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6 : विकासाधीन अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को
संयंत्र और मशीनरी, भवन और सिविल कार्य	1,602.37	2,303.95
कुल	1,602.37	2,303.95

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ दिनांक 31.03.2023 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं - प्रगति पर	39.07	28.46	136.15	1,398.69
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

वकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ दिनांक 31.03.2022 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं - प्रगति पर	769.12	136.15	1,398.68	0.00
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2023 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर	1541.73	-	-	-
आधार - सीएनएसआरयू	60.64	-	-	-

दिनांक 31.03.2022 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर	1625.24	-	-	-
आईटी सुरक्षा और मॉनिटरिंग प्रणाली	650.25	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)					
व्योरा	प्रति इकाई अंकित मूल्य	31 मार्च 2023 तक इकाइयों की संख्या	31 मार्च 2022 तक इकाइयों की संख्या	मार्च 31, 2023 तक	मार्च 31, 2022 तक
अनकोट्ड (पूर्णतया प्रदत्त)					
इक्विटी उपकरणों में निवेश					
क) लागत पर					
सहायक कंपनी में इक्विटी शेयर					
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- प्रत्येक 10 रु के 9,60,00,000 इक्विटी शेयर	10	9,60,00,000	5,00,00,000	9,535.34	4,935.34
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)- प्रत्येक 10 रु के 9,00,00,000 इक्विटी शेयर	10	9,00,00,000	6,50,00,000	9,000.00	6,500.00
ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर					
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्त समिति लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 100 रुपए के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर)	100	2,175	2,175	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 10 रुपए के 70000)	10	70,000	70,000	9.14	7.00
कोचीन वेस्ट टु एनर्जी प्राइवेट लि. में निवेश (प्रत्येक 10 रुपए के 100000 इक्विटी शेयर)	10	1,00,000	1,00,000	-	-
ऋण साधनों में निवेश					
क) परिशोधित लागत पर					
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश, 5,60,00,000, ₹10 प्रत्येक का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय प्रतिदान लेकिन आबंटन की तारीख से 10 साल बाद नहीं।)	10	5,60,00,000	5,60,00,000	6,232.14	5,931.66
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की नियंत्रित कंपनी मै.हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश, प्रत्येक ₹1000 के 440000, 6.5% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर (60 महीने के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय)	1000	4,40,000	4,40,000	4,553.58	4,553.58
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में निवेश, प्रत्येक 10 रुपए के 310000, 6.15% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (आबंटन की तारीख से 5 साल बाद रिडीम करने के विकल्प के साथ डिबेंचर की अवधि 120 महीने हैं।)	1000	3,10,000	3,10,000	3,209.69	3,209.69

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

व्योरा	प्रति इकाई अंकित मूल्य	31 मार्च 2023 तक इकाइयों की संख्या	31 मार्च 2022 तक इकाइयों की संख्या	मार्च 31, 2023 तक	मार्च 31, 2022 तक
मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (डिबेंचर) में निवेश, प्रत्येक 1000 रुपए के 100000, 6% अप्रतिभूति प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (84 महीनों के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय।)	1000	1,00,000	1,00,000	1,018.64	1,018.64
कुल				33,560.71	26,158.09
उद्धृत निवेश का कुल मूल्य और उसका बाज़ार मूल्य				-	-
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य				33,560.71	26,158.09
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि				-	-

निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है। इसी प्रकार, केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में वृद्धि देखी गई है और तदनुसार निवेश का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है।

कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड में कंपनी का निवेश गैर-भागीदारी शेयर है और आमतौर पर इसमें कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता है। इसलिए कंपनी ने इस निवेश को उचित मूल्य मानते हुए अपने लेनदेन मूल्य पर किया है।

चालू वर्ष की शुरुआत में, कंपनी ने हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में 4935.34 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसमें वर्ष 2017 से 2021 की अवधि के दौरान प्रत्येक 10 रुपए के 5,00,00,000 शेयर शामिल हैं। उपरोक्त में से प्रत्येक 10 रुपए के 2,80,00,000 शेयर राइट्स शेयर के माध्यम से हासिल किए गए थे।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 4600.00 लाख रुपए का और निवेश किया है, जिसमें अधिकार के आधार पर प्रत्येक 10 रुपए के 4,60,00,000 शेयर शामिल हैं और वर्ष के अंत में एचसीएसएल में कुल निवेश 9535.34 लाख रुपए है।

कंपनी ने एनसीएलटी के एक आदेश द्वारा टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे अब उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नाम दिया गया है, का अधिग्रहण 6500.00 लाख रुपए का निवेश करके किया था, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 शेयर शामिल थे। वर्ष के दौरान कंपनी ने 25,00,00,000 रुपए का और निवेश किया है, जिसमें अधिकार के आधार पर प्रत्येक 10 रुपए के 2,50,00,000 शामिल हैं, और वर्ष के अंत में यूसीएसएल में कुल निवेश 9000 लाख रुपए है।

अधिकार के आधार पर जारी किए गए इक्विटी शेयर सभी मामलों में कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर रैंक के होंगे। उपरोक्त निवेश को भारतीय लेखा मानक 27-अलग वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर दर्ज किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8: गैर चालू ऋण

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण		
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		513.22
(ख) अन्य ऋण		
कर्मचारियों को ऋण		
संबंधित पार्टियों	0.00	0.00
अन्य	520.60	347.84
कुल	1033.82	861.06

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

कंपनी ने अपने प्रचालन चरण के दौरान खर्चों को पूरा करने हेतु सहायक कंपनी टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड को 5.5 प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ असुरक्षित ऋण के रूप में 500 लाख रुपये का निवेश किया। मूल राशि का भुगतान संवितरण की तारीख से 5 वर्ष के अंत में किया जाना है, अर्थात् 17 सितंबर 2025 को। ब्याज की चुकौती संवितरण की तारीख से वार्षिक आधार पर की जानी है।

नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रतिभूति जमा	84.23	77.42
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति		21.70
कुल	90.67	99.12

नोट 10: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	2,906.66	3,386.91
चालू कर परिसंपत्तियां / देयता		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	7,147.48	(2,566.09)

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
चालू कर :		
चालू आयकर प्रभार	11,597.42	20,431.12
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(1,289.62)	(743.88)
कुल (क)	10,307.80	19,687.24

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	1,094.00	1,095.00
कुल (ख)	1,094.00	1,095.00
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (कअ ख)	11,401.80	20,782.24

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिल मिलाप किया जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	44,850.66	79,439.06
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	11,288.02	19,993.22
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	3,528.04	5,542.57
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(4,879.90)	(5,388.12)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	416.52	407.59
कराधन से मुक्त आय का प्रभाव		
अन्य	1,244.74	(124.14)
	11,597.42	20,431.12
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(1,289.62)	(743.88)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	1,094.00	1,095.00
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	11,401.80	20,782.24

नोट 11: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आस्थगित कर दायित्व	(2,439.62)	(2,540.98)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	8,131.56	9,326.92
कुल	5,691.94	6,785.94

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2022-23 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

व्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(7,336.19)	1,964.19		(5,372.00)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,556.66	(152.01)		2,404.65
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	(18.27)	50.94		32.67
अन्य	(1,988.14)	(769.12)		(2,757.26)
कुल	(6,785.94)	1,094.00	-	(5,691.94)

2021-22 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

व्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(9,003.68)	1,667.49	-	(7,336.19)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,697.54	(140.88)	0.00	2,556.66
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	(17.86)	(0.41)	0.00	(18.27)
अन्य	(1,556.94)	(431.20)	0.00	(1,988.14)
कुल	(7,880.94)	1,095.00	-	(6,785.94)

नोट 12 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूँजी अग्रिम	16,455.40	17,775.05
पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	239.87	239.66
सीमा शुल्क विभाग के साथ जमा	261.22	261.22
फुटकर औजार		627.07
कुल	17,600.41	18,903.00

सीमा शुल्क के संबंध में देयता को कवर करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष 261.22 लाख के कस्टम विभाग के पास जमा धनराशि अपील से संबंधित है, जो नोट नंबर 24 के तहत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय के रूप में भी दिखाया गया है- अन्य वित्तीय देयताएं- गैर वर्तमान

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कच्चे माल और घटक	32,090.99	27,658.20
मार्गस्थ माल	1,557.05	533.53
	33,648.04	28,191.73
भंडार व पूर्जे	1,286.39	619.37
मार्गस्थ माल	110.59	32.72
	1,396.98	652.09
कुल	35,045.02	28,843.82

चालू वर्ष के दौरान, स्टोर और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है और पारगमन में माल कर मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जबकि पिछले वर्षों में स्टोर के लिए भारित औसत लागत पद्धति या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो और पारगमन में माल के लिए लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम का पालन किया जाता है।

मालसूची में शामिल की गई अनुरक्षण पुर्जे, सामान्य प्रकृति के पुर्जों का प्रतिनिधान करता है और एक विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

नोट 14 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत		
वसूलीयोग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	33,020.51	43,667.15
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	11,030.93	10,439.67
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(11,030.93)	(10,439.67)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
कुल	33,020.51	43,667.15

व्यापार प्राप्तियाँ सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

व्यापार प्राप्य में अर्जित प्राप्य शामिल है लेकिन देय नहीं है (बिना बिल किए व्यापार प्राप्य) 2102.59 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4661.29 लाख रुपए)

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक 31.03.2023 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	उपार्जित लेकिन देय नहीं (बिल रहित व्यापार प्राप्य)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – विचारयोग्य।	2,102.59	13006.35	12567.10	3657.98	1686.49	0.00	33020.51
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	0.00	0.00	0.00	189.72	292.00	1360.33	1842.05
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – भ्रष्ट क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – विचारयोग्य।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	0.00	0.00	0.00	98.04	121.95	8968.89	9188.88
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – भ्रष्ट क्रेडिट।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,102.59	13,006.35	12,567.10	3,945.74	2,100.44	10,329.23	44,051.44
घटाव : दिनांक 31.03.2023 को ईसीएल प्रावधान							11,030.93
दिनांक 31.03.2023 को व्यापार प्राप्य							33,020.51

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	उपार्जित लेकिन देय नहीं (बिल रहित व्यापार प्राप्य)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – विचारयोग्य।	4,661.29	28300.72	6015.39	4294.08	401.54	0.00	43673.02
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	0.00	0.00	0.00	226.00	70.28	1117.21	1413.49
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – भ्रष्ट क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – विचारयोग्य।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	0.00	0.00	0.00	63.65	15.55	8941.10	9020.30
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – भ्रष्ट क्रेडिट।							0.00
	4,661.29		6,015.39	4,583.73	487.37	10,058.31	54,106.81
		28,300.72					
घटाव : दिनांक 31.03.2022 को ईसीएल प्रावधान							10,439.67
दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य							43,667.15

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वितीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

		(₹ लाखों में)
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक शेष	10,439.67	10,215.58
जोड़िए: वर्ष के दौरान परिवर्धन	613.97	2,984.36
घटाइए: वर्ष के दौरान उत्क्रमण/निकासी	22.71	2,760.27
जमा शेष	11,030.93	10,439.67

नोट 15 : रोकड और रोकड तुल्यांक

		(₹ लाखों में)
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बैंक शेष		
चालू खाते में	1,72,500.78	10,525.92
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	28,382.00	35,050.00
कुल	200,882.78	45,575.92

चालू खाते में शेष राशि में अगली पीढ़ी के मिसाइल जलयानों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त 169785 लाख रूपए शामिल हैं।

नोट 16 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

		(₹ लाखों में)
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
तीन महीने से कम समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि।	47,534.90	15,100.00
तीन महीने से ज्यादा समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि।	36,274.85	59,797.71
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा।।	56,095.14	33,432.00
भारतीय नौसेना की ओर से चालू खाते में	72,602.94	91,155.67
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम	53,691.71	71,161.67
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	98.20	59.71
कुल	2,66,297.74	2,70,706.76

* ग्रहणाधिकार चिन्हित सावधि जमा उन जमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिन्हित किया जाता है।

** बैंकों के साथ 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि से युक्त जमाओं में ₹101.92 लाख रूपए (पिछले साल 97.45 लाख) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में ग्रहणाधिकारी अंकित है।

वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना द्वारा जमा की गई धनराशि एक अलग खाते में रखी जाती है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 17 : चालू ऋण

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों	-	-
अन्य	99.50	68.56
कुल	99.50	68.56

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 18 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ- चालू

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बैंक जमे पर अर्जित ब्याज	3,312.27	1,424.87
कर्मचारी अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
संबंधित पार्टियाँ		
अन्य	68.73	39.23
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियाँ	15.47	1.30
कुल	3,396.47	1,465.40

नोट 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूँजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.39	0.36
अन्य अग्रिम	62,625.16	39,806.87
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	1,030.17	1,030.17
	63,655.72	40,837.40
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1,030.17	1,030.17
	62,625.55	39,807.23
अन्य		
आईएससी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियाँ	30,065.10	-
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियाँ	21,664.02	34,961.10
अप्रयुक्त स्टॉक	352.37	238.71
कम: अप्रचलन के लिए प्रावधान	(352.37)	(238.71)
राजस्व अधिकारियों के साथ संतुलन	709.69	571.51
विविध जमाराशियाँ	62.01	76.23
पूर्वदत्त व्यय	998.27	618.86
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	32,453.79	1,08,217.30
चिकित्सा बीमा प्रीमियम		
विविध चालू परिसंपत्तियाँ	1,706.81	552.02
कुल	1,52,162.14	1,86,582.95

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20 : इक्विटी शेयर पूंजी

व्योरा	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹10/- प्रति इक्विटी शेयर	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
कुल	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

20.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

व्योरा	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0.00	0	0.00
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0.00	0	0.00
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

20.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

व्योरा	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	95843464	72.86

20.3 वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	शून्य

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : अन्य इक्विटी

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूँजी आरक्षण	263.56	263.56
पूँजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,151.96	93,152.08
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	1,668.44	1,668.44
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व	(3,578.40)	0.97
प्रतिधारित कमाई	3,19,005.76	3,09,002.37
कुल	4,29,187.83	4,22,763.93

अन्य इक्विटी में प्रत्येक आइटम का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूँजी आरक्षण: पूँजी निधि में कंपनी की जमीन के माध्यम से नल तंत्र लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ₹ 263.56 लाख रुपए बहाली शुल्क शामिल है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व: ₹ 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ₹ 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹ 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण: सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया था और प्रीमियम (₹ 93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

ऋण मोचन आरक्षण: कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 (7) के साथ पड़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के अनुसार और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) के अनुसार, ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी बांडों की 25% मूल्य पर ऋण मोचन आरक्षण कंपनी द्वारा बना रही है। कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी उनके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋण मोचन आरक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दिनांक 30.09.2019 तक बनाए गए ऋण मोचन आरक्षण, जो 1668.44 लाख रुपए के हैं, बांड की मोचन की समय तक बहियों में बनाया रखा जाएगा।

सामान्य आरक्षित निधि : सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य रिजर्व में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व : नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेडिजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 46 देखें।)

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 7 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के और 10/- रुपए के अंकित मूल्य के 7/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 10 नवंबर 2022 और फरवरी 10, 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में मई 19, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 3.00/- का लाभांश सिफारिश की है। यह वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन/ नियमन के अधीन है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22 : उधार

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(क) बांड- (सुरक्षित)		
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	2,302.20	12,581.98
कुल	2,302.20	12,581.98

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ख) वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़ से 197.12 एकड़ (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड़, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड़ एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पड़े हैं।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

नोट 23: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	39,227.30	38,680.71
कुल	39,227.30	38,680.71

नोट 24: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के देय	261.22	261.22
कुल	261.22	261.22

सीमा शुल्क ड्यूटी के संबंध में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को ₹ 261.22 लाख की देयता है जो वापसी अपील के आयुक्त (अपील) के समक्ष है जिसे नोट सं 12 के अधीन सीमा शुल्क विभाग की जमा राशि के रूप में भी दिखाया गया है।

नोट 25: प्रावधान- गैर चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 37 का संदर्भ लें)	3,923.34	3,551.00
कुल	3,923.34	3,551.00

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 26: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	248.98	9.16
कुल	248.98	9.16

नोट 27: उधार

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	10,279.78	
कुल	10,279.78	0.00

नोट 22 का संदर्भ ले : वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

नोट 28: पट्टा देयताएं

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन पट्टा देयताएं	4,898.68	3,374.84
कुल	4,898.68	3,374.84

नोट 29: व्यापार देय

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	4,991.65	701.25
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	15,815.39	15,761.55
कुल	20,807.04	16,462.80

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	4,991.65	701.25
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ;		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।		

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 29: व्यापार देय (जारी..)

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि, जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कठौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

दिनांक 31.03.2023 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई					
बकाया नहीं	4991.65				4991.65
बकाया					0.00
(ii) अन्य					
बकाया नहीं	11610.03	0.00	0.00	0.00	11610.03
बकाया	4184.22	7.34	0.00	13.80	4205.36
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई					0.00
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य					0.00
कुल	20,785.90	7.34	-	13.80	20,807.04

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई					
बकाया नहीं	701.25				701.25
बकाया					
(ii) अन्य					
बकाया नहीं	12878.23				12878.23
बकाया	2778.84	26.50	50.44	27.54	2883.32
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई					
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य					
कुल	16,358.32	26.50	50.44	27.54	16,462.80

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अवैतनिक लाभांश	93.22	59.71
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	4,797.38	-
अन्य		
प्रतिभूति और अन्य जमा	1,638.63	6,943.36
अन्य देय	7,883.65	8,661.40
कुल	14,412.88	15,664.47

नोट 31 : अन्य वर्तमान देनदारियां

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
देशी विमान वाहक कार्यों (निवल) के लिए अनुबंध दायित्व	0.00	48,950.10
आईएसी व्यापार देय	17,573.11	20,748.20
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता	385,917.58	1,77,104.53
पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य ठेको के लिए अग्रिम	7,635.53	4,402.27
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	29.08	27.76
सांविधिक देय	1,665.56	4,791.18
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
कुल	4,12,822.00	2,56,025.18

आईएसी ट्रेड देय में एमएसएमई विक्रेताओं को देय 1,774.84 लाख रुपए शामिल हैं जो दिनांक 31 मार्च 2023 तक देय नहीं है।

कंपनी ने भारतीय नौसेना से प्राप्त धनराशि से बुनियादी ढांचे की सुविधा बढ़ाने के लिए दिनांक 31 मार्च 2023 तक 37,377.15 लाख रुपए (दिनांक 31 मार्च 2022 तक 34,808.21 लाख रुपए) खर्च किए हैं। उक्त निधि से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व भारतीय नौसेना के साथ है।

आईएसी अनुबंध के लागत प्लस भाग के तहत खरीदे गए कच्चे माल और खरीदे गए घटकों राशि 6966.24 लाख (पिछले वर्ष 8977.28 लाख रुपए) जोकि वायूयान वाहक के लिए भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के पास रखी गई थी, को स्वदेशी के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त अग्रिम के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने आईएसी पी-71 के निर्माण के अनुबंध के अनुसार स्वदेशी वायुयान वाहक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कंपनी ने अनुबंध की सुपुर्दगी उपलब्धि हासिल करने पर 1915000 लाख रुपए का चालान जारी किया है। निर्माण अनुबंध के अनुसार कार्य का शेष दायरा 2 वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा।

सीएसएल ने आईएसी परियोजना पी-71 के विरुद्ध 31.03.2023 तक 1740844.14 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी है और शेष राजस्व को आईएसी पी-71 के निर्माण अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने पर मान्यता दी जाएगी। परियोजना पर अब तक प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	(₹ लाखों में)
दिनांक 31.03.2022 तक मान्यता प्राप्त राजस्व	1598425.48
वर्ष 2022-23 के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	142418.66
दिनांक 31.03.2023 को आईएसी पी-71 पर मान्यता प्राप्त कुल राजस्व	1740844.14

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 44 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 32 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	716.13	546.79
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 37)	275.36	419.62
अन्य	-	
	991.49	966.41
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों के लिए	2,668.99	2,665.50
पोत निर्माण घटाने के लिए	5,465.00	7,573.00
व्यय/ आकस्मिकों के लिए	30,253.73	35,546.95
	38,387.72	45,785.45
कुल	39,379.21	46,751.86

32.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2022 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	546.79	449.13	279.79		716.13
क्षतिपूरण अवधि	419.62	-	-	144.26	275.36
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,665.50	3.49			2,668.99
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	7,573.00			2,108.00	5,465.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	35,546.95	39,410.36	42,522.85	2,180.73	30,253.73

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2021 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	272.09	396.09		121.39	546.79
क्षतिपूरण अवधि	515.45	435.07	-	530.90	419.62
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,662.17	3.33			2,665.50
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	11,658.00			4,085.00	7,573.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	34,376.98	36,459.80	31,553.48	3,736.35	35,546.95

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 33: प्रचालन से आय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	142418.66	179266.04
देशी वायुयान वाहक को छोड़कर अन्य यानें	31830.44	67606.85
	1,74,249.10	2,46,872.89
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	54,331.00	65,752.72
	54,331.00	65,752.72
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मर्दों की बिक्री	185.23	14.67
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	1193.43	3486.17
रद्दी माल की बिक्री	1,549.62	1,373.80
प्रबंधन शुल्क	1,537.50	1,500.00
	4,465.78	6,374.64
कुल	2,33,045.88	3,19,000.25

- राजस्व तब पहचाना जाता है जब कंपनी आज तक पूर्ण किए गए प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माप के आधार पर आउटपुट पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को समय-समय पर अंतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। आउटपुट पद्धति सच्चाई से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी के प्रदर्शन को दर्शाती है और कंपनी के प्रयासों की स्पष्ट तस्वीर देती है और इसलिए आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन को दर्शाने के लिए इसे अपनाया जा रहा है।
- भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 44 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।
- प्रचालन से राजस्व में से, 6905.65 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 9503.19 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।
- कंपनी ने दिनांक 13 मई 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाउन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ़ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना के लिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।
- दो 1200 यात्री जलयानों के निर्माण के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के साथ पोत निर्माण अनुबंध के संबंध में, एसएच 0023 के लिए संविदात्मक सुपुर्दगी तिथियाँ (विस्तारित) पहले ही समाप्त हो चुकी हैं और अन्य जलयान एसएच 0024 की समाप्ति होनेवाली है। कंपनी ने एसएच 0023 और एसएच 0024 के संबंध क्रमशः 29 अप्रैल 2023 और 30 अक्टूबर 2023 तक की देरी के लिए एलडी प्रदान किया है। अन्य संभावित खरीदारों के लिए पोत के पुनः आबंटन के लिए अंडमान व निकोबार प्रशासन के अनुरोध पर, मामूली प्रगति के साथ पोतों की सुपुर्दगी रोक दी गई है। चूंकि कंपनी का अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ एक वैध अनुबंध है, इसलिए कंपनी ने ऊपर उल्लिखित तिथियों के बाद वित्तीय स्थिति में किसी भी अन्य नुकसान की पहचान नहीं की है।
- भारत सरकार द्वारा प्रदान की जानेवाली पोत निर्माण वित्तीय सहायता जलयानों के निर्माण में कंपनी द्वारा की गई लागत की भरपाई के लिए है और यह पहले से हुए नुकसान के लिए नहीं है। वर्ष 2016 से पहले, एसबीएफए को जलयान निर्माण की लागत पर अनुवृत्ति/मुआवज़ा देने के इरादे से पोत निर्माण अनुवृत्ति नाम दिया गया था। इसके बाद सरकार की मंशा, तौर-तरीकों, सिद्धांतों और नीति की प्रक्रिया में कोई बदलाव किए बिना इस शब्द को पोत निर्माण वित्तीय सहायता नाम दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एसबीएफए को पिछले वर्षों में अपनाई गई भौतिक प्रदर्शन के आधार पर मान्यता के मुकाबले खर्च/लागत के अनुपात में एक निश्चित अवधि में मान्यता दी जाती है। उसीका प्रभाव 85.21 लाख रुपए पीएंडएल खाते से वसूला जाता है।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में अपना संचालन शुरू करने हेतु अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो वर्तमान में अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रबंधन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है। दिनांक 28 नवंबर 2019 को हस्ताक्षरित इस समझौते के दायरे में, सीएसएल प्रशासन को अंडमान व निकोबार द्वीपों पर एक पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा। सीएसएल सुविधा में विस्तार और आधुनिकीकरण में भी सहयोग करेगा और द्वीपों में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 34 : अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	327.76	342.84
रद्दी माल और भंडार से आय	770.96	582.05
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	6.11	-
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	17.58	24.11
किराए से आय	298.30	325.23
प्राप्त बाड़े	1.39	1.72
जमाओं पर ब्याज	11,480.45	5,679.22
अन्यों से ब्याज	1,330.19	1,908.02
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	300.48	285.99
सोसाइटी से लाभांश आय	0.54	-
म्युचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	-	173.26
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ	-	178.41
प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	5,656.09	8,418.30
बैंक गारंटी नकदीकरण से प्राप्त राशि - निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा जब्त कर ली गई।।	-	6,100.00
विविध आय।	459.03	2,622.53
कुल	20,648.88	26,641.68

*विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही भारतीय लेखा मानक 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

**वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम करने में ठेकेदार की अक्षमता के कारण कोच्ची में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने में टर्नकी कार्य के लिए अनुबंध रद्द कर दिया। नतीजतन, कंपनी ने प्रदर्शन गारंटी और प्रतिभूति जमा के लिए प्राप्त बैंक गारंटी को नकदीकरण किया और संपर्क की शर्तों के अनुसार आय को जब्त कर लिया, और इसे आय के रूप में माना है।

नोट 35 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	3,641.41	1,778.80
पाइप	1,132.27	831.32
पेंट	1,914.08	1,772.05
खरीदे गए घटक	1,03,596.98	1,57,134.77
कुल	1,10,284.74	1,61,516.94

नोट 36 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	31,162.37	33,290.31
हल बीमा	332.91	620.67
डिज़ाइन व्यय	6,650.64	2,303.75
प्रचालन खर्च	4,932.80	5,036.70
कुल	43,078.72	41,251.43

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	27,082.01	26,526.06
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	2,608.76	1,814.08
उपदान	316.30	350.43
कर्मचारी कल्याण खर्च	2,632.08	2,147.12
	32,639.15	30,837.69
कम : निर्माण के दौरान व्यय	(275.95)	(249.13)
कुल	32,363.20	30,588.56

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 43.62 लाख (पिछले साल ₹ 20.46 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 13.26 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 47.67 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोड़कर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

रोज़गार पश्चात् दायित्व

भविष्य निधि

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक कानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोश में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2022-23 के लिए 2028.84 लाख रुपए (वर्ष 2021-22 के लिए 1353.43 लाख रुपए) है। प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करे और अधिसूचित ब्याज दर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के भारतीय लेखा मानक के 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निधि दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	(₹ लाखों में)	
	2022-23	2021-22
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	19430.22	18689.22
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	19995.86	18558.63
निवल देयता/ (निवल परिसंपत्ति)	565.64	(130.59)
अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	7.23%	7.37%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	3.00%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	0.70%
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	9.03	8.56

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		(₹ लाखों में)
चालू सेवा मूल्य	227.99	214.03
निवल ब्याज मूल्य	267.00	229.10
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	428.75	630.20
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	923.74	1073.33

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	4198.71	3970.62
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	4,198.71	3,970.62

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	275.36	419.62
पीवीओ के गैर चालू घटक	3923.34	3551.00
कुल पीवीओ	4198.71	3970.62

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ देयता	3970.62	3676.83
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	227.99	214.03
चालू ब्याज मूल्य	267.00	229.10
बीमाकिक (लाभ)/हानि	428.75	630.20
प्रदत्त लाभ	(695.65)	(779.54)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	4,198.71	3,970.62

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमाकिक लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	695.65	779.54
प्रदत्त लाभ	(695.65)	(779.54)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

		(₹ लाखों में)
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	80.98	125.67
वर्ष 2	191.37	273.81
वर्ष 3	183.51	104.67
वर्ष 4	153.66	159.02
वर्ष 5	141.97	139.61
अगले 5 वर्ष	585.85	551.92

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

		(₹ लाखों में)
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	80.98	125.67
वर्ष 2	191.37	273.81
वर्ष 3	183.51	104.67
वर्ष 4	153.66	159.02
वर्ष 5	141.97	139.61
अगले 5 वर्ष	585.85	551.92

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर अ 50 बीपी	7.73%	7.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,546.50	3,347.70
वर्तमान सेवा लागत	152.61	141.10
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.73%	6.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,850.97	3,618.91
वर्तमान सेवा लागत	167.55	154.28
ग. वेतन वृद्धि दर अ 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,856.87	3,624.36
वर्तमान सेवा लागत	167.84	154.54
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,539.98	3,341.72
वर्तमान सेवा लागत	152.29	140.81

बीपी “आधार अंक” को दर्शाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.73%	7.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,546.50	3,347.70
वर्तमान सेवा लागत	152.61	141.10
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.73%	6.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,850.97	3,618.91
वर्तमान सेवा लागत	167.55	154.28
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,856.87	3,624.36
वर्तमान सेवा लागत	167.84	154.54
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,539.98	3,341.72
वर्तमान सेवा लागत	152.29	140.81

बीपी “आधार अंक” को दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार हैं : (मुख्य कार्यालय):

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.23%	7.37%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	3.00%
संघर्षण दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%	0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	7.23%	7.37%

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	10.83	9.71

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		(₹ लाखों में)
चालू सेवा मूल्य	265.13	251.58
पिछली सेवा लागत		
निवल ब्याज खर्च	290.20	(6.88)
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	555.33	244.69
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	202.52	246.93
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(751.54)	(113.10)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(549.02)	133.83

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	4,319.66	4,313.35
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,818.15	4,033.56
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	501.50	279.79

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,313.35	4,664.16
चालू सेवा मूल्य	265.13	251.58
चालू ब्याज मूल्य	290.20	285.54
पिछली सेवा लागत		
बीमांकिक लाभ / (हानि)	202.52	246.93
प्रदत्त लाभ	(751.54)	(1,134.86)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	4,319.66	4,313.35

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,033.56	4,762.90
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	279.89	292.42
बीमांकित लाभ / (हानि)	(23.55)	113.10
नियोक्ता से अंशदान	279.79	-
प्रदत्त लाभ	(751.54)	(1,134.86)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,818.14	4,033.55

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

		(₹ लाखों में)
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

		(₹ लाखों में)
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	160.58	349.40
वर्ष 2	571.47	865.52
वर्ष 3	437.68	291.48
वर्ष 4	400.09	400.43
वर्ष 5	322.41	386.67
अगले 5 वर्ष	1,167.06	1,172.15

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.73%	7.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,111.97	4,127.61
वर्तमान सेवा लागत	276.46	247.97
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.73%	6.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,544.50	4,514.29
वर्तमान सेवा लागत	316.81	283.98
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,519.69	4,494.68
वर्तमान सेवा लागत	308.18	279.16
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,127.12	4,141.13
वर्तमान सेवा लागत	280.70	250.01

बीपी “आधार अंक” को दर्शाता है।

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	31.68%	30.42%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	27.62%	31.51%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	23.62%	24.32%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.33%	0.31%
अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	16.75%	13.44%
कुल	100.00%	100.00%

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट(सीएमएसआरयू) के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	7.30%	6.30%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	7.30%	5.40%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	24.28	35.68
पिछली सेवा लागत	0	0
निवल ब्याज खर्च	16.58	15.19
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	40.86	50.87
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना निर्धारित दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(93.24)	(55.96)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि		-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(93.24)	(55.96)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	214.62	267.00
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	214.62	267.00

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	267.00	272.09
चालू सेवा मूल्य	24.28	35.68
चालू ब्याज मूल्य	16.58	15.19
पिछली सेवा लागत		
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(93.24)	(55.96)
प्रदत्त लाभ		-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	214.62	267.00

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	25.46	5.97
वर्ष 2	32.56	3.88
वर्ष 3	22.42	-
वर्ष 4	27.83	2.91
वर्ष 5	18.96	1.56
अगले 5 वर्ष	68.53	4.49

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

व्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	70.02	15.36
वर्ष 2	23.72	1.09
वर्ष 3	25.62	2.69
वर्ष 4	18.79	-
वर्ष 5	26.51	3.20
अगले 5 वर्ष	75.25	4.71

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक 31.03.2023 को संवेदनशीलता विश्लेषण

व्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	8.30%	8.30%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	187.92	18.27
परिवर्तन	(4.02%)	(2.94%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.30%	6.30%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	204.35	19.42
परिवर्तन	4.37%	3.17%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	203.65	19.35
परिवर्तन	4.01%	2.78%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	188.44	18.33
परिवर्तन	(3.75%)	(2.62%)

बीपी “मूल अंक” दर्शाता है।

दिनांक 31.03.2022 को संवेदनशीलता विश्लेषण

व्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	7.30%	6.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	23.13	26.43
परिवर्तन	(3.60%)	(2.38%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.30%	4.40%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	24.93	27.76
परिवर्तन	3.92%	2.56%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	24.84	27.63
परिवर्तन	3.51%	2.10%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	23.20	26.53
परिवर्तन	(3.27%)	(1.98%)

बीपी “मूल अंक” दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 38 : वित्तीय मूल्य

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर व्याज खर्च	3,914.55	3,596.60
कर मुक्त बांड पर व्याज	1,051.44	1,051.44
अन्य व्याज	0.78	0.00
	4,966.77	4,648.04
कम : निर्माण के दौरान व्यय	(1,593.22)	-
कुल	3,373.55	4,648.04

नोट 39 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	3,652.85	3,738.75
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1,583.17	1,594.51
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	392.24	107.74
कुल	5,628.26	5,441.00
कम : निर्माण के दौरान व्यय	(513.64)	-
कुल	5,114.62	5,441.00

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 40 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
भंडार और पुर्जों का उपभोग	2,440.28	2,057.16
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	133.33	163.75
दर और कर	44.98	265.74
बिजली	2,498.02	2,584.04
ईंधन	138.96	2,024.63
जल	385.57	303.61
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सड़कें	1,451.04	612.26
संयंत्र और मशीनरी	239.48	217.01
अन्य	1,550.42	1,250.76
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	614.85	287.15
परिवहन और भंडार की चढ़ाई उतराई	95.44	89.08
यात्रा तथा सवारी खर्च	1,132.80	719.72
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	82.23	68.79
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	52.52	54.34
विज्ञापन और प्रचार	404.21	306.88
पट्टे किराया	9.94	9.53
भाडे	556.15	570.90
बीमा	608.48	689.23
सुरक्षा व्यय	2,330.57	2,057.56
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	29.00	26.24
प्रशिक्षण खर्चा	750.98	657.33
विधि खर्चा	41.02	27.15
परामर्श	54.59	40.66
बैंक प्रभार	805.50	602.99
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल घाटा	103.45	
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 50 का संदर्भ ले)	1,654.96	1,619.47
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	0.69	1.02
स्टोर - बट्टे खाते में डालना	12.34	166.92
अनुसंधान एवं विकास और नई पहल।	864.16	-
विविध खर्च	725.45	666.83
कुल	19,811.41	18,140.75

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	19.00	16.00
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	8.25	8.25
प्रमाणीकरण हेतु	1.75	1.99
कुल	29.00	26.24

* अनुसंधान एवं विकास और नई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- राष्ट्रीय हरित पत्तन एवं नौवहन उत्कृष्टता केंद्र हरित समाधान प्रदान करने की दिशा में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान इस परियोजना के लिए ज्ञान और कार्यान्वयन भागीदार है। केंद्र का लक्ष्य भारत में नौवहन क्षेत्र में कार्बन तटस्थता और परिचालन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित नौवहन के लिए एक नियामक ढांचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने का रोड मैप विकसित करना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कंडल, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी पारादीप, वी ओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी तूतुकुडी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन सहायता प्रदान करके और 5 वर्षों के लिए अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का समर्थन करके राष्ट्रीय हरित पत्तन एवं नौवहन उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, सीएसएल ने टेरी को 475.00 लाख रुपए का भुगतान किया है जिसे अनुसंधान एवं विकास व्यय के रूप में सूचित किया है।
- उषस समुद्री स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए भारत सरकार की पहल को बढ़ाने के लिए आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास के सहयोग से सीएसएल का एक स्टार्टअप समर्थन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समुद्री स्टार्टअप को सीएसएल से अनुदान/निवेश के रूप में प्रारंभिक निधि प्राप्त होगी। आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास, सीएसएल द्वारा निवेश के लिए इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और सिफारिश करेंगे। उनकी सेवाओं का शुल्क 18.50 लाख रुपए है।
- मेसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को 343.00 लाख रुपए की राशि हेतु पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मैरीटाइम इंडिया विज़न-2030 अनुरूप भारत में पोत मरम्मत क्लस्टर (मुंबई और कोच्ची) की स्थापना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था।

नोट 41 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ता	730.47	4,134.08
खर्च और फुटकर खर्च	268.74	482.07
कुल	999.21	4,616.15

नोट 42 : आसाधारण मदें

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पूर्व अवधि त्रुटि	6,181.35	-
कुल	6,181.35	-

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वह भूमि और जल क्षेत्र जिस पर अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ली गई है। कंपनी ने दिनांक 09 जनवरी 2018 से नए पोत मरम्मत सुविधा का विकास शुरू कर दिया है। 30 वर्ष की पट्टे अवधि पर्यावरण मंजूरी की तिथि से शुरू होती है। कंपनी ने परियोजना निर्माण/विकास शुरू होने से दिनांक 31 मार्च 2023 तक उक्त लागत राशि 8288.21 लाख रूपए के पूंजीकरण पर विचार नहीं किया है। चूंकि यह राशि कंपनी द्वारा प्राप्त भौतिकता स्तर से कम है, प्रबंधन ने वर्ष के दौरान 6181.35 लाख रूपए की पूर्व अवधि की त्रुटि को सुधारा/ठीक किया, जिसे विधिवत् आसाधारण मदों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

नोट 43 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	33,448.86	58,656.82
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	25.43	44.59
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

नोट 44: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण :		
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	1,42,418.66	1,79,266.04
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	31,830.44	67,606.85
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	1,193.43	3,486.17
प्रबंधन शुल्क	1,537.50	1,500.00
(ii) सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	54,331.00	65,752.72
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	1,017.42	774.42
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	532.18	599.38
कुल	2,32,860.64	3,18,985.58

असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का विवरण:

प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य की कुल राशि ₹ 1693669.58 जो असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के रूप में एक वर्ष या उससे कम की मूल अपेक्षित अवधि को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति दी गई है। आगे लेन-देन की कीमत के अनुमान के अनुसार उपरोक्त किसी भी तरह के परिवर्तनीय विचार शामिल नहीं होंगे जो कि विवश है। प्रबंधन की उम्मीद है

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कि 19.63 % दिनांक 31.03.2023 तक असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व और उसके बाद के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

मार्च 31, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2022 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले 69313.75 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी।

वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
आदेशों की अनुबंधित मूल्य खोलना	1502099.10	1495498.24
जोड़ :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	989029.34	117822.69
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	(0.21)	(74.03)
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	4858.33	720.76
कमी :		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	2199.59	2479.72
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	48471.29	109388.84
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	2445315.69	1502099.10
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	71715.88	146428.73
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	5185.59	14774.27
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	66530.29	131654.46
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	685115.82	616418.34
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)		
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	1693669.57	754026.30
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	2445315.68	1502099.10

नोट 45: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 130.23 लाख रुपए (पिछले वर्ष 83.83 लाख रुपए) की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 2548.22 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2560.62 लाख रुपए) है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2023 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार है :

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	2,805.26	2,638.68
एक से पांच साल तक	12,243.91	11,430.74

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पांच वर्ष से अधिक	1,15,109.96	1,16,909.71
कुल	1,30,159.13	1,30,979.13

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2023 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	35.78	200.78
एक से पांच साल तक	159.87	152.94
पांच वर्ष से अधिक	204.41	247.12
कुल	400.06	600.84

पट्टा देनदारियों का संचलन निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	42,055.55	40,930.94
जोड: अतिरिक्त	565.92	
जोड : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	3,914.55	3,596.60
कमी : किए गए भुगतान	2,410.06	2,471.99
जमा शेष	44,125.96	42,055.55

नोट 46: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रेषित अनुबंध आम तौर पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 23 को नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित किया गया है:

(₹ लाखों में)

मुद्रा	अनुबंधों की संख्या	31-मार्च- 23		अनुबंधों की संख्या	31-मार्च- 22	
		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ /(हानि)		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ /(हानि)
यूरो	34	63630.13	(3892.22)	1	794.61	1.30
एनओके	8	13431.68	(889.68)			
कुल	42	77061.81	(4781.90)		794.61	1.30

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नकदी प्रवाह हेडजेस के रूप में नामित व्युत्पन्न के लिए हेडज रिजर्व में उतार- चढ़ाव इस प्रकार है:

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष (सीआर/डीआर)	0.97	90.60
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(3579.37)	(89.63)
कुल	(3578.40)	0.97

नोट 47: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

ब्योरा	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क गारंटी			
i ऋणपत्र	19,635.79	11,664.67	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii बैंक गारंटी	80,096.23	39,139.27	बैंक गारंटी (निरंतरता गारंटी सहित) कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों तक प्रतिनिधित्व करती है। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/ क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य नोट 48 में शामिल है।
ख अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
i विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपाजित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरणद्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावे (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
ii सीमाशुल्क	6,485.78	16,796.84	बांड के अधीन सामग्रियों और सुपुर्द किए देशी पोतों के लिए सीमाशुल्क।सीईएसटीएटी, बेंगलूर द्वारा सीमा शुल्क के वापसी रु. 69.83 लाख दी गई है, जिसके खिलाफ केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को एक निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया है। विभागीय अपील पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में बरकरार रखा गया है। इस विरोध के तहत भुगतान किए गए 5982.16 लाख रुपए भी शामिल हैं :
iii आय कर	2,236.53	2,069.97	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग:
			वित्तीय वर्ष 2010-11 -रु. 126.26 लाख
			वित्तीय वर्ष 2014-15- रु. 911.07 लाख
			वित्तीय वर्ष 2017-18- रु. 331.77 लाख
			वित्तीय वर्ष 2018-19- रु. 20.76 लाख

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
			वित्तीय वर्ष 2020-21- रु. 819.51 लाख
			वित्तीय वर्ष 2021-22- रु. 27.16 लाख
			विस्तृत टिप्पणियां 47.1 (i)में दिया है।
iv सेवा कर	1,647.47	1,647.47	जारी की गई कारण बताओं नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन परामर्श) पर सेवा कर की मांग। सीईएसटीएटी में दायर की गई।
	376.67	376.67	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है। साथ ही, सीएसएल पर कारण बताओ सूचना भी जारी किया है।
	323.04	323.04	कारण बताओ सूचना के अनुसार आईएसी पर सेवा कर की मांग (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग प्रभार) जारी की गई। सीईएसटीएटी में दायर की गई।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वेट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-18-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटीएटी को अपील दायर की।
	1,885.49	1,885.49	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 07.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-11-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
सेवा कर	513.71	513.71	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	734.93	734.93	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
सेवा कर	150.57	150.57	2015-16 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी। संयुक्त आयुक्त ने ओआईओ नंबर 48/2020 - एसटी (जेसी) दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से मांग की पुष्टि की गई। ओआईओ के खिलाफ आयुक्त (अपील) को दायर किया गया।
	286.85	286.85	2016-17 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
	279.46	279.46	कॉन्सटेबल वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और कोचीन से अबू धाबी तक बजरे के ट्रांसपोर्टेशन को प्रदान की गई सुरक्षा की लागत पर सेवा कर के गैर भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
v केरल मूल्यवर्धित कर (केवीएटी)	787.32	0.00	वित्त वर्ष 2015-16 की मांग। कर निर्धारण कार्यालय ने संयुक्त आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध कर योग्य कुल कारोबार में वृद्धि की और मांग बढ़ा दी।
vi एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	240.74	195.09	आवेदक ने आरेखण और माल की अपूर्ति में देरी हेतु सीएसएल द्वारा काटे गए ब्याज के साथ परिसमापन नुकसान की वसूली हेतु एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र द्वारा मध्यस्थता को संदर्भित किया। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुहृद पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। आवेदक द्वारा दायर दावा याचिका।
vii कर्मचारी राज्य बीमा निगम	54.66	54.66	ईएसआई निगम ने अप्रैल 2008 - मार्च 2012 की अवधि के लिए उच्च प्रशिक्षार्थियों के योगदान के लिए 62.28 लाख रुपए का मांग पत्र जारी किया। कंपनी ने जून 2010-मार्च 2012 की अवधि के लिए 26.46 लाख रुपए और अप्रैल 2012-जुलाई 2013 की अवधि के लिए 25.95 लाख रुपए का योगदान देर से भुगतान किया है। बाद में, ईएसई विभाग ने जून 2010-जुलाई 2013 की अवधि के लिए विलंबित भुगतान और क्षति पर ब्याज के लिए 19.84 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। कंपनी माननीय बीमा न्यायालय, आलप्पुषा के समक्ष की गई मांगों का विरोध कर रही है। इस बीच कोर्ट ने 1 लाख रुपए जमा कराने पर स्टे दे दिया है।

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
viii मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस	1861.59	0.00	वर्ष 2004 में मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस ने एटीसीओ टग के आदेश जीतने के लिए देय एजेंसी कमीशन के लिए दावे किए। मध्यस्थता कार्यवाही 10 अक्टूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की जांच और जिरह पूरी हो गई और मामले को बहस के लिए 01 और 02 फरवरी 2014 को पोस्ट किया गया। मध्यस्थ ने कार्यवाही पूरी की और कंपनी को मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस को एटीसीओ अनुबंध मूल्य 18.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 5% की दर से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कमीशन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अपना निर्णय पारित किया। इस पर व्यथित सीएसएल ने उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 दायर किया और कार्य के निष्पादन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश प्राप्त किया। कार्य राशि के लिए बैंक गारंटी राशि की प्राप्ति की तिथि से कार्य की तारीख तक ब्याज के साथ (1305 लाख रुपए) माननीय उच्च न्यायालय को प्रतिभूति के रूप में जमा की गई है और इसे नोट 48 में शामिल किया गया है।
ix भवन कर	27.54	0.00	सीएसएल ने केरल भवन कर अधिनियम 1975 की धारा 10 के तहत मांग नोटिस बी 1/14569/2019 सं. 112/19-20 दिनांक 10.08.2019 को चुनौती दी है। माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपी संख्या 14999/2023 दायर करके गिरिनगर (मेट्रो) में सीएसएल के स्वामित्ववाले भवन के लिए भवन कर के रूप में 27,54,000/- रुपए की मांग की गई, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02 के माध्यम मई 2023 ने राज्य सरकार द्वारा पारित मांग पत्र एवं आदेशों की क्रियाशीलता पर दिनांक 30 मई 2023 तक अंतरिम रोक लगा दी है।
x संपत्ति कर	68.24	0.00	सीएसएल ने माननीय उच्च न्यायालय केरल के समक्ष डब्ल्यू पी (सी) संख्या 12758/2023 दायर करके सीएसएल की 14 पुरानी इमारतों के लिए संशोधित संपत्ति कर के लिए 2013-14 से 2022-23 की अवधि के लिए कोच्ची नगर निगम द्वारा जारी बकाया मांग नोटिस को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय केरल ने अपने आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2023 द्वारा अगले आदेश तक मांग पत्र पर अंतरिम रोक लगा दी।
xi सीमाशुल्क अधिकारियों को क्षतिपूर्ति बांड	22054.15	15347.87	सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 2017 के तहत बांड
xii भारत सरकार को क्षतिपूर्ति बांड	30415.00	30415.00	आईएसी अनुबंध के तहत दायित्वों के प्रदर्शन के लिए कंपनी द्वारा भारत सरकार को दिए गए क्षतिपूर्ति बांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य नोट 48 में शामिल है।
xiii पेट संदूषण का दावा	863.83	0.00	कारों पर देखे गए पेट संदूषण के धब्बों के लिए कंपनी के सामने दावे किए गए – घमांडिया और मुंबई पत्तन पर 128 यार्ड।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

व्योरा	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
ख प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए:	65,249.69	57,686.00	अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इस के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

47.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2020-21 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11, 2014-15, 2018-19, 2017-18, 2020-21 और 2021-22 के लिए कुल ₹ 2,236.53 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांग, मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार करने के कारण से हैं। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

48. रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य 690720.85 लाख रुपए (पिछले वर्ष 514684.76 लाख रुपए)।

49. मुकदमा :

कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नहीं करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

50. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)			
(क) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि			1645.62
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि			1724.96
विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1408.75	-	1,408.75
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर उद्देश्य	316.21	-	316.21
	1724.96	-	1724.96

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि

(₹ लाखों में)

पिछले वित्तीय वर्षों से अग्रेषित राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	आगामी वित्तीय वर्षों में अग्रेषित राशि
40.00	1724.96	1654.96	110.00

दिनांक 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार खर्च की जानेवाली आवश्यक राशि से 119.34 लाख रुपए अधिक खर्च किए, जिसमें से 9.34 लाख रुपए लाभ और हानि के लिए प्रभारित किए जाते हैं और 110 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्षों में अग्रेषित किए जाते हैं।

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	31 मार्च 2023 को रुपए लाख में
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि,	1645.62
(ii) किए गए व्यय की राशि,	1724.96
(iii) वर्ष के अंत में कमी,	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी ,	0.00
(v) कमी का कारण ,	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर गतिविधि के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता आदि और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में अनुमत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सीएसआर निधि का उपयोग सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।	
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	शून्य
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचलनों को अलग दिखाया जाएगा।	शून्य

51. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2022-23	2021-22
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी (30 अप्रैल 2021 तक) निदेशक (प्रचालन)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री विजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन (21 जुलाई 2022 से) निदेशक (प्रचालन)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री संजय बंदोपाध्याय (28 जुलाई 2022 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2022-23	2021-22
श्री विक्रम सिंह (28 जुलाई 2022 से 21 नवंबर 2022 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री राजेश कुमार सिंहा (21 नवंबर 2022 से) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री के आर ज्योतिलाल (02 जनवरी 2023 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजु प्रभाकर (02 जनवरी 2023 से) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (नवंबर 26, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नाहर सिंह महेश्वरी (दिसंबर 01, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अशोक शर्मा (नवंबर 26, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन नवंबर 22, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री वेंकटेशन एम (नवंबर 22, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अभिजित विसवास (दिसंबर 01, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्यामकमल एन कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान कोलकाता)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान माल्पे)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति

विवरण	(₹ लाखों में)	
	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
अल्पकालीन लाभ	295.73	267.62
रोजगार के बाद के लाभ	39.87	29.11
कुल	335.60	296.73

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लेनदेन की प्रकृति -अग्रिम

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2021 को खुला शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2023 को शेष	दिनांक 31.03.2023 को अर्जित ब्याज
सुरेश बाबु एन वी					
बिजोय भास्कर	0.12	0.25	0.30	0.08	0.00
जोस वी जे	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00
श्रीजित के एन	0.08	0.25	0.25	0.08	0.00
श्यामकमल एन	0.12	0.50	0.50	0.12	0.00

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2021 को खुला शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2022 को शेष	दिनांक 31.03.2022 को अर्जित ब्याज
सुरेश बाबु एन वी	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
बिजोय भास्कर	0.08	0.40	0.35	0.13	0.00
जोस वी जे	0.11	0.40	0.40	0.11	0.00
श्यामकमल एन	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के सिडिंग शुल्क

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
आम्रपाली प्रशांत साल्वे	2.65	0.90
नाहर सिंह माहेश्वरी	2.25	0.70
अशोक शर्मा	3.05	0.90
पृथ्वीराज हरिचंदन	2.25	0.70
वेंकटेशन एम	1.65	0.70
अभिजित बिसवास	3.05	0.90
कुल	14.90	4.80

लेनदेन की प्रकृति- अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

सीएसएल एक सरकारी कंपनी है जो, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के तहत तैयार विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित है:

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

विवरण	(₹ लाखों में)	
	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- विशेष रूप से नियुक्त	73.97	0.00
नियंत्रित कंपनी द्वारा जारी एनसीडी में निवेश - एचसीएसएल	7500.00	7500.00
नियंत्रित कंपनी द्वारा जारी एनसीडी में निवेश - यूसीएसएल	1000.00	1000.00
सहायक कंपनी में सही मुद्दे में निवेश- एचसीएसएल	7400.00	2800.00
सहायक कंपनी में सही मुद्दे में निवेश- यूसीएसएल	2500.00	0.00
सहायक कंपनी में संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश- एचसीएसएल	5600.00	5600.00
सहायक कंपनी यूसीएसएल को ऋण	500.00	500.00
भारत सरकार को देय राशि	234.19	234.19
भारत सरकार को वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में देय राशि	17012.21	14855.74
यूसीएसएल से सेवाएं प्राप्त करना	1342.10	574.64
यूसीएसएल को स्टॉक मद (अधूरे) की बिक्री	0.00	14.67
एचसीएसएल को स्टॉक मद (अधूरे) की बिक्री	122.00	0.00
एचसीएसएल द्वारा जारी एनएसडी पर ब्याज	482.43	395.68
यूसीएसएल द्वारा जारी एनएसडी पर ब्याज	60.00	20.71
यूसीएसएल के ऋण पर ब्याज	27.50	27.50
उप अनुबंध कार्यों के लिए यूसीएसएल को अग्रिम भुगतान	0.00	442.23
एचसीएसएल द्वारा उपठेका कार्य	1451.99	484.00
जनशक्ति सेवाओं के लिए यूसीएसएल से प्राप्य	23.17	35.24
यूसीएसएल को देय	265.87	0.00
एचसीएसएल द्वारा जारी वरीयता शेयरों पर लाभांश	300.48	286.00

सीएसएल की ईआरपी प्रणाली, एसएपी एस/4 हाना को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपूर्ण एसएपी कार्यान्वयन लागत और लाइसेंस शुल्क के साथ यूसीएसएल और एचसीएसएल दोनों में लागू किया गया है, जो कुल मिलाकर 77.88 लाख रुपए है, जो सहायक कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा वहन किया जा रहा है। यह देखते हुए कि सहायक कंपनियों का प्रचालन शुरुआती चरण में है और नकदी व्यय का उनकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि लागत सीएसएल द्वारा वहन की गई है, इसलिए इसे एक संबंधित पक्ष लेनदेन माना जाता है, न कि दूरी के आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों के तहत बोर्ड की मंजूरी दी गई है।

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कारोबार के लगभग 94.44% और व्यापार प्राप्ति के 96.74% (लगभग) तथा ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

सीएसएल की ओर से एचसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
	शेयरों की संख्या	
मधु एस नायर (प्रथम निदेशक)	10	10
बिजोय भास्कर (निदेशक)	10	10
जोस वी जे (निदेशक)	10	10
श्रीजित के नारायणन (निदेशक)	10	0

सीएसएल की ओर से यूसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
	शेयरों की संख्या	
मधु एस नायर (प्रथम निदेशक)	10	10
बिजोय भास्कर (निदेशक)	10	10
जोस वी जे (निदेशक)	10	10

52. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर 1 इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	33,560.71	26,158.09	स्तर III
(ii) ऋण	1,033.82	861.06	स्तर III
(iii) अन्य	90.67	99.12	स्तर III
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	33,020.51	43,667.15	स्तर III
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	2,00,882.78	45,575.92	स्तर III
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर	2,66,297.74	2,70,706.76	स्तर III
(iv) ऋण	99.50	68.56	स्तर III
(v) अन्य	3,396.47	1,465.40	स्तर III
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	5,38,382.20	3,88,602.06	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	2302.20	12581.98	स्तर III
(ii) पट्टा देयताएं	39227.30	38680.71	स्तर III
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	261.22	261.22	स्तर III
चालू			
(i) उधार	10,279.78	0.00	स्तर III
(i) देय व्यापार	20,807.05	16462.80	स्तर III
(ii) पट्टा देयताएं	4898.68	3374.84	स्तर III
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14,412.88	15664.47	स्तर III
कुल वित्तीय देयताएं	92,189.11	87,026.03	

नोट:

- इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। डेबिट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

- ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है।

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

3. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

बैंक जमाराशियाँ, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	मार्च 31, 2023 को			मार्च 31, 2022 को		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश (गैर चालू)						
- इक्विटी साधन		11.32	18,535.34	9.18		11,435.34
- ऋण साधन			15,014.05			14,713.57
- वरीयता शेयर						
निवेश (चालू)						
- म्यूचुअल फंड						
प्राप्य व्यापार			33,020.51			43,667.15
नकद एवं नकद समतुल्य			2,00,882.78			45,575.92
बैंक शेष			2,66,297.74			2,70,706.76
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ			4,620.46			2,494.14
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	11.32	5,38,370.88	0.00	9.18	3,88,592.87
वित्तीय देयताएं						
ऋण			12,581.98			12,581.98
प्राप्य व्यापार			20,807.05			16,462.80
पूंजीगत लेनदारों						
अन्य वित्तीय देयताएं			58,800.08			57,981.24
कुल वित्तीय देयताएं	0.00	0.00	92,189.11	0.00	0.00	87,026.03

53. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियाँ:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोड़कर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करनेवाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नो सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे । बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : व्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

क. व्याज दर जोखिम

व्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार व्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे । बाज़ार की व्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम न्यूनतम है क्योंकि एक्सपोज़र प्राथमिक रूप से नोट 22 और 27 में बताए गए अनुसार निश्चित व्याज दरों के साथ रिडीम करने योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड के कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है। स्थायी दर उधारी के मौजूदा प्रोफाइल के साथ, कंपनी व्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

व्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ वायदा अनुबंध करके शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि को बकाया वायदा संविदा का प्रकटीकरण नोट 46 में दिया गया है।

आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा किया गया) में व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हेज किए गए एक्सपोजर के शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोज़र निम्नानुसार है :

	(₹ लाख में)				
विवरण	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
31 मार्च 2023	1885.63	27625.64	0.00	1489.18	31000.45
31 मार्च 2022	3003.87	5283.96	0.00	0.00	8287.84
वित्तीय देयताएं					
31 मार्च 2023	1447.86	11935.36	17.82	145.17	13546.21
31 मार्च 2022	3251.89	8667.46	22.61	176.87	12118.84

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदे शामिल हैं जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव के शुद्ध हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5 % परिवर्तन के लिए उनके अनुवाद को समायोजित करते हैं, अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवेदनशीलता दर विदेशी विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
प्राप्तियाँ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00

(₹ लाख में)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
देय		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(72.39)	(162.59)
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	72.39	162.59
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(596.77)	(433.37)
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	596.77	433.37
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(0.89)	(1.13)
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	0.89	1.13
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(7.26)	(8.84)
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	7.26	8.84
कर पूर्व लाभ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	72.39	162.59
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	(72.39)	(162.59)
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	596.77	433.37
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	(596.77)	(433.37)
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.89	1.13
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	(0.89)	(1.13)
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	7.26	8.84
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	(7.26)	(8.84)

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ग. सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। कंपनी मुख्य रूप से अपने कच्चे माल को खुले बाज़ार में तीसरे पक्ष से खरीदती है। इसलिए कंपनी स्टील की खरीद के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन है, जोकि प्राथमिक कच्चा माल इनपुट है। कंपनी कस लक्ष्य तैयार उत्पादों को फर्म अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं और इसके विनिर्देशों के कारण प्रकृति में विषम है, कंपनी के कमोडिटी जोखिम के लिए जोखिम न्यूनतम है।

निम्नलिखित तालिका स्टील के इनपुट मूल्य में 5% की गति के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में वर्ष के दौरान उपभोग की गई मात्रा के लिए कमोडिटी की कीमतों में केवल 5% परिवर्तन शामिल है, अन्य सभी चर स्थिर हैं।

(₹ लाख में)

वस्तु	5 % की वृद्धि		5 % की कमी	
	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च
	31, 2023 को	31, 2022 को	31, 2023 को	31, 2022 को
स्टील	182.07	88.94	(182.07)	(88.94)

चलनिधि जोखिम

जोखिम है कि एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय आस्ति को उसके उचित मूल्य के निकट की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों के लिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनी संचालन के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकद समकक्षों के साथ अल्पकालिक और लंबी अवधि में चल निधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्तीय आस्तियों और देनदारियों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को			मार्च 31, 2022 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति						
गैर चालू निवेश	281.91	4400.00	28878.80	281.91	4400.00	21476.18
ऋण गैर चालू	250.90	781.63	1.29	125.50	733.00	2.56
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		6.44	84.23		21.70	77.42
प्राप्य व्यापार	33020.51			43667.15		
रोकड और रोकड समतुल्य	200882.78			45575.92		
	266297.74			270706.76		
ऋण	99.50			68.56		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3396.47			1465.40		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	504229.81	5188.07	28964.32	361891.20	5154.70	21556.17

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को			मार्च 31, 2022 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय देयताएं						
उधार	10279.78		2302.20		10279.78	2302.20
पट्टा देयताएं (गैर चालू)		44.20	39183.10		59.24	38621.47
अन्य वित्तीय देयताएं			261.22			261.22
पट्टा देयताएं	4898.68			3374.84		
व्यापार देय	20807.05			16462.79		
अन्य वित्तीय देयताएं	14412.88			15664.47		
कुल वित्तीय देयताएं	50398.39	44.20	41746.52	35502.11	10339.02	41184.88

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) से ऋण जोखिम के संपर्क में है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों, व्युत्पन्न उपकरणों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अन्य वित्तीय संपत्तियों के संपर्क में है। कंपनी ने केवल उन प्रतिपक्षकारों से निपटने की नीति अपनाई है जिनके पास क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग है। व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं और नकद और नकद समक्ष और व्युत्पन्न उपकरण बैंकों और उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास बनाए जाते हैं।

व्यापार प्राप्तियों के लिए एक व्यावहारिक सुविधा के रूप में कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करती है जो व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर विचार करती है, जो आगे के अनुमानों के लिए समायोजित होती है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में उतार-चढ़ाव का खुलासा नोट 14 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2023 और दिनांक 31 मार्च 2022 के रूप में तुलन पत्र के घटकों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम एक्सपोजर नोट संख्या 14 में उल्लिखित अग्रणी राशि है और जैसा कि नोट 53 में कहा गया है, कंपनी के कारोबार का लगभग 94.44% और व्यापार प्राप्तियों का 96.74% (लगभग) और ग्राहक इसे सरकार और सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिम करते हैं। वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों और वित्तीय गारंटियों से संबंधित अधिकतम एक्सपोजर का खुलासा क्रमशः नोट 46 और नोट 47 में किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

54. भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के अनुसार प्रकटीकरण

क. चालू परिसंपत्तियों की वसूली बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है।

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को			मार्च 31, 2022 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
माल सूची	35,045.02	-	35,045.02	28,843.82	-	28,843.82
प्राप्य व्यापार	33,020.51	-	33,020.51	43,667.15	-	43,667.15
रोकड और रोकड तुल्यांक	2,00,882.78	-	2,00,882.78	45,575.92	-	45,575.92
बैंक शेष	2,66,297.74	-	2,66,297.74	2,70,706.76	-	2,70,706.76
ऋण	99.50	-	99.50	68.56	-	68.56
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,396.47	-	3,396.47	1,465.40	-	1,465.40
वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	7,147.48	-	7,147.48	-	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	1,52,162.14	-	1,52,162.14	1,86,582.95	-	1,86,582.95

ख. वर्तमान देनदारियों का निपटान बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है :

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को			मार्च 31, 2022 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
उधार	10,279.78	-	10,279.78	-	-	-
पट्टा देयता	4898.68	-	4,898.68	3374.84	-	3,374.84
व्यापार देय	20807.04	-	20,807.04	16462.79	-	16,462.79
अन्य वित्तीय देयताएं	14,412.88	-	14,412.88	15,664.47	-	15,664.47
अन्य चालू देयताएं	412822.00	-	4,12,822.00	256025.18	-	2,56,025.18
प्रावधान	39379.21	-	39,379.21	46751.86	-	46,751.86
चालू कर देयताएं (निवल)	0.00	-	-	2566.09	-	2,566.09

55. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों का पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आर्बिट्रि किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
सेगमेंट परिसंपत्तियाँ		
पोत निर्माण	405583.60	251516.16
पोत मरम्मत	282191.99	287038.89
अनार्बिट्रि	303128.91	293292.23
कुल	990904.50	831847.28

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
सॅगमेंट देयता		
पोत निर्माण	315680.43	155888.80
पोत मरम्मत	48998.81	64318.72
अनाबंटित	183883.39	175721.79
कुल	548562.63	395929.31
सॅगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	176645.19	251148.16
पोत मरम्मत	56400.69	67852.09
अनाबंटित	20648.88	26641.68
कुल	253694.76	345641.93
सॅगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	20777.90	57749.03
पोत मरम्मत	9548.18	12041.89
अनाबंटित	14524.58	9648.14
कुल	44850.66	79439.06

कंपनी के दो प्रमुख व्यापार खंड हैं - “पोत निर्माण” और “पोत मरम्मत”। पोत निर्माण के अधीन राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 155800.89 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 204473.56 लाख रुपए) शामिल हैं। पोत मरम्मत के लिए, राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले दो ग्राहक (पिछले वर्ष : दो ग्राहक) से 193571.56 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 40786.31 लाख रुपए) शामिल हैं।

56. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गिर्यारंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
दीर्घकालीन उधार	2302.20	12581.98
निवल ऋण	12581.98	12581.98
इक्विटी शेयर पूंजी	13154.04	13154.04
अन्य इक्विटी	429187.83	422763.93
कुल इक्विटी	442341.87	435917.97
गिर्यारंग अनुपात	2.84%	2.89%

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुपात	अंश	भाजक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(क) वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देयताएं	1.39	1.69	(17.82%)	-
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.03	(5.19%)	-
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	*ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	6.05	8.24	(26.63%)	ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध कमाई में कमी के कारण
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.08	0.14	(46.08%)	कर के बादनिवल लाभ में कमी के कारण
(ङ) वस्तुसूची कुल बिक्री अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत सूची	7.30	8.76	(16.72%)	-
(च) व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत प्राप्य खाता	4.75	6.72	(29.32%)	निवल ऋणबिक्री में कमी के कारण
(छ) व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	6.25	6.68	(6.42%)	-
(ज) निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.19	1.36	(12.55%)	-
(झ) निवल लाभ अनुपात,	कुल लाभ	कुल बिक्री	0.14	0.18	(21.94%)	-
(ञ) नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और करों से पहले कमाई	गोचर निवल मूल्य+ कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.11	0.19	(44.08%)	ब्याज और करों से पहले की कमाई में कमी के कारण
(ट) निवेश पर वापसी - इक्विटी	इक्विटी निवेश से वापसी	औसत इक्विटी निवेश	0.00	0.00	0.00	
(ठ) निवेश पर वापसी- ऋण	ऋण निवेश से वापसी	औसत ऋण निवेश	0.06	0.06	(2.50%)	

*ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि।

*ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकोती

57. वर्ष के लिए आयातित वस्तुओं/सेवाओं की खपत 74122.85 लाख रुपए (पिछले वर्ष 92189.67 लाख रुपए)
58. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के सामने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
59. कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। कंपनी को कई बैंकों द्वारा 5 करोड रुपए से अधिक की कुल गैर-निधि आधारित सीमाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका आवश्यकता पडने पर लाभ उठाया जाता है। कई बैंकों द्वारा 5 करोड रुपए से अधिक की कुल निधि आधारित सीमा भी स्वीकृत की गई है, जिसका कंपनी ने लाभ नहीं उठाया है। कंपनी को बैंकों के साथ कोई तिमाही विवरणी या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
60. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है,
61. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

62. कंपनी ने मौजूदा पोत मरम्मत सुविधा के विकास, डिज़ाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए नवंबर 2019 से 30 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक लाइसेंस के आधार पर अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ समझौता किया है, जिसे सीएसएल-अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू) नाम दिया गया है।
63. वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।
64. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से), समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगा। कंपनी को विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी।
- कंपनी को समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (i) निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह की गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।
65. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते।
66. ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है।
67. कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावणान किया गया है। कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है।
68. कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है।
69. पिछले वर्ष के आंकड़े को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1-2
3-69

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000111S)

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी. कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता सं. 074736)
कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798



समेकित
वित्तीय
विवरण



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('होलिंग कंपनी' के रूप में संदर्भित) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और इसके नियंत्रित कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सम्मिलित रूप से 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित है) जिसमें दिनांक 31 मार्च 2023 के समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है, की लेखापरीक्षा की है, (जो बाद में 'समेकित भारतीय वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया)।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दिनांक 31 मार्च 2023 को ग्रुप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पद्धित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का महत्व

1. अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए लागत का पूंजीकरण:

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 44 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें परियोजना के निर्माण/विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत को परियोजना के प्रारंभ से ही पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाता है जिस भूमि और जल क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना चल रही है, वह कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ली गई है। नियंत्रक कंपनी ने दिनांक 09 जनवरी, 2018 से नई पोत मरम्मत सुविधा का विकास शुरू कर दिया है। 30 वर्ष की पट्टे की अवधि पर्यावरण मंजूरी की तारीख से शुरू होती है। नियंत्रक कंपनी/समूह ने परियोजना निर्माण/विकास के प्रारंभ से 8,288.21 लाख रुपये की उक्त लागत के पूंजीकरण पर विचार नहीं किया है। चूंकि राशि नियंत्रक कंपनी/समूह द्वारा निर्धारित भौतिकता स्तर से कम है, इसलिए प्रबंधन ने वर्ष के दौरान 6,181.35 लाख रुपये की पूर्व अवधि की त्रुटि को सुधारा/छेक किया, जिसे लाभ और हानि खाते के विवरण में 'असाधारण मद' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

2. 2 संख्या 1200 यात्री जलयानों के लिए निर्धारित क्षति का गैर-फैक्टरिंग:

2 संख्या 1200 यात्री जलयानों के निर्माण के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ पोत निर्माण अनुबंध पर समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 34.5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एसएच. 0023 के लिए संविदात्मक सुपुर्दगी तिथि (विस्तारित) पहले ही समाप्त हो चुकी है और एक अन्य जलयान एसएच.0024 की समाप्ति तिथि करीब है। नियंत्रक कंपनी ने एसएच.0023 और एसएच.0024 के संबंध में क्रमशः दिनांक 29 अप्रैल, 2023 और 30 अक्टूबर, 2023 तक की देरी के लिए परिनिर्धारित क्षति का प्रावधान किया है। इस बीच, अन्य संभावित खरीदारों को जलयान के पुनः आवंटन के लिए ए एंड एन प्रशासन के अनुरोध पर, मामूली प्रगति के साथ पोत की सुपुर्दगी रोक दी गई है। चूंकि नियंत्रक कंपनी के पास 2 संख्या 1200 यात्री जलयान के निर्माण और वितरण के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक वैध अनुबंध है, इसलिए नियंत्रक कंपनी/समूह ने उपर्युक्त तारीखों के बाद वित्तीय स्थिति में और अधिक नुकसान की पहचान नहीं की है।

3. कुलपी में भूमि:

समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 3 के फुट नोट की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कुलपी (कोलकाता - 230 सेंट) में भूमि का मूल्य मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) का है, जिसे भौगोलिक क्षेत्र और मूल्यांकन के संबंधित सत्यापन के कारण, सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों में भी इसे मान्यता नहीं दी गई है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में संबंधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

1. राजस्व मान्यता - पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियाँ:

(समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 3.15(ए), 34 और 46 का संदर्भ लें)

ग्राहकों के साथ पोत निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंधों पर मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय शामिल हैं, जिसमें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पूरा होने की भौतिक प्रगति का निर्धारण भी शामिल है।

नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार पूरा होने की भौतिक प्रगति का पता लगाया जाता है। प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं, नियंत्रक कंपनी के तकनीकी विभागों से मिले इनपुट पर प्रबंधन द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों पर आधारित हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक भौतिक समापन का पता लगाने में प्रबंधन का अनुमान भी शामिल होता है।

अपेक्षित नुकसान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं, जब अपेक्षित कुल अनुबंध लागत के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं। प्रत्येक अनुबंध के भीतर उत्पन्न होने वाली नियंत्रक कंपनी के खिलाफ अनिश्चितताओं या विवादित दावों के विशिष्ट जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए लागत आकस्मिकताओं को इन अनुमानों में शामिल किया गया है। इन आकस्मिकताओं की प्रबंधन द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां

उपयुक्त हो समायोजित किया जाता है। अनुबंधों पर राजस्व में परिवर्तनीय विचार (विविधताएं और दावे) भी शामिल हो सकते हैं। परिवर्तनीय प्रतिफल को तब मान्यता दी जाती है जब ऐसे प्रतिफल की वसूली अत्यधिक संभावित हो।

अनुबंधों की प्रकृति के कारण, राजस्व मान्यता में पूर्णता विधि के प्रतिशत का उपयोग शामिल है (यानी, पूर्णता की भौतिक प्रगति) जो प्रदर्शन किए गए कार्य के सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, महत्वपूर्ण निर्णय, संविदात्मक दायित्वों की पहचान और आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान प्राप्त करने, दायरे में बदलाव और परिणामी संशोधित अनुबंध मूल्य और घाटे वाले अनुबंधों/महत्वपूर्ण दायित्वों के लिए दायित्व की मान्यता के लिए नियंत्रक कंपनी के अधिकार शामिल हैं।

चूंकि राजस्व पहचान में उपरोक्त महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल हैं, इसलिए हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है।

हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं हैं:

- हमने लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके, परिवर्तनीय विचारों से संबंधित सहित नियंत्रक कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया;
- हमने निष्पादन दायित्वों के मूल्यांकन और जो विशिष्ट हैं उनकी पहचान से संबंधित नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया; जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता है और परिवर्तन आदेशों के परिणामस्वरूप उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके संबंध में आकस्मिकताओं सहित प्रत्येक निष्पादन दायित्व को पूरा करने की लागत का अनुमान; संबंधित अनुबंधों के लेनदेन मूल्य पर परिवर्तन आदेशों का प्रभाव; और लेनदेन मूल्य पर परिवर्तनीय विचार के प्रभाव का मूल्यांकन।
- हमने ग्राहकों के साथ अनुबंधों का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं:
- प्रत्येक चयन, परिवर्तन आदेश और अन्य दस्तावेजों के लिए अनुबंध दस्तावेज प्राप्त करें और पढ़ें जो समझौते/व्यवस्था का हिस्सा था।
 - (i) विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान के संबंध में प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन करने के लिए अनुबंध में महत्वपूर्ण शर्तों और प्रदेय वस्तुओं की पहचान की गई; (ii) जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता है और बदले हुए आदेशों के परिणामस्वरूप लागत में परिवर्तन होता है; (iii) लेनदेन मूल्य पर बदले हुए ऑर्डर का प्रभाव; और

(iv) परिवर्तनीय प्रतिफल के आधार पर लेनदेन मूल्य में समायोजन का मूल्यांकन।

- महत्वपूर्ण विविधताओं की पहचान करने और यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या अनुबंध को पूरा करने के लिए शेष लागतों का अनुमान लगाने में उन विविधताओं पर उचित रूप से विचार किया गया है, नियंत्रक कंपनी के अब तक की लागत के अनुमानों के साथ की गई लागतों की तुलना की गई है।
- उपलब्धि को प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान करने के लिए मील के पथर की सुपुर्दगी और ग्राहक स्वीकृति की स्थिति के साथ स्थिरता के लिए अनुमान का परीक्षण किया गया, जिसके लिए शेष निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत या प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता होती है।
- सेवा के प्रकार और प्रकृति द्वारा प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं।
- भौतिक प्रगति पूर्णता के प्रतिशत के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी और गतिविधि-आधारित मूल्यांकन पर पर्याप्त निर्भरता रखी गई थी।
- भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार नियंत्रक कंपनी द्वारा किए गए उचित खुलासों की उपयुक्तता का आकलन किया गया।

हमने निष्कर्ष निकाला कि ऊपर निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमें भारतीय लेखा मैनक 115 को अपनाने और राजस्व मान्यता के समय के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं मिला।

2. पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए)-सरकारी अनुदान की मान्यता और माप:

(समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 3.15 (बी), 34 और 34.6 का संदर्भ लें)

पोत निर्माण वित्तीय सहायता सरकार द्वारा जलयानों के निर्माण/पात्र पोत निर्माण अनुबंधों के लिए शिपयाडों को दिया जाने वाला एक मौद्रिक प्रोत्साहन है, जिसका दावा एसबीएफए नीति के तहत निर्धारित समय के भीतर जलयानों की सुपुर्दगी के बाद किया जाता है।

नियंत्रक कंपनी की नीति उस समयावधि में किए गए खर्च के अनुपात में सहायता को मान्यता देने की है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, नियंत्रक कंपनी ने ₹1,193.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष-3,486.17 लाख रुपये) के आय की पहचान की है, जो पात्र पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। सहायता आय की पहचान और वसूली लागू दर पर आधारित होती है, उस अवधि के लिए जिसके लिए महानिदेशक (नौवहन) द्वारा अनुमोदन जारी किया जाता है।

उद्योग को सहायता की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निर्णयों और अनुमानों के कारण राजस्व और लाभ में बदलाव आ सकता है। हम इसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं।

सहायता आय पहचान के संबंध में हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

- हमने भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं को पढ़ा और प्रबंधन के साथ चर्चा की, ताकि अतीत में नोट किए गए बदलावों को संबोधित करने के लिए अनुमानों में किए गए आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रबंधन निर्णय और अनुमानों के लिए अंतर्निहित मामलों और आधार को समझा जा सके। पोत निर्माण उद्योग में प्रचलित व्यापार पद्धति का भी पता लगाया;
- हमने लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके सहायता आय की पहचान पर नियंत्रक कंपनी की नीति की उपयुक्तता का आकलन किया;
- हमने सहायता नीति के तहत आने वाले जलयानों की पात्रता के लिए नियंत्रक कंपनी द्वारा किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को सहसंबंधित किया है और जलयानों की सुपुर्दगी और उसके बाद की वसूली पर नियंत्रक कंपनी द्वारा किए गए दावों का सत्यापन किया है।
- इसके अलावा, हमने एसबीएफए नीति, सैद्धांतिक अनुमोदन और किए गए खर्चों के अनुसार प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सहायता की सटीकता की समीक्षा और परीक्षण किया;
- हमने प्रबंधन से पूछताछ की है और शासन के प्रभारी लोगों के साथ सहायता आय को पहचानने में उपयुक्तता पर चर्चा की है;
- हमने इस संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में खुलासे का आकलन किया;

निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, पोत निर्माण सहायता आय की मान्यता लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं के अनुसार है और समेकित वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रस्तुत की गई है।

समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होलिंग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताए गए अन्य जानकारी को पढ़ें और, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ प्रभारित करने और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, प्रबंधन द्वारा हमें अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तदनुसार, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। ग्रुप में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ग्रुप की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करना, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है और भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु ग्रुप की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल ग्रुप को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है। इन सब के लिए जिम्मेदार है।

ग्रुप में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या ग्रुप के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

वित्तीय विवरण

▶ स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु ग्रुप की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से ग्रुप एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं जैसे (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभावित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले

हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

1. हमने दो सहायक कंपनियों नामतः 'मैसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' और 'मैसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)' के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा नहीं किया था, जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 31,2023 मार्च तक 48,165.56 लाख रुपए (पूर्व वर्ष -38,997.34 लाख रुपए) की कुल संपत्ति, 6542.23 लाख रुपए की कुल आय (पूर्व वर्ष- 1053.22 लाख रुपए) और 2,458.57 लाख रुपए का शुद्ध नकदी प्रवाह दर्शाते हैं। जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए (पूर्व वर्ष - रुपए 1,374.35) लाख था।
2. मैसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('यूसीएसएल') (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी दो जहाजों, वाई 123- एमपीएसवी और वाई 159 - टग की संरक्षक है, जिन्हें दिनांक 04 मार्च, 2020 के एनसीएलटी आदेश के तहत सीआईआरपी के तहत अधिग्रहण के समय समाधान योजना से बाहर रखा गया है। दो जहाजों में से, वाई 123 -एमपीएसवी को पहले ही सीओसी द्वारा बेच दिया गया है और वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें प्राप्त राशि प्राप्त हुई है, जिसे लाभ और हानि खाते के विवरण में 'असाधारण मदों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि यूसीएसएल के पास उक्त जहाजों का स्वामित्व और अभिरक्षा है और पूरी बिक्री आय के प्रेषण के लिए वित्तीय ऋणदाताओं/ ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के प्रति उसका दायित्व है, हमारी राय है कि उक्त परिसंपत्ति और देनदारी को उक्त सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, इसे समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं माना जाता है।

इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और उस समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर हमारी राय है कि जहाँ तक इस सहायक कंपनी में शामिल राशि और प्रकटीकरण के संबंध में और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ तक उपर्युक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, यह पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्यों और उनकी रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामले के वास्ते संशोधित नहीं की गई है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार, हम देते हैं 'अनुलग्नक-ए', लागू सीमा तक आदेश के अनुच्छेद 3 (xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर और उपरोक्त 'अन्य मामले' अनुभाग में संदर्भित सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगा है और प्राप्त कर लिया है।

ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षितानुसार लेखे के उचित बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

ग. इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ मेल खाता है।

घ. हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण समूह में सहायक कंपनियों की राजस्व मान्यता को छोड़कर, समय-समय पर संशोधित कंपनी (खाता) नियम, 2016 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं। जिनकी लेखांकन नीतियां प्रगति और राजस्व मान्यता की पद्धति को मापने के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अपनाई गई नीतियों से भिन्न हैं और समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायक वित्तीय विवरणों में कोई उचित समायोजन नहीं किया गया है।

ङ निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक

कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, जो निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।

च. ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है;

छ. संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में: प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान निगमित मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, जी.एस.आर. के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:

i. अपनी समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 49 का संदर्भ लें।)

ii. ग्रुप ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है।

iii. ग्रुप द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है।

iv. क. नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत किया गया है, ने क्रमशः हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, नियंत्रक कंपनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी या किसी अन्य द्वारा कोई निधि

(जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(ओं) को, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। होल्डिंग कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या कुछ भी प्रदान करें।

- ख. नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत किया गया है, उसने क्रमशः हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, नियंत्रक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनियों में से किसी भी व्यक्ति या इकाई (ओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('फंडिंग पार्टियां') शामिल हैं, से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज

किया गया हो, कि नियंत्रक कंपनी या ऐसी कोई भी सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी। अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।

- ग. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जो हमारे द्वारा और सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए परिस्थितियों में उचित और उत्कृष्ट माना गया है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किए गए हैं, हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखापरीक्षक को यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलतबयानी शामिल है।

- व. नियंत्रक कंपनी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

सहायक कंपनियों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

कृते आनंद और पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

एफआरएन 00111 एस

सी.कृष्णन मेनन

साझेदार

सदस्यता संख्या: 074736

यूडीआईएन : 23074736BGVWVC4442

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 19.05.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित।

सीएआरओ 2020 के अनुच्छेद 3(xxi) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने नियंत्रक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संबंधित कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी सीएआरओ रिपोर्ट में योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियां दी हैं। :

क्र.सं	कंपनी का नाम	सीआईएन	संबंध	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख	संबंधित सीएआरओ रिपोर्ट में अनुच्छेद संख्या
1.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	L63032KL1972GOI002414	नियंत्रक कंपनी	19 मई, 2023	शून्य
2.	हुगली शिपयार्ड लिमिटेड	U35900WB2017GOI223197	सहायक कंपनी	28 अप्रैल, 2023	शून्य
3.	उडुपी शिपयार्ड लिमिटेड	U27209TN1984GOI010994	सहायक कंपनी	28 अप्रैल, 2023	i(a)(A)&i(c)

कृते आनंद और पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

एफआरएन 00111 एस

सी.कृष्णन मेनन

साझेदार

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 19.05.2023

सदस्यता संख्या: 074736

यूडीआईएन : 23074736BGVWVC4442

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक- ख

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 2 (च) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('कंपनी' के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा किया है, जो कि कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के साथ मिलकर दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी और इसके नियंत्रित कंपनी जो भारत में निगमित किया है, के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, अधिनियम के अधीन अपेक्षितानुसार, संबंधी कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और नीचे अन्य मामले पैरा में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखापरीक्षक द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर होल्डिंग कंपनी और इसके सहायक कंपनी जो भारत में निगमित किया है, के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए प्रक्रिया हैं।

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

- (क) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप से प्रभावित करता है।
- (ख) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और
- (ग) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्रधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

राय

हमारी राय में, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखती हैं जो

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

अन्य मामले

जहां तक सहायक कंपनी, जो भारत में निर्गमित किया है, के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अधीन हमारे उपर्युक्त रिपोर्ट उस कंपनी के लेखापरीक्षक की संबंधित रिपोर्ट के आधार पर है।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

कृते आनंद और पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

एफआरएन 00111 एस

सी.कृष्णन मेनन

साझेदार

सदस्यता संख्या: 074736

यूडीआईएन : 23074736BGVWVC4442

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 19.05.2023

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दि. 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार दि. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष से संबंधित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 19.05.2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत दि. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पृष्ठताछों तक तथा कुछ लेखापरीक्षा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी में नहीं पाया गया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को कोई परिशिष्ट या टिप्पणी देने के लिए प्रकट हो जाएगा।

कृते भारत के नियंत्रक व
महा लेखापरीक्षक और उनके पक्ष में,

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 04.08.2023

(एस वेल्लिंगरी)

प्रधान निदेशक - वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

दि. 31 मार्च 2023 का

समेकित तुलन पत्र

(₹ लाखों में)			
ब्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को	31.03.2022 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	94,329.82	96,514.17
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	1,60,249.73	1,24,134.66
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	966.05	450.53
(घ) विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	6	1,602.37	2,303.95
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	11.32	9.18
(ii) ऋण	8	520.60	347.84
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	107.34	99.49
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	10	3,007.47	3,439.92
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	10,449.51	11,514.13
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	12	17,184.46	18,463.81
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		2,88,428.67	2,57,277.68
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	13	37,299.71	29,836.03
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	14	33,841.50	43,702.07
(ii) रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक	15	2,08,115.55	50,350.13
(iii) उपर्युक्त (ii) को छोड़कर बैंक शेष	16	2,67,686.22	2,70,916.71
(iv) ऋण	17	99.50	68.56
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	18	3,421.07	1,473.75
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां(निवल)	10	7,147.48	-
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	1,56,051.92	1,87,734.01
कुल चालू परिसंपत्तियां		7,13,662.95	5,84,081.26
विक्री के लिए आयोजित परिसंपत्ति	20	-	13.59
कुल परिसंपत्तियां		10,02,091.62	8,41,372.53
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	21	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	22	4,29,610.60	4,26,164.14
कुल इक्विटी		4,42,764.64	4,39,318.18
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	23	2,302.20	12,581.98
(ii) पट्टा देयताएं	24	40,446.48	39,363.70
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	261.22	261.22
(ख) प्रावधान	26	3,964.58	3,568.12
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	27	248.98	9.16
कुल अप्रचलित देयताएं		47,223.46	55,784.18
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	28	10,984.78	-
(ia) पट्टा देयताएं	29	4,999.40	3,432.87
(ii) व्यापार देय	30		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि		5,716.84	1,074.47
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		15,931.10	15,790.49
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	31	19,344.46	18,674.41
(ख) अन्य चालू देयताएं	32	4,15,106.90	2,56,129.42
(ग) प्रावधान	33	40,020.04	48,602.42
(घ) चालू कर देयताएं(निवल)	10	-	2,566.09
कुल चालू देयताएं		5,12,103.52	3,46,270.17
कुल इक्विटी और देयताएं		10,02,091.62	8,41,372.53
निर्गमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 - 2		
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	3 - 74		

इसके साथ की टिप्पणियों वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 000111S)

सी. कृष्णन मेननजोस वी जे
साझेदार
(सदस्यता सं. 074736)
कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. - A25337

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

विजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)			
व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I आय			
प्रचालनों से आय	34	236455.48	319094.70
अन्य आय	35	20701.25	26281.60
कुल आय		257156.73	345376.30
II व्यय:			
उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	36	112188.86	161891.99
कार्य की सूची में परिवर्तन प्रगति पर	37	(143.74)	(352.31)
उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	38	43489.88	41080.97
कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	39	33425.55	31107.18
वित्तीय मूल्य	40	3502.59	4711.37
मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	41	6884.21	6801.95
अन्य व्यय	42	21147.82	18649.66
प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	43	999.21	4616.15
कुल व्यय		221494.38	268506.96
III असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि)		35662.35	76869.34
असाधारण मदें	44	6,181.35	(275.15)
कर पूर्व लाभ/(हानि)		41,843.70	76,594.19
IV कर व्यय:			
(1) चालू कर	10	10308.17	19687.24
(2) आस्थगित कर	10	1064.62	510.81
V वर्ष का लाभ		30470.91	56396.14
VI अन्य व्योरेदार आय			
(क)मदें जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे			
i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		(4781.91)	(119.78)
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		1203.51	30.15
(ख)मदें जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(132.28)	(23.00)
ii) एफवीटीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन		2.14	0.00
iii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		33.59	5.98
वर्ष के लिए अन्य व्योरेदार आय		(3674.95)	(106.65)
VII अवधि के लिए कुल अन्य व्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य व्योरेदार आय शामिल है)		26795.96	56289.49
VIII प्रति इक्विटी शेयर अर्जन(प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10):	45		
(1) मूल (₹ में)		23.16	42.87
(2) तनुकृत (₹ में)		23.16	42.87
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 - 2		
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	3 - 74		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000111S)

सी. कृष्णन मेनन

साझेदार

(सदस्यता सं. 074736)

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. - A25337

जोस बी जे

निदेशक (वित्त) व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन - 08444440

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह समेकित विवरण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	41,843.70	76,594.19
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
असाधारण मद	(6,181.35)	275.15
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	7,434.90	6,966.41
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	133.33	-
वित्तीय लागत	3,502.59	4,711.37
ब्याज आय	(12,365.83)	(7,222.31)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बड़े खाते में डालने पर हानि	4.92	1.02
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(6.11)	-
आस्थगित सरकारी सहायता	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	-	(178.41)
विदेशी मुद्रा विनियमों पर निवल हानि/(लाभ)	109.01	(173.26)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	34,474.02	80,973.03
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में (वृद्धि) / कमी	(7,463.68)	12,642.95
व्यापार, अन्य प्राप्यों और परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	19,509.44	13,268.46
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (कमी)	1,53,740.79	48,003.93
	2,00,260.57	1,54,888.37
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(11,355.34)	(15,064.04)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	1,88,905.23	1,39,824.33
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद	(4,503.12)	(17,451.60)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	701.58	-
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(29,933.72)	(8,853.43)
अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/ कमी	3,230.49	(85,144.42)
पूंजीगत अग्रिम में (वृद्धि)/ कमी	16,455.40	3,596.61
पीपीई से बिक्री आय	83.80	3.78
प्राप्त ब्याज	10,433.62	7,145.82

वित्तीय विवरण

▶ रोकड प्रवाह समेकित विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

व्योरा	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
निवेशों गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	(3,531.95)	(1,00,703.23)
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
ऋणों का (उधार)/पुनर्भुगतान	(203.70)	(67.60)
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	(219.05)	143.43
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(2,655.34)	(2,527.50)
प्रदत्त लाभांश	(23,348.40)	(20,388.76)
वित्तीय लागत	(1,181.37)	(1,051.55)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	(27,607.86)	(23,891.98)
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	1,57,765.42	15,229.12
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	50,350.13	35,121.04
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	2,08,115.55	50,350.13
दिनांक मार्च 31, 2023 तक नकद और नकद समकक्षों में 169785 लाख रुपए की राशि शामिल हैं।		
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 - 2	
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	3 - 74	

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000111S)

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी. कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता सं. 074736)
कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधिकी शुरूआत में शेष राशि पुनः निर्धारितकी गई	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04
01.04.2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधिकी शुरूआत में शेष राशि पुनः निर्धारितकी गई	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13154.04

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

ख. अन्य इक्विटी

व्योरा	आरक्षण व अधिशेष					कुल		
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	अन्य व्यापक आय नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	मूल कंपनी के कुल आरोप्य राशि
01 अप्रैल 2022 को शेष								
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां	7024.25	93152.08	6322.75	305641.87	12353.76	1668.44	0.98	426164.12
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि	7024.25	93152.08	6322.75	305641.87	12353.76	1668.44	0.98	426164.12
वर्ष का लाभ				30470.91				30470.91
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(96.56)			(3579.37)	(3675.93)
वर्ष के कुल व्यापक आय				30374.35	0.00	0.00	(3579.37)	26794.98
लाभांश				(23348.38)				(23348.38)
प्रतिधारित आय में अंतरण		(0.12)						(0.12)
प्रीमियम की ऋणमुक्ति								0.00
31 मार्च 2023 को शेष	7024.25	93151.96	6322.75	312667.84	12353.76	1668.44	(3578.40)	429610.60

अधिक जानकारी के लिए नोट 22 देखें।

को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

दिनांक 31 मार्च 2023 को

व्योरा	आरक्षण व अधिशेष					अन्य व्यापक आय		कुल	
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	मूल कंपनी के कुल आरोप्य राशि	एनसीआई के लिए आरोप्य राशि अन्य इक्विटी
01 अप्रैल 2021 को शेष	6951.80	93152.20	6322.75	269651.51	12353.76	1668.44	90.60	390191.06	390191.08
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां									0.00
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि	6951.80	93152.20	6322.75	269651.51	12353.76	1668.44	90.60	390191.06	390191.08
वर्ष का लाभ				56396.14				56396.14	56396.14
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(17.02)			(89.63)	(106.65)	(106.65)
वर्ष के कुल व्यापक आय				56379.12	0.00	0.00	(89.63)	56289.49	56289.49
लाभभांश				(20388.76)				(20388.76)	(20388.76)
प्रतिधारित आय में अंतरण									0.00
भूमि का हिसाब उचित मूल्य पर किया गया	72.45							72.45	72.45
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)						(0.12)	(0.12)
31 मार्च 2022 को शेष	7024.25	93152.08	6322.75	305641.87	12353.76	1668.44	0.98	426164.13	426164.14

अधिक जानकारी के लिए नोट 22 देखें।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **मैसर्स आनंद एवं पोट्रप्पन**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000111S)

सी. कृष्ण मेनन
साझेदार
(सदस्यता सं. 074736)
कोच्चि, दिनांक मई 19, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. – A25337

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्चि, दिनांक मई 19, 2023

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (“सीएसएल” या “होलिंग कंपनी” या ग्रुप के रूप में संदर्भित) मुख्यतः जहाजों के निर्माण और मरम्मत और जहाजों के आवधिक परत और पोतों के जीवन विस्तार के उन्नयन सहित सभी प्रकार के जहाजों की मरम्मत और रिफिट के निर्माण में लगा हुआ है।

होलिंग कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत में शामिल और स्थित है। निगमित कार्यालय का पता पैरुमानूर, कोच्ची, केरल है। दिनांक 31 मार्च 2023 को, भारत सरकार कंपनी की 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। ग्रुप की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

समेकित वित्तीय विवरण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होलिंग कंपनी) और इसके नियंत्रित कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (इसके बाद एचसीएसएल के रूप में संदर्भित) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड) से संबंधित है।

होलिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को एक साथ “ग्रुप” कहा जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक 19 मई 2023 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

सहायक समूहों का विवरण	शेयरधारण
दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को निगमित हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (आगे चलकर एचसीएसएल के रूप में संदर्भित) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है।	100%
एनसीएलटी प्रक्रिया के जरिए दिनांक 15 सितंबर 2020 को अधिग्रहित उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है।	100%

2. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (जिसे ‘इन्ड एस’ कहा जाता है।) के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची III के प्रभाग II में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 ‘नकदी प्रवाह का विवरण’ के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित, तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणी के साथ-साथ प्रकट किए जाने वाले अन्य नोटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखांकन मानकों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 को संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया।

लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। 3.1, 3.6, 3.9, 3.14, 3.15, 3.24, 3.25 पर लेखांकन नीतियों को संशोधित/पुनःशब्दित किया गया है जिनका वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक स्पष्टता आती है।

2.2. कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो समूह की प्रस्तुतिकरण और कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्यों को अधिनियम की अनुसूची III द्वारा अनुमत निकटतम लाख (दो दशमलव तक पूर्णांकित) अन्यथा इंगित किए जाने को छोड़कर तक पूर्णांकित किया जाता है।

2.3. माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है :

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

- i. कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,
- ii. संपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है ;
- iii. संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है ;
- iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है ;
- v. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;
- vi. एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

- (i) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।
- (ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.3.1 समेकन का आधार

वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक सीएसएल और उसकी सहायक कंपनियों का वित्तीय विवरण शामिल है।

नियंत्रित कंपनियाँ ऐसी संस्थाएँ हैं जिन पर ग्रुप का नियंत्रण होता है। ग्रुप एक इकाई को नियंत्रित करता है जब ग्रुप का खुलासा होता है, या अधिकार के साथ इसकी भागीदारी से वर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और इकाई की प्रासंगिक गतिविधिया को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है।

किसी सहायक कंपनी का एकीकरण तब शुरू होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और तब बंद हो जाता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अर्जित या निपटाई

गई किसी सहायक कंपनी की संपत्ति, देनदारियाँ, आय और व्यय को समूह द्वारा नियंत्रण हासिल करने की तारीख से लेकर समूह द्वारा सहायक कंपनी को नियंत्रित करना बंद करने की तारीख तक वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है।

समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि समूह का कोई सदस्य समान परिस्थितियों में लेनदेन और घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अलावा अन्य लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समूह की लेखांकन नीतियों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस समूह के सदस्य के वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन किया जाता है।

समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण नियंत्रण कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि यानी दिनांक 31 मार्च को समाप्त वर्ष के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित समेकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

- क) नियंत्रण कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की वस्तुओं को उसकी सहायक कंपनियों के साथ मिलाएँ। इस प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण तिथि पर समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त संपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित होते हैं।
- ख) प्रत्येक सहायक कंपनी में नियंत्रण कंपनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के होल्डिंग कंपनी के हिस्से को ऑफसेट (समाप्त) करना।
- ग) समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित इंटरग्रुप परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को पूरी तरह से हटा दें (इंटरग्रुप लेनदेन से होने वाले लाभ या हानि जो परिसंपत्तियों में पहचाने जाते हैं, जैसे कि मालसूची और अचल संपत्तियाँ, पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं)। इंटर ग्रुप हानियाँ एक हानि का संकेत दे सकती हैं जिसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 12 आयकर उन अस्थायी अंतरों पर लागू होता है जो इंटरग्रुप लेनदेन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी के इक्विटी धारकों और गैर-नियंत्रित हितों के लिए जिम्मेदार ढहराया जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप गैर-नियंत्रित हितों में घाटे का संतुलन हो। जब आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है। समूह के

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सदस्यों के बीच लेनदेन से संबंधित सभी अंतर-समूह संपत्तियाँ और देनदारियाँ, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह समेकन पर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं।

2.3.2 व्यापार संयोजन

अधिग्रहण पद्धति उपयोग करने हेतु व्यावसायिक संयोजनों का हिसाब लगाया गया है। अधिग्रहण की लागत को अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर हस्तांतरित किए गए प्रतिफल और अधिग्रहणित में किसी भी गैर-नियंत्रित हितों की राशि के योग के रूप में मापा जाता है। अधिग्रहण से संबंधित लेन-देन की लागत को जब कर्च किया जाता है तब लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

अधिग्रहण की तारीख पर, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्यों पर मान्यता दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए, अनुमानित देनदारियों में वर्तमान दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली आकस्मिक देनदारियाँ शामिल हैं और उन्हें इस तथ्य के बावजूद उनके अधिग्रहण के उचित मूल्यों पर मापा जाता है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक संयोजन में अर्जित निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को नीचे बताए गए आधार पर मापा जाता है:। आस्थगित कर संपत्ति या देनदारियाँ, और कर्मचारी लाभ व्यवस्था से संबंधित संपत्ति या देनदारियों को क्रमशः भारतीय लेखा मानक 12 आयकर और भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ के अनुसार पहचाना और मापा जाता है।

परिसंपत्तियाँ (या निपटान समूह) जिन्हें भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए रखी गई और बंद किए गए संचालन के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें उस मानक के अनुसार मापा जाता है।

पहचाने जाने योग्य संपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित से अधिक हस्तांतरित प्रतिफल (खरीद प्रतिफल) की कुल राशि को सद्भावना के रूप में मान्यता दी जाती है। क्रय विचार पर अधिग्रहणित की पहचान योग्य संपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित की अधिकता को पूंजी रिजर्व में मान्यता दी गई है।

अनियंत्रित ब्याज

गैर-नियंत्रित ब्याज सहायक कंपनियों में आय, अन्य व्यापक आय और शुद्ध संपत्ति के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है जो समूह के शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार नहीं है। गैर-नियंत्रित ब्याज को प्रारंभ में अधिग्रहणित की पहचान योग्य शुद्ध संपत्तियों की मान्यता प्राप्त मात्रा के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। अधिग्रहण के बाद, गैर-नियंत्रित ब्याज की वहन राशि

प्रारंभिक मान्यता पर ब्याज की राशि और इक्विटी में बाद के परिवर्तनों में गैर-नियंत्रित हितों की हिस्सेदारी है।

लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय का श्रेय होल्डिंग कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रित हितों को दिया जाता है, जिन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दिखाया गया है।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

इन अनुमानों में बदलाव के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयता की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टा

ग्रुप मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ग्रुप पट्टे अवधिक (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमिति नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

पट्टा दायित्व की गणना के लिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

समूह की कार्यात्मक मुद्रा में नामित पट्टों के लिए, समूह वृद्धिशील उधार दर को समूह के लिए उपलब्ध बैंकों से उधार पर ब्याज दर मानता है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोटों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोटों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोट स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

अभियोग

समय-समय पर, समूह कानूनी कार्यवाही के अधीन होता है और प्रत्येक का अंतिम परिणाम हमेशा मुकदमेबाजी में निहित कई अनिश्चितताओं के अधीन होता है। मुकदमेबाजी का प्रावधान तब किया जाता है जब यह संभावित माना जाता है कि भुगतान किया जाएगा और नुकसान की राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। अन्य कारकों के अलावा, प्रतिकूल परिणाम की संभावना और संभावित नुकसान की मात्रा का उचित अनुमान लगाने की जिम्मेदारी का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में मुकदमेबाजी के प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और तथ्यों और परिस्थितियों में बदलाव के लिए संशोधन किए जाते हैं।

उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

समूह उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों और देनदारियों को उनके माप में नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करता है जो निम्नानुसार वर्णित हैं:

(क) स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य होते हैं।

(ग) स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं जो देखने योग्य संबंधित बाजार डेटा या बाजार सहभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में समूह की धारणाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को दर्शाते हैं।

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे सगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल हैं। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों के लिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है।

निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

3. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पीपीई निः शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आपोष्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

अतिरिक्त पुर्जों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब वे पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं, यानी, जब समूह इन्हें 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए उपयोग करने का इरादा रखता है, जिसका मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है (सीमित आवश्यकताएं प्रबंधन द्वारा तय की जानी हैं) जो कि हो सकता है केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के संबंध में उपयोग किया जाता है और जिसका उपयोग अनियमित होने की उम्मीद है, संबंधित परिसंपत्तियों के अतिरिक्त पुर्जे या मूल मदों के उपयोगी अवधि पर पूंजीकृत और मूल्यहास किया जाता है, जो भी कम हो।

निराकरण, वस्तु को हटाने और उस स्थान को पुनः स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान जिस पर पीपीई स्थित है, जिसके लिए दायित्व तब उत्पन्न होता है जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान किसी अन्य उद्देश्य के लिए वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप होता है तो अवधि के दौरान मालसूची का उत्पादन करने के लिए, पीपीई के एक घटक के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता

है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभावित किया है।

समूह ने परिवर्तन तिथि यानी 1 अप्रैल, 2015 को भारतीय लेखा मानक के तहत मानी गई लागत के रूप में वहन लागत पर विचार करने की एकमुश्त परिवर्तन छूट के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद इसे ऐतिहासिक लागत माना गया। हालाँकि, सीएसएल के मामले में, उचित मूल्य को भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन तिथि पर मानी गई लागत के रूप में अपनाया गया है।

3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

3.3 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सॉफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

समूह ने परिवर्तन तिथि यानी 1 अप्रैल, 2015 को भारतीय लेखा मानक के तहत मानी गई लागत के रूप में वहन लागत पर विचार करने की एकमुश्त परिवर्तन छूट के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद इसे ऐतिहासिक लागत माना गया।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस विकासाधीन है या अभी तक उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ऐसी वस्तुओं पर होने वाली संचित लागत को 'विकासाधीन अमूर्त संपत्ति' के रूप में गिना जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

3.4 पट्टे

ग्रुप अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात् यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, ग्रुप यह आकलन करता है कि क्या: (i) अनुबंध में एक पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) समूह को इसके उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति और (iii) समूह को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

ग्रुप के पट्टा परिसंपत्ति वर्गों में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं।

पट्टेदार के रूप में :

पट्टा शुरू होने की तारीख में, ग्रुप एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। बाद में उन्हें संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा देयता

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है।

बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पट्टे की देनदारी को फिर से मापा जाता है।

कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है जैसे कि पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में बदलाव। पुनर्माप आम तौर पर पट्टे पर दी गई संपत्तियों को भी समायोजित करता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा देयता के पुनः माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि होने पर उसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर पट्टे के दायरे को बढ़ाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है। पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्तियों के माप के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए ग्रुप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

3.5 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां किराये अर्जित करने और / अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित संपत्तियां हैं। निवेश संपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यह्रास और हानियों के नुकसान पर बताया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निवेश संपत्ति पर मूल्यहास, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

निवेश संपत्तियों की मान्यता या तो निपटान पर या उपयोग से स्थायी निकासी पर रद्द कर दी जाती है। निवेश संपत्ति तब निपटान पर कोई लाभ या हानि, निवल निपटान आय और संपत्ति की कैरिंगिंग राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.6 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।:

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उपार्जित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है।

पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

सकल ब्लॉक में परिवर्धन/विलोपन पर मूल्यहास की गणना ऐसे परिवर्धन की तारीख से और ऐसे विलोपन की तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

मूल्यहास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है।

प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, संयंत्र और मशीनरी की कुछ श्रेणियों के लिए, उपयोगी अवधि दोहरा पारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन का मानना है कि परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित के समान है, कुछ प्रकार की इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिनमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगी अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने का अनुमान लगाया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु और शुरू में मान्यता प्राप्त कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ/हानि संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। अभी भी उपयोग में आने वाली पूरी तरह से मूल्यहास परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत शामिल प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यहास नहीं किया गया है क्योंकि ये संपत्तियां अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, यदि कोई हानि हो तो उनका परीक्षण किया जाता है।

3.7 परिसंपत्तियों का हानिकरण-गैर वित्तीय संपत्ति

ग्रुप प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करता है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो ग्रुप संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के ग्रुपों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है।

हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ही के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध उद्धृत बाजार मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

ग्रुप अपनी हानि गणना को विस्तृत बजट और पूर्वानुमान गणनाओं पर आधारित करता है, जो ग्रुप के प्रत्येक सीजीयू के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत संपत्ति आवंटित की जाती है। नवीनतम बजट/पूर्वानुमानों द्वारा शामिल की गई अवधियों से परे नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाने के लिए, ग्रुप बाद के वर्षों के लिए स्थिर या घटती विकास दर का उपयोग करके बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाता है, जब तक कि बढ़ती दर को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

सद्भावना को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो समूह संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलटा किया जाता है जब अंतिम हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उत्क्रमण सीमित है ताकि परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित की गई अग्रणीत राशि से अधिक हो, मूल्यहास के शुद्ध में पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि हानि नहीं पहचानी गई थी।

3.8 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

ग्रुप एक गैर चालू संपत्ति को बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उसकी कैरियिंग लागत मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को जैसे पूरा किए मानते हैं, केवल जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव हो।

बंद संचालन सहित गैर चालू संपत्तियां जो, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत को कैरियिंग राशि के निम्नतम में मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत तथा वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर, संपत्तियां मूल्य हास और परिशोधन के अधीन नहीं हैं।

बंद संचालनों की बिक्री या पुनः मापन से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल पंक्ति मद के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.9 माल सूची

कच्चे मालों और घटकों का भारित औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई कच्चे सामग्रियों, घटकों और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें ऊपर या लागत पर बेचा जाने की उम्मीद है।

भंडार और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है। मार्गस्थ मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

निर्माण अनुबंधों के अलावा कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी) का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर रखा गया है।

तैयार माल का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

3.10 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

जब ग्रुप साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्राप्य के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- * परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति;
- * अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;
- * लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोग्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो

व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। ग्रुप ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है औ अपरिवर्तनीय है।

उक्त इक्विटी निवेश की बिक्री/निपटान पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशि का कोई पुनर्वर्तन/पुनर्वर्गीकरण नहीं होता है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण साधन में निवेश को निम्न दोनों स्थितियों के पूरा होने पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है: परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य है -

- (1) संविदात्मक नकदी प्रवाह इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखने के लिए, और
- (2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान करती हैं जो मूल राशि पर बकाया है।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, ग्रुप निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और साख जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित साख हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है:

- क) वित्तीय संपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष
- ख) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है
- ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत पट्टा प्राप्य

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सरलीकृत दृष्टिकोण

व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ते की मान्यता के लिए ग्रुप 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है।

व्यापार प्राप्तियाँ

ग्रुप डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्तिके रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

ग्रुप प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगड़ा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छट के माध्यम से मापा जाना।

ग्रुप सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

प्रावधान मैट्रिक्स, व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऐतिहासिक देखी गई डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। उस आधार पर, ग्रुप रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान का अनुमान लगाता है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

सामान्य दृष्टिकोण

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, ग्रुप यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि प्रदान करने के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालाँकि, यदि साख जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, उपकरण की साख गुणवत्ता

में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से साख जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने पर वापस लौट आती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवन के दौरान सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली अपेक्षित साख हानि है। 12 महीने की ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। विभिन्न वित्तीय के लिए तुलन पत्र प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- * वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत के रूप में मापा जाता है: ईसीएल को भत्ते के रूप में अर्थात, तुलन पत्र में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भत्ता निवल वहन राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति बट्टे खाते में डालने के मानदंडों को पूरा नहीं करती, ग्रुप सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करता है।
- * वित्तीय गारंटी अनुबंध: ईसीएल को तुलन पत्र में एक प्रावधान के रूप में, यानी देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- * एफवीटीओसीआई पर मापे गए ऋण उपकरण: चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियाँ पहले से ही उचित मूल्य पर परिलक्षित होती हैं, इसलिए हानि भत्ता इसके मूल्य से और कम नहीं किया जाता है। बल्कि, ईसीएल राशि को ओसीआई में 'संचित हानि राशि' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.11 वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं और परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं के रूप में, जैसा उपयुक्त हो, वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देयताओं के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के शुद्ध रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं के मामले में, वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ग्रुप की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- * लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं;
- * परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं;
- * वित्तीय गारंटी अनुबंध;

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में ग्रुप द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं, उन्हें बाद की लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देयताओं की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी व्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। फायदा और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देयताओं की पहचान और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय गारंटी अनुबंध

ग्रुप द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है, लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि से अधिक पर मापा जाता है और शुरुआत में मान्यता प्राप्त राशि को भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार संचयी आय से कम माना जाता है।

वित्तीय लिखतों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब:

- * परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- * ग्रुप ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या ग्रुप ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के आदान-प्रदान या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता रद्द करने और नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट हैं और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार हैं और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

ग्रुप अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए क्रमशःफॉरवर्ड मुद्रा अनुबंध जैसे गौण वित्तीय लिखतों का उपयोग करता है। इस तरह के गौण वित्तीय लिखतों को शुरू में उस तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक गौण अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। गौण के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के लिए लेखांकन बचाव उपकरणों के रूप में गौण के पदनाम या गैर-पदनाम पर निर्भर करता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर गौण को वित्तीय संपत्ति के रूप में और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर वित्तीय देयताओं के रूप में ले जाया जाता है।

गौण जिन्हें हेज उपकरण के रूप में नामित किया गया है

ग्रुप विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है। ग्रुप आम तौर पर पूरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हेजिंग उपकरण के रूप में नामित करता है। ये हेजिंग उपकरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्रुप की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा शासित होते हैं।

हेज संबंध की शुरुआत में, ग्रुप औपचारिक रूप से हेज संबंध को नामित और दस्तावेजित करता है, जिस पर ग्रुप हेज लेखांकन और हेज करने के लिए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और रणनीति को लागू करना चाहता है। दस्तावेजीकरण में ग्रुप के जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेज लेने की रणनीति, हेजिंग/आर्थिक संबंध, हेज्ड वस्तु या लेनदेन, हेज किए जा रहे जोखिम की प्रकृति, हेज अनुपात और इकाई हेजिंग उपकरण में परिवर्तनों की प्रभावशीलता का आकलन कैसे करेगी, शामिल है। हेज्ड मद के उचित मूल्य या हेज्ड जोखिम के कारण नकदी प्रवाह में परिवर्तन के जोखिम को ऑफसेट करने में उचित मूल्य।

ऐसी हेजेज से उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में ऑफसेटिंग परिवर्तनों को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है और यह निर्धारित करने के लिए निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि हेज वास्तव में वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावी रही है जिसके लिए इसे नामित किया गया था।

निर्दिष्ट हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय ('ओसीआई') में पहचाना जाता है और इक्विटी के भीतर नकदी प्रवाह हेज रिजर्व शीर्षक के तहत जमा किया जाता है। अप्रभावी हिस्से से संबंधित लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है और अन्य आय या अन्य व्यय में क्रमशः डेरिवेटिव पर लाभ या डेरिवेटिव पर हानि के रूप में शामिल किया जाता है।

ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में जमा की गई राशि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है, मान्यता प्राप्त हेज आइटम के समान लाइन आइटम में या यदि हेज पूर्वानुमान लेनदेन के परिणामस्वरूप गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय दायित्व की पहचान होती है तो इसे आधार समायोजन के रूप में माना जाता है। जब पूर्वानुमानित लेनदेन होने की उम्मीद नहीं रह जाती है, तो इक्विटी में संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है।

अनुबंध परिसंपत्तियाँ

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

अनुबंध देयताएं

जहां ग्रुप को विचार प्राप्त होता है, या ग्रुप के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि ग्रुप ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

3.12 विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (आई एन आर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा प्रदर्शन मुद्रा है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लेनदेन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को क्रियाशील मुद्रा में संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर ग्रहण करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुओं (जैसे नकद, प्राप्य, देय आदि) को तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर फिर से मापा जाता है। गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा वस्तुओं को लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुएं, (जैसे पीपीई, अमूर्त संपत्ति, इक्विटी निवेश, नकदी में निपटान की उम्मीद के अलावा पूंजी/राजस्व अग्रिम आदि) लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज की जाती हैं। स्थानांतरण या निपटान के समय या पुनर्कथन पर विनिमय अंतर के कारण होने वाले किसी भी लाभ या हानि, आय या व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.13 रोकड व रोकड तुल्यांक

ग्रूप सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

3.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, ग्रूप को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तिया

व्यापार के सामान्य क्रम में ग्रूप के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असर में प्रतिकूल प्रभाव डालें। ग्रूप आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

3.15 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य विचार का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोड़कर जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

सहायक कंपनियों के मामले में, राजस्व को कुल अपेक्षित इनपुट के सापेक्ष इकाई के प्रयासों या निष्पादनदायित्व की संतुष्टि के लिए इनपुट (यानी उपभोग किए गए संसाधन, खर्च किए गए श्रम घंटे, खर्च की गई लागत, बीता हुआ समय या उपयोग किए गए मशीन घंटे) को उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर पहचाना जाता है।

समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की मान्यता केवल तभी की जाती है जब ग्रूप निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ग्रुप को नवीनतम उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अपनाई गई विधि में निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए निरंतर आधार पर संशोधित / अद्यतन किया जाएगा।

अनुबंध के शुरुआती चरणों के दौरान, जहां ग्रुप निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकता है और ग्रुप निष्पादन दायित्व को पूरा करने में होने वाली लागत की वसूली की उम्मीद करता है, राजस्व को केवल उस समय तक की गई लागत की सीमा तक ही मान्यता दी जाएगी जब तक कि यह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप न सके।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार 'और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार' है, निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है। सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है। सामग्री की लागत, डिजाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। प्रबंधन शुल्क भी समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना

जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है। पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) को समय-समय पर किए गए खर्चों/लागत के अनुपात में मान्यता दी जाती है और 'अन्य प्रचालन राजस्व' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ग) अन्य आय

i) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती हैं। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुट

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

ii) बीमा दावाओं के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए लिए बीमा पॉलिसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा ग्रुप द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियाँ

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है। चिकित्सा ग्रुप के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत दावों के आधार पर, दावों की पहचान उचित आधार पर की जाती है।

(iii) ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके पहचाना जाता है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में 'अन्य आय' में शामिल किया जाता है और प्राप्ति की निश्चितता के समय के अनुपात में संचय के आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

(iv) अन्य

लाभांश आय को प्राप्त होने वाले वर्ष के लेखे में स्वीकृत किया जाता है।

चार्टर किराया शुल्क आय का हिसाब समय अवधि के आधार पर किया जाता है

3.16 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो हस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

पोस्ट - रोजगार लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

कार्यपालकों/ पर्यवेक्षकों/कामगारों के लिए सीएसएल अधिवर्षिता पेंशन ट्रस्ट में पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान दिया जाता है और वे नियत होने के रूप में प्रभावित किया जाता है। ऐसे लाभों को, अंशदान देने के अलावा कंपनी को कोई और दायित्व न होने के कारण निर्धारित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी पारस्परिक लोक कल्याण ट्रस्ट और कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट में योगदान करती है, जिसे देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। ऐसे लाभों को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि ग्रुप किए गए योगदान के अलावा कोई और दायित्व नहीं निभाता है।

कंपनी कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्टों जो लिक वे नियत होने के कारण खर्च के रूप में प्रभावित किया है, की ओर अंशदान भी किया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

ग्रुप उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियाँ उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

भविष्य निधि एवं पेंशन योजना

ग्रुप भविष्य निधि में भी योगदान देता है। भविष्य निधि का प्रबंधन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित ग्रुप के भविष्य निधि के नियमों की आवश्यकता है कि यदि ट्रस्टी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 60 के तहत सरकार द्वारा घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कमी ग्रुप द्वारा पूरी की जाएगी। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रुप द्वारा यदि कोई कमी का आकलन किया जाता है, तो उसे खातों में प्रदान किया जाएगा।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियाँ

ग्रुप को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

3.17 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोग्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य

परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि अस्थायी आधार के अलावा बाधित होती है और ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर शुल्क लगाया जाता है, तो उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निर्लंबित कर दिया जाता है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

3.18 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है, जिसमें कंपनी भविष्य के वर्षों में कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अलावा समायोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है और वित्तीय विवरणों में 'अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3.19 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है। त्रुटियों के कारण पूर्व अवधि के समायोजन, जिनका ग्रुप के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनर्स्थापित करके ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो उद्घाटन को पुनः स्थापित करके ठीक किया जाता है। प्रारंभिक पूर्व अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का संतुलन प्रस्तुत किया गया।

3.20 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियाँ और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रणीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियाँ उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को

ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

3.21 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर के मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियाँ नहीं थी।

3.22 सेग्मेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

ग्रुप ने व्यापार सेग्मेंटों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेंटों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेग्मेंट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोतों/अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है।

सेग्मेंट राजस्व, सेग्मेंट व्यय, सेग्मेंट परिसंपत्तियाँ और सेग्मेंट देयताएं सेग्मेंट की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर सेग्मेंट के रूप में पहचान की गई है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियाँ और देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर सेग्मेंटों के लिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियाँ/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

3.23 समेकित रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कर पूर्व लाभ/हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है और, अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों और आय की वस्तुओं के किसी भी स्थगन या संचय या को निवेश या वित्तीय नकदी प्रवाह से जुड़े खर्च समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

3.24 इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश देयता के रूप में मान्य किया जाता है और उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी से कटौती की जाती है, जिसमें साधारण बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है। अंतरिम लाभांश के मामले में, उस अवधि में की जाती है जिसमें ग्रुप के बोर्ड द्वारा इसकी सिफारिश और अनुमोदन किया जाता है।

3.25 बहिष्कृत वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान

समाधान योजना और एनसीएलटी आदेश दिनांक 4 मार्च 2020 के अनुसार, नीचे उल्लिखित पूर्ववर्ती टेबला शिपयार्ड की निम्नलिखित संपत्तियों/मामलों को सीओसी या समाधान व्यावसायिक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बहिष्कृत वित्तीय संपत्ति के रूप में पहचाना गया है:

- 1) वेट वापसी;
- 2) टग को हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी के पास बीमा दावा दायर किया गया;
- 3) बीमा कंपनी के साथ चोरी और संधमारी के लिए बीमा दावा;
- 4) भारतीय नौसेना से व्यापार प्राप्य; और
- 5) सब्सिडी दावे की राशि का 50%(पचास प्रतिशत) (यानी, जहाज निर्माण वित्त सहायता/सब्सिडी) भारत सरकार से बनती है।

इन मदों का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाएगा।

3.26 असाधारण मदें

आय या व्यय की एक वस्तु जिसके आकार, प्रकार या घटना के आधार पर समूह के प्रदर्शन की समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे एक असाधारण वस्तु के रूप में माना जाता है और वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया जाता है।

3.27 हाल ही के अधिसूचनाएं

निगमित मामलों का मंत्रालय ('एमसीए') समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया।

भारतीय लेखा मानक 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। ग्रुप मानक के अनुसार उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उनका मूल्यांकन करेगा।

भारतीय लेखा मानक 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां:- इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में बदलावों को लेखांकन अनुमानों से अलग करने में मदद करने के लिए भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। ग्रुप मानक के अनुसार उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उनका मूल्यांकन करेगा।

भारतीय लेखा मानक 12 - आयकर :- इस संशोधन ने छूट की प्रारंभिक मान्यता के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि में इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि। ग्रुप मानक के अनुसार उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उनका मूल्यांकन करेगा।

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

व्योरा	सकल महन राशि		मूल्यहास		निवल महन राशि	
	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान निपटान/ समायाजन	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए समायाजन/ (अहरण)	31 मार्च 2023 को
क) स्वामित्व संपत्ति						
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	3,267.86	-	3,267.86	-	-	3,267.86
इमारतें और सड़क	19,498.19	505.42	20,003.61	3,958.44	1,026.23	15,018.94
प्लॉट और मशीनरी	28,746.70	1,895.98	30,419.67	12,251.44	2,640.15	15,715.62
फर्नीचर और जुड़ाव	1,529.05	248.40	1,777.45	726.59	137.86	913.00
गडियॉ	675.02	2.94	677.87	370.03	60.23	247.64
कार्यालय उपस्कर	565.19	92.11	657.30	295.89	72.57	288.84
अन्य	-	-	-	-	-	-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	2,446.19	338.43	2,773.54	1,385.95	340.67	1,053.48
गोदी और घाट	4,466.45	12.43	4,478.88	2,141.37	299.82	2,037.69
रेलवे साइडिंग	1.10	-	1.10	-	-	1.10
विद्युत संस्थान	2,661.18	189.52	2,846.89	1,103.18	152.46	1,252.52
नाली और जलपूर्ति	6.67	16.88	23.55	-	0.98	22.57
यानें	19.74	2.14	21.88	8.44	1.36	12.08
उप कुल	63,883.34	3,304.25	66,949.60	22,241.33	4,732.33	40,173.19
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियाँ						
इमारतें	13,328.34	186.40	13,514.74	1,676.38	402.54	11,435.82
प्लॉट और मशीनरी	871.87	65.86	937.73	154.15	55.12	728.46
गोदी और घाट	9.62	-	9.62	8.35	-	1.27
विद्युत संस्थान	501.32	35.03	536.35	212.46	48.83	275.06
स्लिप वे	1,117.99	-	1,117.99	681.05	169.69	267.25
उप कुल	15,829.14	287.29	16,116.43	2,732.39	676.18	12,707.86
कुल(क) + (ख)	79,712.48	3,591.54	83,066.03	24,973.72	5,408.51	52,881.05
ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार						
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,874.95	1,331.96	41,111.01	4,142.95	1,390.64	35,647.46
उपयोग का अधिकार- इमारतें	173.07	-	173.07	100.20	18.14	54.73
भूमि और पेट मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	7,000.00	1,583.67	210.32	5,206.01
उपयोग का अधिकार- नजीरांज में भूमि (5.31 एकड़)	118.94	-	118.94	6.18	1.94	110.82
उपयोग का अधिकार- नजीरांज में भूमि (10.45 एकड़)	234.07	-	234.07	10.91	3.86	219.30
उपयोग का अधिकार- सालिकिया में भूमि (9.91 एकड़)	221.99	-	221.99	7.85	3.69	210.45
उपयोग का अधिकार- भूमि (माल्टे)	16.68	-	-	12.53	1.73	-
उप कुल	47,639.70	1,331.96	48,859.08	5,864.29	1,630.32	41,448.77
कुल (क + ख + ग)	1,27,352.18	4,923.50	1,31,925.11	30,838.01	7,038.84	94,329.82
						41,775.41
						96,514.17

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

व्योरा	सकल वहन राशि				मूल्यहास		निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(₹ लाखों में)								
क) स्वामित्वसंपत्ति								
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	3,195.41	72.45		3,267.86	-		3,267.86	3,195.41
इमारतें और सड़क	18,666.28	840.01	8.10	19,498.19	3,189.25	8.01	3,958.44	15,539.75
प्लॉट और मशीनरी	24,737.37	4,780.63	771.30	28,746.70	10,011.90	336.03	12,251.44	16,495.26
फर्नीचर और जुड़ाव	1,402.83	136.53	10.31	1,529.05	608.72	7.25	726.59	802.46
गड्ढियां	620.07	54.95		675.02	312.81		370.03	304.99
कार्यालय उपस्कर	495.10	89.99	19.90	565.19	237.18	10.57	295.89	269.30
अन्य				-			-	-
छाटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,845.10	627.78	26.69	2,446.19	1,087.94	16.88	1,385.95	1,060.24
गोदी और घाट	4,466.45			4,466.45	1,841.96		2,141.37	2,325.08
रेलवे साईडिंग	1.10			1.10	-		-	1.10
विद्युत संस्थान	1,831.03	830.68	0.53	2,661.18	982.17		1,103.18	1,558.00
नाली और जलपूर्ति	6.67			6.67	-		-	6.67
यानें	19.74			19.74	7.08		8.44	11.30
उप कुल	57,287.15	7,433.02	836.83	63,883.34	18,279.01	378.75	22,241.33	39,008.14
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां								
इमारतें	4,023.75	9,325.35	20.76	13,328.34	1,291.08	5.87	1,676.38	11,651.96
प्लॉट और मशीनरी	654.65	217.22		871.87	109.37		154.15	717.72
गोदी और घाट	9.62			9.62	8.35		8.35	1.27
विद्युत संस्थान	400.26	101.06		501.32	169.64		212.46	288.86
स्लिप वे	1,108.00	9.99		1,117.99	453.40		681.05	436.94
उप कुल	6,196.28	9,653.62	20.76	15,829.14	2,031.84	5.87	2,732.39	4,164.44
ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार								
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,874.95			39,874.95	2,752.12		4,142.95	35,732.00
उपयोग का अधिकार- इमारत	173.07			173.07	70.65		100.20	72.87
भूमि और पोट मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00			7,000.00	1,373.33		1,583.67	5,626.67
उपयोग का अधिकार- नजीरांज में भूमि (5.31एकड़)	118.94			118.94	4.20		6.18	112.76
उपयोग का अधिकार- नजीरांज में भूमि (10.45एकड़)	234.07			234.07	6.94		10.91	223.16
उपयोग का अधिकार- सालकिया में भूमि (9.91एकड़)	221.99			221.99	4.09		7.85	214.14
उपयोग का अधिकार- भूमि (मालवे)	16.68			16.68	7.72		12.53	4.15
उप कुल	47,639.70	-	-	47,639.70	4,219.05	-	5,864.29	41,775.41
कुल (क + ख + ग)	1,11,123.13	17,086.64	857.59	1,27,352.18	24,529.90	384.62	30,838.01	86,593.23

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्ट्स को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य हास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें गिरी देने की संभावना है।

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में कंपनी की 197.12 एकड़ (487.00 सेंट) भूमि संपत्ति शामिल है, जो सर्वे नंबर 713/11 में 34.30 एकड़, सर्वे नंबर 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे नंबर 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे नंबर 714/06 में 50.18 एकड़ है, सर्वे नंबर 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे नंबर 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे नंबर 714/5 में 10.93 एकड़ जमीन में ये सभी एलमकुलम गांव, कनायन्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में एक साथ पड़ी हुई है। जिन्हें सुरक्षा के तौर पर कर मुक्त बांड जारी करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

कंपनी के परिसर और अन्य स्थानों पर वाहक संयंत्र हैं जिनसे नाममात्र की आय होती है। ऐसे वाहक संयंत्रों की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है और इसलिए इन संयंत्रों को पूंजीकृत नहीं किया गया था।

सभी अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखा जाता है। निम्नलिखित संपत्तियों के मामले में जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टा समझौते निम्नलिखित अपवादों के साथ पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं:

- * सीएसएल ने 12 अप्रैल 2013 को सीओपीटी से 8.12 हेक्टर भूमि और 15 हेक्टर जल निकाय पट्टे पर लिया है। इस संबंध में सीओपीटी के साथ एक पट्टा समझौता किया गया था, हालांकि इसे अभी तक पूंजीकृत नहीं किया गया है।
- * सीएसएल ने 16 नवंबर 2017 को सीओपीटी से पट्टे पर 8.134 हेक्टर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र भी लिया है - पट्टा विलेख को निष्पादित और पूंजीकृत किया जाना बाकी है।

कंपनी ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ ह्यूजेस ड्राई डॉक और एमबीपीटी के इंदिरा डॉक पर निर्दिष्ट बर्थ और दो ड्राई डॉक और क्रमशः केओपीटी के नेताजी सुभाष डॉक के बर्थ नंबर 6 पर पोत मरम्मत सुविधा को अपग्रेड करने, संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए रियायतग्राही समझौतों को निष्पादित किया है।

एमबीपीटी में परियोजना स्थल को 29 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। लाइसेंस समझौते को अभी तक पूंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को स्टॉप शुल्क की छूट के लिए प्रस्तुत अनुरोध विचाराधीन है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर परियोजना स्थल को 30 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। चूंकि लाइसेंस समझौते पर पश्चिम बंगाल में स्टॉप शुल्क और पूंजीकरण शुल्क नहीं लगता है, इसलिए केओपीटी के साथ रियायत समझौता पूंजीकृत नहीं किया गया है।

भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को भुगतान की गई अग्रिम फीस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाना था, जिसे पर्यावरण मंजूरी की प्राप्त करने की तारीख के आधार पर आगे बढ़ाया गया था। चूंकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी 09 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए 30 साल की पट्टे की अवधि प्रभावी रूप से इसी तारीख से शुरू होती है।

यूसीएसएल और कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड ने 23.12.2022 को मालपे और हैगरकट्टा में पट्टे की भूमि के लिए 04.3.2020 से 30 साल की अवधि के लिए लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी; मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (तत्कालीन मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) के अधिग्रहण को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश की तारीख। पट्टा अनुबंध में संशोधन के कारण भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार आरओयू परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन और पट्टे की भूमि पर स्थित संपत्तियों के उपयोगी जीवन का विस्तार आवश्यक हो गया है। इसके लिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड (केएमबी) को कुल 325.50 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें सुरक्षा जमा, पट्टा बकाया, जुर्माना और बकाया के खिलाफ केएमबी को ब्याज का भुगतान शामिल है। परिणामी परिवर्तनों को वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों में शामिल किया गया है।

कुलपी (कोलकाता-230 सेंट) में भूमि का मूल्य भौगोलिक क्षेत्र के सत्यापन और उसके मूल्यांकन के संबंधित होने के कारण खातों में मान्यता नहीं दी गई है।

मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से संबंधित भूमि, भूमि रिकॉर्ड में पूर्ववर्ती 'टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड' और/या 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर बनी हुई है। कंपनी ने 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' के नाम पर स्वामित्व विलेख को बदलने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिन परिसंपत्तियों को अलग नहीं किया जा सकता है और मालपे यार्ड में पट्टे की भूमि पर निर्मित वैकल्पिक उपयोग ('गैर-हटाने योग्य संपत्ति') के लिए परिवहन नहीं किया जा सकता है, उन परिसंपत्तियों के पट्टे की अवधि और उपयोगी जीवन के निचले हिस्से में परिशोधन / मूल्यहास किया जाता है।

मालपे में भूमि के उपयोग का अधिकार मालपे की पट्टे की भूमि का उपयोग करने के लिए पत्तन अधिकारी कुंडापुरा को भुगतान की गई अग्रिम फीस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने परिवर्तन तिथि पर परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को परिवर्तन के समय परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में मानने का निर्णय लिया था।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्लांट और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	1,34,792.90	1,10,446.61
जोड़ें: निर्माण के दौरान व्यय	9,570.95	1,006.79
पूँजी याद मद	15,354.87	11,431.96
मार्गस्थ वस्तुएं	7.30	-
परियोजना प्रबंधन शुल्क और विविध पूँजी खर्च	523.71	1,249.30
कुल	1,60,249.73	1,24,134.66

निर्माण के दौरान व्यय

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक जमा	1,006.79	757.66
जोड़ें: वर्ष के दौरान व्यय		
वेतन	275.95	249.13
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत मूल्यह्रास	513.64	-
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत वित्त लागत	1,593.22	-
असाधारण मदें	6,181.35	-
अंतिम शेष	9,570.95	1,006.79

दिनांक 31.03.2023 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

	(₹ लाखों में)				
पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	41,592.43	17,749.39	42,957.11	57,950.80	1,60,249.73
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2022 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

	(₹ लाखों में)				
पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	22,282.25	43,813.12	32,739.19	25,300.10	1,24,134.66
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2023 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

	(₹ लाखों में)				
पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा	-	70,447.15	-	-	-
सूखी गोदी	84,852.92	-	-	-	-

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
सीकेएसआरयू कैसॉन गेट	694.78	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	354.17	-	-	-
सीएमएसआरयू कैसॉन गेट	1,359.38	-	-	-

दिनांक 31.03.2022 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा	-	56,136.01	-	-
सूखी गोदी	65,082.67	-	-	-
आईटी सुरक्षा और मॉनिटरिंग प्रणाली	167.67	-	-	-
डॉक मॉनिटरिंग प्रणाली	32.17	-	-	-
कैसॉन गेट	565.90	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

व्योरा	सकल वहन राशि			मूल्यहास		निवल वहन राशि		
	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67			27.67	27.67		27.67	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,002.61	897.78		2,900.39		394.93	1,947.19	450.35
	0.53	13.83		14.36	1,552.26		1.51	0.18
टाली सॉफ्टवेयर	2,030.81	911.61	-	2,942.42	0.35	1.16	1,976.37	450.53
					1,580.28	396.09	966.05	

व्योरा	सकल वहन राशि			मूल्यहास		निवल वहन राशि		
	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के लिए समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	27.67	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,565.16	437.45	-	2,002.61	1,443.22	109.04	1,552.26	121.94
टाली सॉफ्टवेयर	0.53			0.53	0.18	0.17	0.35	0.35
	1,593.36	437.45	-	2,030.81	1,471.07	109.21	1,580.28	122.29
							450.53	

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6 : विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

व्योरा	31मार्च 2023 को	31मार्च 2022 को
संयंत्र और मशीनरी, भवन और सिविल कार्य	1,602.37	2,303.95
कुल	1,602.37	2,303.95

दिनांक 31.03.2023 तक विकास परिपक्व अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर	39.07	28.46	136.15	1,398.69
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2022 तक विकास परिपक्व अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर	769.12	136.15	1,398.68	0.00
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2023 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर	1541.73	-	-	-
रिपोर्टिंग - सीएनएसआरयू	60.64	-	-	-

दिनांक 31.03.2022 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर	1625.24	-	-	-
आईटी सुरक्षा और मॉनिटरिंग प्रणाली	650.25	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश- गैर चालू

		(₹ लाखों में)			
व्योरा	प्रति इकाई अंकित मूल्य	31 मार्च, 2023 तक इकाइयों की संख्या	31 मार्च, 2022 तक इकाइयों की संख्या	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
इक्विटी उपकरणों में निवेश					
क) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर					
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता समिति में निवेश (प्रत्येक 100 रुपये के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर)	100	2,175	2,175	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 10 रुपये के 70000)	10	70,000	70,000	9.14	7.00
कोचीन वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लि. में निवेश (प्रत्येक 10 रुपये के 100000 इक्विटी शेयर)	10	1,00,000	1,00,000		
कुल				11.32	9.18
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य				11.32	9.18
उद्धृत निवेश का कुल मूल्य और उसका बाजार मूल्य				-	-
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य				11.32	9.18
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि				-	-

निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है। इसी प्रकार, केरल एनवायरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में वृद्धि देखी गई है और तदनुसार निवेश का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है।

कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड में कंपनी का निवेश गैर-भागीदारी शेयर है और आम तौर पर इसमें कोई मतदान अधिकार नहीं होता है। इसलिए, कंपनी ने इस निवेश को उचित मूल्य मानते हुए अपने लेनदेन मूल्य पर किया है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8: गैर चालू ऋण

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
(क) अन्य ऋण		
कर्मचारी को ऋण		
संबंधित पार्टियों को ऋण	0.00	0.00
अन्य कर्मचारियों	520.60	347.84
कुल	520.60	347.84

ऋण जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सुरक्षा जमा	100.90	77.79
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति		21.70
कुल	107.34	99.49

नोट 10: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

व्योरा	31मार्च 2023 को	31मार्च 2022 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	3,007.47	3,439.92
कर के लिए प्रावधान		
चालू कर परिसंपत्तियां / देयता		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	7,147.48	(2,566.09)

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

व्योरा	31मार्च 2023 को	31मार्च 2022 को
चालू कर :		
चालू आयकर प्रभार	11,597.42	20,431.12
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(1,289.25)	(743.88)
कुल (क)	10,308.17	19,687.24
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	1,064.62	510.81
कुल (ख)	1,064.62	510.81
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय(क + ख)	11,372.79	20,198.05

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 10: आयकर परिसंपत्तियाँ/देयता (निवल) (जारी..)

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिलाप किया जा सकता है:-

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	41,843.70	76,594.19
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	11,288.02	19,993.22
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	3,528.04	5,542.57
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(4,879.90)	(5,388.12)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	416.52	407.59
अन्य	1,244.74	(124.14)
	11,597.42	20,431.12
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(1,289.25)	(743.88)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	1,064.62	510.81
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	11,372.79	20,198.05

नोट 11: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर दायित्व	(3,099.13)	(3,174.38)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	13,548.64	14,688.51
कुल	10,449.51	11,514.13

2022-23 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

	(₹ लाखों में)			
व्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(7,601.16)	2,015.66		(5,585.50)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,188.56	(437.79)		2,750.77
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	(18.27)	50.94		32.67
आगे बढ़ाए हानि	(4,690.60)	(230.20)		(4,920.80)
अन्य	(2,392.66)	(333.99)		(2,726.65)
कुल	(11,514.13)	1,064.62	-	(10,449.51)

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 11: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) (जारी..)

2021-22 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

व्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(9,318.48)	1,717.32	-	(7,601.16)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,509.71	(321.15)	-	3,188.56
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	(17.86)	(0.41)	-	(18.27)
आगे बढ़ाए हानि	(4,492.42)	(198.18)	-	(4,690.60)
अन्य	(1,705.89)	(686.77)	-	(2,392.66)
कुल	(12,024.94)	510.81	-	(11,514.13)

नोट 12: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूँजी अग्रिम	15,971.40	17,291.05
पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	266.38	247.38
अग्रिम पट्टा किराया	36.43	37.09
सीमा शुल्क विभाग के साथ जमा	261.22	261.22
अनिश्चित साधन	649.03	627.07
कुल	17,184.46	18,463.81

सीमा शुल्क के संबंध में देयता को कवर करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष ₹ 261.22 लाख के सीमा शुल्क विभाग के पास जमा धनराशि अपील से संबंधित है, जो नोट नंबर 25 के तहत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय के रूप में भी दिखाया गया है- अन्य वित्तीय देयताएं- गैर वर्तमान

नोट 13 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कच्चे माल और घटक	33,839.75	28,298.10
कार्य प्रगति पर	496.05	352.31
मार्गस्थ माल	1,557.05	533.53
	35,892.85	29,183.94
भंडार व पूरें	1,296.27	619.37
मार्गस्थ माल	110.59	32.72
	1,406.86	652.09
कुल	37,299.71	29,836.03

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : मालसूचियाँ (जारी..)

चालू वर्ष के दौरान, भंडारों और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत विधि के आधार पर किया जाता है और पारगमन में माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जबकि भंडारों के लिए 'भारित औसत लागत विधि या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो' और पारगमन में माल के लिए 'कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य' जिसका पिछले वर्षों में पालन किया गया था।

मालसूची में शामिल की गई अनुरक्षण पुर्जे, सामान्य प्रकृति के पूर्यों का प्रतिनिधान करता है और एक विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

नोट 14 : प्राप्य व्यापार

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत		
वसूलीयोग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	33,841.50	43,702.07
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	11,030.93	10,439.67
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(11,030.93)	(10,439.67)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	-	-
कुल	33,841.50	43,702.07

व्यापार प्राप्तियाँ सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

व्यापार प्राप्य में अर्जित प्राप्य शामिल है लेकिन देय नहीं है (बिना बिल किए व्यापार प्राप्य) 2102.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4661.29 लाख रुपये)

दिनांक 31.03.2023 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

	(₹ लाखों में)						
विवरण	उपार्जित लेकिन देय नहीं (बिल रहित व्यापार प्राप्य)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	2102.59	13777.34	12567.14	3707.94	1686.49	0.00	33841.50
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	0.00	0.00	0.00	189.72	292.00	1360.33	1842.05
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	0.00	0.00	0.00	98.04	121.95	8968.89	9188.88
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,102.59	13,777.34	12,567.14	3,995.70	2,100.44	10,329.23	44,872.43
घटाव : दिनांक 31.03.2023 को ईसीएल प्रावधान							11,030.93
दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य							33,841.50

वित्तीय विवरण

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 14 : प्राप्य व्यापार (जारी..)

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	उपार्जित लेकिन देय नहीं (बिल रहित व्यापार प्राप्य)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	4,661.29	28,335.63	6,015.39	4,294.08	401.54	-	43,707.93
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।		-	-	226.00	70.28	1,117.23	1,413.51
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट		-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।		-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।		-	-	63.65	15.55	8,941.10	9,020.30
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट।		-	-	-	-	-	-
	4,661.29	28,335.63	6,015.39	4,583.73	487.37	10,058.33	54,141.74
घटाव : दिनांक 31.03.2022 को ईसीएल प्रावधान							10,439.67
दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य							43,702.07

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक शेष	10,439.67	10,215.58
जोड़िए: प्रावधान किया/ वर्ष के दौरान किए स्थानांतरण	613.97	2,984.36
घटाइए: एकत्र राशि/ प्रावधान का परिवर्तन	22.71	2,760.27
जमा शेष	11,030.93	10,439.67

नोट 15 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बैंक शेष		
चालू खाते में	1,78,007.79	12,397.71
आईपीओ आय से चालू खाते में	-	-
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	30,107.76	37,952.42
कुल	2,08,115.55	50,350.13

चालू खाते में शेष राशि में अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त ₹169785 लाख रुपये शामिल हैं।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
तीन महीने से कम समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि*	47,534.90	15,200.00
तीन महीने से अधिक समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि*	36,786.69	59,797.71
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा*	56,971.78	33,541.95
भारतीय नौसेना की ओर से चालू खाते में	72,602.94	91,155.67
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम	53,691.71	71,161.67
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	98.20	59.71
कुल	2,67,686.22	2,70,916.71

*ग्रहणाधिकार चिह्नित सावधि जमा उन जमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित किया जाता है और 11.84 लाख रुपये गश्ती नौकाओं के निर्माण के लिए कोटेशन जमा करने के लिए कार्यकारी अभियंता (एम) मैरीटाइम बोर्ड, गुजरात के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

** 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों में जमा राशि में केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में चिह्नित ₹ 101.92 लाख (पिछले वर्ष ₹ 97.45 लाख) ग्रहणाधिकार शामिल है। 3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा में आईसीआईसीआई बैंक के साथ 0.89 लाख रुपए की सावधि जमा शामिल है, जिसके लिए जमा रसीद उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह पूर्ववर्ती मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा रखी गई थी।

स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना द्वारा जमा की गई धनराशि एक अलग खाते में रखी जाती है।

नोट 17 : चालू ऋण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण	-	-
अन्य कर्मचारी	99.50	68.56
कुल	99.50	68.56

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 18 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ- चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	3,335.93	1,433.22
अन्य जमाओं पर अर्जित ब्याज	0.94	-
कर्मचारी अग्रिमों पर उपचित ब्याज		
संबंधित पार्टियां		
अन्य कर्मचारी	68.73	39.23
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	15.47	1.30
कुल	3,421.07	1,473.75

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूँजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.39	0.36
अन्य अग्रिम	63,822.35	39,366.72
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	1,030.17	1,030.17
	64,852.91	40,397.25
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1,030.17	1,030.17
	63,822.74	39,367.08
अन्य		
आईएसी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियाँ	30,065.10	-
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियाँ	21,881.25	35,028.44
अप्रयुक्त स्टॉक	352.37	288.60
घटाएँ: अप्रचलन के लिए प्रावधान	(352.37)	(288.60)
बिक्री कर विभाग और सीबीईसी से शेष	709.69	571.51
विविध जमाराशियाँ	62.04	85.12
पूर्वदत्त व्यय	1,089.09	651.12
अन्य प्राप्य	31.95	54.32
जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट	34,783.32	1,09,553.19
चिकित्सा बीमा प्रीमियम	1,876.91	1,778.70
विविध चालू परिसंपत्तियाँ	1,729.84	644.53
कुल	1,56,051.92	1,87,734.01

नोट 20 : बिक्री के लिए धारित संपत्ति

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बिक्री के लिए धारित संपत्ति	-	13.59
कुल	-	13.59

क्यू 4 2021-22 के दौरान प्रबंधन द्वारा किए गए यूसीएसएल की संपत्ति के भौतिक सत्यापन पर, यह पाया गया कि कंपनी की कुल 468.10 लाख रुपये की विभिन्न संपत्तियाँ जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थीं या यार्ड के संचालन के बंद होने के कारण और समय के बीतने के कारण अप्रचलित हो गई हैं। चूंकि ये परिसंपत्तियाँ आर्थिक मरम्मत से परे हैं और काफी जगह घेर रही हैं, इसलिए इन परिसंपत्तियों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सुचारू व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध यार्ड स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। निपटान के अधीन संपत्तियों के इन वर्गों को बिक्री के लिए धारित संपत्तियों के रूप में पुनर्समूहित किया गया है और निपटान की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर बहियों में रखा गया है। परिसंपत्तियों के डब्लुडीवी और एनआरवी के बीच का अंतर असाधारण वस्तुओं के रूप में पी एंड एल पर लगाया गया है। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, बिक्री के लिए रखी गई इन संपत्तियों का निपटान 9.36 लाख रुपये के बिक्री विचार के लिए किया गया है और संपत्ति की बिक्री पर 4.23 लाख रुपये की हानि लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : इक्विटी शेयर पूंजी

व्योरा	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹10/- प्रति इक्विटी शेयर	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
कुल	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

21.1 बकाया राशि और शेयरों की संख्या का समन्वय

व्योरा	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
जोड़ : वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0.00	0	0.00
घटाव : वर्ष के दौरान वापस लिए शेयर	0	0.00	0	0.00
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

21.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

व्योरा	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	95843464	72.86

21.3 वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	शून्य

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22 : अन्य इक्विटी

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूंजी आरक्षण	7,024.25	7,024.25
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,151.96	93,152.08
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	1,668.44	1,668.44
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेडज रिजर्व	(3,578.40)	0.97
प्रतिधारित कमाई	3,12,667.84	3,05,641.89
कुल	4,29,610.60	4,26,164.14

अन्य इक्विटी में प्रत्येक आइटम का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी संचय में कंपनी की जमीन से पाइप लाइन बिछाने के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त 263.56 लाख रुपए की मरम्मत शुल्क शामिल है। इसमें सहायक कंपनियों के अधिग्रहण पर लाभ भी शामिल है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व: 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹ 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम: सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने 2017-18 प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया है और प्रीमियम (₹ 93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹ 10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

ऋण मोचन आरक्षण: कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 (7) के साथ पद्धित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के अनुसार और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) के अनुसार, ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी बांडों की 25% मूल्य पर ऋण मोचन आरक्षण कंपनी द्वारा बना रही है। कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी उनके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋण मोचन आरक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दिनांक 30.09.2019 तक बनाए गए ऋण मोचन आरक्षण, जो 1668.44 लाख रुपए के हैं, बांड की मोचन की समय तक बहियों में बनाया रखा जाएगा।

सामान्य आरक्षित: सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य रिज़र्व में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

नकदी प्रवाह हेडज रिजर्व: नकदी प्रवाह हेडज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेडिजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 48 देखें।)

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22 : अन्य इक्विटी (जारी..)

अंतरिम लाभांश: वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 7 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के और 10/- रुपए के अंकित मूल्य के 7/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 10 नवंबर 2022 और 10 फरवरी 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में मई 19, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹ 10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 3.00/- का लाभांश सिफारिश की है। यह वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन/ नियमन के अधीन है।

नोट 23 : उधार

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बांड- (सुरक्षित)		
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	2,302.20	12,581.98
कुल	2,302.20	12,581.98

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ख) वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़ से 197.12 एकड़ (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड़, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड़ एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पड़े हैं।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरिडिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

नोट 24: पट्टा देयताएं- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	40,446.48	39,363.70
कुल	40,446.48	39,363.70

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 25: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के देय	261.22	261.22
कुल	261.22	261.22

सीमा शुल्क ड्यूटी के संबंध में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को ₹ 261.22 लाख की देयता है जो वापसी अपील के आयुक्त (अपील) के समक्ष है जिसे नोट सं 12 के अधीन सीमा शुल्क विभाग की जमा राशि के रूप में भी दिखाया गया है।

नोट 26: प्रावधान- गैर चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 39 का संदर्भ लें)	3,927.93	3,568.12
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	36.65	-
कुल	3,964.58	3,568.12

नोट 27: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	248.98	9.16
कुल	248.98	9.16

नोट 28: उधार

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सुरक्षित		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	10,279.78	-
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	705.00	-
कुल	10,984.78	0.00

नोट 23 का संदर्भ लेते हुए: किश्त 1: ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के 1000 बांड, कुल ₹10000 लाख, वार्षिक देय 8.51% की ब्याज दर के साथ, सममूल्य पर प्रतिदेय, 02 दिसंबर 2023 को प्रतिदान के लिए देय।

कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 9.4%/ वर्ष की ब्याज दर पर नकदी उधार सुविधा (3500 लाख रुपये की मंजूरी सीमा) का लाभ उठाया है। नकदी उधार कंपनी की मालसूची और प्राप्य सहित वर्तमान परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित की जाती है। चुकोती की शर्तें: चालू खाता वार्षिक समीक्षा/नवीकरण के अधीन मांग पर चुकाया जाएगा।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 29: पट्टा देयताएं

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	4,999.40	3,432.87
कुल	4,999.40	3,432.87

नोट 30 : व्यापार देय

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	5,716.84	1,074.47
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	15,931.10	15,790.49
कुल	21,647.94	16,864.96

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	5,716.84	1,074.47
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30 : व्यापार देय (जारी..)

दिनांक 31.03.2023 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई					
बकाया नहीं	5716.84	0.00	0.00	0.00	5716.84
बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बकाया नहीं	11725.20	0.54	0.00	0.00	11725.74
बकाया	4184.22	7.34	0.00	13.80	4205.36
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	21,626.26	7.88	-	13.80	21,647.94

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई					
बकाया नहीं	1,074.47				1,074.47
बकाया					
(ii) अन्य					
बकाया नहीं	12,907.18				12,907.18
बकाया	2,778.84	26.50	50.44	27.53	2,883.31
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई					
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य					
कुल	16,760.49	26.50	50.44	27.53	16,864.96

नोट 31 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वरीयता शेयरों पर लाभांश	96.01	
अवैतनिक लाभांश	93.22	59.71
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	4,797.38	-
अन्य		
सुरक्षा और अन्य जमा	2,147.84	8,144.28
अन्य देय	12,210.01	10,470.42
कुल	19,344.46	18,674.41

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 32 : अन्य चालू देयताएं

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
देशी विमान वाहक कार्यों (निवल) के लिए अनुबंध दायित्व	0.00	48,950.10
आईएसी व्यापार देय	17,573.11	20,748.20
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता	3,87,207.41	1,77,104.52
पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य अनुबंध के लिए अग्रिम	8,312.12	4,405.16
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	29.08	27.76
सांविधिक देय	1,984.04	4,892.54
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
कुल	4,15,106.90	2,56,129.42

आईएसी ट्रेड देय में एमएसएमई विक्रेताओं को देय 1,774.84 लाख रुपये शामिल हैं जो 31 मार्च 2023 तक देय नहीं हैं।

कंपनी ने भारतीय नौसेना से प्राप्त धनराशि से बुनियादी ढांचे की सुविधा बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2023 तक 37,377.15 लाख रुपये (31 मार्च 2022 तक 34,808.21 लाख रुपये) खर्च किए हैं। उक्त निधि से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व भारतीय नौसेना के पास है।

आईएसी अनुबंध के 'संविदा लागत' भाग के तहत खरीदे गए कच्चे माल और खरीदे गए घटकों की राशि ₹ 6966.24 लाख (पिछले वर्ष ₹ 8977.28 लाख) जो कि भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के पास रखी गई थी, जो स्वदेशी विमान वाहक के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त अग्रिम के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने आईएसी पी-71 के निर्माण के अनुबंध के अनुसार स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी पी-71) को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कंपनी ने अनुबंध की डिलीवरी उपलब्धि हासिल करने पर 1915000 लाख रुपये का चालान जारी किया है। निर्माण अनुबंध के अनुसार काम का शेष दायरा 2 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। सीएसएल ने आईएसी परियोजना पी-71 के खिलाफ 31.03.2023 तक 1740844.14 लाख रुपये की सीमा तक राजस्व को मान्यता दी है और शेष राजस्व को इस प्रकार पहचाना जाएगा। जब आईएसी पी-71 के निर्माण अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन दायित्व प्राप्त हो जाते हैं। परियोजना पर अब तक प्राप्त राजस्व का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	₹ लाखों में
31.03.2022 तक मान्यता प्राप्त राजस्व	1598425.48
वर्ष 2022-23 के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	142418.66
31.03.2023 को आईएसी पी-71 पर मान्यता प्राप्त कुल राजस्व	1740844.14

नोट 33 : चालू प्रावधान

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	716.61	546.85
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 39)	275.69	419.76
अन्य	-	-
	992.30	966.61

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 33 : चालू प्रावधान (जारी..)

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों के लिए	2,668.99	2,665.50
पोत निर्माण घटाने के लिए	5,465.00	7,573.00
व्यय/ आकस्मिकों के लिए	30,893.75	37,397.31
	39,027.74	47,635.81
कुल	40,020.04	48,602.42

33.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2022 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान- उपदान	546.85	449.55	279.79	-	716.61
क्षतिपूरण अवधि	419.76	0.19	-	144.26	275.69
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,665.50	3.49	-	-	2,668.99
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	7,573.00	-	-	2,108.00	5,465.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	37,397.31	39,614.33	43,937.16	2,180.73	30,893.75

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2021 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान- उपदान	272.09	396.15		121.39	546.85
क्षतिपूरण अवधि	515.45	435.21		530.90	419.76
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,662.17	3.33			2,665.50
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	11,658.00			4,085.00	7,573.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	38,218.57	37,300.94	34,375.35	3,746.85	37,397.31

नोट 34 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	1,42,418.66	1,79,266.04
देशी वायुयान वाहक को छोड़कर अन्य यानें	34,373.45	67,674.19
इंजीनियरिंग कार्य	0.00	
	1,76,792.11	2,46,940.23

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 34 : प्रचालन से आय (जारी..)

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	54,512.00	65,794.50
इंजीनियरिंग कार्य	-	-
सेवाओं से आय	576.35	-
	54,331.00	65,794.50
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक वस्तुओं की बिक्री	63.23	-
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	1,424.67	3,486.17
रद्दी माल की बिक्री	1,549.62	1,373.80
प्रबंधन शुल्क	1,537.50	1,500.00
	4,575.02	6,359.97
कुल	2,36,455.48	3,19,094.70

- राजस्व तब पहचाना जाता है जब कंपनी आज तक पूर्ण किए गए प्रत्यक्ष निष्पादन के माप के आधार पर आउटपुट पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को समय-समय पर स्थानांतरित करके निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है। आउटपुट पद्धति ईमानदारी से निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी के निष्पादन को दर्शाती है और कंपनी के प्रयासों की स्पष्ट तस्वीर देती है और इसलिए आज तक पूरे किए गए निष्पादन को दर्शाने के लिए इसे अपनाया जा रहा है।
- भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 46 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।
- प्रचालन से राजस्व में से, 6905.65 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 9503.19 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।
- कंपनी ने दिनांक 13 मई 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाउन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ़ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना के लिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।
- 2 संख्या 1200 यात्री जलयानों के निर्माण के लिए अंडमान और निकोबार ('ए एंड एन') प्रशासन के साथ पोत निर्माण अनुबंध के संबंध में, एसएच 0023 के लिए संविदात्मक सुपुर्दगी तिथियां (विस्तारित) पहले ही समाप्त हो चुकी हैं और अन्य जलयान एसएच 0024 भी समाप्त के करीब है। कंपनी ने एसएच 0023 और एसएच 0024 के संबंध में क्रमशः 29 अप्रैल 2023 और 30 अक्टूबर 2023 तक की देरी के लिए एलडी प्रदान किया है। अन्य संभावित खरीदारों के लिए जलयानों के पुनः आवंटन के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अनुरोध पर, मामूली प्रगति के साथ पोतों की सुपुर्दगी रोक दी गई है। चूंकि कंपनी का अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के साथ एक वैध अनुबंध है, इसलिए कंपनी ने ऊपर उल्लिखित तारीखों के बाद वित्तीय स्थिति में किसी भी अन्य नुकसान की पहचान नहीं की है।
- भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पोत निर्माण वित्तीय सहायता ('एसबीएफए') जलयानों के निर्माण में कंपनी द्वारा की गई लागत की भरपाई के लिए है और यह पहले से हुए नुकसान के लिए नहीं है। 2016 से पहले, एसबीएफए को जलयान के निर्माण की लागत पर सब्सिडी/मुआवजा देने के इरादे से 'पोत निर्माण अनुदान' नाम दिया गया था। इसके बाद सरकार की मंशा, तौर-तरीकों, सिद्धांतों और नीति की प्रक्रिया में कोई बदलाव किए बिना इस शब्द को 'पोत निर्माण वित्तीय सहायता' नाम दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एसबीएफए को पिछले वर्षों में अपनाई गई 'प्रत्यक्ष निष्पादन के आधार पर मान्यता' के मुकाबले खर्च/लागत के अनुपात में एक निश्चित अवधि में मान्यता दी जाती है। उसी का प्रभाव 85.21 लाख रुपये लाभ व हानि खाते से वसूला जाता है।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में अपना संचालन शुरू करने हेतु अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो वर्तमान में अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रबंधन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है। दिनांक 28 नवंबर 2019 को हस्ताक्षरित इस समझौते के दायरे में, सीएसएल प्रशासन को अंडमान व निकोबार द्वीपों पर एक पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा। सीएसएल सुविधा में विस्तार और आधुनिकीकरण में भी सहयोग करेगा और द्वीपों में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : अन्य आय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	327.76	342.84
रद्दी माल और भंडार से आय	1,345.61	743.38
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	6.11	-
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	17.58	24.11
किराए से आय	298.30	325.23
प्राप्त बाडे	1.39	1.72
बैंक जमाओं पर ब्याज	11,601.55	5,755.80
अन्यों से ब्याज	764.28	1,466.51
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	(0.00)	-
सोसायटी से लाभांश आय	0.54	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	-	173.62
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ	-	178.41
प्रावधान जो आवश्यक नहीं है	5,656.09	8,469.70
बैंक गारंटी नकदीकरण से प्राप्त राशि - निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा जब्त कर ली गई *	-	6,100.00
सुरक्षा जमा पर छूट की समाप्ति	-	-
चार्टर किराये से आय	-	75.90
विविध आय*	682.04	2,624.38
कुल	20,701.25	26,281.60

* विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही भारतीय लेखा मानक 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

** वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम करने में ठेकेदार की अक्षमता के कारण कोच्ची में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने में टर्नकी कार्य के लिए अनुबंध रद्द कर दिया। नतीजतन, कंपनी ने प्रदर्शन गारंटी और प्रतिभूति जमा के लिए प्राप्त बैंक गारंटी को नकदीकरण किया और संपर्क की शर्तों के अनुसार आय को जब्त कर लिया, और इसे आय के रूप में माना है।

ग्रुप उन जमाओं पर फॉर्म 26 एएस में अपलोड की गई व्याज राशि का हिसाब नहीं दे रहा है, जिन्हें एनसीएलटी के आदेश से पहले चिट्ठिनत होने के कारण यूसीएसएल की पुस्तकों में सावधि जमा के रूप में नहीं लिया गया है।

मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ वीओसी पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दायर अपील को खारिज करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, कंपनी को 181.82 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है और इसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 'प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं / देनदारियां वापस लिखी गई' जैसे अन्य आय के रूप में शामिल किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	4,055.72	2,058.46
पाइप	1,178.60	831.45
पेन्ट	2,011.92	1,775.94
खरीदे गए घटक	1,04,942.62	1,57,226.14
कुल	1,12,188.86	1,61,891.99

नोट 37 : कार्य की सूची में परिवर्तन प्रगति पर

(उनके अलावा जिन्हें प्रतिशत / आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त है)

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य प्रगति पर :		
वर्ष की शुरुआत में	(352.31)	-
घटाएं: वर्ष के अंत में	(496.05)	(352.31)
कुल	(143.74)	(352.31)

नोट 38 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	31,122.39	33,046.22
हल बीमा	335.99	620.67
डिज़ाइन व्यय	6,653.57	2,303.75
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	5,377.93	5,110.33
कुल	43,489.88	41,080.97

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	28,009.19	26,985.29
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	2,664.87	1,833.79
उपदान	328.65	358.49

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

		(₹ लाखों में)
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी कल्याण खर्च	2,698.79	2,178.74
	33,701.50	31,356.31
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय	(275.95)	(249.13)
कुल	33,425.55	31,107.18

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 43.62लाख (पिछले साल ₹ 20.46लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 17.96लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 47.67लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोड़कर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

रोज़गार पश्चात् दायित्व

भविष्य निधि

प्राप्त कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक कानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोश में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2022-23 के लिए 2028.84 लाख रुपए (वर्ष 2021-22 के लिए 1353.43 लाख रुपए) है। प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करे और अधिसूचित ब्याज दर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के भारतीय लेखा मानक के 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निधि दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है:

		(₹ लाखों में)
विवरण	2022-23	2021-22
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	19430.22	18689.22
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	19995.86	18558.63
निवल देयता/ (निवल परिसंपत्ति)	565.64	(130.59)
अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	7.23%	7.37%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारी व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	3.00%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	अधिकारी व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	0.70%
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	9.03	8.56

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	227.99	214.03
निवल ब्याज मूल्य	267.00	229.1
वर्ष के दौरान मान्य बीमाकिक लाभ / (हानि)	428.75	630.20
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	923.74	1073.33

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	4198.71	3970.62
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	4,198.71	3,970.62

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	275.36	419.62
पीवीओ के गैर चालू घटक	3923.34	3551.00
कुल पीवीओ	4198.71	3970.62

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	3970.62	3676.83
वर्तमान और पिछले निर्धारित की सेवा मूल्य	227.99	214.03
चालू ब्याज मूल्य	267.00	229.10
बीमांकिक (लाभ)/हानि	428.75	630.20
प्रदत्त लाभ	(695.65)	(779.54)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	4,198.71	3,970.62

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	695.65	779.54
प्रदत्त लाभ	(695.65)	(779.54)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

		(₹ लाखों में)
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष1	80.98	125.67
वर्ष2	191.37	273.81
वर्ष3	183.51	104.67
वर्ष4	153.66	159.02
वर्ष5	141.97	139.61
अगले 5 वर्ष	585.85	551.92

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

	(₹ लाखों में)	
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष1	80.98	125.67
वर्ष2	191.37	273.81
वर्ष3	183.51	104.67
वर्ष4	153.66	159.02
वर्ष5	141.97	139.61
अगले 5वर्ष	585.85	551.92

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50बीपी	7.73%	7.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,546.50	3,347.70
वर्तमान सेवा लागत	152.61	141.10
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.73%	6.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,850.97	3,618.91
वर्तमान सेवा लागत	167.55	154.28
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,856.87	3,624.36
वर्तमान सेवा लागत	167.84	154.54
घ. वेतन वृद्धि दर -50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,539.98	3,341.72
वर्तमान सेवा लागत	152.29	140.81

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50बीपी	7.73%	7.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,546.50	3,347.70
वर्तमान सेवा लागत	152.61	141.10
ख. छूट दर - 50बीपी	6.73%	6.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,850.97	3,618.91
वर्तमान सेवा लागत	167.55	154.28
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,856.87	3,624.36
वर्तमान सेवा लागत	167.84	154.54

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
घ. वेतन वृद्धि दर -50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,539.98	3,341.72
वर्तमान सेवा लागत	152.29	140.81

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार हैं: (मुख्य कार्यालय):	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छुट दर (प्रतिवर्ष)	7.23%	7.37%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारी वपर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	3.00%
संघर्षण दर	अधिकारी वपर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%	0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	7.23%	7.37%
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	10.83	9.71

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
ब्योरा		(₹ लाखों में)
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	265.13	251.58
पिछली सेवा लागत		
निवल ब्याज खर्च	290.20	(6.88)
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	555.33	244.69
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	202.52	246.93
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(751.54)	(113.10)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(549.02)	133.83

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	4,319.66	4,313.35
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,818.15	4,033.56
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	501.50	279.79

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,313.35	4,664.16
चालू सेवा मूल्य	265.13	251.58
चालू ब्याज मूल्य	290.20	285.54
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	202.52	246.93
प्रदत्त लाभ	(751.54)	(1,134.86)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	4,319.66	4,313.35

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

		(₹ लाखों में)
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,033.56	4,762.90
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	279.89	292.42
बीमांकित लाभ / (हानि)	(23.55)	113.10
नियोक्ता से अंशदान	279.79	-
प्रदत्त लाभ	(751.54)	(1,134.86)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,818.14	4,033.55

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

		(₹ लाखों में)
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं

वित्तीय विवरण

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

		(₹ लाखों में)
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

'एनए' 'लागू नहीं' को दर्शाता है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

		(₹ लाखों में)
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	160.58	349.40
वर्ष 2	571.47	865.52
वर्ष 3	437.68	291.48
वर्ष 4	400.09	400.43
वर्ष 5	322.41	386.67
अगले 5 वर्ष	1,167.06	1,172.15

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.73%	7.87%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,111.97	4,127.61
वर्तमान सेवा लागत	276.46	247.97
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.73%	6.87%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,544.50	4,514.29
वर्तमान सेवा लागत	316.81	283.98
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,519.69	4,494.68
वर्तमान सेवा लागत	308.18	279.16
घ. वेतन वृद्धि दर -50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,127.12	4,141.13
वर्तमान सेवा लागत	280.70	250.01

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	31.68%	30.42%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	27.62%	31.51%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	23.62%	24.32%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.33%	0.31%
अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	16.75%	13.44%
कुल	100.00%	100.00%

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	7.30%	6.30%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	7.30%	5.40%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
ब्योरा		(₹ लाखों में)
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	24.28	35.68
पिछली सेवा लागत	0.00	0
निवल ब्याज खर्च	16.58	15.19
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	40.86	50.87
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(93.24)	(55.96)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि		-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	(93.24)	(55.96)

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	214.62	267.00
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	214.62	267.00

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	267.00	272.09
चालू सेवा मूल्य	24.28	35.68
चालू ब्याज मूल्य	16.58	15.19
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(93.24)	(55.96)
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	214.62	267.00

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)		
व्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)		
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	25.46	5.97
वर्ष 2	32.56	3.88
वर्ष 3	22.42	-
वर्ष 4	27.83	2.91
वर्ष 5	18.96	1.56
अगले 5 वर्ष	68.53	4.49

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)		
व्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	70.02	15.36
वर्ष 2	23.72	1.09
वर्ष 3	25.62	2.69
वर्ष 4	18.79	0.00
वर्ष 5	26.51	3.20
अगले 5 वर्ष	75.25	4.71

दिनांक 31.03.2023 को संवेदनशीलता विश्लेषण

व्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	8.30%	8.30%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	187.92	18.27
परिवर्तन	(4.02%)	(2.94%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.30%	6.30%

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

व्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	204.35	19.42
परिवर्तन	4.37%	3.17%
ग. वेतन वृद्धि दर +100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	203.65	19.35
परिवर्तन	4.01%	2.78%
घ. वेतन वृद्धि दर-100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	188.44	18.33
परिवर्तन	(3.75%)	(2.62%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

दिनांक 31.03.2022 को संवेदनशीलता विश्लेषण

व्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर +100 बीपी	7.30%	6.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	23.13	26.43
परिवर्तन	(3.60%)	(2.38%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.30%	4.40%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	24.93	27.76
परिवर्तन	3.92%	2.56%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	24.84	27.63
परिवर्तन	3.51%	2.10%
घ. वेतन वृद्धि दर-100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	23.20	26.53
परिवर्तन	(3.27%)	(1.98%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सहायक कंपनी की कर्मचारी लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना-क्षतिपूर्ति अभाव

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है:

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.30%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%
निकासी दर	1.00%

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि में पहचान की गई राशि:-

	(₹ लाखों में)
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:	
चालू सेवा मूल्य	3.67
पिछली सेवा लागत	1.03
निवल ब्याज खर्च	-
अवधि के दौरान पहचानी गई वास्तविक (लाभ)/हानि	-
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	4.70

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:

	(₹ लाखों में)
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	4.70
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	4.70

कर्मचारी लाभ का प्रकार

	(₹ लाखों में)
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
पीवीओ का वर्तमान घटक	0.11
पीवीओ का गैर वर्तमान घटक	4.59
कुल पीवीओ	4.70

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

	(₹ लाखों में)
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
चालू सेवा मूल्य	3.67
पिछली सेवा लागत	1.03
चालू ब्याज मूल्य	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	-
प्रदत्त लाभ	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	4.70

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-
बीमांकित लाभ / (हानि)	-
नियोक्ता से अंशदान	-
प्रदत्त लाभ	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं
6 वर्ष और उससे ऊपर	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	-
वर्ष 2	1.69
वर्ष 3	-
वर्ष 4	0.77
वर्ष 5	-
6 वर्ष और उससे ऊपर	2.24

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर +100 बीपी	8.30%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4.31
वर्तमान सेवा लागत	(8.25%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.30%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5.16
वर्तमान सेवा लागत	9.92%
ग. वेतन वृद्धि दर +100 बीपी	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5.16
वर्तमान सेवा लागत	9.74%
घ. वेतन वृद्धि दर -100 बीपी	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4.32
वर्तमान सेवा लागत	(8.19%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है :

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.30%	6.20%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानिय अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		(₹ लाखों में)
चालू सेवा मूल्य	11.85	8.06
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल व्याज खर्च	0.50	-
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	12.35	8.06

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.62)	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	-	-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(0.62)	-

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	19.79	8.06
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	19.79	8.06

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्वका उचित मूल्य	8.06	-
चालू सेवा मूल्य	11.85	8.06
चालू ब्याज मूल्य	0.50	-
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(0.62)	-
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	19.79	8.06

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकित लाभ / (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	-	-

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	(₹ लाखों में) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
ब्योरा		
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	(₹ लाखों में) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष		
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
6 वर्ष और उससे ऊपर	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	(₹ लाखों में) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष		
वर्ष 1	0.30	-
वर्ष 2	2.82	-
वर्ष 3	13.57	-
वर्ष 4	1.49	1.11
वर्ष 5	-	6.95
6 वर्ष और उससे ऊपर	1.61	-

संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 100बीपी	8.30%	7.20%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	19.70	7.73
वर्तमान सेवा लागत	(3.60%)	(4.09%)
ख. छूट दर - 100बीपी	6.30%	5.20%

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	20.58	8.40
वर्तमान सेवा लागत	4.05%	4.30%
ग. वेतन वृद्धि दर +100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	20.51	8.37
वर्तमान सेवा लागत	3.68%	3.89%
घ. वेतन वृद्धि दर -100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	19.13	7.75
वर्तमान सेवा लागत	(3.31%)	(3.78%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सहायक कंपनी की कर्मचारी लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजनाएं/दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति लाभ का विवरण:

कंपनी ने अपने कर्मचारियों की उपदान के लिए कोई निधिबद्ध योजना नहीं लिया है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से योग्य बीमाकियों की सलाह के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि में कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को आगे बढ़ाने के रूप में मान्यता प्राप्त है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में शुद्ध परिभाषित लाभ लागत को मान्यता दी गई है।

जोखिम

निर्धारित लाभ योजनाएं कंपनी को ब्याज दर जोखिम, वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम और जनसांख्यिकीय जोखिम के लिए उजागर करती हैं।

ब्याज दर जोखिम: निर्धारित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित बाजार प्राप्ति के आधार पर छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। प्राप्ति में कमी से निधि की देनदारी बढ़ेगी और इसके विपरीत।

वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम: निर्धारित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के तहत प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। वेतन में वृद्धि से देनदारी बढ़ सकती है।

जनसांख्यिकीय जोखिम: यह मृत्यु दर, निकासी, विकलांगता और सेवानिवृत्ति सहित घटते क्रम की प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन कमियों का प्रभाव सीधे आगे नहीं है और वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि निकासी को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे कैरियर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आमतौर पर लंबी सेवा वाले कर्मचारी की तुलना में प्रतिवर्ष कम होती है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
I नियोक्ता व्यय का घटक				
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त:				
1 चालू सेवा लागत	4.75	2.06	3.56	5.70
2 पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
3 निवल ब्याज लागत	0.26	0.42	-	-
4 बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	0.72	-	-
5 लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	5.01	3.20	3.56	5.70
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनः माप				
6 योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	-	-	-	-
7 मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
8 अनुभव समायोजन का प्रभाव	0.08	-	-	-
9 अन्य व्यापक आय में शामिल कुल पुनः माप	0.08	-	-	-
10 लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण (5+9)में मान्यता प्राप्त कुल परिभाषित लाभ लागत	5.09	3.20	3.56	5.70

वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत और उपदान व्यय से संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत को नोट 39 के तहत 'भविष्य और अन्य निधियों में योगदान' और 'कर्मचारी वेतन और भत्ते' में अवकाश नकदीकरण में मान्यता दी गई है। शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की पुनर्माप अन्य व्यापक आय में शामिल है।

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
II तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/(देयता)				
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	8.65	8.90	3.56	5.70
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता:				
- गैर-चालू	8.58	8.68	3.53	5.56
- चालू	0.07	0.22	0.03	0.14
III. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)				
1 वर्ष की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	3.56	5.70	-	-
2 चालू सेवा लागत	4.75	2.06	3.56	5.70
3 पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
4 निवल ब्याज लागत	0.26	0.42	-	-
5 बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	0.72	-	-
6 पुनर्माप लाभ / (हानि):				
क जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
ख वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
ग परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)	-	-	-	-

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
घ अनुभव समायोजन का प्रभाव	0.08	-	-	-
7 कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-	-	-
8 निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-	-	-
9 अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-	-	-
10 स्थानांतरण का प्रभाव अंदर/(बाहर)	-	-	-	-
11 भुगतान किया गया लाभ	-	-	-	-
12 वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता)	8.65	8.90	3.56	5.70
IV. अगले वर्ष के लिए नियोक्ताओं के अपेक्षित योगदान का सर्वश्रेष्ठ अनुमान				
उपदान			लागू नहीं	3.56
V. संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
1 वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्ति	-	-	-	-
2 अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
3 योजना संपत्ति पर ब्याज आय	-	-	-	-
4 नियोक्ता योगदान	-	-	-	-
5 छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-	-	-	-
6 भुगतान किया गया लाभ	-	-	-	-
7 वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
VI. बीमांकिक अनुमान				
1 प्रति वर्ष छूट दर	7.30%	7.30%	7.30%	7.30%
2 वेतन में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
3 मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
4 निकासी	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%
VII. संवेदनशीलता विश्लेषण				

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तन के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये संवेदनशीलता अलग-अलग सूचीबद्ध मान्यताओं में से प्रत्येक में परिवर्तन के काल्पनिक प्रभाव को दर्शाती है। जबकि इनमें से प्रत्येक संवेदनशीलता अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखती है, व्यवहार में ऐसी धारणाएं अलगाव में शायद ही कभी बदलती हैं और परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन कुछ हद तक प्रभाव को पूरा कर सकते हैं। संवेदनशीलता को प्रस्तुत करने के लिए, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि ऊपर प्रस्तुत परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू होने के समान है। पिछले वर्ष से संवेदनशीलता विश्लेषण की तैयारी में उपयोग की जाने वाली विधियों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आया है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
क छूट दर	7.30%	7.30%	7.30%	7.30%
छूट दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(1.07)	(1.13)	(0.46)	(0.71)
प्रतिशत प्रभाव	(12.40%)	(12.60%)	(13.00%)	(12.40%)
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर	1.29	1.35	0.55	0.84
प्रतिशत प्रभाव	14.90%	15.10%	15.60%	14.80%
ख वेतन वृद्धि दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
वेतन वृद्धि दर में 1% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	1.33	1.39	0.57	0.87
प्रतिशत प्रभाव	15.40%	15.70%	16.10%	15.30%
वेतन वृद्धि दर में 1% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(1.12)	(1.18)	(0.49)	(0.74)
प्रतिशत प्रभाव	(13.00%)	(13.20%)	(13.70%)	(13.00%)
लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण				
वर्ष 1	0.07	0.23	0.03	0.14
वर्ष 2	0.27	0.30	0.00	0.19
वर्ष 3	2.55	0.38	0.00	0.24
वर्ष 4	3.69	0.47	0.00	0.29
वर्ष 5	0.66	0.57	0.00	0.35
अगले 5 वर्ष	16.53	16.07	0.01	2.81

परिभाषित योगदान योजनाओं की राशि को नोट 39 में 'भविष्य और अन्य निधियों में योगदान' के तहत मान्यता दी गई है: ₹ 27.02 लाख (2021 - ₹ 3.59 लाख)।

नोट 40 : वित्तीय मूल्य

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर व्याज खर्च	3,975.85	3,659.93
कर मुक्त बांड पर व्याज	1,051.44	1,051.44
नकद ऋण पर व्याज	28.40	-
अन्य व्याज	40.12	0.00
	5,095.81	4,711.37
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय	(1,593.22)	-
कुल	3,502.59	4,711.37

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 41 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	5,408.51	5,047.48
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1,630.32	1,645.24
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	396.09	109.23
कुल	7,434.92	6,801.95
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय	(550.71)	
कुल	6,884.21	6,801.95

नोट 42 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
पूजो व भंडार का उपभोग	2,632.01	2,057.19
अनिश्चित औजारों के मूल्य में कमी	133.33	164.48
दर और कर	126.70	277.43
बिजली	2,741.04	2,667.42
ईंधन	138.96	2,024.63
जल	390.91	306.34
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सडकें	1,460.08	618.42
प्लान्ट और मशीनरी	271.59	227.99
डॉक		8.23
अन्य	1,668.61	1,303.74
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	616.82	287.35
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	105.37	89.08
यात्रा तथा सवारी खर्च	1,171.73	735.91
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	94.00	77.02
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	54.11	55.30
विज्ञापन और प्रचार	424.34	315.60
पट्टे किराया	10.60	11.87
भाडे	588.95	591.89
बीमा	652.55	703.02
सुरक्षा व्यय	2,579.08	2,246.37
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	37.55	34.34
सांविधिक अनुपालनों के लिए शुल्क	1.32	1.02
प्रशिक्षण खर्चा	750.98	657.33

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 42 : अन्य व्यय (जारी..)

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
विधि खर्चा	84.45	29.22
परामर्श	66.50	46.76
बैंक प्रभार	826.70	604.71
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध घाटा	109.01	-
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 52 का संदर्भ ले)	1,654.96	1,619.47
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	4.92	1.02
जुर्माना भुगतान	38.89	-
पट्टा संशोधन पर हानि	32.08	-
भंडार बट्टे खाते में डाल दी गई	12.34	185.81
अनुसंधान एवं विकास और नई पहल*	864.16	-
विविध खर्च	803.18	700.70
कुल	21,147.82	18,649.66

पट्टा समझौते के विस्तार के अनुसार, खातों की पुस्तकों में आरओयू और पट्टा देनदारियां दिनांक 23.12.2022 (पट्टा संशोधन की तिथि) पर थीं उसे पुनर्माप किया गया और पट्टा संशोधन पर 32.08 लाख रुपये की हानि को लाभ और हानि खाते से वसूला गया।

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	24.50	20.50
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	11.30	11.85
प्रमाणीकरण हेतु	1.75	1.99
कुल	37.55	34.34

*अनुसंधान एवं विकास और नई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- हरित पत्तन और नौवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस) हरित समाधान प्रदान करने की दिशा में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की एक प्रमुख पहल है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) इस परियोजना के लिए ज्ञान और कार्यान्वयन भागीदार है। केंद्र का लक्ष्य भारत में नौवहन क्षेत्र में कार्बन तटस्थता और परिचालित अर्थव्यवस्था (सीई) को बढ़ावा देने के लिए हरित नौवहन के लिए एक नियामक ढांचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने का रोड मैप विकसित करना है। एमओपीएसडब्ल्यू, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण कंडाल, पारादीप पत्तन प्राधिकरण पारादीप, वीओ चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण थूथुकुडी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन सहायता प्रदान करके और 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और क्षमता निर्माण गतिविधियों का समर्थन करके एनसीओईजीपीएस विकसित करने के लिए साझेदारी की है। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, सीएसएल ने टीईआरआई को 475.00 लाख रुपये का भुगतान किया है जिसे आर एंड डी व्यय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
- उषस समुद्री स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए भारत सरकार की पहल को बढ़ाने के लिए आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास के सहयोग से सीएसएल का एक स्टार्टअप समर्थन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समुद्री स्टार्टअप को सीएसएल से अनुदान/निवेश के रूप में प्रारंभिक धनराशि प्राप्त होगी। आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास सीएसएल द्वारा निवेश के लिए इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और सिफारिश करेंगे। उनकी सेवाओं का शुल्क 18.50 लाख रुपये है।
- मेसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को 343.00 लाख रुपये की राशि के लिए एमओपीएसडब्ल्यू के मैरीटाइम इंडिया विजन -2030 के अनुरूप भारत में पोत मरम्मत क्लस्टर (मुंबई और कोच्चि) की स्थापना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था।

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 43 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ता	730.47	4,134.08
खर्च और फुटकर खर्च	268.74	482.07
कुल	999.21	4,616.15

नोट 44 : असाधारण मदें

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सीओसी की ओर से अपवर्जित जहाज वाई 123 की बिक्री आयोजित की गई	3,850.00	-
घटाएं: एनसीएलटी के आदेश के अनुसार बिक्री आय सीधे सीओसी द्वारा एकत्रित/हस्तांतरित की जाती है	(3,850.00)	-
वस्तुसूची के लिए प्रावधान वापस लिखा गया/ (वस्तुसूची के लिए प्रावधान)	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बट्टे खाते में डालना	-	454.51
प्राप्य सब्सिडी का प्रावधान वापस लिखा गया/ (प्राप्य सब्सिडी के लिए प्रावधान)	-	(179.36)
पूर्व अवधि त्रुटि	6,181.35	-
कुल	6,181.35	275.15

वह भूमि और जल क्षेत्र जिस पर अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना स्थापित की गई है वह कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ली गई है। कंपनी ने दिनांक 09 जनवरी 2018 से नई पोत मरम्मत सुविधा का विकास शुरू कर दिया है। 30 साल की पट्टे की अवधि पर्यावरण मंजूरी की तारीख से शुरू होती है। कंपनी ने परियोजना निर्माण/विकास शुरू होने से दिनांक 31 मार्च 2023 तक उक्त लागत राशि 8288.21 लाख रुपये के पूंजीकरण पर विचार नहीं किया है। चूंकि राशि कंपनी द्वारा निर्धारित भौतिकता स्तर से कम है, इसलिए प्रबंधन ने वर्ष के दौरान 6181.35 लाख रुपये की पूर्व अवधि की त्रुटि को सुधारा/ठीक किया, जिसे विधिवत 'असाधारण मदों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, हल नंबर वाई 123 वाले अपवर्जित पोत के स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए यूसीएसएल, लेनदारों की समिति और एचएएल ऑफशोर लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। समझौते के अनुसार, कंपनी द्वारा 3850 लाख रुपये के विचार के लिए कर चालान जारी किया गया था, जिसे सीधे सीओसी द्वारा एकत्र किया गया था। कंपनी द्वारा अंतरिती से 192.50 लाख रुपये (बिक्री प्रतिफल पर 5%) का जीएसटी हिस्सा एकत्र किया गया था और जीएसटी प्रेषण की सुविधा के लिए सरकारी खजाने में भेज दिया गया है।

नोट 45 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	30,470.91	56,396.14
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	23.16	42.87
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 46: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित शून्य)		
पोत निर्माण :		
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	142418.66	179266.04
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	34373.45	67674.19
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	1424.67	3486.17
प्रबंधन शुल्क	1537.50	1500.00
(ii) सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	55088.34	65794.50
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	1017.42	774.42
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	532.18	599.38
कुल	236392.23	319094.70

असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का विवरण:

निष्पादनदायित्वों के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य की कुल राशि 1714555.08 जो असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के रूप में एक वर्ष या उससे कम की मूल अपेक्षित अवधि को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति दी गई है। आगे लेन-देन की कीमत के अनुमान के अनुसार उपरोक्त किसी भी तरह के परिवर्तनीय विचार शामिल नहीं होंगे जो कि विवश हैं। प्रबंधन की उम्मीद है कि 20.60% दिनांक 31.03.2023 तक असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व और उसके बाद के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

मार्च 31, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2022 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले ₹ 69396.51 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी।

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 46: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' (जारी..)

वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
आदेशों की खुली कीमत	1502234.10	1495498.24
जोड़ :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	1009900.07	117957.69
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	2745.77	(74.03)
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	4858.33	720.76
कमी :		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	2199.59	2479.72
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	48781.92	109388.84
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	2468756.76	1502234.10
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	74514.75	146496.07
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	5428.88	14774.27
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	69085.87	131721.80
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	685115.82	616418.34
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)		
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	1714555.07	754093.96
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	2468756.76	1502234.10

नोट 47: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 130.23 लाख रुपए की राशि (पिछले वर्ष 85.50 लाख रुपए) के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 2995.70 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2575.78 लाख रुपए) है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2023 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार है :

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	2,905.98	2,742.78
एक से पांच साल तक	12,719.60	11,636.06
पांच वर्ष से अधिक	1,21,540.14	1,21,828.25
कुल	1,37,165.71	1,36,207.09

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 47: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे' (जारी..)

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 तक की पट्टा परिसंपत्तियों के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार है :

व्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	35.78	200.78
एक से पांच साल तक	159.87	152.94
पांच वर्ष से अधिक	204.41	247.12
कुल	400.06	600.84

पट्टा देनदारियों का संचलन इस प्रकार था:

व्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	42,796.57	41,664.13
जोड़े: अतिरिक्त	1,276.68	
जोड़े: वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त व्याज	3,975.84	3,659.94
घटाएं : विलोपन/निपटान	80.04	
घटाएं : भुगतान किया गया	2,523.20	2,527.50
अंतिम शेष	45,445.85	42,796.57

टिप्पणी 48: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रेषित अनुबंध आम तौर पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 23 को नकदी प्रवाह हेड्जिंग के रूप में नामित किया गया है:

मुद्रा	अनुबंधों की संख्या	31-मार्च -23		अनुबंधों की संख्या	गुट्टे 31, 2022	
		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ / (हानि)		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ / (हानि)
यूरो	34	63630.13	(3892.22)	1	794.61	1.30
एनओके	8	13431.68	(889.68)			
कुल	42.00	77061.81	(4781.90)		794.61	1.30

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 48: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण (जारी..)

नकदी प्रवाह हेड्ज के रूप में नामित व्युत्पन्न के लिए हेड्ज रिजर्व में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है:

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
व्योरा		
वर्ष की शुरुआत में शेष (सीआर/डीआर)	0.97	90.60
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(3579.37)	(89.63)
वर्ष के अंत में शेष राशि	(3578.40)	0.97

टिप्पणी 49: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

व्योरा	31 मार्च 2023 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2022 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क गारंटी			
i साख पत्र	23,676.09	11,664.67	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii बैंक गारंटी	83,995.04	39,139.27	बैंक गारंटी (निरंतरता गारंटी सहित) कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों तक प्रतिनिधित्व करती है।
ख अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
i विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपार्जित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावाएं (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
ii सीमाशुल्क	6,485.78	16,796.84	बांड के अधीन सामग्रियों और सुपुर्द किए देशी पोतों के लिए सीमाशुल्क। सीईएसटीएटी, बेंगलूर द्वारा सीमा शुल्क के वापसी रु. 69.83 लाख दी गई है, जिसके खिलाफ केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को एक निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया है। विभागीय अपील पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में बरकरार रखा गया है। इसमें विरोध के तहत भुगतान किये गये 5982.16 लाख रुपये भी शामिल हैं।
iii आय कर	2,236.53	2,069.97	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग:
			वित्तीय वर्ष 2010-11 - रु. 126.26 लाख
			वित्तीय वर्ष 2014-15 - रु. 911.07 लाख
			वित्तीय वर्ष 2017-18 - रु. 331.77 लाख
			वित्तीय वर्ष 2018-19 - रु. 20.76 लाख
			वित्तीय वर्ष 2020-21 - रु. 819.51 लाख
			वित्तीय वर्ष 2021-22 - रु. 27.16 लाख
			विस्तृत टिप्पणियां 49.1 (i) में दिया है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 49: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

व्योरा	31 मार्च 2023 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2022 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
iv सेवाकर	1,647.47	1,647.47	जारी की गई कारण बताओं नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन परामर्श) पर सेवा कर की मांग। सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
	376.67	376.67	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है। साथ ही, सीएसएल पर कारण बताओ सूचना भी जारी किया है।
	323.04	323.04	कारण बताओ सूचना के अनुसार आईएसी पर सेवा कर की मांग (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग प्रभार) जारी की गई। सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-18-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	1,885.49	1,885.49	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 07.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-11-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	513.71	513.71	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	734.93	734.93	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	150.57	150.57	2015-16 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी। संयुक्त आयुक्त ने ओआईओ नंबर 48/2020- एसटी (जेसी) दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से मांग की पुष्टि की गई। ओआईओ के खिलाफ आयुक्त (अपील) को दायर किया गया।
	286.85	286.85	2016-17 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 49: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

व्योरा	31 मार्च 2023 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2022 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	279.46	279.46	कॉन्सटेबल वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और कोचीन से अबू धाबी तक बाज के ट्रांसपोर्टेशन को प्रदान की गई सुरक्षा की लागत पर सेवा कर के गैर भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
v केरल मूल्य वर्धित कर (केवीएटी)	787.32	0.00	वित्त वर्ष 2015-16 की मांग। कर निर्धारण कार्यालय ने संयुक्त आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध कर योग्य कुल बिक्री में वृद्धि की और मांग बढ़ा दी।
vi एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	240.74	195.09	आवेदक ने आरेखण और माल की अपूर्ति में देरी हेतु सीएसएल द्वारा काटे गए ब्याज के साथ परिसमापन नुकसान की वसूली हेतु एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र द्वारा मध्यस्थता को संदर्भित किया। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुहृद पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। आवेदक द्वारा दायर दावा याचिका।
vii कर्मचारी राज्य बीमा निगम	54.66	54.66	ईएसआई कॉरपोरेशन ने अप्रैल 2008-मार्च 2012 की अवधि के लिए उन्नत प्रशिक्षार्थियों के योगदान के लिए 62.28 लाख रुपये का मांग सूचना जारी किया। कंपनी ने जून 2010-मार्च 2012 की अवधि के लिए 26.46 लाख रुपये और अप्रैल 2012-जुलाई 2013 की अवधि के लिए 25.95 लाख रुपये का योगदान देर से भुगतान किया है। बाद में, ईएसआई विभाग ने जून 2010-जुलाई 2013 की अवधि के लिए विलंबित भुगतान और क्षति पर ब्याज के लिए 19.84 लाख रुपये का मांग सूचना जारी किया है। कंपनी माननीय बीमा न्यायालय, आलप्पुषा के समक्ष की गई मांगों का विरोध कर रही है। इस बीच न्यायालय ने 1 लाख रुपये जमा कराने पर रोक दे दिया है।
viii मैसर्स विजिल मरीन सर्विसेज	1861.59		2004 में मैसर्स विजिल मरीन सर्विसेज ने एटीसीओ टस के आदेश हासिल करने के लिए देय एजेंसी कमीशन के लिए दावे किए। मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 10 अक्टूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की जांच और जिरह पूरी हो गई और मामले को बहस के लिए 01 और 02 फरवरी 2014 को दर्ज किया गया। मध्यस्थ ने कार्यवाही पूरी की और कंपनी को मैसर्स विजिल मरीन सर्विसेज को एटीसीओ अनुबंध मूल्य 18.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 5% की दर से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कमीशन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अपना निर्णय पारित किया। इस पर व्यथित सीएसएल ने उप न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा संख्या 187/2016 दायर किया और पुरस्कार के निष्पादन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश प्राप्त किया। पुरस्कार राशि के लिए बैंक गारंटी राशि की प्राप्ति की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक ब्याज के साथ (1305 लाख रुपये) माननीय उच्च न्यायालय को सुरक्षा के रूप में जमा की गई है और इसे नोट 50 में शामिल किया गया है।
ix भवन कर	27.54	0.00	सीएसएल ने केरल भवन कर अधिनियम 1975 की धारा 10 के तहत मांग नोटिस बी1/14569/2019 संख्या 112/19-20 दिनांक 10.8.2019 को चुनौती दी है, जिसमें सीएसएल के स्वामित्व वाले भवन के लिए भवन कर के रूप में 27,54,000/- रुपये की राशि की मांग की गई है। गिरिनगर (एमईटीआई) ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपी संख्या 14999/2023 दायर करके माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02 मई 2023 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 मई 2023 तक पारित मांग सूचना और आदेशों के संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 49: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

व्योरा	31 मार्च 2023 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2022 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
x संपत्ति कर	68.24	0.00	सीएसएल ने माननीय उच्च न्यायालय केरल के समक्ष डब्ल्यूपी (सी) संख्या 12758/2023 दायर करके सीएसएल की 14 पुरानी इमारतों के लिए संशोधित संपत्ति कर के लिए कोच्चि नगर निगम द्वारा 2013-14 से 2022-23 की अवधि के लिए जारी बकाया मांग सूचना को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय केरल ने अपने आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2023 द्वारा अगले आदेश तक मांग सूचना पर अंतरिम रोक लगा दी।
xi सीमा शुल्क अधिकारियों को क्षतिपूर्ति बांड	22054.15	15347.87	सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 2017 के तहत बंधपत्र।
xii भारत सरकार को क्षतिपूर्ति बांड	30415.00	30415.00	आईएसी अनुबंध के तहत दायित्वों के निष्पादन के लिए कंपनी द्वारा भारत सरकार को दिए गए क्षतिपूर्ति बंधपत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तलन पत्र की तारीख पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बंधपत्र का मूल्य नोट 50 में शामिल है।
xiii पेट संदूषण का दावा	863.83	0.00	कारों पर देखे गए पेट संदूषण के धब्बों के लिए कंपनी के खिलाफ दावे किए गए - घमांडिया और मुंबई पत्तन पर 128 यार्ड।
ख प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए:	65325.68	57,686.00	अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इस के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

उड्डुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सहायक कंपनी के संबंध में आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

कंपनी को मालसूची और व्यापार प्राप्तियों सहित वर्तमान परिसंपत्तियों की दृष्टिबंधक की सुरक्षा के नामे 9100 लाख रुपये की निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमा स्वीकृत की गई है।

क पूर्ववर्ती टेबमा अवधि से संबंधित आकस्मिक देनदारियाँ

अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, दिनांक 04 मार्च, 2020 ('प्रभावी तिथि') से पहले की आकस्मिक देयताएं समाप्त हो जाएंगी इसके अलावा, अनुसूची III के माध्यम से अन्य मामलों के अलावा, समाधान योजना यह प्रावधान करती है कि समाधान योजना के अनुसार संबंधित परिचालन लेनदारों को देय राशि की सीमा को छोड़कर, कंपनी की सभी देयताएं किसी भी तरीके से इससे पहले की अवधि से संबंधित हैं। प्रभावी तिथि, तुरंत, अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त पूरी तरह से और अंततः मुक्त हो जाती है और निपटान हो जाती है और कोई और दावा नहीं होता है, और परिचालन लेनदारों (सरकारी अधिकारियों सहित) और अन्य लेनदारों के इसे लागू करने या लागू करने के सभी अधिकार माफ कर दिए जाते हैं। यह प्रदान किया जाता है कि कंपनी के खिलाफ किसी भी अधिकार या दावे को लागू करने के लिए किसी भी परिचालन लेनदारों (सरकारी अधिकारियों सहित) या किसी अन्य क्रेडिटर की ओर से किसी भी मंच के समक्ष शुरू की गई कोई भी और सभी कानूनी कार्यवाही भी समाप्त हो जाएगी।

कंपनी को कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि जबकि समाधान योजना दिवाला प्रारंभ तिथि यानी 25 सितंबर, 2018 तक परिचालन ऋणदाताओं और अन्य ऋणदाताओं के प्रति कंपनी की सभी देनदारियों को समाप्त करने का प्रावधान करती है। समाधान योजना के कार्यान्वयन का कंपनी के दावों या प्राप्य पर ऐसा कोई समान प्रभाव नहीं पड़ता है। एनसीएलटी आदेश से पहले की अवधि से संबंधित गैर-अनुपालन के संबंध में कंपनी के खिलाफ दावे/ऋण जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं। भले ही इन मामलों के संबंध में, जो न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं, निगमित देनदार यूसीएसएल या दिवाला समाधान के बाद सफल समाधान आवेदक के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, जो संहिता की धारा 31(1) और धारा 32ए के मद्देनजर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार और उपरोक्त समाधान योजना के अनुसार, ये देनदारियाँ समाप्त हो जाती हैं। तदनुसार, प्रबंधन ने आकलन किया है कि ऐसे दावों/ऋणों के संबंध में आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्राह की संभावना बहुत कम है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 49: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
i. कर संबंधी मामले			
विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी)			
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है)	414.38	-	डीजीएफटी के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की है, जिसमें कारण बताने के लिए जारी किया गया है कि याचिकाकर्ता का नाम आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए जिसके अनुसार विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में दिनांक 03 अगस्त 2022 को अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है)	694.00	-	डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में आगे लाइसेंस/ प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करने वाले याचिकाकर्ता का नाम अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसका कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 03 अगस्त 2022 को अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है)	-	-	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के संबंध में 918.90 लाख रुपये की सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) हासिल करने में विफलता हुई और इसके संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करने में भी विफलता हुई। 2016-17 के बाद के वर्षों के लिए मालपे ईओयू के गैर-पूर्ति के परिणामस्वरूप एफटीपी का उल्लंघन हुआ और इस तरह याचिकाकर्ता को एफटी (डी एंड आर) अधिनियम की धारा 11(2) के तहत जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2021 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस के अनुसार सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। उत्तरदाताओं ने मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दर्ज किया गया है।
- जहां विभाग ने कारण बताओ नोटिस दिए हैं	314.07	-	डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करने वाले याचिकाकर्ता का नाम अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसका कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यूसीएसएल प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और जवाब प्रस्तुत किया। आदेश की प्रतीक्षा है।
अन्य			

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 49: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
प्रवेश कर	76.90	76.90	वर्ष 2006-07, 2009-10, 2010-11 और 2012-13से संबंधित कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित। एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक, ये देयताएं खत्म हो गई हैं। साथ ही, अधिग्रहण के बाद कोई मांग सूचना भी नहीं मिली।
केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क/सेवा कर/सीमा शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर	1,234.65	1,234.65	वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13 और 2013-14से संबंधित सीईएसटीएटी बेंगलुरु और वाणिज्यिक कर आयुक्त पश्चिम बंगाल के समक्ष लंबित। एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक, ये देयताएं खत्म हो गई हैं। साथ ही, अधिग्रहण के बाद कोई मांग सूचना भी नहीं मिली।
कर्नाटक वैट	11.91	11.91	सितंबर से दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए आईटीसी के गलत दावे के लिए आदेश सं. ZD 29002230102185 दिनांक 20/02/23। कंपनी ने यह कहते हुए जवाब दिया है कि एनसीएलटी के आदेश के अनुसार देनदारियां समाप्त हो गई हैं।
ii. धन का वाद			
वादी: लोकेनाथ उपक्रम	31.96	28.03	वर्ष 2016 से सीआईआरपी अवधि तक उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए सितंबर 2020 से वसूली की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 21,83,714 रुपये की वसूली हेतु, जिसके लिए समाधान पेशेवर अंतर्वर्ती द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किए गए। फिलहाल आईए पर सुनवाई दिनांक 14 जुलाई 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मामला माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय चेंगलपेट (तमिलनाडु) के समक्ष खुला।
वादी- कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	246.97	231.22	पत्तन ने दिनांक 28/03/2014 को कोच्ची में माननीय उप न्यायालय के समक्ष 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 105 लाख रुपये की राशि वसूलने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जो सीओपीटी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए टगों पर देखे गए विनिर्माण दोषों को सुधारने के लिए किया गया था। मामला मध्यस्थता के लिए अदालत में लंबित है।
ग आकस्मिक संपत्ति			
			मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड और मेसर्स तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट लिमिटेड (वर्तमान वी ओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी) के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में दिनांक 12.12.2013 और 04.02.2014 के कार्य हेतु दिसंबर 2022 में वीओसीपीटी द्वारा 181.94 करोड़ रुपये का निपटान किया गया, जो ओपी 365/14 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में है और कंपनी को दिनांक 04.02.2014 से 15.12.2022 तक की अवधि के लिए ब्याज का हिस्सा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि 432.13 लाख रुपये है।

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

49.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(I) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2020-21 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11, 2014-15, 2018-19, 2017-18, 2020-21 और 2021-22 के लिए कुल ₹ 2,236.53 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांग, मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार करने के कारण से हैं। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

50. रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य 690720.85 लाख रुपये (पिछले वर्ष 514684.76 लाख रुपये) है।

51. मुकदमा :

कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नहीं करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

52. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)			
(क) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि			1645.62
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि			1,724.96
विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1408.75	-	1,408.75
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर उद्देश्य	316.21	-	316.21
	1724.96	-	1724.96

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि

(₹ लाखों में)			
पिछले वित्तीय वर्षों से अग्रेषित राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	आगामी वित्तीय वर्षों में अग्रेषित राशि
40.00	1724.96	1654.96	110.00

दिनांक 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार खर्च की जानेवाली आवश्यक राशि से 119.34 लाख रुपये अधिक खर्च किए।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

52. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): (जारी..)

(₹ लाखों में)

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	31 मार्च 2023 का रुपए लाख में
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि,	1645.62
(ii) किए गए व्यय की राशि,	1724.96
(iii) वर्ष के अंत में कमी,	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी,	0.00
(v) कमी का कारण,	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर गतिविधि के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता आदि और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में अनुमत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सीएसआर निधि का उपयोग सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।	
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	शून्य
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचलनों को अलग दिखाया जाएगा।	शून्य

53. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2022-23	2021-22
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी (30 अप्रैल 2021 तक) निदेशक (प्रचालन)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन (21 जुलाई, 2022 से) निदेशक (प्रचालन)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री संजय बंदोपाध्याय (28 जुलाई 2022 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री विक्रम सिंह (28 जुलाई 2022 से 21 नवंबर 2022 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री राजेश कुमार सिंहा (21 नवंबर 2022 से) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2022-23	2021-22
श्री के आर ज्योतिलाल (02 जनवरी 2023 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार		
श्री बिजु प्रभाकर (02 जनवरी 2023 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार		
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (नवंबर 26, 2021 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल		
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (दिसंबर 01, 2021 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल		
श्री अशोक शर्मा (नवंबर 26, 2021 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल		
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (नवंबर 22, 2021 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल		
श्री वेंकटेशन एम (नवंबर 22, 2021 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल		
श्री अभिजित बिसवास (दिसंबर 01, 2021 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, , सीएसएल		
श्री श्यामकमल एन कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नीलकंठन ए एन (यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
निदेशक (मई 03, 2022 से)		
श्री राजेश गोपालकृष्णन, (यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
निदेशक (मई 03, 2022 से)		
श्री हरिकुमार ए, (यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी		
श्री शिवु जॉन, (यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
मुख्य वित्तीय अधिकारी (24 नवंबर 2022 तक)		
श्री शंकर नटराज (यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
मुख्य वित्तीय अधिकारी (25 नवंबर 2022 से)		
श्री अश्विन शर्मा एम (यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
कंपनी सचिव		
श्री शेखर चक्रवर्ती, (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (22.12.2021 से)		
श्रीमती अंजना के आर, (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
नामांकित निदेशक (26.03.2022 से)		
श्री साईबल चट्टोपाध्याय, (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
मुख्य वित्तीय अधिकारी (14.02.2022 से)		

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2022-23	2021-22
श्री किरण के ए (एचसीएसएल) कंपनी सचिव, (16.10.2020 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

लेनदेन की प्रकृति-मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
अल्पकालीन लाभ	339.58	267.62
रोजगार के बाद के लाभ	40.96	29.11
कुल	380.54	296.73

लेनदेन की प्रकृति-अग्रिम

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2022 को खुला शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.23 को शेष	दिनांक 31.03.23 को अर्जित ब्याज
सुरेश बाबु एन वी					
बिजोय भास्कर	0.12	0.25	0.30	0.08	0.00
जोस वी जे	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00
श्रीजित के एन	0.08	0.25	0.25	0.08	0.00
श्यामकमल एन	0.12	0.50	0.50	0.12	0.00

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2021 को खुला शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.22 को शेष	दिनांक 31.03.22 को अर्जित ब्याज
सुरेश बाबु एन वी	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
बिजोय भास्कर	0.08	0.40	0.35	0.13	0.00
जोस वी जे	0.11	0.40	0.40	0.11	0.00
श्यामकमल एन	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00

लेनदेन की प्रकृति-स्वतंत्र निदेशक के सिट्टिंग शुल्क

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
आम्रपाली प्रशांत साल्वे	2.65	0.90
नाहर सिंह माहेश्वरी	2.25	0.70
अशोक शर्मा	3.05	0.90
पृथ्वीराज हरिचंदन	2.25	0.70

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वेकेशन एम	1.65	0.70
अभिजीत बिस्वास	3.05	0.90
कुल	14.90	4.80

लेनदेन की प्रकृति- अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

सीएसएल एक सरकारी कंपनी है जो, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इन्ड एस 24 के तहत तैयार विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित है:

मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भारत सरकार को देय राशि	234.19	234.19
भारत सरकार को वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में देय राशि	17012.21	14855.74

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कारोबार के लगभग 94.44 % और व्यापार प्राप्ति के 96.74 % (लगभग) तथा ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

54. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर 1 इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	11.32	9.18	स्तर III
(ii) ऋण	520.60	347.84	स्तर III
(iii) अन्य	107.34	99.49	स्तर III
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	33,841.50	43,702.07	स्तर III
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	2,08,115.55	50,350.13	स्तर III
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर	2,67,686.22	2,70,916.71	स्तर III
(iv) ऋण	99.50	68.56	स्तर III
(v) अन्य	3,421.07	1,473.75	स्तर III
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	5,13,803.10	3,66,967.74	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	2302.20	12581.98	स्तर III
(ii) पट्टा देयताएं	40446.48	39363.70	स्तर III
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	261.22	261.22	स्तर III
चालू			
(i) उधार	10,984.78	0.00	स्तर III
(i) देय व्यापार	21,647.95	16864.96	स्तर III
(ii) पट्टा देयताएं	4999.40	3432.87	स्तर III
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	19,344.46	18674.41	स्तर III
कुल वित्तीय देयताएं	99,986.49	91,179.13	

नोट:

- इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। डेबिट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

- ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरिंग मूल्य, अंकित मूल्य है।
- प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।
- बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
- इक्विटी साधन		11.32			9.18	
ऋण			620.10			416.40
प्राप्य व्यापार			33,841.50			43,702.07
नकद एवं नकद समतुल्य			2,08,115.55			50,350.13
बैंक शेष			2,67,686.22			2,70,916.71
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			3,528.41			1,573.23
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	11.32	5,13,791.79	0.00	9.18	3,66,958.55
वित्तीय देयताएं						
उधार			13,286.98			12,581.98
पट्टा देयताएं			45,445.88			42,796.57
प्राप्य व्यापार			21,647.95			16,864.96
अन्य वित्तीय देयताएं			19,605.68			18,935.63
कुल वित्तीय देयताएं	0.00	0.00	99,986.49	0.00	0.00	91,179.13

55. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोड़कर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। कंपनी के प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद तथा बैंक शेष शामिल हैं, जो अपने प्रचालनों से सीधे व्युत्पन्न हो जाता है। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ -साथ विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के उपयोग और

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

55. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करनेवाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नो सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि इक्विटी कीमत जोखिम और सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम न्यूनतम है क्योंकि एक्सपोजर प्राथमिक रूप से नोट 23 व 28 में बताए गए अनुसार निश्चित ब्याज दरों के साथ रिडीम करने योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड के कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है। स्थायी दर उधारी के मौजूदा प्रोफाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ वायदा अनुबंध करके शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि को बकाया वायदा संविदा का प्रकटीकरण नोट 48 में दिया गया है।

आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा किया गया) में व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हेज किए गए एक्सपोजर के शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर निम्नानुसार है:

	(₹ लाखों में)				
विवरण	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
31 मार्च 2023	1885.63	27625.64	0.00	1489.18	31000.45
31 मार्च 2022	3003.87	5283.96	0.00	0.00	8287.84
वित्तीय देयताएं					
31 मार्च 2023	1447.86	11935.36	17.82	145.17	13546.21
31 मार्च 2022	3251.89	8667.46	22.61	176.87	12118.84

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदे शामिल हैं जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव के शुद्ध हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5 % परिवर्तन के लिए उनके

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

55. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

अनुवाद को समायोजित करते हैं, अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवेदनशीलता दर विदेशी विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्राप्तियां		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
देय		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(72.39)	(162.59)
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	72.39	162.59
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(596.77)	(433.37)
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	596.77	433.37
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(0.89)	(1.13)
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	0.89	1.13
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(7.26)	(8.84)
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	7.26	8.84
कर पूर्व लाभ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	72.39	162.59
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	(72.39)	(162.59)
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	596.77	433.37
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	(596.77)	(433.37)
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.89	1.13
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	(0.89)	(1.13)
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	7.26	8.84
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	(7.26)	(8.84)

ग. सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। कंपनी मुख्य रूप से अपने कच्चे माल को खुले बाजार में तीसरे पक्ष से खरीदती है। इसलिए कंपनी स्टील की खरीद के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन है, जोकि प्राथमिक कच्चा माल इनपुट है। कंपनी कस लक्ष्य तैयार उत्पादों को फर्म अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं और इसके विनिर्देशों के कारण प्रकृति में विषम है, कंपनी के कर्मोडिटी जोखिम के लिए जोखिम न्यूनतम है।

निम्नलिखित तालिका स्टील के इनपुट मूल्य में 5% की गति के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में वर्ष के दौरान उपभोग की गई मात्रा के लिए कर्मोडिटी की कीमतों में केवल 5% परिवर्तन शामिल है, अन्य सभी चर स्थिर हैं।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

55. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

(₹ लाखों में)

वस्तु	5 % की वृद्धि		5 % की कमी	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
स्टील	202.79	102.92	(202.79)	(102.92)

चल निधि जोखिम

जोखिम है कि एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय आस्ति को उसके उचित मूल्य के निकट की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों के लिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनी संचालन के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकद समकक्षों के साथ अल्पकालिक और लंबी अवधि में चल निधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्तीय आस्तियों और देनदारियों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति						
गैर चालू निवेश			11.32			9.18
ऋण	250.90	781.63	1.29	112.28	233.00	2.56
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	6.44	84.23		21.70	2817.73
प्राप्य व्यापार	33841.50			39040.78		
रोकड और रोकड समतुल्य	208115.55			141505.80		
रोकड और रोकड समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	267686.22			179761.04		
ऋण	99.50			68.56		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3421.07			3395.10		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	513414.75	788.06	96.85	363883.56	254.70	2829.48
वित्तीय देयताएं						
उधार			2302.20		10000.00	2302.20
पट्टा देयताएं	40446.48				253.62	39110.08
अन्य वित्तीय देयताएं			261.22			261.22
उधार	10984.78					
पट्टा देयताएं	4999.40			3432.87		
व्यापार देय	21647.95			37613.16		
अन्य वित्तीय देयताएं	19344.46			18956.39		
कुल वित्तीय देयताएं	97423.06	0.00	2563.41	60002.42	10253.62	41673.49

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

55. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) से ऋण जोखिम के संपर्क में है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों, व्युत्पन्न उपकरणों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अन्य वित्तीय संपत्तियों के संपर्क में है। कंपनी ने केवल उन प्रतिपक्षकारों से निपटने की नीति अपनाई है जिनके पास क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग है। व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं और नकद और नकद समक्ष और व्युत्पन्न उपकरण बैंकों और उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास बनाए जाते हैं।

व्यापार प्राप्तियों के लिए एक व्यावहारिक सुविधा के रूप में कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करती है जो व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर विचार करती है, जो आगे के अनुमानों के लिए समायोजित होती है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में उतार-चढ़ाव का खुलासा नोट 14 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2023 और दिनांक 31 मार्च 2022 के रूप में तुलन पत्र के घटकों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम एक्सपोजर नोट संख्या 14 में उल्लिखित अग्रणी राशि है और जैसा कि नोट 55 में कहा गया है, कंपनी के कारोबार का लगभग 94.44% (और व्यापार प्राप्तियों का 96.74% (लगभग) और ग्राहक इसे सरकार और सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिम करते हैं। वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों और वित्तीय गारंटियों से संबंधित अधिकतम एक्सपोजर का खुलासा क्रमशः नोट 48 और नोट 49 में किया गया है।

56. भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार प्रकटीकरण “वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति”

क. चालू परिसंपत्तियों की वसूली बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
	बारह महीने के भीतर	बारह महीने बाद	कुल	बारह महीने के भीतर	बारह महीने बाद	कुल
माल सूची	37,299.71		37,299.71	29,836.03		29,836.03
व्यापार प्राप्तियां	33,841.50		33,841.50	43,702.07		43,702.07
नकद और नकद समक्ष	2,08,115.55		2,08,115.55	50,350.13		50,350.13
बैंक शेष	2,67,686.22		2,67,686.22	2,70,916.71		2,70,916.71
ऋण	99.50		99.50	68.56		68.56
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,421.07		3,421.07	1,473.75		1,473.75
वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	7,147.48		7,147.48	-		-
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	1,56,051.92		1,56,051.92	1,87,734.01		1,87,734.01

ख. वर्तमान देयताओं का निपटान बारह महीने के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीने के बाद होने की उम्मीद है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
	बारह महीने के भीतर	बारह महीने बाद	कुल	बारह महीने के भीतर	बारह महीने बाद	कुल
उधार राशियाँ	10,984.78		10,984.78	-		-
पट्टे की देयताएं	4999.40		4,999.40	3432.87		3,432.87
व्यापार देयताएं	21647.95		21,647.95	16864.96		16,864.96
अन्य वित्तीय देयताएं	19,344.46		19,344.46	18,674.41		18,674.41
अन्य वर्तमान देयताएं	415106.90		4,15,106.90	256129.42		2,56,129.42

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

56. भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार प्रकटीकरण “वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति” (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
	बारह महीने के भीतर	बारह महीने बाद	कुल	बारह महीने के भीतर	बारह महीने बाद	कुल
प्रावधानों	40020.04		40,020.04	48602.42		48,602.42
वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	0.00		-	2566.09		2,566.09

57. सेंगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आर्बिट्रित किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सेंगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	430700.12	258545.34
पोत मरम्मत	282235.51	287038.89
अनार्बिट्रित	289156.00	295788.30
कुल	1002091.63	841372.53
सेंगमेंट देयता		
पोत निर्माण	316976.72	155917.43
पोत मरम्मत	49020.33	64318.72
अनार्बिट्रित	193329.94	181818.20
कुल	559326.99	402054.35
सेंगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	179297.44	251200.83
पोत मरम्मत	57158.04	67893.87
अनार्बिट्रित	20701.25	26281.60
कुल	257156.73	345376.30
सेंगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	19843.32	57776.43
पोत मरम्मत	9856.53	12041.89
अनार्बिट्रित	12143.85	6775.87
कुल	41843.70	76594.19

कंपनी को दो प्रमुख व्यापार खंड हैं - “पोत निर्माण” और “पोत मरम्मत”। पोत निर्माण के अधीन राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 155800.89 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 204473.56 लाख रुपए) शामिल हैं। पोत मरम्मत के लिए, राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले दो ग्राहक (पिछले वर्ष : दो ग्राहक) से 193571.56 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 40786.31 लाख रुपए) शामिल हैं।

वित्तीय विवरण

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

58. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंधन कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गिरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
दीर्घकालीन उधार	2302.20	12581.98
निवल ऋण	13286.98	12581.98
इक्विटी शेयर पूंजी	13154.04	13154.04
अन्य इक्विटी	429610.60	426164.14
कुल इक्विटी	442764.64	439318.18
गिरिंग अनुपात	3.00%	2.86%

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुपात	अंश	भाजक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(क) वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएं	1.39	1.68	(17.05%)	-
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.03	0.03%	-
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋणसेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋणसेवा	5.59	8.01	(30.22%)	ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध आय में कमी के कारण
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.07	0.13	(46.85%)	कर पश्चात शुद्ध लाभ में कमी के कारण
(ङ) वस्तुसूची कुल बिक्री अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत सूची	7.04	8.62	(18.28%)	-
(च) व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत प्राप्य खाता	4.78	6.72	(28.87%)	शुद्ध ऋण बिक्री में कमी के कारण
(छ) व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	6.21	6.67	(6.90%)	-

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुपात	अंश	भाजक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(ज)निवल पूंजी कुल विक्री अनुपात	कुल विक्री	कार्यशील पूंजी	1.17	1.36	(13.45%)	-
(झ)निवल लाभ अनुपात,	कुल लाभ	कुल विक्री	0.13	0.18	(27.09%)	कर पश्चात शुद्ध लाभ में कमी के कारण
(ञ)नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और करों से पहले कमाई	गोचर निवल मूल्य+ कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.10	0.19	(45.59%)	ब्याज और करों से पहले की कमाई में कमी के कारण
(ट) निवेश पर वापसी - इक्विटी	इक्विटी निवेश से वापसी	औसत इक्विटी निवेश	0.00	0.00	0.00%	-
(ठ) निवेश पर वापसी- ऋण	ऋण निवेश से वापसी	औसत ऋण निवेश	0.00	0.00	0.00%	-

*ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यहास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की विक्री पर नुकसान आदि।

59 . सहायक कंपनियों का विवरण

नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	व्यापार का मुख्य केंद्र	31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को आनुपातिक स्वामित्व प्रतिशत में
1. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण और उनकी मरम्मत	कोलकाता, भारत	100%
2. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण और उनकी मरम्मत	मालपे, भारत	100%

60. सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है:

सहायक के लिए अनावृत्त राशियां अंतर- कंपनी उन्मूलन के समक्ष है

क. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(₹ लाखों में)		
संक्षिप्त तुलन पत्र	2022-23	2021-22
गैर चालू संपत्तियां	17407.65	17374.21
चालू संपत्तियां	8700.86	4498.83
कुल संपत्तियां	26108.51	21873.04

वित्तीय विवरण

▶ दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

संक्षिप्त तुलन पत्र	2022-23	2021-22
गैर चालू देयताएं	13752.32	13730.17
चालू देयताएं	5808.19	4161.20
कुल देयताएं	19560.51	17891.37
निवल सम्पत्तियाँ	6548.00	3981.67
संचित एनसीआई	0.00	0.00

(₹ लाखों में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	2022-23	2021-22
राजस्व	1702.06	41.78
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	(2033.59)	(283.61)
अन्य व्यापक आय	(0.08)	0.00
कुल व्यापक आय	(2033.67)	(283.61)
एनसीआई हेतु लाभ /(हानि)	0.00	0.00

(₹ लाखों में)

संक्षेपित नकदी प्रवाह	2022-23	2021-22
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(141.18)	(211.34)
निवेश गतिविधियों से	(813.65)	(2988.50)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	4061.06	2771.97
नकद और नकद समराशि में निवल वृद्धि/ कमी	3106.23	(427.87)

ख. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेबेमा शिपयार्डस लिमिटेड)

संक्षेपित तुलन पत्र	2022-23	2021-22
गैर चालू संपत्तियाँ	14587.36	13699.44
चालू संपत्तियाँ	7469.69	3411.27
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति	0.00	13.59
कुल संपत्तियाँ	22057.05	17124.30
गैर चालू देयताएं	2108.10	1569.93
चालू देयताएं	5883.34	3122.84
कुल देयताएं	7991.44	4692.78
निवल संपत्ति	14065.61	12431.53
संचित एनसीआई	0.00	0.00

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	(₹ लाखों में)	
लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	2022-23	2021-22
राजस्व	3917.45	641.98
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	(866.54)	(1294.13)
अन्य व्यापक आय	0.62	0.00
कुल व्यापक आय	(865.92)	(1294.13)
एनसीआई हेतु लाभ /(हानि)	0.00	0.00

	(₹ लाखों में)	
संक्षेपित नकदी प्रवाह	2022-23	2021-22
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(713.45)	(1045.38)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(2114.61)	(860.47)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	2180.40	959.37
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी	(647.66)	(946.48)

► दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

61. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III द्वारा आवश्यक जानकारी

ग्रुप में इकाई का नाम	31 मार्च 2022 को % में स्वामित्व	निवल संपत्ति					(₹ लाखों में)		
		आनुपातिक शेयर	समेकित निवल संपत्ति के % के रूप में	लाभ / (हानि) लाभ / (हानि) के हिस्सा में हिस्सा	समेकित लाभ / (हानि) के % के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में शेयर	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	442341.87	99.90%	33448.86	109.77%	(3675.49)	100.00%	29773.37	111.11%
सहायक									
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	6548.00	1.48%	(2033.59)	(6.67%)	(0.08)	0.00%	(2033.67)	(7.59%)
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	14065.61	3.18%	(866.54)	(2.84%)	0.62	(0.02%)	(865.92)	(3.23%)
समेकन समायोजन		(20190.84)	(4.56%)	(77.83)	(0.26%)	(0.00)	0%	(77.83)	(0.29%)
कुल योग		442764.64	100%	30470.91	100.00%	(3674.95)	100.00%	26795.94	100.00%

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

62. वर्ष के लिए आयातित वस्तुओं/सेवाओं की खपत 74122.85 लाख रुपए (पिछले वर्ष 92189.67 लाख रुपए)
63. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
64. नियंत्रक कंपनी के पास मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है। कंपनी को कई बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपये से अधिक की कुल गैर-फंड आधारित सीमाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनका आवश्यकता पड़ने पर लाभ उठाया जाता है। कई बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपये से अधिक की कुल फंड आधारित सीमा भी स्वीकृत की गई है, जिसका कंपनी ने लाभ नहीं उठाया है। कंपनी को बैंकों के साथ कोई तिमाही रिटर्न या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
- एचसीएसएल की सहायक कंपनी ने मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से उधार लिया है। कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ लागू मासिक / तिमाही रिटर्न / वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण दाखिल करने की आवश्यकता का अनुपालन किया है, और ये रिटर्न 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों की किताबों के अनुरूप था।
- यूसीएसएल की सहायक कंपनी को मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए तिमाही रिटर्न या विवरण खातों की किताबों के अनुरूप हैं।
65. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है, जहां कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन किया हो।
66. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।
67. कंपनी ने मौजूदा पोत मरम्मत सुविधा के विकास, डिजाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए नवंबर 2019 से 30 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक लाइसेंस के आधार पर अंशमान और निकोबार प्रशासन के साथ समझौता किया है, जिसे नाम दिया गया है सीएसएल-एएन पोत मरम्मत इकाई (सीएनएसआरयू)।
68. वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।
69. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थों') सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, कंपनी की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा। कंपनी को विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियों') सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना।
- कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड नहीं मिला है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करते हैं।
70. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते।
71. ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है।
72. कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावणान किया गया है। कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं हैं, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है।
73. कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

74. पिछले वर्ष के आंकड़े को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000111S)

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. — A25337

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 08103825

सी. कृष्णन मेनन

साझेदार

(सदस्यता सं. 074736)

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन - 08444440

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 07376798

दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुबंध

फॉर्म सं. एओसी 1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल विवरण (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा 3 के पहला प्रावधान के अनुसार)

भाग 'क' : सहायक कंपनियां

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण	विवरण
1	क्रम सं.	1	2
2	सहायक कंपनी का नाम	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	अक्तूबर 23, 2017	सितंबर 15, 2020
4	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्टिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं	लागू नहीं
5	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	₹9600 लाख	₹9000 लाख
7	आरक्षण और अधिशेष	₹(3052) लाख	₹5065.61 लाख
8	कुल परिसंपत्तियां	₹26,108.51 लाख	₹22057.05 लाख
9	कुल देयताएं	₹26,108.51 लाख	₹22057.05 लाख
10	निवेश	शून्य	शून्य
11	कुल कारोबार	₹1702.06 लाख	₹3917.45 लाख
12	कराधान पूर्व लाभ	₹(1780.25) लाख	₹(1148.88) लाख
13	कराधान के लिए प्रावधान		
	(i) वर्तमान कर		₹0.38 लाख
	(ii) आस्थगित कर	₹253.34 लाख	₹(282.72) लाख
14	कराधान के बाद लाभ	₹(2033.59) लाख	₹(865.54) लाख
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य
16	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%	100%

भाग 'ख': सहयोगी और संयुक्त उद्यम: लागू नहीं

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मैसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.0001115)

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. - A25337

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 08103825

सी. कृष्णन मेनन

साझेदार

(सदस्यता सं. 074736)

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन - 08444440

कोच्ची, दिनांक मई 19, 2023

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 07376798



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

निगमित पहचान संख्या: L63032KL1972GOI002414

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल – 682015

दूरभाष: +91 (484) 2501306 फैक्स: +91 (484) 2384001

ईमेल: secretary@cochinshipyard.in वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि कोचीन शिपयार्ड की सदस्यों की 51 वीं वार्षिक साधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए गुरुवार, सितंबर 28, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित व्यापार कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

- दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।
- दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹7.00 (70%) के प्रथम अंतरिम लाभांश और प्रति इक्विटी शेयर ₹7.00 (70%) के दूसरे अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य 10 रुपये) ₹3.00 (30%) के अंतिम लाभांश घोषित करना।
- श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) के स्थान पर निदेशक के नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और पात्र होने के नाते, उन्हें पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करना।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यापार

6. लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (फिलहाल लागू किसी सांविधिक संशोधन या तत्संबंधी पुनरधिनियमन सहित) जो समय-समय संशोधितानुसार है, कंपनी एतद्वारा मेसर्स राजेंद्रन मणि और वैरियर, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000006) जिन्हें दिनांक मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (लागत अभिलेखा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अधीन कंपनी के लागत अभिलेख से संबंधित लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे, को देय लागू कर सहित प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करती है।”

“आगे संकल्प किया है कि, कंपनी निदेशकों में से एक या कंपनी सचिव को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन ऐसे सभी कदमों और सभी कार्यों को करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

7. श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825) के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, उसके तहत बनाए गए नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित (उस समय लागू होनेवाले किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के संस्था के अंतर्नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एसवाई-11012/1/2022-सीएसएल दिनांक 15 फरवरी 2023 के माध्यम से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में श्री बिजय भास्कर (डीआईएन : 08103825) के कार्यकाल को 05 अप्रैल, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी मई 31, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अवधि के लिए बढ़ाने हेतु शेरधारकों की मंजूरी दी गई है, जिसका कार्यालय चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।”

8. अंशकालिक सरकारी (नामित) के रूप में श्री राजेश कुमार सिंह, आईएस (डीआईएन : 05351383) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे, संशोधनों के साथ या बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को उसके तहत बनाए गए नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित, (उस समय लागू होनेवाले किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 21 नवंबर 2022 के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (3) के तहत अनुच्छेद 21 (ए) के साथ पढ़ा गया और कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के 21 (सी) के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में विक्रम सिंह के स्थान पर अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में श्री राजेश कुमार सिंह आईएस (डीआईएन 05351383), अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,

भारत सरकार की नियुक्ति के लिए शेरधारकों की मंजूरी दी गई है, जो 21 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर आधारित है।

9. श्री बिजु प्रभाकर आईएस (डीआईएन : 03093072) की गैर-सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को उसके तहत बनाए गए नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित, (उस समय लागू होनेवाले किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 02 जनवरी 2023 के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (3) के तहत अनुच्छेद 21 (ए) के साथ पढ़ा गया और कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के 21 (सी) के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में श्री ज्योतिलाल के आर आईएस के स्थान पर अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में श्री बिजु प्रभाकर आईएस (डीआईएन : 03093072), सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार की नियुक्ति के लिए शेरधारकों की मंजूरी दी गई है, जो जनवरी 02, 2023 से अगले आदेश तक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर आधारित है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. : A 25337

कोच्ची

सितंबर 05, 2023

टिप्पण :

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 05 मई 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ पठित अपने सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 द्वारा और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों (सामूहिक रूप से एमसीए के रूप में संदर्भित) के अनुसार, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विज्ञुअल माध्यमों के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई। कंपनी अधिनियम, 2013, एमसीए परिपत्र, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) और सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक हो रही है, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया गया। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को वार्षिक आम बैठक का स्थान माना जाएगा।
2. नोटिस में निर्धारित विशेष व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण संलग्न किया है और यह नोटिस का एक अभिन्न अंग है।
3. इस नोटिस के वार्षिक आम बैठक में पुनःनियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में संगत विवरण, सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियम 36 (3) और भारतीय कंपनी सचिवीय संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुसरण में, संलग्न किया है।
4. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए हकदार एक सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी कंपनी का एक सदस्य नहीं होना चाहिए। चूंकि इस वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है और तदनुसार सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति तिरस्कृत की गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध नहीं होगी और अतः परोक्षी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ नहीं संलग्न किया है। फिर भी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या निकास कॉर्पोरेट जैसे सदस्यों के प्रतिनिधियों वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग जरिए अपना वोट डाल सकते हैं।
5. दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट, उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते कंपनी के आरटीए/निक्षेपागार भागीदार के साथ पंजीकृत है। इसके अलावा, सदस्यों के अनुरोध पर उसकी हार्ड कॉपी भी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य अपने अनुरोध को हार्ड कॉपी के लिए secretary@cochinshipyard.in पर भेज सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्क्योरिटीज़ डिपोजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगा।
6. संशोधितानुसार, सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियां दिनांक अप्रैल 01, 2019 से केवल डिमैटीकृत माध्यम के रूप में अंतरित किया जा सकता है, सिवाय प्रतिभूतियों के प्रसारण या अंतरण के लिए अनुरोध के मामले में। इस पर ध्यान रखते हुए और प्रत्यक्ष शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और पोर्टफोलियो के प्रबंधन में आसानी के लिए, प्रत्यक्ष रूप में शेयरों को संभालने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी संपत्तियों को डिमैटरीयलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ताओं, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।
7. जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पता पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि यदि उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, तो, निक्षेपागार साझेदार के साथ और यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में संभाले रखे हैं, तो, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ वही पंजीकृत/ अद्यतन करें। सदस्यों, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को संभाल रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिमैट खाते के साथ अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करें, ताकि कंपनी/ रजिस्ट्रार को ई-मेल के माध्यम से संचार भेजने में सक्षम बनाया जा सके।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, दूरभाष/मोबाइल सं., स्थायी लेखा खाता संख्या (पैन), जनादेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे कि बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी आदि के संबंध में कोई परिवर्तन है, तो, उसे सूचित करें।

डिमैट मोड में धारित शेयरों के लिए : उनके डीपी को

प्रत्यक्ष मोड में धारित शेयरों के लिए: निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 में इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए को। उक्त फार्म https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/56 पर उपलब्ध है।

प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ 2023/37 दिनांक मार्च 16, 2023 के द्वारा दिनांक सितंबर 30, 2023 तक पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण जमा करना

अनिवार्य कर दिया है। वे सदस्य जिन्होंने अभी तक उक्त विवरण जमा नहीं किया है, वे इसे कंपनी के आरटीए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास जमा कर सकते हैं। इसके लिए विस्तृत निर्देश <https://www.linkintime.co.in/home-KYC.html> पर उपलब्ध हैं।

9. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। सदस्यों, जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र सं. एसएच-13 प्रस्तुत करके इसे पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को रद्द करना चाहता है, तो वह इसे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र सं. एसएच-14 में जमा कर सकता है। अनुरोध पर, कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट मोड में है तो वे अपने डीपी को उक्त विवरण प्रस्तुत करें और शेयर प्रत्यक्ष रूप में रखने की स्थिति में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत करें।

10. बही समाप्ति और लाभांश

- (i) सदस्यों की पंजी और कंपनी शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार सितंबर 22, 2023 से गुरुवार, सितंबर 28, 2023 (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद कर दिया जाएगा।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश, जैसा कि निर्देशक मंडल द्वारा अनुशासित है, यदि वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो, अक्टूबर 27, 2023 तक स्रोत पर कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा, यानी, उन सदस्यों को अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिनके नाम गुरुवार सितंबर 21, 2023 को कार्य समय की समाप्ति पर सदस्यों/डिपोजिटरी के रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो, के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।
- (iii) कंपनी जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी और अन्य मामलों में लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करेगी। डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान इस प्रयोजन के लिए गुरुवार सितंबर 21, 2023 को निक्षेपागार (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) द्वारा किए गए लाभकारी स्वामित्व विवरणों के आधार पर किया जाएगा। डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य यह नोट किया जाए कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के सामने पंजीकृत बैंक विवरणों का उपयोग लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा किया जाएगा। बैंक विवरण या बैंक अधिदेश के किसी भी परिवर्तन के लिए कंपनी या उसके आरटीए डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते। इस तरह के बदलाव, केवल सदस्यों के निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ ही सूचित

कर सकते हैं। वे सदस्य, जिन्होंने निक्षेपागार डीमैट खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता बदल दिया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय निर्दिष्ट खाते के अलावा किसी अन्य डीमैट खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण (नौ अंकों के बैंक कोड सहित) अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ दिनांक सितंबर 21, 2023 से पहले सही/परिवर्तित करें।

- (iv) वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, एक कंपनी द्वारा भुगतान किए और वितरित लाभांश दिनांक 01 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत शेयर धारक की प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क. निवासी शेयरधारक

- क) व्यक्तियों के मामले में टीडीएस लागू नहीं होगा, यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उन्हें वितरित किया गया कुल लाभांश ₹5,000 से अधिक न हो।
- ख) उन मामलों में स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा जहाँ शेयरधारक निम्नलिखित प्रदान करता है।
 - प्रपत्र 15 जी (कंपनी या फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू)
 - प्रपत्र 15 एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू), बशर्ते कि पात्रता शर्तों को पूरा किया जा रहा हो।
 - प्रपत्र 15 एच/ 15 जी कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
- ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के तहत स्रोत पर कर (टीडीएस) 10% की दर से देय लाभांश की राशि पर काटा जाएगा, जब तक कि उसके किसी प्रावधान के तहत छूट न दी गई हो।
- घ) आयकर अधिनियम की धारा 206 एबी के तहत “निर्दिष्ट व्यक्ति” के मामले में, टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्दिष्ट दरों से दोगुनी होगी।
- ङ) यदि पैन प्रस्तुत नहीं किया जाचा है तो, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एए के अनुसार 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
- च) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्यक्ष रूप में शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीमैट मोड में शेयरों के मामले में) के साथ पैन अपडेट करें।

- छ) अलग -अलग स्थिति /श्रेणी और एकल पैन के अधीन कई खातों के तहत शेयर रखनेवाले शेयरधारक ध्यान दे कि उस स्थिति पर लागू कर से अधिक जिसमें पैन के तहत शेयर धारित है, जो विभिन्न खातों में उनकी संपूर्ण धारिता पर विचार किया जाएगा।
- ज) शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया रिकॉर्ड की शुद्धता को सत्यापित करें और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यदि शेयर डीमैट मोड में है) या कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं) के साथ जल्द से जल्द अपडेट करें।
- ज) पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारितानुसार निम्नलिखित दस्तावेज सितंबर 21, 2023 को कंपनी के आरटीए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर अपलोड करें, जो काटे गए कर से छूट या कम कटौती के लाभ उठाने के लिए हैं।

श्रेणी	अपेक्षित दस्तावेज	अभ्युक्तियां
सामान्य	धारा 197 के तहत कम कटौती के लिए कटौती कर प्रमाणपत्र की स्वयं साक्ष्यांकित प्रति।	यदि कर की कम दर का दावा किया जाना है।
व्यक्तिगत	पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र 15 जी या 15 एच (जैसा लागू हो सकता है।)	यदि कर छूट का दावा करना है।
बीमा कंपनी	स्व-घोषणा* कि स्वामित्व वाले शेयरों के संबंध में इसका पूर्ण लाभकारी हित है, साथ ही पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
म्यूचुअल फंड	स्व-घोषणा* कि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23डी) में निर्दिष्ट हैं, साथ ही पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम, जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत, अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है।	पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ छूट की स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की स्व -सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
भारत में स्थापित/ निगमित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	स्व-घोषणा। कि इसकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 एफबीए) के तहत छूट प्राप्त है और वे सेबी विनियमों द्वारा श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ शासित हैं।	यदि कर छूट का दावा करना है।

* स्व- घोषणा का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर उपलब्ध है।

ख. अनिवासी शेयरधारक

- क) लागू दरों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर काटा जाना आवश्यक है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, देय लाभांश की राशि पर कर @ 20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) के स्रोत पर काटा जाएगा।
- ख) शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया रिकॉर्ड की शुद्धता को सत्यापित करें और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यदि शेयर डीमैट मोड में है) या कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं) के साथ जल्द से जल्द अपडेट करें।
- ग) पात्र शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज 21 सितंबर 2023 को कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर प्रस्तुत करें जो भारत और उनके निवास देश के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते का लाभ उठाने के लिए हैं।

शेयरधारक की श्रेणी	दस्तावेज
व्यक्तिगत	- उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। - प्रपत्र 10 एफ * - स्व घोषणा * - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौता कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
साझेदारी, ट्रस्ट	- उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। - प्रपत्र 10 एफ * - भागीदारों/ लाभार्थियों की सूची , साझेदारी/ न्यास की आय में उनके संबंधित हिस्से और उनकी संबंधित आवासीय स्थिति। (यदि टीआरसी का हिस्सा नहीं बन रहा है) - स्व घोषणा। - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौता कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
कंपनी	- उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। - प्रपत्र 10 एफ * - संधि के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक हो, एलओबी की संतुष्टि का प्रमाण (उदाहरण के लिए यदि विदेशी कंपनी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है- कंपनी का लिस्टिंग प्रमाणपत्र) - स्व घोषणा * - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौता कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
34.	
एफपीआई मार्गों से किया गया निवेश	- उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। - प्रपत्र 10 एफ * - संधि के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक हो, एलओबी की संतुष्टि का प्रमाण (उदाहरण के लिए यदि विदेशी कंपनी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है- कंपनी का लिस्टिंग प्रमाणपत्र) - स्व घोषणा * - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौता कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
एफपीआई मार्गों के माध्यम से किया गया निवेश	- एफपीआई (यदि शेयर एफडीआई व्यवस्था के तहत धारित हैं) - उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। - प्रपत्र 10 एफ * - संधि के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक हो, एलओबी की संतुष्टि का प्रमाण (उदाहरण के लिए यदि विदेशी कंपनी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है- कंपनी का लिस्टिंग प्रमाणपत्र) - स्व घोषणा * - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौता कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
एफपीआई मार्गों के अलावा	- एफपीआई (उपरोक्त के अलावा) - स्व- साक्ष्यांकित घोषणा कि एफपीआई मार्ग के तहत निवेश किया गया है। - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौता कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।

*प्रपत्र 10 एफ और स्व- घोषणा का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर उपलब्ध है।

घ) कृपया ध्यान दें कि कंपनी लाभांश राशि पर कर कटौती/लाभांश राशि पर कटौती के समय डीटीए दरों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लाभकारी डीटीए दर का आवेदन अनिवासी शेयर धारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

ङ) आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 196 डी के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्ट फोलियों निवेशकों को भुगतान किए गए लाभांश पर स्रोत पर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) काटा जाएगा। ऐसी डीटीएस दर कम डीटीए दर, यदि कोई हो, के लागू होने के कारण कम नहीं की जाएगी।

- (v) कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज कंपनी के आरटीए, लिंक इनट इम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर 21 सितंबर 2023 को अधिक से अधिक अपलोड किए जाने चाहिए। ईमेल या किसी अन्य प्रपत्र के माध्यम से जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) दिनांक 21 सितंबर, 2023 के बाद कर निर्धारण/ कटौती के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) यदि उपरोक्त विवरण/ दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, शेयरधारकों के पास अभी भी कर सलाहकार से परामर्श करके आयकर विवरणी दायित्व करते समय काटे गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा। काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।
- (viii) कंपनी को लाभांश पर टीडीएस के संबंध में फॉर्म 16ए भेजने में सक्षम बनाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों को डीमैट मोड में रखने की स्थिति में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ और शेयरों को प्रत्यक्ष रूप से रखने की स्थिति में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/ अपडेट करें। शेयरधारक टीडीएस के क्रेडिट को फॉर्म 26 एएस में देख सकेंगे, जिसे <https://eportal.incometax.gov.in> पर उनके ई-फाइलिंग खाते से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (ix) अस्वीकरण: इस संचार को कंपनी की सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। कर संबंधी मामलों के लिए शेयरधारकों को कर पेशेवर से कर सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

11. अदावी लाभांश :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी राशि को अंतरित करने के लिए बाध्य किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("निधि") में क्रेडिट करने के लिए, अदत्त लाभांश खाते में ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावा रहा है।
- (ii) आगे, संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय), नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, सभी शेयरों जिसमें लगातार सात या उससे अधिक वर्षों के लिए लाभांश अदत्त और अदावे रहे हैं, को कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचितानुसार आईईपीएफ

प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाएगा। अतः कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश की भुनाई/दावा करें।

12. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने का हकदार होगा।
13. कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में परिवर्तन या मृत्यु के बारे में कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें। होल्डिंग का आवधिक विवरण संबंधित डीपी से प्राप्त किया जाना चाहिए और समय समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।
14. सदस्यों से अनुरोध है कि :
- (i) अपने संबंधित पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो, शीघ्र ही पिन कोड के साथ कंपनी/आरटीए को सूचित करें।
 - (ii) अपने सभी पत्राचार में फोलियो संख्या उद्धृत करें।
 - (iii) समान आदेशों में नामों के साथ बहुतायत फोलियो के मामले में, एक फोलियो में होल्डिंग्स समेकित करें।
15. अनिवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत में वापस आने पर आवासीय पते में परिवर्तन शीघ्र ही कंपनी को सूचित किया जाए।
16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अनुसार बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिसमें संदर्भित सभी दस्तावेज इस नोटिस की प्रचलन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य secretary@cochinshipyard.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को निम्नलिखित पते पर शेयरों से संबंधित सभी संचार भेजें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्यू
सेंथिल नगर के पीछे, सोवरीपालयम रोड
कोयंबतूर, तमिलनाडु- 641028
दूरभाष: +91 (422) 2314792, 2315792
ई-मेल: coimbatore@linkintime.co.in

18. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (संशोधितानुसार) के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी वार्षिक आम बैठक में लेनदेन करने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए कंपनी ने प्राधिकृत अभिकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधार्थ नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है। वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए एक सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

19. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को निदेश

- (i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 25 सितंबर 2023 को 09:00 बजे शुरू होगी और बुधवार 27 सितंबर 2023 को 17.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि, गुरुवार 21 सितंबर 2023 को सदस्य/ डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो, के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, गुरुवार 21 सितंबर 2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।
- (ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है, वे बैठक स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (iii) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर 2023 तक शेयर रखता है, वे

evoting@nsdl.co.in. पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए, या भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर 2023 तक शेयर रखते हैं, वे नीचे उल्लिखित बिंदु संख्या में एक्सेस टु एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली संबंधी चरणों का पालन कर सकते हैं।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और तरीका

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई हैं:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेस होम पेज पर लॉगिन के तहत बेनिफिशियल ओनर आइकन पर क्लिक करें जो आईडीईएएस सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत एक्सेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप ई वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएएस ई- सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चुने या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर URL https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, लॉग-इन आइकन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/ सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा। 4. निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक/ सदस्य नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप एनएसडीएल स्पीड सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।

NSDL Mobile App is available on



सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईसी/ईसीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईसी/ईसीएस्ट लॉगिन करनेवाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और नए सिस्टम मैईसी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा मैईसी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईसी/ईसीएस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
	3. यदि उपयोगकर्ता ईसी/ईसीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन एवं न्यू प्रणाली मैईसी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएस/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएस/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएस पर क्लिक करें और रिमोट ई वोटिंग अर्वाधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएस की ई वोटिंग वेबसाइट पर पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूडर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध **फॉरगेट यूजर आईडी/ फॉरगेट पासवर्ड** विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएस और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएस के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूत रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर 022-48867000 और 022 2499 7000 पर कॉल करके एनएसडीएस हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूत रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल से संपर्क कर सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

एनएसडीएस ई-वोटिंग वेबसाइट पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएस की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर <https://www.evoting.nsdl.com> यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, **लॉग इन** आइकन पर क्लिक करें जो **शेयरधारक/ सदस्य** अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगा। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएस ई- सेवाओं यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com> पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएस ई-सेवाओं में लॉगिन कर लेते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दें।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है :

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या प्रत्यक्ष	आपकी यूजर आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** है।
ग) प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद समान संख्या उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और समान संख्या 101456 है तो आपकी यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉग-इन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, आपको आरंभिक पासवर्ड पुनःप्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना आरंभिक पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको आरंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) अपना आरंभिक पासवर्ड कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ईमेल पता आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पासपंजीकृत है, आपका आरंभिक पासवर्ड आपको आपके ईमेल पते पर सूचित किया जाता है। अपने मेल बॉक्स से मेल खोलें और संलग्न यानी एक पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या प्रत्यक्ष रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपकी यूजर आईडी और आपका आरंभिक पासवर्ड होता है।

(ii) यदि आपका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए चरणों का पालन करें जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको आरंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं।

क) **फॉरगोट उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड** पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ख) **प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?** (यदि आप प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए एक अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (एक बार पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके सहमत नियमों और शर्तों पर टिक करें।

8. अब, आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।

9. लॉग इन बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हो

कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हो?

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों की 'ईवन' देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान उस कंपनी का 'ईवन' चुनें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और मीटिंग के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको **ज्वाइन जनरल मीटिंग** के तहत दिए गए **वीसी/ ओएवीएम** लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और **सबमिट** पर क्लिक करें और **संकेत मिलने** पर पुष्टि भी करें।
5. पुष्टि होने पर, "मतदान सफल रहा (वोट कास्ट सक्सेसफुली)" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबोधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ स्कूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा cochin@mehta-mehta.com चिह्नित एक प्रति के साथ evoting@nsdl.co.in पर भेजने की आवश्यकता है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में 'ई-वोटिंग' टैब के तहत प्रदर्शित 'अपलॉड बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकरण पत्र' आदि भी अपलॉड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको **"फॉरगोट उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड?"** या **"भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड पासवर्ड?"** रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।
3. किसी भी प्रश्न/ शिकायत के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं। आप सुश्री पल्लवे मात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई- 400013 को ईमेल पते evoting@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नंबर पर 022 48867000 और 022 2499 7000 कॉल करके भी अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

(vi) यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ईमेल पते के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

1. यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व- सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्व-प्रमाणित स्कैन की गई आधार कार्ड की प्रति) कंपनी के आरटीए को ईमेल द्वारा coimbatore@linkintime.co.in प्रदान करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (एनएसडीएल-16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या सीडीएसएल-16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन कॉपी) कंपनी के आरटीए को ईमेल द्वारा प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप ऊपर चरम 1 (क) में बताई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी **ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना**।
3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूडर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता सही ढंग से अपडेट करना होगा।

20. वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश

- (i) वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- (ii) केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- (iii) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।
- (iv) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

21. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

- (i) सदस्य एजीएम के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में इसके बाद उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके शामिल हो सकते हैं।
- (ii) एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम के सामने **जॉइन जनरल मीटिंग** मेनू के तहत **वीसी/ओएवीएम** लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक **शेयरधारक/ सदस्य** लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- (iii) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।
- (iv) सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- (v) इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा, यदि कोई हो, की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

(vi) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/ वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

(vii) शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, ईमेल, पता और मोबाइल नं. का उल्लेखकरते हुए दिनांक 20 सितंबर 2023 (08.00 बजे) से सितंबर 22, 2023 (16:00 बजे) तक speakers@cochinshipyard.in पर अपने पंजीकृत कर सकते हैं। एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार कंपनी पर निर्भर है।

(viii) वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। प्रश्न की प्रासंगिकता और वक्ताओं के आदेश का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ix) बैठक के समय वार्षिक खातों के संबंध में कोई भी जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले कंपनी को अपने प्रश्न भेजें ताकि प्रबंधन को जानकारी तैयार रखने में सक्षम बनाया जा सके।

22. अन्य अनुदेश

- (i) वे व्यक्ति जिन्होंने शेयर प्राप्त कर लिए हैं और सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं और 21 सितंबर 2023 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों को संभालते हैं, आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ई-मेल coimbatore@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं और www.evoting.nsdl.com से या सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in से नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश डाउनलोड करें।
- (ii) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अध्यक्ष या लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों के घोषित होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाएगा। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेजे जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण

मद संख्या. 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसरण में, कंपनी को कंपनी के लागू उत्पादों के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा के लिए एक लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है।

बोर्ड ने 11 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी 273 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में प्रतिवर्ष ₹ 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) और लागू करों के पारिश्रमिक पर मेसर्स राजेंद्रन मणि और वैरियर, लागत लेखाकारों (फर्म पंजीकरण संख्या 000006) को नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(3) के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, बोर्ड सामान्य संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस के मद संख्या 6 के संकल्प में संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 7

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति है। तदनुसार, श्री बिजॉय भास्कर (डीआईएन - 08103825) को भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 अप्रैल 2018 के पत्र सं. एसवाई-11012/4/2017-सीएसएल द्वारा पांच साल की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था जो उनके पद के कार्यभार संभालने की तिथि से यानी 05 अप्रैल 2018 से या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 15 फरवरी 2023 के अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2022-सीएसएल द्वारा उनका कार्यकाल 05 अप्रैल 2023 से उनकी अधिवर्षिता तक यानि दिनांक मई 31, 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अगली अवधि के लिए बढ़ा दिया है। उनका संक्षिप्त बायोडाटा जिसमें योग्यता, विशेषज्ञता आदि शामिल है, इसके साथ संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के अनुसार, उसके पहले प्रावधान के साथ पढित, कंपनी को अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

तदनुसार, बोर्ड एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद सं. 7 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री बिजॉय भास्कर और उनके रिश्तेदार इस समाधान में उस हद तक रुचि रखते हैं, जहां तक यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से, मद सं. 7 पर दिए गए समाधान में, वित्तीय या अन्यथा, चिंतित या रुचि नहीं रखता है।

मद संख्या 8

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक नवंबर 21, 2022) के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (3) के तहत विक्रम सिंह के स्थान पर कंपनी के बोर्ड पर अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में श्री राजेश कुमार सिंहा आईएस (डीआईएन : 05351383), अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को नियुक्त किया गया, जो दिनांक 21 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी होगा। उनका संक्षिप्त बायोडाटा जिसमें योग्यता, विशेषज्ञता आदि शामिल है, इसके साथ संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के अनुसार, उसके पहले प्रावधान के साथ पढित, कंपनी को अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

तदनुसार, बोर्ड एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद सं. 8 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री राजेश कुमार सिंहा आईएस और उनके रिश्तेदार इस समाधान में उस हद तक रुचि रखते हैं, जहां तक यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से, मद सं. 8 पर दिए गए समाधान में, वित्तीय या अन्यथा, चिंतित या रुचि नहीं रखता है।

मद सं. 9

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पत्र सं.

एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक जनवरी 02, 2023) के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (3) के तहत श्री ज्योतिलाल के आर के स्थान पर कंपनी के बोर्ड पर अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में श्री बिजु प्रभाकर आईएस (डीआईएन : 05351383), अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को नियुक्त किया गया, जो दिनांक 02 जनवरी 2023 से अगले आदेश तक प्रभावी होगा। उनका संक्षिप्त बायोडेटा जिसमें योग्यता, विशेषज्ञता आदि शामिल है, इसके साथ संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के अनुसार, उसके पहले प्रावधान के साथ पढ़ित, कंपनी को अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

तदनुसार, बोर्ड एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद सं. 9 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री बिजु प्रभाकर आईएस और उनके रिश्तेदार इस समाधान में उस हद तक रुचि रखते हैं, जहां तक यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से, मद सं. 8 पर दिए गए समाधान में, वित्तीय या अन्यथा, चिंतित या रुचि नहीं रखता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. A 25337

कोच्ची

सितंबर 05, 2023

पंजीकृत कार्यालय :

प्रशासनिक भवन

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल – 682015

सीआईएन: L63032KL1972GOI002414

दूरभाष: +91 (484) 236 1306

ई-मेल: secretary@cochinshipyard.in

वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 और के विनिमय 36 (3) और साधारण बैठक में सचिवीय मानक-2 के अनुसार 51 वीं वार्षिक साधारण बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति मांगनेवाले निदेशकों का विवरण

नाम और डीआईएन	श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन : 07376798)
आयु एवं जन्मतिथि	57 वर्ष, जनवरी 05, 1966
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	जनवरी 01, 2016
योग्यता	श्री मधु शंकुण्णी नायर 01 जनवरी 2016 ने कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण) की उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से इंजीनियरिंग (नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	जून 1988 में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के बाद से शिपयार्ड प्रबंधन के संपूर्ण क्षेत्र में श्री मधु शंकुण्णी नायर को कंपनी के साथ 35 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव है। उन्होंने कुरे, जापान में आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणालियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ओवरसीज़ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (ओवीटीए), टोक्यो और ओसाका इंटरनेशनल सेंटर, ओसाका, जापान में जेआईसीए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान में इंजीनियरिंग में मास्टर्स के दौरान जॉइनिंग एंड वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में शोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ कंपनी के सफल सहयोग और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आदेश हासिल करने के पीछे वह प्रेरक शक्ति थे। उनके नेतृत्व में, सीएसएल एक एकल इकाई कंपनी से सात इकाइयोंवाली एक बहु-इकाई कंपनी में बदल गई है - पोत निर्माण और पोत मरम्मत में सक्रिय मुख्य यार्ड, चार पोत मरम्मत इकाइयां और दो सहायक कंपनियां, जो भारत के दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी तट पर फैली हुई हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री मधु शंकुण्णी नायर ने दिनांक 01 जनवरी 2016 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र सं. एसवाई-11011/1/2009-सीएसएल दिनांक 11 दिसंबर 2015 के माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके अलावा, भारत सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एसवाई-11011/1/2009 - सीएसएल दिनांक 16 अक्टूबर 2020 के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री मधु शंकुण्णी नायर का कार्यकाल जनवरी 01, 2021 से पांच साल के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया। पारिश्रमिक सहित उनके रोजगार के नियम और शर्तें लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण, परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वि.व. 2021-22)	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	₹ 83.17 लाख
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) (सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां)
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	अध्यक्ष, प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन एवं अंतरण समिति, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	6/6
ए. स्वयं	1400
बी. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825)
आयु एवं जन्मतिथि	58 वर्ष, मई 07, 1965
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अप्रैल 05, 2018
योग्यता	श्री बिजोय भास्कर के पास केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) की डिग्री है। उनके पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) की डिग्री भी है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा किया है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री बिजोय भास्कर 29 जून 1988 को एक कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में कंपनी में शामिल हुए। उनके पास कंपनी के साथ 35 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है, जिसमें वह कंपनी के पोत डिज़ाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत प्रभागों में शामिल थे।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2022-सीएसएल दिनांक 15 फरवरी 2023 के माध्यम से निदेशक (तकनीकी) के रूप में श्री बिजोय भास्कर का कार्यकाल 05 अप्रैल 2023 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि यानी 31 मई 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। पारिश्रमिक सहित उनके रोजगार के नियम और शर्तें लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण, परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वि.व. 2021-22)	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	₹ 65.72 लाख हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) (सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां)
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	6/6
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
ए. स्वयं	शून्य
बी. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री राजेश कुमार सिंहा (डीआईएन : 05351383)
आयु एवं जन्मतिथि	57 वर्ष, मार्च 27, 1966
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	नवंबर 21, 2022
योग्यता	श्री राजेश कुमार सिंहा केरल कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनके पास राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री राजेश कुमार सिन्हा भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं और मंत्रालय में नौवहन मामलों के पोर्टफोलियो की देखरेख कर रहे हैं। उन्हें मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने केरल सरकार में जिलाधीश, वित्त विभाग के सचिव और बिजली, वन/वन्यजीवन में प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारत सरकार में शहरी विकास, मानव संसाधन विकास और ऊर्जा क्षेत्र में भी काम किया है।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक नवंबर 21, 2022 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (3) के तहत श्री राजेश कुमार सिन्हा को विक्रम सिंह के स्थान पर कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो अगले आदेश तक नवंबर 21, 2022 से प्रभावी है। उनकी नियुक्ति को विनयमित करनेवाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण , परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वि.व. 2021-22)	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	1/1
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री बिजु प्रभाकर (डीआईएन : 03093072)
आयु एवं जन्मतिथि	54 वर्ष, मई 31, 1969
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	जनवरी 02, 2023
योग्यता	श्री बिजु प्रभाकर एक आईएएस अधिकारी हैं और उनके पास प्रौद्योगिकी (केमिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक उपाधि और व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि है। उन्होंने कानून में उपाधि हासिल की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री बिजु प्रभाकर केरल सरकार के परिवहन विभाग के सचिव और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, उन्होंने केरल सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है, जैसे, सचिव, स्थानीय स्वशासन (शहरी) विभाग, सचिव, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, लोक निर्माण विभाग, जिलाधीश, तिरुवनंतपुरम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य लॉटरी के निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश के निदेशक, आईटी के कार्यपालक निदेशक @ स्कूल – विक्टर्स चैनल, आदि।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक जनवरी 02, 2023 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (3) के तहत श्री बिजु प्रभाकर को श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस के स्थान पर कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो अगले आदेश तक जनवरी 02, 2023 से प्रभावी है। उनकी नियुक्ति को विनियमित करनेवाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण, परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वि.व. 2021-22)	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। कोकण रेलवे निगम लिमिटेड केएसआरटीसी – स्विफ्ट कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति में सदस्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	1/1
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
ए. स्वयं	शून्य
बी. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

टिप्पण

[illegible]

टिप्पणा

[illegible]

टिप्पण

[illegible]



COCHIN SHIPYARD LIMITED

REGISTERED OFFICE

Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India
CIN: L63032KL1972GOI002414
Website: www.cochinshipyard.in





Globally Local

Annual Report 2022-23

What's inside

1 Corporate Overview

Shaping the future of maritime sector	04
Maintaining an impeccable track record	06
Delivering excellence beyond borders	07
Enhancing our manufacturing capacities	08
Expanding portfolio to meet diverse needs	12
Financial performance	14
Chairman's message	16
Key milestones reached in FY 2023	20
Key expansion projects	22
Taking giant strides towards a greener future	24
Nurturing potential, driving performance	28
Promoting sustainability	30
Caring for the community	34
Board of Directors	36
Safety at work	40
Corporate Information	41

2 Statutory Reports

Directors' Report	42
Report on Corporate Governance	82
Management Discussion and Analysis Report	106
Business Responsibility and Sustainability Report	116



Scan QR code or click the link below to visit our website

www.cochinshipyard.in

Forward-looking statements

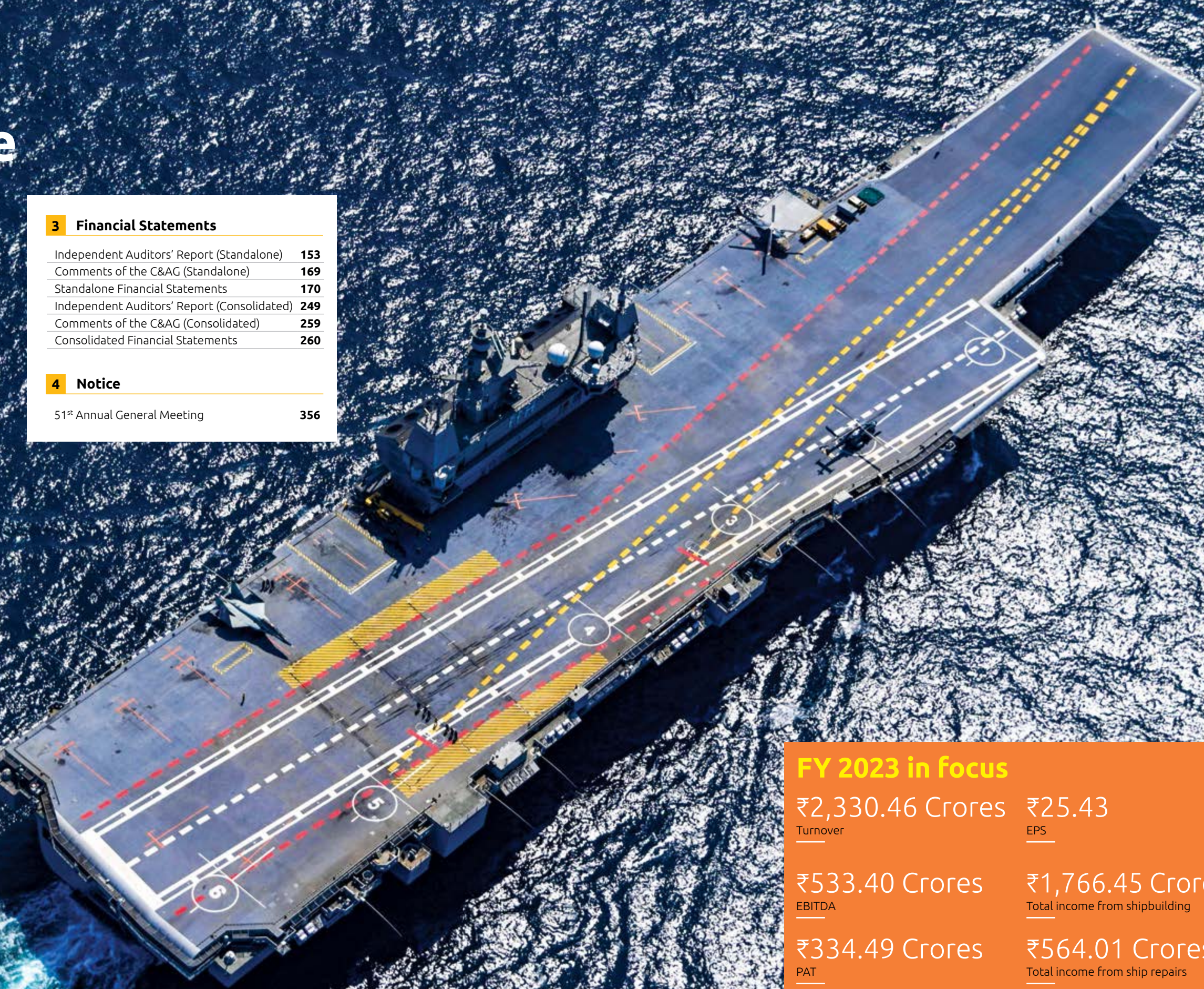
Some information in this report may contain forward-looking statements which include statements regarding Company's expected financial position and results of operations, business plans and prospects and so on and are generally identified by forward-looking words such as 'believe', 'plan', 'anticipate', 'continue', 'estimate', 'expect', 'may', 'will' or other similar words. Forward-looking statements are dependent on assumptions or basis underlying such statements. We have chosen these assumptions or basis in good faith, and we believe that they are reasonable in all material respects. However, we caution that actual results, performances or achievements could differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

3 Financial Statements

Independent Auditors' Report (Standalone)	153
Comments of the C&AG (Standalone)	169
Standalone Financial Statements	170
Independent Auditors' Report (Consolidated)	249
Comments of the C&AG (Consolidated)	259
Consolidated Financial Statements	260

4 Notice

51 st Annual General Meeting	356



FY 2023 in focus

₹2,330.46 Crores
Turnover

₹25.43
EPS

₹533.40 Crores
EBITDA

₹1,766.45 Crores
Total income from shipbuilding

₹334.49 Crores
PAT

₹564.01 Crores
Total income from ship repairs

With a rich legacy spanning over five decades, Cochin Shipyard Limited (CSL) has established itself as a global hub for shipbuilding, Ship repair and refits. CSL is renowned for its state-of-the-art infrastructure, skilled workforce and commitment to delivering high-quality vessels to clients worldwide.

CSL has played a significant role in the growth and development of the Indian maritime industry, contributing to both domestic and international trade.

CSL endeavours to innovate in existing and emerging technologies in its business processes to benchmark with the best standards followed across the globe to deliver unmatched engineering and service excellence. The Shipyard's expertise extends beyond shipbuilding and ship repair, as it also offers services such as offshore vessel construction, refits and conversions, marine engineering, strategic and advanced solutions in the maritime space etc., making it a one-stop hub where the world comes for ships.

CSL is committed to implementing innovative and eco-friendly solutions in all its engineering projects in an effort to minimise our carbon footprint and promote renewable energy sources, ensuring a greener and more sustainable tomorrow. As part of its commitment to sustainability, CSL has invested in research and development to explore alternative fuels and energy-efficient technologies for its vessels. Additionally, CSL collaborates with industry experts and partners to exchange knowledge and best practices in order to continuously improve its environmental performance.



Shaping the future of maritime sector

Cochin Shipyard is a renowned shipbuilding and ship repair company committed to excellence and innovation in the maritime industry. With a rich legacy spanning over five decades, we have emerged as a trusted name in delivering world-class vessels and providing comprehensive ship repair services.

Our state-of-the-art facilities and skilled workforce enable us to cater to a diverse range of requirements, ranging from commercial ships to naval vessels. Our team's expertise and experience allow us to deliver high-quality solutions that meet the highest standards of performance and reliability.

We take pride in our unwavering commitment to quality, safety and delivery, ensuring the utmost satisfaction of our esteemed clients. At Cochin Shipyard, we constantly strive to push boundaries, embracing cutting-edge technologies and sustainable practices, as we continue to shape the future of the maritime sector.

Vessels Built and Delivered (Total as on March 31, 2023)

21
Large vessels

35
Offshore Support vessels

93
Small & medium vessels

31
Defence vessels



Vision

- Emerge as an internationally preferred shipyard to construct world class Merchant and Naval ships, offshore vessels and structures.
- Be the market leader in India for ship repairs, including conversions and up-gradation.
- To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.



Objectives

- To sustain and enhance shipbuilding and ship repair activities through technology up-gradation and capacity augmentation.
- To continuously endeavour to expand/diversify activities of the shipyard including setting up new facilities.
- To carry out research and development in existing and emerging technologies in shipbuilding processes.
- To move towards international benchmarking, benchmark with the best shipbuilding standards followed in India.
- To motivate employees through improved specific training programs.
- To adopt best practices for clean and safe environment.
- Ride the down time with aggressive bidding and secure orders to maximize capacity.
- To ensure positive customer oriented initiatives.
- To build a responsible corporate citizen image through CSR & sustainability projects and compliance to corporate governance principles.



Mission

- To build and repair ships and offshore structures to international standards and provide value added quality engineering services.
- Sustain corporate growth in competitive environment.
- To adopt and undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.

Maintaining an impeccable track record

We have a strong track record of building and delivering prestigious vessels, including the Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy. Our expertise extends to constructing and repairing some of the largest ships in India. As a recognition to our strong financial performance, operational efficiency and contribution to national security, CSL has been upgraded to a 'Schedule A' CPSE by the Government of India.

Throughout the years, we have adapted to changing market demands, progressing from bulk carriers to more advanced and technically sophisticated vessels such as Platform Supply Vessels (PSV) and Anchor Handling Tug Supply Vessels (AHTS). CSL has pioneered in the green vessels segment, successfully building and delivering green vessels to domestic as well as international clientele.

Collaborating with renowned technology firms like Rolls Royce Marine, GTT, IHC Holland, Robert Allan, Fincantieri, Vard Group etc., we have solidified our position in the international market, exporting 47 vessels to esteemed clients in countries such as Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Denmark/Bahamas, Saudi Arabia and UAE.

Within the domestic market, we have established strong relationships with key clients such as the Indian Navy, the

Indian Coast Guard, the Ministry of Home Affairs, the Shipping Corporation of India Limited, the Lakshadweep Government, various Ports, the Inland Waterways Authority of India (IWA), the A&N Administration, the Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL), and the JSW Group. Our services also encompass the repair and upgradation of vessels, including those in the oil exploration industry, as well as routine maintenance, repairs, and life extension of ships.



Delivering excellence beyond borders



Map not to scale

Enhancing our manufacturing capacities

With advanced technologies and state-of-the-art infrastructure, we ensure top-notch shipbuilding and repair services. Our dedicated workshops, equipped with cutting-edge machinery, allow us to deliver high-quality ships.

Our dry docks and other facilities provide a secure environment for efficient construction and maintenance. Committed to sustainability, we prioritise eco-friendly practices and channelises our resources to keep up with international standards, wherever possible.



Kochi, Kerala

We possess exceptional infrastructure that enables the construction of ships weighing up to 1,10,000 DWT, as well as the repair of ships weighing up to 1,25,000 DWT. With a track record of around 175 vessel constructions and over 2,500 ship repair projects, including the remarkable achievement of building India's first Indigenous Aircraft Carrier, we stand as India's foremost and highly proficient shipbuilding and repair facility serving a diverse range of clients, encompassing commercial, defence, domestic and international sectors.

Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi

Dry dock 1: 255 x 43 x 9 Mtr
 Dry dock 2: 270 x 45 x 12 Mtr
 Dry dock 3: 310 x 75/60 x 13 Mtr (New)
 Berth: 1.3 KM

International Ship Repair Facility (ISRF), Kochi

Ship-lift: 6000T (130 x 25 Mtr)
 6 Work Stations
 Dedicated Shops & Maritime Park

Mumbai, Maharashtra



Set up CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) at the Mumbai Port with the objective of enhancing the current ship repair capabilities in the Mumbai region, we commenced our ship repair operations back in January 2019. Since then, it has achieved significant milestones by successfully completing repairs for around 90 vessels. By actively contributing to the enhancement of ship repair services, we have become a reliable and sought-after facility for ship repairs in the Mumbai area.

CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)

Dry dock: 300 x 30 x 9 Mtr
 1 KM berth for afloat repairs

Kolkata, West Bengal

Established CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) to cater to the ship repair needs of both the commercial and defence sectors on the east coast of India. Strategically located at the Shyama Prasad Mookerjee Port in Kolkata, we initiated our ship repair operations in October 2019. Since then, it has successfully executed several significant ship repair projects, solidifying our position as a reliable and proficient facility in the region. Whether serving the requirements of commercial enterprises or defence entities, we remain committed to delivering high-quality ship repair services in the Kolkata area.

CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)

Dry docks: 172 x 23 x 8 Mtr (2 numbers)



Port Blair, Andaman and Nicobar Islands



Established within the Marine Dockyard at Port Blair, CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU) has been set up with the primary objective of developing a comprehensive ship repair ecosystem in the Andaman and Nicobar Islands. This includes the augmentation and modernisation of existing facilities. We commenced the ship repair activities in November 2021, contributing to the growth and enhancement of ship repair services in the region. By leveraging its strategic location and commitment to modernization, we aim to establish a thriving ship repair industry at the A&N Islands, providing efficient and advanced services to meet the maritime needs of the area.

CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU)

Dry dock 1: 88 x 20 x 7 Mtr
 Dry dock 2: 68 x 16 x 5 Mtr
 Slipways: 25 x 8 Mtr (5 numbers)

Enhancing our manufacturing capacities contd...



Howrah, West Bengal

Located on the banks of the Hooghly River in Nazirgunge, Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), a wholly owned subsidiary of CSL, have been established as a compact shipyard with a specific focus on constructing high-quality inland and coastal vessels. This completely new state-of-the-art facility, dedicated to meeting the demand for such vessels, was officially inaugurated on August 16, 2022. By leveraging this strategic location and compact design, we are well-equipped to deliver exceptional shipbuilding services for inland and coastal purposes, ensuring the construction of vessels that meet stringent quality standards.

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL)

Slipway: 136 x 40 Mtr

3 Outfitting Jetties

Udupi, Karnataka

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) acquired in September 2020 via the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) process, is the other wholly owned subsidiary of CSL with its main facility located in Udupi, Karnataka. The operations of this facility commenced in July 2021. With its highly sophisticated infrastructure, CSL is well-equipped to deliver superior shipbuilding services, catering to the specific requirements of smaller and medium-sized vessels both in the domestic and international markets.



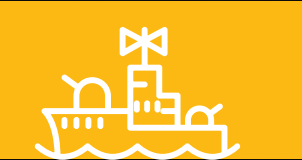
Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL)

Slipway: 96 x 22 Mtr



Expanding portfolio to meet diverse needs

Shipbuilding



Defence

Aircraft Carriers | Next Generation Missile Vessels | Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts | Technology Demonstration Vessel | Floating Border Out-Post Vessels | Fast Patrol Vessels | Hydrographic Survey Vessels | Offshore Patrol Vessels | Pollution Control Vessels



Commercial

Oil Tankers | Bulk Carriers | Dredgers | Pax Vessels | Tugs | Special Purpose Vessels | Deck Cargo/ Jacket Launch Barges | Electric Autonomous Vessels | Electric Passenger Ferries | Ro-Ro Vessels | Ro-Pax Vessels | Specialised Fishing Vessels | Marine Ambulance | Commissioning Service Operation Vessels



Offshore

Platform Supply Vessels | Anchor Handling/ Tug Supply Vessels | Multi-Purpose Vessels | Specialised Construction of Support Vessels

Ship Repair



- ▶ Maintenance and repairs of Aircraft Carriers and other Defence Vessels
- ▶ Repairs and maintenance of Tankers, Bulk Carriers, all kinds of Commercial and Specialised Vessels
- ▶ Oil Rig Upgradation, Repair Projects and Conversions

Marine Engineering Training



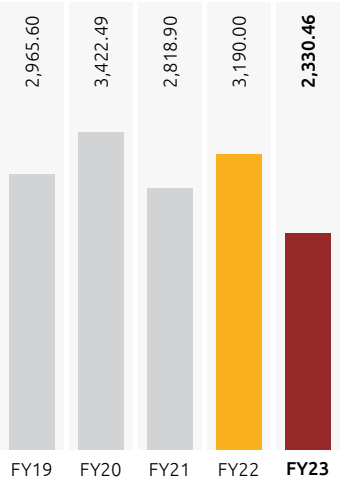
Strategic and Advanced Solutions



Financial performance

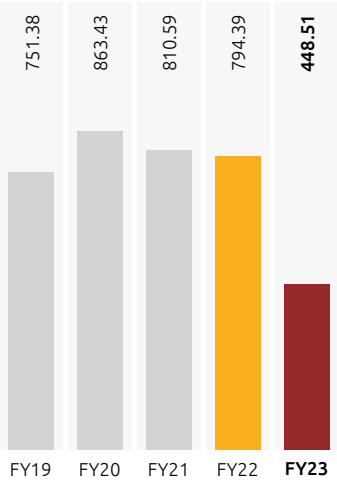
Turnover

(₹ in Crores)



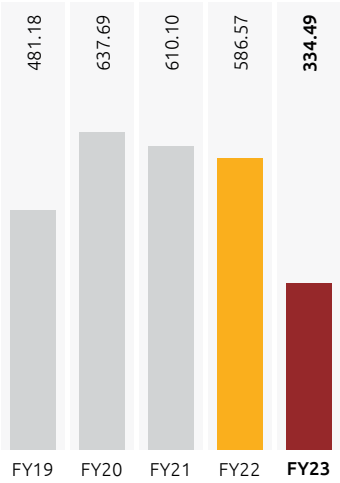
Profit Before tax

(₹ in Crores)



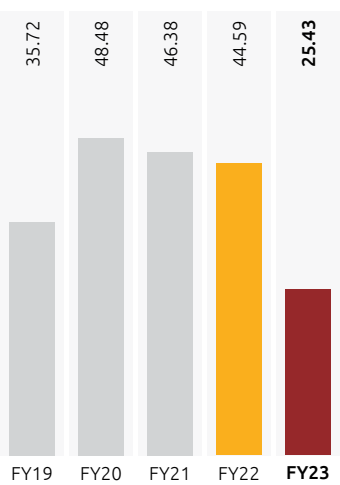
Profit After tax

(₹ in Crores)



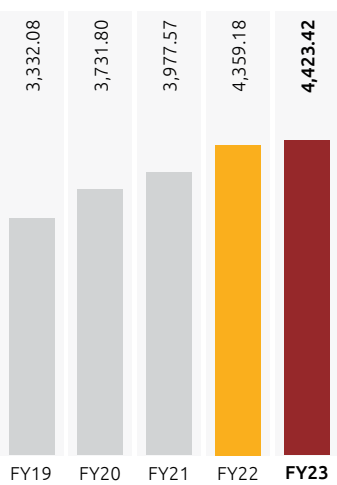
EPS

(₹)



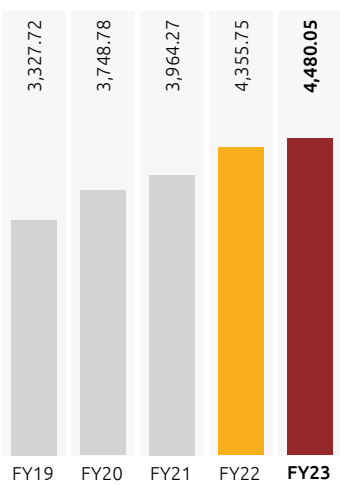
Net Worth

(₹ in Crores)



Capital Employed

(₹ in Crores)



10-year Performance review

Key Indicators	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019	FY 2018	FY 2017	FY 2016	FY 2015	FY 2014
EPS (₹ per share)	25.43	44.59	46.38	48.48	35.72	31.03	28.39	24.07	20.75	17.15
Face Value Per Share (₹)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
EBDIT/ Gross Turnover (%)	22.89	28.12	32.43	27.95	26.97	27.76	26.35	23.52	22.81	20.37
Net Profit Margin (%)	14.35	18.39	21.64	18.63	16.23	16.85	15.62	13.73	12.64	11.75
Return on Net Worth (%)	7.56	13.46	15.34	17.09	14.44	12.19	15.85	15.09	15.06	14.15
Return on Capital Employed (%)	10.80	18.81	15.39	17.01	14.46	12.13	15.59	15.65	14.82	13.86

Particulars	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019	FY 2018	FY 2017	FY 2016	FY 2015	FY 2014
Turnover	2,330.46	3,190.00	2,818.90	3,422.49	2,965.60	2,355.12	2,058.87	1,993.45	1,859.51	1,652.66
Total income	2,536.95	3,456.42	3,012.76	3,669.99	3,192.89	2,544.28	2,217.50	2,107.37	1,952.97	1,728.64
Profit Before Tax (PBT)	448.51	794.39	810.59	863.43	751.38	604.86	493.40	419.65	367.56	290.96
Depreciation & write offs	51.15	54.41	53.07	48.73	34.16	37.51	38.51	37.19	38.33	26.43
Profit After Tax (PAT)	334.49	586.57	610.10	637.69	481.18	396.75	321.55	273.79	235.07	194.24
Equity Share Capital	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28	113.28	113.28
Reserves & Surplus	4,291.88	4,227.64	3,846.03	3,600.25	3,200.54	3,119.93	1,915.30	1,701.05	1,447.79	1,239.25
Net Worth	4,423.42	4,359.18	3,977.57	3,731.80	3,332.08	3,255.87	2,028.58	1,814.33	1,561.07	1,352.53
Gross Fixed Assets	1,029.67	1,008.36	973.96	853.82	426.69	369.79	357.72	569.53	636.84	602.38
Net Fixed Assets	706.74	735.82	754.68	696.54	313.03	284.47	302.85	296.44	377.44	383.41
Number of Employees	1,883	1,756	1,727	1,710	1,744	1,781	1,829	1,671	1,786	1,751

Key Indicators – MoU with the Government of India

Key Indicators (Consolidated)	2022-23	2021-22
Value of Production (₹ in Crores)	2,365.99	3,194.47
Capex (₹ in Crores)	385.97	227.81
Exports as % of Revenue from Operations (%)	2.92	2.98
Reduction in total imports consumed over previous year (%)	19.60	-43.80
EBITDA as a percentage of Revenue (%)	17.91	25.64
Return on Net Worth (%)	7.02	13.61
Asset Turnover Ratio (%)	25.66	41.05
Trade Receivables as number of days of Revenue from Operations (No. of Days)	48.99	44.66
Expenditure on R&D/ Innovations Initiatives as % of PBT (%)	2.42	-

Chairman's message

Dear Shareholders,

It is with profound delight that I extend a warm welcome to each one of you on behalf of the Board of Directors to the 51st Annual General Meeting of your Company, Cochin Shipyard Limited (CSL). Allow me to share with you the highlights of the Company's performance and accomplishments during the fiscal year 2022-23, as well as our future endeavours.



Financial performance

The fiscal year 2022-23 presented certain financial and operational challenges for Cochin Shipyard Limited. Our results fell short of our initial expectations. Specifically, the revenue from operations for the year amounted to ₹2330.46 Crores, compared to ₹3190.00 Crores in the prior fiscal year. The profit before tax stood at ₹448.51 Crores, down from ₹794.39 Crores in the preceding year. The net profit for the year was ₹334.49 Crores, a decrease from ₹586.57 Crores in the previous year. Despite this, we achieved PAT Margins of 14%, while the Earnings Per Share (EPS) stood at ₹25.43. Moreover, we achieved an EBITDA of ₹533.40 Crores with a fairly decent EBITDA margin of 23%.

Our interactions during the conference calls on May 31, 2023, provided insight into the specific factors affecting our financial performance, and a comprehensive presentation on this matter can be found on the Company's website in the investor section. I have full confidence in CSL's resilience and anticipate a robust recovery in FY24, considering the strong order visibility and the execution of various orders in hand.

Operational performance

The Company delivered the first indigenously built Aircraft Carrier to the Indian Navy on July 28, 2022 and the vessel was commissioned by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi on September 02, 2022, which is a significant milestone not only for the Company but also for the entire nation. The construction of IAC is considered as the most ambitious warship project of the country as it is unprecedented in terms of size and complexity in comparison to any ship built in India till date, setting a new benchmark in Indian shipbuilding. Other noteworthy vessel deliveries during the year include two Autonomous Electric Barges, viz., "Marit" & "Theres", for Norway based ASKO Maritime AS, one 500 Pax Vessel viz., "Nalanda" for Andaman and Nicobar

Administration, three Floating Border Out-Post (FBOPs) Vessels built for Ministry of Home Affairs and seven Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for Kochi Metro Rail Limited.

Orders received during the year

CSL's prowess in securing substantial shipbuilding orders remained evident during the year. Despite intense competition, we secured orders for two Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) from Pelagic Group, Cyprus; six Next Generation Missile Vessels (NGMV) from Ministry of Defence and two Zero Emission Feeder Container Vessels, from companies based in Norway which are part of the SAMSKIP Group, headquartered in Netherlands. These achievements underscore our strengths in the Indian defence shipbuilding sector as also our credibility in the Global shipbuilding sector.

Major expansion projects

CSL is executing two large expansion projects costing ₹2,769 Crores viz., International Ship Repair Facility (ISRF) costing ₹970 Crores and new dry dock costing ₹1,799 Crores.

The new dry dock project is at an advanced stage of execution. Majority of the works viz., Ground improvement works, cofferdam works, dock wall sheet pile installation works, caisson gate unit fabrication, 3 out of 4 underground Substations, 280 Meter of dock floor (at a depth of 13m), 65% Civil Works of underground pump house (from depth of 21m), 98% RCC piling works, 40% crane track works, 50% caisson gate erection works, grand assembly area works etc. have been completed. Further, the fabrication of components of 600T gantry crane, a critical machinery for the dry dock, have been completed in South Korea. Delivery of crane components to the site is targeted by October 2023. Overall, the project is progressing well and it is expected to complete the construction by December 2023 and thereafter full commissioning of the project by mid of 2024.

The ISRF project had run into difficulties due to the financial problems faced by the turnkey contracting company, forcing us to terminate the contract. The physical progress of construction works reported till contract termination was 78%. As a result, the remaining of the job was divided into three independent tender packages. The works have been resumed with new contractors, the dredging works have since been completed and civil, mechanical and electrical works are progressing well. All the shiplift components have already been received at site and the 130m X 25m shiplift platform is under sea transit from Vietnam. We expect to complete commissioning of the ship lift and the first two workstations by December 2023, put the facility into initial stages of operation, and thereafter complete and commission the balance facilities by mid-next year.

Wholly owned subsidiaries

Hooghly Cochin Shipyard Limited:

During the financial year 2022-23 the setting up of new state-of-the-art ship building and repair facility at Nazirgunge was completed and on August 16, 2022, the Facility was dedicated to the nation by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways. The Facility has been set up in an area of 15.76 acres on the banks of river Hooghly at a cost of ₹175.20 Crores with an intention to position HCSL as a premier shipbuilding/ repair yard in the east coast of India for inland and coastal vessels. The facility stands as a testament to our commitment to excellence in shipbuilding on the east coast. HCSL bagged its first shipbuilding order for design and construction of a Multi-purpose cargo Vessel (2200T) for JAK Maritime & Logistics India Private Limited. The construction of the vessel is in progress. HCSL is also in advanced stages of completion of the caisson gate for Kolkata Port and is gearing up for construction of six Battery Electric Passenger Ferries for IWAI.

Chairman’s message contd...

Udupi Cochin Shipyard Limited:

The performance of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) has been excellent during the year 2022-23. UCSL bagged various key orders including two 70T Bollard Pull Tugs for Polestar Maritime Limited, Mumbai and has also achieved significant operational milestones viz., steel cutting and keel laying of two 62T Bollard Pull Tugs contracted for Ocean Sparkle Limited, steel cutting of two 70T Bollard Pull Tugs contracted for Polestar Maritime Limited etc. The Company has also completed delivery of various vessels including a couple of ship repair projects to the satisfaction of the customers. During the financial year 2022-23, UCSL reported a total income of ₹47.81 crores as against ₹10.08 crores for the previous year 2021-22. UCSL’s strong operational performance resulted in reducing its loss by 33% to ₹8.67 crores as against ₹12.94 crores for the previous year 2021-22. I am also glad to note that UCSL has recently bagged an order from M/s. Wilson Group, Norway, for construction of six New Generation Diesel Electric 3800 DWT General Cargo Vessels with an option for additional eight vessels. This significant breakthrough contracts from a reputed ship owner, in the promising European shortsea vessel segment is expected to open possibilities for more such contracts and will act as a major confidence booster for UCSL.

Corporate Governance

The Company continued to comply with good corporate governance practices. The Company complies with the applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises. The Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter

to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors’ Report.

Upgradation to ‘Schedule A’ status

I am delighted to share that the Company has been upgraded from ‘Schedule B’ to ‘Schedule A’ CPSE by the Government of India. The upgradation to ‘Schedule A’ was notified by the MoPSW on July 31, 2023. The upgradation is a recognition of CSL’s impressive financial performance, operational excellence, and its substantial contributions to national security. This upgrade highlights our dedication to maintaining the highest standards of efficiency and underscores our pivotal role in safeguarding the nation’s interests. Importantly, the upgrade to ‘Schedule A’ will empower CSL to operate with a broader senior management bandwidth, a necessity for effectively overseeing its seven units located across the country. We take great pride in this achievement, which serves as a testament to the hard work of our entire team and the unwavering support of our stakeholders.

Nurturing human resources

CSL believe in fostering an empowered workforce. It encourages us to adopt people-centric policies that are geared to ensure employee welfare. We also offer various training and development programmes that empower our people to upgrade their skillsets and facilitate continuous learning.

At the heart of our people orientation strategy lies four cultural competencies – Teaming, Execution Excellence, Constraint Breaking and Continuous Learning. Our leadership development programmes, including YOCDP, SCDP for newly inducted young officers and supervisors enables us to maintain

a steady pipeline of future leaders. We also realise the value of external trainings from prestigious institutions such as Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Corporate Affairs, Confederation of Indian Industry, Department of Public Enterprise etc. and encourage our people to enrol in various trainings to widen their knowledge and expertise. We take pride in creating an inclusive working environment for our people, allowing people from diverse backgrounds to flourish in their professional capacities.

Industrial relations

The industrial relations atmosphere remained cordial throughout the year, and the registered trade unions demonstrated their commitment to the Company’s increased productivity and sustainable growth. Employees’ and their dependents’ welfare and well-being were also adequately taken care of through various voluntary initiatives. A scheme named ‘Sayam Prabha’ benefitting our ex-employees who have retired before 2007, with a good financial gift on their 75th birthday and thereafter at their birthday every 5th year, has evoked very warm response from the society.

Embracing sustainability

Today, eco-consciousness is prerequisite for building a sustainable business. To fulfil this endeavour, we continue to undertake efforts that minimise our environmental footprint. With the ongoing construction of zero-emission vessels, we have made significant contributions to sustainable maritime environment. The Company is also making itself future ready to meet the sustainable shipbuilding demands and has also bagged various orders for building green vessels.

I am happy to inform that CSL is constructing the first fully indigenous

Zero Emission 100 pax Hydrogen Fuel Cell Passenger Catamaran Vessel in collaboration with Indian Partners. The catamaran vessel will be deployed at Varanasi after test and trial at Kochi. The project is expected to be completed by September 2023. Based on the success and experience of this Project, further scaling up at the national level is being contemplated with active advice and consultation with the MoPSW.

We have also undertaken concerted efforts to ensure energy efficiency. To accomplish this objective, we have replaced conventional high-pressure mercury vapour lights with energy-efficient LED lights at LLTT/Gantry Cranes. It has resulted in annual energy savings equivalent to 49,713 units, worth around ₹3.23 lakhs. Additionally, the use of LED lights for new projects, constructions and office buildings, along with the use of energy-efficient ceiling fans and VRF air conditioning systems, has led to annual energy savings of 1,60,606 units, valued at ₹10.44 lakhs.

We have also reduced our dependence on non-renewable energy by successfully generating 18.34 lakhs units of renewable energy in FY 2023 through the 1622 kWp solar power plant installed at our premises.

Giving back to society

We realise the importance of making a meaningful difference to lives and communities as a whole. It drives us to adopt extensive Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives focused on enhancing the quality of life. During the year under review, we have incurred CSR spends of ₹17.25 Crores and undertaken 122 projects encompassing health and nutrition, sports, education, rural development, women empowerment, and environmental conservation. From our home state of

Kerala to regions spanning the north eastern states, our CSR initiatives contribute to a more equitable and sustainable future.

Emphasis on workplace safety

CSL maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards. These measures serve as a foundation for our steadfast commitment to safety and quality. The Company have received the Safety Award from the Factories & Boilers Department, Government of Kerala, as well as distinctions from the National Safety Council - Kerala Chapter, in recognition of our efforts for maintaining the highest standards of safety at the workplace. These accolades recognise our continuous efforts to abide by globally accredited HSE standards.

Looking ahead

As we look ahead, we remain poised to open up promising opportunities. CSL has created a good position stemming from competence, capability, capacity and confidence in the defence shipbuilding and ship repair space. The emphasis of the Government on the coastal shipping/ inland waterways space as also in developing ship repair clusters in the country, all augurs well for the Company. In the global segments, your Company with a track record of having exported about 50 Nos. high quality ships is today perceived to be a trust worthy and technologically competent partner by the industry at large. This aspect along with changes in the geopolitical order and the global requirements led by the International Maritime Organization (IMO) for shipping

to transition into a sustainable mode in a time-bound manner is providing your Company with a strategic sweet spot to tap into the ‘Green Shipping’ opportunities. With a strong order book, ensuing pipeline of major defence projects, enhanced interest coming in from European segment, our emerging innovative initiatives in the maritime space, various Memorandum of Understandings for ship repair, we are optimistic about our near term and long term future. Our subsidiaries are also coming on their own with confidence.

Closing remarks

I would like to extend my profound gratitude to all those who have invested their time and energy in shaping the growth trajectory of this esteemed organisation. I am also thankful to our team for their constant dedication to achieve shared goals and overcome challenges in the operating environment.

The strong commitment of the board and the constant support of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Defence, other offices of Government of India, the Governments of Kerala, West Bengal, Maharashtra, Karnataka, and the Andaman and Nicobar Administration have greatly helped us to accomplish various targets and milestones.

To our shareholders, investors, and customers, your faith in our business has been instrumental in our continued growth, and I remain sincerely grateful to you.

Thank you,

Jai Hind,
Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Key milestones reached in FY 2023

2022

- ◉ **April 30**
CSL unveiled the Start-up engagement framework 'USHUS – Nurturing Aspirations' and committed to invest an initial corpus of ₹50 Crores in Start-up companies engaged in the maritime sector.
 - ◉ **May 07**
Keel laying of two Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for Kochi Water Metro.
 - ◉ **June 24**
Delivered two Autonomous Zero Emission Electric Vessels "Marit" & "Theres" to ASKO Maritime AS, Norway.
 - ◉ **June 30**
Delivered the Passenger cum 150 MT Cargo Vessel 'Nalanda' to Andaman and Nicobar Administration.
 - ◉ **July 12**
Delivered the second Hybrid Electric Catamaran Hull Vessel for Kochi Water Metro.
 - ◉ **July 28**
Delivered the first Indigenous Aircraft Carrier (IAC) 'INS Vikrant' to the Indian Navy.
 - ◉ **July 30**
Delivered the third and fourth Hybrid Electric Catamaran Hull Vessel for Kochi Water Metro.
 - ◉ **August 06**
Delivered the third and final lot of three Floating Border Out-Post (FBOP) Vessels out of nine FBOPs built for Ministry of Home Affairs, Government of India.
 - ◉ **August 12**
Launching of one 1200 Passenger cum 1000 MT Cargo Vessel being built for Andaman and Nicobar Administration.
 - ◉ **August 16**
The new state-of-the-art ship building and repair facility of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the wholly owned subsidiary of CSL, at Nazirgunge was dedicated to the nation by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways and Ayush, Government of India.
 - ◉ **August 30**
Keel laying of one Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASWSWC) and Steel Cutting of two Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASWSWCs), being built for the Indian Navy.
 - ◉ **September 02**
Commissioning of first Indigenous Aircraft Carrier (IAC) 'INS Vikrant' by Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi at CSL premises.
 - ◉ **October 15**
Delivered the fifth Hybrid Electric Catamaran Hull Vessel for Kochi Water Metro.
 - ◉ **October 17**
CSL won the 'Excellence in Indigenisation Award' at the Aerospace and Defence Awards 2022.
 - ◉ **November 02**
CSL bagged an international order for constructing two Commissioning Service Operation Vessels (CSOV), from a European client, with an option to build four more of such vessels.

2023

- 🕒 **February 01**
Steel Cutting of two HS Eco Freighter 7000 DWT Vessels being built for HS Service GMBH & Co. KG, Germany.
- 🕒 **February 21**
Keel Laying of two Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASWSWCs), being built for the Indian Navy.
- 🕒 **March 04**
CSL won safety awards of Kerala Chapter of National Safety Council, for 'best performing safety committee', and second prize for 'tabletop mock drill competition'; and the Kerala State Industrial Safety Award 2022 for 'outstanding performance in industrial safety & health from Department of Factories & Boilers, Government of Kerala.
- 🕒 **March 17**
CSL bagged an international order from the companies under Samskip Group for the design and construction of two Zero Emission Feeder Container Vessels with an option for two more such vessels.
- 🕒 **March 24**
CSL commissioned 600KVA, 750 Amps state-of-the-art energy efficient static frequency converter.
- 🕒 **March 27**
Steel Cutting of six HS Eco Freighter 7000 DWT Vessels being built for HS Service GMBH & Co. KG, Germany.
- 🕒 **March 30**
Commenced fabrication of India's first Hydrogen Fuel Cell Electric Ferry Vessel.
Delivered the eighth Hybrid Electric Catamaran Hull Vessel for Kochi Water Metro.
CSL signed contract with Ministry of Defence for construction of six Next Generation Missile Vessels (NGMV) for the Indian Navy.

Key expansion projects



New Dry Dock project

We are almost towards the last stage of constructing one of the largest dry dock in India measuring 310 x 75/60 x 13 Mtr with a 600T Gantry crane, capable of servicing LNG vessels, Aircraft carriers, Jack-up rigs, Drill ships, large tankers and merchant vessels. The facility's design life is an impressive 100 years, ensuring its longevity and value for generations to come. We are aiming to inaugurate the facility by December 2023, marking a

significant milestone in India's maritime infrastructure development.

The construction activities commenced in June 2018 and the physical progress achieved as on March 31, 2023 is 75%. Ground improvement works, cofferdam installation works, dock wall sheet pile installation works, 2 out of 4 underground Substations, 150 Mtr of dock floor, RCC bottom raft of underground pump house, 98% RCC piling works, caisson gate unit fabrication etc. completed. Further,

major civil works like balance dock floor construction, balance pump house construction (from depth of 21 Mtr) & other civil works like construction of 2 remaining Substations, crane track works, grand assembly area works, caisson gate works etc. are progressing.

75%

Physical progress of the project (as on March 31, 2023)



International Ship Repair Facility (ISRF) project

The ISRF will modernise and expand the existing ship repair facility in CSL. The ISRF includes 6000T shiplift for ships upto 130 x 25 Mtr with six work stations and allied facilities. It has a total outfitting berth of 1500 Mtr approx.

The construction works of ISRF project, which commenced in November 2017, was progressing till February 04, 2022.

However, due to the financial difficulties of the construction contractor appointed for ISRF project, construction activities were severely affected and eventually CSL terminated the contract on February 04, 2022. CSL thereafter had split the balance works into three separate tender packages. As per present schedule, shiplift system is targeted for commissioning by December 2023 followed by full project completion in June 2024.

78%

Physical progress of the project (as on March 31, 2023)

Taking giant strides towards a greener future

In a world threatened by climate change, need of the hour is to reconcile environmental protection and economic growth. At CSL, we focus on minimising our environmental footprint and conserving the natural resources through well-calibrated initiatives. We undertake several measures to mitigate environmental risks in the ecosystem we operate.

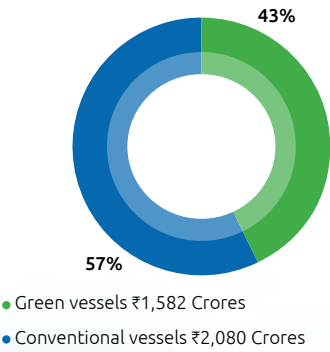
World's first zero emission feeder container vessel

In FY 2023, we secured a prestigious contract to construct two cutting-edge feeder container vessels that operate with zero emissions. These state-of-the-art ships will be powered by fuel cells, utilising green hydrogen as their energy source. With a capacity to carry 365 units of 45-foot long high-cube containers, these vessels are strategically tailored to meet the demands of the environmentally conscious European

Market, where sustainable transportation solutions are in high demand.

The project is set to foster exceptional stakeholder cooperation, establishing itself as a prime example of best-in-class collaboration. As Europe steadily transitions into fully green regimes, being among the early pioneers in this space allows us to seize the advantage and fully capitalise on the opportunities in this forward-thinking industry.

Green Compliment in Commercial Order book



HS Eco Freighter 7000 DWT Multi-Purpose Vessels

In FY 2023, we secured a significant contract to construct 8 HS Eco Freighter 7000 DWT Multi-Purpose Vessels for Germany, all powered by electric propulsion. These vessels play a vital role in the logistics network, connecting North Sea ports to the Southern Mediterranean ports.

Commissioning Service Operation Vessels

We secured a major international order for constructing Commissioning Service Operation Vessels (CSOVs) for offshore wind farms. This project perfectly aligns with India's vision of 'Make in India, Make for the World,' showcasing our country's growing prominence in sustainable energy solutions.



Taking giant strides towards a greener future contd...

ASKO project

We have successfully completed and delivered two cutting-edge autonomous electric barges. These remarkable vessels are integral to the ASKO project, which represents an initiative to achieve emission-free transportation of goods

across the Oslo fjords. The Norwegian government has generously supported this ambitious project as part of its green shipping programme.

Our team at CSL has played a key role in meticulously constructing these vessels, reinforcing our Shipyard’s

position as a premier facility for high-tech vessel construction and sustainable solutions. This achievement signifies our commitment to advancing the maritime industry and promoting eco-friendly transportation alternatives.



New generation diesel electric general cargo vessels

We secured a prestigious international contract for the design and construction of six new generation diesel electric 3800 DWT general cargo vessels. This project presents an exciting opportunity

for us to gain extensive knowledge and expertise in constructing mini bulk carriers and diesel electric propulsion.

These contracted vessels are a significant milestone for us as they mark the largest and first of their kind ever to be constructed in UCSL, our wholly owned

subsidiary. Complying with the latest emission regulations, they represent a major advancement in the industry. As the global trend shifts towards ‘Green’ regimes with a focus on fully electric solutions, we are well-positioned to capitalise on the increasing demand for diesel electric propulsion.



Nurturing potential, driving performance



At CSL, we think that a diverse, competent and agile workforce is our most significant asset and is essential to achieving our goals. It is our dedicated team that has been propelling us towards achieving targets and providing us with a competitive advantage. Our robust people practices are designed to promote a culture of collaboration, accountability and high performance along with our focus on continuous learning enables us to attract and retain talent and nurture future leaders.

We understand the importance of nurturing our workforce to ensure their growth and success. Thus, our focus lies in the effective management and development of our HR, encompassing recruitment, training and development, performance appraisal and rewards. We take steps to maintain a positive work environment and strive to foster healthy employer-employee relations. The cornerstone of our business continues to be our dedication to our employees’ welfare.

HR Vision

Emanating from the goals and objectives enshrined in the corporate mission statement, the strategic HR vision of CSL is to strive and create a unique institution that integrates creativity, innovation, technology, business and good corporate governance practices for all round improvement in the quality of work life of the Yard’s workforce.

HR Mission

To provide a vibrant platform for all those working in the Yard to give their best and ensure all round growth both for the individual and organisation.

HR Policy

HR policies are oriented towards providing the right mix of human resources, their empowerment and enrichment so as to meet organisational targets and results.



Building leadership skills

Cochin Shipyard places a strong emphasis on fostering leadership capabilities among its employees through a range of leadership accelerated programmes. These programmes provide valuable training opportunities at prestigious institutions and esteemed organisations. The primary objective of these initiatives is to nurture and enrich the leadership skills of the workforce.

We cultivate a culture of continuous learning and development through programmes like ‘Igniting Minds and Mentoring’. By encouraging knowledge sharing and offering guidance, Cochin Shipyard creates an environment that supports both personal and professional growth for its employees. Through these initiatives, employees have the opportunity to expand their horizons,

acquire new skills and enhance their expertise, ultimately contributing to the overall success of the organisation.

We also collaborate with AOTS (Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships) to provide specialised training opportunities in Japan, ensuring employees gain exposure to international expertise and practices.

281
Female Direct Work Force

62
Differently abled direct workforce

5,500
Sub-contract workforce

3,121
Direct workforce

Promoting sustainability

CSL is actively committed to environmental conservation. We leverage innovative technologies to shrink our carbon footprint. Our diverse energy sources and Energy Policy, backed by data-driven insights, drive energy efficiency and waste reduction, making us environmentally responsible.

Action towards Energy conservation

Lighting systems of various cranes used conventional high-pressure mercury vapour (HPMV) lights. These lamps were power intensive and required frequent maintenance. In order to provide better lighting and to improve the productivity, HPMV lamps were replaced with energy efficient LED lights at various LLTT/ Gantry Cranes.

49,713 units

Annual energy savings equivalent to ₹3.23 lakhs

CSL adopted a policy for installing maximum number of LED lights instead of conventional light fittings in new projects/ constructions and office buildings. We also installed VRF air conditioning systems at office buildings, which are considered to be more energy efficient compared to split-type systems. Furthermore, all new ceiling fans installed are more energy efficient BLDC fans.

1,60,606 units

Annual energy savings equivalent to ₹10.44 lakhs



We have also taken major initiative in the field of renewable energy by installing solar panels on the rooftop of various buildings inside and outside CSL premises. As of March 31, 2023, solar power plant of capacity 1622 kWp has been commissioned in CSL.

18.34 lakhs

Units generated FY 2023

35.52 M KWh

Total energy consumption

2.17 M KWh

Renewable energy

33.35 M KWh

Non-renewable energy



Promoting sustainability contd...

- During the financial year 2022-23, CSL commissioned 600KVA, 750 Amps state-of-the-art energy efficient static frequency converter. With this addition, CSL can now provide pure sine wave power to all its docks and quays. This along with CSL's 1.6MWp PV solar power enables CSL to supply clean energy to 60 Hz category ships.

We promote the movement of our guests to different sites within the Yard in electric carts, which is an environmentally friendly transport system.

We arranged a week-long event to mark Energy Conservation Day 2022, observed annually on

December 14th. The focus of the program was raising awareness on "Energy Optimization – the Need of the Hour".

As a component of our energy preservation endeavours, we undertake energy audits for all our high-tension (HT) and extra-high-tension (EHT) installations every three years. This practice aims to enhance the energy efficiency of these systems.

Through ongoing surveillance and enhancement efforts, we ensure the power factor at the receiving end remains close to unity. This is achieved by employing HT/ LT capacitor banks at different
- substations. Notably, CSL receives an annual power factor incentive of around ₹35 Lakhs from KSEB Ltd., which is granted solely when the power factor is upheld above 0.95.

To enhance energy conservation efforts at CSL, an Energy Cell has been established. Sub-team members meet bi-monthly to propose energy-saving measures in their respective areas. The core team meets quarterly to review and finalize these recommendations. Sub-teams identify energy wastage areas, devise reduction plans and promote energy-saving habits among colleagues.
- To encourage the adoption of eco-friendly practices, CSL has introduced electric vehicle charging stations strategically positioned at various parts of its premises. These charging stations are designed to accommodate electric two-wheelers and can concurrently charge up to three vehicles. Operating on clean energy, these
- stations are powered by a collective 20 kWp grid-connected solar power facility. This initiative has led to a notable reduction in carbon emissions as more employees have transitioned to electric vehicles. As an added incentive, employees who own electric two-wheelers can take advantage of these charging facilities at no cost.
- Moreover, the availability of these charging stations can be conveniently checked by users through dedicated mobile applications. This user-friendly feature ensures that those utilising electric vehicles can effortlessly access and utilise the charging infrastructure.
-
-
- 32

Cochin Shipyard Limited
- Annual Report 2022-23

33

Caring for the community



Our foremost commitment lies in fostering the comprehensive well-being of society through our dedicated Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives. We firmly believe that it is our responsibility to conduct business while promoting shared and inclusive growth, leading to prosperity by enhancing the quality of life for both society and the environment.

By actively engaging with communities, investing in education, healthcare and sustainable practices, we aim to contribute towards a more equitable and sustainable future for all.

FY 2022-23

₹17.25 Crores
Total CSR spent

122
Projects undertaken

Health & Nutrition
Theme for the year 2022-23



'Pathways to Empowerment' Shakti – Women Empowerment Centre at Jaipur, Rajasthan



'Beyond Scavenging' Pioneering a Path to Dignity and Progress - Robotic technology for manhole cleaning



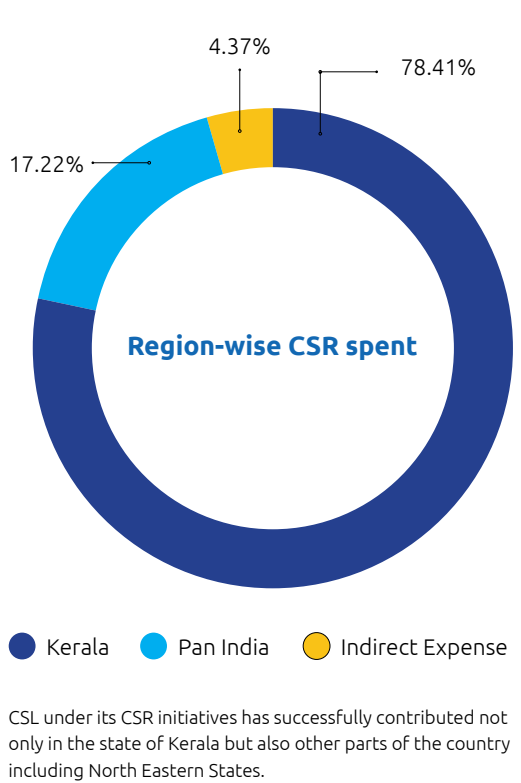
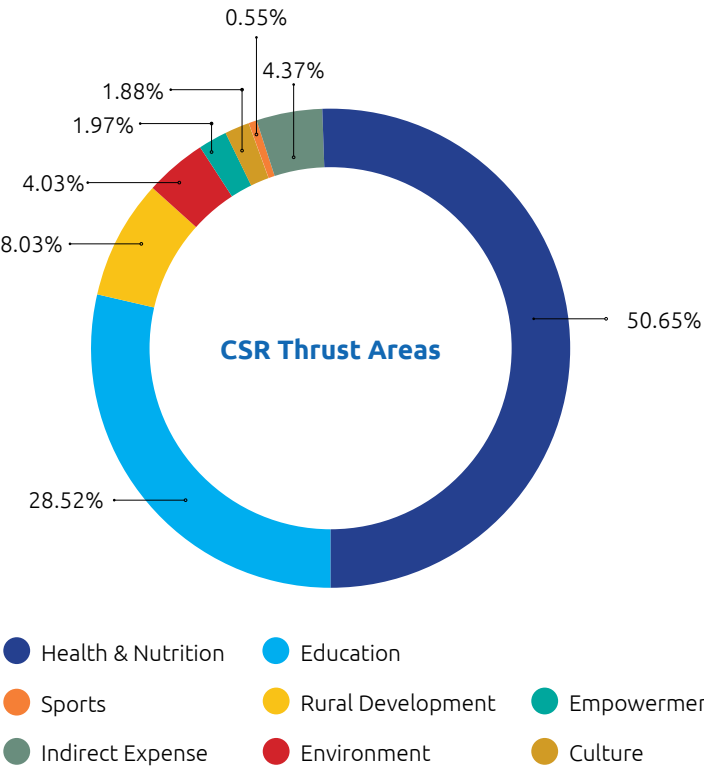
'Towards a Healthier Tomorrow' Open Air Gym at 10 Locations in Ernakulam



'Hydration Hub'- Drinking Water Facility at Vocational Training Centre for the Differently Abled



'Goal by Goal' Endeavour for Tribal Football Excellence



Board of Directors
 Creating value through good governance

Our corporate governance framework is aligned to the culture of the Company and ensures sound management and responsible decision making. We have established effective governance policies, procedures and guidelines for all aspects of our operations, from financial management to employee relations. It is critical for us to maintain accountability, transparency and ethical behaviour in our business. By upholding high standards of governance, we move beyond compliance to create holistic value for all our stakeholders.

1



Shri Madhu Sankunny Nair
 Chairman & Managing Director

2



Shri Bejoy Bhasker
 Director (Technical)

3



Shri Jose V J
 Director (Finance) & Chief Financial Officer

4



Shri Sreejith K Narayanan
 Director (Operations)

5



Shri Rajesh Kumar Sinha IAS
 Part-time official (Nominee) Director

6



Shri Biju Prabhakar IAS
 Part-time official (Nominee) Director

7



Smt. Amrapali Prashant Salve
 Non-official (Independent) Director

8



Shri Nahar Singh Maheshwari
 Non-official (Independent) Director

9



Shri Ashok Sharma
 Non-official (Independent) Director

10



Shri Prithiviraj Harichandan
 Non-official (Independent) Director

11



Shri Venkatesan M
 Non-official (Independent) Director

12



Shri Abhijit Biswas
 Non-official (Independent) Director

1
 Shri Madhu Sankunny Nair
 Chairman & Managing Director

Shri Madhu Sankunny Nair assumed charge as the Chairman & Managing Director of the Company on January 01, 2016. He holds a degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture and Ship Building) from Cochin University of Science & Technology in first class and Masters in Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering) from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He has more than 35 years of professional experience with the Company since joining as Executive Trainee in June 1988 in the entire gamut of Shipyard management. He was the driving force behind the Company's successful collaborations with international technology partners and bagging of significant international orders. During his tenure, CSL became a listed company after a successful Initial Public Offer and was also upgraded to a 'Schedule A' CPSE, the highest categorisation a CPSE can attain. Under his leadership, CSL has significantly transformed from a single unit company to a multi-unit company with seven units – main yard active in shipbuilding and ship repair, four ship repair units and two subsidiaries, spread across South, West & East coast of India. He is a strong believer in power of people and the "people first policy" conceived by him is aimed at steering CSL into a knowledge organization. He is the Fellow of The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA) and Fellow of Institution of

Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). As a recognition for his valuable contributions, he has been bestowed with several accolades; CUSAT Distinguished Alumni Award 2022, Samudra Manthan Prof K R Bhandarkar Award 2022, Rotary Icon 2023 Award, Pride of KMA Award, to name a few. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

2
 Shri Bejoy Bhasker
 Director (Technical)

Shri Bejoy Bhasker assumed charge as the Director (Technical) of the Company on April 05, 2018. He holds a degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He joined the Company on June 29, 1988 as an executive trainee. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 35 years of work experience with the Company wherein he was involved in Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair divisions of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

3
 Shri Jose V J
 Director (Finance) & Chief Financial Officer

Shri Jose V J assumed charge as Director (Finance) and Chief Financial Officer of the Company from August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 32 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

4
 Shri Sreejith K Narayanan
 Director (Operations)

Shri Sreejith K Narayanan assumed charge as the Director (Operations) of the Company on July 21, 2022. He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Regional Engineering College, Calicut & Master of Business Administration from School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology. He joined the Company on June 16, 1988 as an executive trainee and he has more than 35 years of work experience spanning across Ship Building, Ship Design and Ship Repair. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

Board of Directors contd...

5

Shri Rajesh Kumar Sinha IAS
Part-time official (Nominee) Director

Shri Rajesh Kumar Sinha IAS is a Part-time official (Nominee) Director of the Company representing Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India from November 21, 2022. He holds a Post Graduate Degree in Political Science. He is a 1994-batch IAS officer of Kerala Cadre and is presently serving as Additional Secretary in Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India looking after the portfolio of Shipping matters in the Ministry. He has also been assigned the additional charge of Chief Vigilance Officer of the Ministry. Prior to joining as Additional Secretary, MoPSW, he has performed as District Collector, Secretary, Finance Department & Principal Secretary in Power, Forest/ Wildlife in the Government of Kerala. He has also worked in Urban Development, HRD and Energy Sector in the Government of India. He is also serving as a Director in Shipping Corporation of India Limited and an Ex-officio Member in the Board of Chennai Port Authority.

6

Shri Biju Prabhakar IAS
Part-time official (Nominee) Director

Shri Biju Prabhakar IAS is a Part-time official (Nominee) Director of the Company representing Government of Kerala from January 02, 2023. He is an IAS Officer and is presently serving as Secretary, Transport Department, Government of Kerala. He holds a Bachelor’s degree in Technology (Chemical Engineering) and a Master’s degree in Business Administration. He is also a Law graduate. Prior to his present posting, he has held various key positions in the Government of Kerala viz., Secretary, Local Self Government (Urban) Department, Secretary, Department of Social Justice and Women & Child Development, Secretary, Public Works Department, District Collector, Trivandrum, Commissioner of Food Safety, Director of State Lotteries, Director of Public Instruction, Executive Director of IT @ School - Vickers Channel etc. He is also the Chairman & Managing Director of Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) and KSRTC – SWIFT Limited. Further, he is also serving as a Director in Konkan Railway Corporation Limited, Kochi Metro Rail Limited and Kochi Water Metro Limited.

7

Smt. Amrapali Prashant Salve
Non-official (Independent) Director

Smt. Amrapali Prashant Salve is a Non-official (Independent) Director of the Company from November 26, 2021. She holds a degree of Bachelor of Arts in Economics and Sociology from Mumbai University. She is currently serving as the Vice-President of Mahila Morcha, Maharashtra. She is actively engaged in social service and women empowerment by arranging training and skill development programmes. She is also working for self-help group viz., Pandit Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission.

8

Shri Nahar Singh Maheshwari
Non-official (Independent) Director

Shri Nahar Singh Maheshwari is a Non-official (Independent) Director of the Company from December 01, 2021. He holds a Post Graduate degree in Law from Rajasthan University. He also holds a degree in Master of Arts in Political Science and Public Administration, both from Rajasthan University. Further, he has a diploma in Labour Law from Rajasthan University. He is a member of the Bar Council of Rajasthan and practicing as lawyer since 1989. His area of specialisation includes Legal, Management and Social Service.

9

Shri Ashok Sharma
Non-official (Independent) Director

Shri Ashok Sharma is a Non-official (Independent) Director of the Company from November 26, 2021. He holds a Post Graduate degree in Hindi, Sanskrit, Political Science and Education. He has also received Honorary Doctorate in literature (Vidhya Vachaspati) from Vikramshila Hindi Vidyapeeth (Bhaghalpur, Bihar). He started his career as a lecturer and is currently serving as the Principal of RNI College, Bhagwanpur in Haridwar District. He has also been associated with journalism as writer/ editor in many newspapers like Dainik Jagran, Punjab Kesari, Amar Ujala, Badri Vishal etc. He is also associated with many social organisations like Sanskar Bharti, Sewa Bharti etc. and various teachers’ organisations in order to support the causes for the benefit of society. He is actively serving as State Spokesperson of Uttarakhand Madhyamik Shikshak Sangh and is founder member of Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Uttarakhand. He is also serving as the State Vice-President in Pradhan Mantri Jan Kalyankari Yojna Prachar Prasar Abhiyan (PMJKYPPA).

10

Shri Prithiviraj Harichandan
Non-official (Independent) Director

Shri Prithiviraj Harichandan is a Non-official (Independent) Director of the Company from November 22, 2021. He holds a Master of Science degree in Zoology from Utkal University, Bhubaneswar. He is also an MBA graduate in Human Resource and Finance from Amity University. Presently, he is serving as the Chairman of Mahatma Gandhi Gram Swaraj Abhiyan and National Council of Martial Tradition and Culture (NCMTC). His area of specialisation includes Management, Administration and Social Service.

11

Shri Venkatesan M
Non-official (Independent) Director

Shri Venkatesan M is a Non-official (Independent) Director of the Company from November 22, 2021. He holds a Post Graduate Degree in Arts from Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai. He was the Chairman of National Commission for Safai Karmacharis (NCSK). He has also served as the State President of SC Morcha, Tamil Nadu. He is also a notable writer and has authored various books mainly focussing on the issues relating to Dalits.

12

Shri Abhijit Biswas
Non-official (Independent) Director

Shri Abhijit Biswas is a Non-official (Independent) Director of the Company from December 01, 2021. He holds a degree of Bachelor of Commerce from Calcutta University. He has around 16 years of experience as financial service consultant. He is a Social Worker and is actively involved in various socio-political issues.

Safety at work

Cochin Shipyard Limited is fully committed to maintaining high HSE standards and ensuring the safety and wellbeing of our employees, customers and stakeholders.

Integrated Management System (IMS)

ISO 9001:2015
Quality Management System

ISO 14001:2015
Environmental Management System

ISO 45001:2018
Health and Safety Management System



Awards and Recognitions

As a testament to our dedication and commitment to maintaining high HSE standards, CSL has received several HSE awards during the year 2022-23

- (i) Safety Award, Factories & Boilers Dept., Government of Kerala under very large factories above 500 workers in Engineering industry category
- (ii) Safety Awards won by Team CSL at National Safety Council - Kerala Chapter
- (a) Sreshta Suraksha Puraskar - for Outstanding Safety Performance (1st prize);
- (b) Best Safety Committee – 1st prize; and
- (c) Table top Mock Drill – 2nd prize.



Corporate Information

Board of Directors

Shri Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director

Shri Bejoy Bhasker
Director (Technical)

Shri Jose V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer

Shri Sreejith K Narayanan
Director (Operations)

Shri Rajesh Kumar Sinha IAS
Additional Secretary
Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Govt. of India
Part-time official (Nominee) Director

Shri Biju Prabhakar IAS
Secretary, Transport Department
Govt. of Kerala
Part-time official (Nominee) Director

Smt. Amrapali Prashant Salve
Non-official (Independent) Director

Shri Nahar Singh Maheshwari
Non-official (Independent) Director

Shri Ashok Sharma
Non-official (Independent) Director

Shri Prithiviraj Harichandan
Non-official (Independent) Director

Shri Venkatesan M
Non-official (Independent) Director

Shri Abhijit Biswas
Non-official (Independent) Director

Chief Vigilance Officer

Smt. S Uma Venkatesan IRS

Company Secretary & Compliance Officer

Shri Syamkamal N

Management Team

Shri Neelakandhan A N
Chief General Manager (Planning & Project Management)

Shri Rajesh Gopalakrishnan
Chief General Manager (Ship Repair)

Shri Harikrishnan S
Chief General Manager (Ship Building)

Shri Eldho John
General Manager (Technical & Infra Projects)

Shri Sivakumar A
General Manager (Materials)

Shri Sunil Kumar K R
General Manager (IAC & Defence Projects)

Smt. Anjana K R
General Manager (Design)

Shri Jayan K Thampi
General Manager (Outfit-Commercial Ships)

Shri Shiraz V P
General Manager (PM (IAC/DP) & Strategy)

Shri Sivaram Narayana Swamy
General Manager (Business Development-Ship Building)

Shri Subash A K
General Manager (HR & Training)

Shri Deepu Surendran
General Manager (C-SAS)

Shri Santhosh Philip
General Manager (Ship Repair)

Shri Shibu John
General Manager (Finance)

Shri Harikumar K
General Manager (Hull & Shops)

Registered Office

Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India

Bankers

State Bank of India
Canara Bank
Union Bank of India
IDBI Bank
Axis Bank

Statutory Auditors

M/s. Anand and Ponnappan
Chartered Accountants
Paramalaya-Karimpetta Road
Kochi – 682 016

Secretarial Auditors

M/s. Mehta & Mehta
Company Secretaries
201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor
49/A Dr. Annie Besant Road
Above Corporation Bank
Worli, Mumbai – 400 018

Cost Auditors

M/s. BBS & Associates
Cost Accountants
62/102, 1st Floor
Nenmanasserryillom
Illom Road off Paliam Road
Kochi – 682 016

Debenture Trustees

SBICAP Trustee Company Ltd.
4th Floor, Mistry Bhavan
122 Dinshaw Vachha Road
Churchgate, Mumbai – 400 020

Registrar & Transfer Agents

Link Intime India Pvt. Ltd.
Surya, 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road
Coimbatore – 641 028

Directors' Report

Dear Shareholders,

1. Your Directors have immense pleasure in presenting the 51st Annual Report of your Company along with the audited financial statements for the year ended March 31, 2023.

Financial Performance

2. Diversified operational segments and product profile helped the Company to achieve a turnover of ₹2330.46 Crores for the year as compared to ₹3190.00 Crores in the year 2021-22. The profit before tax is ₹448.51 Crores for the year as against ₹794.39 Crores in the previous year. The net profit is ₹334.49 Crores as compared to ₹586.57 Crores for the previous year.
3. The authorised share capital of the Company is ₹2,50,00,00,000/- divided into 25,00,00,000 equity shares of face value of ₹10/- each. The paid up share capital of the Company is ₹1,31,54,03,900/- divided into 13,15,40,390 equity shares of face value of ₹10/- each.

Financial Highlights

(₹ Crores)			
Sl. No.	Particulars	2022-23	2021-22
(i)	Gross Income	2536.95	3456.42
(ii)	Profit before finance cost, depreciation, tax & exceptional items	533.40	895.28
(iii)	Finance costs	33.74	46.48
(iv)	Depreciation & write off	51.15	54.41
(v)	Profit Before Tax	448.51	794.39
(vi)	Tax Expense	114.02	207.82
(vii)	Net profit	334.49	586.57

Dividend

4. As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated May 27, 2016 issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net worth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a final dividend of ₹3/- per share on the 13,15,40,390 fully paid equity shares of ₹10/- each.

Earlier, two interim dividends of ₹7/- each aggregating to ₹14/- per equity share had been paid to the shareholders during 2022-23. Thus, the total dividend for the year 2022-23 is ₹17/- per equity share (170%), amounting to ₹223.62 Crores. No unclaimed dividend (previous years') is due to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Dividend Distribution Policy

5. As per Regulation 43A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the top 1000 listed entities shall formulate a dividend distribution policy. Accordingly, dividend distribution policy has been adopted to set out the parameters and circumstances that will be taken into account by the Board in determining the distribution of dividend to its shareholders and/ or retaining the profit into the business. The policy is available on the website of the Company at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Transfer to Reserves

6. No amount has been transferred to Reserves for the financial year 2022-23. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is not required to create Debenture Redemption Reserve in respect of the bonds issued by it. As on March 31, 2023, the Company has Reserves and Surplus amounting to ₹4291.88 Crores which reflects the inherent financial strength of the Company.

Shipbuilding

7. The Company achieved a total shipbuilding income of ₹1766.45 Crores during 2022-23 as against ₹2511.48 Crores in 2021-22. During the year 2022-23, CSL delivered the first indigenously built Aircraft Carrier 'INS Vikrant' to the Indian Navy. INS Vikrant was commissioned into the services of the Indian Navy by the Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi on September 02, 2022 in a grand event organised in CSL, Kochi. Further, CSL delivered two nos. of Autonomous Electric Barges viz., "Marit" & "Theres", for

Norway based ASKO Maritime AS. The 67 Mtr. long vessels were delivered as Full-Electric Transport Ferries powered by 1846 kWh capacity battery. Further, CSL delivered one no. of 500 Pax vessel viz., "Nalanda" for Andaman and Nicobar Administration. CSL had also delivered the third and final lot of three Floating Border Out-Post (FBOPs) vessels out of nine FBOPs built for Ministry of Home Affairs, Government of India. Furthermore, CSL had also successfully delivered seven nos. of Hybrid Electric Catamaran Hull vessels to Kochi Metro Rail Limited (KMRL). During the financial year 2022-23, the Company delivered a total of fourteen vessels under defence as well as commercial segment.

Ship Repair

8. During the year, the Company achieved a total ship repair income of ₹564.01 Crores as compared to ₹678.52 Crores during the year 2021-22. Major Vessels repaired during the year in the main Yard at Kochi include INS Sarvekshak, INS Jamuna, INS Magar, Vishva Bandhan, Vishva Diksha, Vishva Vikas, DCI Dredge VIII, M V Lakshadweep Sea. Major vessels repaired during the year in International Ship Repair Facility (ISRF), Kochi include INS Kabra, R V Samudra Shaudhikama. Major vessels repaired during the year in CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) include INS Aditya, M V Penna Suraksha, SCI Nalanda & OSV LJ Johnson. Major vessels repaired during the year in CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) include DCI Dredge XXI, Switzer Foxtrot, M V Dering & M V Sarojini. Further, CSL has also carried out repair activity in CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit and has attended emergency repairs to A&N Admin. (DSS) vessels. The Yard has entered into an MoU with Naval Ship Repair Yard (NSRY), Kochi for undertaking dry dock and allied repairs to Indian Naval Vessels in Southern Naval Command. The Yard has also entered into an MoU for Ship Repair Support for vessels of Union Territory of Lakshadweep (UTL) along with CoPA & LDCL.

Shipbuilding Order Book Position

9. During the year 2022-23, CSL had been successful in securing against intense competition, major shipbuilding orders viz., 2 nos. of Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) from Pelagic Group, Cyprus, 6 nos. of Next Generation Missile Vessels (NGMV) from Ministry of Defence and 2 nos. of Zero Emission Feeder Container Vessels, being one each from NAVSHUTTLE 1 AS and NAVSHUTTLE 2 AS, Lysaker, Norway, Companies in the SAMSKIP Group, headquartered in Netherlands. The order book position as on March 31, 2023 is as follows:

Vessel Type	Nos.
Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy	08

Vessel Type	Nos.
Next Generation Missile Vessel for Indian Navy	06
HS Eco Freighter 7000 DWT Vessel for HS Service GMBH & Co. KG, Germany	08
Commissioning Service Operation Vessel for Pelagic Group, Cyprus	02
Zero Emission Feeder Container Vessel for SAMSKIP Group, Norway	02
Trailer Suction Hopper Dredger for Dredging Corporation of India Limited (DCI)	01
1200 Passenger cum 1000 MT Cargo Vessel for A & N Administration	02
Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessel for Inland Waterways Authority of India (IWAI)	02
Hydrogen Fuel Cell Vessel (Pilot Project)	01
Hybrid Electric Catamaran Hull Vessel for KMRL	15

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

10. In order to tap new revenue generation streams beyond the current Shipbuilding & Ship Repair portfolios, a dedicated division named CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) was formed to enable the Company to venture into the arena of strategic and knowledge driven future technologies in the maritime sector. C-SAS has been actively engaged in identifying and developing sustainable and future oriented business models. Various innovative initiatives undertaken by C-SAS Division during the financial year 2022-23 are as follows:

(i) Integration Jigs with Wheeled Stools

An innovative tool was designed in-house for integration of underwater vehicle, which is combination of integration jig and wheeled stools. This tool reduces approximately 50% of crane lifts and can save approximately 87.5% integration floor space compared to presently used integration tools.

(ii) Implementation of Hydrogen fuel cell technology for maritime application

C-SAS has also carried out the gap analysis of the fuel cell stacks, balance of plants, it's control system etc. and discovered the gaps and implemented solutions for bridging those gaps to meet the class requirements.

The fuel cell along with BoP is also being marinized as per IEC standards thereby ensuring that the equipment meets the IRS class requirements. In doing so fuel cell technology which will be delivered will be a totally marine compliant solution.

A Design FMEA was also performed by C-SAS team together with Fuel cell partner to identify the potential failures and take corrective/ preventive measures to identify and mitigate any such hazardous scenarios not only at the local level (component level) but also at the global level (ship level). This methodology also covers fuel cell control system, power management, propulsion control and vessel automation system.

(iii) Fuel cell technology in marine segment

A white paper was published to determine the appropriate Fuel cell technology applicable in marine segment using Analytical Hierarchical Process (AHP). AHP is a method for organizing and analysing complex decisions using mathematical tools for arriving at the best solution from among multiple available options. The same was ratified by industry experts.

(iv) Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) of underwater vehicle

C-SAS conducted a detailed system level FMEA on all the subsystems for the underwater vehicle from the productisation perspective. Through a comprehensive analysis of all subsystems, our study has revealed probable system failures and gaps in the technological development of underwater vehicle.

Expansion Projects

11. The status of major projects and initiatives are as follows:

(i) International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port Premises

CSL continued to operate the dry-dock & existing facilities in the leased area (first phase) at Cochin Port premises. CSL completed repairs of six ships during the year 2022-23. The construction works of ISRF project, which commenced on November 17, 2017, was progressing till February 04, 2022. However, the construction contractor appointed for ISRF project, Simplex Infrastructures Limited, Kolkata had been facing severe financial crisis due to which construction activities at the project site was severely affected and eventually CSL had to terminate the contract on February 04, 2022. Physical progress of construction works reported till the termination of contract was 78%. CSL thereafter had split the balance works into separate three tender packages viz., Dredging works, Balance Civil, Mechanical & Electrical (CME) works and Floating gate works. Rock & Reef Dredging Private

Limited, Navi Mumbai was appointed as the dredging contractor on October 18, 2022. Physical progress of dredging works as on March 31, 2023 is 52%. RDS Project Limited, Kochi was appointed as the contractor for balance CME works on February 08, 2023 and ISRF project site handed over on March 10, 2023. As per present schedule, shiplift system is targeted for commissioning by December 2023 followed by full project completion in June 2024.

Further, ten globally renowned firms in the maritime industry have already partnered with CSL for setting up their units in the Maritime Park in first phase. CSL expects to position Kochi as a major ship repair hub with major operations in the present ship repair dock coupled with increased capacities that would be available when the ISRF is commissioned.

(ii) New Dry Dock Project

The New Dry Dock measuring 310 x 75/60 x 13m with 600T gantry crane will be located at the Northern end of the existing premises of the Company. The new dock will augment the Company's shipbuilding and ship repair capacity essentially required to tap the market potential of building specialized and technologically advanced vessels such as LNG Carriers, Aircraft Carriers of higher capacity, jack up rigs, drill ships, large dredgers and repairing of offshore platforms and larger vessels. Construction activities commenced in June 2018 and the physical progress achieved as on March 31, 2023 is 75%. The project has overcome the difficulties created by the COVID-19 pandemic and is presently progressing well. Ground improvement works, cofferdam installation works, dock wall sheet pile installation works, 2 out of 4 underground Substations, 150 m of dock floor, RCC bottom raft of underground pump house, 98% RCC piling works, caisson gate unit fabrication etc. completed. Further, major civil works like balance dock floor construction, balance pump house construction (from depth of 21m) & other civil works like construction of 2 remaining Substations, crane track works, grand assembly area works, caisson gate works etc. are progressing.

(iii) CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)

CMSRU entered into an Agreement with Mumbai Port Authority on October 20, 2018 to upgrade, operate and manage ship repair facility at Hughes Dry Dock and Berth nos. 5, 6, 7 and 8 of Indra Dock of Mumbai Port. Post operationalization, CSL has successfully undertaken repairs of around 88 vessels.

During the financial year 2022-23, CMSRU has undertaken dry dock and afloat repairs of 17 ships with major projects being undertaken for the defence clients notably INS Aditya of the Indian Navy, ICGS Samudra Paheredar of the Indian Coast Guard and other commercial clients mainly MV Penna Suraksha of Penna Shipping Private Limited, SCI Nalanda, SCI Ahimsa of Shipping Corporation of India, MSV HAL Anand, MV Goodman of M/s. HAL Offshore, MP Work boat 1 of Pallonji group, OSV TAG 13 of Hogger Offshore, Great Ship Roopa of M/s. Greatship India etc. The Yard is also undertaking repairs of the Storm Gate of Mumbai Port Authority.

(iv) CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)

CKSRU, initiated as a joint venture between CSL and Syama Prasad Mookerjee Port Authority (SMPA), Kolkata, aimed to revive the idling dry dock facilities at Netaji Subhas Dock and exploit the ship repair potential in the region. By combining the existing infrastructure of SMPA with the professional expertise of CSL in the field of ship repair in India, CKSRU was established on a profit-sharing model to ensure ownership from both organisations. Since the commencement of commercial ship repair operation in October 2019, eighteen refit projects have been successfully completed.

During FY 2022-23, CKSRU completed dry dock repairs of 8 vessels, including the refit of MV Sentinel, a passenger vessel from A&N Administration, Svitzer Foxtrot from repeat customer Svitzer Asia Pvt. Ltd., part of Maersk group, Rani Siromani from Haldia Ports and 4 dredgers viz., DCI Dredge XV, DCI Dredge XXI, Darya Manthan owned by Adani group and emergency repair of DCI Dredge XVII. Repair of the NSD No. 1 Box Caisson from Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata is in progress. Firm stemming order for the dry dock refit of Santi Sagar 24, dredger owned by Adani group has been received and the vessel is scheduled to be docked at CKSRU in the beginning of April 2024, followed by two more dredgers from DCI.

Buoyed by these excellent results and in order to sustain the momentum thus developed, CSL has gone ahead with more Capex investment at CKSRU than initially envisaged. Construction of new Caisson Gate intended to be used as intermediate Box Caisson at NSDD is in progress and the same will be ready by around August 2023 bringing in added operational flexibility. Installation of new fire ring main system and a tower crane are in progress.

CSL hopes to make CKSRU India's leading ship repair destination on the East Coast, rejuvenating the centuries old maritime heritage of Kolkata.

(v) CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU)

Cochin Shipyard has already started ship repair operations at Andaman and Nicobar Islands further to the agreement executed with A&N Administration. Under the ambit of this Agreement, CSL shall carryout all types of repair activities for the vessels owned by DSS. CSL has been successful in mobilizing professionally qualified and experienced manpower dedicatedly for operations at the project site and deploying essential infrastructure required for undertaking ship repair operations at Port Blair.

Ship repair projects are taking momentum at CANSRU. During the FY 2022-23 CANSRU has successfully completed 60 emergency repairs. In addition to this, CANSRU executed the dry dock repairs of two vessels viz., MV Bharat Seema & MV Rajhans and also completed 8 routine repairs of DSS vessels including foreshore vessels viz., MV Jolly Buoy, MV Rani Changa, MV Strait Island, MV Kamorta & MV Long Island.

Various capex procurements have also been undertaken to develop essential ship repair facilities and to improve ship repair ecosystem at CANSRU. CSL is setting up a well-equipped Safety cum Skill Development Centre at Marine Dockyard to provide safety & skill development training to various stakeholders associated with CANSRU & Marine Dockyard.

Subsidiary Companies

(i) Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL)

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) was initially set up as a joint venture between CSL and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) on October 23, 2017. Pursuant to the approval of the Union Cabinet, CSL acquired the shares held by HDPEL and with effect from November 01, 2019 HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL.

During the financial year 2022-23 the setting up of new state-of-the-art ship building and repair facility at Nazirgunge was completed and on August 16, 2022, the Facility was dedicated to the nation by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways and Ayush, Government of India. The Facility has been set up in an area of 15.76

acres on the banks of river Hooghly at a cost of ₹175.20 Crores with an intention to position itself as a premier shipbuilding/ repair yard in the east coast of India for inland and coastal vessels.

To begin with HCSL has bagged order for building 1 MPV (2200T) and has also entered into an agreement with Iwai to act as consultants for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam. HCSL is also fabricating the Caisson Gate for CKSRU. HCSL is actively pursuing orders in the inland and coastal vessel construction and is positively expecting orders soon.

During the year 2022-23, HCSL has reported a total income of ₹1761.33 Lakhs for the year ended March 31, 2023 as against ₹45.16 Lakhs for the previous year. The Company which was in project stage has reported a loss of ₹2033.59 Lakhs for the year ended March 31, 2023 as against ₹283.61 Lakhs for the previous year. HCSL has published its annual report for the year 2022-23 which is hosted in the website of CSL at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/71. Please refer the annual report for more details.

(ii) Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) [Formerly known as Tebma Shipyards Limited (TSL)]

Cochin Shipyard Limited (CSL) acquired UCSL in September 2020 through the Corporate Insolvency Resolution Process under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consequent to which UCSL became a wholly owned subsidiary of CSL. Subsequently, the process of revamping the shipbuilding infrastructure at the various facilities of the Company were carried out and the Company commenced operations at its Hangarkatta facility in July 2021. The name at the time of takeover was Tebma Shipyards Limited and subsequently on April 22, 2022 the name of the Company was changed to Udupi Cochin Shipyard Limited.

The financial year 2022-23 has been a promising one for UCSL as the Company bagged various key orders and also delivered various vessels to the satisfaction of the customers. The major orders received by the Company include two 70T Bollard Pull Tugs, one Purse Seiner Deep Sea Fishing Boat and five Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boats under the 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)'. The Company is also actively pursuing domestic as well as foreign orders and is in the advanced stages of bagging a couple of orders from Europe for building Mini General Cargo Vessels and Green Vessels. Further, the

Company also completed delivery of various vessels of which key projects include Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boat under 'PMMSY' etc. Further, the Company also achieved significant milestones viz., steel cutting and keel laying of two 62T Bollard Pull Tugs, successfully completing the dry-docking and repairs of SBM of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) etc.

Riding on the strong shipbuilding orders, UCSL reported a total income of ₹4780.96 Lakhs for the year ended March 31, 2023 as against ₹1008.06 Lakhs for the previous year. During FY 2022-23 the revenue from operations improved significantly to ₹3917.45 Lakhs as against ₹641.98 Lakhs for FY 2021-22. Due to the enhanced activities in FY 2022-23, the Company could narrow down its loss by 33% to ₹866.54 Lakhs as against ₹1294.13 Lakhs for FY 2021-22. UCSL has published its annual report for the year 2022-23 which is hosted in the website of CSL at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/71. Please refer the annual report for more details.

Manpower Status

12. The manpower strength of the Company as on March 31, 2023 was 1883 consisting of 410 executives, 158 supervisors and 1315 workers.

Industrial Relations

13. CSL continued to maintain and foster cordial industrial relation atmosphere during the year. There was no loss of man hours on account of labour unrest due to reasons attributable to the Company exclusively.
14. The executives and non-unionised supervisors also continued to contribute their best to the Company during the year.
15. The joint management forums like joint councils, shop council, central safety committee, shop level safety committees, contract worker safety committee, canteen management committee, employees' contributory provident fund trust etc., continued to function effectively.
16. Employees and their dependents welfare and wellbeing are well taken care through various voluntary schemes like Employees Medical Assistance Scheme, Employees Pension Scheme, Shipyard Parivar Prathibha Puraskar Scheme, Employees Educational Assistance Scheme etc.

Human Resource Development

17. Cochin Shipyard Limited (CSL) gives utmost importance in empowering employees' growth and developing their knowledge, skills and capabilities to drive better business performance. Acknowledging this fact, CSL has defined continuous learning as one of its cultural competencies and is constantly engaged in upskilling the workforce.
18. In line with the above several learning and development activities were carried out during the year 2022-23 spanning across sectors covering technical as well as non-technical work force. The Company has promulgated a training scheme 'Igniting Minds' wherein the senior executives of the Company were nominated for various programmes on divergent topics like Enlightened Leadership for Responsible Business, Organizational Excellence Through Leadership, Strategic perspective on design of PPPs, From Data to Decisions by IIM Bangalore, Customer based business strategy, Mindful Leadership in the 4.0 world by IIM Kozhikode, Transformational Leadership, Innovation, Corporate Strategy & Competitive Performance, The Winning Edge: Communication Strategies for leaders by IIM Ahmedabad, Managerial Leadership & Team Effectiveness by IIM Calcutta, Interpersonal Effectiveness & Team building, Leadership Communication by IIM Indore, Business Analytics for Problem Solving & Decision Making and Managerial Effectiveness by Management Development Institute, Gurgaon etc.

AOTS (Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships) Training in Japan

19. A batch of 20 employees including one Executive, two Supervisors and 17 Workmen attended a customized training in Japan during the period from November 09 to 21, 2022. The training programme was a combination of class room coaching and factory visits including Shipyards in Japan. The training programme covered areas such as Japanese work culture, work place management, social behavior, culture displayed by Japanese in public places and included visits to a Shipbuilding Company and other major industries to get a feeling of latest technology in use, safety management practices, robotics technology in action, productivity improvement practices through 5S and Kaizen.

Training at INS Shivaji

20. INS Shivaji is the Premier Technical Training Establishment of the Indian Navy located in Lonavala, Maharashtra. The Establishment is well equipped to impart state-of-the-art training in engineering and technology. A batch of 20 Executive Trainees (Mechanical) from CSL attended a

customized technical training programme at INS Shivaji from December 05 to 16, 2022.

Customized Internal Trainings

21. Orientation training for employees retiring from service of CSL was held on April 28, 2022 and January 25, 2023. The sessions were conducted by the faculty from Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and other experts in the field of financial planning and health. The session was attended by 30 employees.
22. As part of implementing Mentor-Mentee scheme for the new batch of Executive Trainees, an MDP on Mentoring-Coaching was conducted on June 03 and 04, 2022. A total of 41 Executives who were nominated as Mentors attended the MDP. Another training program titled Mentoring: Theory into Action was also organized on January 16 and 17, 2023 subsequent to posting of Executive Trainees to various departments.
23. A First Aid training programme for CSL Employees conducted by National Safety Council, Kerala Chapter, Ernakulam was held on June 23 and 24, 2022 and October 13 and 14, 2022. A total of 50 employees attended the programme.
24. As part of the CSL Golden Jubilee Celebrations, a Soft Skills training programme for CSL women employees (including contract personnel and trainees) was organized on July 11, 12, 13 and 15, 2022. The training was conducted by Career Fit 360 Private Limited, Kochi, covering a total of 183 women employees.
25. National Welding Meet – 2022 organized by the Indian Institute of Welding, Cochin branch was held on October 14 and 15, 2022. The program was attended by 74 employees.
26. In connection with the Vigilance Awareness Week 2022, an in-house workshop on the subjects Preventive Vigilance, Certified Standing Orders, CDA Rules, Service Conditions and Common Errors was conducted on October 31, 2022, November 02 and 04, 2022. The sessions were handled by the Vigilance Officer, DGM(IA), AGM(Legal) and AGM(HR) of the Company. The workshop was attended by 47 Executives, 58 Supervisors and 51 Workmen.
27. A certification course on Competence Development and Assessment Programme on Project Management (IPMA Level D Certification) was conducted by the International Project Management Association (IPMA) from November 16 to 19 & 21, 2022. The course was attended by 14 Executives.
28. Three days in-house training on Mooring Operations was conducted by Ensign Safety Academy & Consultants Private

Limited from December 20 to 22, 2022. The training was imparted to 83 employees.

29. One day training on Cross Functional Teaming for Executives was conducted on January 09, 2023 and March 28, 2023. The training was attended by 59 Executives.
30. A training program on Safety by Defence Research & Development Laboratory (DRDL) was conducted on February 24, 2023. 84 employees attended the training.
31. The YOCDP (Young Officers Competency Development Programme) for junior-level executives and SCDP (Supervisors Competency Development Programme) for supervisors are conducted online through NOVEX e-learning platform. A total of 22 recorded sessions of YOCDP and 20 recorded sessions of SCDP were uploaded online and made available to the participants.

Educational Scholarships to Wards of Employees

32. "Shipyard Pariwar Prathibha Puraskar", an educational scholarship scheme introduced from the year 2016 aims to reward and promote the star performers among the wards of regular employees of CSL. A scholarship of ₹25,000/- per year for a maximum period of 5 years shall be bestowed in the order of highest marks scored by the wards in class XII final examination. During the year 2022-23, 9 eligible students have been granted scholarship under the said scheme.

Recognising Excellence

33. CSL has introduced the Employee Excellence Awards Scheme envisaging reward and recognition for innovative ideas and practices among the employees below the level of AGMs. The highest award under the scheme is Chairman's award with a citation and cash prize of ₹15,000/-. During the Independence Day celebrations in 2022-23, 32 employees (executives-9, supervisors-3, workmen-12, on contract personnel-8) were honored with Chairman's Commendation, which carries ₹2,000/- cash prize. The Commendation Certificates to 33 employees which could not be presented during Republic Day celebrations, 2022 on account of COVID-19 pandemic were also distributed on the same occasion.
34. During the Republic Day celebrations in 2023, 26 employees (executives-8, executive trainee-1, workmen-14, on contract personnel-3) were honored with Chairman's Commendation and ₹2,000/- cash prize.

International Yoga Day

35. Employees and their family members were encouraged to observe international day of Yoga. CSL conducted various activities such as Yoga workshop, lecture on Yoga by experts and common Yoga protocol practice, in order to promote Yoga with an aim to relieve stress, support good health habits and improve mental/ emotional health. Further, live streaming of the event on June 21, 2022 was also made available for participation by family members of the employees.

Constitution Day

36. Constitution day was celebrated in CSL with reading of Preamble to the Indian Constitution. In order to create awareness among CSL employees about the Constitution and its significance, CSL had uploaded a series of awareness building courses on NOVEX e-learning platform. A refresher session on Preamble and the basic principles of Indian Constitution was held on November 26, 2022. Additionally, a quiz programme on Indian Constitution was also arranged in connection with the celebration of Constitution day.

Marine Engineering Training Institute (METI)

37. Total of 40 Graduate Marine Engineering cadets (GMEs) had successfully completed one-year course as per guidelines of Directorate General of Shipping, Government of India. Further a total of 77 GMEs are pursuing the course.
38. 29 students of 4-year Marine Engineering from Sree Venkateswara College of Engineering (SVCE), Chennai, successfully completed 6 months afloat training from CSL Marine Engineering Training Institute (METI). Further a total of 15 students from SVCE are pursuing the course.
39. METI has conducted 13 batches (191 Students) of 3 days Basic Fire Fighting Practical Training Program during August 2022 to March 2023.
40. CSL METI had participated in programmes organized by KMSME of CUSAT, and India Marine Private Limited. METI had conducted Walkathon from High Court Junction to CIFNET, Ernakulam on March 30, 2023 as part of the 60th National Maritime Day Celebrations by MMD, Kochi. METI also conducted Republic Day parade from Doctors Enclave, Panampilly Nagar to Manorama Junction on January 26, 2023. Further, FOSMA, MASSA & International Maritime Employers Council (IMEC), UK visited METI on March 21, 2023 and approved METI for Indian Cadet Programme
41. Awards and recognitions received by METI during the financial year 2022-23 are given below:

- (a) Best Participant Award for METI on "Azadi Ka Amrit Mahotsav" Celebration by MMD, Kochi;
- (b) Best Participant Award for METI on 59th & 60th National Maritime Day Celebrations (NMDC) by MMD, Kochi; and
- (c) A1 Grade by LR Class on behalf of DG Shipping in CIP Audit.

42. METI started 2 batches having 35 and 53 number of students of Marine Structural Fitter Practical Training under ASAP. Further, during the financial year 2022-23, METI provided various training programs on Productivity, House Keeping & SS, Team Building, Ship Theory and Basic Electronics for Ships. Furthermore, METI provided internship for a total number of 1055 degree students.

Apprenticeship Training

- 43. Training Institute had imparted apprentice training for a total of 308 ITI trainees, 62 Diploma trainees, 35 Degree trainees and 3 VHSE trainees in the year 2022-23.
- 44. Seventy Executive Trainees were inducted during the year 2022-23.

Samanvay portal

45. Samanvay is the common Knowledge Management Portal for all CPSEs. The website is designed & developed by ONGC, on behalf of the Department of Public Enterprises (DPE). The primary objective of the Samanvay Knowledge Management Portal is to create a platform for enabling individuals, teams & entire Public Sector Enterprises to collectively and systematically share knowledge, infrastructure, best practices, SOP etc., to learn from others' experiences. The usage of Samanvay is being closely monitored by DPE. Periodic meetings and reviews are conducted by DPE with CPSEs which are chaired by top officials of DPE and there has been continuous follow up from DPE to increase the usage of the portal. CSL has given user access for the portal to all officers and the users can share lessons learnt from their work place through the portal. CSL has shared around 125 articles including 34 lessons learnt, 91 different articles on HSE practices, CSR, HR, best practices at work place and articles on innovation through the Samanvay portal till date.

Employee Welfare Measures

46. SEAWISE: An employee counseling scheme 'Shipyard Emotional Assistance and Wellness Inclusion System for Employees (SEAWISE)' is in place in CSL with the support of

Rajagiri College of Social Sciences, Kochi as a part of caring the emotional wellness of employees and their dependents. The counseling is imparted through telephonic and face to face mode. The scheme covers all permanent employees of CSL and their dependents, contract employees, trainees and CISF personnel in CSL unit.

- 47. Modified CSL Medical Assistance Scheme: CSL has modified the medical assistance scheme for employees by empanelling 32 hospitals (Super-speciality/ Multi-speciality/ Speciality and other-speciality hospitals) in Ernakulam District for the treatment of CSL employees and their eligible dependent family members. The expenses towards the inpatient/ day care treatment availed at these 32 empanelled hospitals shall be settled directly by CSL to the hospital. Medical ID Cards with details of employees and dependents has been issued to all employees for the purpose of identification at empanelled hospitals. In the case of hospitals outside Ernakulam district, the admissible treatment expenses shall be reimbursed to the employees.
- 48. CSL Rudder – Actionable Insights, Informed Decisions: As a part of the new digital transformation initiatives, a new mobile application has been developed and launched on April 01, 2022. The application is offering a bunch of new facilities to CSL users. The application can be used by both internal users like all permanent staff including officers, supervisors and workmen and external users like suppliers, subcontractors, retired employees etc. Employee profile, attendance details, salary slips, leave details, medical claims status, dependents information, loan details, PF data, capture reporting time, vendor registration details, invoice status, payment details, TDS certificates etc., are some of the features included in Rudder application.
- 49. Infertility treatment scheme was launched in the year 2020 for providing reimbursement of medical expenses incurred for infertility treatment for all permanent employees. An amount not exceeding ₹1,00,000/- per cycle or the actual cost whichever is lower is permitted for reimbursement and the same will be allowed upto maximum of three fresh cycles with prior approval. Special Leave for maximum 10 days in a year and maximum of 20 days are being granted during the service of an employee who undergo procedures as part of infertility treatment. Total 20 employees were granted permission to avail the benefits under this scheme as on March 2023.
- 50. All employees (permanent & on contract employees) and trainees who had undergone treatment for being COVID positive and who were under quarantine were granted special leave.

51. National Pension System (NPS) was introduced in CSL in order to facilitate contributory pension scheme for all permanent employees. CSL is contributing 10% of the wages (Basic + DA) to the individual account of the employees, as employer contribution from April 2021 onwards. The scheme provides attractive income tax benefits to the employees and also ensures a hassle-free life post retirement.
52. CSL introduced paternity leave in the year 2019 to male employees of the Company including for valid adoption of a child below the age of one year.

Encouraging Thought Provoking Ideas

53. 'Nethruthwa Samvridhhi Yojana' – Leadership Acceleration Programme (LEAP) was launched in the year 2016 to encourage and motivate executives in the grades E1 to E4 for pursuing higher studies in premier institutes both in India and abroad. The core benefit under the scheme is not only a grant of study leave for two years, but reimbursement of tuition fees, in installments after they come back and join for duty. A maximum of three applicants are considered on a yearly basis under LEAP scheme.
54. CSL launched special financial assistance scheme applicable to SC/ ST apprentice trainees in 2018 to provide monthly financial assistance of ₹1,500/- for meeting their expenses towards rental accommodation in Kochi. The monthly financial support is extended to a maximum of 20 trainees during the period of apprenticeship training, subject to periodical review by CSL.
55. Mentor-Mentee scheme launched in the year 2016 continued this year also for ensuring personalized special attention by a senior executive. It is extended to all new executives/ executive trainees joining CSL. This collaboration gives junior executives, who are freshers, a feeling of engagement, belongingness and significant improvement in the inter and intra personal relationship in the organisation which lead to better retention.
56. CSL Star Board – a mobile application for executives was introduced in 2017 for the purpose of knowledge sharing. The objective of Star Board is to enable the executives to share their technical knowledge, latest technical information and to provide a platform for innovative minds on matters related to their profession/ work. Star Board will promote knowledge sharing culture in CSL, which is essential for the existence and success of any business. This platform has provisions for sharing of both explicit knowledge and tacit knowledge.

Professional Assessments

57. Through an elaborate competency mapping exercise, four cultural competencies namely teaming, execution excellence, constraint breaking and continuous learning have been identified for CSL. These cultural competencies have been incorporated in all HR sub systems like recruitment, training, performance management, career development etc.

People Capability Maturity Model (PCMM)

58. In the year 2018, the Company commenced activities for obtaining a level 3 PCMM certification. As part of implementation of PCMM, conscious and collective efforts are being undertaken by the Executives in HR department in formulation of various policies and bringing in improvements in existing HR procedures and practices.
59. PCMM is a maturity framework that focuses on continuously improving the management and development of the human assets of an organisation. The PCMM helps organisations characterize the maturity of their workforce practices, establish a programme of continuous workforce development, set priorities for improvement actions, integrate workforce development with process improvement and establish a culture of excellence. The PCMM consists of five maturity levels; Level 1 to Level 5. Each maturity level is a well-defined evolutionary plateau that institutionalizes new capabilities for developing the organisation's workforce. Unlike other HR models, PCMM requires that key functions/ process areas, improvements, interventions, policies, procedures and practices are institutionalized across the organisation, irrespective of function or level. Therefore, all improvements have to percolate throughout the organisation to ensure emphasis on a participatory culture embodied in a team-based environment and encouraging individual innovation and creativity.

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations

60. Cochin Shipyard has been strictly complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time. The Company has appointed a liaison officer for SC/ ST/ PwBD/ Ex-Servicemen and a separate liaison officer for OBCs and EWSs to oversee the implementation of reservation policies. Reservation percentage is ensured through the maintenance of post-based roster system as prescribed by the Government of India.

Representation of SC/ST/OBC/EWS, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority Employees

61. The representation of SC, ST, OBC, EWS, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority employees in various groups of posts as on March 31, 2023 is given below:

Category	Total Strength	SC	ST	OBC	EWS	PwBD	Minority
Group A	352	48	17	94	-	9	94
Group B	100	12	9	27	1	1	26
Group C	1187	156	13	575	1	32	292
Group D	244	33	5	149	-	11	70
Total	1883	249	44	845	2	53	482

Provision for Safeguard of Women

62. The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act) and Rules framed thereunder are strictly complied with. An Internal Complaints Committee has been constituted in accordance with the Act chaired by a senior woman executive. The Committee has not received any complaints during the financial year 2022-23.
63. CSL has a woman Welfare Officer specifically to promote women empowerment activities and to formulate and implement welfare measures according to the needs of women employees of the Company. The talents of the women workforce were showcased as part of celebration of the International Women's Day in CSL on March 08, 2023. CSL has commemorated the 9th anniversary of POSH Act on December 09, 2022 by organizing a session on POSH Act. Further, an in-house awareness session on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace was conducted by AGM (Legal), CSL on July 16, 2022 and the same was attended by 21 women employees belonging to Executives and Supervisors category

Integrated Management System (IMS)

64. Cochin Shipyard maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards. It is proposed to implement quality management systems in all the ancillary units of CSL in the forthcoming years.

Facility Upgrade and Capital Expenditure

65. The total capital expenditure incurred in 2022-23 amounted to ₹385.97 Crores. This related to modernization and expansion, renewals and replacements, new dry dock, ISRF CMSRU, CKSRU, CANSRU, subsidiaries etc.

Implementation of Official Language Policy

66. In pursuance of sub rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, Government of India have notified, in the Gazette of India, that 80% of ministerial staff of the Company have acquired working knowledge/ proficiency in Hindi.
67. In connection with the Golden Jubilee celebrations and World Hindi Day and also as part of its commitment towards the progress of Official Language Hindi, Cochin Shipyard organized a full day Official Language Seminar on January 11, 2023 at CSL, Kochi involving all participating Banks, Central Government offices and Public Sector Undertakings of the Town Official Language Implementation Committees of Ernakulam District. The seminar was mainly organized in two sessions; one was on "Official Language Hindi – Standardization, Practical aspects of translation" and the second part of the session was based on the topic "New Trends in Technology, in the perspective of Hindi". More than 100 participants from all the three Town Official Language Implementation Committees of Ernakulam District actively participated in the seminar.
68. As per the instructions from the Government of India, Mathrubhasha Ka Amruthotsav was conducted on February 21, 2023 with wide participation from the employees. Various competitions were held for the employees to perform in their respective mother language. The winners were identified through a ballot poll held during the program.
69. As a special step to help students to understand the importance and prominence of Official Language Hindi in offices, an internship program in Official Language Hindi has started in CSL during the month of December, 2022. So far, 2 students from CUSAT, Kalamassery and 7 students from Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Ernakulam have successfully completed the 15 days internship program in Official Language Hindi.

70. In connection with Joint Hindi Fortnight Celebrations, Kochi TOLIC organized a two-day Career Development Programme for the students of Sri Sankaracharya Sanskrit Vishwavidyalaya, Kalady. In this regard, on February 24, 2023 Smt. Lija G S, Assistant Administrative Officer (Hindi) handled a session on Official Hindi, Noting & Drafting etc. More than 50 students were benefited from this programme.
71. Various competitions in Hindi were organized in connection with Hindi fortnight celebrations 2022 for employees, trainees and employees on contract of CSL in online and offline mode. Quiz, Calligraphy, What picture says, Passage reading, Administrative Terminology, Hindi typing, Memory test, Hindi film songs (separate for Male and Female), Essay writing and Hindi poem writing was organized in this regard. Further, 14th issue of Hindi house journal, 'Sagar Ratna' was released on the valedictory function of Hindi fortnight celebrations.
72. As a special programme in connection with Hindi fortnight celebrations, patriotic song competition was organized for the students of State Government Schools in Ernakulam district and various competitions for the children and spouses of employees.
73. Training classes in Spoken Hindi commenced from June 15, 2022 onwards for two months for the Employees of CSL. A total of 35 employees actively participated in the training sessions.
74. For the propagation of Official Language Hindi among students, an Official Language awareness programme was organized for the Post Graduate students of Hindi Department in CUSAT. This program was beneficial for the 20 students who actively participated in this program.
75. An Official Language Management programme was organized for the Senior Managers and Managers in order to create an awareness regarding the Official Language among senior level officers. The main aspects related to the role and responsibilities of Senior Officers in the field of Official Language implementation were discussed. 30 officers ensured their successful participation.
76. As a social commitment, to attract more students towards Hindi Language, CSL started to contribute Hindi books in Govt. Schools. Hindi books for an amount of ₹5,000/- were contributed to St. Mary's High School, Kandanad and VHSS, Irimpanam during the month of April, 2022.
77. Four Hindi Workshops and four Official Language Implementation Committee meetings (OLIC) were conducted during the year.

78. During the academic year 2022-23, cash incentives for children of employees for obtaining high marks in Hindi in 10th standard were awarded to 29 children. 64 employees were also awarded cash incentives for the Implementation of Hindi language.

Particulars of Employees and Related Disclosures

79. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. G.S.R. 463(E) dated June 05, 2015, government companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

80. Details are placed at Annexure I. The Company's major initiative in the conservation of energy was installation of solar panels on the rooftop of various buildings of CSL. The programme commenced in the year 2013-14. As of March 31, 2023, solar power plant having capacity of 1622 kWp has been commissioned in CSL. Further, during the financial year 2022-23, CSL commissioned 600KVA, 750 Amps state-of-the-art energy efficient static frequency converter. With this addition, CSL can now provide pure sine wave power to all its docks and quays. This along with CSL's 1.6MWp PV solar power enables CSL to supply clean energy to 60 Hz category ships.

Risk Management

81. CSL has constituted a Board level Risk Management Committee (RMC) in line with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for an overall review of the corporate risks. CSL has adopted a comprehensive Risk Management Policy at the 214th meeting of the Board of Directors held on September 16, 2014. The Company's risk management policy aims to put in place a comprehensive risk management system consisting of a defined process of risk management and methodology of identification, assessment, response, monitoring and reporting of risks. The policy provides the management and Board of Directors an assurance that key risks are being properly identified and effectively managed.
82. As per the policy, CSL Board at the helm will review the risk management system in CSL. The Board shall discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives has been entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, the Company has

functional Risk Management Committees and Board Level Risk Management Committees to implement the policy in CSL. The Risk Management Committees and the Board of Directors periodically review the risk management process and policy. The Yard's product mix comprising of defense and commercial shipbuilding and ship repair gives the Company a natural hedge against market risk.

Health, Safety & Environment (HSE)

83. Cochin Shipyard Limited is fully committed to maintaining high HSE standards and ensuring the safety and wellbeing of our employees, customers and stakeholders. Our HSE management system is designed to identify and manage potential hazards and risks and to continuously improve our performance in this area. We believe that a safe and healthy work environment is essential for the well-being of our stakeholders.

84. CSL is pleased to report that Organisational HSE Index percentage has increased by 35% compared to the previous year 2021. This is a clear indication of our focus on HSE and the effectiveness of our HSE governance system in reducing incidents and accidents. This index is giving more thrust on proactive areas rather than reactive areas. This Departmental level HSE Index is benchmarking their HSE performance for demonstrating their commitment at the functional levels.

85. CSL employees are equipped with the necessary skills and knowledge to manage HSE risks and to ensure compliance with relevant laws and regulations. We invest in regular HSE training and competency assessments to ensure our employees have the required skills to perform their duties safely. Our employees are our most valuable asset, and we recognize the importance of providing them with the necessary HSE competencies. We have implemented various training and development programs to enhance their HSE knowledge and skills. Our HSE competency has been identified and updated to ensure that our employees are equipped with the latest HSE practices and regulations.

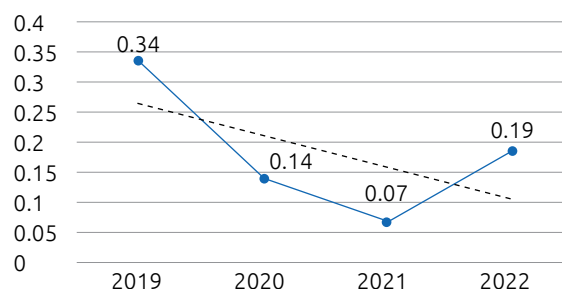
86. We are proud to have received several HSE awards during the year, recognizing our outstanding performance in this area. These awards are a testament to our dedication and commitment to maintaining high HSE standards. The following are the awards.

- (i) Safety Award, Factories & Boilers Dept., Government of Kerala under very large factories above 500 workers in Engineering industry category.
- (ii) Safety Awards won by Team CSL at National Safety Council - Kerala Chapter

- (a) Sreshta Suraksha Puraskar - for Outstanding Safety Performance (1st prize);
- (b) Best Safety Committee – 1st prize; and
- (c) Table top Mock Drill – 2nd prize.

87. Our frequency rate of HSE incidents has a decreasing trend. This is a reflection of our proactive approach to managing HSE risks and our commitment to continuous improvement. We closely monitor our frequency rate, which is an important indicator of our HSE performance. We believe that this is a result of our proactive approach towards identifying and mitigating potential hazards and risks.

Incidents in 1 million man hours



88. CSL evaluates its subcontractors based on their HSE performance and require them to adhere to our HSE policies and standards. We work closely with our subcontractors to ensure they have the necessary resources and training to perform their work safely. We monitor their HSE performance and provide feedback to help them improve. We recognize the importance of our subcontractors' HSE performance and have implemented a robust evaluation process to ensure that they meet our HSE standards and regulations.

89. CSL is fully committed to maintaining high HSE standards and ensuring the safety and wellbeing of our employees, customers and stakeholders. We are pleased with our HSE performance during the year and are continuously striving to improve. We will continue to invest in our HSE management system and promote a strong HSE culture across our organization. We remain committed to maintaining a safe and healthy work environment and continuously improving our HSE performance. We believe that our efforts towards HSE not only benefit our employees but also our customers, communities and the environment.

Industrial Security

90. Cochin Shipyard Limited is a vital organisation with national importance and is classified as special security zone by both State and Central Government and the security of the Establishment has got national importance. The primary security of the Establishment is entrusted with Central Industrial Security Force (CISF) unit comprising of 161 CISF personnel under the command of Dy. Commandant, CISF. Overall security of the Company continued to be robust without causing any serious security concern during the year. All security systems and measures introduced and installed in the Company are of international standards. Periodic joint survey was conducted by the Company along with CISF. Twenty-four hours waterfront patrolling with armed personnel and wireless surveillance (CCTV) system covering all critical locations and installations are in place. The periodic mock drill exercises are conducted in coordination with Intelligence Bureau, State Police, State Fire Department, Bomb Squad and Navy to assess the readiness of CISF force to counter any security threat, security breach, crisis or calamities.
91. CISF is carrying out their security surveillance and duties with security gadgets which includes biometric access control system, X-ray baggage scanner, door frame metal detectors, hand held metal detectors, breath analysers, vehicle patrolling, boat patrolling and foot patrolling etc. The upgradation of security gadgets is being taken up as per the technical survey of CISF to bring modern security gadgets to enhance the existing security system and facilitate the CISF a foolproof frisking mechanism at all gates.
92. Special security attention is being accorded to the Indigenous Aircraft Carrier (IAC) 'INS Vikrant' with an exclusive security arrangement provided apart from the overall security arrangement of the Establishment.
93. The security strength and requirements of additional security enhancements are periodically monitored by the Head Quarters of CISF through technical resurvey for security gadgets and resurvey for manpower augmentations. The strength of CISF is being augmented to 226 in a phased manner as per the resurvey.
94. The additional security gadgets including CCTV surveillance, biometric access system, DDS, boat patrolling etc., have also been arranged for safeguarding and avoiding any imminent threat for the ship. In order to enhance the security, additional Patrol Boat is being positioned.

95. The entry to the Yard is effectively controlled via access control systems including biometric embedded turnstile gates, X-ray baggage machines, DFMD etc. A full-fledged visitor's facilitation center is operated for scrutiny and verification of the credentials of the visitors to the Company. X-ray baggage scanning systems have been installed at the Main entry gate and contractors' workmen entry gate of the Company. All the entry passes issued are photo-based entry passes.
96. The work on integrated security system through Bharat Electronics Limited (BEL), Bangalore is currently in progress. The major equipments pertaining to the system has been received at CSL. The installation and testing of ESPF system have been completed. The laying of cables for installation of cameras is currently in progress. As part of the proposed integrated security system, a GPS based tracking tag for the visitors and RFID tagged pass system are also being implemented, thus to keep track of the movements of the visitors within the Yard.
97. The monitoring of visitors, materials and vehicles movement in the Company are done through an integrated ERP module of visitors' management system which ensures effective and vigilant monitoring of materials movement into and out of the Company. Additionally, the Yard has proposed for implementation of Aadhaar verification of all visitors and contractors' workmen before issue of entry pass. The project is being implemented in association with CDAC – Mumbai. The procedure for implementation of the project is under final approval from Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India.
98. CSL has also engaged DGR sponsored ex-servicemen security agency for supplementing existing forces mainly catering to external properties of CSL and also internal specific locations, comprising of 77 personnel.

Awards and Recognitions

99. During the financial year 2022-23 CSL received the following awards:
 - (a) 'Excellence in Indigenisation Award' at the Aerospace and Defence Awards 2022;
 - (b) KSPC-FACT MKK Nayar Memorial Productivity Awards 2020-21 for Best Productivity Performance Award in Industry Category I;

- (c) First Prize for the implementation of Official Language from Kochi Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) among the companies having less than 200 administrative employees;
- (d) Second Prize for the Hindi Home Magazine 'Sagar Ratn' from Kochi TOLIC (PSUs);
- (e) 'Sreshta Suraksha Puraskar' for Outstanding Safety Performance (1st Prize) of National Safety Council, Kerala Chapter;
- (f) Safety awards of Kerala Chapter of National Safety Council, for 'best performing safety committee';
- (g) Second prize for 'tabletop mockdrill competition of National Safety Council'; and
- (h) Kerala State Industrial Safety Award 2022 for 'outstanding performance in industrial safety & health, from Department of Factories & Boilers, Government of Kerala.
- 3 Whole Time Directors, 2 Part-time official (Nominee) Directors, one each from Government of India and Government of Kerala and 6 Non-official (Independent) Directors.
101. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India (GoI) vide letter F. No. SY-11012/1/2020-CSL dated July 21, 2022 appointed Shri Sreejith K Narayanan, former Chief General Manager (Ship Repair) as the Director (Operations) of the Company.
102. The MoPSW, GoI vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated July 28, 2022, appointed Shri Vikram Singh, the then Joint Secretary (Shipping, PHRD & Chief Vigilance Officer), MoPSW, GoI, as Part-time official (Nominee) Director of CSL in place of Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS. Subsequently, MoPSW, GoI vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated November 21, 2022, appointed Shri Rajesh Kumar Sinha IAS, Additional Secretary, MoPSW, GoI, as Part-time official (Nominee) Director of CSL in place of Shri Vikram Singh.
103. Further MoPSW, GoI vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated January 02, 2023, appointed Shri Biju Prabhakar IAS, Secretary, Transport Department, Government of Kerala, as Part-time official (Nominee) Director of CSL in place of Shri Jyothilal K R IAS.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

100. As on March 31, 2023 the Board of CSL comprises of 12 directors consisting of a Chairman & Managing Director,

104. Details of changes in Key Managerial Personnel during the financial year 2022-23 are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation	Remarks
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Chairman & Managing Director	January 01, 2016	Continuing	No Change
2.	Shri Bejoy Bhasker ⁽¹⁾	08103825	Director (Technical)	April 05, 2018	Continuing	No Change
3.	Shri Jose V J ⁽²⁾	08444440	Director (Finance)	August 01, 2019	Continuing	No Change
			Chief Financial Officer	August 13, 2019		
4.	Shri Sreejith K Narayanan	09543968	Director (Operations)	July 21, 2022	Continuing	Appointment
5.	Shri Syamkamal N	N.A.	Company Secretary & Compliance Officer	February 01, 2020	Continuing	No Change

⁽¹⁾ The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide letter no. SY-11012/1/2022-CSL dated February 15, 2023 extended the tenure of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), as Director (Technical) for a further period from April 05, 2023 till the date of his superannuation i.e., May 31, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

⁽²⁾ Shri Jose V J, whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company at the 50th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 29, 2022.

Declaration and Meeting of Independent Directors

105. During the financial year 2022-23, the Company has received declarations from all the Independent Directors of the Company confirming that they meet the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013. A separate meeting of Independent Directors was held during the financial year on March 26, 2023 which was attended by all the Independent Directors of the Company.

Details of Board Meetings held during 2022-23

106. Six Board Meetings were held during the year 2022-23 and the gap between two meetings did not exceed the statutory period. The dates on which the Board Meetings were held along with the attendance of Directors therein, are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1	May 20, 2022	11	11
2	July 18, 2022	11	11
3	August 10, 2022	12	12
4	October 14, 2022	12	10
5	November 10, 2022	12	10
6	February 10, 2023	12	12

107. For more details with respect to the Directors, Board and Committee meetings held during the year and attendance of these meetings, refer Corporate Governance Report which forms part of Directors' Report.

Remuneration Policy/ Evaluation of Board's Performance

108. Cochin Shipyard is a Government of India company under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Presently, the Directors of the Company are presidential appointees and their remuneration is fixed in accordance with the DPE guidelines. Accordingly, Article 21(a) of the Articles of Association of CSL states that, President will appoint Directors and determine their remuneration. Since, the Board level appointments are made by President of India, the evaluation of performance of such appointees is also done by the Government of India. The Independent Directors evaluated the performance of the Board as a whole in a separate meeting of Independent Directors held on March 26, 2023.

Report of the Nomination & Remuneration Committee on Company's Policy on Directors' Remuneration

109. Presently, the remuneration of Board level appointees is determined in accordance with DPE guidelines. CSL at its 228th Board meeting held on December 14, 2016 adopted the Nomination and Remuneration Policy in compliance with the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013. CSL in its 241st Board meeting held on May 24, 2018

and further in its 245th Board meeting held on October 31, 2018 amended the Policy. The Policy is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Directors Responsibility Statement

110. Your Directors state that:

- in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2023, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Act, have been followed and there are no material departures from the same;
- the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023 and of the profit of the Company for the year ended on that date;
- the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;
- the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively; and
- the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

Contracts and arrangements with related parties

111. During the year, the Company had not entered into any contract/ arrangement/ transaction with related parties which could be considered material. Your Directors draw attention of the members to Note 51 to the standalone financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24. Further, Form AOC-2 has been placed at Annexure II as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013.

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee (CSR & SD Committee)

112. As on March 31, 2023, CSR & SD Committee comprises of Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members.
113. The Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee has formulated and recommended to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) indicating the activities to be undertaken by the Company, which has been approved by the Board. The CSR Policy can be accessed on the Company's website at the link <https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3>
114. Cochin Shipyard started CSR activities in the year 2010-11 based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) applicable to Government Companies. CSL has put in place an effective CSR Policy and implementation machinery. The CSR implementation machinery consists of three tier system; Tier I CSL Board, Tier II CSL Board Level CSR Committee consisting of four members of the Board, chaired by an Independent Director and Tier III CSL CSR Executive Committee consisting of senior level executives across various departments of the Company.
115. During the year 2022-23, the Company could engage in meaningful CSR initiatives that received appreciation both within Kerala and also nationally.
116. The Company has spent ₹17.25 Crores against the target mandatory CSR spending of ₹16.06 Crores (after adjusting the excess spent during the financial year 2021-22) for the financial year 2022-23. "Health & Nutrition" has been adopted as common theme for undertaking CSR activities by CSL for the year 2022-23.
117. The Annual Report on CSR activities is placed at Annexure III.

Audit Committee

118. As on March 31, 2023, the Audit Committee of CSL comprises of Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), Non-official (Independent) Director as members. All recommendations of the Audit Committee were accepted by the Board of

Directors. Particulars regarding the Audit Committee are provided under the section 'Board Committees' in the Report on Corporate Governance.

Corporate Governance

119. The Company is committed to maintaining the highest standards of corporate governance and has put in place an effective corporate governance system. The Company complies with the applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises. The Company submits its progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Administrative Ministry viz., Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors' Report.

Management Discussion and Analysis

120. A separate section 'Management Discussion and Analysis Report' has been included in the Annual Report and the same forms part of the Directors' Report.

Internal Financial Controls

121. The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the financial year 2021-22, the Company had engaged M/s. Varma & Varma, Chartered Accountants for reviewing and installing adequate Internal Financial Controls and to ensure proper and adequate systems for compliance with the provisions of all applicable laws. Such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed. There is no major variation in the control environment during the financial year 2022-23.
122. In order to provide for functional autonomy, the Company has a system wherein financial powers of the Board of Directors are delegated to the CMD. These powers are further sub-delegated to officers at various levels for smooth and efficient day to day functioning. An independent internal audit mechanism is in place for conducting extensive audit of various operational and financial matters. Compliance Audits are also being carried out by C&AG on a yearly basis.
123. During the year 2022-23, the Board of Directors/ Audit Committee examined internal/ statutory audit observations and provided guidance based on the same. The scope of the internal audit also included the review as to whether the

laid down internal controls are followed and assessment as to whether such internal controls are adequate and are operating effectively.

124. The Board of Directors/ Audit Committee also looked into the internal control system, Company procedures and internal audit performance and reports. The Company has implemented an integrated ERP System (SAP) since July 2014 and upgraded the same to the latest version S/4HANA from April 2022, which is enabling better management control.

Statutory Auditors

125. M/s. Anand & Ponnappan (Firm Registration No. 000111S), Chartered Accountants, Kochi were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India for the year 2022-23. The shareholders have delegated the power to fix the remuneration of Statutory Auditors to the Board and accordingly, the same has been fixed by the Board.

Auditors Report

126. M/s. Anand & Ponnappan, Statutory Auditors have submitted their report on the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2023, on May 19, 2023. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Comments of C&AG

127. The comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Cost Auditors

128. The Company maintains cost records with respect to its shipbuilding activities as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013. The Board has appointed M/s. BBS & Associates (Firm Registration No. 00273), Cost Accountants, Kochi, as the Cost Auditors for conducting the audit of cost records of the Company for the financial year 2022-23. The remuneration of Cost Auditor for the financial year 2022-23 was ratified by the shareholders at the 50th AGM held on September 29, 2022.

Secretarial Auditor

129. The Board has appointed M/s. Mehta & Mehta, Practicing Company Secretaries, to conduct Secretarial Audit for the financial year 2022-23. The Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2023 is placed at Annexure IV. There is no qualification, reservation or adverse remark or disclaimer in the Secretarial Audit Report.

Internal Auditor

130. The Board has appointed M/s. Krishnamoorthy & Krishnamoorthy, Chartered Accountants, Kochi, to conduct Internal Audit for the financial year 2022-23.

Annual Return

131. The annual return of the Company as required under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/55

Investor Services

132. The shares of the Company are listed in BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). CSL has paid listing fees to BSE and NSE on time. Link Intime India Private Limited are the Registrar & Transfer Agents in respect of these equity shares. The tax free bonds issued by the Company in 2013-14 are fully dematerialized with both the depositories, NSDL and CDSL. These bonds are listed on Wholesale Debt Market ("WDM") segment of BSE. During the year India Ratings and Research (Ind-Ra) upgraded the ratings of CSL instruments to IND AAA/ Stable from IND AA+/ Positive. Care Ratings reaffirmed its rating of CARE AAA/ Stable. CSL has paid the listing fees to BSE on time in respect of these bonds. Link Intime India Private Limited is the Registrar & Transfer Agents and SBICAP Trustee Company Limited is the Debenture Trustees in respect of these bonds.

Vigilance

133. The Vigilance Department of Cochin Shipyard Limited performs various activities with regard to preventive and pro-active vigilance, undertakes investigation in cases related to punitive vigilance and conducts surveillance and detection initiatives. Vigilance department strives to ensure transparency, equity and competitiveness in all procurement. Important Central Vigilance Commission

(CVC) guidelines are discussed with Heads of Departments for its strict compliance. Emphasis was given to vigilance sensitization among the officers and supervisors for preventive vigilance.

134. Vigilance Department of Cochin Shipyard Limited is headed by full-time Chief Vigilance Officer, Smt. S. Uma Venkatesan IRS. The Department also includes two officers of CSL and two supporting staff. Vigilance wing were also set up at the wholly owned subsidiaries of CSL viz., Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL).

135. Various systemic improvements recommended by the Vigilance department were implemented by the management during the year. Chief Technical Examiner, CVC type inspections were carried out on select major works/ procurements in Civil department, Ship Building and Ship Repair divisions and reports sent to Chief Technical Examiner, CVC. Various contracts and audit reports were monitored during the year. Vigilance department has also conducted surprise/ periodic inspections in various areas of operations and suggested corrective actions wherever necessary. All reports to the CVC are submitted in time and no reference is pending with CVC. Vigilance sensitization programmes as part of Vigilance Awareness Week was conducted in a felicitous manner during October – November 2022.

Right to Information Act

136. In order to promote transparency and accountability, your Company has implemented the provisions of the Right to Information (RTI) Act, 2005 in its true letter and spirit and an appropriate mechanism has been set up in the Company with a dedicated centralised RTI Cell to provide information to the citizens under the provisions of this Act. All the RTI requests and the appeals received both online and offline during the year 2022-23 have been processed and information was provided in a time bound manner as stipulated in the Act.

137. There have been no instances of non-compliance by the Company. No penalties or strictures were imposed on the Company by any statutory authority during the last three years with respect to RTI.

Vigil Mechanism

138. The Cochin Shipyard Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy of CSL adopted by the Board of Directors at their 228th Meeting held on December 14, 2016 was

functioning as the Vigil Mechanism of CSL. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of CSL is available at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

139. Nil.

Particulars of loans, guarantees or investments

140. During the year under Report, the Company has not

- a) given any loan to any person or other body corporate, except as given below:

Name of the Company	Description of loan	Amount (₹ Crores)	Remarks
Hooghly Cochin Shipyard Limited	6.5% unsecured loan for a tenure of three months.	6.50	Loan was repaid during FY 2023 itself.

- b) given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and

- c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013, except as stated below:

Name of the Company	Description of Investment	Amount (₹ Crores)
Hooghly Cochin Shipyard Limited	Equity Shares by way of Rights Issue	46.00
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Limited)	Equity Shares by way of Rights Issue	25.00

Material changes and commitments

141. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Details of change in nature of business

142. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under report.

Deposits

143. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Secretarial Standards

144. The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

Significant and Material orders

145. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Business Responsibility and Sustainability Report

146. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated inclusion of Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") as part of the Annual Report for top 1000 listed entities based on market capitalization. The Company has provided BRSR in the prescribed format which forms part of the Annual Report. BRSR indicates the Company's performance against the principles of the 'National Guidelines on Responsible Business Conduct'. This would enable the Members to have an insight into environmental, social and governance initiatives of the Company.

Acknowledgement

147. The Board of Directors are extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping and Waterways and all officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The Board would also like to express their grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of Kerala, Government of West Bengal, Government of Karnataka, Government of Maharashtra, Andaman and Nicobar Administration, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Secretarial Auditors, Cost Auditors, Internal Auditors, Suppliers, Sub-contractors, Company's Bankers and our valued customers. The Board also places on record its appreciation for the contribution and support extended by all employees of Cochin Shipyard Limited and its subsidiaries. Your Directors express their appreciation and gratitude to all the shareholders/investors for the trust and confidence reposed in the Company and look forward to their continued support and participation in sustaining the growth of the Company in the coming years.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 19, 2023

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure I

A. Conservation of Energy

a. Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2022-23.	Steps Taken • Installed Static Frequency Converter (SFC) as an alternative for motor generator set for providing power at 60 Hz frequency to docks and quays; • Replaced high pressure mercury vapour light fittings with energy efficient LED' light fittings at various LLTT/ Gantry Cranes; • Electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps; • Provided VRF air-conditioning system at office buildings; • Use of energy efficient BLDC/ 5 star fans instead of ordinary ceiling fans; • Leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines are regularly monitored and rectified; • Power factor is continuously monitored and maintained near unity; • Switching off Main power supply to shops, quays & docks momentarily at 12:00 Hrs. This trips man coolers, roof extractors (controlled through starters) etc. which are not required during the lunch break; • Switching off Main Air Compressor during lunch break; and • Displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power. Impact Energy saving is approx. 8.14 Lakhs units per annum with the implementation of measures specified above.
b. Steps taken for utilizing alternate sources of energy.	• Installed solar powered street lights at new parking area outside CSL and METI; • 20.34 Lakhs units of energy were generated from existing solar power plants of capacity 1622 kWp during the year 2022-23; and • Purchased 3.35 Lakhs units of renewable energy through Open Access (Green Day Ahead Market).
c. Capital investment on energy conservation equipments.	• An amount of approximately ₹1.36 Crores have been invested for implementation of energy conservation measures specified above.

B. Technology Absorption, Adaptation and Innovation

a. Efforts made towards technology absorption.	• Development of parametric hull forms for Ro-Pax Catamaran and Double ended ferry using CAESES Software; • External workshops/ training: • 8-day skill upgradation course on Hydrodynamics by Prof. Anantha Subramanian. Ship resistance, Propulsion and hull form design aspects were covered in this course; • Two-day national seminar on Computational Fluid Dynamics in marine technology held in CUSAT; • Training on Ammonia powered vessel and its Class rules and regulations by ClassNK; and • Training on Container Ship Design by DNV Class.

	• Participated in ICE Class model testing of 7k Multi-Purpose vessel at HSVA Hamburg; • Participated in Cavitation observation tests of INS Vikrant in Depressurized Wave Basin at MARIN, Netherlands; • Enhancement of FE Capabilities: • Developed technical expertise in performing non-linear structural analysis (material non linearity) using SIMULIA software in close coordination with experts from IRS. • Developed inhouse capability in OpenFOAM (Opensource CFD software) to analyze cases involving large mesh motions using overset grid technique; • Procured ShipWeight software to consolidate legacy weight data of previous vessels, analyse and undertake weight estimation for new building ship; • Procured Rhino modelling software and VRay rendering software for high quality renders of concept designs; and • Prepared following White paper under Green Initiatives in Marine Sector: • Voyage Optimization; • Battery Applications in Indian Marine Sector; • Storage and Dispensing of Hydrogen from Ports; • Solar Power for Marine Application; • Bio-Fuels/ Methanol for Marine Application; and • Potential of usage of Wind Energy for Marine Application.
b. Efforts made towards Technology Innovation.	• Developed methodology for pontoon assisted docking of INS Vikrant including docking procedure and risk assessment matrix; • Development of complete design of Buoyancy pontoon for docking of INS Vikrant; • Performed detailed stability analysis for more than 700 intact and damage scenarios for INS Vikrant; • Development of basic design for inland electric catamaran ferry for operation in NW1 & NW2; • Development of concept design for 106m Training ship for Indian Coast Guard; • Development of bid design for 50m Fast Patrol vessel for Indian Coast Guard; • Design Development of Ro-Pax vessels for A&N administration: • 250 Pax double ended Ro-Ro ferry; • 250 Pax harbor craft; and • 100 Pax harbor craft. • Development of basic design for fuel cell catamaran ferry; • Design development of Landing Craft for Indian Army for Inland Operation: • 70T Landing Craft Mechanised; and • 200T Landing Ship Tanks. • Concept design development of bulk carrier: • Battery powered variants – 3000DWT, 4500DWT capacity; and • Diesel-Electric propulsion Variants – 4500DWT, 6000DWT capacity. • Bid design development of electric catamaran ferry of 50 passenger capacity for operation in Kochi backwaters; • Performed Launching calculations of underwater body using OpenFOAM CFD software; • Performed system performance checking of INS Vikrant Buoyancy Pontoon Ballast system in FluidFlow3 software;

- Performed Finite Element Analysis on following projects in 3D Experience SIMULIA:
 - A-Frame for storage of Blocks in CSL;
 - Deck Structure in way of Towing Equipment (Staple, Tow Hook, Winch) in Tug; and
 - AFC Hatch structure in INS Vikrant.
- Cable Tray support structure.

Disclosure of particulars in respect of absorption

a. Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions.	• Increased flexibility for performing design iterations for developing optimized products by having in-house software codes, FEA and CFD capability; • Access to clientele and enhanced credibility on account of high quality design solutions; and • Enhanced competence in design by collaborating with specialized and leading firms.
b. In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) following information may be furnished.	
i. The details of technology imported	(i) ALMA ACT CUT nesting software for plates and profiles (ii) ETAP software for analysing, managing and simulating marine power systems
ii. The year of import	(i) 2019-20 (ii) 2020-21
iii. Whether the technology been fully absorbed	Yes
iv. If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place and the reasons thereof	Not Applicable
c. Expenditure incurred on Research and Development/ Innovation initiatives	₹ 864.16 Lakhs

C. Foreign Exchange Earnings and Outgo

	(₹ Lakhs)	
Earnings in Foreign Exchange	2022-23	2021-22
From Shipbuilding	27528.05	2137.88
From Ship repair	469.26	161.98
Total	27997.31	2299.86
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	33042.98	40090.43
Design & Documentation	5274.85	189.51
Service Charge & Others	48582.51	13597.35
Total	86900.34	53877.29

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunni Nair

Chairman & Managing Director

DIN: 07376798

Kochi
May 19, 2023

Annexure II

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL); and Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), Wholly owned subsidiaries.
(b)	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Implementation of ERP system of CSL 'SAP S/4HANA' at HCSL and UCSL with the entire SAP implementation cost and license charges for the financial year 2022-23 only, aggregating to ₹77.88 Lakhs, borne by CSL on behalf of the subsidiary companies.
(c)	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	
(e)	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	The arrangement is for the initial year only in view of the fact that both the subsidiaries are in a nascent stage of its operations and the cash outgo would negatively impact their financial position. At the same time the implementation of SAP ERP System would benefit the CSL group as a whole considering the features offered by the System. Further, this would also facilitate easy and convenient consolidation of the financials of CSL group for publishing the financials on a quarterly/ half yearly/ yearly basis.
(f)	Date(s) of approval by the Board	May 19, 2023
(g)	Amount paid as advances, if any	Nil
(h)	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188	Not Applicable

2. Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
(b)	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Nil
(c)	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Not Applicable
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e)	Date(s) of approval by the Board, if any	Not Applicable
(f)	Amount paid as advances, if any	Not Applicable

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 19, 2023

Madhu Sankunni Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure III

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

The CSR activities in the Company for the year 2022-23 were undertaken in line with the statutory provisions under the CSR Rules and the guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central PSUs, the CSR Policy of the Company.

As per the CSR policy of the Company, for administrative convenience, the Company operates the projects under the categories of Minor projects, which are urgent in nature having value of ₹10 Lakhs or less with the approval of Chairman & Managing Director, limited to 10% of total spend. All other projects were categorised as Major projects. 5% of the total spend is earmarked towards administrative overheads, which includes salary, expenditure on training and travel by CSR staff working in the Department.

Theme for the year: Health & Nutrition

2. Composition of CSR Committee

The Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board recommends the CSR projects from time to time for the approval of the Board. The Composition of the CSR & SD Committee as on March 31, 2023 is given below:

Sl. No.	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR & SD Committee	
			held during the year	attended during the year
1.	Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082)	Non-official (Independent) Director - Chairperson	4	4
2.	Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405)	Non-official (Independent) Director - Member	4	4
3.	Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825)	Director (Technical) - Member	4	4
4.	Shri Jose V J (DIN: 08444440)	Director (Finance) - Member	4	4

3. Web-link where Composition of CSR & SD Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company

Composition of CSR & SD Committee	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab4
CSR Policy	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3
CSR projects approved by the Board	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab9

4. Executive summary along with web-link(s) of Impact assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014

Impact assessment of the Project "Ananthakripa" undertaken in the financial year 2018-19 with the CSR support of CSL at a cost of ₹1.5 Crores was carried out by the School of Management Studies (SMS), Cochin University

of Science and Technology (CUSAT). The summary of the report submitted by them is given below:

Ananthakripa is a CSR initiative of Cochin Shipyard Limited which started functioning in the year 2018. Under this project, 12,000 square feet building with dormitories and rooms along with a kitchen and other amenities was set up to provide free accommodation facilities to patients and their bystanders who visit Thiruvananthapuram for tertiary medical care in the various medical care establishments

in the city. An impact assessment study was carried out with the objective of evaluating the social relevance of the initiative and the effectiveness of the project in meeting the real needs of the targeted beneficiary group. The study followed a mixed-method research design combining the elements of qualitative and quantitative research approaches. A modified version of the OECD-DAC (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Development Assistance Committee) framework for the evaluation of developmental and humanitarian projects was applied by which the project was assessed in terms of the criteria relevance, effectiveness, impact and sustainability.

The study reveals that Ananthakripa scores well on all the evaluation criteria. Qualitative data analysis clearly indicates the social relevance of this project to the target beneficiary group. Free accommodation service for people who come to Thiruvananthapuram from different parts of Kerala for medical care and their bystanders helps enhance the larger ecosystem of affordable tertiary healthcare in the entire state by improving the accessibility of quality medical care to the lower economic strata of the society. Facilities such as this address the hidden private costs of medical treatment especially in post-treatment care. Although government hospitals cover most of the costs of treatment, patients and their families still encounter several additional financial barriers, especially on money for food and accommodation. The indirect costs of income loss of family members supporting the patient are also a serious issue for most families. Therefore, free/ subsidised

accommodation services for patients and bystanders are enablers for the accessibility of medical care services for the financially disadvantaged sections of society. From the beneficiary survey, beneficiary satisfaction was found to be high with beneficiaries rating all dimensions of services related to Ananthakripa above 4.5 on a scale of 1 to 5. The level of advocacy was also seen to be very high, further validating the level of satisfaction of the beneficiaries. The survey also shows that the benefits of the project are reaching the right target audience. Most beneficiaries who avail of the facility are from economically backward sections (daily wage workers – 85%) having an annual income of less than ₹1 lakh. Most respondents (226 out of 229) reported no specific problem or issue with any dimension of service during their stay in Ananthakripa. Therefore, it can be concluded that the project implementation has been effective and impactful. The sustainability dimension of the project also looks promising as the utilization of the facility is high owing to the high demand for the services and the wide volunteer base of the implementation agency ensures that the manpower requirements and the operating expenses of the facility are covered by volunteers and donations. In conclusion, Ananthakripa by contributing to the larger ecosystem of affordable healthcare to the masses is socially relevant and aligned with the Company's CSR mission of inclusive growth. The project is also consistent with the Sustainable Development Goals of accessible and inclusive health care.

The full report can be accessed from the link <https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab7>

5.

(a) Average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, 2013 ("Act")	: ₹82280.09 Lakhs
(b) Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Act	: ₹1645.60 Lakhs
(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years	: Nil
(d) Amount required to be set-off for the financial year, if any	: ₹40 Lakhs
(e) Total CSR obligation for the financial year [(b) + (c) – (d)]	: ₹1605.60 Lakhs

6.

(a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project)	: ₹1649.60 Lakhs
(b) Amount spent in Administrative Overheads	: ₹73.36 Lakhs
(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable	: ₹2.00 Lakhs
(d) Total amount spent for the financial year [(a) + (b) + (c)]	: ₹1724.96 Lakhs

(e) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135 of the Act		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
1724.96 Lakhs	Nil	NA	NA	Nil	NA

(f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Act*	1605.60 Lakhs
(ii)	Total amount spent for the financial year	1724.96 Lakhs
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii) - (i)]	119.36 Lakhs
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set-off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]#	110.00 Lakhs

*The CSR obligation for the financial year 2022-23 after adjusting the excess spent during the financial year 2021-22.

#The amount decided by the Board for set-off in succeeding financial years is given.

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding financial year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub- section (6) of section 135 of the Act (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub- section (6) of section 135 of the Act (in ₹)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act, if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in ₹)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹)	Date of transfer		
1.	2021-22	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil
2.	2020-21	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil
3.	2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year:

☒ Yes ☐ No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

95

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
Please refer Annexure IIIA							

9. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135 of the Act:

Not Applicable.

May 19, 2023

Madhu Sankunny Nair

Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Nahar Singh Maheshwari

Chairperson, CSR & SD Committee
DIN: 09419082

Annexure IIIA

Details relating to the capital assets created/ acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year 2022-23

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	'Theruvu Velicham' vehicle for transportation of mentally challenged – Ernakulam	682020	19.08.2020	0.20	CSR00022500	Theruvura Pravarthaka Association	Gandhi Nagar, Kadavanthra, Ernakulam – 682020
2.	Ambulance for Kanivu Palliative Care Centre, Thrippunithura	682301	10.06.2022	0.35	CSR00016155	Kanivu Palliative Care Society	P Kerala Varma Mandiram, Hospital Junction, Thrippunithura, Ernakulam – 682301
3.	Toilet complex at St. Mary's High School, Aluva	683101	16.05.2022	0.49	CSR00016674	St. Mary's High School	Subjail Road, Aluva, Ernakulam – 683101
4.	Vehicle for mobile vaccination to migrant workers CMID, Ernakulam	683542	21.03.2022	0.65	CSR00002364	Centre for Migration and Inclusive Development (CMID)	PMC XX/1229, Near Town Hall, Perumbavoor, Ernakulam – 683542
5.	Govt. District Homeo Hospital Pullepady, support for construction of waiting area and toilet, Pulleppeady, Ernakulam	682017	10.10.2022	0.79	CSR00018797	Hospital Management Committee, Government District Homeo Hospital	Pulleppady, Kaloor, Ernakulam – 682017
6.	Set up 10 smart classrooms and indoor sensory park for children at Adarsh Special School, Kureekkad, Ernakulam	682305	04.08.2022	1.00	CSR00001511	Adarsh Charitable Trust	Kureekkad, Thrippunithura, Ernakulam – 682305
7.	Installation of Water ATM at Noklak, Nagaland	797001	29.08.2022	1.00	CSR000009159	Santhi Medical Information Centre	Punnathur Road, Kottapadi P O, Guruvayur, Thrissur – 680505
8.	Vehicle for transportation of tribal children, Seva Bharathi, Thiruvananthapuram	695011	16.09.2022	1.30	CSR00021253	Sevabharathi Kerala	TC2/720, MERA 106, Kappil Lane, Medical College P O, Thiruvananthapuram – 695011

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner	
					CSR Registration Number, if applicable	Registered address
9.	Vehicle for transportation of differently abled, Karuna Special School, Nayarambalam, Ernakulam	682509	26.07.2022	1.50	CSR00017944 Karuna Special School	Nayarambalam, Ernakulam – 682509
10.	Support for construction of ground floor of new building at Jeramia's Home – home for destitute women, Vypin, Ernakulam	682508	03.06.2022	2.00	N.A. Jeramiah's Home Betroni Palliative Care Centre Charitable Trust	Ochanthuruth, Vypin, Ernakulam – 682508
11.	Construction of second floor of Karunya Pain and Palliative Care Hospital, Parappur, Thrissur	680552	30.08.2022	2.00	N.A. Karunya Charitable Society	Karunya Charitable Society, Parappur, Thrissur – 680552
12.	Renovation of school building at St. Joseph's U P School, Karithala, Ernakulam	682011	07.06.2022	2.50	CSR00017332 St. Joseph's U P School	Karithala, Ernakulam – 682011
13.	Construction of toilet at Govt. Boys HSS, Aluva, Ernakulam	683101	20.08.2022	2.50	N.A. PTA Govt. Boys HSS	High Road, Aluva, Ernakulam – 683101
14.	Construction Of Building Block At Divyaraksha Divyarakshalayam For Mentally Challenged, Mylakombu, Thodupuzha, Idukki	685584	04.08.2022	3.00	N.A. Divyaraksha Charitable Society	Mylakombu, Thodupuzha, Idukki – 685584
15.	Natures Green Guardian Foundation – Micro forest Miyawaki model at Panampilly Nagar, Ernakulam	695043	09.09.2022	3.61	N.A. Natures Green Guardian Foundation	Kudappanakkunnu, Thiruvananthapuram – 695043
16.	Distribution of books to school libraries – Intl. book festival committee, Ernakulam	682026	13.02.2023	4.50	CSR00030611 Bhaskar Rao Smaraka Samithi	Madhava Nivas, Perandoor Road, Elamakkara, Kochi – 682026
17.	Renovation of library building for M I Raman Memorial Library, Vellayamattom, Thodupuzha, Idukki	685588	11.02.2023	5.00	CSR00031483 M I Raman Memorial Vayanasala	Vellayamattom, Thodupuzha, Idukki – 685588
18.	Installation of Gandhi statue at Edappally Block Panchayath, Ernakulam	682030	06.01.2023	2.50	CSR00041452 Edappally Block Panchayath	Kusumagiri P O, Ernakulam – 682030

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
19.	Infrastructure development at St. Augustine's U P School, Kaloar, Ernakulam	682017	20.02.2023	4.50	N.A.	St. Augustine's U P School	Kaloar, Ernakulam – 682017
20.	Renovation of auditorium at St. Joachim's U P School Kathrikadavu, Kaloar, Ernakulam	682018	27.03.2023	5.00	CSR00029931	Ernakulam Social Service Society	Providence Road, Kacheripady, Ernakulam – 682018
21.	Kids park at Govt. U P School, Mulli, tribal village at Attappadi, Palakkad set up by Swami Vivekananda Medical Mission	678581	11.01.2023	4.5	CSR00002488	Swami Vivekananda Medical Mission	Agali, Palakkad – 678581
22.	Construction of Manikanda Gurukulam – boys hostel for tribal children - Sabari Saranasramam, Koonamkara, Pathanamthitta	689711	15.05.2022	5.00	N.A.	Sabari Saranasramam	Koonamkara P O, Pathanamthitta – 689711
23.	Support to construct 5 rooms in the ground floor – Centre for palliative care for terminally ill – Guardian Angel Peace Mission, Nedumbassery, Ernakulam	683541	11.10.2022	5.00	N.A.	Guardian Angel Care Charitable Society	Airapuram, Ernakulam District – 683541
24.	Rehabilitation centre for mental patients at Devamatha Province, Thankey, Alappuzha	686001	13.07.2022	5.00	CSR00020849	Devamatha Province	Nagampadam Kottayam – 686001
25.	Support for construction of toilet complex at SMV HSS, Poonjar, Kottayam	686581	10.03.2023	5.00	CSR00020226	SM V Higher Secondary School	Poonjar P O, Kottayam – 686581
26.	Physiotherapy equipment at Daya Social Center, special school, Udayamperur, Ernakulam	682307	17.03.2023	5.00	CSR00019971	Daya Social Centre	Nadakkavu P O, Udayamperoor, Ernakulam – 682307
27.	Vehicle for deaf and blind children, Kottayam Social Service Society, Kottayam	686630	11.03.2023	5.00	CSR00012649	Kottayam Social Service Society	Chaithanya, Thellakom P O, Kottayam – 686630
28.	Renovation and maintenance of PVM Anglo Indian U P School, Edakochi	682010	20.02.2023	4.50	CSR00031450	PVMM Anglo Indian U P School	Edakochi, Ernakulam – 682010

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner	
					CSR Registration Number, if applicable	Registered address
29.	Construction of open stage at Bhrahmanandodayam HSS, Kalady, Ernakulam	683574	29.08.2022	5.13	CSR00002806	Ramakrishna Advaita Ashrama O, Ernakulam – 683574
30.	Vehicle for Assissi School for Blind, Kalaketty, Kanjirapilly, Kottayam	686508	14.02.2023	4.95	CSR000043507	Assissi School for the Blind Kalaketty, Kanjirapilly, Kottayam – 686508
31.	Vehicle for Cochin Cancer Center, Ernakulam	682018	21.02.2023	4.95	CSR00012448	Cochin Cancer Society Providence Road Junction, Kacheripady, Ernakulam – 682018
32.	Construction of toilet complex at St. Joseph's U P School, Manachery, Kannamaly, Ernakulam	692008	14.03.2023	6.00	CSR000042431	St. Joseph's LP & UP School Manacherry, Kannamaly, Ernakulam – 692008
33.	Support for construction of Balika Sadanam at Narayana Giri, Thottumugham, Aluva, Ernakulam	683105	16.11.2022	6.00	CSR00008313	Sri Narayana Sevika Samajam Thottumugham, Aluva, Ernakulam – 683105
34.	Additional infrastructure for Vidyarthini Sadan, Amrithashakthi, Eloor, Ernakulam	683501	23.02.2023	5.40	CSR000040488	Seva Bharathi, Amrutha Shakthi Seva Samithi Amrutha Shakthi Vidyarthini Sadanam, Eloor South, Udyogamandal, Ernakulam – 683501
35.	Project freedom care – Sanitary napkin manufacturing unit at District jail, Kakkanad, Ernakulam	682038	23.02.2023	5.14	CSR000020148	Buimerc India Foundation Vyttila Petta Road, Poonithura, Ernakulam – 682038
36.	Installation of Water ATM for fishermen at Fisheries Harbour, Thoppumpadi, Ernakulam	682005	04.05.2022	6.43	N.A.	Cochin Fisheries Harbour Kochi – 682005
37.	Solar street lighting for tribal locality at Elappara, Idukki	695033	02.12.2022	7.01	CSR000019849	Agency for New and Renewable Energy Research and Technology (ANERT) District Office, Painavu P O, Idukki - 685403
38.	Vehicle for Mobility in Distrophy (Mind) Trust Kozhikode	680683	12.02.2023	6.75	CSR00016830	Mobility in Dystrophy Trust (MIND) Building No. IV/162, Pichathara, Puthiyakavu P O, Mathilakam, Thrissur – 680683

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
39.	Drinking water facility at three locations at Kuttanad, Alappuzha	688012	17.02.2023	6.75	CSR00035417	District Nirmithi Kendra	Alappuzha – 688012
40.	Construction of an auditorium at Sanskrit U P School, Thottara, Ernakulam	678574	31.10.2022	8.00	CSR00019323	Bharatheeya Vidyankethan	Kesava Mandir, Kallekkad P O, Palakkad – 678574
41.	Maintenance of Subhash Park – Kochi Municipal Corporation, Ernakulam	682018	05.04.2022	8.00	CSR00022791	Centre for Heritage, Environment and Development C – HED	Corporation Building, Kacherippady, Kochi – 682018
42.	Installation of blood storage unit, Taluk Hospital, Peermede, Idukki	685603	27.12.2022	9.00	CSR00028609	District Programme Manager, National Health Mission	Idukki – 685603
43.	Drinking water facility special school, Faith India Vennikkulam, Ernakulam	682305	28.02.2023	9.00	CSR00036084	Faith India	Kokkapilly P O, Thiruvankulam, Ernakulam – 682305
44.	Construction of container toilets at various parts of the city – in association with the NGO Better Kochi Response Ground and CREDAI, Ernakulam	682020	27.03.2023	7.62	N.A.	CREDAI Clean City Movement	First Floor, No. 43, Jawahar Nagar, Kadavanthra, Kochi – 682020
45.	Construction of toilets and renovation of class rooms at Anglo Indian High School, Perumanoor, Ernakulam	682015	20.03.2023	10.00	CSR00024898	CCPLM Anglo Indian High School	Perumanoor, Ernakulam – 682015
46.	Renovation of classrooms at VHSS, Irumpanam, Thripunithura, Ernakulam	683562	09.02.2023	10.00	CSR00035561	Sevana Foundation	Kizhakkambalam, Ernakulam – 683562
47.	Infrastructure upgradation of APJ Abdul Kalam Tribal Residential School, Attappadi, Palakkad	680505	10.03.2023	10.00	CSR00009159	Santhi Medical Information Centre	Punnathur Road, Kottapadi P O, Guruvayur, Thrissur District – 680505
48.	Skill Development Center, Alphons Sadan, Kidangoor Angamali, Ernakulam	683572	24.03.2023	10.00	CSR00025065	Alphons Social Centre	Kidangoor, Angamaly, Ernakulam – 683572
49.	Renovation of school ground St. Joseph U P School, Kadavanthra, Ernakulam	682019	10.01.2023	5.00	CSR00003167	Welfare Service Society – Sahrudaya	Ernakulam – 682019

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner	
					CSR Registration Number, if applicable	Registered address
50.	Sahayogam – Livelihood restoration of marginalised women in Alappuzha district	689121	19.12.2022	5.00	CSR00027237 Travancore Human Unity for National Awakening (THUNA)	Chengannur, Alappuzha – 689121
51.	Construction of toilets for boys and girls at St. Mary's High School, Kandanadu, Ernakulam	682305	21.01.2023	9.00	CSR00044881 St. Mary's High School	Kandanad, Ernakulam – 682305
52.	Vehicle for old age home for elderly women at Sathya Sai Orphanage Trust, Thiruvananthapuram	695010	11.02.2023	10.00	CSR00006904 Sathya Sai Orphanage Trust	Thiruvananthapuram – 695010
53.	Set up for holistic medical unit at Assissi Holistic Research Centre, Panavally, Alappuzha	688581	14.12.2023	9.00	CSR00020849 Devamatha Province	Nagampadam, Kottayam District – 688581
54.	Construction of a building for drying and storing the paddy rice and value added products by Salim Ali Foundation, Vellangallur, Thrissur	680027	21.02.2023	10.80	CSR00015511 Salim Ali Foundation	The Nest, Ayyappankavu, Kanimangalam, Thrissur – 680027
55.	Construction of Gandhi Ashramam – skill centre for rural youth by Sarvodaya Kendram, Ramassery, Palakkad	678623	15.11.2022	10.00	CSR00015802 Sarvodaya Kendram	Ramassery Road, Pudukkottai, Palakkad – 678623
56.	Employment and income opportunities for persons with disabilities, Sahrudaya Welfare Society, Ponnuruni, Ernakulam	682019	30.08.2022	11.25	CSR00003167 Welfare Service Society – Sahrudaya	Ponnuruni, Ernakulam – 682019
57.	Digital library at Govt. HSS, Munderi, Kannur	670002	18.07.2022	15.00	CSR00015937 Kannur District Panchayath	Civil Station P O, Kannur – 670002
58.	School bus for special children at Snehasadan Special School, Kalady, Ernakulam	683574	09.03.2023	15.00	CSR00042790 Snehasadan Special School	Pothiyakkara, Kalady, Ernakulam – 683574
59.	Construction of public toilets at Hooghly, West Bengal	711109	31.10.2022	10.50	N.A.	CSL Direct

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
60.	Vehicle and physiotherapy equipment for Miridulasparsham Special School, Tripunithura, Ernakulam	682301	03.03.2023	13.50	CSR00028003	Miridulasparsham Special School	Thripunithura, Ernakulam – 682301
61.	Construction of community skill development centre at Sidhanar Service Society, Pathanamthitta	691566	23.01.2023	13.50	CSR00037961	Sidhanar Service Society	Kottarakkara, Kollam – 691566
62.	Vehicle for tribal community for transportation and visit to remote tribal hamlets across Kerala	678007	22.02.2023	15.75	CSR00012312	Vanavasi Vikasa Kendram	Chandranagar, Palakkad District – 678007
63.	Medical equipments for Thalassery General Hospital, Kannur – post COVID requirements	670002	27.01.2023	19.86	CSR00044749	District Programme Manager, National Health Mission	Kannur – 670002
64.	Renovation of AV room at Kerala Historical Museum, Edappally, Ernakulam	682024	17.03.2023	20.00	CSR00035178	Madhavan Nayar Foundation	Edappally, Kochi – 682024
65.	Construction of additional classrooms at AMM LP School, Chennai, Ernakulam	682018	17.03.2023	20.00	CSR00029931	Ernakulam Social Service Society	Providence Road, Kacheripady, Ernakulam – 682018
66.	Support for community radio station for educational purpose by Snehapoorvam Educational Charitable Trust, Thrissur	680003	10.08.2022	20.00	CSR00014964	Snehapoorvam Educational Charitable Trust	Thrissur – 680003
67.	Skill development center for disabled - Samadrushti, Kozhikode	673002	14.12.2022	18.00	CSR00036053	Samadhrushti Charitable Trust	Chalappuram, Kozhikode – 673002
68.	Support for Human Excellence Building at Vivekatheertham, Ramakrishna Mission, Belur Math, Kolkata	711202	07.02.2023	20.00	CSR00002806	Ramakrishna Mission	P O Belur Math, Howrah – 711202

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
69.	Procurement of animal rescue vehicle for Parambikulam Tiger Reserve, Parambikkulam, Palakkad	678661	19.11.2022	15.00	CSR00012019	Parambikulam Tiger Conservation Foundation	Anappady, Thunakadavu P O, Parambikkulam, Palakkad – 678661
70.	Phase 2 of Jijau Shrushti Hospital for women and children at Sindkhed Raja, Maharashtra	443203	28.12.2022	20.00	N.A.	Jijau Shrishti, Matrutirtha Sindkhedraja	Buldana – 443203
71.	New building for Bethlehem Abhayabhavan Charitable Society, Koovapady, Ernakulam	683544	31.01.2023	20.00	CSR00016380	Bethlehem Abhayabhavan Charitable Society	Koovapady, Ernakulam – 683544
72.	New building for elderly people at Yoginimatha Sevakendram, Chulloor, Thrissur	680567	23.03.2023	20.00	CSR00028022	Yoginimatha Sevakendram	P O Chulloor, Thrissur – 680567
73.	Infrastructure upgradation of JMP Medical Centre, Piravom, Ernakulam	686664	11.01.2023	20.00	CSR00022460	Pachomios Educational and Charitable Enlightenment Foundation, JMP Medical Centre	Piravom, Ernakulam – 686664
74.	Construction of medical centre at CUSAT campus, Kalamassery, Ernakulam	682022	23.01.2023	20.65	CSR00040361	CUSATECH Foundation	CUSAT, Kochi – 682022
75.	Water conservation at tribal hamlet at Aspirational District, Wayanad by CWDPM/ KSCSTE	673571	28.12.2022	12.50	CSR00042039	Centre for Water Resources Development and Management, (CWRDM)	Kunnamangalam, Kozhikode – 673571
76.	Construction of shelter home for Theruvora Pravarthaka Association, Pattanakad, Alappuzha	688531	07.02.2023	22.50	CSR00022500	Theruvora Pravarthaka Association	Pattanakad, Alappuzha – 688531
77.	Construction of first floor at Sree Parameswari Mathrusadanam, Kannara, Thrissur	680652	02.12.2022	25.00	CSR00020652	Sree Parameswari Grama Sevika Samiti	16/190B, Kannara P O, Thrissur – 680652
78.	Construction of yoga hall at Sree Saraswathy Vidya Mandir, Peruva, Kottayam	686610	14.03.2023	30.00	CSR00019398	Sree Saraswathy Educational Trust	Karikode P O, Peruva, Kottayam – 686610

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
79.	Construction of building for the old age home, Kasthuba Gandhi National Memorial Trust Medical Centre, Nedupuzha, Thrissur	680007	27.01.2023	27.00	CSR00011945	Katurba Gandhi National Memorial Trust	Nedupuzha P O, Thrissur – 680007
80.	Pelican Centre, Kanjiramattom – palliative care building & stretcher lift facility	682317	11.03.2023	30.00	CSR00022730	Pelican Centre	Kanjiramattom, Ernakulam – 682317
81.	Infrastructure upgradation of Devashrayam Special School, Palakkad	678007	17.02.2023	27.00	CSR00038938	Devashrayam Charitable Trust	Palakkad – 678007
82.	Support for construction of hostel building for Kerala Federation of blind, Kudayathur, Idukki	695035	09.02.2023	15.00	CSR00020312	Kerala Federation of Blind	Thiruvananthapuram – 695035
83.	Construction of Abhayam, transit shelter home for women – a project by Rugmini Smrithi Trust Kadungallur, Ernakulam	683102	30.11.2022	28.00	CSR00011313	Rugmini Smrithi Trust	Kadungallur, Ernakulam – 683102
84.	Procurement of fully equipped cancer awareness and screening vehicle at Bhagawan Mahaveer Cancer Hospital, Jaipur	302017	21.01.2023	31.50	CSR000005954	Bhagwan Mahaveer Cancer Hospital & Research Centre	Jaipur – 302017
85.	Robotic technology for manhole cleaning at Kochi Corporation	682018	03.01.2023	39.52	CSR00022791	Centre for Heritage, Environment and Development C – HED	Corporation Building, Kacherippady, Kochi – 682018
86.	Construction of management development centre for Kerala Management Association (KMA), Ernakulam	682036	30.12.2022	40.00	CSR00019002	Kerala Management Association	Ernakulam – 682036
87.	Skill development and employment for neuro divergent individuals through digital enablement programme – Welfare Services Ernakulam Sahrudaya	682019	30.08.2022	27.00	CSR0003167	Welfare Service Society – Sahrudaya	Ernakulam – 682019

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (J Lakhs)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
88.	Kannur Zilla Panchayat -Construction of 3 community halls	670002	23.11.2022	40.50	CSR00015937	District Panchayath Kannur	Civil Station P.O, Kannur – 670002
89.	Trissur – new building for boys at Sanjeevani Samithi, Urakam, Thrissur	680562	10.11.2022	45.00	CSR00033092	Sanjeevani Samithi	Cherpu, Urakam P O, Thrissur District – 680562
90.	Construction of two floors for special school at Nutan Gulgule Foundation, Thane, Maharashtra	400069	28.02.2023	45.00	CSR00019552	Nutan Gulgule Foundation	Thane – 400069
91	Open Air Gym at different public places and parks in Kochi Municipal Area, Saukhyam Charitable Trust	682017	08.03.2023	55.00	CSR00003267	Saukhyam Charitable Trust	Ernakulam – 682017
92.	Installation of water treatment plants at different schools at Dibrugarh – TIPKAI, Guwahati	781006	06.02.2023	58.50	CSR00031155	TIPKAI	Guwahati, Assam – 781006
93.	Construction of new class rooms at Edamalakkudi Govt. Tribal School – Nirmithi Kendra, Idukki	685603	13.01.2023	59.40	CSR00044319	District Nirmithi Kendra	Idukki – 685603
94.	Support for trauma care centre at Srivalsam Institute of Medical Sciences, Edappal, Malappuram	680001	30.11.2022	62.00	CSR00007802	Sreevalsam Educational Trust	Thrissur – 680001
95.	Setting up drinking water facility at different districts in Nagaland	797001	24.11.2022	72.00	CSR00024598	Investment and Development Authority of Nagaland (IDAN)	Kohima, Nagaland – 797001

Annexure IV

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 And Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala - 682015

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our Opinion thereon.

Based on our verification of Cochin Shipyard Limited's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Cochin Shipyard Limited ("the Company") for the financial year ended 31st March, 2023 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed there under;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External

Commercial borrowings (During the period under review not applicable to the Company)

- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations");
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2021; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (During the period under review not applicable to the Company)

- (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; (During the period under review not applicable to the Company); and
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018; (During the period under review not applicable to the Company).
- (vi) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 ("CG Guidelines");
- (vii) Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period review were carried out in compliance with the provisions of the Act and in compliance with orders issued by the Central Government.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All the decisions were passed unanimously.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the Company had the following specific events/actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, Standards, etc...

- (i) The Members at the Annual General Meeting held on 29.09.2022 approved a final dividend of ₹3.75/- per equity share for the financial year 2021-22;
- (ii) The Board of Directors at their Meeting held on 10.11.2022 approved an interim dividend of ₹7/- per equity share; and
- (iii) The Board of Directors at their Meeting held on 10.02.2023 approved a 02nd interim dividend of ₹7/- per equity share.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code: P1996MH007500)

Atul Mehta

Partner

FCS No: 5782

CP No: 2486

UDIN: F005782E000337102

Place: Mumbai

Date: May 19, 2023

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

ANNEXURE A

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala - 682015

Our report of even date is to be read with this letter:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion in these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of corporate laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. As regard the books, papers, forms, reports and returns filed by the Company under the provisions referred to in point vi & vii of our Secretarial Audit Report in Form No. MR-3 the adherence and compliance to the requirements of the said regulations is the responsibility of management. Our examination was limited to checking the execution and timeliness of the filing of various forms, reports, returns and documents that need to be filed by the Company with various authorities under the said regulations. We have not verified the correctness and coverage of the contents of such forms, reports, returns and documents.
7. The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code: P1996MH007500)

Atul Mehta

Partner

FCS No: 5782

CP No: 2486

UDIN: F005782E000337102

Place: Mumbai

Date: May 19, 2023

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair

Chairman & Managing Director

DIN: 07376798

Kochi

May 19, 2023

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Cochin Shipyard recognizes the importance of Corporate Governance to emerge as a model corporate. The Company has adopted policies and procedures which are aimed at effectively discharging its responsibilities to various stakeholders, viz., shareholders, creditors, customers, employees and society at large. CSL strongly believes that the Company can emerge as a strong global leader only by following good & sound Corporate Governance principles. The Company has been rated 'Excellent' in Corporate Governance practices as per the evaluation criteria prescribed by the Department of Public Enterprises consistently for the last several years.

Board of Directors

2. The Board of Directors of Cochin Shipyard Limited plays a pivotal role in ensuring good Corporate Governance. The composition of the Board of the Company is governed by the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"). The composition of the Board during the financial year ended March 31, 2023 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1.	Shri Madhu Sankunni Nair	07376798	Chairman & Managing Director
2.	Shri Bejoy Bhasker ⁽¹⁾	08103825	Director (Technical)
3.	Shri Jose V J	08444440	Director (Finance)
4.	Shri Sreejith K Narayanan ⁽²⁾	09543968	Director (Operations)
5.	Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS ⁽³⁾	00088957	Part-time official (Nominee) Director, Government of India
6.	Shri Vikram Singh ⁽⁴⁾	09191857	Part-time official (Nominee) Director, Government of India
7.	Shri Rajesh Kumar Sinha IAS ⁽⁵⁾	05351383	Part-time official (Nominee) Director, Government of India
8.	Shri Jyothilal K R IAS ⁽⁶⁾	01650017	Part-time official (Nominee) Director, Government of Kerala
9.	Shri Biju Prabhakar IAS ⁽⁷⁾	03093072	Part-time official (Nominee) Director, Government of Kerala
10.	Smt. Amrapali Prashant Salve	09415405	Non-official (Independent) Director
11.	Shri Nahar Singh Maheshwari	09419082	Non-official (Independent) Director
12.	Shri Ashok Sharma	09414565	Non-official (Independent) Director
13.	Shri Prithiviraj Harichandan	01351097	Non-official (Independent) Director
14.	Shri Venkatesan M	07667728	Non-official (Independent) Director
15.	Shri Abhijit Biswas	09419083	Non-official (Independent) Director

⁽¹⁾ The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide letter no. SY-11012/1/2022-CSL dated February 15, 2023 extended the tenure of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), as Director (Technical) for a further period from April 05, 2023 till the date of his superannuation i.e., May 31, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

⁽²⁾ The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India vide letter F. No. SY-11012/1/2020-CSL dated July 21, 2022 appointed Shri Sreejith K Narayanan, former Chief General Manager (Ship Repair) as the Director (Operations) of the Company.

⁽³⁾ & ⁽⁴⁾ The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India (GoI) vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated July 28, 2022, appointed Shri Vikram Singh, the then Joint Secretary (Shipping, PHRD & Chief Vigilance Officer), MoPSW, GoI, as Part-time official (Nominee) Director of CSL in place of Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS.

Shri Vikram Singh is a 1997-batch officer of the Indian Railway Traffic Service (IRTS). He holds a Bachelor's Degree in Civil Engineering. He has held several senior positions in various offices of the Central Government.

⁽⁴⁾ & ⁽⁵⁾ The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India (GoI) vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated November 21, 2022, appointed Shri Rajesh Kumar Sinha IAS, Additional Secretary, MoPSW, GoI, as Part-time official (Nominee) Director of CSL in place of Shri Vikram Singh.

⁽⁶⁾ & ⁽⁷⁾ The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated January 02, 2023, appointed Shri Biju Prabhakar IAS, Secretary, Transport Department, Government of Kerala, as Part-time official (Nominee) Director of CSL in place of Shri Jyothilal K R IAS.

The profile of the Directors, including the nature of their expertise in specific functional areas, who were appointed during the financial year 2022-23 and holding the Director post as on March 31, 2023 is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by these Directors are provided under the heading 'Other Directorships and Committee positions' below.

3. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil
4. None of the Directors of the Company were members in more than ten committees or act as Chairperson of more than five committees across all listed entities in which he/ she is a Director. None of the Independent Directors of the Company held Directorships in more than seven listed companies.
5. The Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder, facilitates the participation of the Director in the Board/Committee meetings through electronic mode. During the year under review, the Company has made the necessary arrangements for the Directors to attend the meetings through electronic mode and the Directors have made use of the said facility wherever required.
6. The meetings of the Board of Directors and Committees have been conducted in the manner as specified in SEBI Listing Regulations and the Companies Act, 2013.

Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM)

7. Six Board Meetings were held during the year under review. Details of attendance of Directors at the Board Meetings and AGM are given below:

	Board Meetings						AGM
	2022					2023	2022
	May 20	Jul 18	Aug 10	Oct 14	Nov 10	Feb 10	Sep 29
Shri Madhu Sankunny Nair	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y*
Shri Bejoy Bhasker	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*
Shri Jose V J	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Shri Sreejith K Narayanan	NA	NA	Y	Y	Y	Y	Y
Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	Y*	Y*	NA	NA	NA	NA	NA
Shri Vikram Singh	NA	NA	Y*	N	N	NA	N
Shri Rajesh Kumar Sinha IAS	NA	NA	NA	NA	NA	Y*	NA
Shri Jyothilal K R IAS	Y*	Y*	Y*	N	N	NA	N
Shri Biju Prabhakar IAS	NA	NA	NA	NA	NA	Y	NA
Smt. Amrapali Prasant Salve	Y	Y	Y*	Y*	Y	Y	Y*
Shri Nahar Singh Maheshwari	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y*
Shri Ashok Sharma	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y	Y*
Shri Prithviraj Harichandan	Y*	Y*	Y	Y*	Y	Y*	Y*
Shri Venkatesan M	Y*	Y	Y	Y*	Y*	Y	Y*
Shri Abhijit Biswas	Y*	Y*	Y	Y*	Y*	Y*	Y*

* attended through electronic mode.

NA – Not applicable.

Other Directorships and Committee positions

8. The total number of other Directorship(s) held by Directors and other positions of Membership/ Chairmanship on Committees, as on March 31, 2023 are given below:

Name of the Director	No. of Directorship in other public limited companies		Board Committee positions held in other public limited companies		Name of other Listed Entity where the person is a Director	Category of Directorship in the Listed Entity
	Chairman	Member	Chairman	Member		
Shri Madhu Sankunni Nair	2	2	-	-	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	2	-	-	-	-
Shri Jose V J	-	2	-	-	-	-
Shri Sreejith K Narayanan	-	2	-	-	-	-
Shri Rajesh Kumar Sinha IAS	-	2	-	-	Shipping Corporation of India Limited Konkan Railway Corporation Limited	Nominee Director
Shri Biju Prabhakar IAS	-	4	-	1		Nominee Director
Smt. Amrapali Prashant Salve	-	-	-	-	-	-
Shri Nahar Singh Maheshwari	-	-	-	-	-	-
Shri Ashok Kumar Sharma	-	-	-	-	-	-
Shri Prithviraj Harichandan	-	-	-	-	-	-
Shri Venkatesan M	-	-	-	-	-	-
Shri Abhijit Biswas	-	-	-	-	-	-

Notes

- (i) The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships, Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- (ii) Membership/ Chairmanship of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.
9. None of the Directors except the following hold any shares in the Company as on March 31, 2023:

Name of the Director	No. of Equity Shares Held
Shri Madhu Sankunni Nair	1400
Shri Bejoy Bhasker	510

Chart of skills/ expertise/ competence of the Board of Directors as on March 31, 2023

Sl. No.	Skills/ Expertise/ Competency	Shri Madhu Sankunni Nair	Shri Bejoy Bhasker	Shri Jose V J	Shri Sreejith K Narayanan	Shri Rajesh Kumar Sinha IAS	Shri Biju Prabhakar IAS	Smt. Amrapali Prashant Salve	Shri Nahar Singh Maheshwari	Shri Ashok Sharma	Shri Prithviraj Harichandan	Shri Venkatesan M	Shri Abhijit Biswas
1.	Ship building/ repair industry experience	Y	Y	Y	Y	Y							
2.	Knowledge of Ship building/ repair sector	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Accounting knowledge	Y		Y			Y			Y	Y		Y
4.	Financial/ investment knowledge	Y	Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y		Y
5.	Law			Y		Y	Y		Y		Y		
6.	Marketing experience	Y	Y	Y	Y						Y		Y
7.	Information technology	Y	Y	Y	Y	Y	Y				Y		
8.	Developing and implementing risk management systems	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y					
9.	Human resource management experience	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Strategy/ Corporate plan development and implementation	Y	Y	Y	Y	Y	Y						
11.	Directorship experience in other listed companies					Y	Y						
12.	Directorship experience in unlisted companies	Y	Y	Y	Y	Y	Y				Y	Y	
13.	Integrity and high ethical standards	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14.	Leadership skills	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15.	Social welfare orientation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
16.	Experience in government relations	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Independent Directors

- Being a Central Public Sector Undertaking, the Independent Directors of the Company are appointed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, initially for a term of 3 years or until further orders whichever is earlier. The main terms of appointment can be accessed at <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>
- Familiarization programme for Independent Directors generally form part of the Board process. The Independent Directors are updated on an ongoing basis at the Board/ Committee meetings, inter alia, on the following:
 - Nature of industry in which the Company operates;
 - Business environment and operational model of various business divisions of the Company including important developments thereon; and

- Important changes in regulatory framework having impact on the Company.

- Details of the familiarization programme for Independent Directors can be accessed at <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>
- In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfilled the conditions specified in the SEBI Listing Regulations and were independent of the management during their term of appointment.

Meetings of Independent Directors

- According to Schedule IV to the Companies Act, 2013 a separate meeting of the Independent Directors of the Company was held during the financial year 2022-23 on March 26, 2023 and all the Independent Directors were present in the meeting.

Availability of information to the members of the Board

15. The Board has complete access to any information within the Company and to any employee of the Company. The Board welcomes the presence of executives in the Board meetings, who can provide additional insights into the issues being discussed in the meeting. The information normally required to be placed before the Board include the following:

- (a) To make calls on shareholders in respect of money unpaid on shares.
- (b) To authorize buy-back of securities.
- (c) To issue securities including debentures, in India or abroad.
- (d) To borrow monies.
- (e) To invest funds of the Company.
- (f) To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans.
- (g) To approve financial statement and Board's Report.
- (h) To diversify the business of the Company.
- (i) To approve amalgamation, merger or reconstruction.
- (j) To take over a company or acquire a controlling interest or substantial stake in another company.
- (k) To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP).
- (l) To appoint internal auditor and secretarial auditor.
- (m) General notices of interest of Directors.
- (n) Terms of reference of Board Committees.
- (o) Minutes of meetings of Audit Committee and other Committees of the Board, resolutions passed by circulation and also the minutes of Board meetings of subsidiary companies.
- (p) Annual operating plans of businesses, capital budgets and any updates.
- (q) Quarterly results of the Company and its operating divisions or business segments.
- (r) Declaration of dividend.
- (s) Sale of investments, subsidiaries and assets which are material in nature and not in normal course of business.
- (t) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by the management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- (u) Internal audit findings and external audit reports (through the Audit Committee).
- (v) Status of business risk exposures, its management and related action plans.
- (w) Details of any joint venture or collaboration agreement.
- (x) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- (y) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- (z) All policy matters deliberated and introduced for implementation.
- (aa) Any material default in financial obligations to and by the Company, or substantial non-payment for goods sold by the Company.
- (bb) Any issue which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order, which may have passed strictures on the conduct of the Company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the Company.
- (cc) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the Board level including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- (dd) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.
- (ee) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) etc.
- (ff) Capital budgets and any updates.
- (gg) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- (hh) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.

Board material distributed in advance

16. Notice of each Board meeting and Committee meeting is sent to all the members not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting. The agenda notes for each Board/Committee meeting is drafted in consultation with the Chairman and are circulated to the Directors not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting with the concurrence of all Board/Committee members. All material information is incorporated in the agenda papers for facilitating meaningful and focused discussions at the meeting. Where it is not practicable to attach any document to the agenda, the same is tabled at the meeting with specific reference to the subject in the agenda. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s) on the agenda are permitted with the consent of all Directors present at the meeting.
17. CSL digitalised its meetings by introduction of a Board Management software viz., Dess Digital Meetings, which enables to securely create, distribute and manage meeting documents in digital format. It ensures that the Board and the Committee members get the communication at the right time and securely. This Board management software will streamline the entire meeting process right from the preparation of agenda papers till the finalisation of minutes of the meetings, which will in turn save time, effort & cost and improve governance.

Recording Minutes of proceedings at Board and Committee meeting

18. The Company Secretary records the minutes of the proceedings of each Board and Committee meetings. Draft minutes are circulated to all the members of the Board/Committee for their comments within fifteen days from the conclusion of the meeting. The final minutes are entered in the minutes book within 30 days from conclusion of the meeting.

Post Meeting Follow up Mechanism

19. The important decisions taken at the Board/Committee meetings are promptly communicated to the departments/divisions concerned. The status of implementation of major decisions are apprised to the Board/Committee in the ensuing meetings, wherever required.

Compliance

20. The Company Secretary while preparing the agenda notes, minutes etc. of the meeting(s) is responsible for and is

required to ensure adherence to all the applicable laws and regulations including the Companies Act, 2013 read with the Rules issued thereunder and also the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and notified by the Government of India.

Board Committees

21. During the financial year 2022-23, the Board of CSL had five statutory Committees viz., Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee, Stakeholders Relationship Committee and Risk Management Committee.

Audit Committee

22. The Audit Committee of CSL was formed on August 21, 2008. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on December 20, 2021.

Terms of reference

23. The following are the terms of reference of the Audit Committee:
 - (i) Oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
 - (ii) Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of our Company based on the order of Comptroller & Auditor General of India;
 - (iii) Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
 - (iv) Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - (a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the Board's report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013;
 - (b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - (c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;

- (d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
- (e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
- (f) Disclosure of any related party transactions; and
- (g) Modified opinion(s) in the draft audit report.
- (v) Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval;
- (vi) Reviewing, with the management, the statement of uses/ application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice and the report submitted by the monitoring agency, monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter;
- (vii) Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
- (viii) Approval or any subsequent modification of transactions of our Company with related parties;
- (ix) Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- (x) Valuation of undertakings or assets of our Company, wherever it is necessary;
- (xi) Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- (xii) Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
- (xiii) Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
- (xiv) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
- (xv) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;
- (xvi) Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- (xvii) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
- (xviii) To review the functioning of the whistle blower mechanism;
- (xix) Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
- (xx) Review the following information:
 - (a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
 - (b) Statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by management;
 - (c) Management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
 - (d) Internal audit reports relating to internal control weaknesses;
 - (e) The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the Audit Committee; and
 - (f) Statement of deviations:
 - (i) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1) of the SEBI Listing Regulations;
 - (ii) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice in terms of Regulation 32(7) of the SEBI Listing Regulations;
- (xxi) To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit;
- (xxii) Recommend the appointment, removal and fixing of remuneration of Cost Auditors and Secretarial Auditors;

- (xxiii) Audit Committee shall also review the utilization of loans and/ or advances from/ investment by the holding company in the subsidiary exceeding Rupees 100 crores or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments existing as on the date of coming into force of this provision;
- (xxiv) Review of compliance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended, at least once in a financial year;
- (xxv) Verify that the systems for internal control required to be maintained pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended are adequate and are operating effectively; and
- (xxvi) Carrying out any other function as specified by the Board from time to time.

Powers of the Audit Committee

24. The Committee is entrusted with the following powers:
- To investigate any activity within its terms of reference;
 - To seek information on and from any employee;

(c) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors; and

(d) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

25. The recommendations of the Audit Committee on any matter relating to the financial management, including the audit report, shall be binding on the Board.

26. If the Board does not accept the recommendations of the Audit Committee, it shall record the reasons thereof and communicate such reasons to the shareholders.

Constitution

27. As on March 31, 2023, the Audit Committee of CSL comprises of Shri Prithviraj Harichandan (DIN: 01351097), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083) Non-official (Independent) Director as members.

28. Audit Committee meetings are also attended by Director (Finance), representatives of Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors of the Company as invitees. The Internal audit function has been outsourced to a firm of Chartered Accountants. The Company Secretary acts as the Secretary to the Committee.

Audit Committee meetings held during 2022-23 and attendance

29. The Committee met five times during the year 2022-23. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	2022				2023
		May 20	Aug 10	Oct 14	Nov 10	Feb 10
1.	Shri Prithviraj Harichandan	Y*	Y	N	Y	Y*
2.	Shri Ashok Sharma	Y*	Y*	Y*	Y*	Y
3.	Shri Abhijit Biswas	Y*	Y	Y*	Y*	Y*

* attended through electronic mode.

Nomination & Remuneration Committee

30. The Nomination & Remuneration Committee of CSL was constituted vide Circular Resolution adopted on December 13, 2008. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on January 02, 2023.

Terms of reference

31. Following are the terms of reference of the Nomination & Remuneration Committee:

- (i) Decide on the annual bonus/ performance pay/ variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors of our Company;
- (ii) Formulation and modification of schemes for providing perks and allowances for officers and non-unionized supervisors;
- (iii) Any new scheme of compensation like medical scheme, pension etc. to officers, non-unionized supervisors and the employees as the case may be; and

- (iv) Exercising such other roles assigned to it by the provisions of the SEBI Listing Regulations and any other laws and their amendments from time to time.

Constitution

32. As on March 31, 2023, the Committee comprises of Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Biju Prabhakar (DIN: 03093072), Part-time official (Nominee) Director and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), Non-official (Independent) Director as members.

Nomination & Remuneration Committee meetings held during 2022-23 and attendance

33. Three meetings of the Nomination & Remuneration Committee were held during 2022-23. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	May 20, 2022	Jul 18, 2022	Aug 10, 2022
1.	Shri Ashok Sharma	Y*	Y*	Y*
2.	Shri Jyothilal K R IAS	N	N	N
3.	Shri Biju Prabhakar	NA	NA	NA
4.	Shri Abhijit Biswas	Y*	Y*	Y

* attended through electronic mode.

NA – Not applicable.

Remuneration Policy

34. Under Article 21(a) of the Articles of Association of the Company, the Directors shall be paid such remuneration as the President of India may from time to time determine. The pay and allowances of Board level executives are paid in accordance with the terms of appointment, Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on the above subject and other benefits and perquisites in accordance with the rules of CSL. The remuneration of below Board level executives and non-unionized supervisors is as per DPE guidelines and as approved by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways). The remuneration of workers is as per the Long-Term Settlement between the management and recognized trade unions.

35. Details of remuneration paid to the Whole Time Directors is given below:

		(₹ Lakhs)		
Sl. No.	Name and Designation	Total of Basic Pay, DA, HRA & other Perks & Allowances	Performance Related Payment (PRP)	Total
1.	Shri Madhu Sankunni Nair Chairman & Managing Director	57.41	25.76	83.17
2.	Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	44.88	20.84	65.72

(₹ Lakhs)

Sl. No.	Name and Designation	Total of Basic Pay, DA, HRA & other Perks & Allowances	Performance Related Payment (PRP)	Total
3.	Shri Jose V J Director (Finance)	41.17	19.09	60.26
4.	Shri Sreejith K Narayanan Director (Operations) (w.e.f July 21, 2022)	44.14	12.60	56.74

Notes

- (i) Shri Sreejith K Narayanan was appointed as the Director (Operations) of the Company on July 21, 2022 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India vide letter F. No. SY-11012/1/2020-CSL.
- (ii) The PRP mentioned in the above table pertains to the period 2020-21, paid during 2022-23. The PRP paid to the Whole Time Directors is as per the Performance Payment Scheme applicable to all executives and non-unionized supervisors of the Company, framed in line with the DPE Guidelines.
- (iii) The remuneration, tenure and other terms and conditions of appointment of Whole Time Directors are as per the letter issued by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) in line with the government guidelines. The Whole Time Directors are appointed for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice period, 3 months' pay may be remitted.
- (iv) During the year, no Stock Options were issued by the Company to Whole Time Directors.

Sitting fees

36. The Non-official (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of ₹25,000/- for every meeting of the Board and ₹20,000/- for every meeting of the Committee. The Part-time official (Nominee) Directors are not paid any remuneration. The criteria for making payment to Non-Executive Directors is available in the Company's website at the following link: <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>

37. Sitting fees paid to the Non-official (Independent) Directors for 2022-23 are as follows:

Sl. No.	Name	Fees (in ₹)
1.	Smt. Amrapali Prashant Salve	2,65,000.00
2.	Shri Nahar Singh Maheshwari	2,25,000.00
3.	Shri Ashok Sharma	3,05,000.00
4.	Shri Prithiviraj Harichandan	2,25,000.00
5.	Shri Venkatesan M	1,65,000.00
6.	Shri Abhijit Biswas	3,05,000.00

38. Since the Non-official (Independent) Directors are appointed by the President of India, the evaluation of performance of such Directors are also done by the Government of India.

Stakeholders' Relationship Committee

39. The Stakeholders' Relationship Committee of CSL was constituted vide resolution no. 227/08 at the 227th Board Meeting held on September 20, 2016. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on December 20, 2021.

Terms of reference

40. Following are the terms of reference of the Stakeholders Relationship Committee:
- Resolving the grievances of the security holders of the company including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.;
 - Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;
 - Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent; and

- (iv) Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports/ statutory notices by the shareholders of the company.

Constitution

41. As on March 31, 2023, the Committee comprises of Shri Venkatesan M (DIN: 07667728), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members.

Stakeholders' Relationship Committee meetings held during 2022-23 and attendance

42. One meeting of the Stakeholders' Relationship Committee was held during 2022-23. The necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Feb 10, 2023
1.	Shri Venkatesan M	Y
2.	Shri Bejoy Bhasker	Y
3.	Shri Jose V J	Y

Name, designation and address of the Compliance Officer

Shri Syamkamal N
 Company Secretary & Compliance Officer
 Cochin Shipyard Limited
 Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
 Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
 Tel: +91 (484) 2501306, Fax: +91 (484) 2384001
 Email: secretary@cochinshipyard.in Website: www.cochinshipyard.in

Status of Investor Complaints as on March 31, 2023 reported under Regulation 13(3) of the SEBI Listing Regulations

Complaints as on April 01, 2022	0
Received during the financial year	17
Resolved during the financial year	17
Not solved to the satisfaction of shareholders	0
Pending as on March 31, 2023	0

Risk Management Committee

43. The Risk Management Committee of CSL was constituted in line with the SEBI Listing Regulations on February 08, 2019. Since then the Committee has been reconstituted a few times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on October 14, 2022. Prior to the constitution of the Committee, the risks had been periodically reviewed by the Board and the Audit Committee.

Terms of reference

44. Following are the terms of reference of Risk Management Committee:
- (i) Monitoring and reviewing of the risk management plans including steps taken for ensuring cyber security;
 - (ii) Ensure required risk documentation is done on quarterly basis;
 - (iii) Provide updates and seek approval from Board of Directors on risk management; and
 - (iv) Such other functions as may be specified by the Board from time to time.

Constitution

45. As on March 31, 2023, the Committee comprises of Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical), Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) and Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Director (Operations) as members.

Risk Management Committee meetings held during 2022-23 and attendance

46. Two meetings of the Risk Management Committee were held during the financial year 2022-23. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Sep 21, 2022	Mar 17, 2023
1.	Smt. Amrapali Prashant Salve	Y*	Y
2.	Shri Bejoy Bhasker	Y	Y
3.	Shri Jose V J	Y	Y
4.	Shri Sreejith K Narayanan	NA	Y

* attended through electronic mode.

NA – Not applicable.

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee

47. A sub-committee of the Board was constituted vide resolution no. 181/09 at the 181st meeting of the Board held on September 05, 2008 to decide on the matters relating to Corporate Social Responsibility in CPSEs.
48. The Sustainable Development Committee was constituted at the 197th Board Meeting held on November 23, 2011. The DPE vide OM No.3(9)/2010-DPE(MoU) dated September 23, 2011 has issued detailed guidelines on Sustainable Development in CPSEs.
49. Company decided to merge the Corporate Social Responsibility Committee and Sustainable Development Committee to decide the matters relating to CSR activities in line with the guidelines laid down under Schedule VII of the Companies Act, 2013. Accordingly, the aforesaid two committees were merged into Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee pursuant to the circular resolution dated March 08, 2013. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on December 20, 2021.

Terms of reference

50. The following are the terms of reference of the Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee:
 - (i) Recommend CSR and sustainability development policy to the Board;
 - (ii) Recommend plan of action and projects to be initiated in the short, medium and long term for CSR and sustainability development;
 - (iii) To recommend the annual CSR and sustainability development plan and budget; and
 - (iv) Periodic review of CSR and sustainability development policy, plans and budgets.

Constitution

51. As on March 31, 2023, the Committee comprises of Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members.

CSR & SD Committee meetings held during 2022-23 and attendance

52. Four meetings of CSR & SD Committee were held during the year 2022-23. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of Director	2022			2023
		May 20	Jul 18	Nov 09	Feb 10
1.	Shri Nahar Singh Maheshwari	Y	Y	Y	Y
2.	Smt. Amrapali Prashant Salve	Y	Y	Y	Y
3.	Shri Bejoy Bhasker	Y	Y	Y	Y
4.	Shri Jose V J	Y	Y	Y	Y

General Body Meetings

53. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings are given below:

Year	Date	Time	Venue	Special resolution passed
2021-22	Sep 29, 2022	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	7
2020-21	Sep 29, 2021	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	Nil
2019-20	Sep 29, 2020	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	3

Postal Ballot

54. During the financial year 2022-23, no resolution was put through by postal ballot.
55. None of the business proposed to be transacted in the ensuing AGM requires the passing of a special resolution by way of postal ballot.

Means of Communication

56. All price-sensitive information and matters that are material to shareholders are disclosed to the respective Stock Exchanges, where the securities of the Company are listed. All submission to the Exchanges is made through the respective electronic filing systems.
57. The financial results for the quarter/ half-year/ year were published as under:

Quarter/ half-year/ year	In the month of
Quarter ending June 30, 2022	August
Quarter/ half-year ending September 30, 2022	November
Quarter ending December 31, 2022	February
Year ending March 31, 2023	May

58. Quarterly/ half-yearly/ annual results, notices and information relating to General Meetings, etc. are published in leading newspapers viz., Business Line/ Business Standard (all editions), Mathrubhumi (Kochi edition) and Jansatta (all editions) and are notified to the Stock Exchanges as required under the SEBI Listing Regulations.
59. The quarterly/ half-yearly/ annual financial results and other communication to shareholders and Stock Exchanges, inter alia including presentations to institutional investors & analysts, press releases etc., are made available in the Company's website www.cochinshipyard.in under 'INVESTORS' section. They are also filed with the National Stock Exchange of India Limited (NSE) through NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) and with BSE Limited (BSE) through BSE online portal.

General Shareholder Information

60. Annual General Meeting for FY 2023

Date	Time	Venue
Sep 28, 2023	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting is being held through electronic mode

61. Financial Year: April 01, 2022 to March 31, 2023.

Dividend Payment

62. The final dividend for the year ended March 31, 2023 if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, on or before Friday, October 27, 2023. The Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/ demand drafts in other cases.
63. The particulars of total dividend declared in the previous three financial years are given below:

Financial Year	Final Dividend	Interim Dividend	
2022-23	3.00	01st 7.00	02nd 7.00
2021-22	3.75	01st 6.00	02nd 7.00
2020-21	2.50	01st 9.00	02nd 4.00

Listing of shares and stock code

64. The Company's equity shares are listed at the following Stock Exchanges and listing fees for the year 2022-23 has been paid to the Stock Exchanges.

Name and address of the Stock Exchange	Stock Code
BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower Dalal Street, Mumbai – 400 001	540678
National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Bandra – Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051	COCHINSHIP

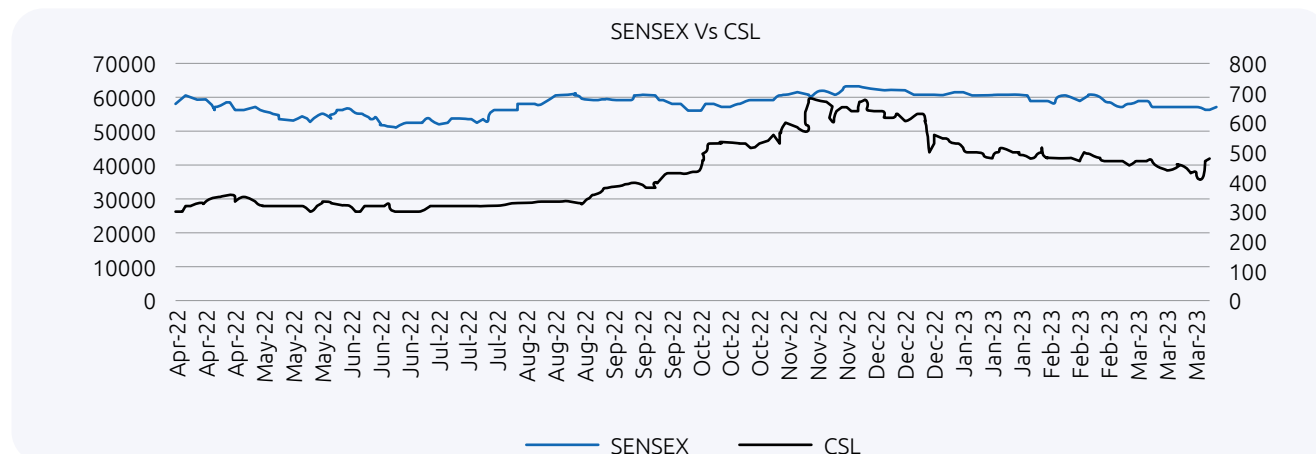
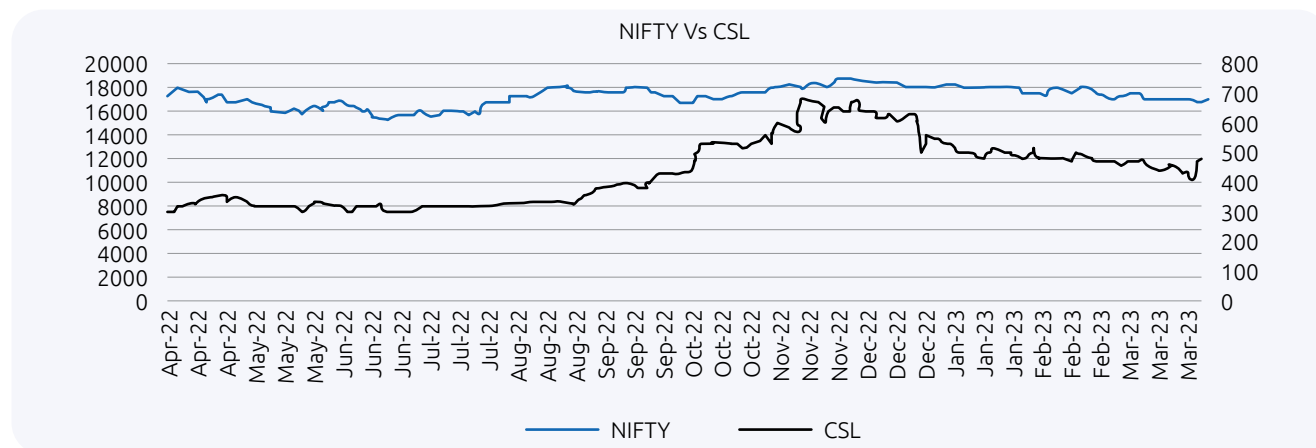
65. The International Securities Identification Number (ISIN) for the Company's shares is INE704P01017.

66. Market Price data – high, low during each month in the last financial year (i.e. year under review):

Price and volume of shares traded

Month/ Year	BSE Limited			National Stock Exchange of India Limited		
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in Lakhs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in Lakhs)
Apr 2022	357.60	295.05	8.93	357.90	294.65	89.58
May 2022	349.70	300.20	3.56	349.90	300.10	35.06
Jun 2022	337.20	296.45	2.91	337.40	297.00	30.18
Jul 2022	333.95	307.30	1.23	334.00	307.15	15.71
Aug 2022	388.15	328.05	6.13	388.00	328.15	92.29
Sep 2022	444.45	370.20	19.10	444.80	371.20	279.87
Oct 2022	567.90	437.00	30.25	568.00	435.10	531.32
Nov 2022	684.00	535.40	33.64	684.40	538.65	636.16
Dec 2022	686.80	491.85	21.67	687.00	491.80	346.50
Jan 2023	547.15	468.45	9.99	546.95	468.40	171.65
Feb 2023	522.55	450.00	7.77	522.45	450.00	107.04
Mar 2023	496.10	411.00	8.16	496.70	410.40	137.27

Performance in comparison to broad based indices



Details of securities suspended

Not applicable.

Registrar and Transfer Agents (RTA)

Link Intime India Private Limited

Surya, 35, Mayflower Avenue

Behind Senthil Nagar

Sowripalayam Road, Coimbatore

Tamil Nadu – 641 028

Tel: +91 (422) 2315792; Fax: +91 (422) 2314792

E-mail: coimbatore@linkintime.co.in

Share Transfer System

67. The Company's shares being in the compulsory demat list, are transferable through the depository system.

Distribution of Shareholding

68. Distribution of shareholding based on number of folios as on March 31, 2023.

No. of shares held	Members		Shares	
	No.	%	No.	%
1-500	166764	97.04	8720088	6.63
501-1000	2823	1.64	2185042	1.66
1001-2000	1213	0.71	1802677	1.37
2001-3000	352	0.20	897728	0.68
3001-4000	161	0.09	576966	0.44
4001-5000	131	0.08	611898	0.47
5001-10000	179	0.10	1327101	1.01
>10000	221	0.13	115418890	87.74
Total	171844	100.00	131540390	100.00

Dematerialization of shares and liquidity

69. The Company's shares are compulsorily traded in dematerialized form and are available on both the depositories viz., NSDL and CDSL.

Percentage of shares held in

Physical form : 0.00

Electronic form with NSDL : 89.84

Electronic form with CDSL : 10.16

70. The Company's equity shares are regularly traded on the BSE and NSE.

Outstanding Global Depository Receipts (GDRs) or American Depository Receipts (ADRs) or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity

None.

Foreign exchange risk and hedging of activities

71. The Company has formulated a Forex Risk Management Policy duly approved by the Board and the forex exposures are being hedged depending upon the market conditions.

72. The Company is also keeping a constant watch on the forex market fluctuations and has been exploring various options of foreign currency borrowings like buyer's credit etc. as part of effective working capital management. Status of the forex exposure and the hedging position is reviewed by the Audit Committee, Risk Management Committee and the Board.

Plant Locations

- Shipbuilding & Ship Repair facility at Perumanoor, Ernakulam District, Kochi – 682 015
- International Ship Repair facility at Cochin Port Trust, Willingdon Island, Kochi – 682009
- Ship repair facility at Indira Dock, Mumbai
- Ship repair facility at Netaji Subhas Dock, Kolkata
- Ship repair facility at Marine Dockyard, Port Blair

Address for Correspondence

Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306, Fax: +91 (484) 2384001
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Credit Ratings

Instrument	ISIN	Rating
8.51% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07014	AAA by CARE Rating and India Ratings
8.72% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07030	AAA by CARE Rating and India Ratings

Other Disclosures

Related Party Transactions

73. During the year under review, there were no materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interest of the Company at large. The Company has a policy for related party transactions, which can be accessed at the following link: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Non-compliance by the Company

74. During the last three years the Stock Exchanges had imposed fines on the Company for non-compliance with respect to the Minimum Public Shareholding (MPS) requirements, non-appointment of Independent Directors including a Woman Director and the consequent non-compliances including, non-constitution of statutory committees namely Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Risk Management Committee. National Stock Exchange of India Limited (NSE) has waived the fines levied based on the representations made by the Company. BSE Limited (BSE) has waived the fines levied except on account of non-compliance with respect to the Corporate Governance requirements for the financial year 2021-22, for which the Company has filed the representations. The reply in this regard is awaited. Apart from the above, no penalties/ strictures have been imposed on the Company by the Stock Exchanges or Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other statutory authority on any matter relating to capital markets during the last three years.

Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy

75. Cochin Shipyard has adopted a Whistle Blower Policy approved by the Board at its 198th meeting held on February 22, 2012. Cochin Shipyard is a Government of India undertaking and follows Government guidelines on reporting of any illegal or unethical practices. Directors/ employees/ stakeholders/ representative bodies of employees are given freedom to report to their immediate Supervisor/ Chief Vigilance Officer or Chairman & Managing Director, details of any violation of rules, regulations and unethical conduct. The Directors and Senior Management are bound to maintain confidentiality of such reporting and ensure that the whistle blowers are afforded protection against any harassment and not subjected to any discriminatory practices. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee. The Board in its 228th meeting held on December 14, 2016 amended its Whistle Blower Policy. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The said policy is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Code of Conduct for Prevention of Insider Trading

76. The Company has in place a Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. The Code lays down guidelines, which advise on procedures to be followed and disclosures to be made, while dealing with the shares of the Company, and cautioning them of the consequences of violations. The Code of Conduct for Prevention of Insider Trading is hosted on the website of the Company and can be accessed at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Mandatory Requirements

77. A comprehensive report on the status of compliance with all the applicable corporate laws, rules and regulations by the Company is placed before the Board on a quarterly basis for their information and review. The Company has complied with all the mandatory requirements of the Code of Corporate Governance as specified in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of the SEBI Listing Regulations.

Non-Mandatory Requirements

78. The Company has complied with the following non-mandatory requirements of the SEBI Listing Regulations relating to Corporate Governance. The status of compliance with the non-mandatory requirements listed in Regulation 27(1) read with Part E of Schedule II of the SEBI Listing Regulations is as under:

- During the year under review, there is no audit qualification in the Company's financial statements. The Company continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit position.

Subsidiary Company

79. Regulation 16 of the SEBI Listing Regulations defines a 'material subsidiary' as subsidiary, whose income or net worth exceeds 10% of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year. Under this definition, the Company does not have any unlisted material subsidiary incorporated in India.

80. Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) is a wholly owned subsidiary company of Cochin Shipyard Limited (CSL) which was incorporated as Joint Venture Company on October 23, 2017, venturing with Hooghly Dock & Port Engineers Limited. However, since November 01, 2019, HCSL is a

wholly owned subsidiary of CSL. Further, the Company has taken over Tebma Shipyards Limited (TSL) through the statutory insolvency resolution process with effect from September 15, 2020. Accordingly, TSL has become a wholly owned subsidiary of CSL with effect from September 15, 2020. Subsequently, with effect from April 22, 2022 the name of TSL was changed to Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL).

81. Pursuant to the explanation under Regulation 16(1) (c) of the SEBI Listing Regulations, the Company has formulated a policy for determining 'material subsidiaries' which is disclosed on the Company's website at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Details of compliance with the requirement of Corporate Governance guidelines

82. In terms of Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance certificate regarding Compliance of Corporate Governance Guidelines from Practicing Company Secretary is placed at Annexure I to this report.

Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years

83. The Company has complied with all presidential directives issued by Central Government regarding the operation of PSUs.

84. Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business: Nil

85. Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management: Nil

86. The administrative and office expenditure of the Company for the year 2022-23 was 2.59% of the total expenditure as against 1.73% in 2021-22. Financial expenditure stood at 1.57% of the total expenditure in 2022-23, against 1.75% in the previous year.

87. A certificate from a Company Secretary in Practice, that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is placed at Annexure II to this report.

88. The Company has paid an amount of ₹29 Lakhs to M/s. Anand & Ponnappan, Statutory Auditors for the services provided to the Company and its subsidiaries.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

(a) Number of complaints filed during the financial year 2022-23	Nil
(b) Number of complaints disposed of during the financial year 2022-23	Nil
(c) Number of complaints pending as on the end of financial year 2022-23	Nil

Code of Conduct

89. The Board has prescribed a Code of Conduct ('Code') for all the Board members and Senior Management of the Company. All Board members and Senior Management personnel have confirmed compliance with the Code for the year 2022-23. The Code is hosted on the website of the Company and can be accessed at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

90. A declaration signed by the Chairman & Managing Director of the Company is given below:

I hereby declare that all the members of the Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of the Board of Directors and Senior Management personnel in respect of the financial year 2022-23.

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

CEO/ CFO Certification

91. The CEO/ CFO certification of the financial statements for the year is appended at Annexure III to this report.

Risk Management Process

92. CSL reviewed the existing risk management policy and adopted a revised policy encompassing a comprehensive system of risk management at its 259th Board Meeting held on February 12, 2021. The salient features of the revised risk management policy are as follows:

(i) Risk Management Vision Statement: Minimize the organizational risks to an acceptable level and adopt risk management practices which would help the Company to attain its goals and objectives while at the same time ensuring minimization of risks.

(ii) Risk Management Policy:

(a) The risk management process is implemented to improve the Company's ability to prevent risks and ensure timely detection of risk.

(b) To identify risks and its mitigation.

(c) Risk management process to be standardized.

(d) Facilitate sharing of risk information.

93. The risk management policy intends to put in place an effective risk management framework and an appropriate reporting mechanism. The management of Cochin Shipyard would periodically identify the various risks and assess/analyze their impact on the Company. Risk mitigation and management measures would be put in place to effectively manage these risks. The Board may approve changes to the policy from time to time in order to align it with the changes in business environment.

Risk Management System and Structure

94. The Board has constituted a Risk Management Committee to review the risk management system within CSL. The Board also discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives are entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, Risk Management Steering Committee and Functional Risk Management Committees have been constituted to implement the Policy in CSL.

95. Due to the peculiar nature of business carried on by CSL, it avoids the risk relating to its commodities.

96. Exposure of the listed entity to commodity and commodity risks faced by the entity throughout the year:

(a) Total exposure of the listed entity to commodities in INR: ₹36.41 Crores.

(b) Exposure of the listed entity to various commodities:

Commodity Name	Exposure in INR towards the particular commodity	Exposure in Quantity terms towards the particular commodity	% of such exposure hedged through commodity derivatives				Total
			Domestic market		International market		
			OTC	Exchange	OTC	Exchange	
Steel	₹36.41 Crores	4064.27 Tonnes	-	-	-	-	-

(c) In order to avoid risk relating to increase in input cost, the Company places order for all major inputs with staggered delivery at the time of signing of shipbuilding contract. The offers are checked with the estimates taken for arriving at the estimated cost. In the case of ship repair, major components are normally supplied to ship owners at cost plus basis as the components are normally of the owner's preference.

Shareholding pattern

97. The Company has issued 13,15,40,390 equity shares of ₹10/- each, details of which as on March 31, 2023 are as follows:

Category of share holders	Number of share holders	Total number of shares	Percentage (%)
Central Government	1	95843464	72.8624
Clearing Members	53	29180	0.0222
Other Bodies Corporate	482	1684036	1.2802
Directors & Key Managerial Personnel	3	1911	0.0015
Hindu Undivided Family	4195	693853	0.5275
Mutual Funds	12	3041042	2.3119
Non-Nationalised Banks	2	1610	0.0012
Non-Resident Indians	2334	1473158	1.1199
Non-Resident (Non Repatriable)	1361	329624	0.2506
Public	163218	18069310	13.7367
Trusts	4	6883	0.0052
Insurance Companies	6	1900091	1.4445
Body Corporate – Limited Liability Partnership	37	152540	0.1160
Foreign Portfolio Investors (Individual)	5	4875	0.0037
Foreign Portfolio Investors (Corporate)	126	8261803	6.2808
NBFCs registered with RBI	4	7010	0.0053
Alternate Investment Funds – III	1	40000	0.0304
Total	171844	131540390	100.0000

Means of Communication

98. The quarterly/half-yearly/yearly financial results are posted on the websites of the BSE, NSE and the Company, after consideration and approval by the Board and are also published in one English national daily having all India circulation and at least in one Malayalam national daily, Kochi edition within 48 hours of its approval. These results have also been published in one Hindi national daily having all India circulation. The Annual Report of the Company is posted in the website viz., www.cochinshipyard.in. The website of the Company also displays all official news releases.

Audit Qualifications

99. The Report submitted by M/s. Anand & Ponnappan, Statutory Auditors of the Company does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

100. The Report submitted by M/s. Mehta & Mehta, Secretarial Auditors of the Company does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Training Board Members

101. The Board members of CSL are senior executives who have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL has benefited from their vision and knowledge. Presentations are made to the Board members on the Company's performance, business model, corporate plan and future outlook, on their induction in the Board. In addition, at the Board/Committee/ other meetings, detailed presentations are made by the senior management personnel/ professionals/

consultants on business related issues, risk assessment, risk policy etc. The Directors are encouraged to identify and attend specific training programmes to improve their effectiveness. Further, the newly appointed Independent Directors are nominated for structured training programs organized by the DPE. The Board has also adopted a policy regarding training of Directors.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair

Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
May 19, 2023

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter referred as "Company") for the Financial Year ended March 31, 2023, as prescribed under Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 and paras C, D and E of Schedule V of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred as "SEBI LODR Regulations").

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion, and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as prescribed under Listing Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with Listing Regulations and may not be suitable for any other purpose.

For **Mehta & Mehta**,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Arun K Kamalolbhan

Partner

FCS No.: 9609

CP No. : 11657

Place: Cochin

Date: 19/05/2023

UDIN: F009609E000334681

PR No.: 786/2020

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by Department of Public Enterprises, Government of India Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises)

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter referred as "Company") for the Financial year ended March 31, 2023, as stipulated under Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 ("CPSEs") issued by Department of Public Enterprises ("DPE"), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 ("CPSEs") issued by Department of Public Enterprises ("DPE"), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India and may not be suitable for any other purpose.

For **Mehta & Mehta**,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Arun K Kamalolbhan

Partner

FCS No.: 9609

CP No. : 11657

Place: Cochin

Date: 19/05/2023

UDIN: F009609E000334648

PR No.: 786/2020

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala - 682015

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Cochin Shipyard Limited having CIN L63032KL1972GOI002414** and having registered office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam, Kerala – 682015 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2023 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Directors	DIN	Date of appointment in Company
1.	Madhu Sankunny Nair	07376798	01/01/2016
2.	Bejoy Bhasker	08103825	05/04/2018
3.	Valiyaparambil Jacob Jose	08444440	01/08/2019
4.	Sreejith Katayamkot Narayanan	09543968	21/07/2022
5.	Rajesh Kumar Sinha	05351383	21/11/2022
6.	Biju Prabhakar	03093072	02/01/2023
7.	Prithiviraj Harichandan	01351097	22/11/2021
8.	Mani Venkatesan	07667728	22/11/2021
9.	Ashok Kumar Sharma	09414565	26/11/2021
10.	Amrapali Salve	09415405	26/11/2021
11.	Nahar Singh Maheshwari	09419082	01/12/2021
12.	Abhijit Biswas	09419083	01/12/2021

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Arun K Kamalobhavan
Partner

FCS No.: 9609
CP No. : 11657

Place: Cochin
Date: 19/05/2023

UDIN: F009609E000334725
PR No.: 786/2020

ANNEXURE III

To
The Board of Directors
Cochin Shipyard Limited
Kochi – 682 015

Dear Sirs,

CEO/ CFO Certificate

1. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year ended March 31, 2023 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
2. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent or illegal or violative of the Company's code of conduct.
3. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting. We have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies, if any.
4. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee that:
 - (i) There has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) There has not been any significant change in accounting policies during the year requiring disclosure in the notes to the financial statements; and
 - (iii) We are not aware of any instance during the year of significant fraud with involvement therein of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.
5. We further certify that the funds disbursed for Corporate Social Responsibility (CSR) activities have been utilised by the Company for the purposes and in the manner as approved by the Board of Directors from time to time and also in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under.

Kochi
May 19, 2023

Jose V J
Director (Finance) and CFO
DIN: 08444440

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Management Discussion and Analysis Report

Forward Looking Statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The Company has used estimates and judgements relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report.

Shipbuilding Industry

Global Shipbuilding Industry

3. Global economic activity experienced a general slowdown with inflation reaching levels not seen for several decades. Conflict Russia/ Ukraine and the lingering effects of the COVID-19 pandemic including regular, localized lockdowns in China all weighed heavily on the global macroeconomic backdrop. Accordingly, after a deep recession in 2020

(-3%), a spectacular rebound in 2021 (+6%), global growth slowed down in 2022 to 3.2% and is expected to decelerate further to 2.7% in 2023. The overall world merchandise exports increased more than 3.5% in 2022 compared to 2021 which translates to more cargo volumes for the sea transportation.

4. 2022 had been a good year for the shipbuilding industry and saw about 89 m dwt (1,447 ships) of new orders placed, which was slightly above deliveries (78.5 m dwt). Last year's orders help to extend the order book of major yards into 2025, thereby maintaining the three-year horizon beyond which both ship-owners and shipbuilders feel uncomfortable to commit. The container ships order books hit 10 year high last year with most orders booked by Korean and Chinese yards.
5. As a consequence of this firm shipbuilding activity, new building prices continued to steadily increase, following the trend which began in 2021. They only started to run out of steam in the last quarter of the year when they plateaued, although, as always, this depended on the type and size of vessels ordered.
6. The three Asian shipbuilding giants China, Korea and Japan together accounting for about 95% of the global order-book by deadweight, continued to fight fiercely while trying to focus their efforts on high value transaction. The order book of India was negligible with the total order book accounts for 30 ships with GRT less than 0.5 Million. Consolidation has been an ongoing process, as the number of shipyards dropped steeply from about 700 in 2007 to about 300 by 2022. This saw the active global shipbuilding capacity contract so that about 1,200 to 1,300 vessels can currently be built and delivered annually compared with the capacity for the construction and delivery of 2,000 vessels per annum in the years 2005 to 2010.
7. However, the fleet growth continued below 3% by dwt vs. 4.1% ten year average, due to lower order intakes in the past years. The new building investment is skewed towards container (\$42bn) and gas (\$21.6bn) in traditional shipbuilding segments. The focus on "Green & Tech" ships in post-COVID planning intensified, with decarbonisation as the major talk point across maritime segments.

8. Fitch Ratings has revised its outlook for shipping to “deteriorating” from “neutral”, reflecting the challenges facing shipping mainly in Container Shipping. The main risks include the potential for a harsher recession than expected and the continuation trade restrictions and political conflicts, pandemic-related lockdowns in China etc., that could lead to further weakness in demand and manufacturing.
9. The overall new shipbuilding prices on an average rose over 30% and is still on the upward trend but at the same time may not result in better profits for the yards as the inflationary levels of various major commodity costs such as power, petroleum products, steel, copper, aluminium etc., persisting and thus eroding the profit margins.

Main Theme of the year – Transition towards Green Shipping/ Low-carbon Shipping

10. To accelerate efforts on climate change mitigation, the IMO has started work on a revised GHG Strategy for consideration in 2023, as well as on mid-term measures, including some that are market-based. In addition, there are proposals to establish an International Maritime Research and Development Board, and a related fund which could finance the development of zero-GHG technologies to be available to all countries. Other proposals for market-based measures include the use of generated funds for financing climate change adaptation investments, especially in the most vulnerable economies. At the EU level, regulatory proposals are under consideration to extend the EU Emission Trading Scheme to maritime transport activities; if and when adopted, these could have potentially important implications for both intra and extra EU trade. With developments at IMO and the EU amongst others, the regulatory and policy framework being evolved reflects in 34% of new build orders (by GT) is with alternative fuelled technology. Developments in International Maritime Organization (IMO) or EU emissions regulations could affect the medium-term outlook for cost structures or the earnings capacity of some shipping segments. The fillip due to the prospects of large ageing fleet replacements and new regulatory restrictions generated great interest and likely to impact positively on long term basis driving new ship acquisition investments. CSL is strongly engaged in this segment and with the completion of pioneering project of two nos. of Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway, CSL is ready with the offerings of various types of advanced green technology vessels with low emission, which would be ideally suited for the short sea, Inland Waterways and coastal shipping. CSL was successful in bagging orders from European clients for construction of new generation green technology vessels. This is a sunrise segment opening multiple opportunities for the Company.

Indian Shipbuilding Industry and Government Initiatives

11. The healthy order book positions in the international market resulted in build-up of enquiries to Indian yards. But with the diminished capacity due to collapse of many private shipyards and with no shipbuilding financing mechanism in place, India still is not considered as a serious contender in the main merchant fleet ships. However, on the smaller short sea market, the country could make some inroads with some overseas contracts bagged by Indian yards.
12. The published vision document of Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), ‘Maritime India Vision 2030 (MIV 2030)’ has put ambitious targets and if this needs to be achieved, then more accelerated and co-ordinated efforts have to be put in.
13. The Ship Building Financial Assistance (SBFA) policy provides some assistance for the Indian yards to be in the level playing field to compete with International market. Similarly, the new policy towards the chartering/ procurement of tugs (2020) also has resulted in interest building up for the construction of harbour tugs in Indian yards. The new DG Shipping order to put a restriction of the operation of older vessels in Indian coast as well as acquisition of older vessels above 20 years to Indian flag will have an impact on the scrapping of older tonnage and replacement with new acquisitions.
14. Vision 2030 envisaged action plan to make India one of the top 10 shipbuilding nations in the world needs further build up towards initiatives such as channelizing the cargo to improve demand, improving the ecosystem for ancillary industries, generate standardised designs for better productivity, Governmental interventions to create level playing fields to make the industry competitive in International arena etc. The proposed creation of a Maritime Development Fund to provide easy access to working capital and long-term finance needs across marine sectors is yet to be implemented which otherwise can give access to Indian ship owners to improve their capacity and shipyards to improve the infrastructure.

Some Key Sectors focused by CSL

Defence Shipbuilding

15. The shipbuilding industry is dependent on the defence requirements and CSL concluded the largest ship building contract for the construction of six (6) nos. of Next Generation Missile Vessels (NGMV) for the Indian Navy thus adding good order book value to the Company.

Short sea/ Coastal and Inland

16. Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the wholly owned subsidiary of the Company in West Bengal is fully operational and bagged orders in this segment. The Company is fully focussed and equipped to tap this potential segment.
17. The new transition of the ships towards zero carbon emissions drive the market to embrace new technologies and use of alternate fuels, electric vessels, autonomous vessels etc., in line with the new hydrogen policy announced by the government in 2021. The Company's pilot project of a hydrogen fuel cell powered catamaran boat project is progressing well and expected to complete its tests and trials in the coming months. Once successful, similar projects can be undertaken and it is expected to generate huge demand.
18. The new generation vessels with alternate fuels and green technologies are indicating huge potential in the replacement market of ageing short sea European shipping segment. Company was successful in bagging such projects with innovative technologies to meet the new regulations.

Tugs, Dredgers and Port Craft

19. The Government is focussed on improving the port and inland water infrastructure. This enhances the opportunity for the Indian yards to participate in this market with improved demands. The contract signed by the Company to build the country's largest Trailer Suction Hopper Dredger (TSHD) of 12000 cubic metres for Dredging Corporation of India (DCI) in partnership with the market leader IHC, Netherlands is a major milestone in this market and can bring more such projects in the future.
20. The policy of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), which stipulates all the service requirement of Tugs for the major ports to be reserved to Indian Built Indian Flag Tugs only continued to show improved demand for the building of harbour tugs and the Company through its wholly owned subsidiary Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) won one more new contract for building 2 Tugs indicating further growth.

Offshore Wind Segment

21. The renewable energy mix in the overall power generation is expected to increase exponentially in the world energy segment due to the compelling reasons to meet the sustainable non fossil green energy mix targets. Huge investments are happening around the globe for creating large offshore wind farm infrastructure in deep ocean. This translates to greater demand for various types of vessels to support the development, operations and maintenance

of infrastructure for offshore wind farms. The Company with proven track record on building offshore support ships for oil and gas in the past gives a good advantage to seamlessly penetrate this market. With focussed attention, Company managed to enter this high potential market by bagging a prestigious contract to build two (2) nos. of high end Construction Support Operation Vessels (CSOV) with an option for four (4) more such vessels from an European client.

Fishing Segment

22. The 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)' could generate moderate interest and the Company through its wholly owned subsidiary Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) delivered ten vessels in this segment. Company is expecting more attention on this segment with various coastal states showing interest and thus could bring in the momentum to the segment which can have a larger economic impact to the fishing community.

Ship Repair Industry

India & the Global Ship Repair Industry

23. Global ship repair market is currently dominated by shipyards in China, Singapore, Korea and Middle East largely due to the availability of skilled workforce and latest technology. The global market for ship repair and maintenance service is expected to witness significant growth, reaching a market value of USD 40 Billion by 2030 supported by developments in the markets in South East Asia and India. Though India's share in global ship repair is currently less than 1%, the country is favourably located in respect of the major trade routes / shipping routes with 7 to 9% of the global trade passing within 300 NM of the coastline. Additionally, India is poised well to offer repair services to Indian Navy and the allies US Navy for its 5th and 7th fleet deployed in Indian ocean & Arabian sea.
24. Ship repair industry being labour intensive, India has got the advantage of having strong work force to cater for the requirement. However, the untapped potential in the Indian ship repair market can be attributed to the presence of competing international ship repair yards on major trade routes and a capability gap of Indian yards in repairing certain kinds of vessels. Other reasons of cost disadvantages include high cost of financing, lack of supply of ship spares in India, ancillary support and technology related issues increasing ship repair execution cycle time.
25. To address the above gaps, under MIV 2030, Government of India is giving a strong forward thrust to the industry with multiple initiatives including channelising of domestic

demands leveraging 'AatmaNirbhar Bharat' Policy, infrastructure development through better access to financial instruments, providing better opportunities for overall development and enhanced business in the Industry by creating free trade depots, maritime clusters etc.

26. CSL Ship repair business has grown leaps and bounds. In addition to the ship repair facilities at Kochi, the Company has also established ship repair units at Mumbai, Kolkata and Port Blair. The Ship Repair Division is focusing on increased business volumes. The Yard is also focussing on entering new areas of ship repair market such as weapons platforms, offshore fabrications, conversions etc.

CSL initiatives in Ship repair

27. CSL is in the final phase of completion of work at International Ship Repair Facility (ISRF) at Willingdon Island, Kochi which would host a state-of-the-art Ship Lift System with six independent work stations. This new greenfield facility, in close proximity to the Southern Naval Command in Kochi is scheduled to be up and running shortly and would be capable of accommodating vessels up to 130 Mtrs. length & 6000 T displacement. The Yard is also setting up a new dry-dock within its main premises at Kochi to cater for the shipbuilding and ship repair activity which includes building of larger capacity vessels and repair to offshore rigs. CSL has also expanded its foot prints across the Indian coast by setting up ship repair units at Mumbai, Kolkata and Port Blair to cater to the demand in ship repair segment.
28. With GOI, MIV 2030 in place and fuelled with various initiatives including MoPSW's initiative for setting up of

ship repair clusters in India, CSL is well poised for vibrant ship repair business times in the future.

Operations

29. The total turnover of the Company is ₹2330.46 Crores as against the previous year of ₹3190.00 Crores. The shipbuilding income during the year is ₹1766.45 Crores as against the previous year income of ₹2511.48 Crores. The ship repair income during the year is ₹564.01 Crores as against the previous year income of ₹678.52 Crores. During the year 2022-23, CSL delivered the first indigenously built Aircraft Carrier, INS Vikrant to the Indian Navy. INS Vikrant was commissioned into the services of the Indian Navy by the Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi on September 02, 2022 in a grand event organised in CSL, Kochi. Further, CSL delivered two nos. of Autonomous Electric Vessels, viz., "Marit" & "Theres", for Norway based ASKO Maritime AS. The 67 Mtr. Long vessels were delivered as Full-Electric Transport Ferries powered by 1846 kWh capacity battery. Further, CSL delivered one no. of 500 Pax vessel viz., "Nalanda" for Andaman and Nicobar Administration. CSL had also delivered the third and final lot of three Floating Border Out-Post (FBOPs) vessels out of nine FBOPs built for Ministry of Home Affairs, Government of India. Furthermore, CSL had also successfully delivered seven nos. of Hybrid Electric Catamaran Hull vessels to Kochi Metro Rail Limited (KMRL). During the financial year 2022-23, the Company delivered a total of fourteen vessels under defence as well as commercial segments.

Financial Information

30. The financial information of the Company pertaining to the last decade is given below:

(Amount in ₹ Crores unless otherwise stated)

Year	Paid up capital	Nominal value of shares (₹ per share)	Capital employed	Net worth	Profit Before Tax	Tax on Profits	Net Profits	EPS (₹)	Dividend	Payout ratio
22-23	131.54	10	4480.05	4423.42	448.51	114.02	334.49	25.43	223.62	0.67
21-22	131.54	10	4355.75	4359.18	794.39	207.82	586.57	44.59	220.33	0.38
20-21	131.54	10	3964.27	3977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
19-20	131.54	10	3748.78	3731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
18-19	131.54	10	3327.72	3332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
17-18	135.94	10	3271.03	3255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
16-17	113.28	10	2062.02	2028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
15-16	113.28	10	1749.31	1814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32
14-15	113.28	10	1585.68	1561.07	367.56	132.49	235.07	20.75	16.99	0.07
13-14	113.28	10	1401.52	1352.53	290.96	96.71	194.24	17.15	16.99	0.08

Key Financial Ratios

Sl. No.	Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22	Change (in %) as compared to FY 2021-22	Detailed explanation for change of 25% or more
1.	Debtors Turnover	4.75	6.72	29.32	Due to reduction in Net credit sales
2.	Inventory Turnover	7.30	8.76	16.72	NA
3.	Interest Coverage	14.29	18.09	-21.00	NA
4.	Current Ratio	1.39	1.69	17.82	NA
5.	Debt Equity Ratio	0.03	0.03	-	NA
6.	Operating Profit Margin (%)	18.04	26.36	31.56	Due to reduction in Profit before tax
7.	Net Profit Margin (%)	14.35	18.39	21.94	NA

Return on Net Worth

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22	Change (in %) as compared to FY 2021-22	Detailed explanation for change
Return on Networth (%)	7.56	13.46	-43.83	Due to reduction in Net profit after taxes

Proposed / Declared Dividend

31. As per Office Memorandum F.No.5/2016-Policy dated May 27, 2016 issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net-worth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a final dividend of ₹3/- per share on the 13,15,40,390 fully paid equity shares of ₹10/- each. Earlier, interim dividends of ₹7/- each, aggregating to ₹14/- per equity share had been paid to the shareholders during 2022-23. Thus, the total dividend for the year 2022-23 is ₹17/- per equity share (170%), amounting to ₹223.62 Crores.

Segment-wise/ Product-wise Performance

32. The Company is engaged in two major activities viz., shipbuilding and repair of ships/offshore rigs etc. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis. The segment wise performance is given below:

(₹ Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Segment Assets		
Shipbuilding	405583.60	251516.16
Ship Repair	282191.99	287038.89
Unallocated	303128.91	293292.23
Total	990904.50	831847.28
Segment Liabilities		
Shipbuilding	315680.43	155888.80
Ship Repair	48998.81	64318.72
Unallocated	183883.39	175721.79
Total	548562.63	395929.31
Segment Revenue		
Shipbuilding	176645.19	251148.16
Ship Repair	56400.69	67852.09
Unallocated	20648.88	26641.68
Total	253694.76	345641.93

	(₹ Lakhs)	
Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Segment Result		
Shipbuilding	20777.90	57749.03
Ship Repair	9548.18	12041.89
Unallocated	14524.58	9648.14
Total	44850.66	79439.06

33. The Company has two major business segments - "shipbuilding" and "ship repair". Revenue under shipbuilding includes ₹155800.89 Lakhs (previous year: ₹204473.56 Lakhs) from one customer (previous year: one customer) having more than 10% revenue of the total revenue, and for ship repair includes ₹193571.56 Lakhs (previous year: ₹40786.31 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

SWOT

Strengths:

- (a) Highly trained, motivated and knowledgeable manpower with an average of 15 years of experience at all levels of hierarchy resulting in extremely high quality workmanship;
- (b) 'State-of-the-art' facilities with well planned and laid out shipyard enabling smooth work flow and efficient production;
- (c) Shipyards at multiple locations (7 facilities), thus providing more flexibility to meet the market demands;
- (d) A modern 'state-of-the-art' design centre manned by highly trained, experienced and competent naval architects/engineers, draftsman etc;
- (e) Highly evolved shipbuilding processes and practices permitting modular construction of ships;
- (f) A very good product mix compatibility comprising of defence ships, commercial ships and offshore ships;
- (g) Availability of quality sub-contractors and good supply chain network.

Weaknesses:

- (a) Virtually non-existent indigenous ancillary industries and consequently non-availability of major equipment/raw materials in India;
- (b) Difficulty to arrange long term project finance to ship owners which is offered by other overseas shipbuilding countries;
- (c) Higher finance costs and logistics costs resulting in higher input costs for production;

(d) Comparatively higher social and employee overheads and certain restrictive labour practices especially for contracting labour; and

(e) Governmental system induced procedural delays.

Opportunities:

- (a) Projected increase in requirement of ships for the domestic commercial segment, owing to the new GoI policy to encourage "Make in India"/ restrictions on older ships;
- (b) Projected demand in the defence sector;
- (c) New generation vessels with green technology to meet new regulations;
- (d) Vessels to support offshore wind industry;
- (e) Emerging opportunities in the inland waterways and coastal shipping sector in India;
- (f) Fishing vessels for both domestic and overseas market; and
- (g) Huge demand – supply gap for the repair of commercial and defence ships and virtually no competition in India.

Threats:

- (a) Distress pricing policies of competitors;
- (b) Adverse reputational impact on the Indian shipbuilding industry due to under performance by Indian yards;
- (c) Rising cost of labour and materials;
- (d) Non-flexible government regulations on procurement policies delaying the product delivery timelines and cost; and
- (e) Resurgence of contagious diseases like COVID-19 pandemic, natural disasters.

CRUISE 2030

34. CSL has embarked on a bold transformation programme, CRUISE 2030 in March 2019 to achieve breakout growth along with globally competitive operations to profitably achieve the growth. CRUISE 2030 exercise clearly mandates the need to tap new revenue generation streams beyond the current Shipbuilding & Ship Repair portfolios and a new division by name 'C-SAS' (CSL Strategic & Advanced

Solutions) has already been formed. CRUISE 2030 had focused strongly on building the new businesses such as deep sea fishing vessels and electronic control systems, strengthening the operations maturity through 'Shipyard 4.0' and Project Management initiatives. The programme also focused on CSL's breakthrough into the Dredging and Inland Barges, and structured cost reduction initiatives across fishing vessels and other businesses. The Company is also working towards building capability in advanced technologies to tap business potential in new emerging vessel segments such as autonomous, hybrid/ electric vessels and alternative fuels. CSL has formed a dedicated Centre of Excellence team to drive digital transformation across the value chain, i.e. Planning, Design, Procurement and Operations.

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

35. In order to tap new revenue generation streams beyond the current Shipbuilding & Ship Repair portfolios, a dedicated division named CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) was formed to enable the Company to venture into the arena of strategic and knowledge driven future technologies in the maritime sector. C-SAS has been actively engaged in identifying and developing sustainable and future oriented business models. Various innovative initiatives undertaken by C-SAS Division during the financial year 2022-23 are as follows:

(i) Integration Jigs with Wheeled Stools

An innovative tool was designed in-house for integration of underwater vehicle, which is a combination of integration jig and wheeled stools. This tool reduces approximately 50% of crane lifts and can save approximately 87.5% integration floor space compared to presently used integration tools.

(ii) Implementation of Hydrogen fuel cell technology for maritime application

C-SAS has also carried out the gap analysis of the fuel cell stacks, balance of plants, it's control system etc. and discovered the gaps and implemented solutions for bridging those gaps to meet the class requirements.

The fuel cell along with BoP is also being marinized as per IEC standards thereby ensuring that the equipment meets the IRS class requirements. In doing so fuel cell technology which will be delivered will be a totally marine compliant solution.

A Design FMEA was also performed by C-SAS team together with Fuel cell partner to identify the potential

failures and take corrective/ preventive measures to identify and mitigate any such hazardous scenarios not only at the local level (component level) but also at the global level (ship level). This methodology also covers fuel cell control system, power management, propulsion control and vessel automation system.

(iii) Fuel cell technology in marine segment

A white paper was published to determine the appropriate Fuel cell technology applicable in marine segment using Analytical Hierarchical Process (AHP). AHP is a method for organizing and analysing complex decisions using mathematical tools for arriving at the best solution from among multiple available options. The same was ratified by industry experts.

(iv) Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) of underwater vehicle

C-SAS conducted a detailed system level FMEA on all the subsystems for the underwater vehicle from the productisation perspective. Through a comprehensive analysis of all subsystems, our study has revealed probable system failures and gaps in the technological development of underwater vehicle.

Risks and Concerns

36. The risks for the Company arise from the inherent nature of the shipbuilding industry. An indispensable portion of the Company's revenue over the years is from the commercial shipbuilding which is highly cyclical in nature. The commercial shipbuilding industry prospects are dependent on world trade and the cyclicity of oil, natural gas, shipping, transportation and other trade related industries. The pandemic situation had created concerns world over and the situation are on watch for the probable indications towards the tectonic shifts in the international economy with significant impact in the shipbuilding & repair industries too.

37. Substantial portion of the Company's activities involve the fabrication and refurbishment of large steel structures and its erection which would entail the operation of cranes and other heavy machinery and other operating hazards. The operational risks faced by the Company also could result in fires and explosions etc. Though the losses caused on such eventualities are covered under a standard fire and special perils policy, CSL do not have insurance for business interruption. These risks could expose the Company to substantial liability for personal injury, wrongful death, product liability, property damage, pollution and other environmental damages.

38. Another high risk area for the Company is the availability and price fluctuations of major raw materials. The major raw materials include steel (the grade and quality of which, in each project, depends on the applicable classification rules) and other materials, equipment and other components such as pumps, propellers and engines. In fiscals 2021, 2022 and 2023 respectively, the Company's material consumption costs constituted 55.39%, 60.67% and 51.29% of its total costs, respectively. In particular, bought out components accounted for around 95% of our total raw material cost in these recent fiscals.
39. Shortages in the supply of raw materials may result in an increase in the price of these raw materials. For example, there are supply-side constraints in relation to steel in India which we expect will continue in future. The Indian steel industry has been unable to compete globally due to which the Govt has imposed significant duties on the import of steel from other countries such as China to protect the domestic steel industry. This has adverse impacts when CSL is unable to source steel economically. In addition, the cost of certain raw materials, such as steel, aluminium, copper etc., may fluctuate in line with any changes in their global supply and demand and thus impacting the material cost.
40. In the event that the price of the Company's raw materials increase, the Company will not be able to pass these price increases to its customers on its existing fixed contracts and its business, financial condition and results of operations can be adversely affected.
41. Changes in currency exchange rates may influence our results of operations. Globally, a substantial part of all worldwide ship sales transactions and purchase of offshore structures is generally conducted in USD. To mitigate this risk, the Company hedges the net forex exposure on the export receivables. However, in the case of import components in respect of shipbuilding/ship repair contracts denominated in Rupee terms, CSL is exposed to exchange rate fluctuation risk unless the contract with the ship owner provides for an exchange variation reimbursement clause. Currently, some of the shipbuilding contracts do not contain such provision. Hence, adverse fluctuation in the currency rates will affect and influence our results of operations.

Product Diversification

42. As the Company is presently on the cusp of transformational growth, CSL is undertaking transformative efforts on the innovative and new technology front including that on green energy, alternate fuels, autonomy, etc. Towards this, CSL is building 23 Hybrid Electric Catamaran Hull vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly boat and is expected to integrate the urban water transport system for the seamless transportation requirements of the Kochi citizenry. A total of nine boats for the Kochi Water Metro Project have been delivered as on the date of this report. Further, CSL also delivered the order for two nos. of Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway.
43. During the financial year, CSL has bagged an international order for constructing 2 nos. of Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) from a European Client, with an option to build 4 more of such vessels to be exercised by the owner within a period of one year. These vessels are intended for the services of offshore wind farm installations towards its commissioning and maintenance. These specialized vessels are being contracted for the first time in the country. CSL also bagged order from another European client for design and construction of two nos. of Zero Emission Feeder Container Vessels with an option for two more vessels. These ships can carry about 365 Nos. of 45-foot long high cube containers and are intended to serve the European Market where sustainable transportation solutions are in high demand.
44. CSL in collaboration with indigenous partners and under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) is implementing a pilot project for design, development and construction of Hydrogen Fuel Cell Vessel based on Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV). Taking into consideration the growing impetus on hydrogen economy and hydrogen-based fuel cell technology both nationally and internationally, it is only prudent to explore its use case in the marine segment, especially in India, where there is vast possibility for its use on coastal & inland vessels. Also, the Company is planning to develop an indigenous Autonomous Surface Vessel (ASV),

'SWAYAT' to demonstrate CSL's capability in autonomous domain. The Board of Directors at their 271st Meeting held on April 29, 2023 has set aside an amount of ₹35 Crores towards Research & Development/ Innovation initiatives fund for the development of the pilot ASV Project.

45. CSL has also conceived a start-up engagement framework which was unveiled by the Hon'ble Minister for Ports, Shipping & Waterways at the inaugural function of the Company's Golden Jubilee celebrations held on April 30, 2022. With this framework CSL has committed to invest an initial corpus of ₹50 Crores in start-up companies engaged in maritime sector. The start-up framework is envisaged to augment Government of India's initiatives to develop an ecosystem in India to support maritime start-ups from technical, regulatory, financial and marketing point of view by bringing stakeholders together. The framework will provide a platform for the young and talented entrepreneurs to develop the products/ services in the marine space with financial support provided by CSL. One of the key parts for operationalization of the framework is engaging appropriate Review and Recommending Agencies (RRA) who shall inter alia be involved in selection of start-ups for investment, mobilising various stakeholders for the selected start-ups, monitoring and reviewing their progress etc. CSL has appointed Indian Institute of Management Kozhikode LIVE (IIMK LIVE) and Indian Institute of Technology Madras (IITM) as the Review and Recommending Agencies under the framework.

Internal Control

46. The Company has promulgated an internal control and internal audit manual and has in place adequate internal control systems. The internal audit function is carried out by an independent firm of Chartered Accountants who carry out an in-depth review of internal control systems in critical areas based on the audit programme approved by the Board level Audit Committee headed by an Independent Director. During the financial year 2022-23, the Company had engaged M/s. Krishnamoorthy & Krishnamoorthy, Chartered Accountants for reviewing and installing adequate Internal Financial Controls and to ensure proper and adequate systems for compliance with the provisions of all applicable laws. Such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

Human Resource Development and Industrial Relations

47. The details regarding Human Resource Development and Industrial Relations are more specifically covered in the Directors' Report.

Women Empowerment

48. CSL has constituted an Internal Complaints Committee in accordance with the guidelines and norms prescribed by Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). A senior woman executive is the Chairperson of the Internal Complaints Committee. The Certified Standing Orders applicable to workmen include sexual harassment as an act constituting misconduct. The Internal Complaints Committee is empowered to enquire into such complaints as per the procedure laid down in the Certified Standing Orders and Industrial Employment (Standing Orders) Acts and Rules.
49. The talents of the women workforce were showcased as part of celebration of the International Women's Day in CSL on March 08, 2023. The Company has a woman Welfare Officer specifically to promote women empowerment activities and to formulate and implement welfare measures according to the needs of women employees of the Company. CSL has commemorated the 9th anniversary of POSH Act on December 09, 2022 by organizing a session on POSH Act.
50. The Company ensures the participation of women in various forum including Joint Council, Shop Council, Central Safety Council, Shop Safety Council, Employees Contributory Provident Fund Trust, Employees Cochin Shipyard Recreation Club, Employees Cochin Shipyard Consumer Society etc.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as per the Public Procurement Policy 2012

51. The Company is making all out efforts to increase the procurement/ availing services from MSMEs. The Company has achieved a target of 54%, against the required target of 25% procurement of goods and services from MSMEs, out of total indigenous procurement for the financial year 2022-23. SC/ ST and women MSME entrepreneurs are also getting benefitted due to CSL's initiatives.
52. With a view to promote procurement/ avail services through MSMEs as per the Public Procurement Policy 2012 promulgated by the Government of India (GoI), CSL, jointly with MSME Development & Facilitation office, Thrissur conducted a vendor development programme viz., 'National Vendor Development Programme – 2022' on November 17 & 18, 2022 at Kochi.
53. In accordance with the directives of HQSNC, Centre for Indigenization and Self Reliance, Coimbatore, organized a

visit of 30 personnel, representing 25 firms along with the office bearers of Coimbatore District Small Scale Industries Association (CODISSIA) on January 23, 2023. CODISSIA representatives interacted with Senior Management of CSL and familiarized themselves with the present-day challenges and scope/ potential of indigenization.

54. Other initiatives include, making CSL website user-friendly for MSME vendors, regular uploading of procurement data and other details in “MSME SAMBANDH” portal, ensuring no vendor complaint is pending in “MSME SAMADHAAN” portal on delayed payment monitoring system which implies payments to MSME vendors are effected without delay, on boarding of around 180 vendors in TReDS platform etc.

Other Information

55. The details regarding the Company's CSR activities, environment protection and conservation initiatives, technology absorption and upgradation efforts, forays into renewable energy, foreign exchange conservation etc., are provided in the Directors' Report and the Annexure thereon.

Cautionary statement

56. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/ supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 19, 2023

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Business Responsibility and Sustainability Report

SECTION A : GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity

1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity	L63032KL1972GOI002414
2.	Name of the Listed Entity	Cochin Shipyard Limited
3.	Year of Incorporation	1972
4.	Registered office address	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi – 682015, Kerala, India
5.	Corporate office address	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi – 682015, Kerala, India
6.	E-mail id	secretary@cochinshipyard.in
7.	Telephone	0484 236 1306
8.	Website	www.cochinshipyard.in
9.	Financial year for which reporting is being done	2022-23
10.	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
11.	Paid-up capital	₹1,31,54,03,900
12.	Name and contact details of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Shri Syamkamal N Tel: 0484 250 1306 E-mail: secretary@cochinshipyard.in
13.	Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together)	Standalone

II. Products/services

14. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S.No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Manufacturing	Shipbuilding	75.8
2.	Service	Ship Repair	24.2

15. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

S.No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Shipbuilding	301	75.8
2.	Shiprepair	331	24.2

III. Operations

16. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

S.No.	Location	Number of plants	Number of offices	Total
1.	National	5	-	5
2.	International	-	-	-

Note: In addition to the above the Company also has two wholly owned subsidiaries; Hooghly Cochin Shipyard Limited with its plant at Nazirgunge, West Bengal and Udupi Cochin Shipyard Limited with its plant at Udupi, Karnataka.

17. Markets served by the entity:

a. Number of locations

S.No.	Locations	Number
1.	National (No. of States) ⁽¹⁾	11
2.	International (No. of Countries) ⁽²⁾	8

⁽¹⁾Due to the inherent nature of our business of shipbuilding/ship repair, the Company generally caters to the requirements of the Country's coastal states and states having national waterways as well as Country's defence requirements.

⁽²⁾The Company has provided its services across the world viz., Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Denmark/Bahamas, Saudi Arabia and UAE.

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

12%

c. A brief on types of customers

Cochin Shipyard Limited (CSL) is a key player in the domestic and international ship building market. Our key shipbuilding clients on the domestic front include the Indian Navy, the Indian Coast Guard, Ministry of Home Affairs, the Shipping Corporation of India Limited, Lakshadweep Government, various Ports, Inland Waterways Authority of India (IWAI), A&N Administration, Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL) and Jindal Steel Works (JSW) group. On the international front, CSL has exported 47 vessels to some of the most demanding clients in Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Demark/Bahamas, Saudi Arabia and UAE. CSL has also undertaken repairs of various types of vessels including upgradation of ships of the oil exploration industry as well as periodical maintenance, repairs and life extension of ships.

IV. Employees

18. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

S.No	Particulars	Total(A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	615	543	88.29	72	11.71
2.	Other than Permanent (E)	263	224	85.17	39	14.83
3.	Total employees (D + E)	878	767	87.36	111	12.64

S.No	Particulars	Total(A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
WORKERS						
4.	Permanent (F)	1449	1324	91.37	125	8.63
5.	Other than Permanent (G)	1110	1039	93.6	71	6.4
6.	Total workers (F + G)	2559	2363	92.34	196	7.66

b. Differently abled Employees and workers:

S. No	Particulars	Total(A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	10	9	90	1	10
2.	Other than Permanent (E)	2	2	100.00	0	0
3.	Total differently abled employees (D + E)	12	11	91.67	1	8.33
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	Permanent (F)	42	37	88.1	5	11.9
5.	Other than Permanent (G)	8	7	87.5	1	12.5
6.	Total differently abled workers (F+ G)	50	44	88	6	12

19. Participation/Inclusion/Representation of women (As at the end of Financial Year)

Particulars	Total(A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	12	1	8.33
Key Management Personnel	5	0	0

20. Turnover rate for permanent employees and workers:

(Disclose trends for the past 3 years)

Particulars	FY 2023 (Turnover rate in current FY)			FY 2022 (Turnover rate in previous FY)			FY 2021 (Turnover rate in the year prior to the previous FY)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	5.78	4.00	5.56	8.49	1.49	7.64	6.61	0.00	5.80
Permanent Workers	2.09	1.83	2.06	2.85	3.03	2.86	3.08	2.07	3.00

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

21. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

S. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1.	Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	100	No
2.	Udupi Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	100	No

VI. CSR Details

22. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)

Yes

(ii) Turnover (in ₹)

23304588000

(iii) Net worth (in ₹)

44234187000

VII. Transparency and Disclosures

23. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/ No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2023 (Current Financial Year)			FY 2022 (Previous Financial Year)		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	8	0		18	0	
Investors (other than shareholders)	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0		0	0	
Shareholders	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	17	0		4	0	
Employees and workers	Yes, CSL Intranet	0	0		0	0	
Customers	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0		0	0	
Value Chain Partners	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0		0	0	

24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	Climate Change	Risk	Majority of the ship building projects undertaken by CSL are fueled by fossil fuels. The increasing awareness of climate change across the globe will reduce the demand for such vessels and affect the operations of CSL	CSL has already embarked on Green Shipping initiatives. CSL has already built and delivered 2 Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway. The 67 Mtr. Long vessels were delivered as Full-Electric Transport Ferries powered by 1846 kWh capacity battery. CSL is building 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly boat. Further CSL is also building 2 Commissioning Service Operation Vessels for Pelagic Group, Cyprus and 2 Zero Emission Feeder Container Vessels for SAMSKIP Group, Norway. Further, the Company is also in the process of development of Hydrogen Fuel Cell vessels.	Negative implication
2.	Climate Change	Opportunity	Increase in demand for zero emission vessels	Keeping pace with the Global Maritime Green Transitions, the Company is in the process of developing and building India's first indigenous Hydrogen Fuelled Electric Vessels, a pilot project part funded by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). The pilot project is based on development of a Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) – also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV) and the C-SAS division is in charge of the technological part of design, development and construction of the Vessel. The move is part of India's transformative efforts on the innovative and new technology front with respect to green energy and sustainable cost-effective alternate fuel. The pilot project is being carried out in collaboration with Indian partners. Governments across the globe is looking at the corporates for implementing sustainable development models.	

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity	Rationale for identifying the risk/opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
				India, under the able leadership of the Honourable Prime Minister has set an ambitious target of becoming carbon neutral by 2070. Towards this, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has already initiated several measures and CSL is spearheading the Green Shipping initiatives to curb marine pollution. As part of green initiatives, CSL is building 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly boat and is expected to integrate the urban water transport system for the seamless transportation requirements of the Kochi citizenry. CSL's commitment to green initiatives is also evident from the delivery of order of two Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway. Further CSL is also building 2 Commissioning Service Operation Vessels for Pelagic Group, Cyprus and 2 Zero Emission Feeder Container Vessels for SAMSKIP Group, Norway. Further, the Company is also in the process of development of Hydrogen Fuel Cell vessels.	Positive implication

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

Policy and Management Processes

1. a. **Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs.** (Yes/No)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes

- b. **Has the policy been approved by the Board?** (Yes/No)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes

The Policies have been approved by the Board/ relevant Competent authority as per the delegated powers of the Board.

- c. **Web Link of the Policies, if available**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68								

2. **Whether the entity has translated the policy into procedures.** (Yes / No)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes

3. **Do the enlisted policies extend to your value chain partners?** (Yes/No)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes

4. **Name of the national and international codes/certifications/labels/standards (e.g. Forest, Stewardship, Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.**

P1	Model Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management, Conduct Discipline and Appeal Rules, Central Vigilance Commission Guidelines and Manual.
P2	ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System Standards.
P3	ISO 45001:2018 Health and Safety Management System Standards, Employee Welfare and Skill Development Measures as more specifically mentioned in Directors' Report.
P4	Presidential Directives and Guidelines on Reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time. For more details, please refer to Directors' Report.
P5	CSL is aligned with all the applicable national laws, principles and norms with regard to human rights.
P6	ISO 14001:2015 Environmental Management System.
P7	Not applicable.

P8	CSL's CSR Projects aim at benefiting the community from low socio-economic strata across the nation. For more details please refer to CSR section annexed to Directors' Report.
P9	ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System Standards.

5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
CSL don't have mandated targets, commitments or evaluation process for all policies. CSL has put in place an SaaS application software for real time monitoring of ESG parameters viz., GHG emissions, waste management, consumption of resources like water, electricity etc.								

6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
CSL monitors key parameters and use it for augmenting the policies, wherever found necessary.								

Governance, Leadership & Oversight

7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)

Presently, governments across the globe are looking at the corporates for implementing sustainable development models. India, under the able leadership of the Honourable Prime Minister has set an ambitious target of becoming carbon neutral by 2070. CSL being a Central PSU under the administrative control of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, is committed to play its part in achieving the target set by the Honourable Prime Minister. Towards this, CSL has already initiated several initiatives to curb marine pollution. Continuing with the green initiatives, CSL is building 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly boat and is expected to integrate the urban water transport system for the seamless transportation requirements of the Kochi citizenry. CSL's commitment to green initiatives may also be seen from the execution of order of two Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway. Further CSL is also building 2 Commissioning Service Operation Vessels for Pelagic Group, Cyprus and 2 Zero Emission Feeder Container Vessels for SAMSKIP Group, Norway. Further, the Company is also in the process of development of Hydrogen Fuel Cell vessels. Also, CSL in collaboration with indigenous partners and under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways is implementing a pilot project for design, development and construction of Hydrogen Fuel Cell Vessel based on Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV), which is a step towards greener tomorrow. Taking into consideration the growing impetus on hydrogen economy and hydrogen-based fuel cell technology both nationally and internationally, it is only prudent to explore its use case in the marine segment, especially in India, where there is vast possibility for its use on coastal & inland vessels.

8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).

Shri Madhu Sankunni Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director.

9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.

Yes, Shri Madhu Sankunni Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director is the decision making authority with regard to sustainability related issues.

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

	Performance against above policies and follow up action*		Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances
Indicate whether review was undertaken by Director/ Committee of the Board/ Any other Committee	P1	Yes	CSL is in compliance with the extant regulations as applicable.
	P2	Yes	
	P3	Yes	
	P4	Yes	
	P5	Yes	
	P6	Yes	
	P7	-	
	P8	Yes	
	P9	Yes	
Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other –please specify)	P1	Yes	Quarterly. A Statutory Compliance Certificate on applicable laws is provided by the CMD & Director (Finance) to the Board of Directors.
	P2	Yes	
	P3	Yes	
	P4	Yes	
	P5	Yes	
	P6	Yes	
	P7	-	
	P8	Yes	
	P9	Yes	

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.

P1	Yes, the compliance with the CVC Guidelines are evaluated by the Vigilance Department headed by a Chief Vigilance Officer, appointed by the Government of India.
P2	Yes, ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards are evaluated by DNV-GL on an annual basis.
P3	Yes, ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standard is evaluated by DNV-GL on an annual basis.
P4	Yes, CSL is in compliance with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time, which is audited by the Comptroller and Auditor General of India.
P5	Yes, CSL is in compliance with all the applicable national laws, principles and norms with regard to Human Rights, which is monitored by the Comptroller and Auditor General of India.
P6	Yes, ISO 14001:2015 Environmental Management System standard is evaluated by DNV-GL on an annual basis.
P7	Not applicable.
P8	Yes, CSL's CSR projects are audited by both statutory auditors of the Company as well as the Comptroller and Auditor General of India.
P9	Yes, ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards are evaluated by DNV-GL on an annual basis.

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Not Applicable

SECTION C : PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE**PRINCIPLE 1**

Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators**1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:**

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	1	1*	33.33
Key Managerial Personnel	1	1*	100.00
Employees other than BoD and KMPs	780	1*	100.00
Workers	2336	1*	100.00

*Awareness programs were provided as part of observance of Vigilance Awareness Week 2021 in CSL during October 31, 2022 to November 06, 2022.

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
Sl. No.	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Nil	N.A.	Nil	Nil	N.A.	N.A.

Non-Monetary				
Sl. No.	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Nil	N.A.	Nil	N.A.	N.A.

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed:

S. No	Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
Nil	N.A.	Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

The Vigilance Department of Cochin Shipyard Limited performs various activities with regard to preventive and pro-active vigilance, undertakes investigation in cases related to punitive vigilance and conducts surveillance and detection initiatives. Vigilance department strives to ensure transparency, equity and competitiveness in all procurement. Important CVC guidelines are discussed with Heads of Departments for its strict compliance. For more details, please refer to the following web-link.

<https://cochinshipyard.in/Vigilance>

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Directors	0	0
KMPs	0	0
Employees	0	0
Workers	0	0

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 2023 (Current Financial Year)		FY 2022 (Previous Financial Year)	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	-	0	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	0	-	0	-

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Not applicable.

PRINCIPLE 2

Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively

	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	0	0	Not applicable
Capex	0	0	Not applicable

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)

Yes

- b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

100%.

The Company has been following approved criteria for the selection of vendors to ensure sustainable sourcing which inter alia includes vendors having ISO 9000 certification, vendors approved by regulatory bodies, various authorized dealers of the manufacturer, ability to provide materials as per laid down specification and other requirements, ability to supply materials as per stipulated delivery period. Annual evaluation of the orders placed on a vendor is completed to decide the average performance. A vendor is removed / suspended from approved vendor list based on his average performance over the period of evaluation. Vendors list is reviewed and updated once in a year.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for:

a. Plastics (including packaging)

Wastes are disposed off through government authorised external agency.

b. E-waste

Wastes are disposed off through government authorised external agency.

c. Hazardous waste

Wastes are disposed off through government authorised external agency.

d. Other waste

Wastes are disposed off through government authorised external agency.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

No. Extended Producer Responsibility (EPR) is not applicable to CSL.

PRINCIPLE 3

Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	Total (A)	% of employees covered by									
		Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Male	555	555	100	555	100	N.A.	N.A.	555	100	555	100
Female	80	80	100	80	100	80	100.00	N.A.	N.A.	80	100
Total	635	635	100	635	100	80	100	555	100	635	100
Other than Permanent employees											
Male	129	129	100	129	100	N.A.	N.A.	129	100	129	100
Female	21	21	100	21	100	21	100	N.A.	N.A.	21	100
Total	150	150	100	150	100	21	100	129	100	150	100

b. Details of measures for the well-being of workers:

Category	Total (A)	% of workers covered by									
		Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Male	1198	1198	100	1198	100	N.A.	N.A.	1198	100	1198	100
Female	117	117	100	117	100	117	100	N.A.	N.A.	117	100
Total	1315	1315	100	1315	100	117	100	1198	100	1315	100
Other than Permanent workers											
Male	958	958	100	958	100	N.A.	N.A.	958	100	958	100
Female	63	63	100	63	100	63	100	N.A.	N.A.	63	100
Total	1021	1021	100	1021	100	63	100	958	100	1021	100

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

S. No	Benefits	FY 2023 (Current Financial Year)			FY 2022 (Previous Financial Year)		
		No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority(Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
1.	PF	100.00	100.00	Y	100.00	100.00	Y
2.	Gratuity	100.00	100.00	Y	100.00	100.00	Y
3.	ESI	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.
4.	Insurance Linked Post Retirement Medical Scheme	100.00	100.00	Y	100.00	100.00	Y

3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Yes

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Equity, inclusivity and fairness has been imbibed in all the employee processes like recruitment, job selection/ transfer/ rotation, training, promotion, appraisals and compensation and benefits and the HR policies of the Company can be accessed by employees on CSL intranet. Further, the Company does not discriminate and gives equal opportunities to all individuals irrespective of gender, religion, caste, race, age, community, physical ability or sexual orientation, etc. The Company also follows the directives and guidelines issued by the Government of India on the subject from time to time.

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100	100	100	100
Female	100	100	100	100
Total	100	100	100	100

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)	
Permanent Workers	Yes, CSL has a 5 stage grievance redressal mechanism, beginning from the reporting officer at the first stage till the CMD of the Company at the fifth stage with specific timelines at each stage to resolve the grievance. The detailed framework of this mechanism is available in CSL intranet.
Other than Permanent Workers	
Permanent Employees	
Other than Permanent Employees	

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	FY 2023 (Current Financial Year)			FY 2022 (Previous Financial Year)		
	Total employees / workers in respective category(A)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union(B)	% (B / A)	Total employees / workers in respective category(C)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union(D)	% (D / C)
Total Permanent Employees	635	635	100.00	553	553	100.00
Male	555	555	100.00	483	483	100.00
Female	80	80	100.00	70	70	100.00
Total Permanent Workers	1315	1315	100.00	1204	1204	100.00
Male	1198	1198	100.00	1102	1102	100.00
Female	117	117	100.00	102	102	100.00

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2023 (Current Financial Year)					FY 2022 (Previous Financial Year)				
	Total(A)	On Health and Safety Measures		On Skill Upgradation		Total (D)	On Health and Safety Measures		On Skill upgradation	
		No.(B)	% (B/A)	No.(C)	% (C/A)		No.(E)	% E/D	No.(F)	% F/D
Employees										
Male	684	139	20.32	256	37.43	593	33	5.56	330	55.65
Female	101	13	12.87	51	50.50	89	4	4.49	56	62.92
Total	785	152	19.36	307	39.11	682	37	5.43	386	56.60
Workers										
Male	2156	2156	100.00	142	6.59	2304	90	3.91	103	4.47
Female	180	106	58.89	17	9.44	182	7	3.85	11	6.04
Total	2336	2262	96.83	159	6.81	2486	97	3.9	114	4.59

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	FY 2023 (Current Financial Year)			FY 2022 (Previous Financial Year)		
	Total (A)	No.(B)	% B/A	Total (C)	No.(D)	% D/C
Employees						
Male	684	684	100.00	593	593	100.00
Female	101	101	100.00	89	89	100.00
Total	785	785	100.00	682	682	100.00
Workers						
Male	2156	2156	100.00	2304	2304	100.00
Female	180	180	100.00	182	182	100.00
Total	2336	2336	100.00	2486	2486	100.00

10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Yes, CSL is certified to ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standard.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) is the tool used by Cochin Shipyard Limited to identify and assess the hazards and risks associated with routine and non-routine works carried out in the yard. This process include listing out all the activities and taking each activities through the HIRA work sheet. The HIRA Work sheet perform quantitative approach of risk calculation and prioritising the activities based on risk value to Low, Medium and High risk activities. Control measures for mitigating the risks and reducing the risk levels from high and medium to low risk is described in standard operating procedures and operational control procedures tagged to each activities.

- c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Yes/ No)

Yes

- d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes, CSL has a full-fledged medical centre premised at Kochi, headed by a Chief Medical Officer. Further, CSL has a medical assistance scheme for employees by empanelling various hospitals (Super-speciality/Multi-speciality/Speciality and other-

speciality hospitals) in Ernakulam District for the treatment of CSL employees and their eligible dependent family members. The expenses towards the inpatient/day care treatment availed at these empanelled hospitals shall be settled directly by CSL to the hospital. Medical ID Cards with details of employees and dependents has been issued to all employees for the purpose of identification at empanelled hospitals. In the case of hospitals outside Ernakulam district, the admissible treatment expenses shall be reimbursed to the employees.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million person-hours worked)	Employees	0	0
	Workers	0.2667	0.0667
Total recordable work-related injuries	Employees	0	6
	Workers	364	267
No. of fatalities	Employees	0	0
	Workers	0	0
High-consequence work-related injury or ill health (excluding fatalities)	Employees	0	0
	Workers	4	1

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

The Occupational Health and Safety Management System at Cochin Shipyard is called HSE Governance System. Through this, all employees are motivated through positive safety culture by encouraging them to perform safe work practices. They are being rewarded for their safe actions on monthly basis and on National Safety day. One person from each employee group is selected as Field Safety Representative (FSR) to monitor the safety of the workplace. Apart from FSR, Safety and Fire staffs of around 250 numbers were deputed at work sites for continuous monitoring of works onboard vessels and workshops, skids etc. They will be responsible to issue work permits wherever applicable and also to issue violation tokens whenever deviations from safe practices are observed. Also weekly walk the talks and monthly pep talks at work sites by section heads, General Managers/ Chief General Managers will demonstrate involvement of top management in Safety.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Safety Incident/ Number	FY 2023 (Current Financial Year)			FY 2022 (Previous Financial Year)		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	0	0		0	0	
Health & Safety	550	42		203	36	

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	100
Working Conditions	100

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Corrective actions will arise from 3 member committee (Committee including concerned officer of that area, Safety committee member of that area and Safety officer of that area) or board of enquiry (members nominated by occupier/factory manager/CSO for critical incidents) for safety related incidents. Other corrective actions from HSE Observations/Suggestions will be generated by HSE Coordinator/Safety Officer of particular area.

PRINCIPLE 4

Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

The key stakeholders identified in consultation with the company's management are: customers, employees, shareholders, academic institutions, suppliers, industry bodies such as Indian Shipbuilders Association, Indo Japan Chamber of Commerce, Confederation of Indian Industry (CII), Cochin Chamber of Commerce and Industry, All India Management Association, The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) and Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM), governments, NGOs, local communities, regulators and society at large.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

S. No.	Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
1.	Customers	No	Project-related calls, e-mails and meetings; project management reviews; top executive meetings and briefings; customer visits; responses to RFPs and other tenders etc. newsletters; brochures	Continuous basis	Shipbuilding and Ship Repair Project execution
2.	Shareholders	No	Press releases; email advisories; in-person meetings; investor conference calls etc.	- Quarterly: Financial statements in IndAS; earnings call; exchange notifications; - Continuous: Investors page on the CSL website - Annual: Annual General Meeting; Annual Report	- Helping investors voice their concerns regarding company policies, reporting strategy, etc. - Understanding shareholder expectations
3.	Employees	No	Intranet, e-mail and meetings	Continuous basis	Informing about various orders, directives, schemes etc.
4.	Academic Institutions	No	As needed: Academic and Training Programs; and meetings	As and when needed	Training and development
5.	Industry bodies, government and Regulators	No	As needed: - Conferences and seminars; - surveys; and - other meetings	As and when needed	Ensure 100% compliance to all applicable laws.
6.	NGOs; local communities; and society at large	No	As needed: - Meetings; - Social Media; - Surveys; and - Press Releases	As and when needed	Execution of CSR project, intimation of important events and occurrences.

PRINCIPLE 5

Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2023 (Current Financial Year)			FY 2022 (Previous Financial Year)		
	Total(A)	No. of employees / workers covered (B)	% (B / A)	Total (C)	No. of employees / workers covered (D)	% (D / C)
Employees						
Permanent	635	21	3.31	553	26	4.7
Other than permanent	150	0	0	129	0	0
Total Employees	785	21	2.68	682	26	3.81
Workers						
Permanent	1315	0	0	1204	0	0
Other than permanent	1021	0	0	1282	0	0
Total Workers	2336	0	0	2486	0	0

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2023 (Current Financial Year)					FY 2022 (Previous Financial Year)				
	Total(A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		No.(B)	% (B/A)	No.(C)	% (C/A)		No.(E)	% E/D	No.(F)	% F/D
Employees										
Permanent	635	0	0	635	100	553	0	0	553	100
Male	555	0	0	555	100	483	0	0	483	100
Female	80	0	0	80	100	70	0	0	70	100
Other than permanent	150	0	0	150	100	129	0	0	129	100
Male	129	0	0	129	100	110	0	0	110	100
Female	21	0	0	21	100	19	0	0	19	100
Workers										
Permanent	1315	0	0	1315	100	1204	0	0	1204	100
Male	1198	0	0	1198	100	1102	0	0	1102	100
Female	117	0	0	117	100	102	0	0	102	100
Other than permanent	1021	0	0	1021	100	1282	0	0	1282	100
Male	958	0	0	958	100	1202	0	0	1202	100
Female	63	0	0	63	100	80	0	0	80	100

3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/wages of respective category (₹)	Number	Median remuneration/ salary/wages of respective category (₹)
Board of Directors(BoD)	11	6298935.95	1	0
Key Managerial Personnel (KMP)	5	6026088	0	0
Employees other than BoD and KMP	550	1461854	80	1484263
Workers	1198	795733	117	760770

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The human resource policies of the Company cover all aspects of human rights of its employees and others associated with it for operation of its business and covers human rights of employees of the subsidiaries also. The Company is committed to uphold and maintain the dignity of women employees and it has in place a policy which provides for protection against sexual harassment of women at work place and for prevention and redressal of such complaints. The Company is also committed to comply with all human rights practices across subsidiaries and other stakeholders associated with the Company.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2023 (Current Financial Year)			FY 2022 (Previous Financial Year)		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	0	0		1	0	The complaint was related to indecent graffiti. The board of enquiry submitted the report based on which the Company took necessary actions to immediately remove the indecent graffiti. Also employees were sensitised to prevent reoccurrence and reporting the matter immediately.
Discrimination at workplace	0	0		0	0	
Child Labour	0	0		0	0	
Forced Labour/ Involuntary Labour	0	0		0	0	
Wages	0	0		0	0	
Other human rights related issues	0	0		0	0	

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Concerns on discrimination and harassment are dealt with confidentially. CSL does not tolerate any form of retaliation against anyone reporting good faith concerns. Anyone involved in targeting such a person raising such complaints will be subject to disciplinary action.

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, wherever found necessary.

9. Assessment for the year

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child Labour	100
Forced Labour/Involuntary Labour	100
Sexual Harassment	100
Discrimination at Workplace	100
Wages	100

10. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

Not Applicable

PRINCIPLE 6

Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators**1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:**

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)		FY 2022 (Previous Financial Year)	
	Value	Unit	Value	Unit
Total electricity consumption (A)	119618.90	GJ	136975.27	GJ
Total fuel consumption (B)	8236.93	GJ	8994.25	GJ
Energy consumption through other sources (C)	0	GJ	0	GJ
Total energy consumption (A+B+C)	127855.80	GJ	145969.52	GJ
Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumption/ turnover in Rupees)	0.0000055	GJ/Rupee	0.0000046	GJ/Rupee

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the energy consumption.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as Designated Consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.

Not Applicable

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)		FY 2022 (Previous Financial Year)	
	Value	Unit	Value	Unit
Water withdrawal by source (in kilolitres)				
(i) Surface water	0	Kilolitres	0	Kilolitres
(ii) Groundwater	823.25	Kilolitres	0	Kilolitres
(iii) Third party water	1077620	Kilolitres	658905	Kilolitres
(iv) Seawater / desalinated water	74	Kilolitres	0	Kilolitres
Others by the entity	1843	Kilolitres	0	Kilolitres
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	1080360.25	Kilolitres	658905	Kilolitres
Total volume of water consumption (in kilolitres)	1058886.75	Kilolitres	648212	Kilolitres
Water intensity per Rupee of turnover (Water consumed / turnover)	0.000045	Kiloliters/Rupee	0.000020	Kiloliters/Rupee

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the water consumption.

4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

No

5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)		FY 2022 (Previous Financial Year)	
	Value	Unit	Value	Unit
NOx	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
SOx	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
Particulate matter (PM)	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
Persistent organic pollutants (POP)	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
Volatile organic compounds (VOC)	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e
Hazardous air pollutants (HAP)	0	tCO ₂ e	0	tCO ₂ e

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL does not have significant air emissions other than GHG emissions.

6. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Total Scope 1 Emissions	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	546.94	583.3
Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available			
CO ₂	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	541.63	578.64
CH ₄	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	0.17	0.24
N ₂ O	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	5.14	4.41
HFCs	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	0	0
PFCs	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	0	0

Parameter	Unit	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
SF6	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
NF3	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
Total Scope 2 Emissions	Metric tonnes of CO2 equivalent	28488.68	32924
Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available			
CO2	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
CH4	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
N2O	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
HFCs	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
PFCs	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
SF6	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
NF3	Metric tonnes of CO2 equivalent	0	0
Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover	Metric tonnes of CO2 equivalent/Rupee	0.0000012	0.0000011

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the GHG emissions.

7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details

The Company's major initiative in the conservation of energy was installation of solar panels on the rooftop of various buildings inside CSL premises. The programme commenced in the year 2013-14. As of March 31, 2023, solar power plant having capacity of 1622 kWp has been commissioned in CSL. Further, during the financial year 2022-23, CSL commissioned 600KVA, 750 Amps state-of-the-art energy efficient static frequency converter. With this addition, CSL can now provide pure sine wave power to all its docks and quays. This along with CSL's 1.6MWp PV solar power enables CSL to supply clean energy to 60 Hz category ships. The Company is also spearheading the building of battery operated zero emission vessels and development of Hydrogen Fuel Cell vessels, the details of which are more specifically given in the Directors' Report.

8. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

a. Total Waste generated

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
	Value	Value
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste	1.1	6.41
E-waste	2129	4380
Biomedical waste	0.0081	0.0897
Construction and demolition waste	0	0
Battery waste	548.1	0
Radioactive waste	0	0
Other Hazardous waste		
Glass Waste	0.041	0
Waste or Residue Containing Oil	479.68	32
Oil & Grease skimming	0	23.50
Equipment Retiral Waste	0.02	0.08
Paint Sludge	1	6
Anode	6.18	3.05
Copper Slag	7644.17	4653.60
Waste Oil	74.12	572.10
Copper Cables	0	0
Used Copper Slag	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
	Value	Value
Empty Paint Tin	0.3	0
Other Non-hazardous waste		
Food Waste	92.24	253.73
Metal Waste	205.97	1235.82
Paper and Cardboard Waste	0.6759	0.55
Civil Waste	40	95
Aluminium Waste	1	6
Miscellaneous Waste	600.20	0
Steel Scrap	968.79	1087.06
Industrial Waste	1831.66	3918.46
Empty Oil Barrel	283.32	10.71
Total Waste Generated	14907.58	16284.17

- b. For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Plastic waste		
(i) Recycled	0.0048	0.0049
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0.0048	0.0049

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: E-waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Biomedical waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Construction and demolition waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Battery waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Radioactive waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Other Hazardous waste

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Glass Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Waste or Residue Containing Oil		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Oil & Grease skimming		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Equipment Retiral Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Paint Sludge		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Anode		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Copper Slag		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Waste Oil		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Copper Cables		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Used Copper Slag		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Empty Paint Tin		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Other Non-hazardous waste

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Food Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	35.05	0
Total	35.05	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Metal Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Paper and Cardboard Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Civil Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Aluminium Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Miscellaneous Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Steel Scrap		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Industrial Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Empty Oil Barrel		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	0

c. For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Plastic waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0.06	0
Total	0.06	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: E-waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	35
Total	0	35

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Biomedical waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0.0081	0.0897
Total	0.0081	0.0897

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Construction and demolition waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Battery waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Radioactive waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Other Hazardous waste

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Glass Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Waste or Residue Containing Oil		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Oil & Grease skimming		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Equipment Retiral Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Paint Sludge		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Anode		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Copper Slag		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Waste Oil		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	339.2	461.85
Total	339.2	461.85

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Copper Cables		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	195.75	44.55
Total	195.75	44.55

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Used Copper Slag		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	9640.72	4401.57
Total	9640.72	4401.57

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Empty Paint Tin		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	44.06	49
Total	44.06	49

Other Non-hazardous waste

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Food Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	115.92	130.51
Total	115.92	130.51

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Metal Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Paper and Cardboard Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0.06	0
Total	0.06	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Civil Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Aluminium Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Miscellaneous Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	0	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Steel Scrap		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	1003.53	0
Total	1003.53	0

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Industrial Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	5629.78	3337.26
Total	5629.78	3337.26

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Category of waste: Empty Oil Barrel		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	28.12	33.34
Total	28.12	33.34

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the waste management.

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

CSL has an operating Memorandum of Understanding (MoU) with Kerala Enviro Infrastructure Limited (KEIL), an authorized agency of Kerala State Pollution Control Board (KSPCB). CSL is disposing its industrial wastes through Kerala Enviro Infrastructure Limited in compliance with applicable statutory requirements promulgated by Pollution Control Board from time to time.

10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:

S. No	Location of operations/offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
1.	CSL, Perumanoor, Kochi, Kerala	Shipbuilding and Ship Repair	Y
2.	ISRF, Willingdon Island, Kochi, Kerala	Ship Repair	Y
3.	CMSRU, Mumbai, Maharashtra	Ship Repair	N. No environmental approval/ clearance is required
4.	CKSRU, Kolkata, West Bengal	Ship Repair	N. No environmental approval/ clearance is required
5.	CANSRU, Andaman & Nicobar Islands	Ship Repair	N. No environmental approval/ clearance is required

11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

S. No	Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes /No)	Relevant Web link
					Nil	
					Nil	

12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and Rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non- compliances, in the following format:

Yes, CSL has complied with applicable environmental law/regulations / guidelines applicable in India.

S. No	Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with	Provide details of the noncompliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
				Not Applicable

PRINCIPLE 7

Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

10

- b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

S. No.	Name of the trade and industry chambers associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Shipbuilders Association	National
2	Indo Japan Chamber of Commerce	International
3	Confederation of Indian Industry (CII)	National
4	Cochin Chamber of Commerce and Industry	State of Kerala
5	All India Management Association	National
6	Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)	National
7	Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM)	National
8	CII Council on Public Enterprises	National
9	Indian Institute of Welding	National
10	Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
	Not Applicable	

PRINCIPLE 8

Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

S. No.	Name and brief details of project	SIA Notification No	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
1	Ananthakripa - Building an accommodation facility for patients and their bystanders who visit Thiruvananthapuram for advanced medical treatment in the various government medical establishments in the city.	N.A.	N.A.	Yes	Yes	https://cochinshipyard.in/uploads/ananthakripa.pdf

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

S. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In ₹)
Not Applicable						

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

CSL's grievance redressal system is headed by a Whole Time Director and the complaints involving issues of integrity, fairness and transparency in dealing with CSL will be addressed and attended to in a time bound manner. Towards this the Company has put in place a grievance portal which can be accessed at <https://cochinshipyard.in/grievance-cell>

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

Parameter	FY 2023 (Current Financial Year)	FY 2022 (Previous Financial Year)
Directly sourced from MSMEs/ small producers	54	51
Sourced directly from within the district and neighbouring districts	CSL follows the Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 promulgated by the Government of India and wherever possible sources its materials from local suppliers to encourage 'Make in India' and promote manufacturing and production of goods and services in India. The procurement system of CSL does not differentiate sourcing from within or outside a particular area/district/locality.	

PRINCIPLE 9

Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

All the contracted vessels are conducted with a customer satisfaction survey and feedbacks are taken from owners willing to share their experience. The surveys are conducted by an independent third party firm in order to have open & genuine feedback from the customer.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	100
Safe and responsible usage	100
Recycling and/or safe disposal	NA

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2023 (Current Financial Year)			FY 2022 (Previous Financial Year)		
	Received during the year	Pending resolution at end of year	Remarks	Received during the year	Pending resolution at end of year	Remarks
Data privacy	0	0		0	0	
Advertising	0	0		0	0	
Cyber-security	0	0		0	0	
Delivery of essential services	0	0		0	0	
Restrictive Trade Practices	0	0		0	0	
Unfair Trade Practices	0	0		0	0	
Other	0	0		0	0	

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	Number	Reasons for recall
Voluntary recalls	0	NA
Forced recalls	0	NA

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

CSL has put in place a detailed Information Security Policy, and the same is available in CSL intranet.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services

Not Applicable

Independent Auditors' Report

To
The Members of **Cochin Shipyard Limited**
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Cochin Shipyard Limited (referred to as the "Company") which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), Statement of Cash Flows and Statement of changes in Equity for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the aforesaid standalone financial statements give the information, in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at March 31, 2023, the Profit including other comprehensive income, changes in equity and its cashflows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters:

1. Capitalization of Cost for International Ship Repair Facility (ISRF):

Attention is drawn to Note No. 42 to the Standalone Financial Statements, wherein, the cost directly attributable to construction/development of project is capitalized in the books with effect from commencement of the project.

The land and water area on which the International Ship Repair Facility (ISRF) project is in progress, is taken on lease from Cochin Port Trust. The company has commenced development of the new ship repair facility with effect from 09th Jan 2018. The lease period of 30 years commences from date of Environmental Clearance. The company has not considered capitalization of said cost amounting to ₹8,288.21 lakhs from the commencement of project construction/development. As the amount is less than the materiality level arrived by the company, the management rectified/corrected the prior periods error amounting to ₹6,181.35 lakhs during the year, which was duly classified as 'Exceptional items' in the Statement of Profit and Loss Account.

2. Non-Factoring of Liquidated Damages for 2 Nos 1200 Passenger Vessels:

Attention is drawn to Note No.33.5 to the Standalone Financial Statements, on shipbuilding contract with Andaman & Nicobar Administration for construction of 2 Nos 1200 Passenger Vessels. The contractual delivery date (as extended) for SH.0023 is already expired and another vessel SH.0024 is nearing expiry. The Company has provided for the liquidated damages for the delay upto 29th April, 2023 and 30th Oct, 2023 in respect of SH.0023 & SH.0024 respectively. Meanwhile, at the request of the A&N administration for reallocation of vessel to other prospective buyers, the delivery of ship has been abated, with minor progress. Since the Company has a valid contract with Andaman & Nicobar Administration for construction and delivery of 2 Nos 1200 Pax Vessels, the company has not recognized further liquidated damages in the financials beyond the dates mentioned above.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Recognition of Revenue- Ship Building and Ship Repair activities:

(Refer Note No.3.15(a),33 and 44 to the Standalone Financial Statements)

There are significant accounting judgements involved in estimating contract revenue to be recognised on shipbuilding and ship repair contracts with customers, including determination of physical progress of completion as on the reporting date.

The physical progress of completion is ascertained as per the in-house procedures developed by the management of the company. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs from the technical departments of the company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation.

Significant judgements are involved in determining the expected losses, when such losses become probable based on the expected total contract cost. Cost contingencies are included in these estimates to take into account specific risks of uncertainties or disputed claims against the Company, arising within each contract. These contingencies are reviewed by the Management on a regular basis throughout the life of the contract and adjusted where appropriate. The revenue on contracts may also include variable consideration (variations and claims). Variable consideration is recognised when the recovery of such consideration is highly probable.

Due to the nature of the contracts, revenue recognition involves usage of percentage of completion method (ie., physical progress of completion) which is determined by survey of work performed, which involves technical expertise, significant judgments, identification of contractual obligations and the Company's rights to receive payments for performance completed till date, changes in scope and consequential revised contract price

and recognition of the liability for loss making contracts/onerous obligations.

As revenue recognition involves aforesaid significant judgement and estimation, we therefore determined this to be a key audit matter.

Our principal audit procedures included but were not limited to:

- We assessed the appropriateness of the Company's revenue recognition policies, including those related to variable considerations by comparing with applicable accounting standards;
- We tested the effectiveness of controls relating to the evaluation of performance obligations and identification of those that are distinct; estimation of costs to complete each of the performance obligations including the contingencies in respect thereof, as work progresses and the impact thereon as a consequence of change orders; the impact of change orders on the transaction price of the related contracts; and evaluation of the impact of variable consideration on the transaction price.
- We selected a sample of contracts with customers and performed the following procedures:
 - Obtained and read contract documents for each selection, change orders and other documents that were part of the agreement/arrangement.
 - Identified significant terms and deliverables in the contract to assess management's conclusions regarding the (i) identification of distinct performance obligations; (ii) changes to costs to complete as work progresses and as a consequence of change orders; (iii) the impact of change orders on the transaction price; and (iv) the evaluation of the adjustment to the transaction price on account of variable consideration.
 - Compared costs incurred with Company's estimates of costs incurred to date to identify significant variations and evaluated whether those variations have been considered appropriately in estimating the remaining costs to complete the contract.
 - Tested the estimate for consistency with the status of delivery of milestones and customer acceptance to identify possible delays in achieving milestones, which require changes in estimated costs or efforts to complete the remaining performance obligation.

- Performed analytical audit procedures for reasonableness of revenues disclosed by type and nature of service.
- Substantial reliance was placed on the technical and activity-based assessment made by the management in determination of percentage of physical progress completion.
- Assessed appropriateness of the relevant disclosures made by the company in accordance with IND AS 115.

We concluded that based on the procedures performed above, we did not find any material exceptions with regards to adoption of IND AS 115 and timing of revenue recognition.

2. Recognition and measurement of Shipbuilding Financial Assistance (SBFA)-Government Grant:

[\(Refer Note No.3.15\(b\),33 and 33.6 to the Standalone Financial Statements\)](#)

Shipbuilding Financial Assistance is a monetary incentive granted by the government to the shipyards for construction of vessels eligible shipbuilding contracts, which is to be claimed on after the delivery of the vessels with in the time stipulated under the SBFA policy.

The company has a policy of recognising the assistance over the period of the time in proportionate to the expenses incurred.

During the current year ended March 31,2023, the company has recognised income of ₹1,193.43 lakhs (PY- ₹3,486.17 lakhs), which is essential for the eligible shipbuilding projects. The recognition and realisation of assistance income are based on the applicable rate to the period for which approval is issued by Director General (Shipping).

Considering prominence of the assistance to industry, revenue and profit may undergo a change in such judgements and estimates, we consider this to be area of significance.

Our principal audit procedures in relation to assistance income recognition include:

- We read the relevant notifications issued by the Govt. of India and discussed with the management, to understand the underlying matters and basis for management judgement and estimates including necessary changes made in estimates to address variations noted in past. Also ascertained the prevailing trade practice in the shipbuilding industry;
- We assessed the appropriateness of the company's policy on the recognition of the assistance income by comparing with applicable accounting standards;

- We have correlated the in-principle approval made by the company for eligibility of the vessels coming under assistance policy and verified the claims made by the company on delivery of vessels and subsequent realisation.
- Further, we reviewed and tested the accuracy of the assistance recognised by the management in accordance with SBFA policy, in-principal approval, and expenses incurred;
- We have enquired from the Management and discussed with those charged with governance, the appropriateness in recognising the assistance income;
- We assessed the disclosures in the standalone financial statements in this regard;

Based on the above procedures performed, the recognition of shipbuilding assistance Income is in accordance with applicable financial reporting framework and relevant notifications issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Govt. of India and fairly presented in the standalone financial statements.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon:

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Directors' Report and Management Discussion and Analysis, but does not include the consolidated financial statements, standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

As on the date of this report, the other information was not made available to us by the management. Accordingly, we are unable to comment on this matter.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- a. Identify and assess the risks of material misstatements of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls;
- c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;
- d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern;
- e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation;

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work: and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters:

1. The comparative financial information of the company for the year ended 31st March, 2022 included in these Standalone financial statements, are audited by the predecessor auditors of the company and their report dated 20th May, 2022, wherein an unmodified opinion is expressed by them.
2. For the year ended 31st March, 2023, the company has initiated the obtaining of balance confirmations, whereas we have received few confirmations of balances from Trade receivables, Trade Payables and Bank balances. Wherever confirmations not received by us, we have performed alternative audit procedures by verifying the contract documents, invoices raised and communications made for follow up action etc.,

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required under the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sub-section (5) of Section 143 of the Companies Act 2013, we are enclosing our report in "**Annexure A**".
2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the Annexure a

statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable our report thereon is enclosed as "**Annexure B**".

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books and proper adequate returns have been received from all the regional offices of the company;
 - c. The Company's Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (incl. Other Comprehensive income), the Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;
 - d. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with The Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended thereon.
 - e. The provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification no. G.S.R.463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India;
 - f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;
 - g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:

The provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Company, being a Government Company, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015;

- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in

our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements- Refer Note No.47 to the Standalone Financial Statements;
- ii. The company has made provision, as required under applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any on long-term contracts including derivative contracts;
- iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company;
- iv. a. The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall,
 - directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or

- provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- b. The management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall,
 - directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or
 - on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
 - c. Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in these circumstances, nothing has come to our notice that has caused them to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material mis-statement.
 - v. The dividend declared/paid by the Company during the year is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN00111S

C. Krishnan Menon
Partner

Membership No :074736
UDIN:23074736BGVWVB5466

Place: Kochi
Date: 19.05.2023

Annexure – A to the Auditors' Report

Referred to in Paragraph 1 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report to the Members of the Company of even dated

Report on Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013

PART-I- DIRECTIONS

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated**

Yes. The company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Based on our audit procedures on test check basis, wherever accounting transactions arises outside the IT system, no instances of lack of integrity of the accounts along with the financial implications has been noted.

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company).

No. According to the information & explanations given to us, there is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender. As such, there is no financial implication involved.

3. **Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

Yes. Based on our examination of Books of Accounts of the company and as per the information & explanations given to us, the company has received a sum of ₹393.75 lakhs out of the sanction of ₹1312.50 lakhs under the Research and Development Project namely "Hydrogen Fuel Cell Ferry Vessel" from Ministry of Ports, Shipping and Waterways, which is shown under "Deferred Government Assistance" in the Standalone Financial Statements. The funds were properly accounted and utilized as per the terms and conditions of the order and no deviations are observed by us.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN00111S

C. Krishnan Menon
Partner

Place: Kochi
Date: 19.05.2023

Membership No :074736
UDIN:23074736BGVWVB5466

Annexure – B to the Auditors' Report

Referred to in Paragraph 2 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report to the Members of the Company of even dated

Based on the audit procedures performed and information and explanations given to us, we report that:

i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment,

- a. The company has maintained proper records showing full particulars w.r.t
 - A. Property, Plant and Equipment including quantitative details and situation thereon and relevant details of right-of-use assets;
 - B. Intangible Assets;
- b. The company has a practice of conducting physical verification of property, plant and equipment's every year based on a program designed by the management, which in our opinion are reasonable, having regard to the size and the magnitude of the company.

During the year, the internal committee of the company has conducted physical verification of entire Property, Plant and Equipment and given a report confirming the categories of assets verified with no major adverse comments. Based on our examination of working papers with which the process of verifications is carried out, we have not come across any significant deficiencies in this regard;

- c. The company has clear title deeds of immovable properties held in its name, measuring 75.92 Hectares in aggregate; However, with regard to leasehold properties, where company is lessee which are tabulated below are pending registration/ execution of lease agreements.

Description of Property	Area (in Hectares)	Gross carrying Value (₹ in lakhs)	Held in the name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held since (year)	Reason for not being held in name of company
Leasehold lands- Right to Use Assets						
ISRF Project Land-Phase-I	Land- 8.12	10,202.26	Cochin Port Trust	No	2012	Taken as a Part of "Right to Develop & Operate- ISRF". Pending Registration.
	Adjoin Water body- 15					
ISRF Project Land-Phase-II	Land-8.134		Cochin Port Trust	No	2017	For Phase- II, lease agreement is to be executed.
Bed of backwaters- Reclaimed Land	Land/Water Area-1.914		Cochin Port Trust	No	1977	Yet to executed Lease Agreement.
CSL-Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)-Berth No.5,6,7 & 8 of Indira Docks*	HDD- 2.961	19,314.35	Mumbai Port Trust	No	2018	In the Opinion of the company, the Concessionaire Arrangement/ Agreements does not require registration.

Description of Property	Area (in Hectares)	Gross carrying Value (₹ in lakhs)	Held in the name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held since (year)	Reason for not being held in name of company
	Open Land Area-1.135					
	Water Area-1.8					
CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)-Berth No.6 at Netaji Subhas Dock*	Land & Dry Dock Area-2.532	10.04	Syama Prasad Mookerjee Port Trust (Formerly Known as Kolkata Port Trust)	No	2019	

*Lease Rentals are factored in the Annual Fees as determined in Concessionaire Agreement

- d. During the year, the company has not revalued its Property, Plant and Equipment (Inc. Right to Use assets) or Intangible Assets or both. Accordingly reporting under this clause does not arise.
- e. The Company does not hold any benami property. Accordingly, reporting under this clause does not arise.

ii. In respect of the Inventories:

- a. The company has regular program in physical verification of inventories, which is carried out annually. During the year, the management has formed a technical committee for carrying out the physical verification.

Based on documents and reports made available to us and considering the size and nature of industry, the physical verification conducted by the management and policies adopted thereon are reasonable. However, we have not come across any significant deficiencies (ie., more than 10%) in this regard;

- b. The Company has been sanctioned aggregate Non-Fund based limits in excess of ₹5 Crores by the multiple banks, which are availed as and when required. It has also been sanctioned aggregate Fund Based limits in excess of ₹5 Crores by multiple banks which have not been availed by the Company. The Company is not required to file any quarterly returns or statements with the banks.

iii. The Company has made an investment by way of right issue subscription in its wholly owned subsidiary companies, namely M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited and M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited) amounting to ₹4,600.00 lakhs and ₹2,500.00 lakhs respectively during the year. Further, the company has also given advance to its directors during the year on the same terms and conditions at which it is given to other employees of the company.

- a. The aggregate amount during the year and the balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans, guarantees and securities to subsidiaries, joint ventures and associates and to parties other than subsidiaries, joint ventures and associates are as under:

(₹ in lakhs)				
Particulars	Guarantees	Security	Loans	Advance in nature of loans
Aggregate amount granted/provided during the year				
- Subsidiaries	-	-	-	-
- Joint Ventures	-	-	-	-
- Associates	-	-	-	-
- Others	-	-	-	1.40

(₹ in lakhs)

Particulars	Guarantees	Security	Loans	Advance in nature of loans
Balance outstanding (gross) as at the balance sheet date in respect of the above cases				
- Subsidiaries	-	-	500.00	-
- Joint Ventures	-	-		-
- Associates	-	-		-
- Others	-	-		0.40

b. The investments made, guarantees provided, security given and the terms and conditions of the grant of all the above-mentioned loans and guarantees provided, security given during the year are, in our opinion, prima facie, not prejudicial to the Company's interest;

c. In respect of loans and advances in the nature of loans, the company has stipulated the schedule of repayment of principal and payment of interest and the repayments or receipts are regular;

d. In respect of loans and advances in the nature of loans granted by the Company, there is no overdue amount remaining outstanding as at the balance sheet date;

e. No loan or advance in the nature of loan granted by the Company which has fallen due during the year, has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdue of existing loans given to the same parties;

f. The company has not granted the any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment to Promoters, related parties as defined in clause (76) of section 2 of the Companies Act, 2013;

iv. The company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 in respect of loans granted, investments made and guarantees and securities provided, as applicable.

v. The company has not accepted any deposits from the public, hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Section 73 to 76 of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under, are not applicable.

vi. The company is maintaining the cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act.

We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, as amended prescribed by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that, prima

facie, the prescribed cost records have been made and maintained.

We have, however not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.

vii. In respect of statutory dues:

a. The company is generally been regular in depositing undisputed applicable statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, and service tax, duty of customs, duty of excise, GST, cess and any other statutory dues applicable to it with the appropriate authorities;

There were no outstanding of aforesaid statutory dues as on March 31, 2023 for a period of more than six months from the date they became payable.

b. There were no dues of GST, Income Tax, value added tax, duty of customs, duty of excise and cess which have not been deposited on account of any dispute except in the cases provided as Annexure-D;

viii. We have not come across any transactions that are not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961. Hence, the recording of unrecorded income in the books of accounts does not arise.

ix. a. The company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender (ie., banks, financial institutions, Government and other lenders).

b. To the extent of our knowledge, the company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authorities.

c. The company has not availed any term loans during the year. Accordingly, reporting for this clause does not arise.

d. On overall examination of the financial statements of the company, during the year no funds has been raised the company on short term basis. Hence, the point of reporting on utilization and usage of funds for long term purposes by the company will not arise.

- e. The Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries.

Further, the company does not have any associates or joint ventures. Accordingly, reporting with regard to borrowal of money in order to meet the obligations of associates or joint ventures does not arise.

- f. The Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries.

Further, the company does not have any associates or joint ventures. Accordingly, reporting with relating to raising loans on pledge of securities held in its associates or joint ventures does not arise.

- x. a. The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instrument) during the year. Accordingly, reporting under this clause does not arise.
- b. During the year, company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures. Therefore, reporting under this clause is not applicable to the company.

xi. To the best of our knowledge,

- a. No fraud by the company or on the company has been noticed or reported during the year.
- b. No report has been filed by us or the predecessor auditors of the company or cost auditors secretarial auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government in accordance with section 143(12) of the Companies Act, 2013 during the year and upto the date of issuance of this report.
- c. As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the company during the year.

- xii.** The company is not a Nidhi company. Hence, the reporting under the provisions of clause (xii) (a), (b) and (c) of the order are not applicable.

- xiii.** In our opinion, all the related party transactions during the financial year are in compliance with Section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details of the said transactions have been disclosed appropriately in the standalone financial statements in accordance with applicable Ind AS.

- xiv.** a. In our opinion and based on our examination, the company has an adequate internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

- b. We have obtained the internal audit reports for the period under audit on a timely manner and duly considered by us, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

- xv.** In our opinion, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with its directors during the year and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company.

- xvi.** The company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1935.

Accordingly, the reporting under the provisions of clause (xvi) (b) and (c) of the order does not arise.

Further, in our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under this clause is not applicable to the company.

- xvii.** The company has not incurred any cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.

- xviii.** There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly reporting under this clause does not arise.

- xix.** On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements of the company, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidences supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as

on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

xx. With regard to Corporate Social Responsibility obligation of the company, the Board of Directors of the Company has approved ₹16.06 Crores (ie., ₹1,605.62 lakhs) to be spent for the year, after setting off the ₹40.00 lakhs excess spent during the previous financial year. Accordingly, the Corporate Social Responsibility Committee has identified and recommended the various projects amounting to ₹1,953.73 lakhs for year, which were duly approved by the Board of Directors. However, during the year, the company has spent a sum of ₹1,724.96 lakhs as against the its obligation of ₹1,645.62 lakhs. Accordingly, the company

is eligible to carry forward the excess spent of ₹119.34 lakhs. However, the company has carry-forwarded ₹110.00 lakhs, which is treated as asset in the standalone financial statements.

Further, in our opinion:

- a. there are no unspent amount in respect of other than ongoing projects, to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act, 2013 till the date of our report. However, the time period for such transfer i.e. six months of the expiry of the financial year as permitted under the second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act, has not elapsed till the date of our report.
- b. there are no amount remaining unspent to the extent of its statutory obligation, in respect of ongoing projects. Further, the company is not required to transferred the amount remaining unspent in respect of ongoing projects, to a Special Account as permitted under the sub-section (6) of section 135 of the Act.

xxi. The reporting under this clause is not applicable in respect of audit of standalone financial statements. Accordingly, no comment in respect of this clause has been included in this report.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN00111S

C. Krishnan Menon
Partner

Membership No :074736
UDIN:23074736BGVWVB5466

Place: Kochi
Date: 19.05.2023

Annexure – C to the Auditors' Report

Referred to in Paragraph 3(f) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report to the Members of the Company of even dated.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the Internal Financials Controls over Financial Reporting of Cochin Shipyard Limited (referred to as the "Company") for the year ended March 31, 2023, in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the company.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide us for our audit opinion on the company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

- a. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- b. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- c. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Place: Kochi
Date: 19.05.2023

Opinion

In our opinion, the company has in all material respects, maintains adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN00111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736
UDIN:23074736BGVWVB5466

Annexure – D to the Auditors' Report

Referred to in Clause vii (b) of Annexure-B to the Auditors' Report of our report to the Members of the Company of even dated.

Name of the Statute	Nature of Dues		Amount (In lakhs)		Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
			Disputed	Deposited		
Employees State Insurance Act, 1948	Contribution		35.82	-	April 2008 to May 2010	Hon'ble Insurance Court, Alappuzha
	Claim for Damages & Interest for belated remittance		19.84	1.00	June 2010 to July 2013	
Finance Act, 1994 (Service Tax)	Amount received from Indian Navy for Design and Development of IAC	Service Tax	1,647.47	123.56	2004-05	CESTAT, Bangalore
		Interest	5,519.15			
		Penalty	1,647.57			
	Amount received from Indian Navy for construction of IAC accounted under the head Management Fee/handling charges on IAC P-71	Service Tax	323.04	24.23	2009-10	
		Interest	872.12			
		Penalty	323.14			
	1.RCM on towing the barge along with security services; 2. Salvage operations; 3.RCM on guaranteed Repairs obligations for the period 2012-13 to 2016-17	Service Tax	279.46	20.96	2012-13 to 2016-17	
		Interest	430.32			
		Penalty	279.56			
	1. Differential Turnover for Ship Repair activities (incl. adoption of lesser assessable value); 2. Disallowance of CENVAT credit availed and utilized;	Service Tax	150.57	11.29	2015-16	
		Interest	160.69			
		Penalty	15.06			
	Levy of Service Tax on the Training fee received by the yard from the Marine Engineering Training Institute (METI) run by the Company	Service Tax	51.24	3.87	2016-17 to 2017-18 (upto June 2017)	
		Interest	43.11			
		Penalty	5.10			
Kerala Value Added Tax Act, 2003	Additions in Taxable Turnover	Tax	787.32	-	AY 2015-16	Deputy Commissioner of State Tax, Ernakulam
		Interest	582.62			
The Customs Act, 1962 #	Classification of Drawings & Plan for Indigenous Aircraft Carrier	Duty	269.30	323.67	March 2016 to Dec 2016	CESTAT, Bangalore
		Duty	103.97	104.79	April 2017	
		Duty	306.97	309.37	April 2017	
		Duty	789.71	795.88	April 2017	
		Duty	762.48	768.43	April 2017	
		Duty	1,790.93	293.46	April 2017	
		Duty	230.54	526.81	Nov 2017	
		Tax	296.26			
		Duty	89.59	198.07	June 2018	
		Tax	108.48			
		Duty	262.86	581.88	Dec 2018	
		Tax	318.30			
		Duty	191.22	187.43	June 2018	
		Tax	231.55			
	Wrong claim of basic customs Duty Exemption Vide Notification No.50/2017 and Incorrect claim of 5% IGST Input Tax Credit	Duty	629.34	607.23	August 2017 to October 2017	
		Penalty	230.00			

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (In lakhs)		Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending	
		Disputed	Deposited			
Income Tax Act, 1961	Disallowance of Expenditures/Provisions/Deductions	126.26	126.26	AY 2010-11	Commissioner of Income Tax (Appeals)	
		911.07	928.89	AY 2014-15		
		331.77	331.77	AY 2017-18		
		20.76	22.01	AY 2018-19		
		819.51	598.94	AY 2020-21		
		27.16	94.39	AY 2021-22		
Department Appeal's						
Finance Act, 1994 (Service Tax)	Erroneous remittance of service tax on the amount of Management fee/handling charges received/accounted from Indian Navy	Service Tax	376.67	-	2004-05 to 2008-09	CESTAT, Bangalore
	1. Differential Turnover for Ship Repair activities (incl. adoption of lesser assessable value); 2. Disallowance of CENVAT credit availed and utilized;	Service Tax	2,339.64	-	2012-13 to 2014-15	
	Management, Maintenance or Repairs vessels owned by UTLA & Manned by LDCL	Service Tax	1,885.49	-	July 2012 to March 2015	

* Interest on Service Tax Cases where company has gone for appeal worked out approximately.

Customs dues are reported based on the records made available to us.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN00111S

C. Krishnan Menon
Partner

Place: Kochi
Date: 19.05.2023

Membership No :074736
UDIN:23074736BGVWVB5466

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19.05.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Place: Chennai
Date: 04.08.2023

(S. Velliangiri)
Principal Director of Commercial Audit

Standalone Balance Sheet

as at March 31, 2023

		(₹ in lakhs)	
Particulars	Note No.	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	70,673.97	73,582.31
(b) Capital work-in-progress	4	1,58,746.93	1,22,416.19
(c) Intangible assets	5	945.38	440.15
(d) Intangible assets under development	6	1,602.37	2,303.95
(e) Financial assets			
(i) Investments	7	33,560.71	26,158.09
(ii) Loans	8	1,033.82	861.06
(iii) Other Financial Assets	9	90.67	99.12
(f) Income tax assets (net)	10	2,906.66	3,386.91
(g) Deferred tax assets (net)	11	5,691.94	6,785.94
(h) Other non-current assets	12	17,600.41	18,903.00
Total Non-Current assets		2,92,852.86	2,54,936.72
Current assets			
(a) Inventories	13	35,045.02	28,843.82
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	14	33,020.51	43,667.15
(ii) Cash and cash equivalents	15	2,00,882.78	45,575.92
(iii) Bank balances other than (ii) above	16	2,66,297.74	2,70,706.76
(iv) Loans	17	99.50	68.56
(v) Other Financial assets	18	3,396.47	1,465.40
(c) Current tax assets (net)	10	7,147.48	-
(d) Other current assets	19	1,52,162.14	1,86,582.95
Total Current assets		6,98,051.64	5,76,910.56
Total Assets		9,90,904.50	8,31,847.28
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity share capital	20	13,154.04	13,154.04
(b) Other equity	21	4,29,187.83	4,22,763.93
Total Equity		4,42,341.87	4,35,917.97
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	22	2,302.20	12,581.98
(ii) Lease Liabilities	23	39,227.30	38,680.71
(iii) Other financial liabilities	24	261.22	261.22
(b) Provisions	25	3,923.34	3,551.00
(c) Other non current liabilities	26	248.98	9.16
Total Non-Current Liabilities		45,963.04	55,084.07
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	27	10,279.78	-
(ii) Lease Liabilities	28	4,898.68	3,374.84
(iii) Trade payables	29		
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		4,991.65	701.25
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		15,815.39	15,761.55
(iv) Other financial liabilities	30	14,412.88	15,664.47
(b) Other current liabilities	31	4,12,822.00	2,56,025.18
(c) Provisions	32	39,379.21	46,751.86
(d) Current tax liabilities (net)	10	0.00	2,566.09
Total Current Liabilities		5,02,599.59	3,40,845.24
Total Equity and Liabilities		9,90,904.50	8,31,847.28
Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2		
Notes to the Standalone Financial Statements	3 - 69		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Anand & Ponnappan

Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

SYAMKAMAL N

Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER

Director (Technical)
DIN - 08103825

C. KRISHNAN MENON

Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi, dated May 19, 2023

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 19, 2023

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Standalone Statement of Profit & Loss

For the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
I Income			
Revenue from operations	33	233045.88	319000.25
Other income	34	20648.88	26641.68
Total Income		253694.76	345641.93
II Expenses:			
Cost of materials consumed	35	110284.74	161516.94
Sub contract and other direct expenses	36	43078.72	41251.43
Employee benefits expenses	37	32363.20	30588.56
Finance costs	38	3373.55	4648.04
Depreciation and amortisation expenses	39	5114.62	5441.00
Other expenses	40	19811.41	18140.75
Provision for anticipated losses and expenditure	41	999.21	4616.15
Total expenses		215025.45	266202.87
III Profit before Exceptional items and tax		38669.31	79439.06
IV Exceptional items	42	6181.35	0.00
V Profit after Exceptional items and before tax		44850.66	79439.06
VI Tax expense:			
(1) Current tax	10	10307.80	19687.24
(2) Deferred tax	10	1094.00	1095.00
VII Profit for the year		33448.86	58656.82
VIII Other comprehensive income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		(4781.91)	(119.78)
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		1203.51	30.15
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(132.82)	(23.00)
ii) Changes in fair value of FVTOCI equity instruments		2.14	0.00
ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		33.59	5.98
Other comprehensive income for the year		(3675.49)	(106.65)
IX Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		29773.37	58550.17
X Earnings per equity share of ₹ 10 each :	43		
(1) Basic (₹)		25.43	44.59
(2) Diluted (₹)		25.43	44.59
Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2		
Notes to the Standalone Financial Statements	3 - 69		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Anand & Ponnappan

Chartered Accountants

(Firm Registration No.000111S)

SYAMKAMAL N

Company Secretary

Membership No. A25337

BEJOY BHASKER

Director (Technical)

DIN - 08103825

C. KRISHNAN MENON

Partner

(Membership Number: 074736)

Kochi, dated May 19, 2023

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer

DIN - 08444440

Kochi, dated May 19, 2023

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director

DIN - 07376798

Standalone Statement of Cash Flows

For the year ended March 31, 2023

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	44,850.66	79,439.06
Adjustments for :		
Exceptional items	(6,181.35)	-
Depreciation and amortisation expense	5,628.26	5,604.75
Diminution in value of Loose tools	133.33	-
Finance cost	3,373.55	4,648.04
Interest income	(12,810.64)	(7,587.24)
Dividend income from preference shares	(300.48)	(285.99)
Loss on sale/write off of property, plant and equipment	0.69	1.02
Profit on sale of Fixed assets	(6.11)	-
Deferred Govt. Assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	-	(178.41)
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	103.45	(173.26)
Operating cash flow before working capital changes	34,790.22	81,466.83
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(6,201.20)	13,446.95
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	38,258.28	13,400.94
Increase / (decrease) in trade and other payables	1,49,604.74	48,292.36
	2,16,452.05	1,56,607.08
Income tax paid net of refunds	(11,338.00)	(15,092.50)
Net cash flows from operating activities (A)	2,05,114.05	1,41,514.58
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(2,699.97)	(3,878.79)
(Increase) / decrease in Intangible assets under development	701.58	-
(Increase) / decrease in capital work In progress	(30,149.39)	(18,555.79)
(Increase) / decrease in Other Bank balances	4,409.02	(85,040.89)
(Increase) / decrease in Capital advance	1,319.65	3,112.61
Investment in equity shares of subsidiaries	(7,100.00)	-
Investment in NCDs of Subsidiaries	-	(4,100.00)
Sale proceeds from PPE	46.15	3.78
Interest received	10,893.74	7,384.39
Net cash flows from investing activities (B)	(22,579.22)	(1,01,074.69)

Standalone Statement of Cash Flows

For the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
C. Cash flow from financing activities		
(Borrowings)/ Repayment of loans	(203.70)	(67.60)
Net gain/(loss) on foreign currency transactions	(213.48)	143.43
Repayment of lease liability	(2,410.06)	(2,471.99)
Dividend paid	(23,348.40)	(20,388.76)
Finance cost	(1,052.33)	(1,051.55)
Net cash flows from financing activities (C)	(27,227.97)	(23,836.47)
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	1,55,306.86	16,603.42
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	45,575.92	28,972.49
Cash and cash equivalent at the end of the Year	2,00,882.78	45,575.92
Cash and Cash Equivalents include earmarked funds of ₹169785 lakhs as on March 31, 2023		
Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2	
Notes to the Standalone Financial Statements	3 - 69	

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Anand & Ponnappan

Chartered Accountants

(Firm Registration No.000111S)

SYAMKAMAL N

Company Secretary

Membership No. A25337

BEJOY BHASKER

Director (Technical)

DIN - 08103825

C. KRISHNAN MENON

Partner

(Membership Number: 074736)

Kochi, dated May 19, 2023

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer

DIN - 08444440

Kochi, dated May 19, 2023

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director

DIN - 07376798

Standalone Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2023

A. Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2023
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2022

Balance as at April 01, 2021	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2022
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

B. Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	
Balance as at April 01, 2022	263.56	93,152.08	6,322.75	3,09,002.37	12,353.76	1,668.44	0.97	4,22,763.93
Changes in accounting policy or prior period errors								-
Restated balance at the beginning of the reporting period	263.56	93,152.08	6,322.75	3,09,002.37	12,353.76	1,668.44	0.97	4,22,763.93
Profit for the year				33,448.86				33,448.86
Other comprehensive income for the year				(97.09)			(3,579.37)	(3,676.46)
Total comprehensive income for the year				33,351.77	-	-	(3,579.37)	29,772.40
Dividends				(23,348.38)				(23,348.38)
Transfer to retained earnings							-	0.00
Amortisation of premium		(0.12)						(0.12)
Balance as at March 31, 2023	263.56	93,151.96	6,322.75	3,19,005.76	12,353.76	1,668.44	(3,578.40)	4,29,187.83

Refer Note 21 for further details

Standalone Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debt Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	
Balance as at April 01, 2021	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60	3,84,602.64
Changes in accounting policy or prior period errors								-
Restated balance at the beginning of the reporting period	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60	3,84,602.64
Prior period adjustments								
Profit for the year				58,656.82				58,656.82
Other comprehensive income for the year				(17.02)			(89.63)	(106.65)
Total comprehensive income for the year				58,639.80			(89.63)	58,550.17
Dividends (including taxes)				(20,388.76)				(20,388.76)
Transfer to retained earnings						-	-	0.00
Amortisation of premium		(0.12)						(0.12)
Balance as at March 31, 2022	263.56	93,152.08	6,322.75	3,09,002.37	12,353.76	1,668.44	0.97	4,22,763.93

Refer Note 21 for further details

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors**For M/s Anand & Ponnappan**

Chartered Accountants

(Firm Registration No.000111S)

SYAMKAMAL N

Company Secretary

Membership No. A25337

BEJOY BHASKER

Director (Technical)

DIN - 08103825

C. KRISHNAN MENON

Partner

(Membership Number: 074736)

Kochi, dated May 19, 2023

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer

DIN - 08444440

Kochi, dated May 19, 2023

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director

DIN - 07376798

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Cochin Shipyard Limited (referred to as “CSL” or “the Company”) is one of the leading shipyards in India, located in the southern state of Kerala. The company was founded in 1972 and is owned by the Government of India. The Company is primarily engaged in shipbuilding and ship repair, catering to both the domestic and international markets. The Company is a “Miniratna”, Schedule-“B”, Category-I CPSE, which also a public limited company incorporated and domiciled in India. The registered office of the Company is Perumanoor, Kochi, Kerala. As at March 31, 2023, the Government of India holds 72.86% of the Company’s equity share capital. The Company’s equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax-free bonds are listed for trading on BSE Limited. The financial statements for the year ended March 31, 2023 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on May 19, 2023.

2. Basis of preparation and presentation of Financial Statements

2.1 Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as “Ind AS”) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 “Statement of Cash Flows”. The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued Accounting Standard is initially

adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use. Accounting policies at 3.1, 3.6, 3.10, 3.15, 3.16, 3.25 have been modified/reworded which do/do not have any impact on the financial statements but to bring in more clarity to the users of the financial statements.

2.2. Functional and Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Company’s presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

2.3. Basis of Measurement

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

- i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Company’s normal operating cycle;
- ii. the asset is intended for sale or consumption;
- iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;
- iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;
- v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;
- vi. in the case of a liability, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the company has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

- (i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of delivery of the vessel.
- (ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.4 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions. Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known/materialize. The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.

2.5 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of

ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined. For leases denominated in Company's functional currency, the Company considers the incremental borrowing rate to be the interest rate on borrowings from banks available to the company.

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Litigations

From time to time, the Company is subject to legal proceedings and the ultimate outcome of each being always subject to many uncertainties inherent in litigation. A provision for litigation is made when it is considered probable that a payment will be made and the amount of the loss can be reasonably estimated. Significant judgment is made when evaluating, among other factors, the probability of unfavourable outcome and the liability to make a reasonable estimate of the amount of potential loss. Provision for litigations are reviewed at the end of each accounting period and revisions made for the changes in facts and circumstances.

Fair value measurements

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions. The Company categorizes assets and liabilities measured at fair value into one of three levels depending on the ability to observe inputs employed in their measurement which are described as follows:

- (a) Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

- (b) Level 2 inputs are inputs that are observable, either directly or indirectly, other than quoted prices included within level 1 for the asset or liability.
- (c) Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability reflecting significant modifications to observable related market data or Company's assumptions about pricing by market participants.

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Company exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

3. Significant Accounting Policies

3.1 Property, Plant and Equipment (PPE)

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition. Spare Parts are capitalized when they meet the definition of PPE, i.e., when the Company intends to use these for a period exceeding 12 months, which have value of more than ₹5 lakhs (limited needs to be decided by the Management) which can be used only in connection with an item of property, plant and equipment and whose use is expected to be irregular are capitalised and depreciated over the useful life of the spares or principal item of the relevant assets, whichever is lower. The initial estimate of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which PPE is located, the obligation for which is incurred when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during the period, is capitalized as a component of PPE. Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

The Company had applied for the one-time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS. Hence regarded thereafter as historical cost.

3.2 Capital work in progress

Capital work in progress are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP'). Such costs comprises purchase price (after deducting trade discount/ rebate) including non-refundable duties and taxes and other costs that are directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The Company had applied for the one-time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS. Hence regarded thereafter as historical cost.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Computer software/ license is under development or is not yet ready for use, accumulated cost incurred on such items are accounted as "Intangible Assets Under Development".

3.4 Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- (i) the contract involves the use of an identified asset
- (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and
- (iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

The Company's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings.

As a Lessee:

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straight-line basis or another systematic basis over the term of the lease.

Right of Use Assets

The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows. Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the RoU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and ROU assets is also suitably adjusted.

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

3.5 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation. Investment properties are measured initially at cost including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation on Investment property, wherever applicable, is provided on straight line basis as per useful lives prescribed in Part C of Schedule II to Companies Act 2013. Investment properties are de-recognised either on disposal or on permanent withdrawal from use. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit and Loss.

3.6 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

- * For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts.
- * Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

- * Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and upto the date of such deletions.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all category of assets.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Part C of Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act.

Based on the technical evaluation of the management, for few categories of plant and machinery, the useful life is determined on double shift basis.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II to Companies Act, 2013.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in financial Statements at residual value.

Capital Work in Progress included under Property, Plant and equipment are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

3.7 Impairment of Assets -Non Financial Assets

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less cost of disposal and its value in use. Recoverable

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, available quoted market prices for public traded companies or other available fair value indicators.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations, which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. To estimate cash flow projections beyond periods covered by the most recent budgets/forecasts, the Company extrapolates cash flow projections in the budget using a steady or declining growth rate for subsequent years, unless an increasing rate can be justified. For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognized impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

3.8 Non-current assets held for sale

The Company classifies a non-current asset as held for sale if carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to sell and presented separately in the financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation.

Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss.

3.9 Investment in subsidiary

The Company has accounted for its equity investments in subsidiaries at cost in accordance with 'Ind AS- 27, Separate Financial Statements' and are tested for impairment in case of any indication of impairment in accordance with Ind AS- 38, Impairment of Assets.

3.10 Inventories

Raw materials and components are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However, Raw materials, components and other supplies held for use in the production /services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Stores and spares are valued at weighted average cost method. Goods in transit are valued at cost .

3.11 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. Financial assets and financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

- * Financial assets at amortised cost;
- * Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);
- * Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition.

The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Company had made an irrevocable election to present the subsequent changes in the fair value in other comprehensive income. The Company makes such election on an instrument-by- instrument basis. The classification is made on initial recognition/transition and is irrevocable. There is no recycling/reclassification of the amounts from OCI to the Statement of Profit and Loss, even on sale/disposal of the said equity investments.

Investment in preference shares/debentures of the subsidiaries are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortised cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is - (1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and (2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortisation is included in other income in the Statement of Profit and Loss.

Impairment of Financial Assets

In accordance with Ind AS 109, the Company applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

- a) Financial Assets that are Debt Instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance.
- b) Financial guarantee contracts which are not subsequently measured as at FVTPL.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

c) Lease Receivables under Ind AS 116.

Simplified Approach

The Company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on Trade Receivables.

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due. The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables. The provision matrix is based on its historically observed default rates over the expected life of the trade receivables and is adjusted for forward-looking estimates. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed. On that basis, the Company estimates provision on trade receivables at the reporting date. Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

General Approach

For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Company determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-months ECL is used to provide for impairment loss. However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognizing impairment loss allowance based on 12-months ECL. Lifetime ECL are the expected credit losses resulting

from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-months ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date. ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized in the Statement of Profit and Loss. The Balance Sheet presentation for various financial instruments is described below:

- * Financial Assets measured as at amortised cost: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the Balance Sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.
- * Financial Guarantee contracts: ECL is presented as a provision in the Balance Sheet, i.e. as a liability.
- * Debt instruments measured at FVTOCI: Since financial assets are already reflected at fair value, impairment allowance is not further reduced from its value. Rather, ECL amount is presented as 'accumulated impairment amount' in the OCI.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortised cost, as appropriate. All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortised cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss. The Company's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

- * Financial liabilities at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);
- * Financial liabilities at amortised cost;
- * Financial Guarantee Contracts;

Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

Financial Liabilities at amortised cost

Financial Liabilities that are not held-for-trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortised cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortised cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

Financial Guarantee Contracts

Financial guarantee contracts issued by the Company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make the payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognized initially as a liability at fair value, adjusted for transaction cost that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount initially recognized less cumulative income recognized in accordance with principles of Ind AS 115.

De-recognition of Financial Instruments

A financial asset is de-recognised when:

- * The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- * the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset. A financial liability or a part of financial liability is de-recognised from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Derivative instruments and hedge accounting:

The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. The accounting for subsequent changes in fair value of derivatives depends on the designation or non-designation of derivative as hedging instruments. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Derivative that are designated as Hedge Instrument

The Company undertakes foreign exchange forward contracts for hedging foreign currency risks. The Company

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

generally designates the whole forward contract as hedging instrument.

These hedging instruments are governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors.

At the inception of a hedge relationship, the Company formally designates and documents the hedge relationship to which the Company wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes the Company's risk management objective and strategy for undertaking hedge, the hedging/ economic relationship, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged, hedge ratio and how the entity will assess the effectiveness of changes in the hedging instrument's fair value in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk.

Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that the hedge is actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which it was designated.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the Other Comprehensive Income ('OCI') and accumulated under the heading Cash Flow Hedge Reserve within Equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss and included in the Other Income or Other Expenses as Gain on Derivatives or Loss on Derivatives respectively. Amounts previously recognized in OCI and accumulated in equity relating to effective portion are reclassified to Statement of Profit and Loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line item as the recognized hedged item or treated as basis adjustment if a hedged forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting.

Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer, when that right is conditioned on something other than the passage of time. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

3.12 Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

3.13 Foreign Currency Transactions

Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Company.

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies (such as cash, receivables, payables etc.) at the year-end end of reporting period are re-measured at the exchange rate prevailing on that the balance sheet date. Non-monetary foreign currency items are carried at

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

cost. Non-monetary items denominated in foreign currency, (such as PPE, intangible assets, equity investments, capital/ revenue advances other than expected to be settled in cash etc.) are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Any gains or losses income or expense on account of exchange differences either at the time of translation or settlement on settlement or on restatement is are recognised in the statement of Profit and Loss.

3.14 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3.15 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

Recognition of Revenue for a performance obligation satisfied over time, is made only if the company can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation. Based on the technical assessment considering the latest available information to the company, measuring the progress towards complete satisfaction of a performance obligation in the method adopted will be revised/updated on an ongoing basis. During the initial stages of a contract, where the company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation and the company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, revenue will be recognised only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue from fixed price portion is recognized as explained above. The revenue by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers. The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as income.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer. Management fee is also recognised over a period of time.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

b) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received. Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover. Ship Building Financial Assistance (SBFA) is

recognised over a period of time in proportion to the expenses / cost incurred and classified under "other operating revenue".

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable.

c) Other income

i) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

ii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company. In the case of Medical insurance, claims are

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

iii) Interest income

Interest income is recognized using the effective interest rate (EIR). Interest income is included in "Other Income" in the Statement of Profit and Loss and is accounted on an accrual basis on time proportion to the certainty of receipt.

iv) Others

Dividend income is recognized when the Company's right to receive payment has been established.

3.16 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined Contribution plans

Defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees are made to CSL Superannuation Pension Trust for Executives and Supervisors and CSL Workmen Pension Trust and are charged as expense, as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Company makes contributions to the Cochin Shipyard Employees Mutual Public Welfare Trust and Employees Medical Assistance Trusts, which are charged as expense, as and when they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

Defined benefit plans

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less

the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Provident Fund and Pension Scheme

The Company also makes contribution towards provident fund. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Company's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, then the deficiency shall be made good by the Company. The deficiency, if any assessed by the Company based on actuarial valuation will be provided for in the accounts.

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

3.17 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets up to the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. Capitalization of borrowing costs is suspended when active development activity on the qualifying assets is interrupted other than on temporary basis and charged to the Statement of Profit and Loss during such extended periods. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

3.18 Corporate Social Responsibility

The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Company decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 and classified under "Other Current Assets" in the financial statements.

3.19 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Company, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented.

3.20 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to

items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction. Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered. Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled. Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

3.21 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Company did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

3.22 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

3.23 Statement of cash flows

Statement of Cash Flows are reported prepared and presented using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and , any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

3.24 Dividend to equity shareholders

Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting. In the case of interim dividends, recognition is done in the period in which the same is recommended and approved by Board of the Company.

3.25 Exceptional Items

An item of income or expense which by its size, type or incidence requires disclosure in order to improve an understanding of the performance of the Company is treated as an exceptional item and disclosed as such in the financial statements.

3.26 Recent pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 31, 2023, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023, as below.

Ind AS 1 - Presentation of Financial Statements - This amendment requires the entities to disclose their material accounting policies rather than their significant accounting policies. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The company will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors:- This amendment has introduced a definition of 'accounting estimates' and included amendments to Ind AS 8 to help entities distinguish changes in accounting policies from change in accounting estimates. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The company will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Ind AS 12 - Income Taxes :- This amendment has narrowed the scope of the initial recognition of exemptions so that it does not apply to transactions that give rise to equal and offsetting temporary differences. The effective date for adoption of this amendment in annual periods beginning on or after April 1, 2023. The company will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 3 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount	
	As at 1st April 2022	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2023	As at 1st April 2022	For the year (withdrawal)	As at 31st Mar 2023	As at 31st March 2022
a) Owned Assets								
Land (Freehold)	587.54			587.54	-		587.54	587.54
Buildings	17,821.14	448.54		18,269.68	3,561.02	558.19	14,150.47	14,260.12
Plant and equipment	21,010.38	241.12	223.01	21,028.49	10,927.04	1,872.51	8,416.48	10,083.34
Furniture and fixtures	1,452.48	211.87	-	1,664.35	716.45	125.09	841.54	736.03
Vehicles	639.69	2.94	0.09	642.54	367.15	55.41	220.01	272.54
Office equipment	510.27	80.95		591.22	290.78	67.34	233.10	219.49
Others					-			-
Data Processing Equipments	2,383.15	321.93	11.08	2,694.00	1,368.61	324.18	1,007.77	1,014.54
Docks and quays	4,466.45			4,466.45	2,141.37	299.41	2,025.67	2,325.08
Railway sidings	1.10			1.10	-		1.10	1.10
Electrical installation	1,887.01	188.84	3.81	2,072.04	1,102.71	123.43	849.02	784.30
Drainage and water supply	6.67	16.88		23.55	-	0.98	22.57	6.67
Vessels	19.74	2.14		21.88	8.44	1.36	12.08	11.30
Sub Total	50,785.62	1,515.21	237.99	52,062.84	20,483.57	3,427.90	28,348.62	30,302.05
b) Assets on leased premises								
Buildings	2,322.39	186.40		2,508.79	647.88	121.00	1,739.91	1,674.51
Plant and equipment	871.87	65.86		937.73	154.15	55.12	728.46	717.72
Docks and quays	9.62			9.62	8.35		1.27	1.27
Electrical installation	501.32	35.03		536.35	212.46	48.83	275.06	288.86
Sub Total	3,705.20	287.29	-	3,992.49	1,022.84	224.95	2,744.70	2,682.36
Total (a)+(b)	54,490.82	1,802.50	237.99	56,055.33	21,506.41	3,652.85	31,093.32	32,984.41
c) Right Of Use Assets								
Right of Use - Land	39,172.92	565.92		39,738.84	4,064.22	1,354.71	34,319.91	35,108.70
Right of Use - Buildings	173.07			173.07	100.20	18.14	54.73	72.87
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00			7,000.00	1,583.67	210.32	5,206.01	5,416.33
Sub Total	46,345.99	565.92	-	46,911.91	5,748.09	1,583.17	39,580.65	40,597.90
Total(a+b+c)	1,00,836.81	2,368.42	237.99	1,02,967.24	27,254.50	5,236.02	70,673.97	73,582.31

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation		Net Carrying amount	
	As at 1st April 2021	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2022	As at 1st April 2021	For the year (withdrawal)	As at 31st Mar 2022	As at 31st Mar 2021
a) Owned Assets								
Land (Freehold)	587.54	-	-	587.54	-	-	587.54	587.54
Buildings	16,576.51	1,244.63	-	17,821.14	2,981.38	579.64	14,260.12	13,595.13
Plant and equipment	20,056.24	955.05	0.91	21,010.38	8,921.93	2,005.72	10,927.04	11,134.31
Furniture and fixtures	1,360.41	92.47	0.40	1,452.48	598.19	118.32	716.45	762.22
Vehicles	612.74	26.95	-	639.69	312.12	55.03	367.15	300.62
Office equipment	454.11	56.64	0.48	510.27	228.93	62.19	219.49	225.18
Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Processing Equipments	1,819.28	573.30	9.43	2,383.15	1,071.38	303.11	1,014.54	747.90
Docks and quays	4,466.45	-	-	4,466.45	1,841.96	299.41	2,141.37	2,624.49
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	1.10
Electrical installation	1,831.03	56.51	0.53	1,887.01	982.17	120.54	1,102.71	848.86
Drainage and water supply	6.67	-	-	6.67	-	-	-	6.67
Vessels	19.74	-	-	19.74	7.08	1.36	11.30	12.66
Sub Total	47,791.82	3,005.55	11.75	50,785.62	16,945.14	3,545.32	20,483.57	30,302.05
b) Assets on leased premises								
Buildings	2,193.35	129.04	-	2,322.39	542.05	105.83	647.88	1,674.51
Plant and equipment	654.65	217.22	-	871.87	109.37	44.78	154.15	717.72
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	8.35	1.27
Electrical installation	400.26	101.06	-	501.32	169.64	42.82	212.46	288.86
Sub Total	3,257.88	447.32	-	3,705.20	829.41	193.43	1,022.84	2,428.47
Total (a)+(b)	51,049.70	3,452.87	11.75	54,490.82	17,774.55	3,738.75	21,506.41	33,275.15
c) Right Of Use Assets								
Right of Use - Land	39,172.92	-	-	39,172.92	2,709.60	1,354.62	4,064.22	35,108.70
Right of Use - Buildings	173.07	-	-	173.07	70.65	29.55	100.20	72.87
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	1,373.33	210.34	1,583.67	5,416.33
Sub Total	46,345.99	-	-	46,345.99	4,153.58	1,594.51	5,748.09	40,597.90
Total(a+b+c)	97,395.69	3,452.87	11.75	1,00,836.81	21,928.13	5,333.26	27,254.50	73,582.31
								75,467.56

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Cochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

Freehold land includes landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala provided as security for issue of Tax free bonds.

The company has bearer plants in its premises and other sites which generates nominal income. Cost of such bearer plants cannot be reliably measured and hence these plants were not capitalized.

Title deeds of all immovable properties are held in the name of the Company. In the case of following properties where the Company is the lessee, lease agreements are duly executed in favour of the lessee with the following exceptions:

- * CSL has taken 8.12 Ha of land and 15 HA of water body on lease from COPT on 12 April 2013. A lease agreement was entered with COPT in this connection however the same has not yet been registered.
- * CSL has also taken 8.134 HA of additional land area on lease from COPT on 16 Nov 2017 - Lease deed is yet to be executed and registered.

The company has executed concessionaire agreements with the Mumbai Port Trust and Kolkata port Trust to Upgrade, Operate and Manage Ship Repair facility at Hughes Dry Dock and specified berths at Indira Dock of MbPT and two dry docks and Berth No.6 of Netaji Subash Dock of KoPT respectively.

The project site at MbPT is taken on license for 29 years. The license agreement is yet to be registered, as a request submitted for waiver of the stamp duty to the Government of Maharashtra is under consideration.

The project site at Syama Prasad Mukherjee Port is taken on license for 30 years. As license agreement does not attract stamp duty and registration charges in West Bengal, Concession Agreement with KoPT has not been registered.

The Right to use of land and ship repair facility represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 4 : Capital work -in -progress

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Plant and machinery, Buildings and Civil works	1,34,104.46	1,09,977.44
Add: Expenditure during construction	9,570.95	1,006.79
Capital yard items	15,064.22	11,431.96
Goods in Transit	7.30	-
Total	1,58,746.93	1,22,416.19

Expenditure during construction

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Opening Balance	1,006.79	757.66
Add: Expenses during the year		
Salaries	275.95	249.13
Depreciation under Ind AS116	513.64	-
Finance cost under Ind AS116	1,593.22	-
Exceptional items	6,181.35	-
Closing Balance	9,570.95	1,006.79

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)					
Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	40,630.77	17,249.71	42,915.65	57,950.80	1,58,746.93
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)					
Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	21,548.62	42,916.75	32,650.70	25,300.12	1,22,416.19
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)					
Capital Work in Progress	To be completed in				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
International Ship Repair Facility		70447.15	-	-	-
Dry Dock	84852.92		0.00	0.00	0.00
CKSRU Caisson Gate	971.21		0.00	0.00	0.00
Integrated security system	354.17		0.00	0.00	0.00
CMSRU Caisson gate	1359.38		0.00	0.00	0.00

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Overdue CWIP as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
International Ship Repair Facility	-	56136.01	-	-
Dry Dock	65082.67	-	-	-
CKSRU Caisson Gate	167.67	-	-	-
Integrated security system	32.17	-	-	-
CMSRU Caisson gate	565.90	-	-	-

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 5 : Intangible assets

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation		Net Carrying amount	
	As at 1st April 2022	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2023	For the year	As at 31st Mar 2023	As at 31st March 2022
Internally generated weld procedure	27.67			27.67		27.67	-
Computer software	1,991.11	897.47		2,888.58	392.24	1,943.20	440.15
	2,018.78	897.47	-	2,916.25	392.24	1,970.87	440.15

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation		Net Carrying amount	
	As at 1st April 2021	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2022	For the year	As at 31st Mar 2022	As at 31st March 2021
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	-	-	-
Computer software	1,565.16	425.95	-	1,991.11	107.74	440.15	121.94
	1,592.83	425.95	-	2,018.78	107.74	440.15	121.94
Previous year	7832.14	1392.29	0.79	9223.64	610.08	8065.99	7283.78

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 6 : Intangible assets under development

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Plant and machinery, Buildings and Civil works	1,602.37	2,303.95
Total	1,602.37	2,303.95

Intangible assets under development Ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	39.07	28.46	136.15	1,398.69
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Intangible assets under development Ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	769.12	136.15	1,398.68	0.00
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Overdue Intangible assets under development as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
3D Experience Ship building software	1541.73		-	-
REPOSITORY - CANSRU	60.64			

Overdue Intangible assets under development as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
3D Experience Ship building software	1625.24	-	-	-
IT Security and Monitoring system	650.25	-	-	-

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 7: Investments-Non Current

(₹ in lakhs)					
Particulars	Face value per unit	Number of units as on Mar 31, 2023	Number of units as on Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unquoted (Fully Paid up)					
Investment in equity instruments					
a) At Cost					
Equity shares in subsidiary companies					
Hooghly Cochin Shipyard Ltd - 9,60,00,000 Equity shares of face value of ₹ 10 each	10	9,60,00,000	5,00,00,000	9,535.34	4,935.34
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Ltd) - 9,00,00,000 Equity shares of face value of ₹ 10 each	10	9,00,00,000	6,50,00,000	9,000.00	6,500.00
b) At Fair Value Through Other Comprehensive Income					
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares of ₹100 each	100	2,175	2,175	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited - 70000 equity shares of face value of ₹10 each	10	70,000	70,000	9.14	7.00
Cochin Waste 2 Energy Private Limited -100000 equity shares of ₹10 each	10	1,00,000	1,00,000	-	-
Investment in Debt Instruments					
a) At Amortised Cost					
Investment in Cumulative Redeemable Preference Shares of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 5,60,00,000, 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10 each. (Redemption at any time at the option of the Company but not later than 10 years from the date of allotment.)	10	5,60,00,000	5,60,00,000	6,232.14	5,931.66
Investment in Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 440000, 6.5% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹1000 each. (Redeemable at par at the end of 60 months)	1000	4,40,000	4,40,000	4,553.58	4,553.58
Investment in Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 310000, 6.15% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹1000 each (The duration of the debentures is 120 months with an option to redeem after 5 years from the date of allotment)	1000	3,10,000	3,10,000	3,209.69	3,209.69

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	Face value per unit	Number of units as on Mar 31, 2023	Number of units as on Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Investment in Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Udupi Cochin Shipyard Ltd. (Formerly Tebma Shipyards Limited) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 100000, 6% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹1000 each. (Redeemable at par at the end of 84 months)	1000	1,00,000	1,00,000	1,018.64	1,018.64
Total				33,560.71	26,158.09
Aggregate value of quoted investments and market value thereof				-	-
Aggregate value of unquoted investment				33,560.71	26,158.09
Aggregate amount of impairment in value of investments				-	-

Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste to Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil. Similarly, increase in value of investment in Kerala Enviro Infrastructure Limited is noticed and accordingly investment is fair valued.

The Company's Investment in Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited are non-participative shares and normally does not carry any voting rights. Hence, the company has carried this investment at its transaction value considering to be its fair value.

At the beginning of the current year, the Company had invested in the equity share capital of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), a sum of ₹4935.34 lakhs, comprising of 5,00,00,000 shares of ₹10 each, during the period from 2017 to 2021. Out of the above 2,80,00,000 shares of ₹10 each were acquired through rights share.

During the year the Company has made further investment of ₹4600.00 lakhs comprising 4,60,00,000 of ₹10 each again on a rights basis, and the total investment in HCSL at the end of the year is ₹9535.34 lakhs.

The Company had acquired Temba Shipyard Limited, now renamed as Udupi Cochin Shipyard Limited, by an Order of NCLT by investing ₹6500.00 lakhs comprising of 6,50,00,000 shares of ₹10 each. During the year the company has made further investment of ₹25,00,00,000 comprising 2,50,00,000 of ₹10 each again on a rights basis, and the total investment in UCSL at the end of the year is ₹9000 lakhs.

The equity shares issued on rights basis shall rank pari passu with the existing equity shares of the Company in all respects, The above investment are accounted at cost in accordance with IND AS 27-Separate Financial Statement.

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 8: Loans - Non Current

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured, considered good:		
(a) Loans to related parties		
Udupi Cochin Shipyard Ltd	513.22	513.22
(b) Other Loans		
Loan to employees		
Related parties	0.00	0.00
Others	520.60	347.84
Total	1033.82	861.06

No significant increase in credit risk or credit impairment

The Company infused ₹500 lakhs as unsecured loan to Udupi Cochin Shipyards Ltd , the Subsidiary company for meeting expenses during its operational phase, carrying an interest rate of 5.5% p.a. The principal amount is to be repaid at the end of 5 years from the date of disbursement i.e; on 17th September 2025. Interest repayments to be made on yearly basis from the date of disbursal.

Note 9: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Security deposits	84.23	77.42
Accrued Lease Rental Asset	6.44	21.70
Total	90.67	99.12

Note 10: Income tax assets / liability (net)

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	2,906.66	3,386.91
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	7,147.48	(2,566.09)

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Current tax:		
Current income tax charge	11,597.42	20,431.12
Adjustment in respect of prior years	(1,289.62)	(743.88)
Total (A)	10,307.80	19,687.24
Deferred tax:		
In respect of current year	1,094.00	1,095.00
Total (B)	1,094.00	1,095.00
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	11,401.80	20,782.24

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Profit before tax	44,850.66	79,439.06
Income tax expense calculated at respective applicable rates	11,288.02	19,993.22
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	3,528.04	5,542.57
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(4,879.90)	(5,388.12)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	416.52	407.59
Effect of income that is exempt from taxation		
Others	1,244.74	(124.14)
	11,597.42	20,431.12
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(1,289.62)	(743.88)
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	1,094.00	1,095.00
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	11,401.80	20,782.24

Note 11: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Deferred tax liabilities	(2,439.62)	(2,540.98)
Deferred tax assets	8,131.56	9,326.92
Total	5,691.94	6,785.94

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2022-23

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(7,336.19)	1,964.19		(5,372.00)
Property, plant and equipment	2,556.66	(152.01)		2,404.65
Intangible assets	(18.27)	50.94		32.67
Others	(1,988.14)	(769.12)		(2,757.26)
Total	(6,785.94)	1,094.00	-	(5,691.94)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2021-22

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(9,003.68)	1,667.49	-	(7,336.19)
Property, plant and equipment	2,697.54	(140.88)	0.00	2,556.66
Intangible assets	(17.86)	(0.41)	0.00	(18.27)
Others	(1,556.94)	(431.20)	0.00	(1,988.14)
Total	(7,880.94)	1,095.00	-	(6,785.94)

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 12: Other non-current assets

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured, considered good		
Capital advances	16,455.40	17,775.05
Advances other than capital advances:		
Security deposits	239.87	239.66
Deposits with Customs department	261.22	261.22
Loose tools	643.92	627.07
Total	17,600.41	18,903.00

Deposit with Customs Department of ₹261.22 lakhs pertains to a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) to cover a liability in respect of customs duty which is also shown as Payable to Chennai Port Trust under Note No. 24- Other Financial Liabilities- Non Current.

Note 13 : Inventories

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Raw Materials and components	32,090.99	27,658.20
Goods-in transit	1,557.05	533.53
	33,648.04	28,191.73
Stores & Spares	1,286.39	619.37
Goods-in transit	110.59	32.72
	1,396.98	652.09
Total	35,045.02	28,843.82

During current year ,Stores and spares are valued at weighted average cost method and Goods in transit at cost as against 'weighted average cost method or net realisable value whichever is lower' for stores and 'lower of cost and net realisable value' for Goods in transit which was followed in previous years .

Maintenance spares included in the inventory represent spares of general nature and are not related to a particular asset.

Note 14 : Trade Receivables-Current

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	33,020.51	43,667.15
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	11,030.93	10,439.67
Less: Allowance for Expected credit loss	(11,030.93)	(10,439.67)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Total	33,020.51	43,667.15

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Trade receivables include receivable accrued but not due (unbilled trade receivables) ₹2102.59 lakhs (previous year ₹4661.29 lakhs)

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Particulars	Accrued but not due (Unbilled trade receivables)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	2,102.59	13006.35	12567.10	3657.98	1686.49	0.00	33020.51
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	189.72	292.00	1360.33	1842.05
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	98.04	121.95	8968.89	9188.88
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,102.59	13,006.35	12,567.10	3,945.74	2,100.44	10,329.23	44,051.44
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2023							11,030.93
Trade receivable as on 31.03.2023							33,020.51

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Particulars	Accrued but not due (Unbilled trade receivables)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	4,661.29	28300.72	6015.39	4294.08	401.54	0.00	43673.02
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	226.00	70.28	1117.21	1413.49
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	63.65	15.55	8941.10	9020.30
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired							0.00
	4,661.29	28,300.72	6,015.39	4,583.73	487.37	10,058.31	54,106.81
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2022							10,439.67
Trade receivable as on 31.03.2022							43,667.15

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Opening balance	10,439.67	10,215.58
Add: Additions during the year	613.97	2,984.36
Less: Reversals/withdrawals during the year	22.71	2,760.27
Closing Balance	11,030.93	10,439.67

Note 15 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Balance with Banks		
In current account	1,72,500.78	10,525.92
Term deposits with original maturity of less than three months	28,382.00	35,050.00
Total	200,882.78	45,575.92

Balance in current account includes ₹169785 lakhs received from Indian Navy for the construction of Next Generation Missile Vessels

Note 16 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	47,534.90	15,100.00
Lien Marked Term deposits with original maturity of more than three months*	36,274.85	59,797.71
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months**	56,095.14	33,432.00
In current account on behalf of Indian Navy	72,602.94	91,155.67
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	53,691.71	71,161.67
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	98.20	59.71
Total	2,66,297.74	2,70,706.76

*Lien Marked Term deposits represents deposits in which lien is marked in favour of Union Bank of India, State Bank of India & IDBI for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

**Deposits with banks with original maturity of more than 3 months, include ₹101.92 lakhs (previous year ₹97.45 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

Funds parked by Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier are held in a separate account.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 17 : Loans - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured, considered good		
Employee advances		
Related parties	-	-
Others	99.50	68.56
Total	99.50	68.56

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 18 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Interest accrued on Bank Deposits	3,312.27	1,424.87
Interest accrued on employee advances		
Related parties		
Others	68.73	39.23
Foreign Exchange Derivatives Assets	15.47	1.30
Total	3,396.47	1,465.40

Note 19 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party	0.39	0.36
Other advances	62,625.16	39,806.87
Advances considered doubtful	1,030.17	1,030.17
	63,655.72	40,837.40
Less: Provision for doubtful advances	1,030.17	1,030.17
	62,625.55	39,807.23
Others		
Contract Assets for IAC works	30,065.10	-
Contract Assets for other works	21,664.02	34,961.10
Obsolete stock	352.37	238.71
Less: Provision for obsolescence	(352.37)	(238.71)
Balance with Revenue authorities	709.69	571.51
Miscellaneous deposits	62.01	76.23
Prepaid expenditure	998.27	618.86
Input Tax Credit on GST	32,453.79	1,08,217.30
Medical Insurance Premium	1,876.91	1,778.70
Miscellaneous current assets	1,706.81	552.02
Total	1,52,162.14	1,86,582.95

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 20 : Equity Share Capital

Particulars	As at Mar 31, 2023		As at Mar 31, 2022	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹10/- each	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹10 each fully paid up	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Total	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

20.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at Mar 31, 2023		As at Mar 31, 2022	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Add : Shares issued during the year	0	0.00	0	0.00
Less : Shares bought back during the year	0	0.00	0	0.00
Equity Shares outstanding at the end of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

20.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at Mar 31, 2023		As at Mar 31, 2022	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	95843464	72.86	95843464	72.86

20.3 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	Number of Shares held	% of holding	% Change during the year
The President of India	95843464	72.86	Nil

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 21 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Capital Reserves	263.56	263.56
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,151.96	93,152.08
Debenture Redemption Reserve	1,668.44	1,668.44
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	(3,578.40)	0.97
Retained Earnings	3,19,005.76	3,09,002.37
Total	4,29,187.83	4,22,763.93

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity.

Capital Reserve: Capital reserve includes ₹263.56 lakhs being restoration charges received from Ms Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹12353.76 includes ₹11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹10 each at premium (₹93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

Debenture Redemption Reserve: The Company was hitherto creating Debenture Redemption Reserve at 25% of the value of bonds issued by the company over the maturity period of such debentures in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and as per SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the company is not required to create Debenture Redemption Reserves in respect of the bonds issued by it. However, the Debenture Redemption Reserve already created up to 30.09.2019, ₹1668.44 lakhs, shall be retained in the books till the time of redemption of the bonds.

General Reserve: General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Company created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory.

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 46)

Interim dividend : During the year, the Company paid interim dividends of ₹7 per equity share of face value of ₹10 and ₹7 per equity share of face value of ₹10, as recommended at the board meetings held on Nov 10, 2022 and Feb 10, 2023 respectively.

Proposed dividend : The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹3.00 per equity share of face value of ₹10 for the financial year ended March 31, 2023 at the Board meeting held on May 19, 2023. This is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting.

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 22 : Borrowings

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	2,302.20	12,581.98
Total	2,302.20	12,581.98

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

a) Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023.

b) Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029.

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation: Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 23: Lease Liabilities-Non current

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Lease Liabilities under Ind AS 116	39,227.30	38,680.71
Total	39,227.30	38,680.71

Note 24: Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Payable to Chennai Port Trust	261.22	261.22
Total	261.22	261.22

Liability of ₹261.22 lakhs to Chennai Port Trust in respect of customs duty is covered by a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) which is also shown as deposits with Customs department under Note No. 12

Note 25: Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 37)	3,923.34	3,551.00
Total	3,923.34	3,551.00

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 26: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Deferred Income arising from Government Assistance	248.98	9.16
Total	248.98	9.16

Note 27: Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	10,279.78	
Total	10,279.78	0.00

Referring to Note 22: Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023.

Note 28: Lease liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Lease Liabilities under Ind AS 116	4,898.68	3,374.84
Total	4,898.68	3,374.84

Note 29 : Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	4,991.65	701.25
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	15,815.39	15,761.55
Total	20,807.04	16,462.80

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	4,991.65	701.25
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 29 : Trade Payables (Contd..)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) MSME					
Not due	4991.65				4991.65
Due					0.00
(ii) Others					
Not due	11610.03	0.00	0.00	0.00	11610.03
Due	4184.22	7.34	0.00	13.80	4205.36
(iii) Disputed dues – MSME					0.00
(iv) Disputed dues – Others					0.00
Total	20,785.90	7.34	-	13.80	20,807.04

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) MSME					
Not due	701.25				701.25
Due					
(ii) Others					
Not due	12878.23				12878.23
Due	2778.84	26.50	50.44	27.54	2883.32
(iii) Disputed dues – MSME					
(iv) Disputed dues – Others					
Total	16,358.32	26.50	50.44	27.54	16,462.80

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 30 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unpaid Dividend	93.22	59.71
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	4,797.38	-
Others		
Security and other deposits	1,638.63	6,943.36
Others Payables	7,883.65	8,661.40
Total	14,412.88	15,664.47

Note 31 : Other Current Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)	0.00	48,950.10
IAC Trade payables	17,573.11	20,748.20
Contract Liability for other works	3,85,917.58	1,77,104.53
Advances for ship building, ship repair and other contracts	7,635.53	4,402.27
Income received in advance	29.08	27.76
Statutory dues	1,665.56	4,791.18
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	4,12,822.00	2,56,025.18

IAC Trade Payables include ₹1,774.84 lakhs payable to MSME vendors which are not due as on 31 March 2023.

The company has incurred ₹37,377.15 lakhs till 31 March 2023 (₹34,808.21 lakhs till 31st March 2022) towards augmentation of infrastructure facility out of funds received from Indian Navy. The ownership of the assets created out of the said funds vests with Indian Navy.

Stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹6966.24 lakhs (previous year ₹8977.28 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

During the Financial Year 2022-23, the Company has handed over the Indigenous Aircraft Carrier (IAC P-71) to Indian Navy in accordance with the contract for the construction of IAC P-71. The Company has raised Invoice for ₹1915000 lakhs on achievement of the delivery milestone of the contract. The balance scope of work will be completed subsequently within 2 years as per the construction contract.

CSL has recognised revenue to the extent of ₹1740844.14 lakhs as on 31.03.2023 against the IAC project P-71 and the balance revenue would be recognised as and when the performance obligations are achieved in accordance with the construction contract of IAC P-71. The details of revenue recognised so far on the project are as follows:

Particulars	₹ in lakhs
Revenue Recognised as on 31.03.2022	1598425.48
Revenue recognised during the year 2022-23	142418.66
Total revenue recognised on IAC P-71 as on 31.03.2023	1740844.14

Refer Note No 44 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers".

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 32 : Provisions - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Provision for Employee benefits		
Gratuity	716.13	546.79
Compensated absences (Refer Note No 37)	275.36	419.62
Others	-	
	991.49	966.41
Other Provisions		
For Taxes and duties	2,668.99	2,665.50
For Shipbuilding loss	5,465.00	7,573.00
For Expenditure / contingencies	30,253.73	35,546.95
	38,387.72	45,785.45
Total	39,379.21	46,751.86

32.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2022	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2023
Provision for employee benefits- Gratuity	546.79	449.13	279.79		716.13
Compensated absences	419.62	-	-	144.26	275.36
Provision for taxes and duties	2,665.50	3.49			2,668.99
Provision for shipbuilding loss	7,573.00			2,108.00	5,465.00
Provision for expenditure / contingencies	35,546.95	39,410.36	42,522.85	2,180.73	30,253.73

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2021	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2022
Provision for employee benefits- Gratuity	272.09	396.09		121.39	546.79
Compensated absences	515.45	435.07	-	530.90	419.62
Provision for taxes and duties	2,662.17	3.33			2,665.50
Provision for shipbuilding loss	11,658.00			4,085.00	7,573.00
Provision for expenditure / contingencies	34,376.98	36,459.80	31,553.48	3,736.35	35,546.95

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 33 : Revenue from operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	142418.66	179266.04
Vessels other than IAC	31830.44	67606.85
	1,74,249.10	2,46,872.89
Sale of services		
Ship repairs	54,331.00	65,752.72
	54,331.00	65,752.72
Other operating revenue		
Sale of stock items	185.23	14.67
Ship Building Financial Assistance	1193.43	3486.17
Sale of scrap	1,549.62	1,373.80
Management fee	1,537.50	1,500.00
	4,465.78	6,374.64
Total	2,33,045.88	3,19,000.25

- Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date. Output method faithfully depicts the Company's performance towards complete satisfaction of the performance obligation and gives clear picture of Company's efforts and hence the same is being adopted to depict the performance completed to date.
- Refer Note No 44 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers".
- Out of the Revenue from Operations, ₹6905.65 lakhs (₹9503.19 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.
- The Company has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.
- With regard to the Shipbuilding contract with Andaman & Nicobar ('A&N') Administration for construction of 2 Nos 1200 Passenger Vessels, the contractual delivery dates (as extended) for SH.0023 is already expired and other vessel SH.0024 is nearing expiry. The Company has provided for LD for the delay upto 29 Apr 2023 and 30 Oct 2023 in respect of SH.0023 & SH.0024 respectively. At the request of the A&N administration for reallocation of the vessel for other prospective buyers, the delivery of ships has been abated, with minor progress. Since the Company has a valid contract with A&N Administration, the company has not recognized further liquidated damages in the financials beyond the dates mentioned above.
- Ship Building Financial Assistance ('SBFA') provided by Govt. of India is to compensate the cost incurred by the company in building the vessels and it is not for the losses already incurred. Prior to 2016, SBFA was named as "Shipbuilding Subsidy", with an intention to subsidize the cost/compensating the cost of construction of vessel. Subsequently the term has been reworded as "Ship Building Financial Assistance", without any change in the intention of the Government, modality, principles and procedure of the policy. During FY 2022-23, SBFA is recognised over a period of time in proportion to the expenses/cost incurred as against 'recognition based on physical performance' which was followed in previous years. The impact of the same ₹85.21 lakhs is charged to P&L account.
- Cochin Shipyard Ltd (CSL) has entered into an Agreement with the Andaman and Nicobar Administration to commence its operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Management fee on pro rata basis is accounted based on this agreement. Under the ambit of this Agreement signed on 28 Nov 2019, CSL shall assist the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands. CSL shall also associate in Augmentation and Modernisation of the facility and also focus efforts towards Skill Development in the Islands in consultation with the Administration and Technical Institutions located in the Islands.

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 34 : Other Income

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Training facilities	327.76	342.84
Income from sale of scrap and stores	770.96	582.05
Profit on sale of Property, Plant & Equipment	6.11	-
Income from laboratory services	17.58	24.11
Rental income	298.30	325.23
Hire charges	1.39	1.72
Interest on bank deposits	11,480.45	5,679.22
Interest from others	1,330.19	1,908.02
Dividend income from Preference shares	300.48	285.99
Dividend income from Society	0.54	-
Profit on sale of Mutual Funds	-	-
Net gain on foreign currency transactions	-	173.26
Net gain on derivative contracts	-	178.41
Provision no longer required	5,656.09	8,418.30
Proceeds from Bank Guarantee encashment - Performance guarantee/security deposits forfeited**	-	6,100.00
Miscellaneous income*	459.03	2,622.53
Total	20,648.88	26,641.68

*Miscellaneous income includes ₹1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

**During the year 2021-22, the company cancelled the contract for the turnkey work in setting up the international ship repair facility at Kochi due to the inability of the contractor to carry out the work as per terms of the contract. Consequently, the company encashed the bank guarantees received by it towards performance guarantee and security deposits, and forfeited the proceeds as per the terms of the contract, and has treated the same as income.

Note 35 : Cost of Materials Consumed

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Raw Materials		
Steel	3,641.41	1,778.80
Pipe	1,132.27	831.32
Paint	1,914.08	1,772.05
Bought out components	1,03,596.98	1,57,134.77
Total	1,10,284.74	1,61,516.94

Note 36 : Sub Contract and Direct Expenses

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Sub contract and off loaded jobs	31,162.37	33,290.31
Hull insurance	332.91	620.67
Design Expenses	6,650.64	2,303.75
Operating expenses	4,932.80	5,036.70
Total	43,078.72	41,251.43

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 37 : Employee Benefits Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	27,082.01	26,526.06
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	2,608.76	1,814.08
Gratuity	316.30	350.43
Staff welfare expenses	2,632.08	2,147.12
	32,639.15	30,837.69
Less: Expenditure during construction	(275.95)	(249.13)
Total	32,363.20	30,588.56

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹43.62 lakhs (previous year ₹20.46 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹13.26 lakhs (previous year ₹47.67 lakhs)

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

Post-employment obligations

Provident fund

Provident Fund for eligible employees is managed by the Company through a trust in line with the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. The plan guarantees interest at the rate notified by the Provident Fund Authorities. The contribution by the employees and employer @12% of basic salary (including Dearness Allowance) together with the interest accumulated thereon are payable to employees at the time of separation from the Company or retirement whichever is earlier. The benefits vests immediately on rendering of the services by the employee. The contribution is charged to Statement of Profit and Loss of the year when the contributions to the respective funds are due in accordance with relevant statute. Employer's contribution to Provident Fund & Family Pension fund is ₹2028.84 lakhs for the year 2022-23 (₹1353.43 lakhs for the year 2021-22). The minimum interest rate payable by the trust to the beneficiaries every year is notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust (including investment risk fall) and the notified interest rate, which is determined on the basis of actuarial valuation.

The Company has obtained report on the determination and disclosure of interest rate Guarantee, valuation of Assets & Liabilities as per Ind AS 19 of Employees Benefits relating to Exempt Provident Fund for the period ended 31st March 2023.

The details of fund obligations as per actuarial valuation are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Fair value of plan assets	19430.22	18689.22
Present value of benefit obligation at year end	19995.86	18558.63
Net liability / (Net asset)	565.64	(130.59)
Additional provision	Nil	Nil

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Discount Rate (p.a)	7.23%	7.37%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	3.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%	0.70%
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	9.03	8.56

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Service Cost:		
Current Service Cost	227.99	214.03
Net Interest expense	267.00	229.10
Actuarial (Gain)/Loss recognised during the period	428.75	630.20
Expenses recognised in the statement of profit and loss	923.74	1073.33

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4198.71	3970.62
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	4,198.71	3,970.62

	(₹ in lakhs)	
Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Current Component of PVO	275.36	419.62
Non-Current Component of PVO	3923.34	3551.00
TOTAL PVO	4198.71	3970.62

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	3970.62	3676.83
Current & Past Service Cost	227.99	214.03
Current Interest Cost	267.00	229.10
Actuarial (Gain)/ Loss	428.75	630.20
Benefits paid	(695.65)	(779.54)
Defined Benefit Obligation at end of the year	4,198.71	3,970.62

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	695.65	779.54
Benefits paid	(695.65)	(779.54)
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	80.98	125.67
Year 2	191.37	273.81
Year 3	183.51	104.67
Year 4	153.66	159.02
Year 5	141.97	139.61
Next 5 Years	585.85	551.92

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	80.98	125.67
Year 2	191.37	273.81
Year 3	183.51	104.67
Year 4	153.66	159.02
Year 5	141.97	139.61
Next 5 Years	585.85	551.92

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
A. Discount Rate + 50 BP	7.73%	7.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,546.50	3,347.70
Current Service Cost	152.61	141.10
B. Discount Rate - 50 BP	6.73%	6.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,850.97	3,618.91
Current Service Cost	167.55	154.28
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,856.87	3,624.36
Current Service Cost	167.84	154.54
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,539.98	3,341.72
Current Service Cost	152.29	140.81

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
A. Discount Rate + 50 BP	7.73%	7.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,546.50	3,347.70
Current Service Cost	152.61	141.10
B. Discount Rate - 50 BP	6.73%	6.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,850.97	3,618.91
Current Service Cost	167.55	154.28
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,856.87	3,624.36
Current Service Cost	167.84	154.54
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,539.98	3,341.72
Current Service Cost	152.29	140.81

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Discount Rate (p.a)	7.23%	7.37%
Rate of increase in compensation levels	Officers & Supervisors 3% Workers 3%	3.00%
Attrition Rate	Officers & Supervisors 0.70% Workers 0.70%	0.70%

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.23%	7.37%

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	10.83	9.71

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Service Cost:		(₹ in lakhs)
Current Service Cost	265.13	251.58
Past Service Cost		
Net Interest expense	290.20	(6.88)
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	555.33	244.69
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	202.52	246.93
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(751.54)	(113.10)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(549.02)	133.83

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4,319.66	4,313.35
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	3,818.15	4,033.56
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	501.50	279.79

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	4,31.35	4,664.16
Current Service Cost	265.13	251.58
Current Interest Cost	290.20	285.54
Past Service Cost		
Actuarial (Gain)/ Loss	202.52	246.93
Benefits paid	(751.54)	(1,134.86)
Defined Benefit Obligation at end of the year	4,319.66	4,313.35

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:-

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,033.56	4,762.90
Expected Return on Plan Assets	279.89	292.42
Actuarial Gain/(Loss)	(23.55)	113.10
Contributions from the employer	279.79	-
Benefits paid	(751.54)	(1,134.86)
Fair Value of the Assets at the end of the year	3,818.14	4,033.55

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]-

Year	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]-

Year	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	160.58	349.40
Year 2	571.47	865.52
Year 3	437.68	291.48
Year 4	400.09	400.43
Year 5	322.41	386.67
Next 5 Years	1,167.06	1,172.15

Sensitivity Analysis		
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
A. Discount Rate + 50 BP	7.73%	7.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,111.97	4,127.61
Current Service Cost	276.46	247.97
B. Discount Rate - 50 BP	6.73%	6.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,544.50	4,514.29
Current Service Cost	316.81	283.98
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,519.69	4,494.68
Current Service Cost	308.18	279.16

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Sensitivity Analysis	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,127.12	4,141.13
Current Service Cost	280.70	250.01

BP denotes "Basis Points"

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Government of India Securities	31.68%	30.42%
State Government Securities	27.62%	31.51%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	23.62%	24.32%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.33%	0.31%
Others (to specify)	16.75%	13.44%
Total	100.00%	100.00%

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Discount Rate (p.a)-ISRF	7.30%	6.30%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	7.30%	5.40%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	0.00%	0.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

		(₹ in lakhs)
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Service Cost:		
Current Service Cost	24.28	35.68
Past Service Cost	0	0
Net Interest expense	16.58	15.19
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	40.86	50.87
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(93.24)	(55.96)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss		-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(93.24)	(55.96)

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	214.62	267.00
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	214.62	267.00

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	267.00	272.09
Current Service Cost	24.28	35.68
Current Interest Cost	16.58	15.19
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(93.24)	(55.96)
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	214.62	267.00

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	
	ISRF	CMSRU
Year		
Year 1	25.46	5.97
Year 2	32.56	3.88
Year 3	22.42	-
Year 4	27.83	2.91
Year 5	18.96	1.56
Next 5 Years	68.53	4.49

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	
	ISRF	CMSRU
Year		
Year 1	70.02	15.36
Year 2	23.72	1.09
Year 3	25.62	2.69
Year 4	18.79	-
Year 5	26.51	3.20
Next 5 Years	75.25	4.71

Sensitivity Analysis as on 31.03.2023

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	
	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	8.30%	8.30%
Defined Benefit Obligation [PVO]	187.92	18.27
Variation	(4.02%)	(2.94%)
B. Discount Rate - 100 BP	6.30%	6.30%
Defined Benefit Obligation [PVO]	204.35	19.42
Variation	4.37%	3.17%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	203.65	19.35
Variation	4.01%	2.78%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	188.44	18.33
Variation	(3.75%)	(2.62%)

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis as on 31.03.2022

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	
	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.30%	6.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	23.13	26.43
Variation	(3.60%)	(2.38%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.30%	4.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	24.93	27.76
Variation	3.92%	2.56%

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	ISRF	CMSRU
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	24.84	27.63
Variation	3.51%	2.10%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	23.20	26.53
Variation	(3.27%)	(1.98%)

BP denotes "Basis Points"

Note 38 : Finance Costs

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Interest expense on lease liabilities	3,914.55	3,596.60
Interest on tax free bonds	1,051.44	1,051.44
Interest others	0.78	0.00
	4,966.77	4,648.04
Less: Expenditure during construction	(1,593.22)	-
Total	3,373.55	4,648.04

Note 39 : Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Depreciation on property, plant and equipments	3,652.85	3,738.75
Depreciation on Right Of Use Assets	1,583.17	1,594.51
Amortisation of intangible asset	392.24	107.74
	5,628.26	5,441.00
Less: Expenditure during construction	(513.64)	-
Total	5,114.62	5,441.00

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 40 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Consumption of stores & spares	2,440.28	2,057.16
Diminution in value of Loose tools	133.33	163.75
Rates and taxes	44.98	265.74
Power	2,498.02	2,584.04
Fuel	138.96	2,024.63
Water	385.57	303.61
Repairs and maintenance:		
Building and roads	1,451.04	612.26
Plant and machinery	239.48	217.01
Others	1,550.42	1,250.76
Maintenance dredging	614.85	287.15
Transport and stores handling	95.44	89.08
Travelling and conveyance expenses	1,132.80	719.72
Printing and stationery	82.23	68.79
Postage, telephone and telex	52.52	54.34
Advertisement and publicity	404.21	306.88
Lease rent	9.94	9.53
Hire charges	556.15	570.90
Insurance charges	608.48	689.23
Security expenses	2,330.57	2,057.56
Payments to Auditors	29.00	26.24
Training expenses	750.98	657.33
Legal expenses	41.02	27.15
Consultancy	54.59	40.66
Bank charges	805.50	602.99
Net loss on foreign currency transactions	103.45	
Corporate social responsibility (Refer Note no.50)	1,654.96	1,619.47
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	0.69	1.02
Stores written off	12.34	166.92
R&D and New initiatives *	864.16	-
Miscellaneous expenses	725.45	666.83
Total	19,811.41	18,140.75

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
For Audit Fees	19.00	16.00
For Limited Review/other services	8.25	8.25
For Certifications	1.75	1.99
Total	29.00	26.24

*R&D and New initiatives includes the following:

- National Centre of Excellence for Green Port & Shipping (NCoEGPS) is a major initiative by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) towards providing greener solutions. The Energy and Resources Institute (TERI) is the knowledge and implementation partner for this project. The centre aims to develop a regulatory framework and alternate technology adoption road map for Green Shipping to foster carbon neutrality and circular economy (CE) in shipping sector in India. MoPSW, Deenadayal Port Authority Kandal, Paradip Port Authority Paradip, V O Chidambaranar Port authority Thoothukudi & Cochin Shipyard Ltd have partnered to develop NCoEGPS by providing funding support for infrastructure development and supporting research and capacity-building activities for 5 years. During FY 22-23, CSL has paid ₹475.00 lakhs to TERI which has been reported as R&D expenses.
- Ushus is a startup support program of CSL in association with IIMK LIVE & IIT Madras to augment the Government of India's initiatives to encourage and develop an ecosystem in India to support Maritime Startups. As part of this program maritime startups will receive seed funds from CSL as grants/investments. IIMK LIVE & IIT Madras will review and recommend the proposals received under this scheme for investment by CSL. Fee for their services amounts to ₹18.50 lakhs.
- M/s Boston Consulting group was entrusted for preparation of detailed report for Setting up of Ship repair cluster (Mumbai & Kochi) in India in line with MoPSW's Maritime India Vision-2030 for an amount of ₹343.00 lakhs

Note 41: Provision for Anticipated Losses and Expenditure

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Loss allowance for Trade Receivables	730.47	4,134.08
Expenses and contingencies	268.74	482.07
Total	999.21	4,616.15

Note 42: Exceptional items

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Prior period error	6,181.35	-
Total	6,181.35	-

The land and water area on which the International Ship Repair Facility (ISRF) project is taken on lease from Cochin Port Trust. The company has commenced development of the new ship repair facility with effect from 09th Jan 2018. The lease period of 30 years commences from date of Environmental Clearance. The Company has not considered capitalization of said cost amounting to ₹8288.21 lakhs from the commencement of project construction/development till 31 Mar 2023. As the amount is less than the materiality level arrived by the Company, the management rectified/corrected the prior periods error amounting to ₹6181.35 lakhs during the year, which was duly classified as 'Exceptional items'.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 43: Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	33,448.86	58,656.82
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	25.43	44.59
Face value per share (in ₹)	10.00	10.00

Note 44: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

Disclosures of Disaggregated revenue as per IND AS 115

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	1,42,418.66	1,79,266.04
Vessels other than IAC	31,830.44	67,606.85
Other operating revenue		
Ship Building Financial Assistance	1,193.43	3,486.17
Management fee	1,537.50	1,500.00
(ii) Sale of services		
Ship repairs	54,331.00	65,752.72
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time		
Other operating revenue		
Sale of Ship Building Scrap	1,017.42	774.42
Sale of Ship Repair Scrap	532.18	599.38
Total	2,32,860.64	3,18,985.58

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹1693669.58 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract). The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 19.63 % of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2023, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2023-24 and the remaining thereafter.

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

During the year ended March 31, 2023 the Company recognised revenue of ₹69313.75 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01, 2022

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Opening contracted price of orders	1502099.10	1495498.24
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	989029.34	117822.69
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	(0.21)	(74.03)
Increase due to exchange rate movements (net)	4858.33	720.76
Less:		0.00
Other deductions including variations, change orders etc.	2199.59	2479.72
Orders completed during the year	48471.29	109388.84
Closing contracted price of orders	2445315.69	1502099.10
Total Revenue recognised during the year:	71715.88	146428.73
Less: Revenue out of orders completed during the year	5185.59	14774.27
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	66530.29	131654.46
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	685115.82	616418.34
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)		
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	1693669.57	754026.30
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	2445315.68	1502099.10

Note 45: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2023 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹130.23 lakhs (Previous year ₹83.83 lakhs).

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2023 including outflow for short term and low value leases is ₹2548.22 lakhs (Previous year ₹2560.62 lakhs).

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2023 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Less than one year	2,805.26	2,638.68
One to five years	12,243.91	11,430.74
More than five years	1,15,109.96	1,16,909.71
Total	1,30,159.13	1,30,979.13

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2023 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Less than one year	35.78	200.78
One to five years	159.87	152.94
More than five years	204.41	247.12
Total	400.06	600.84

Movement of Lease Liabilities are as under:

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Opening Balance	42,055.55	40,930.94
Add: Additions	565.92	
Add: Interest recognised during the year	3,914.55	3,596.60
Less: Payment made	2,410.06	2,471.99
Closing Balance	44,125.96	42,055.55

Note 46: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the company's foreign currency forward contracts is generally a bank.

The company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 23:

Particulars	No. of contracts	Mar 31, 2023		No. of contracts	Mar 31, 2022	
		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
Euro	34	63630.13	(3892.22)	1	794.61	1.30
NOK	8	13431.68	(889.68)			
Total	42	77061.81	(4781.90)		794.61	1.30

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	0.97	90.60
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	(3579.37)	(89.63)
Total	(3578.40)	0.97

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 47: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	19,635.79	11,664.67	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets.
ii Bank Guarantees	80,096.23	39,139.27	Bank guarantees (including continuity guarantees) represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers and other beneficiaries. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on Balance sheet date is included in Note 48.
b Other money for which the company is contingently liable			
i Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii Customs duties	6,485.78	16,796.84	Customs duty for materials under Bond and indigenous vessels delivered. Includes an amount of ₹69.83 lakhs being Customs duty refund granted by CESTAT, Bangalore, against which an appeal was filed by the Department before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble High Court of Kerala has since disposed off the appeal with a direction to the Department to prefer the appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. In absence of any further information on the departmental appeal, the same has been retained as Contingent Liability. This also includes ₹5982.16 lakhs paid under protest.
iii Income Tax	2,236.53	2,069.97	Demand relating to Assessment Years:
			AY 2010-11 - ₹126.26 lakhs
			AY 2014-15 - ₹911.07 lakhs
			AY 2017-18 - ₹331.77 lakhs
			AY 2018-19 - ₹20.76 lakhs
			AY 2020-21 - ₹819.51 lakhs
			AY 2021-22 - ₹27.16 lakhs
			Detailed notes in Note no. 47.1 (I)
iv Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT.
	376.67	376.67	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner (Appeal). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner (Appeals). Also issued Show Cause Notice on CSL.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT.
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-18-17-18 dt 19.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	1,885.49	1,885.49	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-11-17-18 dt 07.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
Service Tax	513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	150.57	150.57	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner vide OIO No.48/2020-ST(JC) dt 31.12.2020 confirmed demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against OIO.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi. Appeal filed to CESTAT.
v Kerala Value Added Tax (KVAT)	787.32	0.00	Demand for FY 2015-16. Assessing office made additions to taxable turnover against the order of Joint Commissioner (Appeals) and raised demand.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
vi Alekton Engineering Industries Pvt Ltd	240.74	195.09	The petitioner (claimant) approached MSME Council for recovery of Liquidated damages (LD) along with interest in respect of LD deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods. MSME Council, Chennai has referred the case to Madras High Court Arbitration Centre for arbitration. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator. Claim petition filed by the petitioner. Examination of witness is in progress.
vii Employee State Insurance Corporation	54.66	54.66	ESI Corporation raised a demand notice for ₹62.28 lakhs towards contribution for advance trainees for the period Apr 2008- Mar 2012. Company has paid contribution of ₹26.46 lakhs for the period Jun 2010- Mar 2012 and ₹25.95 lakhs for the period Apr 2012- Jul 2013 belatedly. Later on, ESI Department has raised a demand notice of ₹19.84 lakhs towards interest on delayed payments and damages for the period Jun 2010- Jul 2013. The Company is contesting the demands made before Honourable Insurance Court, Alappuzha. In the meantime, the court has granted a stay by depositing ₹1 lakh.
viii M/s. Vigil Marine Services	1861.59	0.00	M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. Bank guarantee for the award amount along with interest from the date of receipt of the amount till the date of award (₹ 1305 lakhs) has been deposited as security to Hon'ble High Court and the same is included in Note 48.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
ix Building Tax	27.54	0.00	CSL has challenged demand notice B1/14569/2019 No 112/19-20 dated 10.8.2019 under S. 10 of the Kerala Building Tax Act 1975 demanding an amount of ₹27,54,000/- towards building tax for the building owned by CSL at Girinagar (METI) by filing WP No. 14999/2023 before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble Court vide its order dated 02 May 2023 has granted interim stay of the operation of the demand notice and orders passed by the State Government till 30 May 2023.
x Property Tax	68.24	0.00	CSL challenged arrear demand notices issued by Kochi Municipal corporation for the period from 2013-14 to 2022-23 towards revised property tax for 14 old buildings of CSL by filing W.P (C) No. 12758/2023 before the Hon'ble High Court Kerala. The Hon'ble High Court Kerala vide its order dated 10 April 2023 granted interim stay of demand notices until further orders.
xi Indemnity Bond to Customs Authorities	22054.15	15347.87	Bond under Customs (Imports of Goods at Concessional Rate of Duty) rules 2017.
xii Indemnity Bond to Govt of India	30415.00	30415.00	Represent Indemnity Bonds given by Company to GoI towards performance of obligations under the IAC contract. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on Balance sheet date is included in Note 48
xiii Paint contamination claims	863.83	0.00	Claims raised against the Company for paint contamination spots observed on cars - Ghamadia & 128 yard at Mumbai Port.
B COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	65,249.69	57,686.00	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for

47.1. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

The Income Tax Assessment of the company has been completed up to AY 2020-21.

Demands raised as per the assessment orders totaling ₹2,236.53 lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2014-15, 2018-19, 2017-18, 2020-21, and 2021-22 are shown under Contingent Liability pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to the disallowance of certain genuine claims. However, the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

48. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on reporting date is ₹690720.85 lakhs (Previous year ₹514684.76 lakhs)

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

49. Litigations :

The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

50. Corporate Social Responsibility (CSR) :

As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(₹ in lakhs)			
(a) Gross amount required to be spent by the Company during the period ended March 31, 2023			1645.62
(b) Amount spent during the year			1724.96
Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1408.75	-	1,408.75
(ii) On purposes other than (i) above	316.21	-	316.21
	1724.96	-	1724.96

In case of Sec.135(5) Excess amount spent

(₹ in lakhs)			
Amount carry forwarded from previous financial years	Amount spent during the year	Amount charged to P&L as CSR expenses	Amount carry forwarded to succeeding financial years
40.00	1724.96	1654.96	110.00

As on 31 March 2023, the Company spent ₹119.34 lakhs in excess of amount required to be spent as per Companies Act, 2013 out of which ₹9.34 lakhs is charged to Profit and Loss and ₹110 lakhs is carried forwarded to succeeding financial years.

Additional Disclosure on CSR	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)
(i) Amount required to be spent by the company during the year,	1645.62
(ii) Amount of expenditure incurred,	1724.96
(iii) Shortfall at the end of the year,	0.00
(iv) Total of previous years shortfall,	0.00
(v) Reason for shortfall	NA
(vi) Nature of CSR activities: As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee.	
(vii) details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	Nil
(viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.	Nil

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

51 . Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2022-23	2021-22
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V (Upto April 30, 2021) Director (Operations)	-	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan (From July 21, 2022) Director (Operations)	Key Managerial Personnel	-
Shri Jose V J Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sanjay Bandyopadhyaya (Upto July 28, 2022) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Vikram Singh (From July 28, 2022 to Nov 21, 2022) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	-
Shri Rajesh Kumar Sinha (From Nov 21, 2022) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	-
Shri K R Jyothilal (Upto Jan 02, 2023) Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Biju Prabhakar (From Jan 02, 2023) Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	-
Smt. Amrapali Prashant Salve (From Nov 26, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Nahar Singh Maheshwari (From Dec 01, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Ashok Sharma (From Nov 26, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Prithiviraj Harichandan (From Nov 22, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Venkatesan M (From Nov 22, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Abhijit Biswas (From Dec 01, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Hooghly Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Kolkata)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
Udupi Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Malpe)	Subsidiary Company	Subsidiary Company

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Short term benefit	295.73	267.62
Post employment Benefit	39.87	29.11
Total	335.60	296.73

Nature of transaction-Advances

(₹ in lakhs)					
Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2022	Loans/ advances Taken during 2022-23	Repayment	Balance as on 31/03/23	Interest accrued as on 31/03/23
SURESH BABU N V					
BEJOY BHASKER	0.12	0.25	0.30	0.08	0.00
JOSE V J	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00
SREEJITH K N	0.08	0.25	0.25	0.08	0.00
SYAMKAMAL N	0.12	0.50	0.50	0.12	0.00

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2021	Loans/ advances Taken during 2021-22	Repayment	Balance as on 31/03/22	Interest accrued as on 31/03/22
SURESH BABU N V	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
BEJOY BHASKER	0.08	0.40	0.35	0.13	0.00
JOSE V J	0.11	0.40	0.40	0.11	0.00
SYAMKAMAL N	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Amrapali Prashant Salve	2.65	0.90
Nahar Singh Maheshwari	2.25	0.70
Ashok Sharma	3.05	0.90
Prithviraj Harichandan	2.25	0.70
Venkatesan M	1.65	0.70
Abhijit Biswas	3.05	0.90
Total	14.90	4.80

Nature of transaction - Transaction with other related parties

As CSL is a Government company under the control of Ministry of Shipping, Ports and Waterways (MoPSW), the Company has availed exemption from detailed disclosures prepared under Ind AS 24 with respect to related party transactions with Government and Government related entities.

However, as required under Ind AS 24, following are the individually significant transactions:

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Transactions/balances with Government and Government related entities by the parent company

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Secondment to subsidiary - Udupi Cochin Shipyard Limited	73.97	0.00
Investment in NCDs issued by subsidiary - HCSL	7500.00	7500.00
Investment in NCDs issued by subsidiary - UCSL	1000.00	1000.00
Investment in Right Issue in subsidiary - HCSL	7400.00	2800.00
Investment in Right Issue in subsidiary - UCSL	2500.00	0.00
Investment in Cumulative Redeemable Preference Shares in subsidiary -HCSL	5600.00	5600.00
Loans to subsidiary UCSL	500.00	500.00
Amount payable to Government of India	234.19	234.19
Amount paid as dividend during the year to Govt. of India	17012.21	14855.74
Receiving of services from UCSL	1342.10	574.64
Sales of stock items (unfinished) to UCSL	0.00	14.67
Sales of stock items (unfinished) to HCSL	122.00	0.00
Interest on NCD issued by HCSL	482.43	395.68
Interest on NCD issued by UCSL	60.00	20.71
Interest on loan to UCSL	27.50	27.50
Advance paid to UCSL for sub contract works	0.00	442.23
Subcontract works by HCSL	1451.99	484.00
Receivable from UCSL for manpower services	23.17	35.24
Payable to UCSL	265.87	0.00
Dividend on preference shares issued by HCSL	300.48	286.00

CSL's ERP system, 'SAP S/4HANA' has been implemented both in UCSL & HCSL with the entire SAP implementation cost and licenses charges for the financial year 2022-23, aggregating to ₹77.88 lakhs, being borne by the Company on behalf of its subsidiaries, given that the Subsidiaries operations are in a nascent stage and the cash outgo would have a negative impact on their financial position. Since the costs have been borne by CSL, it is considered to be a related party transaction not at arm's length basis and Board approval has been granted under the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013.

In addition to the above, around 94.44 % (approx) of the companies turnover and 96.74% (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities.

Shares held by Nominee Directors in HCSL on behalf of CSL	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
	No of Shares	
MADHU S NAIR (First Director)	10	10
BEJOY BHASKER (Director)	10	10
JOSE V J (Director)	10	10
SREEJITH K NARAYANAN (Director)	10	0

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Shares held by Nominee Directors in UCSL on behalf of CSL	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
	No of Shares	
MADHU S NAIR (First Director)	10	10
BEJOY BHASKER (Director)	10	10
JOSE V J (Director)	10	10

52. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I Inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II Inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III Inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required).

Financial Assets/ Financial Liabilities	(₹ in lakhs)		Fair Value hierarchy
	Fair value as at As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	33,560.71	26,158.09	Level III
(ii) Loans	1,033.82	861.06	Level III
(iii) Others	90.67	99.12	Level III
Current			
(i) Trade Receivables	33,020.51	43,667.15	Level III
(ii) Cash & Cash equivalents	2,00,882.78	45,575.92	Level III
(iii) Bank Balances other than (ii)	2,66,297.74	2,70,706.76	Level III
(iv) Loans	99.50	68.56	Level III
(v) Others	3,396.47	1,465.40	Level III
Total Financial Assets	5,38,382.20	3,88,602.06	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	2302.20	12581.98	Level III
(ii) Lease liabilities	39227.30	38680.71	Level III
(iii) Other financial liabilities	261.22	261.22	Level III
Current			
(i) Borrowings	10,279.78	0.00	Level III
(ii) Trade Payables	20,807.05	16462.80	Level III
(iii) Lease liabilities	4898.68	3374.84	Level III

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Financial Assets/ Financial Liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022	
(iv) Other financial liabilities	14,412.88	15664.47	Level III
Total Financial Liabilities	92,189.11	87,026.03	

Note:

- The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose. The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost.

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value. The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)

	31st March 2023			31st March 2022		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
- Equity instruments		11.32	18,535.34		9.18	11,435.34
- Debt instruments			15,014.05			14,713.57
- Preference shares						
Investments (Current)						
- Mutual Funds						
Trade receivables			33,020.51			43,667.15
Cash & Cash equivalents			2,00,882.78			45,575.92
Bank Balances			2,66,297.74			2,70,706.76
Other Financial Assets			4,620.46			2,494.14
Total Financial Assets	0.00	11.32	5,38,370.88	0.00	9.18	3,88,592.87
Financial liabilities						

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

	31st March 2023			31st March 2022		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At Cost
Borrowings			12,581.98			12,581.98
Trade payables			20,807.05			16,462.80
Capital creditors						
Other financial liabilities			58,800.08			57,981.24
Total Financial Liabilities	0.00	0.00	92,189.11	0.00	0.00	87,026.03

53. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk and other price risk, being mainly commodity price risk. Financial Assets affected by market risk include loans and advances, deposits and derivative financial instruments.

A. Interest rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates is minimal since the exposure relates primarily to the Company's long-term debt obligations of redeemable non-convertible bonds with fixed interest rates as disclosed in Notes 22 and 27. With the current profile of fixed rate borrowing, the company is not sensitive to interest rate fluctuations.

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 46.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

The company's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

	(₹ in lakhs)				
Particulars	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Assets					
31st March 2023	1885.63	27625.64	0.00	1489.18	31000.45
31st March 2022	3003.87	5283.96	0.00	0.00	8287.84
Financial Liabilities					
31st March 2023	1447.86	11935.36	17.82	145.17	13546.21
31st March 2022	3251.89	8667.46	22.61	176.87	12118.84

The sensitivity of profit/loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

	(₹ in lakhs)	
	5% change in foreign currency rates	
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Receivables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
USD - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00

	(₹ in lakhs)	
	5% change in foreign currency rates	
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Payables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(72.39)	(162.59)
USD - Weakening of ₹ by 5%	72.39	162.59
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(596.77)	(433.37)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	596.77	433.37
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(0.89)	(1.13)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.89	1.13
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(7.26)	(8.84)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	7.26	8.84

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Profit Before Tax		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	72.39	162.59
USD - Weakening of ₹ by 5%	(72.39)	(162.59)
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	596.77	433.37
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(596.77)	(433.37)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.89	1.13
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(0.89)	(1.13)
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	7.26	8.84
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(7.26)	(8.84)

C. Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the company's exposure to commodity risk is minimal.

The following table details the Company's sensitivity to a 5% movement in the input price of steel. The sensitivity analysis includes only 5% change in commodity prices for quantity consumed during the year, with all other variables held constant.

(₹ in lakhs)

Commodity	Increase of 5 %		Decrease of 5 %	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Steel	182.07	88.94	(182.07)	(88.94)

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value.

The Company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long-term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below.

(₹ in lakhs)

Particulars	31st March 2023			31st March 2022		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Financial Assets						
Non-current investments	281.91	4400.00	28878.80	281.91	4400.00	21476.18

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	31st March 2023			31st March 2022		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Loans (Non Current)	250.90	781.63	1.29	125.50	733.00	2.56
Other Financial Assets		6.44	84.23		21.70	77.42
Trade Receivables	33020.51			43667.15		
Cash and Cash Equivalents	200882.78			45575.92		
Bank Balances other than cash and cash equivalents	266297.74			270706.76		
Loans	99.50			68.56		
Other Financial Assets	3396.47			1465.40		
Total Financial Assets	504229.81	5188.07	28964.32	361891.20	5154.70	21556.17
Financial Liabilities						
Borrowings	10279.78		2302.20		10279.78	2302.20
Lease Liabilities (Non Current)		44.20	39183.10		59.24	38621.47
Other financial liabilities			261.22			261.22
Lease Liabilities	4898.68			3374.84		
Trade payables	20807.05			16462.79		
Other financial liabilities	14412.88			15664.47		
Total Financial Liabilities	50398.39	44.20	41746.52	35502.11	10339.02	41184.88

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its exposure to other financial assets, including deposits with banks and financial institutions, derivative instruments, and other financial instruments. The company has adopted a policy of only dealing with counterparties that have sufficiently high credit rating in order to manage the credit risk. Trade receivables mainly comprise of government entities and the cash and cash equivalents and derivative instruments are maintained with banks and recognised financial institutions with high credit rating.

For trade receivables, as a practical expedient the company computes credit loss allowance based on a provision matrix which considers historically observed default rates over expected life of trade receivables, adjusted for forward looking estimates. The movement in expected credit loss allowance is disclosed in Note 14.

The Company's maximum exposure to the credit risk for the components of Balance Sheet as 31st March 2023 and 31st March 2022 is the carrying amounts mentioned in Note no 14 and as stated in Note 53, around 94.44%(approx) of company's turnover and 96.74% (approx.) of trade receivables and customer advance it with respect to Government and Govt. regulated entities. The maximum exposure relating to financial derivative instruments and financial guarantees is disclosed in Note 46 and Note 47 respectively.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

54. Disclosure pursuant to Ind AS 1 “Presentation of financial statements”:

a. Current assets expected to be recovered within twelve months and after twelve months from the reporting date

(₹ in lakhs)

Particulars	31st March 2023			31st March 2022		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Inventories	35,045.02	-	35,045.02	28,843.82	-	28,843.82
Trade receivables	33,020.51	-	33,020.51	43,667.15	-	43,667.15
Cash and cash equivalents	2,00,882.78	-	2,00,882.78	45,575.92	-	45,575.92
Bank balances	2,66,297.74	-	2,66,297.74	2,70,706.76	-	2,70,706.76
Loans	99.50	-	99.50	68.56	-	68.56
Other Financial assets	3,396.47	-	3,396.47	1,465.40	-	1,465.40
Current tax assets (net)	7,147.48	-	7,147.48	-	-	-
Other current assets	1,52,162.14	-	1,52,162.14	1,86,582.95	-	1,86,582.95

b. Current liabilities expected to be settled within twelve months and after twelve months from the reporting date:

(₹ in lakhs)

Particulars	31st March 2023			31st March 2022		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Borrowings	10,279.78	-	10,279.78	-	-	-
Lease Liabilities	4898.68	-	4,898.68	3374.84	-	3,374.84
Trade payables	20807.04	-	20,807.04	16462.79	-	16,462.79
Other financial liabilities	14,412.88	-	14,412.88	15,664.47	-	15,664.47
Other current liabilities	412822.00	-	4,12,822.00	256025.18	-	2,56,025.18
Provisions	39379.21	-	39,379.21	46751.86	-	46,751.86
Current tax liabilities (net)	0.00	-	-	2566.09	-	2,566.09

55. Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Segment Assets		
Ship building	405583.60	251516.16
Ship Repair	282191.99	287038.89
Unallocated	303128.91	293292.23
Total	990904.50	831847.28
Segment Liability		
Ship building	315680.43	155888.80
Ship Repair	48998.81	64318.72

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unallocated	183883.39	175721.79
Total	548562.63	395929.31
Segment Revenue		
Ship building	176645.19	251148.16
Ship Repair	56400.69	67852.09
Unallocated	20648.88	26641.68
Total	253694.76	345641.93
Segment Result		
Ship building	20777.90	57749.03
Ship Repair	9548.18	12041.89
Unallocated	14524.58	9648.14
Total	44850.66	79439.06

The Company has two major business segments – “Ship Building” and “Ship Repair”. Revenue under Ship building includes ₹155800.89 lakhs (Previous year: ₹204473.56 lakhs) from one customer (Previous year: one customer) having more than 10% revenue of the total revenue, and for Ship repair includes ₹193571.56 lakhs (Previous year: ₹40786.31 lakhs) from two customers (Previous year: two customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

56. Capital Management

The company’s objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Long term borrowings	2302.20	12581.98
Net Debt	12581.98	12581.98
Equity Share Capital	13154.04	13154.04
Other equity	429187.83	422763.93
Total Equity	442341.87	435917.97
Gearing Ratio	2.84%	2.89%

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2023 and March 31, 2022.

Ratios	Numerator	Denominator	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022	% change	Remarks if change is more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liabilities	1.39	1.69	(17.82%)	-
(b) Debt-Equity Ratio,	Total Debt	Shareholder's Equity	0.03	0.03	(5.19%)	-
(c) Debt Service Coverage Ratio,	*Earnings available for debt service	Debt Service	6.05	8.24	(26.63%)	Due to reduction in Earnings available for debt service
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.08	0.14	(46.08%)	Due to reduction in Net Profits after taxes
(e) Inventory turnover ratio,	Revenue from Operations	Average Inventory	7.30	8.76	(16.72%)	-
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	4.75	6.72	(29.32%)	Due to reduction in Net credit sales
(g) Trade payables turnover ratio,	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	6.25	6.68	(6.42%)	-
(h) Net capital turnover ratio,	Net Sales	Working Capital	1.19	1.36	(12.55%)	-
(i) Net profit ratio,	Net Profits	Net Sales	0.14	0.18	(21.94%)	-
(j) Return on Capital employed,	Earning before interest and taxes	Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.11	0.19	(44.08%)	Due to reduction in Earnings before interest and taxes
(k) Return on investment.-Equity	Return from Equity investments	Avg Equity investments	0.00	0.00	0.00	
(l) Return on investment.-Debt	Return from Debt investments	Avg Debt investments	0.06	0.06	(2.50%)	

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

*Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments

57. Consumption of imported goods/services for the year amounts to ₹74122.85 lakhs (₹92189.67 lakhs in previous year)

58. No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

59. The Company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. The company has been sanctioned aggregate Non –Fund based limits in excess of ₹5 Crores by the multiple banks, which are availed as and when required . It has also been sanctioned aggregate fund based limits in excess of ₹5 Crores by multiple banks which has not been availed by the company. The company is not required to file any quarterly returns or statements with the banks.

60. The company is not declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

61. The company has no transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

- 62.** The Company has entered agreement with Andaman & Nicobar Administration on a long term license basis for a period of 30 years from November 2019 onwards for developing, designing, constructing, modernising, operating, maintaining and managing the existing shiprepair facility which is named as CSL-AN Ship Repair Unit (CANSRU)
- 63.** There are no charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period
- 64.** No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- 65.** The company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence disclosures relating to it are not applicable.
- 66.** In the case of contracts/sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.
- 67.** The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- 68.** Figures in brackets denote negative figures.
- 69.** Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

Corporate overview and Significant Accounting Policies
Notes to the Standalone Financial Statements

1-2
3-69

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Anand & Ponnappan

Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

SYAMKAMAL N

Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER

Director (Technical)
DIN - 08103825

C. KRISHNAN MENON

Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi, dated May 19, 2023

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 19, 2023

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798



Consolidated Financial Statements



Independent Auditors' Report

To
The Members of **Cochin Shipyard Limited**
Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited (referred to as the "Holding Company") and its subsidiaries (Holding Company and its subsidiaries together referred as "Group") which comprises the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2023, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), Consolidated Statement of Cash Flows, and Consolidated Statement of changes in Equity for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information, in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2023, the consolidated Profit including other comprehensive income, consolidated changes in equity and its consolidated cashflows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We

believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters:

1. Capitalization of Cost for International Ship Repair Facility (ISRF):

Attention is drawn to Note No. 44 to the Consolidated Financial Statements, wherein, the cost directly attributable to construction/development of project is capitalized in the books with effect from commencement of project.

The land and water area on which the International Ship Repair Facility (ISRF) project is in progress, is taken on lease from Cochin Port Trust. The Holding company has commenced development of the new ship repair facility with effect from 09th Jan, 2018. The lease period of 30 years commences from date of Environmental Clearance. The Holding Company/ Group has not considered capitalization of said cost amounting to ₹8,288.21 lakhs from the commencement of project construction/development. As the amount is less than the materiality level arrived by the Holding company/Group, the management rectified/ corrected the prior periods error amounting to ₹6,181.35 lakhs during the year, which was classified as 'Exceptional items' in the Statement of Profit and Loss Account.

2. Non-Factoring of Liquidated Damages for 2 Nos 1200 Passenger Vessels:

Attention is drawn to Note No.34.5 to the Consolidated Financial Statements, on shipbuilding contract with Andaman & Nicobar Administration for construction of 2 Nos 1200 Passenger Vessels. The contractual delivery date (as extended) for SH.0023 is already expired and another vessel SH.0024 is nearing expiry. The Holding Company has provided for the liquidated damages for the delay upto 29th April, 2023 and 30th Oct, 2023 in respect of SH.0023 & SH.0024 respectively. Meanwhile, at the request of the A&N administration for reallocation of vessel to other prospective buyers, the delivery of ship has been abated, with minor progress. Since the Holding Company has a valid contract with Andaman & Nicobar Administration

for construction and delivery of 2 Nos 1200 Pax Vessels, the Holding company/Group has not recognized further liquidated damages in the financials beyond the dates mentioned above.

3. Land at Kulpi:

Attention is drawn to Foot Note to Note No. 3 to the Consolidated Financial Statements, wherein it is mentioned that the value of land at Kulpi (Kolkata-230 cents) belongs to M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly, known as Tebma Shipyards Limited) has not been recognized in the subsidiary's financial statements as well as in the consolidated financial statements, pending verification of geographical area and valuation.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters of the group described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Recognition Revenue- Ship Building and Ship Repair activities:

(Refer Note No.3.15(a),34 and 46 to the Consolidated Financial Statements)

There are significant accounting judgements involved in estimating contract revenue to be recognised on shipbuilding and ship repair contracts with customers, including determination of physical progress of completion as on the reporting date.

The physical progress of completion is ascertained as per the in-house procedures developed by the management of the Holding Company. The procedure and the assumptions therein, are based on certain judgements made by the management, on inputs from the technical departments of the Holding Company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date, also involves management estimation.

Significant judgements are involved in determining the expected losses, when such losses become probable

based on the expected total contract cost. Cost contingencies are included in these estimates to take into account specific risks of uncertainties or disputed claims against the Holding Company, arising within each contract. These contingencies are reviewed by the Management on a regular basis throughout the life of the contract and adjusted where appropriate. The revenue on contracts may also include variable consideration (variations and claims). Variable consideration is recognised when the recovery of such consideration is highly probable.

Due to the nature of the contracts, revenue recognition involves usage of percentage of completion method (ie., physical progress of completion) which is determined by survey of work performed, which involves technical expertise, significant judgments, identification of contractual obligations and the Holding Company's rights to receive payments for performance completed till date, changes in scope and consequential revised contract price and recognition of the liability for loss making contracts/onerous obligations.

As revenue recognition involves aforesaid significant judgements and estimations, we therefore determined this to be a key audit matter.

Our principal audit procedures included but were not limited to:

- We assessed the appropriateness of the Holding Company's revenue recognition policies, including those related to variable considerations, by comparing with applicable accounting standards;
- We tested the effectiveness of controls relating to the evaluation of performance obligations and identification of those that are distinct; estimation of costs to complete each of the performance obligations including the contingencies in respect thereof, as work progresses and the impact thereon as a consequence of change orders; the impact of change orders on the transaction price of the related contracts; and evaluation of the impact of variable consideration on the transaction price.
- We selected a sample of contracts with customers and performed the following procedures:
 - Obtained and read contract documents for each selection, change orders, and other documents that were part of the agreement/ arrangement.

- Identified significant terms and deliverables in the contract to assess management's conclusions regarding the (i) identification of distinct performance obligations; (ii) changes to costs to complete as work progresses and as a consequence of changed orders; (iii) the impact of changed orders on the transaction price; and (iv) the evaluation of the adjustment to the transaction price on account of variable consideration.
- Compared costs incurred with Holding Company's estimates of costs incurred to date to identify significant variations and evaluate whether those variations have been considered appropriately in estimating the remaining costs to complete the contract.
- Tested the estimate for consistency with the status of delivery of milestones and customer acceptance to identify possible delays in achieving milestones, which require changes in estimated costs or efforts to complete the remaining performance obligations.
- Performed analytical audit procedures for reasonableness of revenues disclosed by type and nature of service.
- Substantial reliance was placed on the technical and activity-based assessment made by the management in determination of percentage of physical progress completion.
- Assessed appropriateness of the relevant disclosures made by the Holding Company in accordance with IND AS 115.

We concluded that based on the procedures performed above, we did not find any material exceptions with regards to adoption of IND AS 115 and timing of revenue recognition.

2. Recognition and measurement of Ship Building Financial Assistance (SBFA)-Government Grant:

(Refer Note No.3.15(b),34 and 34.6 to the Consolidated Financial Statements)

Shipbuilding Financial Assistance is a monetary incentive granted by the government to the shipyards for construction of vessels/ eligible shipbuilding contracts, which is to be claimed, after the delivery of the vessels with in the time stipulated under the SBFA policy.

The Holding Company has a policy of recognising the assistance over the period of the time in proportionate to the expenses incurred.

During the current year ended March 31, 2023, the Holding Company has recognised income of ₹ 1193.43 lakhs (PY - ₹3,486.17 lakhs), which is essential for the eligible shipbuilding projects. The recognition and realisation of assistance income are based on the applicable rate, to the period for which approval is issued by Director General (Shipping).

Considering prominence of the assistance to industry, revenue and profit may undergo changes on account of in such judgements and estimates. We consider this to be area of significance.

Our principal audit procedures in relation to assistance income recognition include:

- We read the relevant notifications issued by the Govt. of India and discussed with the management, to understand the underlying matters and basis for management judgement and estimates including necessary changes made in estimates to address variations noted in past. Also ascertained the prevailing trade practice in the shipbuilding industry;
- We assessed the appropriateness of the Holding Company's policy on the recognition of the assistance income by comparing with applicable accounting standards;
- We have correlated the in principle approval made by the Holding Company for eligibility of the vessels coming under assistance policy and verified the claims made by the Holding Company on delivery of vessels and subsequent realisation.
- Further, we reviewed and tested the accuracy of the assistance recognised by the management in accordance with SBFA policy, in-principal approval, and expenses incurred;
- We have enquired from the Management and discussed with those charged with governance, the appropriateness in recognising the assistance income;
- We assessed the disclosures in the standalone financial statements in this regard;

Based on the above procedures performed, the recognition of shipbuilding assistance Income is in accordance with applicable financial reporting framework and relevant notifications issued by the

Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Govt. of India and fairly presented in the consolidated financial statements.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the Consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

As on the date of this report, the other information was not made available to us by the management. Accordingly, we are unable to comment on this matter.

Responsibility of Management for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Consolidated financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies;

making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that are operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies in the Group are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- a. Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors as in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other

matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

1. We did not audit the financial statements of two Subsidiary companies namely "M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited" & "M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited)", whose standalone financial statements reflects total assets of ₹48,165.56 lakhs (PY - ₹38,997.34 lakhs) as at March 31, 2023, total income of ₹6542.23 lakhs (PY- ₹1053.22 lakhs) and the net cashflows of ₹2,458.57 lakhs (PY- ₹ (1,374.35) lakhs) for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements.
2. M/s Udupi Cochin Shipyard Limited ('UCSL') (formerly known as Tebma Shipyards Limited), a wholly-owned subsidiary of the Company is the custodian of the two ships namely, Y123-MPSV and Y159-TUG which are excluded from resolution plan at the time of acquisition under CIRP vide NCLT order dated 04th March, 2020. Out of the two vessels, Y123 -MPSV has already been sold by the CoC and amount received by them during the financial year, which was classified as "Exceptional Items" in the Statement of Profit and Loss Account. As UCSL has title and custody of the said ships and has an obligation towards Financial Creditors/ Committee of Creditors (CoC) for remittance of entire sale proceeds made, which we are of the opinion that the said asset and liability to be incorporated in their standalone financial statements of said subsidiary company. Consequently, it is not considered in the consolidated financial statements.

These financial statements have been audited by other auditor whose report have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the subsidiary and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the

aforesaid subsidiary, is based solely on the reports of the other auditor.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on the "Other Legal and Regulatory Requirements" below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure-A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 (xxi) of the Order, to the extent applicable.
2. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of the report of the other auditors on the separate financial statements and other information of the subsidiaries referred to in the "Other Matters" section above, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books, returns and the reports of the other auditors.
 - c. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Statement of Cash Flows and the Consolidated Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.
 - d. In our opinion, the aforesaid Consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2016 as amended from time to time except revenue recognition of subsidiaries in the Group, whose accounting policies are different from those adopted in the consolidated financial statements for measuring the method of the progress and revenue recognition and

no appropriate adjustments are made to that subsidiaries financial statements in preparing the consolidated financial statements.

- e. The provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Holding Company and its Subsidiaries, being a Government Company/ies in terms of notification no. G.S.R.463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India;
- f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;
- g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended: The provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Holding Company and its Subsidiaries, being a Government Company/ies, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015;
- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group- Refer Note No. 49 to the Consolidated Financial Statements;
 - ii. The Group Provision has been made in the consolidated financial statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts;
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Group;

- iv. a. The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiaries respectively that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Holding Company or any of such subsidiaries or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Holding Company or any of such subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- b. The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiaries respectively that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Holding Company or any of such subsidiaries from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Holding Company or any of such subsidiaries shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- c. Based on the audit procedures, that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances, performed by us and those performed by the auditors of the subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act, nothing has come to our or other auditor's notice that has caused us or the other auditors to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) contain any material misstatement.
- v. In respect of the holding company, we report that the dividend declared/paid by the holding Company during the year is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.
- The subsidiaries have not declared or paid any dividends during the year.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN00111S

C. Krishnan Menon
Partner

Membership No :074736
UDIN: 23074736BGVWVC4442

Place: Kochi
Date: 19.05.2023

Annexure – A to Independent Auditors’ Report

Referred to in paragraph 1 under “Report on Other Legal and Regulatory Requirements” Section of our Report of even date.

As required by paragraph 3(xxi) of the CARO 2020, we report that the auditors of the following companies have given qualification or adverse remarks in their CARO report on the standalone financial statements of the respective companies included in the Consolidated Financial Statements of the Holding Company:

S.No	Name of the Company	CIN	Relation	Date of Auditor’s Report	Paragraph number in the respective CARO reports
1.	Cochin Shipyard Limited	L63032KL1972GOI002414	Holding Company	19th May,2023	Nil
2.	Hooghly Cochin Shipyard Limited	U35900WB2017GOI223197	Subsidiary	28th April,2023	Nil
3.	Udupi Cochin Shipyard Limited	U27209TN1984GOI010994	Subsidiary	28th April,2023	i(a)(A) & i(c)

For Anand and Ponnappan

Chartered Accountants
FRN00111S

C. Krishnan Menon

Partner
Membership No :074736
UDIN: 23074736BGVWVC4442

Place: Kochi
Date: 19.05.2023

Annexure – B to the Auditors' Report

Referred to in Paragraph 2(f) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report to the Members of the Company of even dated.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the Internal Financials Controls over Financial Reporting of Cochin Shipyard Limited (referred to as the "Company") and its subsidiary companies, which are incorporated in India for the year ended March 31, 2023, in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the company.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Company and its Subsidiaries are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's and its subsidiaries internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide us for our audit opinion on the company's and its subsidiaries internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

- a. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- b. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- c. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the company and its subsidiaries has in all material respects, maintains adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls

over financial reporting were operating effectively as at March 31,2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to the subsidiary companies incorporated in India is based on the corresponding reports of the auditors of the subsidiary companies incorporated in India.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For Anand and Ponnappan

Chartered Accountants
FRN00111S

C. Krishnan Menon

Partner
Membership No :074736
UDIN: 23074736BGVWVC4442

Place: Kochi
Date: 19.05.2023

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19.05.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Place: Chennai
Date: 04.08.2023

(S. Velliangiri)
Principal Director of Commercial Audit

Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2023

		(₹ in lakhs)	
Particulars	Note No.	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	94,329.82	96,514.17
(b) Capital work-in-progress	4	1,60,249.73	1,24,134.66
(c) Intangible assets	5	966.05	450.53
(d) Intangible assets under development	6	1,602.37	2,303.95
(e) Financial assets			
(i) Investments	7	11.32	9.18
(ii) Loans	8	520.60	347.84
(iii) Other Financial Assets	9	107.34	99.49
(f) Income tax assets (net)	10	3,007.47	3,439.92
(g) Deferred tax assets (net)	11	10,449.51	11,514.13
(h) Other non-current assets	12	17,184.46	18,463.81
Total Non-Current assets		2,88,428.67	2,57,277.68
Current assets			
(a) Inventories	13	37,299.71	29,836.03
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	14	33,841.50	43,702.07
(ii) Cash and cash equivalents	15	2,08,115.55	50,350.13
(iii) Bank balances other than (ii) above	16	2,67,686.22	2,70,916.71
(iv) Loans	17	99.50	68.56
(v) Other Financial assets	18	3,421.07	1,473.75
(c) Current tax assets (net)	10	7,147.48	-
(d) Other current assets	19	1,56,051.92	1,87,734.01
Total Current assets		7,13,662.95	5,84,081.26
Asset held for Sale	20	-	13.59
Total Assets		10,02,091.62	8,41,372.53
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity share capital	21	13,154.04	13,154.04
(b) Other equity	22	4,29,610.60	4,26,164.14
Total Equity		4,42,764.64	4,39,318.18
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	23	2,302.20	12,581.98
(ii) Lease Liabilities	24	40,446.48	39,363.70
(iii) Other financial liabilities	25	261.22	261.22
(b) Provisions	26	3,964.58	3,568.12
(c) Other non current liabilities	27	248.98	9.16
Total Non-Current Liabilities		47,223.46	55,784.18
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	28	10,984.78	-
(ii) Lease Liabilities	29	4,999.40	3,432.87
(ii) Trade payables	30		
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		5,716.84	1,074.47
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		15,931.10	15,790.49
(iii) Other financial liabilities	31	19,344.46	18,674.41
(b) Other current liabilities	32	4,15,106.90	2,56,129.42
(c) Provisions	33	40,020.04	48,602.42
(d) Current tax liabilities (net)	10	-	2,566.09
Total Current Liabilities		5,12,103.52	3,46,270.17
Total Equity and Liabilities		10,02,091.62	8,41,372.53
Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2		
Notes to the Consolidated Financial Statements	3 - 74		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Anand & Ponnappan

Chartered Accountants

(Firm Registration No.0001115)

C. KRISHNAN MENON

Partner

(Membership Number: 074736)

Kochi, dated May 19, 2023

SYAMKAMAL N

Company Secretary

Membership No. A25337

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer

DIN - 08444440

Kochi, dated May 19, 2023

BEJOY BHASKER

Director (Technical)

DIN - 08103825

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director

DIN - 07376798

Consolidated Statement of Profit & Loss

For the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
I Income			
Revenue from operations	34	236455.48	319094.70
Other income	35	20701.25	26281.60
Total Income		257156.73	345376.30
II Expenses:			
Cost of materials consumed	36	112188.86	161891.99
Changes in Inventories of Work-in-Progress	37	(143.74)	(352.31)
Sub contract and other direct expenses	38	43489.88	41080.97
Employee benefits expenses	39	33425.55	31107.18
Finance costs	40	3502.59	4711.37
Depreciation and amortisation expenses	41	6884.21	6801.95
Other expenses	42	21147.82	18649.66
Provision for anticipated losses and expenditure	43	999.21	4616.15
Total expenses		221494.38	268506.96
III Profit/ (Loss) before exceptional items and tax		35662.35	76869.34
Exceptional Items	44	6,181.35	(275.15)
Profit/ (Loss) before Tax		41,843.70	76,594.19
IV Tax expense:			
(1) Current tax	10	10308.17	19687.24
(2) Deferred tax	10	1064.62	510.81
V Profit for the year		30470.91	56396.14
VI Other comprehensive income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		(4781.91)	(119.78)
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		1203.51	30.15
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(132.28)	(23.00)
ii) Changes in fair value of FVTOCI equity instruments		2.14	0.00
iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		33.59	5.98
Other comprehensive income for the year		(3674.95)	(106.65)
VII Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		26795.96	56289.49
VIII Earnings per equity share of ₹ 10 each :	45		
(1) Basic (₹)		23.16	42.87
(2) Diluted (₹)		23.16	42.87
Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2		
Notes to the Consolidated Financial Statements	3 - 74		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Anand & Ponnappan

Chartered Accountants

(Firm Registration No.000111S)

SYAMKAMAL N

Company Secretary

Membership No. A25337

BEJOY BHASKER

Director (Technical)

DIN - 08103825

C. KRISHNAN MENON

Partner

(Membership Number: 074736)

Kochi, dated May 19, 2023

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer

DIN - 08444440

Kochi, dated May 19, 2023

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director

DIN - 07376798

Consolidated Statement of Cash Flows

For the year ended March 31, 2023

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	41,843.70	76,594.19
Adjustments for :		
Exceptional items	(6,181.35)	275.15
Depreciation and amortisation expense	7,434.90	6,966.41
Diminution in value of Loose tools	133.33	-
Finance cost	3,502.59	4,711.37
Interest income	(12,365.83)	(7,222.31)
Loss on sale/write off of property, plant and equipment	4.92	1.02
Profit on sale of Fixed assets	(6.11)	-
Deferred Govt. Assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	-	(178.41)
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	109.01	(173.26)
Operating cash flow before working capital changes	34,474.02	80,973.03
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(7,463.68)	12,642.95
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	19,509.44	13,268.46
Increase / (decrease) in trade and other payables	1,53,740.79	48,003.93
	2,00,260.57	1,54,888.37
Income tax paid net of refunds	(11,355.34)	(15,064.04)
Net cash flows from operating activities (A)	1,88,905.23	1,39,824.33
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(4,503.12)	(17,451.60)
(Increase) / decrease in Intangible assets under development	701.58	-
(Increase) / decrease in capital work In progress	(29,933.72)	(8,853.43)
(Increase) / decrease in Other Bank balances	3,230.49	(85,144.42)
(Increase) / decrease in Capital advance	16,455.40	3,596.61
Sale proceeds from PPE	83.80	3.78
Interest received	10,433.62	7,145.82
Net cash flows from investing activities (B)	(3,531.95)	(1,00,703.23)

Consolidated Statement of Cash Flows

For the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
C. Cash flow from financing activities		
(Borrowings)/ Repayment of loans	(203.70)	(67.60)
Net gain/(loss) on foreign currency transactions	(219.05)	143.43
Repayment of lease liability	(2,655.34)	(2,527.50)
Dividend paid	(23,348.40)	(20,388.76)
Finance cost	(1,181.37)	(1,051.55)
Net cash flows from financing activities (C)	(27,607.86)	(23,891.98)
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	1,57,765.42	15,229.12
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	50,350.13	35,121.04
Cash and cash equivalent at the end of the Year	2,08,115.55	50,350.13
*Cash and Cash Equivalents include earmarked funds of ₹169785 lakhs as on March 31, 2023		
Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2	
Notes to the Consolidated Financial Statements	3 - 74	

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Anand & Ponnappan

Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

SYAMKAMAL N

Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER

Director (Technical)
DIN - 08103825

C. KRISHNAN MENON

Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi, dated May 19, 2023

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 19, 2023

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Consolidated Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2023

A. Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2023
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

Balance as at April 01, 2021	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2022
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13154.04

► CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Consolidated Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2023

B. Other Equity

Particulars	Reserves and Surplus					Other Comprehensive Income	Total	
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debt Redemption Reserve	Attributable to the Parent Company	Attributable to NCI
Balance as at April 01, 2022	7024.25	93152.08	6322.75	305641.87	12353.76	1668.44	426164.12	0.00
Changes in accounting policy or prior period errors								
Restated balance at the beginning of the reporting period	7024.25	93152.08	6322.75	305641.87	12353.76	1668.44	426164.12	0.00
Profit for the year				30470.91			30470.91	
Other comprehensive income for the year				(96.56)			(3675.93)	
Total comprehensive income for the year				30374.35	0.00	0.00	26794.98	
Dividends								
Transfer to retained earnings				(23348.38)			(23348.38)	
Amortisation of premium		(0.12)					(0.12)	
Balance as at March 31, 2023	7024.25	93151.96	6322.75	312667.84	12353.76	1668.44	429610.60	0.00

(₹ in lakhs)

Refer Note 22 for further details

Consolidated Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2022

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income		Total	
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debt Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	Attributable to the Parent Company	Attributable to NCI	Other equity
	(₹ in lakhs)									
Balance as at April 01, 2021	6951.80	93152.20	6322.75	269651.51	12353.76	1668.44	90.60	390191.06	0.00	390191.08
Changes in accounting policy or prior period errors										0.00
Restated balance at the beginning of the reporting period	6951.80	93152.20	6322.75	269651.51	12353.76	1668.44	90.60	390191.06	0.00	390191.08
Profit for the year				56396.14				56396.14		56396.14
Other comprehensive income for the year				(17.02)			(89.63)	(106.65)		(106.65)
Total comprehensive income for the year				56379.12	0.00	0.00	(89.63)	56289.49		56289.49
Dividends				(20388.76)				(20388.76)		(20388.76)
Transfer to retained earnings										0.00
Land accounted at fair value	72.45							72.45		72.45
Amortisation of premium		(0.12)						(0.12)		(0.12)
Balance as at March 31, 2022	7024.25	93152.08	6322.75	305641.87	12353.76	1668.44	0.98	426164.13	0.00	426164.14

Refer Note 22 for further details

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Anand & Ponnappan
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

C. KRISHNAN MENON

Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi, dated May 19, 2023

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 19, 2023

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Cochin Shipyard Limited (referred to as “CSL” or “Holding Company” or “the Group”) is mainly engaged in the construction of vessels and repairs and refits of all types of vessels including upgradation of ships periodical layup repairs and life extension of ships.

The Holding Company is a public limited Company incorporated and domiciled in India. The address of its corporate office is Perumanoor, Kochi, Kerala. As at March 31, 2023, the Government of India holds 72.86% of the Group’s equity share capital. The Group’s equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax free bonds are listed for trading on BSE.

The consolidated financial statements relate to Cochin Shipyard Limited (Holding Company) and its Subsidiaries, Hooghly Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as HCSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as UCSL) (Formerly Tebma Shipyards Ltd).

The Holding Company and its Subsidiary are together referred to as “Group”.

The consolidated financial statements for the year ended March 31, 2023 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on May 19, 2023.

Details of Subsidiary Groups	Share holding
Hooghly Cochin Shipyard Ltd. (hereinafter referred to as HCSL) incorporated on October 23, 2017 is proposed to be mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.	100%
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Ltd), acquired on September 15, 2020 through NCLT process, is proposed to be mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.	100%

2. Basis of preparation of Consolidated Financial Statements

2.1 Statement of compliance

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred

to as “Ind AS”) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 “Statement of Cash Flows”. The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued Accounting Standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use. Accounting policies at 3.1,3.6,3.9,3.14,3.15,3.24,3.25 have been modified/reworded which do/do not have any impact on the financial statements but to bring in more clarity to the users of the financial statements.

2.2. Functional and Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Group’s presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

2.3. Basis of Measurement

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

- i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Group's normal operating cycle;
- ii. the asset is intended for sale or consumption;
- iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;
- iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;
- v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;
- vi. in the case of a liability, the Group does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the Group has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

- (i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of delivery of the vessel.
- (ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.3.1 Basis of consolidation

The financial statements comprise the financial statements of the CSL and its subsidiaries as at March 31, 2023.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the Financial Statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Financial Statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. If a member of the group uses accounting policies other than those adopted in the Financial Statements for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to that group member's financial statements in preparing the Consolidated Financial Statements to ensure conformity with the group's accounting policies.

The Financial Statements of all entities used for the purpose of consolidation are drawn up to same reporting date as that of the Holding Company, i.e., year ended on March 31. Following consolidation procedure is followed:

- a) Combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the Holding Company with those of its subsidiaries. For this purpose, income and expenses of the subsidiary are based on the amounts of the assets and liabilities recognized in the consolidated financial statements at the acquisition date.
- b) Offset (eliminate) the carrying amount of the Holding Company's investment in each subsidiary and the Holding Company's portion of equity of each subsidiary.
- c) Eliminate in full intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group (profits or losses resulting from intragroup transactions that are recognized in assets, such as inventory and fixed assets, are eliminated in full). Intragroup losses may indicate an impairment that requires recognition in the consolidated financial statements. Ind AS 12 Income Taxes applies to temporary differences that arise from the elimination of profits and losses resulting from intragroup transactions.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the Holding Company of the Group and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

2.3.2 Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interests in the acquiree. Acquisition related transaction costs are recognised as expense in the statement of profit and loss as and when incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their acquisition

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

date fair values. For this purpose, the liabilities assumed include contingent liabilities representing present obligation and they are measured at their acquisition fair values irrespective of the fact that outflow of resources embodying economic benefits is not probable. However, the following assets and liabilities acquired in a business combination are measured at the basis indicated below:

* Deferred tax assets or liabilities, and the assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with Ind AS 12 Income Tax and Ind AS 19 Employee Benefits respectively.

* Assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations are measured in accordance with that standard.

Aggregate amount of consideration transferred (Purchase consideration) in excess of the Group's interest in the acquiree's net fair value of identifiable assets and liabilities is recognised as Goodwill. Excess of the Group's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets and liabilities over the purchase consideration is recognised in the Capital Reserve.

Non-Controlling Interest

Non-controlling interest represent the proportion of income, other comprehensive income and net assets in subsidiaries that is not attributable to the Group's shareholders. Non-controlling interest is initially measured at the proportionate share of the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of the interest at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and other comprehensive income are attributed to the owners of the Holding Company and to the non-controlling interests, shown separately in the financial statements.

2.4 Use of estimates and judgements

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the consolidated financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and

associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known/materialize.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.

2.5 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the consolidated financial statements have been disclosed below:

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Group reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Group evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Group uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined.

For leases denominated in Group's functional currency, the Group considers the incremental borrowing rate to be the interest rate on borrowings from banks available to the Group.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Group. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Litigations

From time to time, the Group is subject to legal proceedings and the ultimate outcome of each being always subject to many uncertainties inherent in litigation. A provision for litigation is made when it is considered probable that a payment will be made and the amount of the loss can be reasonably estimated. Significant judgment is made when evaluating, among other factors, the probability of unfavourable outcome and the liability to make a reasonable estimate of the amount of potential loss. Provision for litigations are reviewed at the end of each accounting period and revisions made for the changes in facts and circumstances.

Fair value measurements

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions.

The Group categorizes assets and liabilities measured at fair value into one of three levels depending on the ability to observe inputs employed in their measurement which are described as follows:

- (a) Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- (b) Level 2 inputs are inputs that are observable, either directly or indirectly, other than quoted prices included within level 1 for the asset or liability.
- (c) Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability reflecting significant modifications to observable related market data or Group's assumptions about pricing by market participants.

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management

bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Group are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Group exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

3. Significant Accounting Policies

3.1 Property , Plant and Equipment (PPE)

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Spare Parts are capitalized when they meet the definition of PPE, i.e., when the Group intends to use these for a period exceeding 12 months, which have value of more than ₹5 lakhs (limited needs to be decided by the Management) which can be used only in connection with an item of property, plant and equipment and whose use is expected to be irregular are capitalised and depreciated over the useful life of the spares or principal item of the relevant assets, whichever is lower.

The initial estimate of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which PPE is located, the obligation for which is incurred when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during the period, is capitalized as a component of PPE.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

The Group had applied for the one-time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS. Hence regarded thereafter as historical cost. However in case of UCSL, fair value has been adopted as deemed cost on the transition date to IndAS.

3.2 Capital work in progress

Capital work in progress are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as

intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The Group had applied for the one-time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS. Hence regarded thereafter as historical cost.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Computer software/ license is under development or is not yet ready for use, accumulated cost incurred on such items are accounted as "Intangible Assets Under Development".

3.4 Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Group has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Group has the right to direct the use of the asset.

The Group's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings.

As a Lessee:

At the date of commencement of the lease, the Group recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Group recognises the lease payments as an operating expense on a straight-line basis or another systematic basis over the term of the lease.

Right of Use Assets

The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the RoU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and ROU assets is also suitably adjusted.

As a lessor:

Leases for which the Group is a lessor is classified as a finance or operating lease.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

3.5 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation. Investment properties are measured

initially at cost including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation on Investment property, wherever applicable, is provided on straight line basis as per useful lives prescribed in Part C of Schedule II to Companies Act 2013.

Investment properties are de-recognised either on disposal or on permanent withdrawal from use. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit and Loss.

3.6 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

* For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts.

* Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

* Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and upto the date of such deletions.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all category of assets.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Part C of Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act.

Based on the technical evaluation of the management, for few categories of plant and machinery, the useful life is determined on double shift basis.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II to Companies Act, 2013.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in financial Statements at residual value.

Capital Work in Progress included under Property, Plant and equipment are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

3.7 Impairment of Assets -Non Financial Assets

The Group assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less cost of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, available quoted market prices for public traded companies or other available fair value indicators.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations, which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated. To estimate cash flow projections beyond periods covered by the most recent budgets/forecasts, the Group extrapolates cash flow projections in the budget using a steady or declining growth rate for subsequent years, unless an increasing rate can be justified.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognized impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

3.8 Non-current assets held for sale

The Group classifies a non-current asset as held for sale if carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to sell and presented separately in the financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation.

Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss.

3.9 Inventories

Raw materials and components are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However, Raw materials, components and other supplies held for use in the production /services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Stores and spares are valued at weighted average cost method. Goods in transit are valued at cost .

Work In Progress (WIP) other than construction contracts have been valued at lower of cost and net realisable value.

Finished goods are valued at cost or net realisable value which ever is lower.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

3.10 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

- * Financial assets at amortised cost;
- * Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);
- * Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Group had made an irrevocable election to present the subsequent changes in the fair value in other comprehensive income. The Group makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition/transition and is irrevocable.

There is no recycling/reclassification of the amounts from OCI to the Statement of Profit and Loss, even on sale/disposal of the said equity investments.

Investment in preference shares/debentures of the subsidiaries are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortised cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

- (1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and
- (2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortisation is included in other income in the Statement of Profit and Loss.

Impairment of Financial Assets

In accordance with Ind AS 109, the Group applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

- a) Financial Assets that are Debt Instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance.
- b) Financial guarantee contracts which are not subsequently measured as at FVTPL.
- c) Lease Receivables under Ind AS 116.

Simplified Approach

The Group follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on Trade Receivables.

Trade Receivables

The Group classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Group assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Group recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the Group uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

The provision matrix is based on its historically observed default rates over the expected life of the trade receivables and is adjusted for forward-looking estimates. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and

changes in the forward-looking estimates are analysed. On that basis, the Group estimates provision on trade receivables at the reporting date.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

General Approach

For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Group determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-months ECL is used to provide for impairment loss. However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognizing impairment loss allowance based on 12-months ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-months ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized in the Statement of Profit and Loss. The Balance Sheet presentation for various financial instruments is described below:

- * Financial Assets measured as at amortised cost: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the Balance Sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Group does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.
- * Financial Guarantee contracts: ECL is presented as a provision in the Balance Sheet, i.e. as a liability.
- * Debt instruments measured at FVTOCI: Since financial assets are already reflected at fair value, impairment allowance is not further reduced from its value. Rather, ECL amount is presented as 'accumulated impairment amount' in the OCI.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

3.11 Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortised cost, as appropriate.

All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortised cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Group's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

- * Financial liabilities at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);
- * Financial liabilities at amortised cost;
- * Financial Guarantee Contracts;

Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

Financial Liabilities at amortised cost

Financial Liabilities that are not held-for-trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortised cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at

amortised cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

Financial Guarantee Contracts

Financial guarantee contracts issued by the Group are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make the payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognized initially as a liability at fair value, adjusted for transaction cost that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount initially recognized less cumulative income recognized in accordance with principles of Ind AS 115.

De-recognition of Financial Instruments

A financial asset is de-recognised when:

- * The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- * the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

A financial liability or a part of financial liability is de-recognised from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Derivative instruments and hedge accounting:

The Group uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. The accounting for subsequent changes in fair value of derivatives depends on the designation or non-designation of derivative as hedging instruments. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Derivative that are designated as Hedge Instrument

The Group undertakes foreign exchange forward contracts for hedging foreign currency risks. The Group generally designates the whole forward contract as hedging instrument.

These hedging instruments are governed by the Group's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors.

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which the Group wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes the Group's risk management objective and strategy for undertaking hedge, the hedging/ economic relationship, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged, hedge ratio and how the entity will assess the effectiveness of changes in the hedging instrument's fair value in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that the hedge is actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which it was designated.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the Other Comprehensive Income ("OCI") and accumulated under the heading Cash Flow Hedge Reserve within Equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss and included in the Other Income or Other Expenses as Gain on Derivatives or Loss on Derivatives respectively.

Amounts previously recognized in OCI and accumulated in equity relating to effective portion are reclassified to Statement of Profit and Loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line item as the recognized hedged item or treated as basis adjustment if a hedged forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting.

Contract Assets

Where the Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Group presents the contract as a contract asset. A contract asset is Group's right to consideration in exchange for goods or services that the Group has transferred to a customer, when that right is conditioned on something other than the passage of time. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

Contract Liabilities

Where the Group receives consideration, or the Group has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Group transfers a good or service to the customer, the Group presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Group's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

3.12 Foreign Currency Transactions

Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Group.

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

foreign currencies (such as cash, receivables, payables etc.) at the year-end end of reporting period are re-measured at the exchange rate prevailing on that the balance sheet date. Non-monetary foreign currency items are carried at cost. Non-monetary items denominated in foreign currency, (such as PPE, intangible assets, equity investments, capital/ revenue advances other than expected to be settled in cash etc.) are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Any gains or losses income or expense on account of exchange differences either at the time of translation or settlement on settlement or on restatement is are recognised in the statement of Profit and Loss.

3.13 Cash and cash equivalents

The Group considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

3.14 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Group. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Group treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although

there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Group does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Group does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Group does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3.15 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the Company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In case of subsidiaries, revenue is recognised on the basis of the entity's efforts or inputs to the satisfaction of a performance obligation (i.e. resources consumed, labour hours expended, costs incurred, time elapsed or machine hours used) relative to the total expected inputs to the satisfaction of that performance obligation.

Recognition of Revenue for a performance obligation satisfied over time, is made only if the Group can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation.

Based on the technical assessment considering the latest available information to the Group, measuring the progress towards complete satisfaction of a performance obligation in the method adopted will be revised/updated on an ongoing basis.

During the initial stages of a contract, where the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation and the Group expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, revenue will be recognised only to the extent of the costs incurred until such time

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue from fixed price portion is recognized as explained above. The revenue by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers. The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as income.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the Group satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer. Management fee is also recognised over a period of time.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Group estimates the net amount of consideration to which the Group is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

b) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Group will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received. Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Group recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Ship Building Financial Assistance (SBFA) is recognised over a period of time in proportion to the expenses / cost incurred and classified under "other operating revenue".

c) Other income

i) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

ii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Group.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statments on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Group.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance Group.

iii) Interest income

Interest income is recognized using the effective interest rate (EIR). Interest income is included in "Other Income" in the Statement of Profit and Loss and is accounted on an accrual basis on time proportion to the certainty of receipt.

iv) Others

Dividend income is recognized when the Group's right to receive payment has been established.

Charter hire charges income is accounted on time period basis.

3.16 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences , which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined Contribution plans

In respect of Holding Company ,defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees are made to CSL Superannuation Pension Trust for Executives and Supervisors and CSL Workmen Pension Trust and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Holding Company makes contributions to the Cochin Shipyard Employees Mutual Public Welfare Trust and Employees Medical Assistance Trusts, which are charged as expense ,as and when they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

In respect of subsidiaries ,contributions to Providend Fund are made to the Regional Providend Fund Commisioner and are charged to the Profit and Loss account. The compnies have no further obligations for future Providend Fund benefits other than its monthly contributions.

Defined benefit plans

Gratuity

The Group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Provident Fund and Pension Scheme

The Group also makes contribution towards provident fund. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Group's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, then the deficiency shall be made good by the Group. The deficiency, if any assessed by the Group based on actuarial valuation will be provided for in the accounts.

Other employee benefits

Compensated absences

The Group has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

3.17 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. Capitalization of borrowing costs is suspended when active development activity on the qualifying assets is interrupted other than on temporary basis and charged to the Statement of Profit and Loss during such extended periods. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

3.18 Corporate Social Responsibility

The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Group decides to carry forward any amount in excess of the minimum

required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 and classified under "Other Current Assets" in the financial statements.

3.19 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Group, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented.

3.20 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered. Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled. Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

3.21 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Group by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Group did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

3.22 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Group's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Group has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the

segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Group as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

3.23 Consolidated Statement of cash flows

Statement of Cash Flows are reported prepared and presented using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financial activities of the Group are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

3.24 Dividend to equity shareholders

Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting. In the case of interim dividends, recognition is done in the period in which the same is recommended and approved by Board of the Group.

3.25 Recognition of Excluded Financial Assets

Pursuant to resolution plan and NCLT Order dated 4th March 2020, the following assets/matters of Erstwhile Tebmashipyards mentioned below are identified as excluded financial asset based on information provided by the COC or Resolution Professional.

- 1) VAT refund;
- 2) Insurance claim for damages to Tug lodged with an insurance company;
- 3) Insurance claim for theft and burglary with an insurance company;
- 4) Trade receivables from Indian Navy; and
- 5) 50% (fifty percent) of the amount of subsidy claim (i.e., Shipbuilding Finance Assistance/subsidy) from Government of India.

These items will be accounted on realization basis.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

3.26 Exceptional Items

An item of income or expense which by its size, type or incidence requires disclosure in order to improve an understanding of the performance of the Group is treated as an exceptional item and disclosed as such in the financial statements.

3.27 Recent pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 31, 2023, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023, as below.

Ind AS 1 - Presentation of Financial Statements - This amendment requires the entities to disclose their material accounting policies rather than their significant accounting policies. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Group will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors:- This amendment has introduced a definition of 'accounting estimates' and included amendments to Ind AS 8 to help entities distinguish changes in accounting policies from change in accounting estimates. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Group will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Ind AS 12 - Income Taxes :- This amendment has narrowed the scope of the initial recognition of exemptions so that it does not apply to transactions that give rise to equal and offsetting temporary differences. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Group will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Note 3 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation		Net Carrying amount	
	As at 1st April 2022	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2023	As at 1st April 2022	For the year (withdrawal)	As at 31st Mar 2023	As at 31st March 2022
(₹ in lakhs)								
a) Owned Assets								
Land (Freehold)	3,267.86	-	-	3,267.86	-	-	3,267.86	3,267.86
Buildings and Roads	19,498.19	505.42	-	20,003.61	3,958.44	1,026.23	15,018.94	15,539.75
Plant and equipment	28,746.70	1,895.98	223.01	30,419.67	12,251.44	2,640.15	15,715.62	16,495.26
Furniture and fixtures	1,529.05	248.40	-	1,777.45	726.59	137.86	913.00	802.46
Vehicles	675.02	2.94	0.09	677.87	370.03	60.23	247.64	304.99
Office equipment	565.19	92.11	-	657.30	295.89	72.57	288.84	269.30
Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Processing Equipments	2,446.19	338.43	11.08	2,773.54	1,385.95	340.67	1,053.48	1,060.24
Docks and quays	4,466.45	12.43	-	4,478.88	2,141.37	299.82	2,037.69	2,325.08
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	2,661.18	189.52	3.81	2,846.89	1,103.18	152.46	1,252.52	1,558.00
Drainage and water supply	6.67	16.88	-	23.55	-	0.98	22.57	6.67
Vessels	19.74	2.14	-	21.88	8.44	1.36	12.08	11.30
Sub Total	63,883.34	3,304.25	237.99	66,949.60	22,241.33	4,732.33	26,776.41	41,642.01
b) Assets on leased premises								
Buildings	13,328.34	186.40	-	13,514.74	1,676.38	402.54	11,435.82	11,651.96
Plant and equipment	871.87	65.86	-	937.73	154.15	55.12	728.46	717.72
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	1.27	1.27
Electrical installation	501.32	35.03	-	536.35	212.46	48.83	275.06	288.86
Slip way	1,117.99	-	-	1,117.99	681.05	169.69	267.25	436.94
Sub Total	15,829.14	287.29	-	16,116.43	2,732.39	676.18	12,707.86	13,096.75
Total (a)+(b)	79,712.48	3,591.54	237.99	83,066.03	24,973.72	5,408.51	30,184.98	54,738.76
c) Right Of Use Assets								
Right of Use - Land	39,874.95	1,331.96	95.90	41,111.01	4,142.95	1,390.64	35,647.46	35,732.00
Right of Use - Buildings	173.07	-	-	173.07	100.20	18.14	54.73	72.87
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	1,583.67	210.32	5,206.01	5,416.33
Leased Land at Nazirgunge (5.31 Acres)-Right to use	118.94	-	-	118.94	6.18	1.94	110.82	112.76
Leased Land at Nazirgunge (10.45 Acres)-Right to use	234.07	-	-	234.07	10.91	3.86	219.30	223.16
Leased Land at Salkia (9.91 Acres)-Right to use	221.99	-	-	221.99	7.85	3.69	210.45	214.14
Right to use - land (Malbe)	16.68	-	16.68	-	12.53	1.73	-	4.15
Sub Total	47,639.70	1,331.96	112.58	48,859.08	5,864.29	1,630.32	41,448.77	41,775.41
Total(a+b+c)	1,27,352.18	4,923.50	350.57	1,31,925.11	30,838.01	7,038.84	94,329.82	96,514.17

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation		Net Carrying amount	
	As at 1st April 2021	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2022	As at 1st April 2021	For the year (withdrawal)	As at 31st Mar 2022	As at 31st March 2021
(₹ in lakhs)								
a) Owned Assets								
Land (Freehold)	3,195.41	72.45		3,267.86	-		3,267.86	3,195.41
Buildings and Roads	18,666.28	840.01	8.10	19,498.19	3,189.25	777.20	15,539.75	15,477.03
Plant and equipment	24,737.37	4,780.63	771.30	28,746.70	10,011.90	2,575.57	16,495.26	14,725.47
Furniture and fixtures	1,402.83	136.53	10.31	1,529.05	608.72	125.12	802.46	794.11
Vehicles	620.07	54.95		675.02	312.81	57.22	304.99	307.26
Office equipment	495.10	89.99	19.90	565.19	237.18	69.28	269.30	257.92
Others				-			-	-
Data Processing Equipments	1,845.10	627.78	26.69	2,446.19	1,087.94	314.89	1,060.24	757.16
Docks and quays	4,466.45			4,466.45	1,841.96	299.41	2,325.08	2,624.49
Railway sidings	1.10			1.10	-		1.10	1.10
Electrical installation	1,831.03	830.68	0.53	2,661.18	982.17	121.01	1,558.00	848.86
Drainage and water supply	6.67			6.67	-		6.67	6.67
Vessels	19.74			19.74	7.08	1.36	11.30	12.66
Sub Total	57,287.15	7,433.02	836.83	63,883.34	18,279.01	4,341.06	41,642.01	39,008.14
b) Assets on leased premises								
Buildings	4,023.75	9,325.35	20.76	13,328.34	1,291.08	391.17	11,651.96	2,732.67
Plant and equipment	654.65	217.22		871.87	109.37	44.78	717.72	545.28
Docks and quays	9.62			9.62	8.35		1.27	1.27
Electrical installation	400.26	101.06		501.32	169.64	42.82	288.86	230.62
Slip way	1,108.00	9.99		1,117.99	453.40	227.65	436.94	654.60
Sub Total	6,196.28	9,653.62	20.76	15,829.14	2,031.84	706.42	13,096.75	4,164.44
c) Right Of Use Assets								
Right of Use - Land	39,874.95			39,874.95	2,752.12	1,390.83	35,732.00	37,122.83
Right of Use - Buildings	173.07			173.07	70.65	29.55	100.20	102.42
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00			7,000.00	1,373.33	210.34	5,416.33	5,626.67
Leased Land at Nazirgunge (5.31 Acres)-Right to use	118.94			118.94	4.20	1.98	112.76	114.74
Leased Land at Nazirgunge (10.45 Acres)-Right to use	234.07			234.07	6.94	3.97	223.16	227.13
Leased Land at Salkia (9.91 Acres)-Right to use	221.99			221.99	4.09	3.76	214.14	217.90
Right to use -land (Malpe)	16.68			16.68	7.72	4.81	4.15	8.96
Sub Total	47,639.70	-	-	47,639.70	4,219.05	1,645.24	41,775.41	43,420.65
Total(a+b+c)	1,11,123.13	17,086.64	857.59	1,27,352.18	24,529.90	6,692.72	96,514.17	86,593.23

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Cochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

Freehold land includes landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala provided as security for issue of Tax free bonds.

The company has bearer plants in its premises and other sites which generates nominal income. Cost of such bearer plants cannot be reliably measured and hence these plants were not capitalized.

Title deeds of all immovable properties are held in the name of the Company. In the case of following properties where the Company is the lessee, lease agreements are duly executed in favour of the lessee with the following exceptions:

- * CSL has taken 8.12 Ha of land and 15 HA of water body on lease from COPT on 12 April 2013. A lease agreement was entered with COPT in this connection however the same has not yet been registered .
- * CSL has also taken 8.134 HA of additional land area on lease from COPT on 16 Nov 2017 - Lease deed is yet to be executed and registered.

The company has executed concessionaire agreements with the Mumbai Port Trust and Kolkata port Trust to Upgrade, Operate and Manage Ship Repair facility at Hughes Dry Dock and specified berths at Indira Dock of MbPT and two dry docks and Berth No.6 of Netaji Subash Dock of KoPT respectively.

The project site at MbPT is taken on license for 29 years. The license agreement is yet to be registered, as a request submitted for waiver of the stamp duty to the Government of Maharashtra is under consideration.

The project site at Syama Prasad Mukherjee Port is taken on license for 30 years . As license agreement does not attract stamp duty and registration charges in West Bengal , Concession Agreement with KoPT has not been registered .

The Right to use of land and ship repair facility represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

UCSL and Karnataka Maritime Board have signed the Lease Agreement for the Leasehold land at Malpe & Hangarkatta on 23.12.2022, for a period of 30 years w.e.f 04.3.2020, i.e; the date of NCLT order approving the take over of M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile M/s TEBMA Shipyards Ltd) by M/s Cochin Shipyard Ltd. Modification to lease agreement has necessitated the reassessment of ROU assets and lease liabilities as per IND AS 116 and also the extension of useful life of assets located on lease hold land. Towards this, company made a total payment of ₹ 325.50 lakhs to Karnataka Maritime board (KMB) during FY 2022-23 which consists of payment towards security deposit, lease dues, penalty and interests to the KMB against the dues. Resulting changes has been incorporated in FY 2022-23 figures.

The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) have not been recognized in accounts due to pending verification of geographical area & valuation of the same.

Land belonging to the M/s Udupi Cochin Shipyard Limited continue to be in the name of erstwhile "Tebma Shipyards Ltd" and/or "Tebma Engineering Pvt Ltd" in the land records. Company has already initiated action to change the title deed in the name of "Udupi Cochin Shipyard Limited.

Assets which cannot be detached and transported for alternate use ("Non Removable Assets") constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets.

The Right to use of land at Malpe represents the upfront fee paid to Port Officer Kundapura towards using Malpe leasehold land, which is amortised over the lease period.

M/s Udupi Cochin Shipyard Limited had elected to consider the fair value of the assets as on the transition date as the deemed cost of assets at the time of transition.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 4 : Capital work -in -progress

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2023	As at Mar 31,2022
Plant and machinery, Buildings and Civil works	1,34,792.90	1,10,446.61
Add: Expenditure during construction	9,570.95	1,006.79
Capital yard items	15,354.87	11,431.96
Goods in Transit	7.30	-
Project Management fees and miscellaneous capital expenditure	523.71	1,249.30
Total	1,60,249.73	1,24,134.66

Expenditure during construction

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2023	As at Mar 31,2022
Opening Balance	1,006.79	757.66
Add:Expenses during the year		
Salaries	275.95	249.13
Depreciation under Ind AS116	513.64	-
Finance cost under Ind AS116	1,593.22	-
Exceptional items	6,181.35	-
Closing Balance	9,570.95	1,006.79

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	41,592.43	17,749.39	42,957.11	57,950.80	1,60,249.73
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	22,282.25	43,813.12	32,739.19	25,300.10	1,24,134.66
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Overdue CWIP as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
International Ship Repair Facility	-	70,447.15	-	-
Dry Dock	84,852.92	-	-	-
CKSRU Caisson Gate	694.78	-	-	-
Integrated security system	354.17	-	-	-
CMSRU Caisson gate	1,359.38	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
International Ship Repair Facility	-	56,136.01	-	-
Dry Dock	65,082.67	-	-	-
IT Security and Monitoring system	167.67	-	-	-
Dock Monitoring system	32.17	-	-	-
CMSRU Caisson gate	565.90	-	-	-

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 5 : Intangible assets

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation		Net Carrying amount		
	As at 1st April 2022	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2023	For the year 2022	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2023	As at 31st March 2022
Internally generated weld procedure	27.67			27.67			27.67	-
Computer software	2,002.61	897.78		2,900.39	394.93		1,947.19	450.35
Tally Software	0.53	13.83		14.36	1.16		1.51	0.18
	2,030.81	911.61	-	2,942.42	396.09	-	1,976.37	450.53

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation		Net Carrying amount		
	As at 1st April 2021	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2022	For the year 2021	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2022	As at 31st March 2021
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	-	-	27.67	-
Computer software	1,565.16	437.45	-	2,002.61	109.04	-	1,552.26	121.94
Tally Software	0.53			0.53	0.17		0.35	0.35
	1,593.36	437.45	-	2,030.81	109.21	-	1,580.28	122.29

(₹ in lakhs)

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 6 : Intangible assets under development

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Plant and machinery, Buildings and Civil works	1,602.37	2,303.95
Total	1,602.37	2,303.95

Intangible assets under development Ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	39.07	28.46	136.15	1,398.69
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Intangible assets under development Ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	769.12	136.15	1,398.68	0.00
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Overdue Intangible assets under development as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
3D Experience Ship building software	1541.73		-	-
REPOSITORY - CANSRU	60.64			

Overdue Intangible assets under development as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
3D Experience Ship building software	1625.24	-	-	-
IT Security and Monitoring system	650.25	-	-	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 7 : Investments-Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	Face value per unit	Number of units as on Mar 31, 2023	Number of units as on Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Investment in equity instruments					
a) At Fair Value Through Other Comprehensive Income					
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares of ₹ 100 each	100	2,175	2,175	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited - 70000 equity shares of face value of ₹10 each	10	70,000	70,000	9.14	7.00
Cochin Waste 2 Energy Private Limited -100000 equity shares of ₹10 each	10	1,00,000	1,00,000		
Total				11.32	9.18
Aggregate value of unquoted investment				11.32	9.18
Aggregate value of quoted investments and market value thereof				-	-
Aggregate value of unquoted investment				11.32	9.18
Aggregate amount of impairment in value of investments				-	-

Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste to Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil. Similarly, increase in value of investment in Kerala Enviro Infrastructure Limited is noticed and accordingly investment is fair valued.

The Company's Investment in Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited are non-participative shares and normally does not carry any voting rights. Hence, the company has carried this investment at its transaction value considering to be its fair value

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 8: Loans - Non Current

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured, considered good:		
(a) Other Loans		
Loan to employees		
Loans to related parties	0.00	0.00
Other employees	520.60	347.84
Total	520.60	347.84

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 9: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Security deposits	100.90	77.79
Accrued Lease Rental Asset	6.44	21.70
Total	107.34	99.49

Note 10: Income tax assets / liability (net)

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	3,007.47	3,439.92
Provision for tax		
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	7,147.48	(2,566.09)

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Current tax:		
Current income tax charge	11,597.42	20,431.12
Adjustment in respect of prior years	(1,289.25)	(743.88)
Total (A)	10,308.17	19,687.24
Deferred tax:		
In respect of current year	1,064.62	510.81
Total (B)	1,064.62	510.81
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	11,372.79	20,198.05

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Profit before tax	41,843.70	76,594.19
Income tax expense calculated at respective applicable rates	11,288.02	19,993.22
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	3,528.04	5,542.57
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(4,879.90)	(5,388.12)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	416.52	407.59
Others	1,244.74	(124.14)
	11,597.42	20,431.12
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(1,289.25)	(743.88)
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	1,064.62	510.81
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	11,372.79	20,198.05

Note 11: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Deferred tax liabilities	(3,099.13)	(3,174.38)
Deferred tax assets	13,548.64	14,688.51
Total	10,449.51	11,514.13

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2022-23

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(7,601.16)	2,015.66		(5,585.50)
Property, plant and equipment	3,188.56	(437.79)		2,750.77
Intangible assets	(18.27)	50.94		32.67
Carry forward losses	(4,690.60)	(230.20)		(4,920.80)
Others	(2,392.66)	(333.99)		(2,726.65)
Total	(11,514.13)	1,064.62	-	(10,449.51)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2021-22

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(9,318.48)	1,717.32	-	(7,601.16)
Property, plant and equipment	3,509.71	(321.15)	-	3,188.56
Intangible assets	(17.86)	(0.41)	-	(18.27)
Carry forward losses	(4,492.42)	(198.18)	-	(4,690.60)
Others	(1,705.89)	(686.77)	-	(2,392.66)
Total	(12,024.94)	510.81	-	(11,514.13)

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 12: Other non-current assets

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured, considered good		
Capital advances	15,971.40	17,291.05
Advances other than capital advances:		
Security deposits	266.38	247.38
Advance lease rentals	36.43	37.09
Deposits with Customs department	261.22	261.22
Loose tools	649.03	627.07
Total	17,184.46	18,463.81

Deposit with Customs Department of ₹ 261.22 lakhs pertains to a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) to cover a liability in respect of customs duty which is also shown as Payable to Chennai Port Trust under Note No. 25- Other Financial Liabilities- Non Current

Note 13 : Inventories

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Raw Materials and components	33,839.75	28,298.10
Work in Progress	496.05	352.31
Goods-in transit	1,557.05	533.53
	35,892.85	29,183.94
Stores & Spares	1,296.27	619.37
Goods-in transit	110.59	32.72
	1,406.86	652.09
Total	37,299.71	29,836.03

During current year ,Stores and spares are valued at weighted average cost method and Goods in transit at cost as against 'weighted average cost method or net realisable value whichever is lower' for stores and 'lower of cost and net realisable value' for Goods in transit which was followed in previous years.

Maintenance spares included in the inventory represent spares of general nature and are not related to a particular asset.

Note 14 : Trade Receivables

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	33,841.50	43,702.07
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	11,030.93	10,439.67
Less: Allowance for Expected credit loss	(11,030.93)	(10,439.67)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Less: Allowance for Expected credit loss	-	-
Total	33,841.50	43,702.07

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Trade receivables include receivable accrued but not due (unbilled trade receivables) ₹ 2102.59 lakhs (previous year ₹ 4661.29 lakhs)

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Particulars	Accrued but not due (Unbilled trade receivables)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	2102.59	13777.34	12567.14	3707.94	1686.49	0.00	33841.50
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	189.72	292.00	1360.33	1842.05
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) Disputed Trade Receivables – considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	98.04	121.95	8968.89	9188.88
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,102.59	13,777.34	12,567.14	3,995.70	2,100.44	10,329.23	44,872.43
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2023							11,030.93
Trade receivable as on 31.03.2023							33,841.50

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Particulars	Accrued but not due (Unbilled trade receivables)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	4,661.29	28,335.63	6,015.39	4,294.08	401.54	-	43,707.93
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk		-	-	226.00	70.28	1,117.23	1,413.51
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired		-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered good		-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk		-	-	63.65	15.55	8,941.10	9,020.30
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired		-	-	-	-	-	-
	4,661.29	28,335.63	6,015.39	4,583.73	487.37	10,058.33	54,141.74
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2022							10,439.67
Trade receivable as on 31.03.2022							43,702.07

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Opening balance	10,439.67	10,215.58
Add: Additions during the year	613.97	2,984.36
Less: Reversals/withdrawals during the year	22.71	2,760.27
Closing Balance	11,030.93	10,439.67

Note 15 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Balance with Banks		
In current account	1,78,007.79	12,397.71
In current account out of IPO Proceeds	-	-
Term deposits with original maturity of less than three months	30,107.76	37,952.42
Total	2,08,115.55	50,350.13

Balance in current account includes ₹169785 lakhs received from Indian Navy for the construction of Next Generation Missile Vessels

Note 16 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	47,534.90	15,200.00
Lien Marked Term deposits with original maturity of more than three months*	36,786.69	59,797.71
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months**	56,971.78	33,541.95
In current account on behalf of Indian Navy	72,602.94	91,155.67
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	53,691.71	71,161.67
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	98.20	59.71
Total	2,67,686.22	2,70,916.71

*Lien Marked Term deposits represents deposits in which lien is marked in favour of Union Bank of India, State Bank of India & IDBI for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company and ₹ 11.84 lakhs represents lien marked deposit in favour of Executive Engineer(M) Maritime Board, Gujarat towards submission of quotation for fabrication of patrolling boats.

**Deposits with banks with original maturity of more than 3 months, include ₹ 101.92 lakhs (previous year ₹ 97.45 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.Term Deposit with original maturity more than 3 months and less than 12 months includes term deposit of ₹ 0.89 lakhs with ICICI Bank for which deposit receipt is not available as it was placed by erstwhile M/s Tebma Shipyards Ltd.

Funds parked by Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier are held in a separate account.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 17 : Loans - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured, considered good		
Employee advances		
Loans to related parties	-	-
Other employees	99.50	68.56
Total	99.50	68.56

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 18 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Interest accrued on fixed deposits	3,335.93	1,433.22
Interest accrued on Other deposits	0.94	-
Interest accrued on employee advances		
Related parties		
Other employees	68.73	39.23
Foreign Exchange Derivatives Assets	15.47	1.30
Total	3,421.07	1,473.75

Note 19 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party	0.39	0.36
Other advances	63,822.35	39,366.72
Advances considered doubtful	1,030.17	1,030.17
	64,852.91	40,397.25
Less: Provision for doubtful advances	1,030.17	1,030.17
	63,822.74	39,367.08
Others		
Contract Assets for IAC works	30,065.10	-
Contract Assets for other works	21,881.25	35,028.44
Obsolete stock	352.37	288.60
Less: Provision for obsolescence	(352.37)	(288.60)
Balance with Sales Tax department and CBEC	709.69	571.51
Miscellaneous deposits	62.04	85.12
Prepaid expenditure	1,089.09	651.12
Other receivables	31.95	54.32
Input Tax Credit on GST	34,783.32	1,09,553.19
Medical Insurance Premium	1,876.91	1,778.70
Miscellaneous current assets	1,729.84	644.53
Total	1,56,051.92	1,87,734.01

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 20 : Assets held for sale

Particulars	(₹ in lakhs)	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Asset held for Sale	-	13.59
Total	-	13.59

During Previous year , on physical verification of the assets of the company undertaken by management during Q4 2021-22, it was found that various assets of the company aggregating to ₹468.10 lakhs were in a dilapidated condition or has become obsolete due to shutdown of the operations of the yard and passage of time. As these assets are beyond economic repairs and occupying considerable space, it was proposed to dispose off these assets at the earliest, which was considered appropriate for optimum utilization of the available Yard space to ensure smooth business operations. These class of assets subject to disposal has been regrouped as Assets held for sale and has been retained in books at its net realizable value less cost to disposal. The difference between the WDV and the NRV of the assets has been charged to P&L as exceptional items. During the FY 22-23, these assets held for sale has been disposed for the sale consideration of ₹9.36 lakhs and loss on sale of assets amounting to ₹ 4.23 lakhs recognised in the profit and loss account

Note 21 : Equity Share Capital

Particulars	As at Mar 31, 2023		As at Mar 31, 2022	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹10/- each	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹10 each fully paid up	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Total	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

21.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at Mar 31, 2023		As at Mar 31, 2022	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Add : shares issued during the year	0	0.00	0	0.00
Less : Shares bought back during the year	0	0.00	0	0.00
Equity Shares outstanding at the end of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

21.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at Mar 31, 2023		As at Mar 31, 2022	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	95843464	72.86	95843464	72.86

21.3 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter Name	Number of Shares held	% of holding	% Change during the year
The President of India	95843464	72.86	Nil

Note 22 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Capital Reserves	7,024.25	7,024.25
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,151.96	93,152.08
Debenture Redemption Reserve	1,668.44	1,668.44
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	(3,578.40)	0.97
Retained Earnings	3,12,667.84	3,05,641.89
Total	4,29,610.60	4,26,164.14

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve includes ₹ 263.56 lakhs being restoration charges received from M/s Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land. It also includes gain on acquisition of subsidiaries.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹12353.76 includes ₹11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹10 each at premium (₹93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

Debenture Redemption Reserve: The Company was hitherto creating Debenture Redemption Reserve at 25% of the value of bonds issued by the company over the maturity period of such debentures in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and as per SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the company is not required to create Debenture Redemption Reserves in respect of the bonds issued by it. However, the Debenture Redemption Reserve already created up to 30.09.2019, ₹1668.44 lakhs, shall be retained in the books till the time of redemption of the bonds.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

General Reserve: General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Company created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory.

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 48)

Interim dividend: During the year, the Company paid interim dividends of ₹7 per equity share of face value of ₹10 and ₹7 per equity share of face value of ₹10, as recommended at the board meetings held on Nov 10, 2022 and Feb 10, 2023 respectively.

Proposed dividend: The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹3.00 per equity share of face value of ₹10 for the financial year ended March 31, 2023 at the Board meeting held on May 19, 2023. This is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting.

Note 23 : Borrowings

		(₹ in lakhs)
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	2,302.20	12,581.98
Total	2,302.20	12,581.98

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

- a) **Tranche 1:** 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023.
- b) **Tranche 2:** 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029.

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation: Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 24: Lease Liabilities-Non current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Lease Liabilities under Ind AS 116	40,446.48	39,363.70
Total	40,446.48	39,363.70

Note 25: Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Payable to Chennai Port Trust	261.22	261.22
Total	261.22	261.22

Liability of ₹261.22 lakhs to Chennai Port Trust in respect of customs duty is covered by a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) which is also shown as deposits with Customs department under Note No. 12

Note 26: Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 39)	3,927.93	3,568.12
Provision for employee benefits - Gratuity	36.65	-
Total	3,964.58	3,568.12

Note 27: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Deferred Income arising from Government Assistance	248.98	9.16
Total	248.98	9.16

Note 28: Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	10,279.78	-
Loans repayable on demand from banks	705.00	-
Total	10,984.78	0.00

Referring to Note 23: Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023

Company has availed Cash Credit facility (Sanction limit of ₹3500 lakhs) from Union Bank of India at the interest rate of 9.4% / annum. Credit facility is secured by hypothecation of current assets including inventory and receivables of the Company. Terms of Repayment: Running account repayable on demand subject to annual review/ renewal.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 29: Lease liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Lease Liabilities under Ind AS 116	4,999.40	3,432.87
Total	4,999.40	3,432.87

Note 30 : Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	5,716.84	1,074.47
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	15,931.10	15,790.49
Total	21,647.94	16,864.96

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	5,716.84	1,074.47
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) MSME					
Not due	5716.84	0.00	0.00	0.00	5716.84
Due	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Not due	11725.20	0.54	0.00	0.00	11725.74
Due	4184.22	7.34	0.00	13.80	4205.36
(iii) Disputed dues – MSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) Disputed dues – Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,626.26	7.88	-	13.80	21,647.94

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) MSME					
Not due	1,074.47				1,074.47
Due					
(ii) Others					
Not due	12,907.18				12,907.18
Due	2,778.84	26.50	50.44	27.53	2,883.31
(iii) Disputed dues – MSME					
(iv) Disputed dues – Others					
Total	16,760.49	26.50	50.44	27.53	16,864.96

Note 31 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Dividend on preference shares	96.01	
Unpaid Dividend	93.22	59.71
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	4,797.38	-
Others		
Security and other deposits	2,147.84	8,144.28
Others Payables	12,210.01	10,470.42
Total	19,344.46	18,674.41

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 32 : Other Current Liabilities

		(₹ in lakhs)
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)	0.00	48,950.10
IAC Trade payables	17,573.11	20,748.20
Contract Liability for other works	3,87,207.41	1,77,104.52
Advances for ship building , ship repair and other contracts	8,312.12	4,405.16
Income received in advance	29.08	27.76
Statutory dues	1,984.04	4,892.54
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	4,15,106.90	2,56,129.42

IAC Trade Payables include ₹ 1,774.84 lakhs payable to MSME vendors which are not due as on 31 March 2023.

The company has incurred ₹ 37,377.15 lakhs till 31 March 2023 (₹ 34,808.21 lakhs till 31st March 2022) towards augmentation of infrastructure facility out of funds received from Indian Navy. The ownership of the assets created out of the said funds vests with Indian Navy.

Stock of raw materials and bought out components procured under “Cost Plus” part of the IAC contract amounting to ₹ 6966.24 lakhs (previous year ₹ 8977.28 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

“During the Financial Year 2022-23, the Company has handed over the Indigenous Aircraft Carrier (IACP-71) to Indian Navy in accordance with the contract for the construction of IAC P-71. The Company has raised Invoice for ₹ 1915000 lakhs on achievement of the delivery milestone of the contract. The balance scope of work will be completed subsequently within 2 years as per the construction contract.

CSL has recognised revenue to the extent of ₹ 1740844.14 lakhs as on 31.03.2023 against the IAC project P-71 and the balance revenue would be recognised as and when the performance obligations are achieved in accordance with the construction contract of IAC P-71. The details of revenue recognised so far on the project are as follows:

Particulars	(₹ in lakhs)
Revenue Recognised as on 31.03.2022	1598425.48
Revenue recognised during the year 2022-23	142418.66
Total revenue recognised on IAC P-71 as on 31.03.2023	1740844.14

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 33 : Provisions - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Provision for Employee benefits		
Gratuity	716.61	546.85
Compensated absences (Refer Note No 39)	275.69	419.76
Others	-	-
	992.30	966.61
Other Provisions		
For Taxes and duties	2,668.99	2,665.50
For Shipbuilding loss	5,465.00	7,573.00
For Expenditure / contingencies	30,893.75	37,397.31
	39,027.74	47,635.81
Total	40,020.04	48,602.42

33.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2022	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2023
Provision for employee benefits- Gratuity	546.85	449.55	279.79	-	716.61
Compensated absences	419.76	0.19	-	144.26	275.69
Provision for taxes and duties	2,665.50	3.49	-	-	2,668.99
Provision for shipbuilding loss	7,573.00	-	-	2,108.00	5,465.00
Provision for expenditure / contingencies	37,397.31	39,614.33	43,937.16	2,180.73	30,893.75

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2021	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2022
Provision for employee benefits- Gratuity	272.09	396.15		121.39	546.85
Compensated absences	515.45	435.21		530.90	419.76
Provision for taxes and duties	2,662.17	3.33			2,665.50
Provision for shipbuilding loss	11,658.00			4,085.00	7,573.00
Provision for expenditure / contingencies	38,218.57	37,300.94	34,375.35	3,746.85	37,397.31

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 34 : Revenue from operations

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	1,42,418.66	1,79,266.04
Vessels other than IAC	34,373.45	67,674.19
Engineering works	0.00	
	1,76,792.11	2,46,940.23
Sale of services		
Ship repairs	54,512.00	65,794.50
Engineering works	-	-
Income from services	576.35	-
	54,331.00	65,794.50
Other operating revenue		
Sale of stock items	63.23	
Ship Building Financial Assistance	1,424.67	3,486.17
Sale of scrap	1,549.62	1,373.80
Management fee	1,537.50	1,500.00
	4,575.02	6,359.97
Total	2,36,455.48	3,19,094.70

- Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date. Output method faithfully depicts the Company's performance towards complete satisfaction of the performance obligation and gives clear picture of Company's efforts and hence the same is being adopted to depict the performance completed to date.
- Refer Note No 46 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers "
- Out of the Revenue from Operations, ₹ 6905.65 lakhs (₹ 9503.19 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.
- The Company has considered the lock down period due to COVID 19 & Govt circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.
- With regard to the Shipbuilding contract with Andaman & Nicobar ('A&N') Administration for construction of 2 Nos 1200 Passenger Vessels, the contractual delivery dates (as extended) for SH.0023 is already expired and other vessel SH.0024 is nearing expiry. The Company has provided for LD for the delay upto 29 Apr 2023 and 30 Oct 2023 in respect of SH.0023 & SH.0024 respectively. At the request of the A&N administration for reallocation of the vessel for other prospective buyers, the delivery of ships has been abated, with minor progress. Since the Company has a valid contract with A&N Administration, the company has not recognized further liquidated damages in the financials beyond the dates mentioned above.
- Ship Building Financial Assistance ('SBFA') provided by Govt. of India is to compensate the cost incurred by the company in building the vessels and it is not for the losses already incurred. Prior to 2016, SBFA was named as "Shipbuilding Subsidy", with an intention to subsidize the cost/compensating the cost of construction of vessel. Subsequently the term has been reworded as "Ship Building Financial Assistance", without any change in the intention of the Government, modality, principles and procedure of the policy.

During FY 2022-23, SBFA is recognised over a period of time in proportion to the expenses / cost incurred as against 'recognition based on physical performance' which was followed in previous years. The impact of the same ₹ 85.21 lakhs is charged to P&L account.

- Cochin Shipyard Ltd (CSL) has entered into an Agreement with the Andaman and Nicobar Administration to commence its operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Management fee on pro rata basis is accounted based on this agreement. Under the ambit of this Agreement signed on 28 Nov 2019, CSL shall assist the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands. CSL shall also associate in Augmentation and Modernisation of the facility and also focus efforts towards Skill Development in the Islands in consultation with the Administration and Technical Institutions located in the Islands.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 35 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Training facilities	327.76	342.84
Income from sale of scrap and stores	1,345.61	743.38
Profit on sale of Property, Plant & Equipment	6.11	-
Income from laboratory services	17.58	24.11
Rental income	298.30	325.23
Hire charges	1.39	1.72
Interest on bank deposits	11,601.55	5,755.80
Interest from others	764.28	1,466.51
Dividend income from Preference shares	(0.00)	-
Dividend income from Society	0.54	-
Profit on sale of Mutual Funds	-	-
Net gain on foreign currency transactions	-	173.62
Net gain on derivative contracts	-	178.41
Provision no longer required	5,656.09	8,469.70
Proceeds from Bank Guarantee encashment - Performance guarantee/security deposits forfeited**	-	6,100.00
Unwinding of Discount on Security Deposit	-	-
Income from Charter hire	-	75.90
Miscellaneous income*	682.04	2,624.38
Total	20,701.25	26,281.60

*Miscellaneous income includes ₹1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

**During the year 2021-22, the company cancelled the contract for the turnkey work in setting up the international ship repair facility at Kochi due to the inability of the contractor to carry out the work as per terms of the contract. Consequently, the company encashed the bank guarantees received by it towards performance guarantee and security deposits, and forfeited the proceeds as per the terms of the contract, and has treated the same as income.

The Group is not accounting the Interest amount uploaded in Form 26 AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lein marked before NCLT order.

Pursuant to the order of Madras High Court dismissing appeal filed by VOC Port Trust against the arbitral award, an amount of ₹181.82 lakhs has been received by the company and same has been accounted as other income under the head "Provision no longer required / Liabilities written back" during the FY 2022-23.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 36 : Cost of Materials Consumed

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Raw Materials		
Steel	4,055.72	2,058.46
Pipe	1,178.60	831.45
Paint	2,011.92	1,775.94
Bought out components	1,04,942.62	1,57,226.14
Total	1,12,188.86	1,61,891.99

Note 37 : Changes in Inventories of Work-in-Progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	(352.31)	-
Less: at the end of the year	(496.05)	(352.31)
Total	(143.74)	(352.31)

Note 38: Sub Contract and Other Direct Expenses

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Sub contract and off loaded jobs	31,122.39	33,046.22
Hull insurance	335.99	620.67
Design Expenses	6,653.57	2,303.75
Other direct expenses	5,377.93	5,110.33
Total	43,489.88	41,080.97

Note 39: Employee Benefits Expenses

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	28,009.19	26,985.29
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	2,664.87	1,833.79
Gratuity	328.65	358.49
Staff welfare expenses	2,698.79	2,178.74
	33,701.50	31,356.31
Less: Expenditure during construction	(275.95)	(249.13)
Total	33,425.55	31,107.18

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹43.62 lakhs (previous year ₹20.46 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹17.96 lakhs (previous year ₹47.67 lakhs)

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

Post-employment obligations

Provident fund

Provident Fund for eligible employees is managed by the Company through a trust in line with the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. The plan guarantees interest at the rate notified by the Provident Fund Authorities. The contribution by the employees and employer @12% of basic salary (including Dearness Allowance) together with the interest accumulated thereon are payable to employees at the time of separation from the Company or retirement whichever is earlier. The benefits vests immediately on rendering of the services by the employee. The contribution is charged to Statement of Profit and Loss of the year when the contributions to the respective funds are due in accordance with relevant statute. Employer's contribution to Provident Fund & Family Pension fund is ₹2028.84 lakhs for the year 2022-23 (₹1353.43 lakhs for the year 2021-22). The minimum interest rate payable by the trust to the beneficiaries every year is notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust (including investment risk fall) and the notified interest rate, which is determined on the basis of actuarial valuation.

The Company has obtained report on the determination and disclosure of interest rate Guarantee, valuation of Assets & Liabilities as per Ind AS 19 of Employees Benefits relating to Exempt Provident Fund for the period ended 31st March 2023.

The details of fund obligations as per actuarial valuation are given below:

Particulars	(₹ in lakhs)	
	2022-23	2021-22
Fair value of plan assets	19430.22	18689.22
Present value of benefit obligation at year end	19995.86	18558.63
Net liability / (Net asset)	565.64	(130.59)
Additional provision	Nil	Nil

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Discount Rate (p.a)	7.23%	7.37%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	3.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%	0.70%
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	9.03	8.56

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Service Cost:		
Current Service Cost	227.99	214.03
Net Interest expense	267.00	229.1
Actuarial (Gain)/Loss recognised during the period	428.75	630.20
Expenses recognised in the statement of profit and loss	923.74	1073.33

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4198.71	3970.62
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	4,198.71	3,970.62

	(₹ in lakhs)	
Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Current Component of PVO	275.36	419.62
Non-Current Component of PVO	3923.34	3551.00
TOTAL PVO	4198.71	3970.62

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	3970.62	3676.83
Current & Past Service Cost	227.99	214.03
Current Interest Cost	267.00	229.10
Actuarial (Gain)/ Loss	428.75	630.20
Benefits paid	(695.65)	(779.54)
Defined Benefit Obligation at end of the year	4,198.71	3,970.62

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	695.65	779.54
Benefits paid	(695.65)	(779.54)
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	80.98	125.67
Year 2	191.37	273.81
Year 3	183.51	104.67
Year 4	153.66	159.02
Year 5	141.97	139.61
Next 5 Years	585.85	551.92

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	80.98	125.67
Year 2	191.37	273.81
Year 3	183.51	104.67
Year 4	153.66	159.02
Year 5	141.97	139.61
Next 5 Years	585.85	551.92

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
A. Discount Rate + 50 BP	7.73%	7.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,546.50	3,347.70
Current Service Cost	152.61	141.10
B. Discount Rate - 50 BP	6.73%	6.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,850.97	3,618.91
Current Service Cost	167.55	154.28
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,856.87	3,624.36
Current Service Cost	167.84	154.54
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,539.98	3,341.72
Current Service Cost	152.29	140.81

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
A. Discount Rate + 50 BP	7.73%	7.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,546.50	3,347.70
Current Service Cost	152.61	141.10
B. Discount Rate - 50 BP	6.73%	6.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,850.97	3,618.91
Current Service Cost	167.55	154.28
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,856.87	3,624.36
Current Service Cost	167.84	154.54
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,539.98	3,341.72
Current Service Cost	152.29	140.81

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Discount Rate (p.a)	7.23%	7.37%
Rate of increase in compensation levels	Officers & Supervisors 3% Workers 3%	3.00%
Attrition Rate	Officers & Supervisors 0.70% Workers 0.70%	0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.23%	7.37%
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	10.83	9.71

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
		(₹ in lakhs)
Service Cost:		
Current Service Cost	265.13	251.58
Past Service Cost		
Net Interest expense	290.20	(6.88)
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	555.33	244.69
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	202.52	246.93
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(751.54)	(113.10)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(549.02)	133.83

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
		(₹ in lakhs)
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4,319.66	4,313.35
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	3,818.15	4,033.56
Net Liabilities/(Assets) recognized in the Balance Sheet	501.50	279.79

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	4,313.35	4,664.16
Current Service Cost	265.13	251.58
Current Interest Cost	290.20	285.54
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	202.52	246.93
Benefits paid	(751.54)	(1,134.86)
Defined Benefit Obligation at end of the year	4,319.66	4,313.35

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:-

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,033.56	4,762.90
Expected Return on Plan Assets	279.89	292.42
Actuarial Gain/(Loss)	(23.55)	113.10
Contributions from the employer	279.79	-
Benefits paid	(751.54)	(1,134.86)
Fair Value of the Assets at the end of the year	3,818.14	4,033.55

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]-

Year	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]-

Year	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	160.58	349.40
Year 2	571.47	865.52
Year 3	437.68	291.48
Year 4	400.09	400.43
Year 5	322.41	386.67
Next 5 Years	1,167.06	1,172.15

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Sensitivity Analysis	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
A. Discount Rate + 50 BP	7.73%	7.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,111.97	4,127.61
Current Service Cost	276.46	247.97
B. Discount Rate - 50 BP	6.73%	6.87%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,544.50	4,514.29
Current Service Cost	316.81	283.98
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,519.69	4,494.68
Current Service Cost	308.18	279.16
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,127.12	4,141.13
Current Service Cos	280.70	250.01

BP denotes "Basis Points"

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)

	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Government of India Securities	31.68%	30.42%
State Government Securities	27.62%	31.51%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	23.62%	24.32%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.33%	0.31%
Others (to specify)	16.75%	13.44%
Total	100.00%	100.00%

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company..

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:

	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Discount Rate (p.a)-ISRF	7.30%	6.30%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	7.30%	5.40%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	0.00%	0.00%

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Service Cost:		
Current Service Cost	24.28	35.68
Past Service Cost	0.00	0
Net Interest expense	16.58	15.19
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	40.86	50.87
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(93.24)	(55.96)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(93.24)	(55.96)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	214.62	267.00
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	214.62	267.00

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	267.00	272.09
Current Service Cost	24.28	35.68
Current Interest Cost	16.58	15.19
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(93.24)	(55.96)
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	214.62	267.00

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

	(₹ in lakhs)	
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

“NA “ denoted “ Not Available”

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars Year	For the year ended Mar 31, 2022	
	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

NA “ denoted “ Not Available”

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars Year	For the year ended Mar 31, 2023	
	ISRF	CMSRU
Year 1	25.46	5.97
Year 2	32.56	3.88
Year 3	22.42	-
Year 4	27.83	2.91
Year 5	18.96	1.56
Next 5 Years	68.53	4.49

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars Year	For the year ended Mar 31, 2022	
	ISRF	CMSRU
Year 1	70.02	15.36
Year 2	23.72	1.09
Year 3	25.62	2.69
Year 4	18.79	0.00
Year 5	26.51	3.20
Next 5 Years	75.25	4.71

Sensitivity Analysis as on 31.03.2023

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	8.30%	8.30%
Defined Benefit Obligation [PVO]	187.92	18.27
Variation	(4.02%)	(2.94%)
B. Discount Rate - 100 BP	6.30%	6.30%
Defined Benefit Obligation [PVO]	204.35	19.42
Variation	4.37%	3.17%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	203.65	19.35
Variation	4.01%	2.78%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	188.44	18.33
Variation	(3.75%)	(2.62%)

BP denotes “Basis Points”

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Sensitivity Analysis as on 31.03.2022

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.30%	6.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	23.13	26.43
Variation	(3.60%)	(2.38%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.30%	4.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	24.93	27.76
Variation	3.92%	2.56%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	24.84	27.63
Variation	3.51%	2.10%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	23.20	26.53
Variation	(3.27%)	(1.98%)

BP denotes "Basis Points"

Employee Benefit Plans of UCSL (Subsidiary)

Defined Benefit Plan-Compensated Absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023
Discount Rate (p.a)	7.30%
Rate of increase in compensation levels	3.00%
Withdrawal rate	1.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023
Service Cost:	
Current Service Cost	3.67
Past Service Cost	1.03
Net Interest expense	-
Acturil (Gain) / Loss recognised during the period	-
Expenses recognised in the statement of profit or loss	4.70

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4.70
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	4.70

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Type of Employee Benefit

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023
Current component of PVO	0.11
Non Current component of PVO	4.59
Total PVO	4.70

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	-
Current Service Cost	3.67
Past Service Cost	1.03
Current Interest Cost	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-
Benefits paid	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	4.70

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-
Expected Return on Plan Assets	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-
Contributions from the employer	-
Benefits paid	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2023
Year 1	NA
Year 2	NA
Year 3	NA
Year 4	NA
Year 5	NA
6 Years and Above	NA

"NA " denoted " Not Available"

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2023
Year 1	-
Year 2	1.69
Year 3	-
Year 4	0.77
Year 5	-
6 Years and Above	2.24

Sensitivity Analysis

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023
A. Discount Rate + 100 BP	8.30%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4.31
Variation	(8.25%)
B. Discount Rate - 100 BP	6.30%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5.16
Variation	9.92%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5.16
Variation	9.74%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4.32
Variation	(8.19%)

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Discount Rate (p.a)	7.30%	6.20%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Expected Rate of Return on Asset	0.00%	0.00%

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Service Cost:		
Current Service Cost	11.85	8.06
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	0.50	-
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	12.35	8.06
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(0.62)	-
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(0.62)	-

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	19.79	8.06
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	19.79	8.06

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	8.06	-
Current Service Cost	11.85	8.06
Current Interest Cost	0.50	-
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(0.62)	-
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	19.79	8.06

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	-	-
Benefits paid	-	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows] :

(₹ in lakhs)		
Year	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
6 years and Above	NA	NA

“NA “ denoted “ Not Available”

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]:

(₹ in lakhs)		
Year	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Year 1	0.30	-
Year 2	2.82	-
Year 3	13.57	-
Year 4	1.49	1.11
Year 5	-	6.95
6 years and Above	1.61	-

Sensitivity Analysis

Particulars	For the year ended Mar 31,2023	For the year ended Mar 31,2022
A. Discount Rate + 100 BP	8.30%	7.20%
Defined Benefit Obligation [PVO]	19.70	7.73
Variation	(3.60%)	(4.09%)
B. Discount Rate - 100 BP	6.30%	5.20%
Defined Benefit Obligation [PVO]	20.58	8.40
Variation	4.05%	4.30%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	20.51	8.37
Variation	3.68%	3.89%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	19.13	7.75
Variation	(3.31%)	(3.78%)

BP denotes “Basis Points”

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Employee Benefit Plans of HCSL (Subsidiary)

Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences

Description of Plans

The Company has not taken any funded plan for gratuity of its employees. The present value of obligation is determined in accordance with the advice of independent, Professionally qualified actuaries using the projected unit credit method, which is recognised in each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The net Defined Benefit cost is recognised by the company in the Financial Statements.

Risk:

The Defined Benefit Plans expose the Company to interest rate risk, salary cost inflation risk and Demographic risk.

Interest Rate Risk: The present value of Defined Benefit Plans liability is determined using the discount rate based on the market yields prevailing at the end of reporting period on Government bonds. A decrease in yields will increase the fund liabilities and vice-versa.

Salary Cost Inflation Risk: The present value of the Defined Benefit Plan liability is calculated with reference to the future salaries of participants under the Plan. Increase in salary might lead to higher liabilities.

Demographic risk : This is the risk of variability of results due to unsystematic nature of decrements that include mortality, withdrawal, disability and retirement. The effect of these decrements on the defined benefit obligation is not straight forward and depends upon the combination of salary increase, discount rate and vesting criteria. It is important not to overstate withdrawals because in the financial analysis the retirement benefit of a short career employee typically costs less per year as compared to a long service employee.

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2023		For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
I Components of Employer Expense				
Recognised in the Statement of Profit and Loss:				
1 Current Service Cost	4.75	2.06	3.56	5.70
2 Past Service Cost	-	-	-	-
3 Net Interest Cost	0.26	0.42	-	-
4 Actuarial gains/(losses)	-	0.72	-	-
5 Total expense recognised in the Statement of Profit and Loss	5.01	3.20	3.56	5.70
Re-measurements recognised in Other Comprehensive Income				
6 Return on plan assets (greater)/less than discount rate	-	-	-	-
7 Effect of changes in assumptions	-	-	-	-
8 Effect of experience adjustments	0.08	-	-	-
9 Total re-measurements included in Other Comprehensive Income	0.08	-	-	-
10 Total defined benefit cost recognised in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (5+9)	5.09	3.20	3.56	5.70

The current service cost, past service cost and net interest cost for the year pertaining to Gratuity expenses have been recognised in "Contribution to Provident and other funds" and Leave Encashment in "Employee Salaries & Allowances" under Note 39. The remeasurements of the net defined benefit liability are included in Other Comprehensive Income.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2023		For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
II Net Liability/(Asset) recognised in Balance Sheet				
Present Value of Defined Benefit Obligation	8.65	8.90	3.56	5.70
Fair Value of Plan Assets	-	-	-	-
Net liability:				
- Non-Current	8.58	8.68	3.53	5.56
- Current	0.07	0.22	0.03	0.14
III. Change in Defined Benefit Obligation (DBO)				
1 Present Value of DBO at the beginning of the year	3.56	5.70	-	-
2 Current Service Cost	4.75	2.06	3.56	5.70
3 Past Service Cost	-	-	-	-
4 Net Interest Cost	0.26	0.42	-	-
5 Actuarial gains/(losses)	-	0.72	-	-
6 Remeasurement gains /(losses):				
a Effect of changes in demographic assumptions	-	-	-	-
b Effect of changes in financial assumptions	-	-	-	-
c Changes in asset ceiling (excluding interest income)	-	-	-	-
d Effect of experience adjustments	0.08	-	-	-
7 Curtailment Cost/(Credits)	-	-	-	-
8 Settlement Cost/(Credits)	-	-	-	-
9 Acquisitions credit/ (cost)	-	-	-	-
10 Effects of transfer In/(Out)	-	-	-	-
11 Benefits Paid	-	-	-	-
12 Net defined benefit liability/ (asset) at end of current period	8.65	8.90	3.56	5.70
IV. Best Estimate of Employers' Expected Contribution for the next year				
Gratuity			NA	NA
V. Change in Fair Value of Assets				
1 Plan Assets at the beginning of the year	-	-	-	-
2 Acquisition adjustment	-	-	-	-
3 Interest income on plan assets	-	-	-	-
4 Employer contributions	-	-	-	-
5 Return on plan assets greater/(lesser) than discount rate	-	-	-	-
6 Benefits paid	-	-	-	-
7 Fair Value of assets at the end of current period	-	-	-	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2023		For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
VI. Actuarial Assumptions				
1 Discount rate per annum	7.30%	7.30%	7.30%	7.30%
2 Rate of Escalation in Salary	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
3 Mortality Rate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate
4 Withdrawal	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%
VII. Sensitivity Analysis				
The Sensitivity Analysis below has been determined based on reasonably possible change of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant. These sensitivities show the hypothetical impact of a change in each of the listed assumptions in isolation. While each of these sensitivities holds all other assumptions constant, in practice such assumptions rarely change in isolation and the asset value changes may offset the impact to some extent. For presenting the sensitivities, the present value of the Defined Benefit Obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the Defined Benefit Obligation presented above. There was no change in the methods and assumptions used in the preparation of the Sensitivity Analysis from previous year.				
A Discount Rate				
Effect on DBO due to 1% increase in Discount Rate	7.30%	7.30%	7.30%	7.30%
Percentage Impact	(1.07)	(1.13)	(0.46)	(0.71)
Effect on DBO due to 1% decrease in Discount Rate	(12.40%)	(12.60%)	(13.00%)	(12.40%)
Percentage Impact	1.29	1.35	0.55	0.84
B Salary Escalation Rate	14.90%	15.10%	15.60%	14.80%
Effect on DBO due to 1% increase in Salary Escalation Rate	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Percentage Impact	1.33	1.39	0.57	0.87
Effect on DBO due to 1% decrease in Salary Escalation Rate	15.40%	15.70%	16.10%	15.30%
Percentage Impact	(1.12)	(1.18)	(0.49)	(0.74)
Maturity Analysis of the Benefit Payments	(13.00%)	(13.20%)	(13.70%)	(13.00%)
Year 1	0.07	0.23	0.03	0.14
Year 2	0.27	0.30	0.00	0.19
Year 3	2.55	0.38	0.00	0.24
Year 4	3.69	0.47	0.00	0.29
Year 5	0.66	0.57	0.00	0.35
Next 5 Years	16.53	16.07	0.01	2.81

Amounts towards Defined Contribution Plans have been recognised under "Contribution to Provident and other funds" in Note 39: ₹27.02 Lakh (2021 - ₹3.59 Lakh).

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 40: Finance Costs

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Interest expense on lease liabilities	3,975.85	3,659.93
Interest on tax free bonds	1,051.44	1,051.44
Interest on Cash credit	28.40	-
Interest others	40.12	0.00
	5,095.81	4,711.37
Less: Expenditure during construction	(1,593.22)	-
Total	3,502.59	4,711.37

Note 41: Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Depreciation on property, plant and equipments	5,408.51	5,047.48
Depreciation on RoU Assets	1,630.32	1,645.24
Amortisation of other intangible asset	396.09	109.23
Total	7,434.92	6,801.95
Less: Expenditure during construction	(550.71)	-
Total	6,884.21	6,801.95

Note 42: Other Expenses

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Consumption of stores & spares	2,632.01	2,057.19
Diminution in value of Loose tools	133.33	164.48
Rates and taxes	126.70	277.43
Power	2,741.04	2,667.42
Fuel	138.96	2,024.63
Water	390.91	306.34
Repairs and maintenance:		
Building and roads	1,460.08	618.42
Plant and machinery	271.59	227.99
Docks		8.23
Others	1,668.61	1,303.74
Maintenance dredging	616.82	287.35
Transport and stores handling	105.37	89.08
Travelling and conveyance expenses	1,171.73	735.91
Printing and stationery	94.00	77.02
Postage, telephone and telex	54.11	55.30
Advertisement and publicity	424.34	315.60
Lease rent	10.60	11.87
Hire charges	588.95	591.89
Insurance charges	652.55	703.02

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Security expenses	2,579.08	2,246.37
Payments to Auditors	37.55	34.34
Fee for statutory compliances	1.32	1.02
Training expenses	750.98	657.33
Legal expenses	84.45	29.22
Consultancy	66.50	46.76
Bank charges	826.70	604.71
Net loss on foreign currency transactions	109.01	-
Corporate social responsibility (Refer Note no.52)	1,654.96	1,619.47
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	4.92	1.02
Penalty Payment	38.89	-
Loss on Lease Modification	32.08	-
Stores written off	12.34	185.81
R&D and New initiatives*	864.16	-
Miscellaneous expenses	803.18	700.70
Total	21,147.82	18,649.66

Persuant to extension of lease agreement, ROU and lease liabilities in the books of accounts stood as at 23.12.2022 (the date of Lease Modification) were remeasured and loss on lease modification amounting to ₹32.08 lakhs charged off to Profit and Loss account.

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
For Audit Fees	24.50	20.50
For Limited Review/other services	11.30	11.85
For Certifications	1.75	1.99
Total	37.55	34.34

*R&D and New initiatives includes the following:

- National Centre of Excellence for Green Port & Shipping (NCoEGPS) is a major initiative by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW) towards providing greener solutions. The Energy and Resources Institute (TERI) is the knowledge and implementation partner for this project. The centre aims to develop a regulatory framework and alternate technology adoption road map for Green Shipping to foster carbon neutrality and circular economy (CE) in shipping sector in India. MoPSW, Deenadayal Port Authority Kandal, Paradip Port Authority Paradip, V O Chidambaranar Port authority Thoothukudi & Cochin Shipyard Ltd have partnered to develop NCoEGPS by providing funding support for infrastructure development and supporting research and capacity-building activities for 5 years. During FY 22-23, CSL has paid ₹475.00 lakhs to TERI which has been reported as R&D expenses.
- Ushus is a startup support program of CSL in association with IIMK LIVE & IIT Madras to augment the Government of India's initiatives to encourage and develop an ecosystem in India to support Maritime Startups. As part of this program maritime startups will receive seed funds from CSL as grants/investments. IIMK LIVE & IIT Madras will review and recommend the proposals received under this scheme for investment by CSL. Fee for their services amounts to ₹18.50 lakhs.
- M/s Boston Consulting group was entrusted for preparation of detailed report for Setting up of Ship repair cluster (Mumbai & Kochi) in India in line with MoPSW's Maritime India Vision-2030 for an amount of ₹343.00 lakhs.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 43: Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Loss allowance for Trade Receivables	730.47	4,134.08
Expenses and contingencies	268.74	482.07
Total	999.21	4,616.15

Note 44: Exceptional items

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Sale of Excluded ship Y 123 held on behalf of CoC	3,850.00	-
Less: Sale proceeds directly collected by/ passed on to CoC as per NCLT order	(3,850.00)	-
Provision for Inventory written back / (Provision for inventory)	-	-
Write off of property, plant and equipments	-	454.51
Provision for Subsidy Receivable written back / (Provision for subsidy receivable)	-	(179.36)
Prior period error	6,181.35	-
Total	6,181.35	275.15

The land and water area on which the International Ship Repair Facility (ISRF) project is taken on lease from Cochin Port Trust. The company has commenced development of the new ship repair facility with effect from 09th Jan 2018. The lease period of 30 years commences from date of Environmental Clearance. The Company has not considered capitalization of said cost amounting to ₹8288.21 lakhs from the commencement of project construction/development till 31 Mar 2023. As the amount is less than the materiality level arrived by the Company, the management rectified/corrected the prior periods error amounting to ₹6181.35 lakhs during the year, which was duly classified as 'Exceptional items'.

Persuant to NCLT Order, Tripartite agreement was entered into among UCSL, Committee of Creditors & HAL Offshore limited, for effecting transfer of title of excluded ship bearing Hull No. Y 123. In accordance with the agreement, Tax invoice was raised by company for the consideration of ₹ 3850 lakhs which was collected directly by CoC. GST portion amounting to ₹192.50 lakhs (5% on sale consideration) collected by company from the transferee to facilitate GST remittance has been remitted to Govt treasury.

Note 45: Earnings per Equity Share

(₹ in lakhs)		
Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	30,470.91	56,396.14
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	23.16	42.87
Face value per share (in ₹)	10.00	10.00

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 46: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

Disclosures of Disaggregated revenue as per INDAS 115

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	142418.66	179266.04
Vessels other than IAC	34373.45	67674.19
Other operating revenue		
Ship Building Financial Assistance	1424.67	3486.17
Management fee	1537.50	1500.00
(ii) Sale of services		
Ship repairs	55088.34	65794.50
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time		
Other operating revenue		
Sale of Ship Building Scrap	1017.42	774.42
Sale of Ship Repair Scrap	532.18	599.38
Total	236392.23	319094.70

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹1714555.08 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract). The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 20.60 % of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2023, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2023-24 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31, 2023 the Company recognised revenue of ₹69396.51 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01, 2022.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Opening contracted price of orders	1502234.10	1495498.24
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	1009900.07	117957.69
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	2745.77	(74.03)
Increase due to exchange rate movements (net)	4858.33	720.76
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	2199.59	2479.72
Orders completed during the year	48781.92	109388.84
Closing contracted price of orders	2468756.76	1502234.10
Total Revenue recognised during the year:	74514.75	146496.07
Less: Revenue out of orders completed during the year	5428.88	14774.27
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	69085.87	131721.80
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	685115.82	616418.34
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)		
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	1714555.07	754093.96
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	2468756.76	1502234.10

Note 47: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2023 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹130.23 lakhs (Previous year ₹85.50 lakhs).

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2023 including outflow for short term and low value leases is ₹2995.70 lakhs (Previous year ₹2575.78 lakhs).

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2023 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	(₹ in lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Less than one year	2,905.98	2,742.78
One to five years	12,719.60	11,636.06
More than five years	1,21,540.14	1,21,828.25
Total	1,37,165.71	1,36,207.09

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2022 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Less than one year	35.78	200.78
One to five years	159.87	152.94
More than five years	204.41	247.12
Total	400.06	600.84

Movement of Lease Liabilities was as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Opening Balance	42,796.57	41,664.13
Add:Additions	1,276.68	
Add:Interest recognised during the year	3,975.84	3,659.94
Less: Deletion / Disposal	80.04	
Less:Payment made	2,523.20	2,527.50
Closing Balance	45,445.85	42,796.57

Note 48: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the company's foreign currency forward contracts is generally a bank.

The company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 23:

(₹ in lakhs)

Currency	No. of contracts	Mar 31, 2023		No. of contracts	Mar 31, 2022	
		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
Euro	34	63630.13	(3892.22)	1	794.61	1.30
NOK	8	13431.68	(889.68)			
Total	42.00	77061.81	(4781.90)		794.61	1.30

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	0.97	90.60
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	(3579.37)	(89.63)
Balance at the end of the year	(3578.40)	0.97

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Note 49: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	23,676.09	11,664.67	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets.
ii Bank Guarantees	83,995.04	39,139.27	Bank guarantees (including continuity guarantees) represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers and other beneficiaries. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on Balance sheet date is included in Note 50.
b Other money for which the company is contingently liable			
i Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii Customs duties	6,485.78	16,796.84	Customs duty for materials under Bond and indigenous vessels delivered. Includes an amount of ₹69.83 lakhs being Customs duty refund granted by CESTAT, Bangalore, against which an appeal was filed by the Department before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble High Court of Kerala has since disposed off the appeal with a direction to the Department to prefer the appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. In absence of any further information on the departmental appeal, the same has been retained as Contingent Liability. This also includes ₹5982.16 lakhs paid under protest.
iii Income Tax	2,236.53	2,069.97	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹126.26 lakhs AY 2014-15 - ₹911.07 lakhs AY 2017-18 - ₹331.77 lakhs AY 2018-19 - ₹20.76 lakhs AY 2020-21 - ₹819.51 lakhs AY 2021-22 - ₹27.16 lakhs Detailed notes in Note no. 49.1 (I)
iv Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT.
	376.67	376.67	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner (Appeal). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner (Appeals). Also issued Show Cause Notice on CSL.
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-18-17-18 dt 19.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	1,885.49	1,885.49	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-11-17-18 dt 07.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	150.57	150.57	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner vide OIO No.48/2020-ST(JC) dt 31.12.2020 confirmed demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against OIO.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportatin of Barge from Cochin to Abu Dhabi. Appeal filed to CESTAT.
v Kerala Value Added Tax (KVAT)	787.32	0.00	Demand for FY 2015-16. Assessing office made additions to taxable turnover against the order of Joint Commissioner (Appeals) and raised demand.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
vi Alekton Engineering Industries Pvt Ltd	240.74	195.09	The petitioner (claimant) approached MSME Council for recovery of Liquidated damages (LD) along with interest in respect of LD deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods. MSME Council, Chennai has referred the case to Madras High Court Arbitration Centre for arbitration. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator. Claim petition filed by the petitioner. Examination of witness is in progress.
vii Employee State Insurance Corporation	54.66	54.66	ESI Corporation raised a demand notice for ₹62.28 lakhs towards contribution for advance trainees for the period Apr 2008- Mar 2012. Company has paid contribution of ₹26.46 lakhs for the period Jun 2010- Mar 2012 and ₹25.95 lakhs for the period Apr 2012- Jul 2013 belatedly. Later on, ESI Department has raised a demand notice of ₹19.84 lakhs towards interest on delayed payments and damages for the period Jun 2010- Jul 2013. The Company is contesting the demands made before Honourable Insurance Court, Alappuzha. In the meantime, the court has granted a stay by depositing ₹1 lakh.
viii M/s. Vigil Marine Services	1861.59		M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. Bank guarantee for the award amount along with interest from the date of receipt of the amount till the date of award (₹1305 lakhs) has been deposited as security to Hon'ble High Court and the same is included in Note 50.
ix Building Tax	27.54	0.00	CSL has challenged demand notice B1/14569/2019 No 112/19-20 dated 10.8.2019 under S. 10 of the Kerala Building Tax Act 1975 demanding an amount of ₹27,54,000/- towards building tax for the building owned by CSL at Girinagar (METI) by filing WP No. 14999/2023 before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble Court vide its order dated 02 May 2023 has granted interim stay of the operation of the demand notice and orders passed by the State Government till 30 May 2023.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
x Property Tax	68.24	0.00	CSL challenged arrear demand notices issued by Kochi Municipal corporation for the period from 2013-14 to 2022-23 towards revised property tax for 14 old buildings of CSL by filing W.P (C) No. 12758/2023 before the Hon'ble High Court Kerala. The Hon'ble High Court Kerala vide its order dated 10 April 2023 granted interim stay of demand notices until further orders
xi Indemnity Bond to Customs Authorities	22054.15	15347.87	Bond under Customs (Imports of Goods at Concessional Rate of Duty) rules 2017
xii Indemnity Bond to Govt of India	30415.00	30415.00	Represent Indemnity Bonds given by Company to Gol towards performance of obligations under the IAC contract. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on Balance sheet date is included in Note 50
xiii Paint contamination claims	863.83	0.00	Claims raised against the Company for paint contamination spots observed on cars - Ghamadia & 128 yard at Mumbai Port.
B COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	65325.68	57,686.00	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS in respect Udupi Cochin Shipyard Ltd., Subsidiary

The company has been sanctioned Fund based and Non Fund based limits of ₹9100 lakhs as against the security of hypothecation of current assets including inventory and trade receivables of the company.

C CONTINGENT LIABILITIES RELATED TO ERSTWHILE TEBMA PERIOD

As per the approved Resolution Plan, contingent liabilities prior to March 04, 2020 ("Effective Date") stand extinguished.

Furthermore, the Resolution Plan, among other matters via Schedule III, provides that except to the extent of the amount payable to the relevant Operational Creditors in accordance with the Resolution Plan, all liabilities of the Company relating in any manner to the period prior to the Effective Date, immediately, irrevocably and unconditionally stand fully and finally discharged and settled and there being no further claims whatsoever, and all the rights of the Operational Creditors (including Governmental Authorities) and Other Creditors to invoke or enforce the same stands waived off. It is provided that any and all legal proceedings initiated before any forum by or on behalf of any Operational Creditor (including Governmental Authorities) or any Other Creditors to enforce any rights or claims against the Company also stands extinguished.

The Company has been legally advised that while the Resolution Plan provides for extinguishment of all liabilities of the Company owed to Operational Creditors and Other Creditors as of the Insolvency Commencement Date i.e. September 25, 2018, the implementation of the Resolution Plan does not have any such similar effect over claims or receivables owed to the Company. Claims/Debts against the Company in relation to non compliances pertaining to period prior to NCLT order are noted in table below for information, even though no liability would arise for the Corporate Debtor UCSL or to the Successful Resolution Applicant, post insolvency Resolution, in respect of the these matters which are pending adjudication, in view of Section 31(1) and Section 32A of the Code and as per relevant Judgments of the Hon'ble Supreme Court. As per the aforesaid resolution plan, these liabilities stands extinguished. Accordingly, the management has assessed that the possibility of outflow of resources embodying economic benefits with respect to such claims / debts is remote.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
i. Tax Matters			
Director General of Foreign Trade (DGFT)			
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras)	414.38		- Company has filed Writ petition against impugned orders by DGFT imposing penalty, customs duty and Interest under Foreign Trade Act issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras)	694.00		- Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Karnataka)	-		- Show cause notices issued alleging that there was failure to achieve positive net foreign exchange (NFE) of ₹ 918.90 lakhs in respect of the years 2011-12 to 2015-16 and also a failure to file the Annual Progress Report (APR) in respect of the Malpe EOU for the years 2016-17 onwards resulting in non-fulfilment amounted to a contravention of the FTP and thereby rendered the Petitioner liable to imposition of penalty under Sec. 11(2) of the FT (D&R) Act. The Hon'ble High court has granted an interim stay of all proceedings pursuant to the show cause notice vide order date 15 Dec 2021. The Respondents have filed their counter affidavit in the matter and the matter is posted for filing of rejoinder by the Petitioners.
- Where the Department has served Show cause notices	314.07		- Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. UDSL representative has attended personal hearing and submitted reply. Order awaited.
Others			
Entry Tax	76.90	76.90	Pending before Karnataka Appellate Tribunal & Supreme court, pertaining to years 2006-07, 2009-10, 2010-11 & 2012-13. As per NCLT order, these liabilities have extinguished. Also, no demand notices received after takeover.
Central / State Excise / Service Tax / Customs / Goods and service tax	1,234.65	1,234.65	Pending before CESTAT Bangalore & Commissioner of Commercial Tax West Bengal, pertaining to years 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13 & 2013-14. As per NCLT order, these liabilities have extinguished. Also, no demand notices received after takeover.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	As at Mar 31, 2023 (₹ in lakhs)	As at Mar 31, 2022 (₹ in lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
Karnataka VAT	11.91	11.91	Order no ZD2900223010218S dtd 20/2/23 for Wrong claim of ITC for the period Sep to Dec 2017. Company has served reply stating that liabilities have extinguished as per NCLT order.
ii. Money Suits			
Plaintiff: Lokenath Enterprises	31.96	28.03	For recovery of ₹21,83,714 together with interest @ 18% per annum from September 2020 till the date of realization, for the services performed by him from 2016 till CIRP Period for which payments were not made by Resolution professional. Interlocutory Applications filed to set aside Exparte Order. At present adjourned to 14 July 2023 for hearing on IA's. Case open before Hon'ble Additional District and Sessions Court Chengalpattu (Tamil Nadu)
Plaintiff: Cochin Port trust	246.97	231.22	Port had filed a civil suit on 28/03/2014 before the Honourable Sub Court at kochi to recover an amount of ₹105 lakhs with interest @ 15% p.a, which was incurred by CopT to rectify the manufacturing defects noticed on the tugs supplied by company. Matter pending before court for arbitration.
D CONTINGENT ASSETS			
Pursuant to Order dated 13.07.2021 passed by Honourable High court of Madras in OP365/14 for the award dated 12.12.2013 and 04.02.2014 in the arbitration proceedings between M/s Tebma Shipyards Ltd and M/s Tuticorin Port trust Ltd (Present V.O. Chidambaranar Port Authority), ₹181.94 crores were settled by the VOCPT in Dec 2022 and Company is yet to receive the interest portion for the period from 04.02.2014 to 15.12.2022 which amounts to ₹432.13 lakhs.			

49.1. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company has been completed up to AY 2020-21.

Demands raised as per the assessment orders totaling ₹2,236.53 lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2014-15, 2018-19, 2017-18, 2020-21, and 2021-22 are shown under Contingent Liability pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to the disallowance of certain genuine claims. However, the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

- 50.** Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on reporting date is ₹690720.85 lakhs (Previous year ₹514684.76 lakhs)

51. Litigations :

The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

52. Corporate Social Responsibility (CSR) :

As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

			(₹ in lakhs)
(a)	Gross amount required to be spent by the Company during the period ended March 31, 2023		1645.62
(b)	Amount spent during the year		1,724.96
Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1408.75	-	1,408.75
(ii) On purposes other than (i) above	316.21	-	316.21
	1724.96	-	1724.96

In case of Sec.135(5) Excess amount spent

				(₹ in lakhs)
Amount carry forwarded from previous financial years	Amount spent during the year	Amount charged to P&L as CSR expenses	Amount carry forwarded to succeeding financial years	
40.00	1724.96	1654.96	110.00	

As on 31 March 2023, the Company spent ₹119.34 lakhs in excess of amount required to be spent as per Companies Act, 2013 out of which ₹9.34 lakhs is charged to Profit and Loss and ₹110 lakhs is carried forwarded to succeeding financial years.

		(₹ in lakhs)
Additional Disclosures on CSR	As at March 31, 2023	
(i) Amount required to be spent by the company during the year,		1645.62
(ii) Amount of expenditure incurred,		1724.96
(iii) Shortfall at the end of the year,		0.00
(iv) Total of previous years shortfall,		0.00
(v) Reason for shortfall		NA
(vi) Nature of CSR activities: As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee.		
(vii) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard		Nil
(viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.		Nil

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

53. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2022-23	2021-22
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V (Upto April 30, 2021) Director (Operations)	-	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan (From July 21, 2022) Director (Operations)	Key Managerial Personnel	-
Shri Jose V J Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sanjay Bandopadhyaya (Upto July 28, 2022) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Vikram Singh (From July 28, 2022 to Nov 21, 2022) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	-
Shri Rajesh Kumar Sinha (From Nov 21, 2022) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	-
Shri K R Jyothilal (Upto Jan 02, 2023) Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Biju Prabhakar (From Jan 02, 2023) Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	-
Smt. Amrapali Prashant Salve (From Nov 26, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Nahar Singh Maheshwari (From Dec 01, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Ashok Sharma (From Nov 26, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Prithviraj Harichandan (From Nov 22, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Venkatesan M (From Nov 22, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Abhijit Biswas (From Dec 01, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Neelakandhan A N (UCSL) Director, (w.e.f May 03, 2022)	Key Managerial Personnel	-
Shri Rajesh Gopalakrishnan (UCSL) Director, (w.e.f May 03, 2022)	Key Managerial Personnel	-
Shri Harikumar A (UCSL) Chief Executive Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John (UCSL) Chief Financial Officer, (Till November 24, 2022)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shankar Nataraj (UCSL) Chief Financial Officer, (w.e.f. November 25, 2022)	Key Managerial Personnel	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Related Party	Nature of Relationship	
	2022-23	2021-22
Shri Aswin Sarma M (UCSL) Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shekhar Chakravarthy (HCSL) Chief Executive Officer (from 22.12.2021)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Anjana K R (HCSL) Nominee Director (from 26.03.2022)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri.Saibal Chattopadhyay (HCSL) Chief Financial Officer (from 14.02.2022)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Kiran.K.A (HCSL) Company Secretary (From 16.10.2020)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person

Particulars	(₹ in lakhs)	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Short term benefit	339.58	267.62
Post employment Benefit	40.96	29.11
Total	380.54	296.73

Nature of transaction-Advances

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2022	Loans/ advances Taken during 2022-23	Repayment	(₹ in lakhs)	
				Balance as on 31/03/23	Interest accrued as on 31/03/23
SURESH BABU N V					
BEJOY BHASKER	0.12	0.25	0.30	0.08	0.00
JOSE V J	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00
SREEJITH K N	0.08	0.25	0.25	0.08	0.00
SYAMKAMAL N	0.12	0.50	0.50	0.12	0.00

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2021	Loans/ advances Taken during 2021-22	Repayment	(₹ in lakhs)	
				Balance as on 31/03/22	Interest accrued as on 31/03/22
SURESH BABU N V	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
BEJOY BHASKER	0.08	0.40	0.35	0.13	0.00
JOSE V J	0.11	0.40	0.40	0.11	0.00
SYAMKAMAL N	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Amrapali Prashant Salve	2.65	0.90
Nahar Singh Maheshwari	2.25	0.70
Ashok Sharma	3.05	0.90
Prithiviraj Harichandan	2.25	0.70
Venkatesan M	1.65	0.70
Abhijit Biswas	3.05	0.90
Total	14.90	4.80

Nature of transaction - Transaction with other related parties

As CSL is a Government company under the control of Ministry of Shipping, Ports and Waterways (MoPSW), the Company has availed exemption from detailed disclosures prepared under Ind AS 24 with respect to related party transactions with Government and Government related entities.

However, as required under Ind AS 24, following are the individually significant transactions:

Transactions/balances with Government and Government related entities by the parent company

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Amount payable to Government of India	234.19	234.19
Amount paid as dividend during the year to Govt. of India	17012.21	14855.74

In addition to the above, around 94.44 % (approx) of the companies turnover and 96.74% (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities.

54. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required).

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Financial Assets/ Financial Liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	11.32	9.18	Level III
(ii) Loans	520.60	347.84	Level III
(iii) Others	107.34	99.49	Level III
Current			
(i) Trade Receivables	33,841.50	43,702.07	Level III
(ii) Cash & Cash equivalents	2,08,115.55	50,350.13	Level III
(iii) Bank Balances other than (ii)	2,67,686.22	2,70,916.71	Level III
(iv) Loans	99.50	68.56	Level III
(v) Others	3,421.07	1,473.75	Level III
Total Financial Assets	5,13,803.10	3,66,967.74	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	2302.20	12581.98	Level III
(ii) Lease liabilities	40446.48	39363.70	Level III
(iii) Other financial liabilities	261.22	261.22	Level III
Current			
(i) Borrowings	10,984.78	0.00	Level III
(ii) Trade Payables	21,647.95	16864.96	Level III
(iii) Lease liabilities	4999.40	3432.87	Level III
(iv) Other financial liabilities	19,344.46	18674.41	Level III
Total Financial Liabilities	99,986.49	91,179.13	

Note:

- The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose. The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost.

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value. The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)

	31st March 2023			31st March 2022		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
-Equity instruments		11.32			9.18	
Loans			620.10			416.40
Trade receivables			33,841.50			43,702.07
Cash & Cash equivalents			2,08,115.55			50,350.13
Bank Balances			2,67,686.22			2,70,916.71
Other Financial Assets			3,528.41			1,573.23
Total Financial Assets	0.00	11.32	5,13,791.79	0.00	9.18	3,66,958.55
Financial liabilities						
Borrowings			13,286.98			12,581.98
Lease liabilities			45,445.88			42,796.57
Trade payables			21,647.95			16,864.96
Other financial liabilities			19,605.68			18,935.63
Total Financial Liabilities	0.00	0.00	99,986.49	0.00	0.00	91,179.13

55. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk and other price risk, being mainly commodity price risk. Financial Assets affected by market risk include loans and advances, deposits and derivative financial instruments.

A. Interest rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates is minimal since the exposure relates primarily to the Company's long-term debt obligations of redeemable non-convertible bonds with fixed interest rates as disclosed in Note 23 & 28. With the current profile of fixed rate borrowing, the company is not sensitive to interest rate fluctuations.

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 48.

The company's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

(₹ in lakhs)					
Particulars	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Assets					
31st March 2023	1885.63	27625.64	0.00	1489.18	31000.45
31st March 2022	3003.87	5283.96	0.00	0.00	8287.84
Financial Liabilities					
31st March 2023	1447.86	11935.36	17.82	145.17	13546.21
31st March 2022	3251.89	8667.46	22.61	176.87	12118.84

The sensitivity of profit/loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

(₹ in lakhs)		
Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Receivables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
USD - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
Payables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(72.39)	(162.59)
USD - Weakening of ₹ by 5%	72.39	162.59
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(596.77)	(433.37)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	596.77	433.37
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(0.89)	(1.13)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.89	1.13
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(7.26)	(8.84)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	7.26	8.84

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Profit Before Tax		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	72.39	162.59
USD - Weakening of ₹ by 5%	(72.39)	(162.59)
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	596.77	433.37
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(596.77)	(433.37)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.89	1.13
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(0.89)	(1.13)
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	7.26	8.84
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(7.26)	(8.84)

C. Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the company's exposure to commodity risk is minimal.

The following table details the Company's sensitivity to a 5% movement in the input price of steel. The sensitivity analysis includes only 5% change in commodity prices for quantity consumed during the year, with all other variables held constant.

(₹ in lakhs)

Commodity	Increase of 5 %		Decrease of 5 %	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Steel	202.79	102.92	(202.79)	(102.92)

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value.

The Company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long-term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Particulars	31st March 2023			31st March 2022		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Financial Assets						
Non-current investments			11.32			9.18
Loans	250.90	781.63	1.29	112.28	233.00	2.56
Other Financial Assets	0.00	6.44	84.23		21.70	2817.73
Trade Receivables	33841.50			39040.78		
Cash and Cash Equivalents	208115.55			141505.80		
Bank Balances other than cash and cash equivalents	267686.22			179761.04		
Loans	99.50			68.56		
Other Financial Assets	3421.07			3395.10		
Total Financial Assets	513414.75	788.06	96.85	363883.56	254.70	2829.48
Financial Liabilities						
Borrowings			2302.20		10000.00	2302.20
Lease Liabilities	40446.48				253.62	39110.08
Other financial liabilities			261.22			261.22
Borrowings	10984.78					
Lease Liabilities	4999.40			3432.87		
Trade payables	21647.95			37613.16		
Other financial liabilities	19344.46			18956.39		
Total Financial Liabilities	97423.06	0.00	2563.41	60002.42	10253.62	41673.49

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its exposure to other financial assets, including deposits with banks and financial institutions, derivative instruments, and other financial instruments. The company has adopted a policy of only dealing with counterparties that have sufficiently high credit rating in order to manage the credit risk. Trade receivables mainly comprise of government entities and the cash and cash equivalents and derivative instruments are maintained with banks and recognised financial institutions with high credit rating.

For trade receivables, as a practical expedient the company computes credit loss allowance based on a provision matrix which considers historically observed default rates over expected life of trade receivables, adjusted for forward looking estimates. The movement in expected credit loss allowance is disclosed in Note 14.

The Company's maximum exposure to the credit risk for the components of Balance Sheet as 31st March 2023 and 31st March 2022 is the carrying amounts mentioned in Note no 14 and as stated in Note 55, around 94.44%(approx) of company's turnover and 96.74% (approx.) of trade receivables and customer advance it with respect to Government and Govt. regulated entities. The maximum exposure relating to financial derivative instruments and financial guarantees is disclosed in Note 48 and Note 49 respectively.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

56. Disclosure pursuant to Ind AS 1 “Presentation of financial statements”:

a. Current assets expected to be recovered within twelve months and after twelve months from the reporting date

(₹ in lakhs)

Particulars	31st March 2023			31st March 2022		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Inventories	37,299.71		37,299.71	29,836.03		29,836.03
Trade receivables	33,841.50		33,841.50	43,702.07		43,702.07
Cash and cash equivalents	2,08,115.55		2,08,115.55	50,350.13		50,350.13
Bank balances	2,67,686.22		2,67,686.22	2,70,916.71		2,70,916.71
Loans	99.50		99.50	68.56		68.56
Other Financial assets	3,421.07		3,421.07	1,473.75		1,473.75
Current tax assets (net)	7,147.48		7,147.48	-		-
Other current assets	1,56,051.92		1,56,051.92	1,87,734.01		1,87,734.01

b. Current liabilities expected to be settled within twelve months and after twelve months from the reporting date:

(₹ in lakhs)

Particulars	31st March 2023			31st March 2022		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Borrowings	10,984.78		10,984.78	-		-
Lease Liabilities	4,999.40		4,999.40	3,432.87		3,432.87
Trade payables	21,647.95		21,647.95	16,864.96		16,864.96
Other financial liabilities	19,344.46		19,344.46	18,674.41		18,674.41
Other current liabilities	415,106.90		4,15,106.90	2,56,129.42		2,56,129.42
Provisions	40,020.04		40,020.04	48,602.42		48,602.42
Current tax liabilities (net)	0.00		-	2,566.09		2,566.09

57. Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Segment Assets		
Ship building	430,700.12	258,545.34
Ship Repair	282,235.51	287,038.89
Unallocated	289,156.00	295,788.30
Total	1,002,091.63	841,372.53
Segment Liability		
Ship building	316,976.72	155,917.43
Ship Repair	49,020.33	64,318.72
Unallocated	193,329.94	181,818.20
Total	559,326.99	402,054.35

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Particulars	(₹ in lakhs)	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Segment Revenue		
Ship building	179297.44	251200.83
Ship Repair	57158.04	67893.87
Unallocated	20701.25	26281.60
Total	257156.73	345376.30
Segment Result		
Ship building	19843.32	57776.43
Ship Repair	9856.53	12041.89
Unallocated	12143.85	6775.87
Total	41843.70	76594.19

The Company has two major business segments – “Ship Building” and “Ship Repair”. Revenue under Ship building includes ₹ 155800.89 lakhs (Previous year: ₹ 204473.56 lakhs) from one customer (Previous year: one customer) having more than 10 % revenue of the total revenue, and for Ship repair includes ₹193571.56 lakhs (Previous year: ₹ 40786.31 lakhs) from two customers (Previous year: two customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

58. Capital Management

The company’s objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

Particulars	(₹ in lakhs)	
	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Long term borrowings	2302.20	12581.98
Net Debt	13286.98	12581.98
Equity Share Capital	13154.04	13154.04
Other equity	429610.60	426164.14
Total Equity	442764.64	439318.18
Gearing Ratio	3.00%	2.86%

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2023 and March 31, 2022.

Particulars	Numerator	Denominator	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022	% change	Remarks if change is more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liabilities	1.39	1.68	(17.05%)	-
(b) Debt-Equity Ratio,	Total Debt	Shareholder's Equity	0.03	0.03	0.03%	-
(c) Debt Service Coverage Ratio,	*Earnings available for debt service	Debt Service	5.59	8.01	(30.22%)	Due to reduction in Earnings available for debt service
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.07	0.13	(46.85%)	Due to reduction in Net Profits after taxes
(e) Inventory turnover ratio,	Revenue from Operations	Average Inventory	7.04	8.62	(18.28%)	-
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	4.78	6.72	(28.87%)	Due to reduction in Net credit sales
(g) Trade payables turnover ratio,	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	6.21	6.67	(6.90%)	-
(h) Net capital turnover ratio,	Net Sales	Working Capital	1.17	1.36	(13.45%)	-
(i) Net profit ratio,	Net Profits	Net Sales	0.13	0.18	(27.09%)	Due to reduction in Net Profits after taxes
(j) Return on Capital employed,	Earning before interest and taxes	Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.10	0.19	(45.59%)	Due to reduction in Earnings before interest and taxes
(k) Return on investment.-Equity	Return from Equity investments	Avg Equity investments	0.00	0.00	0.00%	-
(l) Return on investment.-Debt	Return from Debt investments	Avg Debt investments	0.00	0.00	0.00%	-

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

59 .Details of Subsidiaries

Name	Relationship	Nature of activity	Principal place of business	As at 31st March 2021 & 31st March 2022 Proportionate ownership in %
1. Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Kolkata, India	100%
2. Udupi Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Malpe, India	100%

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

60. Summarised financial information of subsidiary company is as follows:

The amounts disclosed for subsidiary are before inter-company eliminations

A. HOOGLY COCHINSHIPYARD LIMITED

	(₹ in lakhs)	
Summarised Balance sheet	2022-23	2021-22
Non-current assets	17407.65	17374.21
Current assets	8700.86	4498.83
Total Assets	26108.51	21873.04
Non- Current liabilities	13752.32	13730.17
Current liabilities	5808.19	4161.20
Total Liabilities	19560.51	17891.37
Net Assets	6548.00	3981.67
Accumulated NCI	0.00	0.00

	(₹ in lakhs)	
Summarised Statement of Profit & Loss	2022-23	2021-22
Revenue	1702.06	41.78
Profit/(Loss) for the year	(2033.59)	(283.61)
Other Comprehensive Income	(0.08)	0.00
Total Comprehensive Income	(2033.67)	(283.61)
Profit/(Loss) attributable to NCI	0.00	0.00

	(₹ in lakhs)	
Summarised Cashflows	2022-23	2021-22
Cashflows from operating activities	(141.18)	(211.34)
Cashflows from investing activities	(813.65)	(2988.50)
Cashflows from financing activities	4061.06	2771.97
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	3106.23	(427.87)

B. UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED (Formerly Tebma Shipyard Limited)

	(₹ in lakhs)	
Summarised Balancesheet	2022-23	2021-22
Non-current assets	14587.36	13699.44
Current assets	7469.69	3411.27
Assets held for sale	0.00	13.59
Total Assets	22057.05	17124.30
Non-current liabilities	2108.10	1569.93
Current liabilities	5883.34	3122.84
Total Liabilities	7991.44	4692.78
Net Assets	14065.61	12431.53
Accumulated NCI	0.00	0.00

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Summarised Statement of Profit & Loss	2022-23	2021-22
Revenue	3917.45	641.98
Profit/(Loss) for the year	(866.54)	(1294.13)
Other Comprehensive Income	0.62	0.00
Total Comprehensive Income	(865.92)	(1294.13)
Profit/(Loss) attributable to NCI	0.00	0.00

(₹ in lakhs)

Summarised Cashflows	2022-23	2021-22
Cashflows from operating activities	(713.45)	(1045.38)
Cashflows from investing activities	(2114.61)	(860.47)
Cashflows from financing activities	2180.40	959.37
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	(647.66)	(946.48)

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

61. INFORMATION REQUIRED BY SCHEDULE III OF THE COMPANIES ACT 2013, WITH RESPECT TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in lakhs)

Name of the entity in the group	Ownership in % As at March 31, 2022	Net Asset		Share in Profit or (Loss)		Share in Other Comprehensive Income		Share in Total Comprehensive Income	
		Proportionate Share	As % of Consolidated Net Asset	Share in Profit/ (Loss)	As % of Consolidated Profit/ (Loss)	Share in Other Comprehensive Income	As % of Consolidated Other Comprehensive Income	Share in Total Comprehensive Income	As % of Consolidated Total Comprehensive Income
Cochin Shipyard Limited	100.00%	442341.87	99.90%	33448.86	109.77%	(3675.49)	100.00%	29773.37	111.11%
Subsidiary									
Hooghly Cochin Shipyard Limited	100.00%	6548.00	1.48%	(2033.59)	(6.67%)	(0.08)	0.00%	(2033.67)	(7.59%)
Udupi Cochin Shipyard Limited	100.00%	14065.61	3.18%	(866.54)	(2.84%)	0.62	(0.02%)	(865.92)	(3.23%)
Consolidation adjustments		(20190.84)	(4.56%)	(77.83)	(0.26%)	(0.00)	0%	(77.83)	(0.29%)
Grand Total		442764.64	100%	30470.91	100.00%	(3674.95)	100.00%	26795.94	100.00%

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

- 62.** Consumption of imported goods/services for the year amounts to ₹74122.85 lakhs (₹92189.67 lakhs in previous year).
- 63.** No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder,
- 64.** The holding company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. The company has been sanctioned aggregate Non-Fund based limits in excess of ₹5 Crores by the multiple banks, which are availed as and when required. It has also been sanctioned aggregate fund based limits in excess of ₹5 Crores by multiple banks which has not been availed by the company. The company is not required to file any quarterly returns or statements with the banks.
- The HCSL subsidiary has borrowings from banks on the basis of security of current assets. The company has complied with the requirement of filing of monthly / quarterly returns/ statements of current assets with the bank or financial institutions as applicable, and these returns were in agreement with the books of accounts for the year ended March 31, 2023 and March 31, 2022.
- The UCSL subsidiary has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks on the basis of security of current assets. The quarterly returns or statements filed by the Company with the banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts.
- 65.** The company is not declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender, Where the company has any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.
- 66.** The company has no transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.
- 67.** The Company has entered agreement with Andaman & Nicobar Administration on a long term license basis for a period of 30 years from November 2019 onwards for developing, designing, constructing, modernising, operating, maintaining and managing the existing shiprepair facility which is named as CSL-AN Ship Repair Unit (CANSRU)
- 68.** There are no charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.
- 69.** No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- 70.** The company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence disclosures relating to it are not applicable.
- 71.** In the case of contracts/ sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.
- 72.** The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

73. Figures in brackets denote negative figures.
74. Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1-2
Notes to the Consolidate Financial Statements	3-74

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
 As per our report attached **For and on behalf of Board of Directors**

For M/s Anand & Ponnappan. Chartered Accountants (Firm Registration No.000111S)	SYAMKAMAL N Company Secretary Membership No. A25337	BEJOY BHASKER Director (Technical) DIN - 08103825
C. KRISHNAN MENON Partner (Membership Number: 074736) Kochi, dated May 19, 2023	JOSE V J Director (Finance) & Chief Financial Officer DIN - 08444440 Kochi, dated May 19, 2023	MADHU S NAIR Chairman and Managing Director DIN - 07376798

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2023

Annexure

FORM AOC 1

**Statement containing salient features of the financial statement of Subsidiaries/associate companies/joint ventures
(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014**

Part "A" : Subsidiaries

Sl No	Particulars	Details	Details
1	Sl No	1	2
2	Name of the subsidiary	Hooghly Cochin Shipyard Ltd	Udupi Cochin Shipyard Ltd
3	The date since when subsidiary was acquired	October 23, 2017	September 15, 2020
4	Reporting Period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	No	No
5	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries	Not Applicable	Not Applicable
6	Share Capital	₹9600 lakhs	₹9000 lakhs
7	Reserves and Surplus	₹(3052) lakhs	₹5065.61 lakhs
8	Total Assets	₹26,108.51 lakhs	₹22057.05 lakhs
9	Total Liabilities	₹26,108.51 lakhs	₹22057.05 lakhs
10	Investments	Nil	Nil
11	Turnover	₹1702.06 lakhs	₹3917.45 lakhs
12	Profit Before Taxation	₹(1780.25) lakhs	₹(1148.88) lakhs
13	Provision for taxation		
	(i) Current Tax		₹0.38 lakhs
	(ii) Deferred Tax	₹253.34 lakhs	₹(282.72) lakhs
14	Profit after taxation	₹(2033.59) lakhs	₹(865.54) lakhs
15	Proposed Dividend	Nil	Nil
16	Extent of shareholding (in %)	100%	100%

Part "B": Associates and Joint Ventures :Not applicable

As per our report attached
For M/s Anand & Ponnappan.
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

C. KRISHNAN MENON
Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi, dated May 19, 2023

For and on behalf of Board of Directors
SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 19, 2023

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798



COCHIN SHIPYARD LIMITED

Corporate Identity Number: L63032KL1972GOI002414

Registered Office: Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015

Tel: +91 (484) 2501306 **Fax:** +91 (484) 2384001

E-mail: secretary@cochinshipyard.in **Website:** www.cochinshipyard.in

NOTICE

Notice is hereby given that, the 51st Annual General Meeting (AGM) of Cochin Shipyard Limited (CSL) will be held on Thursday, September 28, 2023 at 11:00 hrs. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2023, together with the Reports of the Board of Directors' and the Auditors' thereon.
2. To receive, consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2023, together with the Report of the Auditors' thereon.
3. To confirm the payment of first interim dividend of ₹7.00 (70%) per equity share and second interim dividend of ₹7.00 (70%) per equity share and to declare final dividend of ₹3.00 (30%) per equity share (face value ₹10/-) for the financial year 2022-23.
4. To appoint a Director in place of Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
5. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2023-24.

Special Business

6. Ratification of Remuneration of Cost Auditors

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), as amended from time to time, the Company hereby ratifies the remuneration of ₹1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand Only) per annum plus applicable tax payable to M/s. Rajendran Mani and Varier, Cost Accountants (Firm Registration No.: 000006), who are appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct audits relating to cost records of the Company under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 for the year ending March 31, 2024."

"RESOLVED FURTHER THAT any one of the Directors or the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to the above resolution."

7. Approval of extension of tenure of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), as Director (Technical)

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules, if any, made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the Articles of Association of the Company and Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the approval of the shareholders be and is hereby accorded for the extension of tenure of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), as Director (Technical) of the Company

for a further period from April 05, 2023 till the date of his superannuation i.e., May 31, 2025, or until further orders, whichever is earlier, by the Government of India vide Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter no. SY-11012/1/2022-CSL dated February 15, 2023, on the terms and conditions as stipulated by the Government of India, and whose office is liable to retire by rotation.”

8. Approval of appointment of Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (DIN: 05351383) as Part-time official (Nominee) Director

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules, if any, made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the approval of the shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (DIN: 05351383), Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, as Part-time official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Vikram Singh, by the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated November 21, 2022 under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 read with Articles 21(a) and 21(c) of the Articles of Association of the Company, with effect from November 21, 2022 until further orders and on the terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

9. Approval of appointment of Shri Biju Prabhakar IAS (DIN: 03093072) as Part-time official (Nominee) Director

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules, if any, made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the approval of the shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Shri Biju Prabhakar IAS (DIN: 03093072), Secretary, Transport Department, Government of Kerala, as Part-time official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Jyothilal K R IAS, by the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated January 02, 2023 under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 read with Articles 21(a) and 21(c) of the Articles of Association of the Company, with effect from January 02, 2023 until further orders and on the terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

By Order of the Board of Directors

Kochi
September 05, 2023

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Notes:

1. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA Circulars, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and SEBI Circulars, the 51st AGM of the Company is being held through VC/ OAVM. The Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.
2. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed and forms part of the Notice.
3. The relevant details, pursuant to Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), in respect of Directors seeking appointment/ re-appointment/ extension at this AGM is annexed to this Notice.
4. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. Since, this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/ OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with and hence the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM. Therefore, the proxy form, attendance slip and route map are not annexed to this Notice. However, in pursuance of Section 112 and 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the Members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/ OAVM and cast their votes through e-voting.
5. Annual Report for the year 2022-23 including the audited financial statements for the year ended March 31, 2023, is being sent by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with Company's RTA/ Depository Participants (DP). Further, the hard copies of the same would also be made available to the Members on request. Members may forward their request for hard copy to secretary@cochinshipyard.in. Members may note that the Notice and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website www.cochinshipyard.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.
6. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized mode with effect from April 01, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Members holding shares in physical mode are requested to consider converting their holdings to dematerialized mode. Members can contact the Company or Company's Registrar and Transfer Agents (RTA), Link Intime India Private Limited for assistance in this regard.
7. Members who have not yet registered/ updated their e-mail addresses are requested to register/ update the same with their Depository Participants (DP) in case the shares are held in demat mode and with Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in case the shares are held in physical mode. Members are requested to register/ update their e-mail addresses to enable the Company/ RTA to send communications through e-mail.
8. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC etc.

For shares held in demat mode: To their DPs.

For shares held in physical mode: To Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in the prescribed Form ISR-1. The said form is available at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/56.

Members holding shares in physical mode may kindly note that SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 has mandated the submission of PAN, KYC and nomination details by September 30, 2023. Those Members who have not yet submitted the said details may submit the same with the Company's RTA, Link Intime India Private Limited. The detailed instructions for the same are available at <https://www.linkintime.co.in/home-KYC.html>.

9. As per the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2013, the facility for making nomination is available to the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting Form No. SH-13 prescribed under Rule 19 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. If a Member desires to cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in Form No. SH-14 prescribed under Rule 19 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. On request, the necessary forms can be obtained from the Company's RTA, Link Intime India Private Limited. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held in demat mode and to Link Intime India Private Limited in case the shares are held in physical mode.

10. Book Closure and Dividend

- (i) The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Friday, September 22, 2023 to Thursday, September 28, 2023, both days inclusive.
- (ii) The final dividend for the financial year 2022-23, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, by October 27, 2023 i.e., within 30 days from the date of approval to those Members whose names appear in the Register of Members/ Depositories' records, as the case may be, at the close of business hours on Thursday, September 21, 2023.
- (iii) Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/ demand drafts in other cases. In respect of shares held in demat mode, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL) as at the close of business hours on Thursday, September 21, 2023. Members holding shares in demat mode may note that the bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat mode for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the demat account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the demat account, are requested to change/ correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before September 21, 2023.
- (iv) As per the Finance Act, 2020, dividend paid and distributed by a Company will be taxable in the hands of Shareholders with effect from April 01, 2020. Therefore, the Company will be required to deduct taxes at source (TDS) at the rates applicable to each category of Shareholder under the provisions of the Income Tax Act, 1961 as explained below:
 - A. Resident Shareholders**
 - (a) TDS would not apply in case of individuals if the aggregate dividend distributed to them during the financial year 2023-24 does not exceed ₹5,000.
 - (b) Tax at source will not be deducted in cases where a Shareholder provides
 - Form 15G (applicable to any person other than a Company or a Firm)
 - Form 15H (applicable to an individual above the age of 60 years), provided that the eligibility conditions are being met.
 - The Form 15H/ 15G is available for download at the Company's website at www.cochinshipyard.in.
 - (c) Tax will be deducted at source ("TDS") under Section 194 of the Income Tax Act, 1961 @ 10% on the amount of dividend payable unless exempted under any of its provisions.
 - (d) In case of "specified person" under Section 206AB of the Income Tax Act, the TDS shall be deducted at twice the rates specified in the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961.
 - (e) If PAN is not submitted, TDS would be deducted @ 20% as per Section 206AA of the Income Tax Act, 1961.
 - (f) Shareholders are requested to update their PAN with the Company's RTA, Link Intime India Private Limited (in case of shares held in physical mode) and Depository Participants (in case of shares held in demat mode).
 - (g) Shareholders holding shares under multiple accounts under different status/ category and single PAN, may note that, higher of the tax as applicable to the status in which shares held under a PAN will be considered on their entire holding in different accounts.
 - (h) Shareholders are requested to kindly verify the correctness of the records and update the same with the Depository Participant (if shares are held in demat mode) or the Company's RTA (if shares are held in physical mode), at the earliest.

- (i) Eligible Shareholders are also requested to submit the following documents as prescribed under the Income Tax Act, 1961 latest by September 21, 2023 at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> to avail the benefit of exemption or lower deduction from withholding tax.

Category	Documents required	Remarks
General	Self-attested copy of withholding tax certificate for lower deduction u/s 197	If lower rate of tax is to be claimed
Individual	Duly signed Form 15G or 15H (as may be applicable) along with the self-attested copy of the PAN card	If tax exemption is to be claimed
Insurance Company	Self-declaration* that it has full beneficial interest with respect to shares owned, along with self-attested copy of PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed
Mutual Funds	Self-declaration* that they are specified in Section 10(23D) of the Income Tax Act, 1961, along with self-attested copy of PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed
Corporation established by or under a Central Act which is, under any law for the time being in force, exempt from income-tax on its income	Self-attested copy of the documentary evidence supporting the exemption status along with self-attested copy of PAN card	If tax exemption is to be claimed
Alternative Investment Fund (AIF) established/ incorporated in India	Self-declaration* that its income is exempt under Section 10(23FBA) of the Income Tax Act, 1961 and that they are governed by SEBI Regulations as Category I or Category II AIF along with self-attested copy of the PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed

*The format of self-declaration is available at Company's website at www.cochinshipyard.in.

B. Non-Resident Shareholders

- (a) Tax is required to be deducted at source in accordance with the provisions of Section 195 of the Income Tax Act, 1961 at applicable rates in force. As per the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961, the tax shall be deducted at source @ 20% (plus applicable surcharge and cess) on the amount of dividend payable.
- (b) Shareholders are requested to kindly verify the correctness of the records and update the same with the Depository Participant (if shares are held in demat mode) or the Company's RTA (if shares are held in physical mode), at the earliest.
- (c) Eligible Shareholders are also requested to submit the following documents as prescribed under the Income Tax Act, 1961 latest by September 21, 2023 at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> to avail the benefit of Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) between India and their country of residence.

Category of Shareholder	Documents
Investments made by routes other than FPI route	Individual • Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident • Form 10F* • Self-declaration* • Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
	Partnerships, Trusts • Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident • Form 10F* • List of partners/ beneficiaries, their respective shares in the income of the partnership/ trust and their respective residential status (if not forming part of TRC) • Self-declaration* • Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
	Companies • Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident • Form 10F* • Proof of satisfaction of LoB wherever required as per treaty (for example, in case the foreign company is registered on the stock exchange of the other country – the listing certificate of the company) • Self-declaration* • Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
Investments made through FPI route	FPIs (if shares are held under the FDI regime) • Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident • Form 10F* • Proof of satisfaction of LoB wherever required as per treaty (for example, in case the foreign company is registered on the stock exchange of the other country – the listing certificate of the company) • Self-declaration* • Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
	FPIs (other than above) • Self-attested declaration that investment has been made under FPI route • Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.

*The Form 10F and the format of Self-declaration is available at Company's website at www.cochinshipyard.in.

- (d) Kindly note that the Company is not obligated to apply the beneficial DTAA rates at the time of tax deduction/ withholding on dividend amounts. Application of beneficial DTAA rate shall depend upon the completeness and satisfactory review by the Company of the documents submitted by non- resident shareholders.
- (e) Tax shall be deducted at source @ 20% (plus applicable surcharge and cess) on dividend paid to Foreign Institutional Investors and Foreign Portfolio Investors under Section 196D of the Income Tax Act, 1961. Such TDS rate shall not be reduced on account of the application of the lower DTAA rate, if any.

- (v) Kindly note that the aforementioned documents should be uploaded at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> latest by September 21, 2023. Documents submitted through e-mail or any other form will not be considered.
- (vi) No communication on the tax determination/ deduction shall be entertained after September 21, 2023.
- (vii) In case tax on dividend is deducted at a higher rate in the absence of receipt of the aforementioned details/ documents, Shareholders would still have the option of claiming refund of the excess tax deducted at the time of filing the income tax return by consulting a tax advisor. No claim shall lie against the Company for such taxes deducted.
- (viii) Shareholders are requested to register/ update their e-mail addresses with their Depository Participant (DP) in case the shares are held in demat mode and with Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in case the shares are held in physical mode to enable the Company to send Form 16A with respect to the TDS on Dividend. Shareholders will be able to see the credit of TDS in Form 26AS, which can be downloaded from their e-filing account at <https://eportal.incometax.gov.in>.
- (ix) **Disclaimer:** *This communication shall not be treated as an advice from the Company. For the tax related matters Shareholders should obtain the tax advice from a tax professional.*

11. Unclaimed Dividend

- (i) Members are hereby informed that under the Companies Act, 2013, the Company is obliged to transfer any money lying in the Unpaid Dividend Account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer to the Unpaid Dividend Account, to the credit of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government.
- (ii) Further, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("IEPF Rules"), all the shares on which dividend remain unpaid/ unclaimed for a period of seven consecutive years or more shall be transferred to the demat account of the

IEPF Authority as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Hence, the Company urges all the Shareholders to encash/ claim their respective dividend during the prescribed period.

- 12. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the AGM.
- 13. To prevent fraudulent transactions, Members are advised to exercise due diligence and notify the Company of any change in address or demise of any Member as soon as possible. Periodic statement of holdings should be obtained from the concerned DP and holdings should be verified from time to time.
- 14. Members are requested to:
 - (i) Intimate to the Company/ RTA, changes if any, in their respective addresses along with the pincode at an early date.
 - (ii) Quote folio numbers in all their correspondences.
 - (iii) Consolidate holdings into one folio in case of multiplicity of folios with names in identical orders.
- 15. Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Company immediately the change in the residential status on return to India for permanent settlement.
- 16. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts or Arrangements in which the Directors are interested, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available electronically for inspection to the Members during the AGM. All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to secretary@cochinshipyard.in.
- 17. Members are requested to send all communications relating to shares to the Company's Registrar and Transfer Agents (RTA) at the following address:

Link Intime India Private Limited

"Surya", 35, Mayflower Avenue
 Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road
 Coimbatore, Tamil Nadu – 641028
 Phone: +91 (422) 2314792, 2315792
 E-mail: coimbatore@linkintime.co.in

18. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a Member using remote e-voting system as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by NSDL.

19. Instructions to Shareholders for remote e-voting

- (i) The remote e-voting period begins on Monday, September 25, 2023 at 09:00 hrs. and ends on Wednesday, September 27, 2023 at 17:00 hrs. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members whose names appear in the Register of Members/Depositories' records, as the case may be, as on the cut-off date, Thursday, September 21, 2023, may cast their vote electronically. The voting right of Shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being Thursday, September 21, 2023. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- (ii) Shareholders who have already voted prior to the Meeting date would not be entitled to vote at the Meeting venue.
- (iii) Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after

the Notice is send through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e., September 21, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using **"Forgot User Details/ Password"** or **"Physical User Reset Password"** option available on www.evoting.nsdl.com or call on 022 – 4886 7000 and 022 – 2499 7000. In case of individual shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., September 21, 2023, may follow steps mentioned under "Access to NSDL e-Voting system" in point no. (iv) below.

- (iv) Process and manner of voting by electronic means

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI Circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail address in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual Shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	- Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL viz., https://eservices.nsdl.com either on a personal computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the Beneficial Owner icon under Login which is available under IDeAS section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on Access to e-Voting under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting. - If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select Register Online for IDeAS Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the URL https://www.evoting.nsdl.com either on a personal computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon Login which is available under Shareholder/ Member section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number with NSDL), Password/ OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository website wherein you can see the e-Voting page. Click on Company name or e-Voting service provider i.e., NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting. - Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App NSDL Speede facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on  App Store   Google Play 
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	- Users who have opted for CDSL Easi/ Easiest facility, can login through their existing username and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi/ Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing Myeasi username and password. - After successful login the Easi/ Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by the company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.

Type of Shareholders	Login Method
	3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from the e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered mobile & e-mail as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/ CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option . Click on e-Voting option , you will be redirected to NSDL/ CDSL Depository website after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Company name or e-Voting service provider i.e., NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use **Forget User ID/ Forget Password** option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL and CDSL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 – 4886 7000 and 022 – 2499 7000.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33.

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for Shareholders other than Individual Shareholders holding securities in demat mode and Shareholders holding securities in physical mode

How to Login to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the URL <https://www.evoting.nsdl.com> either on a personal computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon **Login** which is available under **Shareholder/ Member** section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/ OTP and a Verification Code as shown on the screen.

*Alternatively, if you are registered for NSDL e-Services i.e., **IDeAS**, you can login at <https://eservices.nsdl.com> with your existing **IDeAS** login. Once you login to NSDL e-Services using your login credentials, click on **e-Voting** and you can proceed to Step 2 i.e., Cast your vote electronically.*

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e., Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
(a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your User ID is IN300***12*****.
(b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your User ID is 12*****.
(c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Company For example, if your folio number is 001*** and EVEN is 101456 then your User ID is 101456001***.

5. Password details for Shareholders other than Individual Shareholders are given below:

- (a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- (b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- (c) How to retrieve your 'initial password'?

- (i) If your e-mail address is registered in your demat account or with the Company, your 'initial password' is communicated to you on your e-mail address. Trace the e-mail sent to you from NSDL from your mailbox. Open the e-mail and open the attachment i.e., a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit Client ID for NSDL account, last 8 digits of Client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your e-mail address is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those Shareholders whose e-mail addresses are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the 'Initial password' or have forgotten your password.

- (a) Click on **Forgot User Details/ Password?** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- (b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
- (c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/ folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
- (d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on **Agree to Terms and Conditions** by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on **Login** button.
9. After you click on the **Login** button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join Meeting on NSDL e-Voting system

How to cast your vote electronically and join Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the Companies' 'EVEN' in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select 'EVEN' of the Company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on **VC/ OAVM** link placed under **Join Meeting**.
3. Now you are ready for e-Voting as the voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e., assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on **Submit** and also **Confirm** when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(v) General Guidelines for Shareholders

1. Institutional Shareholders (i.e., other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to cochin@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e., other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/ Power of Attorney/ Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution/ Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/ Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries/ grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for

Shareholders available at the **Download** section of www.evoting.nsdl.com. You may also send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400 013 at the e-mail address evoting@nsdl.co.in or call on 022 – 4886 7000 and 022 – 2499 7000.

(vi) Process for those Shareholders whose e-mail addresses are not registered with the depositories for procuring User ID and Password and registration of e-mail addresses for e-voting for the resolutions set out in this Notice

1. In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Company's RTA at coimbatore@linkintime.co.in.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (NSDL – 16 digit DPID + CLID or CDSL – 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Company's RTA at coimbatore@linkintime.co.in. If you are an Individual Shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** above i.e., **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode**.
3. Alternatively, Shareholders/ Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring User ID and Password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI Circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and e-mail address correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

20. Instructions for Members for e-voting on the day of the AGM

- (i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- (ii) Only those Members/ Shareholders, who will be present in the AGM through VC/ OAVM Facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- (iii) Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- (iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for remote e-voting.

21. Instructions for Members for attending the AGM through VC/ OAVM

- (i) Members can join the AGM in the VC/ OAVM mode 15 minutes before the time scheduled for the AGM by following the procedure mentioned hereinafter.
- (ii) The facility to attend the AGM through VC/ OAVM is provided to the Members through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for access to NSDL e-Voting system. After successful login, Members are requested to click on **VC/ OAVM** link placed under **Join Meeting** menu against Company name. The link for VC/ OAVM will be available in **Shareholder/ Member** login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the Members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned above to avoid last minute rush.
- (iii) The attendance of the Members in the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- (iv) Members are encouraged to join the Meeting through laptops for better experience.
- (v) Further, Members will be required to allow camera, if any, and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting.

- (vi) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptops connecting via mobile hotspot may experience audio/ video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- (vii) Shareholders who would like to express their views/ ask questions during the Meeting may register themselves as a speaker by sending their request from their registered e-mail address mentioning their name, demat account no./folio no., e-mail address and mobile no. at speakers@cochinshipyard.in from September 20, 2023 (08.00 hrs.) to September 22, 2023 (16:00 hrs.). The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
- (viii) Those Shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ ask questions during the Meeting. Relevancy of the question and the order of speakers will be decided by the Chairman.

- (ix) Members seeking any information with regard to annual accounts at the time of Meeting are requested to send their queries to the Company at least seven days before the date of Meeting so as to enable the management to keep the information ready.

22. Other Instructions

- (i) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of Notice and hold shares as on cut-off date of September 21, 2023, may obtain the Notice and e-voting instructions by sending request to the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at their e-mail address coimbatore@linkintime.co.in or download Notice and e-voting instructions from www.evoting.nsdl.com or Company's website www.cochinshipyard.in.
- (ii) The results declared along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the website of the Company www.cochinshipyard.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results shall also be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company.

STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 6

In pursuance of Section 148 of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company is required to appoint a Cost Auditor to audit the cost records of the applicable products of the Company.

The Board at its 273rd Meeting held on August 11, 2023 has appointed M/s. Rajendran Mani and Varier, Cost Accountants (Firm Registration No.: 000006), as the Cost Auditors of the Company for the financial year 2023-24 at a remuneration of ₹1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand only) per annum plus applicable taxes. As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013, the remuneration of Cost Auditors is required to be ratified by the Members.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 6 of the Notice for the approval of the Members of the Company by way of an ordinary resolution.

None of the Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 6 of the Notice.

Item No. 7

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825) was appointed as the Director (Technical) of the Company by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter F. No. SY-11012/4/2017-CSL dated April 04, 2018 for a period of five years with effect from the date of his assumption of charge of the post i.e., April 05, 2018, or till the date of his superannuation, or until further orders, whichever is the earliest. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2022-CSL dated February 15, 2023 extended his tenure as Director (Technical) for a further period from April 05, 2023 till the date of his superannuation i.e., May 31, 2025, or until further orders, whichever is earlier. His brief resume containing, qualification, expertise etc. is annexed herewith.

As per Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the first proviso thereto, the Company is required to obtain the approval of the shareholders at the next general meeting.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 7 of the Notice for the approval of the Members of the Company by way of an ordinary resolution.

Shri Bejoy Bhasker and his relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 7 of the Notice.

Item No. 8

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated November 21, 2022) appointed Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (DIN: 05351383), Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, as a Part-time official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Vikram Singh, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013, with effect from November 21, 2022 until further orders. His brief resume containing, qualification, expertise etc. is annexed herewith.

As per Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the first proviso thereto, the Company is required to obtain the approval of the shareholders at the next general meeting.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 8 of the Notice for the approval of the Members of the Company by way of an ordinary resolution.

Shri Rajesh Kumar Sinha IAS and his relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 8 of the Notice.

Item No. 9

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated January 02, 2023) appointed Shri Bijju Prabhakar IAS (DIN: 03093072), Secretary, Transport

Department, Government of Kerala, as a Part-time official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Jyothilal K R IAS, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013, with effect from January 02, 2023 until further orders. His brief resume containing, qualification, expertise etc. is annexed herewith.

As per Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the first proviso thereto, the Company is required to obtain the approval of the shareholders at the next general meeting.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 9 of the Notice for the approval of the Members of the Company by way of an ordinary resolution.

Shri Biju Prabhakar IAS and his relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of

the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 9 of the Notice.

By Order of the Board of Directors

Kochi
September 05, 2023

Registered Office

Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
CIN: L63032KL1972GOI002414
Tel: +91 (484) 236 1306
E-mail: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/ RE-APPOINTMENT/ EXTENSION AT THE 51ST AGM [PURSUANT TO REGULATION 36(3) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 AND SECRETARIAL STANDARD – 2 ON GENERAL MEETINGS]

Name and DIN	Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798)
Age and Date of Birth	57 years, January 05, 1966
Date of first appointment on the Board	January 01, 2016
Qualifications	Shri Madhu Sankunny Nair holds a degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture and Ship Building) from Cochin University of Science & Technology in first class and Masters in Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering) from Osaka University, Japan.
Expertise in specific functional areas	Shri Madhu Sankunny Nair has more than 35 years of professional experience with the Company since joining as Executive Trainee in June 1988 in the entire gamut of Shipyard management. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He was the driving force behind the Company's successful collaborations with international technology partners and bagging of significant international orders. Under his leadership, CSL has significantly transformed from a single unit company to a multi-unit company with seven units – main yard active in shipbuilding and ship repair, four ship repair units and two subsidiaries, spread across South, West & East coast of India.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri Madhu Sankunny Nair assumed charge as the Chairman & Managing Director of the Company on January 01, 2016 vide the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter no. SY-11011/1/2009-CSL dated December 11, 2015. Further, the Government of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter no. SY-11011/1/2009-CSL dated October 16, 2020 extended the tenure of Shri Madhu Sankunny Nair as Chairman & Managing Director for a further period of five years from January 01, 2021 or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earliest. The terms and conditions of his employment including remuneration are prescribed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, in line with the applicable DPE Guidelines.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills/ Expertise/ Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2022-23)	₹83.17 Lakhs
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) (wholly owned subsidiaries of CSL)
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Chairman, Securities Offer, Allotment & Transfer Committee, Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL)
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23	6/6
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	1400
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/ Key Managerial Personnel	Nil

Name and DIN	Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825)
Age and Date of Birth	58 years, May 07, 1965
Date of first appointment on the Board	April 05, 2018
Qualifications	Shri Bejoy Bhasker holds a degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University.
Expertise in specific functional areas	Shri Bejoy Bhasker joined the Company on June 29, 1988 as an executive trainee. He has more than 35 years of work experience with the Company wherein he was involved in Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair divisions of the Company.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2022-CSL dated February 15, 2023 extended the tenure of Shri Bejoy Bhasker as Director (Technical) for a further period from April 05, 2023 till the date of his superannuation i.e., May 31, 2025, or until further orders, whichever is earlier. The terms and conditions of his employment including remuneration are prescribed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, in line with the applicable DPE Guidelines.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills/ Expertise/ Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2022-23)	₹65.72 Lakhs
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) (wholly owned subsidiaries of CSL)
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23	6/6
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/ Key Managerial Personnel	Nil

Name and DIN	Shri Rajesh Kumar Sinha (DIN: 05351383)
Age and Date of Birth	57 years, March 27, 1966
Date of first appointment on the Board	November 21, 2022
Qualifications	Shri Rajesh Kumar Sinha is a 1994-batch IAS officer of Kerala Cadre and holds a Post Graduate Degree in Political Science.
Expertise in specific functional areas	Shri Rajesh Kumar Sinha is serving as Additional Secretary in Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India looking after the portfolio of Shipping matters in the Ministry. He has also been assigned the additional charge of Chief Vigilance Officer of the Ministry. Prior to joining as Additional Secretary, MoPSW, he has performed as District Collector, Secretary, Finance Department & Principal Secretary in Power, Forest/ Wildlife in the Government of Kerala. He has also worked in Urban Development, HRD and Energy Sector in the Government of India.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri Rajesh Kumar Sinha was appointed as Part-time official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Vikram Singh, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated November 21, 2022, with effect from November 21, 2022 until further orders. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills/ Expertise/ Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2022-23)	Nil. No remuneration is paid to the Government Nominee Directors.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Shipping Corporation of India Limited
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23	1/1
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/ Key Managerial Personnel	Nil

Name and DIN	Shri Biju Prabhakar (DIN: 03093072)
Age and Date of Birth	54 years, May 31, 1969
Date of first appointment on the Board	January 02, 2023
Qualifications	Shri Biju Prabhakar is an IAS Officer and holds a Bachelor's degree in Technology (Chemical Engineering) and a Master's degree in Business Administration. He is also a Law graduate.
Expertise in specific functional areas	Shri Biju Prabhakar is serving as Secretary, Transport Department, Government of Kerala and the Chairman & Managing Director of Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC). Prior to his present posting, he has held various key positions in the Government of Kerala viz., Secretary, Local Self Government (Urban) Department, Secretary, Department of Social Justice and Women & Child Development, Secretary, Public Works Department, District Collector, Trivandrum, Commissioner of Food Safety, Director of State Lotteries, Director of Public Instruction, Executive Director of IT @ School - Vickers Channel, etc.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri Biju Prabhakar was appointed as Part-time official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Jyothilal K R IAS, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated January 02, 2023, with effect from January 02, 2023 until further orders. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills/ Expertise/ Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2022-23)	Nil. No remuneration is paid to the Government Nominee Directors.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Konkan Railway Corporation Limited KSRTC - Swift Limited Kochi Metro Rail Limited Kochi Water Metro Limited
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Member in the Audit Committee of Kochi Metro Rail Limited
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23	1/1
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/ Key Managerial Personnel	Nil

[illegible]

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



COCHIN SHIPYARD LIMITED

REGISTERED OFFICE

Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India
CIN: L63032KL1972GOI002414
Website: www.cochinshipyard.in

